पंचदश माला, खंड 16, अंक 12

बुधवार, 9 मार्च, 2011
18 फाल्गुन, 1932 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

9 मार्च 2011

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 82
Dated 26 Sept. 2013

(खण्ड 16 में अंक 11 से 23 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वनाथन
महासचिव
लोक सभा

के.बी. तिवारी
संयुक्त सचिव

कमला शर्मा
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

रचनजीत सिंह
संयुक्त निदेशक

कावेरी जेसवाल
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

' 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 16, सातवां सत्र, 2011/1932 (शक)]

अंक 12, बुधवार, 9 मार्च, 2011/18 फाल्गुन, 1932 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा की कथित हत्या के बारे में	1-2
(दो) सोमाली जल दस्युओं द्वारा भारतीयों को बंधक बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में	495-498
प्रश्नों के मौखिक उत्तर.	
*तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 186	3-37
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 187 और 200	37-91
अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2300	91-476
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	477-493
राज्य सभा से संदेश.	493-494
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
15वां प्रतिवेदन	494
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति.	
12वें से 14वां प्रतिवेदन	494
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) राष्ट्रीय सकल बीमा योजना में विसंगतियों को दूर किए जाने की आवश्यकता	
श्री मानिक टैगोर	506-507
(दो) संघर्षरत लीबिया में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री एस.एस. रामासुब्बु	507
(तीन) कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बदनवल गांव में खादी और ग्राम उद्योगों को पुनरूद्धार किए जाने की आवश्यकता	
श्री आर. ध्रुवनारायण	507-508
(चार) नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष विकास योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले को निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. क्रुपारानी किल्ली	508-509

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(पांच) आंध्र प्रदेश के विजयनगरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वर्ण-जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना के लिए निधियां संस्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	509
(छह) पूरे देश में विशेषकर उत्तराखंड में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत निजी विद्यालयों को शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री सतपाल महाराज	209-510
(सात) देश में जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री एंटो एंटोनी	510-511
(आठ) केरल के चालाकुडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए एक विशेष पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री के.पी. धनपालन	511
(नौ) सिद्धमुख-नहर सिंचाई परियोजना के लिए रावी-व्यास नदी के अतिरिक्त जल से राजस्थान को उसका उचित हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राम सिंह कस्वां	511-512
(दस) संसद में खाद्य सुरक्षा विधेयक को पारित किए जाने की आवश्यकता	
श्री ए.टी. नाना पाटील	512-513
(ग्यारह) बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पात्र लोगों को केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण का समुचित संवितरण किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती रमा देवी	513
(बाहर) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केंद्र द्वारा प्रायोजित विकास योजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता	
श्री शैलेन्द्र कुमार	513
(तेरह) उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्युत परियोजनाओं से राज्य को पर्याप्त विद्युत प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	513-514
(चौदह) बिहार में पूर्व-मध्य रेलवे के अंतर्गत दानापुर में सड़कों, रेलवे स्टाफ क्वाटर्स और पार्कों की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. रंजन प्रसाद यादव	514-515
(पंद्रह) पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड की बंद पड़ी इकाई को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता	
शेख सैदुल हक	515

विषय **कॉलम**

(सोलह) कैंसर रोगियों के इलाज के लिए अस्पताल बनाने हेतु पंजाब राज्य को विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन 515

(सत्रह) बिहार के सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए जाने की आवश्यकता

श्री ओम प्रकाश यादव 515-516

(अठारह) जम्मू-कश्मीर के कारगिल में एलपीजी एजेंसी खोलने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री हसन खान 516

सामान्य बजट (2011-12)-सामान्य चर्चा और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2010-11

श्री निशिकांत दुबे 517-522

श्री कोडिकुन्नील सुरेश 523-526

डॉ. बलीराम 526-529

श्रीमती सुप्रिया सुले 529-534

श्री नामा नागेश्वर राव 534-539

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 539-546

श्री मोहम्मद असरारूल हक 546-550

श्री पकौड़ी लाल 550

श्री अबू हशीम खां चौधरी 550-552

श्री शिवकुमार उदासी 553-556

श्री रमेन डेका 556-558

श्री राम सिंह कस्वां 558-561

डॉ. ज्योति मिर्धा 561-567

श्री गणेश सिंह 567-572

श्री शैलेन्द्र कुमार 572-575

श्री दारा सिंह चौहान 575-579

डॉ. भोला सिंह 579-585

श्रीमती रमा देवी 585-589

श्री गजानन ध. बाबर 589-591

विषय	कॉलम
श्री अर्जुन राय	592-596
डॉ. काकोली घोष दस्तिदार	596-600
श्री पी. कुमार	600-603
श्री लालजी टन्डन	603-608
श्री पी. सी. मोहन	608-610
श्री अशोक अर्गल	610-612
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	612-614
डॉ. पी. वेणुगोपाल	614-617
श्री विजय बहुगुणा	617-621
श्री वीरेन्द्र कुमार	621-624
डॉ. महबूब बेग	624-625
श्री सतपाल महाराज	625-634
श्री सी. शिवासामी	634-638
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	638-640
श्री ए. सम्पत	640-644
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	644-646
श्री राधा मोहन सिंह	646-650
श्री हरिभाऊ जावले	650-655
श्री पन्ना लाल पुनिया	655-666
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	666-670
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	670-674
श्री ए.टी. नाना पाटील	674-678
श्रीमती ज्योति धुर्वे	678-681
श्री एच.डी. देवगौडा	682-689
श्री रतन सिंह	689-691
श्री रुद्रमाधव राय	691-692
श्री पी. लिंगम	692-696
श्री सी.आर. पाटिल	696-698

विषय कॉलम

श्री शरीफुद्दीन शारिक 648-704
श्री जे.एम. आरुन रशीद 705-708
श्री नरहरि महतो 708-709
श्री असादूद्दीन ओवेसी 709-712
श्री प्रहलाद जोशी 712-716
श्री जय प्रकाश अग्रवाल 716-717
श्रीमती प्रिया दत्त 717-720
श्री अधीर चौधरी 720-723
श्री चंदूलाल साहू 723-725
डॉ. चार्ल्स डिएस 725-726
श्री रमेश बैस 726-728
श्री हसन खान 728-729
श्री के.सी. सिंह 'बाबा' 729-734
श्री पी.टी. थामस 734-737
डॉ. संजीव गणेश नाईक 737-740
श्री घनश्याम अनुरागी 740-742
श्री एल. राजगोपाल 742-745
डॉ. तरूण मंडल 745-748
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण 748-750
श्रीमती दर्शना जरदोश 750-752
श्रीमती अन्नू टन्डन 752-754
श्री एस.एस. रामासुब्बु 754-760
श्री अर्जुन राम मेघवाल 761-762
श्री ओम प्रकाश यादव 762-764
प्रो. रामशंकर 764-765
श्री नारायण सिंह अमलाबे 765-767
श्री कमल किशोर 'कमांडो' 768-769
श्री नारनभाई कछाड़िया 769-771

विषय	कॉलम
श्री रामसिंह राठवा	771-774
श्री वीरेन्द्र कश्यप	774-790
श्री गोरखनाथ पाण्डेय	790-792
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	792-793
श्रीमती श्रुति चौधरी	793-797
डॉ. बोचा झांसी लक्ष्मी	797-802
श्री विनय कुमार पाण्डेय	802-804
श्री राजाराम पाल	804-805
श्री जितेन्द्र सिंह मलिक	805-808
श्री विजय बहादुर सिंह	808-814
श्री कपिल मुनि करवारिया	814-816
डॉ. थोकचोम मैन्या	816-820
श्री हंसराज गं. अहीर	821-824
श्री भूदेव चौधरी	824-842
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	843-844
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	844-852
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	853-854
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	853-854

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

बुधवार, 9 मार्च, 2011/18 फाल्गुन, 1932 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्नकाल, प्रश्न संख्या 181, श्री हमदुल्लाह सईद।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: महोदया, मैंने प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आप अपनी बात कहिए।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा की कथित हत्या के बारे में

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। कल महिला दिवस था और कल ही आपने चेयर से महिला दिवस के अवसर पर देश की महिलाओं को बधाई दी थी। आपने महिला रिजर्वेशन का संकल्प लिया। विपक्ष की नेता के प्रस्ताव पर सदन के नेता ने स्पोर्ट किया। कल ही दिल्ली में एक छात्रा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बहुत खराब है और सभी अखबारों ने इसे शर्मनाक बताया है।

महोदया, मेरे पास दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राजधानी महिलाओं के लिए असुरक्षित है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं, आपने अपनी बात कह दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: इससे बढ़कर और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। गृह मंत्री को सदन में बयान देनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं, आपकी बात समाप्त हो गई है।

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: दिल्ली के अंदर महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकल सकती हैं। सरेआम दिल्ली में अपराध हो रहे हैं, महिलाओं को गोली मारी जा रही है। सरकार को सदन में बयान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं, आपने अपनी बात कह दी है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): माननीय अध्यक्ष महोदया, इस सभा के एक अत्यंत वरिष्ठ सदस्य सैयद शाहनवाज हुसैन जी ने यह मुद्धा उठाया है; मैं माननीय गृह मंत्री जी को सूचित कर दूंगा ...*(व्यवधान)* मैं उन्हें यह संदेश दे दूंगा, मैं आज ही सभा को इस संबंध में जानकारी दूंगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदया, मैं आपको सूचना देना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव फ्लाइट से लखनऊ गए, कन्नौज में उनका कार्यक्रम था। लेकिन उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। सदन की अवमानना हुई है। ...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: महोदया, सदन को गुमराह किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं, आपने अपनी बात कह दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 181, श्री हमदुल्लाह सईद।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.03 बजे

इस समय श्री राकेश सचान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब हम 'प्रश्न काल' पर चर्चा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपने अपनी बात कह दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: हमने आपकी बात सुन ली है। आपको बोलने का मौका दिया है, आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं। कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

पूर्वाह्न 11.03½ बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 181, श्री हमदुल्लाह सईद।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

भारतीय छात्रों का पुनर्वास

+
***181. श्री हमदुल्लाह सईद:**
श्री जोस के. मणि:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से ट्राई-वैली विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया द्वारा की गयी कथित धोखाधड़ी और अनियमिताओं के पीड़ितों के अन्य अमरीकी विश्वविद्यालयों में स्थानांतरण सहित पुनर्वास का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि निर्दोष छात्रों को विदेशों में धोखाधड़ी का शिकार न होना पड़े?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार की प्रमुख चिंता प्रभावित भारतीय छात्रों का हित-कल्याण है और यह सुनिश्चित करना है कि अमरीका के कैलिफोर्निया स्थित ट्राई-वैली विश्वविद्यालय के कथित रूप से धोखाधड़ी करने के कारण बंद हो जाने के कारण उनका शैक्षणिक भविष्य खतरे में नहीं पड़े। सरकार ने बार-बार अमरीकी सरकार को संप्रेषित किया है कि वे विद्यार्थी जो स्वयं धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं, उन्हें अन्य विश्वविद्यालयों में स्थानांतरित होने अथवा अपनी स्थिति को अनुकूल बनाने तथा यदि उनकी इच्छा हो, उनको सम्मानपूर्वक भारत लौटने के लिए पर्याप्त समय और अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

विदेश मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे को अमरीका की विदेश मंत्री क्लिंटन के साथ उठाया है। विदेश सचिव ने भी वाशिंगटन डी.सी. की 14 फरवरी, 2011 की हुई अपनी सरकारी यात्रा के दौरान अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत में इस मुद्दे का शीघ्र समाधान करने की आशा व्यक्त की थी।

(ग) अमरीकी आप्रवासन एवं सीमाशुल्क प्रवर्तन (यूएसआईसीई) ने मामला दर मामला आधार पर योग्य छात्रों की स्थिति को अनुकूल बनाने और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लगभग 700 छात्रों की पूर्ववत स्थिति को बहाल करने के लिए विचार किया जा रहा है।

(घ) सरकार को आशा है कि अमरीका विदेशी छात्रों को ऐसे विश्वविद्यालयों शोषण रोकने के लिए कदम उठाएगा। सरकार भारतीय छात्रों को भी यह सलाह देगी कि वे विदेशी विश्वविद्यालयों में आवेदन करते समय आवश्यक सावधानी बरतें।

श्री हमदुल्लाह सईद: माननीय अध्यक्ष महोदया, हाल ही में निर्दोष भारतीय छात्रों को परेशान और अपमानित किया गया है कैर्लिफोनिया के एक विदेशी विश्वविद्यालयों ने इनके साथ धोखाधड़ी की है। न केवल इसके साथ धोखाधड़ी की है बल्कि उन्हें अत्यधिक अपमानित किया गया। उनके साथ छात्रों जैसा व्यवहार नहीं किया गया बल्कि उनके साथ आदतन अपराध करने वाले अपराधियों की तरह व्यवहार किया गया।

महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या निर्दोष भारतीय छात्रों को धोखाधड़ी से बचाने और उन्हें अपमानित किए जाने से बचाया जाने के लिए विदेश मंत्रालय की कोई विशेष नीति है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा। कृपया अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)* *

श्री हमदुल्लाह सईद: यदि इस प्रकार की कोई नीति है तो क्या यह नीति अप्रभावी है क्योंकि इससे उन प्राधिकारियों जिन्होंने भारतीय छात्रों की अपमानित किया है और उनके साथ धोखाधडी की है पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कर लें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री हमदुल्लाह सईद, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

...*(व्यवधान)*

श्री हमदुल्लाह सईद: महोदया, हाल ही में आस्ट्रेलिया में एक घटना हुई थी। अब यह अमरीका में हुई है। फिर यह रूस और फिर फ्रांस में होगी ...*(व्यवधान)* मंत्रालय द्वारा कोई प्रक्रियात्मक उपाय तभी की जाती है जब कोई घटना हो जाती है वे क्रियात्मक उपाय क्यों नहीं करते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहता हूं कि भारतीय छात्रों को अपमानित किए जाने से बचाने के लिए कोई विशिष्ट नीति है ...*(व्यवधान)*

श्री एस.एम. कृष्णा: माननीय महोदया, ट्रार्क वैली यूनिवर्सिटी के छात्रों के मुद्दे को अमरीकी सरकार के उच्चतम स्तर पर उठाया गया है। जब मैं हाल ही में न्यूयार्क में या, मैंने सेक्रेटरी आफ स्टेट श्रीमती क्लिंटन के साथ फोन पर चर्चा की थी। मैंने उनसे प्रवेश प्राप्त छात्रों के भविष्य के प्रति हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया का ताकि ट्राई वेली युनिवर्सिटी के अंतर्गत पंजीकृत छात्र का भविष्य अधर में नहीं रह जाए। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे इस सभा को सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि अमरीकी सरकार हस्तक्षेप करने जा रही है और अब के अमरीका के विभिन्न आम विश्वविद्यालयों में इन छात्रों का स्थानांतरण करने की प्रक्रिया तैयार करने के प्रयास में हैं। यह प्रक्रिया चल रही है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप वापस जाइए। आप वापस जाकर अपनी बात करिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप वापस जाइए। शैलेन्द्र कुमार जी, वापस जाइए। सबको बहुत मौका मिल रहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: दारा सिंह जी, आप भी बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप भी बैठ जाइए। अभिभावक का आप सम्मान भी करना सीखिए। पहले आप वापस जाइए। वापस जाकर अपनी बात करिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयाः वापस जाइए। हम आपको मौका दे रहे हैं। वापस जाकर अपनी बात करिए। प्रश्न काल होने दीजिए। पहले अपनी सीट पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आपको संरक्षण दे रहे हैं। पहले बात सुनिए। प्रश्न काल आप इस तरह से भंग नहीं करेंगे। प्रश्न काल की सैंक्टिटी आप इस तरह से बर्बाद नहीं करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः पहले आप अपनी सीट पर वापस जाइए। सीट पर वापस जाकर बैठिए। शैलेन्द्र कुमार जी, पहले अपनी सीट पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप अपनी सीट पर पहले वापस जाइए। पहले वापस जाइए। अपनी सीट पर वापस जाकर बैठिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः कृपया यह सभी नहीं करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदयाः यह बहुत गलत है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः श्री हमदुल्लाह सईद, कृपया अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री हमदुल्लाह सईदः अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समन्वय से कोई नीति क्यों नहीं बनाता और भारत में विश्वविद्यालयों को यह अधिकारिक निदेश क्यों नहीं देता है कि भारत में अध्ययन करने वाले विदेशी छात्रों को भी प्रतिक्रिया स्वरूप अपमानित क्यों किया जाए। मंत्रालय ने इस पहलू पर गौर क्यों नहीं किया?...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस.एम. कृष्णाः महोदया, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने हमें यह आश्वासन दिया है कि वे इस मामले पर इस प्रकार विचार कर रहे हैं जो कि छात्रों के लिए सहायक होगा ताकि उन्हें अन्य विभिन्न विश्वविद्यालयों में समायोजित किया जा सके। मेरा यह मानना है कि भारत के लिए जल्दबाजी में कार्य करना उचित नहीं होगा। मेरा यह मानना है कि हमें संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को हस्तक्षेप करने का एक मौका, एक अवसर देना चाहिए ताकि सभी छात्रों को विभिन्न अन्य विश्वविद्यालयों में स्थानान्तरित किया जा सके।

अध्यक्ष महोदयाः श्री जोस के. मणि—उपस्थित नहीं।

...*(व्यवधान)*

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकीः महोदया, अनेक छात्र अध्ययन के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं। हमने देखा है- मीडिया में भी ऐसी रिपोर्टें है- कि विदेशों में अनेक विश्वविद्यालय फर्जी हैं। वे छात्रों का नामांकन करते हैं। वहां जाने पर छात्रों को पता चलता है कि वहां कोई अवसंरचना विद्यमान नहीं है। अतः, वे उन विश्वविद्यालयों को बंद कर देते हैं... *(व्यवधान)*

अतः भारत सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? क्या वहां स्थित संस्थाओं अथवा विश्वविद्यालयों की विश्वसनीयता की निगरानी के लिए कोई प्रणाली है?

श्री एस.एम. कृष्णाः महोदया, मेरा यह मानना है कि उच्च शिक्षा के लिए देश के बाहर जाने की योजना बना रहे छात्रों के लिए यह आवश्यक है कि वे उन विश्वविद्यालयों की विश्वसनीयता सत्यापित करें जिनमें वे आवेदन करना चाहते हैं। हमारे लिए संयुक्त राज्य के वृहत्तर परिदृश्य को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 100,000 छात्र हैं। मात्र एक विश्वविद्यालय के लिए, जिसे फर्जी विश्वविद्यालय माना जा रहा है और जिसके बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार भी जांच कर रही है, हमारे लिए जल्दबाजी में निर्णय लेना उचित नहीं होगा। दूसरी ओर, हमें उन छात्रों के पुनर्वास के बारे में सोचना होगा ताकि उनका शैक्षिक वर्ष सुरक्षित रहे और उन्हें मंत्रालय से आवश्यक सहायता प्रदान की जाए...*(व्यवधान)*

श्री पी.के. बिजूः महोदया, हमारी सरकार देश में विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति प्रदान करने जा रही है। बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार "यूके एंड यूएस ट्रेडिंग स्टैण्डर्डस आफिसियल्स" ने

पिछले वर्ष 1000 पाउंड तक की राशि के बदले फर्जी ब्रिटिश डिग्रियों की पेशकश करने वाली 14 वेबसाइटों को बंद कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में मिशिगन राज्य ने लगभग 6,000 फर्जी, अप्राधिकृत और निम्नस्तरीय संस्थानों को सूचीबद्ध किया। दुनिया भर में ऐसा होने जा रहा है।

अत:, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि विदेश मंत्रालय द्वारा ऐसा कौन सा तंत्र स्थापित किया जाएगा जिससे यह पता लगाया जा सके कि कौन-कौन से विश्वविद्यालय फर्जी हैं।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

इस समय श्री राकेश सचान और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

श्री एस.एम. कृष्णा: महोदया, भारत के बाहर विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए यह आवश्यक है कि वे संस्थान की विश्वसनीयता, संस्थान के पिछले रिकार्ड का पता लगाने के बाद आवश्यक आवेदन करें और आवश्यक खर्च करें। भारत सरकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों की गहन निगरानी कर रही है। वहां सैकड़ों संस्थान हैं। अत: मेरा यह मानना है कि बुनियादी तौर पर छात्रों को ही अपने साथियों के माध्यम से सत्यापन करना चाहिए तथा इन संस्थानों की विश्वनीयता के बारे में वेबसाइट पर भी सत्यापन करना चाहिए। भारत सरकार विदेश में उच्च शिक्षा के आकांक्षी ऐसे छात्रों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर है।

जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूं, अध्यक्ष महोदया, संयुक्त राज्य अमेरिका में 100,000 भारतीय छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अत: सामने आए एक संदिग्ध विश्वविद्यालय, अर्थात ट्राई-वैली यूनिवर्सिटी जिसके बारे में संयुक्त राज्य सरकार ने जांच शुरू की है, के बारे में कोई नीति तैयार करते समय हमें वृहत्तर परिदृश्य को ध्यान में रखना होगा। अत: हमें उस जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए जो उन्होंने शुरू की है।

इसके साथ ही हमें यह जानकारी है कि यह एक फर्जी विश्वविद्यालय है। हमें जानकारी है कि यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका अस्तित्व नहीं है और हमारा ध्यान उन पीड़ित छात्रों का पुनर्वास करने पर होना चाहिए। लगभग 1500 ऐसे छात्र हैं। सैन फ्रांसिस्को में हमारे काउंसेल जनरल और संयुक्त राज्य में हमारे राजदूत ने संयुक्त राज्य की संघीय सरकार के साथ इस मामले को उठाया है। जब मैं न्यूयार्क में था उस समय मैंने स्वयं सक्रेट्री ऑफ स्टेट सुश्री क्लिंटन के साथ इस मामले को उठाया और तब उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वह विभिन्न अन्य विश्वविद्यालयों में उन छात्रों का स्थानांतरण कर उनका पुनर्वास कराने का प्रयास करेंगी। अत: हमें इसे एक मौका देना चाहिए।

श्री जसवंत सिंह: वास्तव में, माननीय मंत्री ने प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया था लेकिन इससे एक और प्रश्न उठता है कि जब वीजा प्रदान किया जाता है, तो वीजा प्रदान करने से पहले ऐसी जांच अनिवार्य रूप से की जाती है और मुझे विश्वास है कि मंत्री ने संबंधित दूतावास से इस पहलू की जांच कर ली है। यह एक असंतोषजनक स्थिति है और मुझे विश्वास है कि सरकार इसे रोकेगी और संभवत: इस असंबद्ध पहलू के बारे में मुझे वांछित जानकारी देगी जो माननीय मंत्री और मंत्रालय की जानकारी में है।

कैटरीना हरिकेन के बाद फ्लोरिडा जाने और वहां कार्य करने के लिए हजारों भारतीय मजदूरों को संविदा पर लगाया गया था ताकि उनकी सहायता से हरिकेन द्वारा की गई क्षति की मरम्मत की जा सके। उन्हें अनेक आश्वासन दिए गए थे जिनमें से एक नागरिकता प्रदान करना भी था। अब मुझे बताया गया है कि इन्हें वापस बुला लिया गया है। जो मजदूर वहां गए थे, उन्हें कोई सहायता नहीं मिल रही है। उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक कार्यवाही के लिए यह एक उपयुक्त मामला है और निस्संदेह सरकार इससे अवगत है।

उन्हें इसे स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है क्योंकि मेरा प्रश्न विद्यार्थियों से सम्बन्धित मुख्य प्रश्न के दायरे में नहीं आता लेकिन यदि मंत्री प्रश्न का उत्तर देते हैं तो मैं उनका आभारी रहूंगा।

श्री एस.एम. कृष्णा: माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसाकि माननीय वरिष्ठ सदस्य ने माना कि उनका यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है लेकिन जो मुद्दा माननीय सदस्य ने उठाया है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरिकेन कैटरीना के दौरान फ्लोरिडा में जो लोग लगे हुए थे, उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो भी आश्वासन दिए हम उन्हें निश्चित रूप से उनके साथ उठाएंगे और देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार उन वायदों को पूरा करें ऐसा कहा था तो, और हम इसे उनके साथ उठाएंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैडम, अब आप हमारी बात सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हमने उन्हें एक मिनट दे दिया है। जैसे हमारा उनसे वायदा था, हमने उन्हें एक मिनट दे दिया। अब आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: यह ठीक है।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.19 बजे

इस समय श्री राकेश सचान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

विमान सुरक्षा

***182. डॉ. रत्ना डे:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसी विमान द्वारा उड़ान भरने के निदेशों के प्रति विलंबित प्रतिक्रिया की घटना सहित विमान यातायात नियंत्रक (एटीसी) में बार-बार खराबी/तकनीकी बाधाएं आने की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में विमानपत्तन-वार इस प्रकार की घटनाएं कितनी बार घटित हुई हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। उपस्कर की विफलता/तकनीकी खामियों की कुछ घटनाएं हुईं जिन्हें स्टैंडबाई सिस्टम/प्रक्रियागत नियंत्रण द्वारा ठीक किया जा चुका है। एटीसी सिस्टम के पूरी तरह खराब (ब्रेकडाउन) होने की कोई घटना नहीं हुई है। किसी विमान द्वारा टेक-ऑफ संबंधी अनुदेशों पर देर से प्रतिक्रिया की वजह एटीसी सेवाओं का ब्रेकडाउन/तकनीकी खामी नहीं होती।

(ख) पिछले वर्षों और चालू वर्ष में विमानों द्वारा टेक-ऑफ संबंधी अनुदेशों पर विलंबित प्रतिक्रिया की वजह से विलंबित (एबॉर्टेड) टेक-ऑफ का विवरण निम्नानुसार है:

हवाईअड्डा का नाम	2008	2009	2010	2011
छात्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई	1	शून्य	2	शून्य
बेंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा	शून्य	1	1	शून्य

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस संबंध में भारतीय वैमानिकी सूचना प्रकाशन (एआईपी) में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

(i) जब तक एयरोड्रोम कंट्रोल द्वारा प्राधिकृत न किया जाए, मुख्य पायलट (पायलट-इन-कमांड) रनवे पर रन-अप नहीं करेगा। होल्डिंग पैन में इंजिन रन-अप अथवा प्रयुक्त रनवे का रनवे होल्डिंग पोजिशन क्लियर एयरोड्रोम कंट्रोल द्वारा अनुमोदन की शर्त पर किया जा सकता है।

(ii) जिस पायलट को प्रस्थान के लिए रनवे के बैक-ट्रैक की आवश्यता हो उसे टैक्सिंग आरंभ करने से पहले एटीसी को अधिसूचित करना चाहिए।

(iii) जहां तक संभव हो कॉकपिट चेक्स, लाइनअप से पहले पूरे कर लिए जाने चाहिए और रनवे पर रन-अप के समय पूरी किए जाने के लिए अपेक्षित चेक्स को न्यूनतम अपेक्षित संख्या में रखना चाहिए। पायलट को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे टेक-ऑफ क्लियरेंस जारी होने के तुरंत बाद टेक-ऑफ आरंभ करने में सक्षम हों। जो पायलट इस अपेक्षा का अनुपालन करने में सक्षम न हों उन्हें टैक्सिंग आरंभ करने से पहले एटीसी को अधिसूचित करना चाहिए।

डॉ. रत्ना डे: महोदया, हवाई यातायात सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती लेकिन यह माना जाता है कि विमान दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण अपना जीवनकाल पूर्ण कर चुके पुराने एयरक्रॉफ्ट और विमान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। इसलिए आकाश में विमान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एयरक्रॉफ्ट का अनुरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर माननीय मंत्री की क्या टिप्पणी है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइये। आपकी जो समस्या है, वह दो दिन से मेरे पास आ रही है। हम उसके बारे में पता

लगा रहे हैं। जो भी तथ्य आयेगा, हम उस पर निर्णय ले लेंगे। आप लोगों को मेरा संरक्षण है। कृपया आप लोग बैठ जाइये और प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप मेरे कार्यालय में आ जाइये, हम आप सबकी बात सुन लेंगे।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.21 बजे

इस समय श्री राकेश सचान और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

श्री दारा सिंह चौहान: महोदय, हमें आपका संरक्षण चाहिए।..*(व्यवधान)* ये गलत सूचना देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं।..*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: यह गलत सूचना नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: उन्हें गिरफ्तार किया गया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये। जो भी तथ्य होंगे, हम उन पर निर्णय करेंगे। अब आप बैठ जाइये। मंत्री जी आप बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: उन्हें एयरपोर्ट से खींचकर ले जाया गया और उनके साथ बदसलूकी की गयी।...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: महोदया, उस दिन भी इतनी देर सदन नहीं चलने दिया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आप बैठ जाइये। मंत्री जी आप बोलिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदया: हम प्रश्न काल जारी रखेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल को चलने दीजिए। प्रश्न काल मृत प्राय: हो रहा है, इसे पुनर्जीवित कीजिए। मंत्री जी आप बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वायालार रवि: माननीय सदस्य ने विमान के बारे में पूछा है जो मुख्यत: एटीसी और यातायात से सम्बन्धित है, इस सम्बन्ध में, मुझे एक बात स्पष्ट करनी है, जैसाकि उत्तर में उल्लिखित है कि विगत तीन या चार वर्षों में केवल पांच घटनाएं हुई हैं। मैंने कारण भी स्पष्ट किए हैं। यदि आप विगत तीन वर्षों को देखें, एटीसी ने लगभग चालीस लाख हवाई उड़ानों को नियंत्रित किया है। इन चालीस लाख में से, केवल पांच घटनाएं हुई है। यह भी उचित नहीं है। लेकिन सरकार ने यह देखने के लिए कि इसका दोहराव न हो सभी कदम उठाए हैं।

मैंने रिकार्ड देखकर यह पाया है कि एटीसी के साथ कोई समस्या नहीं है। यह 'ग्राउण्ड में समस्या है। यह सही है कि विमान में कुछ समस्या है। इस समस्या का समाधान किया जाना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि पायलट रनवे पर आ जाता है जबकि फ्लाइट पूरी तरह तैयार नहीं है कभी-कभी विद्युत न होने के कारण भी ऐसा होता है। इसी तरह तीन या चार कारण हैं। लेकिन हम सभी कदम उठा रहे हैं। हमने उन्हें वहां मौजूद दो नियम पुस्तिका पढ़ने का निर्देश दिया है। मुझे विश्वास है कि एटीसी नियम पुस्तिका के अनुसार कार्य करते हैं। हम पायलट से संपर्क करते हैं और चर्चा करते हैं और जो भी उचित हो, करते हैं। निश्चित रूप से, ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं, इसके लिए सरकार सभी कदम उठाएगी।

डॉ. रत्ना डे: फर्जी पायलट तेजी से उभर रहे हैं। मैं विशेष रूप से प. बंगाल में दमदम एयरपोर्ट से सम्बन्धित हाल की घटनाओं के बारे में उल्लेख करना चाहती हूं। 7 मार्च 2011 को मंत्रालय ने नई निगरानी प्रणाली स्थापित की है। यह ठीक है। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दमदम एयरपोर्ट पर अवसंरचना के विकास के बारे में क्या स्थिति है? वहां विशेषकर हवाई यात्रियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं के संदर्भ में अधिक किया जाना वांछित है। हम एयरपोर्ट पर की जाने वाली सुरक्षा जांच और अन्य कार्यों में लंबी कतार पाते हैं। कर्मचारियों की संख्या बहुत कम

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है; इसके परिणामस्वरूप यात्रियों को विमान में सवार होने से पहले अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री से उत्तर चाहती हूं।

श्री वायालार रविः अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के स्थान पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न को समझता हूं। निश्चित रूप से मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि हम यात्रियों द्वारा सामना की जा रही सभी कठिनाइयों और प्रश्नों जैसे लंबी कतार, सुरक्षा जांच आदि को देखेंगे। निश्चित रूप से इस सब पर माननीय सदस्य और अन्य सदस्यों की संतुष्टि के स्तर तक विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंहः महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से यह जानना चाहूंगा कि हमारे यहां एयरपोर्ट में टैक्निकली फॉल्ट से पांच हादसे हुए। हमारी जो जहाज की पट्टी है, वह इतनी छोटी है कि जब भी जहाज उतरता है तो ऐसा लगता है कि वह उतर नहीं रहा, गिर रहा है। जम्मू में जो लोग गये होंगे, वे सारे इस बारे में जानते होंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जब ब्रेक लगती है तो ऐसा लगता है कि जहाज कहीं उल्टा न हो जाये। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप उस पट्टी को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? इस एयरपोर्ट को कहीं अलग जगह ले जाओ। एयरपोर्ट को किसी और जगह बना दो। हमारा बड़ा बुरा हाल है। जो पांच हादसे हुए हैं, वे बहुत बड़े हैं। क्या कोई बड़ा हादसा करवाने का विचार है? यह बहुत बड़ा हादसा होगा।

महोदया, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कह रहा हूं, इसके लिए वे क्या सोच रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री वायालार रविः महोदया, इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि मैं पहली बार ऐसी शिकायत सुन रहा हूं। निश्चित रूप से, इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भेजा जा सकता है।

डॉ. संजीव गणेश नाईकः महोदया, मैं आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यातायात के संदर्भ में मुंबई विमानपत्तन सबसे व्यस्त विमानपत्तन है। मुझे मालूम हुआ है कि नया विमानपत्तन नवी मुंबई में बनाया जा रहा है। इस संबंध में, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि इस विमानपत्तन का कार्य कब शुरू होगा।

श्री वायालार रविः महोदया, कार्य सौंप दिया गया है। यह पीपीपी के अन्तर्गत निजी आपरेटर को दिया गया है और कार्य पूरा किया जाना है। समय-सीमा निर्धारित की गई है और मुझे आशा है, यह समय पर पूरा हो जाएगा।

[हिन्दी]

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): महोदया, क्या विमान प्रतिक्रिया की घटनाओं में पायलटों द्वारा शराब सेवन कर उड़ान भरने की घटनाएं भी शामिल हैं?

मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं ऐसे विमान चालकों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है? सरकार ने इस घटनाओं को रोकने के लिए भविष्य में क्या उपाय किए हैं?

[अनुवाद]

श्री वायालार रविः ऐसे मामलों में, डीजीसीए बहुत कड़ी कार्यवाही कर रहा है। ऐसी एक या दो घटनाएं हुई हैं, लेकिन डीजीसीए ने पायलटों के विमान उड़ाने के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं और आपाराधिक मामले भी दर्ज किए हैं। हाल ही में भी ऐसा हुआ है।

तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार

+

***183. श्री हेमानंद बिसवालः**
श्री रायापति सांबासिवा रावः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तकनीकी शिक्षा स्तर सुधार कार्यक्रम के दूसरे चरण के संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया गया है और उन पर कार्रवाई की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्यों को निधियां आवंटित की गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो निधियां कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटी आर) की तर्ज पर उड़ीसा राज्य सहित देश में तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों और केन्द्रीय वित्तपोषित संस्थाओं से तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम-II हेतु उप-घटक 1.1 (स्नातकों के अध्ययन परिणामों तथा रोजगार की संभावना में सुधार करने हेतु संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण) के तहत 361 प्रस्ताव और उप-घटक 1.2 (स्नातकोत्तर शिक्षा का उन्नयन और मांग आधारित शोध व विकास तथा नवाचार) के तहत 130 प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इसका ब्यौरा अनुबंध में है।

(ग) तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम-II के तहत अब तक राज्यों को कोई निधि आबंटित नहीं की गई है।

(घ) जब कभी भी संस्थाओं का अंतिम रूप से चयन कर लिया जाएगा, निधियां आबंटित कर दी जाएंगी।

(ङ) उड़ीसा राज्य सहित, देश में राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की तर्ज पर तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के संबंध में ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध

क्र.सं	राज्य का नाम	उप घटक 1.1 के तहत प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	उप घटक 1.1 के तहत प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	88	17
2.	बिहार	03	-
3.	छत्तीसगढ़	05	-
4.	गुजरात	17	03
5.	हरियाणा	14	04
6.	हिमाचल प्रदेश	02	-
7.	झारखण्ड	02	02
8.	कर्नाटक	41	18
9.	केरल	19	05
10.	मध्य प्रदेश	06	04
11.	महाराष्ट्र	31	14
12.	उड़ीसा	10	01
13.	पंजाब	21	01
14.	राजस्थान	11	-
15.	तमिलनाडु	33	15
16.	उत्तर प्रदेश	20	09
17.	उत्तराखण्ड	01	03
18.	पश्चिम बंगाल	25	10
19.	संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़	02	01
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	05
21.	संघ शासित प्रदेश पुड्डुचेरी	01	-
22.	केन्द्रीय वित्तपोषित संस्थाएं	09	18
	कुल	361	130

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य श्री हेमानंद बिसवाल, कृपया थोड़ा खिसक जाइये। आप स्तम्भ के पीछे हैं।

श्री हेमानंद बिसवाल: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि टीईक्यूआईपी के बारे में ब्यौरा दें। क्या मंत्री महोदय एनआईटीटीटीआर के संबंध में भी राज्य-वार विस्तृत ब्यौरा देंगे?

श्री कपिल सिब्बल: महोदया, यह टीईक्यूआईपी का दूसरा चरण है। कार्यक्रम का प्रथम चरण विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजना और केंद्रीय प्रायोजित योजना थी, जो कि 12 मार्च 2003 को आरंभ हुआ था और 31 मार्च 2009 को समाप्त हुई थी। द्वितीय चरण वर्ष 2010 में आरंभ हुआ और यह वर्ष 2014 तक जारी रहेगा।

अब मैं उद्देश्य पर आता हूं। महोदया, इस देश में लगभग 90 प्रतिशत इंजीनियरिंग कॉलेज निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे हैं और इन संस्थाओं से उत्तीर्ण होने वाले इंजीनियरों में रोजगार के लिए योग्यता और गुणवत्ता की भारी समस्या हे। विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित इस परियोजना के माध्यम से हम सरकारी संस्थाओं और गैर-सरकारी संस्थाओं को ले रहे हैं हम दो विभिन्न घटकों के माध्यम से सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि शैक्षणिक मानकों में सुधार के लिए, भविष्य में उत्कृष्टता के केंद्रों की स्थापना के लिए अभिशासन से संबंधित कतिपय मानकों के माध्यम से भविष्य में इन संस्थाओं से योग्य स्नातक निकलेंगे ताकि वे रोजगार के योग्य हो सकें क्योंकि आखिरकार जब तक हमारे इंजीनियर विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा में सक्षम नहीं होते, तब तक हम शेष विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। यह कार्यक्रम के उद्देश्य का सार है।

जहां तक एनआईटीटीटीआर का संबंध है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसी प्रकार के संस्थाओं की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है।

श्री हेमानंद बिसवाल: मुझे माननीय मंत्री महोदय से विशेष रूप से उड़ीसा की संस्थाओं के बारे में पूछना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह कार्य चल रहा है और यह कब तक पूरा होगा और इसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम क्या है।

श्री कपिल सिब्बल: उड़ीसा की संस्थाओं के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के प्रयोजन से अनेक संस्थाएं आवेदन करती हैं। उन्हें कतिपय मानकों के लिए सहमत होना पड़ता है। अगर वे उन मानकों को पूरा करती हैं, तभी उनके बारे में अन्य संस्थाओं के साथ विचार किया जाता है। प्रस्तावों की संख्या अधिक होगी और आबंटनों की संख्या थोड़ी है। अतः उड़ीसा की संस्थाओं को देश की शेष संस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी और जो भी वास्तव में उस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, उसे सहायता दी जाएगी।

श्री रायापति सांबासिवा राव: धन्यवाद महोदया, मुझे यह नोट करके खुशी हुई है कि तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) के द्वितीय चरण का कार्यान्वयन केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में किया जा रहा है। क्या सरकार को राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त राशि प्रदान करने हेतु नियमों को शिथिल करने के लिए वैसे राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो सर्वाधिक पिछड़े हैं और इतनी राशि वहन नहीं कर सकते हैं? यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है।

श्री कपिल सिब्बल: महोदया, जहां तक वित्तपोषण योजना का संबंध है, वह काफी स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय प्रायोजित योजना के प्रथम संघटक के लिए, जिसमें 140 कॉलेज शामिल हैं, 120 कॉलेज सरकारी संस्थाएं हैं जिन्हें सहायता मिलेगी और निजी क्षेत्र की 20 संस्थाओं को सहायता मिलेगी। वित्तपोषण का अनुपात केंद्र सरकार से 60 प्रतिशत है, राज्य सरकार से 20 प्रतिशत है और 20 प्रतिशत स्वयं निजी संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। अतः उन सभी संस्थाओं पर विचार किया जाएगा जो मानकों को पूरा करने के लिए इच्छुक हैं।

जहां तक योजना के दूसरे संघटक का संबंध हैं, यह 60 कालेजों पर लागू होता है जिसमें 45 सरकारी कॉलेज होंगे और 15 कॉलेज निजी क्षेत्र से होंगे। इनके लिए वित्तपोषण पैटर्न कुछ अलग है, अर्थात 75 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अतः वित्तपोषण पैटर्न यही है और संस्थाएं इस निधि के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी।

जहां तक मानकों को शिथिल किए जाने का प्रश्न है, यह प्रश्न ही नहीं उठता। यह एक विश्व बैंक प्रायोजित योजना होने के साथ ही केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजना भी है। मंत्रिमंडल ने मानक निर्दिष्ट किए हैं और सरकार ने विश्व बैंक के परामर्श से ये मानक निर्धारित किए हैं। अतः शिथिल किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि टैक्नीकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रुवमेंट प्रोग्राम का सेंकड फेज 2010 में प्रारम्भ हुआ था, लेकिन मंत्रीजी ने अपने उत्तर में कहा है कि दूसरे चरण के लिए अभी तक कोई राशि आबंटित नहीं की गई है। इसका मतलब यह होता है कि यह सरकार इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को, जिसके माध्यम से टैक्नीकल एजुकेशन के स्तर को पूरे देश में सुधारना चाहती है, उसे गम्भीरतापूर्वक नहीं ले रही है। इसके साथ ही मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि टैक्नीकल एजुकेशन क्वालिटी एम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का एक कम्पोनेंट हे, ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान। इस ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान की अब तक क्या प्रोग्रेस है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपने अभी तक जो मॉनीटरिंग प्रोसेस रखा है कि राज्य सरकारों द्वारा इसकी मॉनीटरिंग की जाएगी, उसकी मांनीटरिंग ठीक तरीके से नहीं हो रही है। क्या इस मॉनीटरिंग प्रोसेस को सेन्ट्रलाज करने पर भी यह सरकार विचार करेगी?

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, मैं उसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि सेकेंड फेज की स्कीम अभी तक चालू ही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने एप्लाई किया था, उनमें से ज्यादातर एलीजीबल ही नहीं हैं। हम अब उनको

टाइम दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रावधानों को मानना है, लेकिन आज तक उन प्रावधानों को उन्होंने नहीं माना है। इसलिए हम उन्हें टाइम दे रहे हैं कि वे प्रावधान मानें, उसके बाद हम इसे आगे ले जाएंगे। कुछ संस्थानों को हमने जून तक का समय दिया है, जबकि गवर्नेन्स स्ट्रक्चर के लिए हमने अक्टूबर तक का समय दिया है। जैसे ही ज्यादा इनस्टीट्यूशन्स आएंगे, वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। मॉनीटरिंग का सवाल तब आएगा, जब इनस्टीट्यूशन्स को चूज किया जाएगा। मॉनीटरिंग केन्द्र सरकार से भी होगी और राज्य सरकार से भी होगी। जहां तक ट्राइबल एरियाज का सवाल है, सैन्ट्रली सम्पोन्सर्ड स्कीम और वर्ल्ड बैंक इनीशिएटिव स्कीम ट्राइबल एरियाज का सवाल है, सैन्ट्रली सम्पोन्सर्ड स्कीम और वर्ल्ड बैंक इनीशिएटिव स्कीम ट्राइबल एरियाज पर ही लागू नहीं होंगी, अपितु जहां भी इनस्टीट्यूशन्स एल्पाई करेंगी और प्रावधानों को मानेंगी, उन पर लागू होगी।

श्री राजनाथ सिंह: महोदया, मैं माननी मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका एक कम्पोनेंट है।

श्री कपिल सिब्बल: महोदया, यह कम्पोनेंट तो है, लेकिन जब इनस्टीट्यूशन्स प्रावधानों को नहीं मानती हैं, क्योंकि नार्थ-ईस्ट में कोई इनस्टीट्यूशन्स आगे नहीं आ रही हैं, क्योंकि वे प्रावधानों को नहीं मानती हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्य से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तकनीकी शिक्षा सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश सरकार से कितने प्रस्ताव आए हैं? आज वहां आई.टी.आई की स्थिति बहुत खराब है। तकनीकी शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है।

दूसरी बात यह है कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए छात्र जब शिक्षा ग्रहण करे।

उसके बाद उसकी रुचि के अनुसार उसे रोजगार देने की कोई नीति आपके पास है, कोई व्यवस्था है? क्या इसके लिए सरकार कुछ सोच रही है? यदि इस प्रकार से कोई व्यवस्था आपने की है तो वे बताएं?

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जहां तक आईटीआई का सवाल है, वह मेरे मंत्रालय के अधीन नहीं है, आपको मालूम है, वह लेबर मिनिस्ट्री के अधीन है। जहां तक एम्प्लॉयबिल्टी का सवाल है, हम कोशिश कर रहे हैं। इस देश में 90 परसैंट इनस्टीट्यूशन्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्राइवेट सैक्टर में हैं। इनमें से अनेक सहायता प्राप्त नहीं हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ प्राइवेट सैक्टर इनस्टीट्यूशन्स को भी इम्प्रुव करें।

[अनुवाद]

अन्यथा, निजी क्षेत्र को स्वयं इन संस्थाओं में सुधार करना होगा। समस्या यह है कि उनका अभिशासन ढांचा मौजूद नहीं हैं; समस्या यह है कि सही ढंग का निवेश नहीं होता है; और समस्या यह है कि प्राध्यापक वर्ग नहीं है। अनेक संस्थाओं में प्राध्यापक वर्ग नहीं है। मुझे खेदपूर्वक यह कहना है कि वे प्राध्यापक वर्ग को किराए पर लेने के साथ ही फर्नीचर भी किराए पर लेते हैं। यह काफी गंभीर समस्या है। वास्तव में हम चाहते हैं कि विशेषकर इस देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निजी क्षेत्र हमारे साथ सहयोग करें।

श्री प्रबोध पांडा: अध्यक्ष महोदया, जैसाकि मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है, परियोजना का प्रथम चरण 31 मार्च 2009 को समाप्त हो गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रथम चरण में कितने राज्य शामिल किए गए हैं और द्वितीय चरण में कितने राज्यों के शामिल होने की उम्मीद है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि प्रथम चरण में एक चक्र है अथवा दो चक्र है; अगर एक चक्र है तो क्या वह चक्र समाप्त हो गया है; अगर दूसरा चक्र है तो क्या यह अभी पूरा नहीं हुआ है।

श्री कपिल सिब्बल: जहां तक प्रथम चरण का संबंध है, मुझे यह जानकारी नहीं है कि कार्यक्रम के प्रथम चरण में कितने राज्य शामिल किए गए थे क्योंकि कार्यक्रम का प्रथम चरण 31 मार्च, 2009 का समाप्त हो गया था। जहां तक द्वितीय चरण का संबंध है, असम और पूर्वोत्तर के अलावा अन्य सभी राज्य शामिल हैं।

[हिन्दी]

कोयला ब्लॉक का आवंटन

\+
***184. श्री रमेश बैस:**
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कोयले का फीडस्टॉक के रूप में उपयोग करने वाले विभिन्न उद्योगों की कोयले की आपूर्ति करने संबंधी मांग को पर्याप्त रूप में पूरा नहीं कर पाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित कोयला ब्लॉकों का राज्य-वार और कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान कोयला ब्लॉकों के आवंटन में अनियमितताओं की ओर गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या दांडिक कार्रवाई की गई है; और

(च) देश कोयला उत्पादन में कब तक आत्मनिर्भर हो जाएगा?

[अनुवाद]

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कोयला मंत्रालय/योजना आयोग ने अखिल भारतीय कोयले की मांग का आरंभ में वार्षिक योजना 2010-11 के भाग के रूप में 656.31 मिलियन टन का अनुमान लगाया था, जिसकी तुलना में स्वदेशी उपलब्धता का अनुमान 573.42 मि.ट. लगाया गया था। तथापि, संशोधित अनुमानों के अनुसार 2010-11 के दौरान अखिल भारतीय कोयले की मांग अब 624.78 मिलियन टन आकलित की गयी है और स्वदेशी उपलब्धता 536.05 मि.ट. आकलित की गई है। 88.73 मिलिटन टन के अंतर को विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा आयात के माध्यम से पूरा किए जाने की संभावना है।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, मेसर्स सखीगोपाल इन्टेग्रिटेड पावर कंपनी लि. (प्रथम अतिरिक्त उड़ीसा यूएमपीपी की एसपीवी) को एक कोयला ब्लॉक नामत: बनखुई 21.06.2010 को आवंटित किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) योजना आयोग के मूल्यांकन के अनुसार 1084 मिलियन टन कुल कोयला उत्पादन मूल्यांकन की तुलना में 2021-22 में 269 मिलियन टन कोयले की कमी होने की संभावना है। कोयले की मांग-आपूर्ति के बढ़ते अंतर के मद्देनजर स्वदेशी कोयले की मांग को पूरा करने में देश के निकट भविष्य में आत्म-निर्भर हो जाने की संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रमेश बैस: अध्यक्ष महोदया, पहले कहावत थी कि कोयले के धंधे में हाथ काला होता है, लेकिन आज कोयले के धंधे में गाल लाल हो रहे हैं। मैंने यह प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार का ध्यान कोयला ब्लॉकों के आवंटन में अनियमितताओं की ओर गया है? मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि जी, नहीं। जब कि लगातार समाचार-पत्रों में छपता रहा है कि कोयले के आवंटन में गड़बड़ी हुई है। कई उद्योग लगे नहीं हैं, उन्हें कोयला ब्लॉक आवंटन हो चुका है। आज पूरे देश में कोयले की यह स्थिति है, सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि हम सन् 2021 तक कोयले के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। आज उत्पादन की यह स्थिति है। पिछली पंचवर्षीय योजना में 30 करोड़ टन कोयले का लक्ष्य सरकार ने रखा था, लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष में मात्र 3.5 करोड़ टन उत्पादन हुआ है। मांग और पूर्ति में इतना अंतर है, जिसके कारण पूरे देश के उद्योग की हालत खराब हो रही है। खासकर जिन प्रदेशों में कोयले का उत्पादन होता है, उन्हें कोयला नहीं मिलता, दूसरे प्रदेशों को कोयला जाता है। जिन प्रदेशों में कोयला होता है, उनके उद्योग आज बंद होने के कगार पर हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जिन प्रदेशों में कोयले का उत्पादन होता है, उन प्रदेशों के उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर कोयले का आवंटन किया जाए ताकि वहां के उद्योग ठीक ढंग से चल सकें।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि जिन राज्यों में कोयले का उत्पादन होता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कोल प्रदान किया जाए। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी नीति में यह प्रॉयरटी है कि जिन स्टेट्स में कोयले का उत्पादन होता है, उन्हें सबसे ज्यादा कोयला दिया जाए।

अध्यक्ष महोदया, हमारे माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ से हैं। मैं बताता चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार को 9 कोल ब्लॉक दिए गए और कोल ब्लॉक दिए हुए लगभग 5-7 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी कोल ब्लॉक में उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। इसी तरह से जो महाराष्ट्र के माननीय सदस्य हैं, उन्हें भी मैं बताना चाहता हूं कि 7 कोल ब्लॉक महाराष्ट्र को दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उनमें से किसी में भी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है।

महोदया, हमारी प्रॉयर्टी रहती है, हमारी कोशिश रहती है और हमारी नीति भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा कोयला उन राज्यों को दें, जिन राज्यों में कोल प्रॉपर्टीज हैं और जिन राज्यों से कोयले का दोहन किया जाता है।

श्री रमेश बैस: अध्यक्ष महोदया, अभी मंत्री जी ने कहा कि जिन प्रदेशों में कोयले का उत्पादन होता है, उन प्रदेशों को कोयले दिया जाता है और छत्तीसगढ़ का उन्होंने उदाहरण दिया, लेकिन एक तरफ मध्य प्रदेश में मुख्य मंत्री को भूख हड़ताल पर बैठना पड़े कि वहां जो कोयले की खदानें हैं उनसे मध्य प्रदेश में स्थित उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर कोयला मिलना चाहिए, लेकिन उनकी मांग अभी तक सुनी नहीं गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी मांग को पूरा किया जाएगा?

महोदया, मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष में 85 कम्पनियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। 93 ब्लॉक जिनमें से 45 सार्वजनिक क्षेत्र और 48 निजी क्षेत्र के हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए जब आपने अल्टीमेटम दिया था कि क्यों न आपका कोल ब्लॉक निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक आपने उत्पादन नहीं किया? मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस पर सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहला प्रश्न तो माननीय सदस्य का यह है कि मध्य प्रदेश को कोयला नहीं दिया जाता है या कोयला कम दिया जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार को भी 10 कोल ब्लॉक आबंटित किए गए थे।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी कोल ब्लॉक में आज तक प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनशन की थी और उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में जितने भी कोयले का उत्पादन हो, वह केवल मध्य प्रदेश को ही दिया जाए। इस तरीके की अनशन या इस तरह की मांग करना क्या हमारे संविधान की भावनाओं के अनुरूप है? अगर मान लीजिए कि पंजाब यह कहने लगे कि गेहूं का उत्पादन हमारे प्रदेश में होता है, हम गेहूं पूरे देश को नहीं देंगे या कोई दूसरा राज्य यह कहने लगे कि हमारे प्रदेश में चावल पैदा होता है, हम चावल पूरे देश को नहीं देंगे, तो कैसे काम चलेगा?... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है और जिस राज्य से कोयले को दोहन किया जाता है, उसे प्रायर्टी के आधार पर कोयला दिया जाता है।... *(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: माननीय अध्यक्ष महोदया मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए कहना चाहती हूं कि अभी-अभी माननीय मंत्रीजी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा था कि प्रदेश में जितने भी कोयले का उत्पादन हो, वह सारा हमें दिया जाए, यह गलत है। उन्होंने यह कहा था कि जो उत्पादन हमारे यहां हो रहा है, पहले हमारी कोयले की मांग पूरी कर के बाकी का औरों को दो और उन्होंने इस बारे में लिखा भी था। वे प्रधान मंत्री जी से भी मिले थे। उनका पत्र भी मेरे पास है और वे मंत्री जी से भी मिले थे। उन्होंने केवल इतना कहा था कि हमारी मांग पूरी कर के बाकी अन्य राज्यों को दो। उन्होंने लिखा भी था कि चूंकि यह राष्ट्रीय सम्पदा है, इसलिए केवल हमारा अधिकार नहीं है। अत: पहले हमारी मांग पूरी कर दो, पहले हमें दो और बाकी को औरों को दो। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि जितना उत्पादन हो, वह सारा हमें दो।... *(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही आपसे कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार की यह मांग कि पहले हमें दो बाद में दूसरों को दो, उचित नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार को 10 कोल ब्लॉक आबंटित किए गए लगभग 5 वर्ष हो गए हैं। उनमें से अभी तक एक भी कोल ब्लॉक में प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। इसलिए उनकी इस शिकायत का औचित्य क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आता है?... *(व्यवधान)*

श्री रमेश बैस: माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे प्रश्न का जवाब मंत्री महोदय के प्रश्न का जवाब मंत्री महोदय की ओर से नहीं मिला है?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदया, मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे दिया है। यदि वे कुछ और पूछना चाहते हैं, तो मैं उसका भी उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अंडरग्राउंड माइंस हैं, उनसे कम उत्पादन के क्या कारण हैं और उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है? जो उत्पादित कोयले की क्वालिटी है, उसे कितने ग्रेड में विभक्त किया जाता है और अच्छे ग्रेड के कोयले का उत्पादन, कुल कोयले के उत्पादन का कितना प्रतिशत है और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

और उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय अध्यक्षा जी, वस्तुस्थिति यह है कि स्तर के कोयले के उत्पादन का स्रोत हमारे देश में केवल 10 फीसदी है। 90 प्रतिशत हमारे देश में कोयला एवरेज क्वालिटी का उत्पन्न होता है और जो अच्छे स्तर की क्वालिटी के कोल की बात है, उसी के लिए कोयले को ओ.जी.एल. में छोड़ दिया गया है। जैसे स्पंज आयरन प्लाण्ट्स हैं, सीमेंट प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं, इनमें अच्छे ग्रेड के कोयले की आवश्यकता

होती है तो उन्हें पूरी अनुमति प्रदान की गई है कि वे विदेश से कोयला मंगा सकते हें और मंगा भी रहे हैं। अपनी आवश्यकता की वे पूर्ति भी कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरीश चौधरी: अध्यक्षा जी, कोल एलोकेशन के अन्दर जो भूमि अवाप्त होती है, उसके कारण उन काश्तकारों को बहुत तकलीफ होती है और पोल्यूशन की भी तकलीफ होती है। इसमें एक ऑल्टरनेटिव टैक्नोलोजी कोल गैसीफिकेशन की है, क्या अपने देश में इसके बारे में काम हो रहा है?

एक दूसरी बात सदन के अंदर आई कि जहां कोयला है, वहां प्राथमिकता दी जाये। यह परम्परा अगर लागू होती तो मेरे खुद के क्षेत्र में इस देश के 20 से 25 प्रतिशत ऑयल के भंडार हैं तो हम लोगों की भी सोच यह हो जायेगी कि इस एनर्जी को हमारे यहां उपयोग किया जाये। मेरा सदन से यह निवेदन है कि संकीर्ण भावना से अगर हम देखें तो यह राष्ट्रीय हित के लिए बहुत खराब होगा और वहां के लोग अपना अधिकार मानकर एक दूसरी दिशा अख्तियार करेंगे। पूरे सदन से मैं यह निवेदन करता हूं कि अपने क्षेत्र या अपने राज्य से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित में अपनी सोच रखें।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया है कि कोयले की मांग की आपूर्ति में निकट भविष्य में देश आत्मनिर्भर नहीं होगा। प. बंगाल में विशाल कोयला धारक क्षेत्र है। प. बंगाल के पास में अपना कोयला ब्लॉक भी है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी चाहे छोटा या बड़ा उद्योग हो-वह अपने इस्पात कारखानों के साथ कोयला ब्लॉक के आवंटन की मांग कर रहा है क्योंकि क्या वे एक रक्षित विद्युत संयंत्र और उसके बाद इस्तात उद्योग स्थापित करना चाहते हैं?

मेरा प्रश्न यह है कि-कोयला आवंटन हेतु सरकार की आधारभूत नीति क्या है? क्या कोयला ब्लॉकों का आवंटन कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किया जाता है अथवा मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है? जो बदलें में संबंधित उद्योग निजी या सार्वजनिक या व्यक्ति का आबंटित करती है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका स्पष्टीकरण जरूरी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और पं. बंगाल में कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया जा रहा है। देश में कोयला ब्लॉकों के आवंटन हेतु किस प्रक्रिया या प्रणाली का अनुपालन किया जाता है?

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय अध्यक्षा जी, कोल ब्लॉक्स के आबंटन के कुछ क्राइटीरियाज हैं। पहला क्राइटीरिया है-गवर्नमेंट कम्पनी डिस्पेंसेशन रूट, इसमें हम गवर्नमेंट की कम्पनियों को, चाहे वे भारत सरकार के पी.एस.यू. हों, स्टेट गवर्नमेंट के पी.एस.यू हों, उनको हम सीधे कोल ब्लॉक्स एलाट करते हैं। दूसरा तरीका है, प्रतिस्पर्धात्मक बोली पर आधारित प्रशुल्क के अंतर्गत कोयला ब्लॉकों का आवंटन। इसके अन्तर्गत हम यू.एम.पी. टी. के लिए कोल ब्लाक्स का एलाटमेंट करते हैं। तीसरा तरीका स्क्रीनिंग कमेटी रूट का था। इस रूट के थ्रू ज्यादातर उंगलियां उठाई जाती थीं, जिसको कि यू.पी.ए.-2 आने के बाद हमने समाप्त कर दिया है और हमने बिल पास कराया है कि अब कम्पीटीटिव बिडिंग रूट के थ्रू किसी को कोल क्लाक्स एलॉट किये जाएंगे। इसलिए माननीय सदस्य को भी हम आश्वस्त करते हैं कि जो कुछ भी उंगली उठने की गुंजाइश पहले रहती थी, अब उन सारी गुंजाइशों को खत्म कर दिया गया है। आप निश्चिंत रहिये, जहां कहीं भी कोल ब्लाक्स का आबंटन होगा, कम्पीटीटिव बिडिंग के आधार पर होगा या फिर राज्य सरकार अगर मांगेगी तो राज्य सरकार को हम आबंटित करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदया, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।...*(व्यवधान)* आबंटन को लेकर जो असंतुलन है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। पहले राजीव रंजन सिंह जी को पूछने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री दारा सिंह चौहानः इस पर चर्चा होनी चाहिए।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आधा घंटे की चर्चा के लिए आप नोटिस दे दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंहः अध्यक्ष महोदया, कोयले का सीधा संबंध हमारे देश की प्रगति के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोयला उद्योगों के लिए तो आवश्यक है ही, ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा की जो आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए भी कोयले की बहुत आवश्यकता है। हमारे यहां सत्तर फीसदी ऊर्जा संयंत्र थर्मल बेस्ड हैं। उनके लिए कोयले का जितना उत्पादन हमारे देश में होना चाहिए, जितनी हमारी क्षमता है, उस क्षमता का उपयोग हम कोयले के उत्पादन के लिए नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि हम ज्यादातर कोयला आयात कर रहे हैं और आयात का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर स्वाभाविक तौर पर पड़ रहा है। हम माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि आज की तारीख में 11वीं पंचवर्षीय में जो आपने उत्पादन का लक्ष्य रखा था, उसका कितना प्रतिशत पूरा किया और डिमांड और सप्लाई के गैप का पूरा करने के लिए कौन से कदम उठा रहे हैं, ताकि आगे स्थिति सुधर सके?

श्री श्रीप्रकाश जायसवालः माननीय अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने देश की चिंता के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया है। पहली बात यह है कि हम इंपोर्ट पर पूरी तरह आश्रित हो रहे हैं और ज्यादातर हिस्सा इंपोर्ट कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंहः मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, आप गलत बात कोट कर रहे हैं। हमने यह नहीं कहा। हम कह रहे हैं कि उत्पादन कम कर रहे हैं, इसलिए आयात हो रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप उनकी बात सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवालः अगर माननीय सदस्य ने ऐसा नहीं कहा है, तो मैं अपने शब्द को वापस लेता हूं। केवल पांच पर्सेंट कोयले का इंपोर्ट विदेश से किया जाता है, जबकि 95 पर्सेंट कोयले की आपूर्ति कोल इंडिया के माध्यम से या दूसरे स्रोतों के माध्यम से की जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले आठ दस वर्षों में जितनी तेजी के साथ देश की ग्रोथ हुयी, जितनी तेजी के साथ देश का इंडस्ट्रिलाइजेशन हुआ, उस तेजी के साथ हमारे देश में कोयले का उत्पादन नहीं हुआ। कोल इंडिया ने इसके लिए प्रयास किया है और प्रत्येक वर्ष कोल इंडिया की ग्रोथ सात से आठ पर्सेंट तक रही है। यह कहना कि कोल इंडिया की ग्रोथ नहीं रही है या हमने कोयले का उत्पादन नहीं बढ़ाया, ऐसा नहीं है। कोयले के उत्पादन से ज्यादा कोयले की आवश्यकता बढ़ी है, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में, सीमेंट के क्षेत्र में, स्पंज आयरन के क्षेत्र में, स्टील प्लांट के क्षेत्र में हर तरफ कोयले की आवश्यकता महसूस की गयी है। इसीलिए कोयले की कुछ शार्ट फाल हुई है। हम प्रयास कर रहे हैं कि नई प्रणाली, नयी टेक्नॉलाजी को अपनाकर अपने देश का उत्पादन बढ़ायें, बल्कि यह भी प्रयास कर रहे हैं कि जो इकाइयां कोल बेस्ड पर चलती हैं, चाहे वह स्पंज आयरन की हों, चाहे स्टील प्लांट हों, चाहे पावर प्लांट हों, वे भी नयी से नयी टेक्नॉलाजी अपनाएं, जिससे कम से कोयले की आवश्यकता पर ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा स्टील का उत्पादन किया जा सके। सरकार इस पर पूरी तरह से गंभीर है और हमारा प्रयास है कि आने वाले वर्षों में हम कोयले की शार्टफाल को कम कर सकें।...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंहः मैडम, हम आपका संरक्षण चाहते हैं।...*(व्यवधान)* 11वीं पंचवर्षीय योजना में आपने क्या लक्ष्य रखा और क्या पाया?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न संख्या 185, श्री रामकिशुन-उपस्थित नहीं। श्री विश्वनाथन।

कुरियर सेवाएं

\+

***185. श्री रामकिशुनः**
श्री पी. विश्वनाथनः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्पीड पोस्ट सेवा की तुलना में निजी कुरियर कंपनियां बेहतर सेवाएं प्रदान कर रही हैं:

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी स्पीड पोस्ट सेवा के संबंध में सेवाओं में खामियों तथा अन्य शिकायतों की ओर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधती ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में स्पीड पोस्ट सेवा के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ख) भारतीय डाक, भारत की जनता को डाक के पारेषण, लघु बचत, बीमा तथा रिटेल आदि क्षेत्रों में अनेक सेवाएं प्रदान करता है। डाक पारेषण सहित इन क्षेत्रों में निजी सेवा प्रदाताओं की मौजूदगी डाक विभाग के लिए प्रतिस्पर्धा का साधन है। यह प्रतिस्पर्धा डाक विभाग को अपने प्रचालनों के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु एक अवसर तथा प्रेरणा प्रदान करती है ताकि ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके तथा अपने व्यवसाय की मात्रा को बढ़ाया जा सके।

डाक विभाग ने शीघ्र एवं समयबद्ध त्वरित डाक सेवा की ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने के लिए डाक पारेषण के क्षेत्र में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की है।

निजी कुरियर कंपनियों की तुलना में स्पीड पोस्ट सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई आधिकारिक डाटा उपलब्ध नहीं है। तथापि, स्पीड पोस्ट सेवा प्रतिस्पर्धा का सामना करने तथा ग्राहकों का भरोसा एवं विश्वास हासिल करने में सफल रही है जैसाकि बुक की गई स्पीड पोस्ट मदों में हो रही वृद्धि तथा विगत वर्षों में देश में अर्जित राजस्व से स्पष्ट होता है। स्पीड पोस्ट राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009-10 में 19% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। डाक विभाग स्पीड पोस्ट सेवा के संबंध में सेवाओं में खामियों तथा अन्य शिकायतों की ओर ध्यान देता है। स्पीड पोस्ट के पारेषण तथा अंतिम छोर तक वितरण के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भर होने के कारण कभी कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं। पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतें तथा स्पीड पोस्ट परियात की तुलना में शिकायतों की प्रतिशत निम्नानुसार है:

वर्ष	शिकायतों की संख्या	परियात लाख में	परियात की तुलना में शिकायतों की प्रतिशत
2007-08	122868	1773	0.069
2008-09	148627	2114	0.070
2009-10	174040	2408	0.072

सभी डाक डिवीजनों में ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए विभाग में एक तंत्र की स्थापना की गई है। वेब-आधारित शिकायतों के शत-प्रतिशत हैंडलिंग एवं निपटान के लिए डिवीजनों को निर्देश जारी किए गए हैं। सभी स्पीड पोस्ट शिकायतों को अधिकतम 15 दिनों की अवधि में हैंडल/निपटाया जाता है और राज्यों में लंबित स्पीड पोस्ट शिकायतों की गहन मॉनीटरिंग की जाती है। विभाग ने प्रमुख शहरों में ग्राहक सेवा केंद्र शुरू किए हैं और ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली प्रदान की है ताकि ग्राहकों को अपनी स्पीड पोस्ट वस्तुएं ट्रैक करने में मदद मिल सके।

(ङ) और (च) जी, हां। विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में स्पीड पोस्ट सेवा को प्रभावी बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है और इस संबंध में अनेक कदम उठाए हैं। ब्यौरा निम्नानुसार है:

* स्पीड पोस्ट एवं अन्य डाक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मार्च 2010 में डाक नेटवर्क इष्टतमीकरण के लिए एक परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य मौजूदा डाक नेटवर्क को इष्टतम बनाना तथा प्रमुख निष्पादन सूचकों के माध्यम से इसकी प्रभावशाली मॉनीटरिंग करना है। इस परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:
    * स्पीड पोस्ट एवं अन्य डाक सेवाओं के सेवा वितरण निष्पादन को आंकने के लिए डाटा-आधारित प्रमुख निष्पादन सूचकों को का विकास एवं इनकी स्थापना।
    * प्रमुख निष्पादन सूचकों के मूल्यांकन के लिए स्पीड पोस्ट के वेब-आधारित ट्रैक एवं ट्रेस सॉफ्टवेयर, स्पीड नेट का उचित उन्नयन।
    * पाक्षिक वीडियो कॉनफरेंस के माध्यम से प्रमुख निष्पादन सूचकों की सहायता से अठाईस प्रमुख शहरों (जो देश में कुल स्पीड पोस्ट परियात का अधिकतम भाग हैंडल करते हैं) में स्पीड पोस्ट प्रचालनों की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग एवं समीक्षा।
* प्रचालनों की कुशलता बढ़ाने के लिए चालू योजना अवधि के दौरान 74 स्पीड पोस्ट केंद्रों का प्रौद्योगिकी उन्नयन।

* वितरण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए चालू योजना अवधि के दौरान 39 प्रीमियम स्पीड पोस्ट वितरण केंद्रों की स्थापना।

* चालू योजना अवधि के दौरान 25 नए स्पीड पोस्ट केंद्रों की स्थापना।

श्री पी. विश्वनाथन: स्पीड पोस्ट की संख्या 25 प्रतिशत वार्षिक के औसत से बढ़ रही है। स्पीड पोस्ट सेवा डाक विभाग की अन्य साधारण सेवा की तुलना में बहुत बेहतर है; लेकिन यह निजी कूरियर एजेंसी जैसे ब्लू डार्ट, डीएचच, टीएनटी आदि की तुलना में अधिक कुशल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्रतिष्ठित निजी कूरियर सेवाएं उत्कृष्ट सेवाएं, लेकिन उच्च लागत पर, प्रदान करती हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सेवाओं की कुशलता में वृद्धि हेतु स्पीड पोस्ट सेवाओं को स्वायत्त प्रबंधित निगम के रूप में करने की कोई योजना या प्रस्ताव है?

श्री कपिल सिब्बल: महोदया, मैं माननीय विद्वान सदस्य को यह प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि हमारी स्पीड पोस्ट सेवाएं काफी कुशल हैं।

"वास्तव में, यदि आप संख्या देखें तो पाएंगे कि स्पोड पोस्ट की संख्या लगभग 24 करोड़ है और शिकायतों की संख्या केवल 1.74 लाख है।" अतः हमारी स्पीड पोस्ट सेवाएं काफी कुशल हैं और वास्तव में, हमारी स्पीड पोस्ट सेवा इस देश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं प्रदान करती है जो निजी क्षेत्र प्रदान नहीं करता है। निजी क्षेत्र की सेवा अधिक महंगी है। हमारी स्पीड पोस्ट सेवा कम खर्चीली और कुशल है। वास्तव में, हमारे पास स्पीडनेट सॉफ्टवेयर है जिसके प्रयोग से हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सेवा कुशल और तीव्रगामी हो; यह सेवा भली-भांति कार्य कर रही है। हमें अपनी प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है लेकिन मैं नहीं समझता कि हमें हमारे सेवा में निजी क्षेत्र को लाने की आवश्यकता है।

श्री पी. विश्वनाथन: अध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या स्थानीय स्पीड पोस्ट और देश के अन्य भागों के लिए स्पीड पोस्ट हेतु दोहरे प्रशुल्क की वर्तमान प्रणाली के बजाय स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गई सामग्री हेतु एक समान राष्ट्रीय प्रशुल्क करने का कोई प्रस्ताव है?

श्री कपिल सिब्बल: जहां तक एक समान प्रशुल्क का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 50 ग्राम तक के पार्सल या दस्तावेज के लिए पूरे भारत में एक समान दर है। अतः पहले से ही एक समान प्रशुल्क है। लेकिन, वास्तव में बड़े पार्सल और दस्तावेज, प्रशुल्क भिन्न-भिन्न होंगे और हम इस प्रणाली को परिवर्तित नहीं करना चाहते।

[हिन्दी]

श्री धनंजय सिंह: अध्यक्ष महोदया, कोरियर सर्विसेज जिसके बारे में अभी सदन में कहा गया है कि वे बेहतर सेवाएं दे रही हैं, वर्तमान समय में देश में जितनी भी कोरियर सर्विसेज चल रही हैं, लगभग सभी अनियमितताओं से काम कर रही हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे जो राजस्व चोरी करती हैं, जिस तरीके का स्पीड पोस्ट का मानक है, क्या वे उसी के अनुरूप काम करती हैं या उनके लिए कोई और मानक निर्धारित किए गए हैं? हम देश में तमाम ऐतिहासिक महापुरूषों के ऐतिहासिक महत्व को जीवित रखने के लिए उनके नाम से डाक टिक जारी करते हैं। वर्तमान समय में पत्र व्यवहार धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। स्पीड पोस्ट या कोरियर ही बेहतर माध्यम रह गए हैं और वे लगातार चल रहे हैं हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप काफी प्रश्न पूछ रहे हैं, सिर्फ एक प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री धनंजय सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, यह बताना भी आवश्यक है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इतना समय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री धनंजय सिंह: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्राइवेट लोग कोरियर की जो सेवाएं चला रहे हैं, क्या आप उन्हें डाक टिकटों का प्रयोग करने के लिए बाध्य करेंगे? ऐतिहासिक महापुरूषों के नाम से जो डाक टिकट जारी किए जाते हैं, उस महत्व को जीवित रखने के लिए प्राइवेट कोरियर्स के लिए इसे बाध्य किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।...*(व्यवधान)* मैं मंत्री जी से इस बारे में जवाब चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: महोदया, स्टांप और निजी क्षेत्र कूरियर सेवा दो असंबद्ध मुद्दे हैं। जहां तक, निजी कूरियर का संबंध है, इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं है। वास्तव में, इस संबंध में कोई नियामक तंत्र नहीं है। अतः अब हम भारतीय डाक अधिनियम को संशोधित करने और पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि हमें कम से कम ये जानकारी तो एक इस

देश में निजी कूरियर सेवाएं संचालित हो रही हैं। कुछ बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाओं और निजी प्रचालकों के अतिरिक्त, अनेक स्थानीय प्रचालक भी हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। वास्तव में, वे अक्षम हैं। वे ग्राहकों को धोखा दे सकते हैं। हम इस बारे में विधान ला रहे हैं ताकि हम इस देश में स्पीड पोस्ट कूरियर क्षेत्र में सभी प्रचालकों का पंजीकरण सुनिश्चित कर सकें।

ईंधन की बकाया राशि का भुगतान

***186. श्रीमती अन्नू टन्डन:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमि. (एनएसीआईएल) ने सरकारी क्षेत्र की विभिन्न तेल विपणन कंपनियों को देय विमान ईंधन की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष का तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार एयरलाइनों द्वारा विमान टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के लिए सरकारी तेल कंपनियों को समय पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के उपायों पर भी विचार कर रही है कि विमान सम्पर्क बढ़ाए जाने के उद्देश्य से निजी एयरलाइनें सभी भारतीय क्षेत्रों के लिए समुचित तरीके से उड़ानें भरें; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एअर इंडिया (पूर्ववर्ती नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड) द्वारा तेल कंपनियों को दिए जाने वाले वाले विमानन ईंधन संबंधी बकाया भुगतान निम्नानुसार थे/हैं:

(करोड़ रुपए में)

कंपनी का नाम	31.03.2008 को	31.03.2009 को	31.03.2010 को	28.02.2011 को
आईओसीएल	133.01	389.35	1000.99	1256.01
एचपीसीएल	14.91	104.15	218.36	284.91
बीपीसीएल	18.88	139.90	293.52	363.36

इसके अतिरिक्त, आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के संचित ब्याज क्रमशः 270.72 करोड़ रुपए, 57.62 करोड़ रुपए और 47.64 करोड़ रुपए हैं।

(ग) और (घ) जनवरी, 2011 में भारत सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की धनराशि का निवेश किया है, जिसमें से 475 करोड़ रुपए एअर इंडिया द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को अदा किए गए। इसके अतिरिक्त, एअर इंडिया द्वार तेल कंपनियों को प्रतिदिन 12.5 करोड़ रुपए की धनराशि कैश एंड कैरी आधार पर अदा की जा रही है। आदिनांक तक कैश एंड कैरी के तहत 1147. 5 करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

(ङ) और (च) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत देश के विभिन्न क्षेत्रों की हवाई परिवहन सेवाओं संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयोजन से मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवाएं मुहैया कराना एयरलाइनों की मर्जी पर हैं। एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

श्रीमती अन्नू टन्डन: महोदया मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या उन्हें सरकारी क्षेत्र

की तेल कम्पनियों द्वारा निजी विमान कम्पनियों सहित विमान कम्पनियों के विरूद्ध उनके ऊपर बकाया धनराशि का भुगतान न करने अथवा सरकार द्वारा उक्त विमान कम्पनियों जिनके ऊपर सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों की अत्यधिक धनराशि बकाया है, के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी है।

श्री वायालार रवि: महोदया, तेल कम्पनियों ने एयर इंडिया के विरूद्ध कड़ा रवैया अपना लिया है। वर्तमान स्थिति में एयर इंडिया को कोई ऋण सुविधा नहीं दी गई है।

भारत सरकार ने वर्ष 2011 में 1200 करोड़ रु. दिए हैं, इसमें से इसमें से हमने लगभग 475 करोड़ रु. एयर इंडिया को दिए हैं। यह सत्य है कि 1900 करोड़ रु. लंबित हैं। लेकिन एयर इंडिया के अलावा सभी निजी विमान कम्पनियों को ऋण सुविधा प्रदान की है। एयर इंडिया उन्हें प्रतिदिन 12.5 करोड़ रु. का भुगतान कर रही है। इसी कारण से हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं और यह सब उतना आसान नहीं है। यदि आप पूरे प्रकरण को देखें, तो प्रतिदिन की कुल आय 36 करोड़ रु. है। इसमें से हम विदेश में 16 करोड़ रु. का अनिवार्य भुगतान कर रहे हैं और 20 करोड़ रु. का प्रतिबद्ध भुगतान भारत में कर रहे हैं। लेकिन कुल व्यय लगभग 57 करोड़ का है। तेल कम्पनियां हमारे अनुरोध को नहीं मान रही हैं। और वे हमें कोई रियायत नहीं दे रही हैं। वर्तमान में यही स्थिति है। हम यह अनुरोध कर रहे हैं कि एयर इंडिया के साथ भी वही व्यवहार किया जाना चाहिए जो निजी कम्पनियों के साथ किया जा रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना का विस्तार

***187. श्री जगदीश शर्मा:**
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत-चीन सीमा पर रेलवे नेटवर्क सहित विभिन्न अवसंरचनात्मक विकास कार्यों की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधती ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तिब्बत रेल नेटवर्क का सिक्किम और सिलीगुड़ी कॉरीडोर के निकट स्थित चुम्बी घाटी तक विस्तार किए जाने से देश की सुरक्षा को खतरा होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) से (घ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन भारत से सटे सीमावर्ती क्षेत्र-तिब्बत ओर जिनजियांग के स्वायत्तशासी क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास कर रहा है। इसमें जिगेज और निग्ची तक विस्तार के लिए प्रस्तावित किंघाई-तिब्बत रेल संपर्क तथा सड़क एवं विमानपत्तन की सुविधाओं का विकास करना शामिल है। सरकार, हमारी सामरिक एवं सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से और साथ ही इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए चीन से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास पर सावधानीपूर्वक और विशेष ध्यान दे रही है। इसमें जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश के राज्य शामिल हैं। सरकार भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाओं पर निरंतर नजर रखती है और इसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

एन्ट्रिक्स-देवास समझौता

***188. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:**
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा एन्ट्रिक्स कॉर्प ने वर्ष 2005 में देवास मल्टीमीडिया प्राईवेट लिमि. के साथ कोई समझौता किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधती ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इस समिति के निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार इस समझौते को रद्द करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(छ) इस संबंध में राजकोष को कितने राजस्व की अनुमानित हानि, यदि कोई हो, हुई है; और

(ज) सरकार द्वारा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी हां। जुलाई 2003 में मेसर्स एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड एवं अमरीका के मेसर्स फोर्ज एड्वाइजर के बीच हस्ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापन के परिणामस्वरूप, एन्ट्रिक्स ने दो भू स्थिर उपग्रहों पर एस-बैण्ड में अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता के कुछ भाग को पट्टे पर देने हेतु, 28 जनवरी, 2005 को मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक करार तय किया था। इस करार और जून, 2007 में देवास द्वारा प्रयोग किये गये विकल्प को मिलाकर, 12 वर्षों के लिए दो उपग्रहों पर एन्ट्रिक्स द्वारा देवास को अन्तरिक्ष खंण्ड क्षमता का 90% पट्टे पर देने का प्रावधान था। इस करार का उद्देश्य, देश में उपग्रह-आधारित अंकीय मल्टीमीडिया सेवा को समर्थ बनाना था।

(ग) और (घ) जी हां! इस करार के कार्यान्वयन पर शिकायत प्राप्त होने पर, विभाग ने 8 दिसम्बर, 2009 को, अंतरिक्ष आयोग के भूतपूर्व सदस्य डॉ. बी. एन. सुरेश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति को, अन्तरिक्ष विभाग को एन्ट्रिक्स-देवास करार को समाप्त करने की कार्रवाई शुरू करने का निदेश देने से पूर्व अन्तरिक्ष आयोग द्वारा जुलाई 2010 में विचार किये गये एन्ट्रिक्स-देवास करार के कानूनी, वाणिज्यिक, प्रक्रियात्मक तथा तकनीकी पहलुओं की समीक्षा करने तथा जांच करने का आदेश प्राप्त था।

तदनन्तर, फरवरी 10, 2011 को सरकार ने सुधारात्मक उपाय सुझाने और चूक, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु एन्ट्रिक्स तथा मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राईवेट लिमिटेड के बीच करार के तकनीकी, वाणिज्यिक, प्राक्रियात्मक तथा वित्तीय पहलुओं की समीक्षा करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा समिति का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ङ) और (च) जी हां! पिछले कुछ वर्षों में स्पेक्ट्रम के आबंटन के संबंध में सरकारी नीतियों में कुछ परिवर्तन किये गये हैं और राष्ट्रीय आवश्यकताओं, जिसमें रक्षा, अर्ध सैनिक बल, रेलवे तथा अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं शामिल हैं और एस बैण्ड स्पेक्ट्रम के आबंटन की बढ़ती मांग को, ध्यान में रखते हुए और देश की सामरिक महत्व की आवश्यकताओं के संबंध में सरकार ने एक्ट्रिक्स-देवास करार को समाप्त करने का निदेश दिया है। तदनुसार, एन्ट्रिक्स ने 25.02.2011 को देवास को करार समाप्त करने की सूचना भेजी है।

(छ) राजकोष को राजस्व की कोई हानि नहीं हुई क्योंकि एन्ट्रिक्स अथवा देवास को कोई स्पेक्ट्रम नहीं दिया गया है।

(ज) उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों की प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

***189. श्री गणेश सिंह:**
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसका राज्य-वार निष्कर्ष निकला;

(ग) इस अभियान के कार्यकरण में कौन-कौन सी त्रुटियां पाई गईं;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए है/किए जाने का विचार है; और

(ङ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और कितनों को स्वीकृति प्रदान की गई तथा उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन अब तक जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सहित माध्यमिक शिक्षा संबंधी विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राज्य शिक्षा सचिवों तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशकों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में दिनांक 15. 12.2010 को आयोजित किया गया था। सम्मेलन में स्कूल मैपिंग, मौजूदा माध्यमिक स्कूलों में सुधार हेतु कार्यनीति, माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली के रख-रखाव, माध्यमिक शिक्षकों के व्यावसायिक विकास, वार्षिक योजना तथा भावी योजना तैयार करने, वित्तीय प्रबंधन तथा प्रापण, मानीटरिंग और मूल्यांकन और गुणवत्ता संबंधी उपायों पर विचार किया गया था।

यह नोट किया गया था कि कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत भावी योजनाएं प्रस्तुत नहीं की थी। कुछ राज्यों ने निर्धारित तारीख के भीतर अपने वार्षिक योजना प्रस्तावों को भी प्रस्तुत नहीं किया था।

सतत कार्रवाई के कारण, वर्ष 2010-11 के लिए 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वार्षिक योजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तथा उनका मूल्यांकन किया गया था।

(घ) वर्ष 2011-12 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया कि वे शीघ्र मूल्यांकन के लिए चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले अपने वार्षिक योजना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास वर्ष के दौरान कार्यकलापों को लागू करने के लिए समुचित समय हो।

(ङ) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च 2009 में शुरू किया गया था। वर्ष 2009-10 के लिए 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से तथा वर्ष 2010-11 के लिए 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वार्षिक योजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 हेतु वार्षिक योजनाओं के तहत अनुमोदित प्रस्तावों, जारी निधियों और उपयोग की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वार्षिक योजना प्रस्ताव 2009-10 तथा 2010-11 के तहत जारी निधियों, उपयोग की स्थिति (7.3.2011 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 2009-10				वार्षिक योजना 2009-10		
		अनुमोदित परिव्यय 2009-10	केन्द्रीय हिस्सा 2009-10	जारी निधि	31.12.2010 के अनुसार जारी अनुदान के केन्द्रीय हिस्से की तुलना में उपयोग	अनुमोदित परिव्यय 2010-11	केन्द्रीय हिस्सा 2010-11	जारी निधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.53	0.40	0.00	0.00	0.98	0.74	
2.	आन्ध्र प्रदेश	753.40	565.05	269.75	143.66	338.31	253.73	54.57
3.	अरूणाचल प्रदेश	1.28	1.15	0.291	0.00	52.14	46.93	0.56
4.	असम	28.26	25.43	6.35	4.01	341.13	307.02	19.35
5.	बिहार	226.35	169.76	81.14	18.67	454.42	340.82	12.85
6.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	3.15	
7.	छत्तीसगढ़	150.17	112.63	56.32	52.98	644.99	483.74	13.77
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	1.88	
9.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	1.98	
10.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.	गोवा	1.63	1.22	0.31	0.16	5.20	3.90	0.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	गुजरात	27.45	20.59	10.06	10.06	55.59	41.69	0.87
13.	हरियाणा	20.56	15.42	3.85	9.02	366.42	274.82	17.83
14.	हिमाचल प्रदेश	46.99	35.24	27.58	15.26	156.84	117.63	12.18
15.	जम्मू और कश्मीर	87.76	65.82	27.13	16.80	122.60	91.95	
16.	झारखण्ड	193.67	145.25	71.17	6.64	268.54	201.41	
17.	कर्नाटक	379.37	284.53	71.13	21.11	459.15	344.36	
18.	केरल	47.65	35.74	18.22	4.97	122.51	91.88	5.84
19.	लक्षद्वीप	5.87	4.40	1.10	1.10	0.15	0.11	
20.	मध्य प्रदेश	493.79	370.34	213.97	121.80	572.75	429.56	28.61
21.	महाराष्ट्र	9.99	7.49	3.74	0.39	156.80	117.60	9.73
22.	मणिपुर	78.41	70.57	41.77	34.81	37.16	33.44	
23.	मेघालय	4.71	4.24	1.06	0.00	17.95	16.16	
24.	मिजोरम	67.70	60.93	16.41	15.94	41.84	37.66	
25.	नागालैण्ड	48.64	43.78	10.94	4.19	20.92	18.83	
26.	उड़ीसा	203.88	152.91	71.40	0.00	509.00	381.75	21.04
27.	पुड्डुचेरी	8.01	6.01	3.37	1.88	9.68	7.26	
28.	पंजाब	62.00	46.50	38.74	35.03	433.71	325.28	172.76
29.	राजस्थान	43.19	32.39	16.18	16.18	329.15	246.86	52.96
30.	सिक्किम	10.23	9.21	2.30	1.74	13.44	12.10	
31.	तमिलनाडु	139.16	104.37	96.42	61.47	613.57	460.18	25.39
32.	त्रिपुरा	42.59	38.33	21.55	21.55	49.42	44.48	
33.	उत्तर प्रदेश	154.93	116.20	68.33	21.75	271.03	203.27	
34.	उत्तराखंड	57.13	42.85	36.16	17.24	97.57	73.18	42.07
35.	पश्चिम बंगाल	58.65	43.99	10.99	9.00	5.79	4.34	
	भारत	3453.96	2632.74	1297.70	667.41	6578.09	5019.67	490.71

नोट: राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वार्षिक योजना 2010-11 के तहत राज्य सरकारों से उपयोग रिपोर्टें अभी लम्बित नहीं है।

[अनुवाद]

विद्यालयों में दाखिला

***190. श्री के.डी. देशमुखः**
चौधरी लाल सिंहः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को शैक्षणिक वर्ष 2011-12 के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों के पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों का नर्सरी कक्षा में दाखिला कराने के इच्छुक अभिभावकों से शिकायतें प्राप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का स्वरूप क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या इनमें से अधिकांश विद्यालय समाज के कमजोर वर्गों के 25 प्रतिशत छात्रों को दाखिला नहीं दे रहे हैं जैसा कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अधीन अधिदिष्ट है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधती ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन दाखिलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) दिल्ली महानगर के मामले में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि इसे पब्लिक स्कूलों की नर्सरी कक्षाओं में अपने बच्चों का दाखिला के संबंध में अभिभावकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें, अन्य बातों के साथ-साथ विवरणिकाओं एवं फार्म की अत्यधिक शुल्क वसूली, अधिक आयु होने के आधार पर दाखिले से मना करने, लाटरी निकालने की तारीख के संबंध में उपयुक्त प्रचार की कमी, लाटरी निकालने में पारदर्शिता की कमी, कई स्कूलों में आवेदन करने के बाद भी दाखिले हेतु बुलावा न मिलने एवं वंचित वर्गों के कोटा के अंतर्गत दाखिले हेतु आवेदन फार्म देने से मना करने के संबंध में हैं। इन शिकायतों के समाधान हेतु, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जिला स्तर पर जिला दाखिला मॉनीटरिंग समिति (डीएएमसी) का गठन किया गया है।

शिक्षा एक समवर्ती विषय है तथा अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसे स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया को विनियमित करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। केन्द्र सरकार इन स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया को मानीटर नहीं करती है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि दिल्ली के किसी भी पब्लिक स्कूल ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित बच्चों को दाखिले के लिए मना नहीं किया है। अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूलों की दाखिला प्रक्रिया को मॉनीटर करना राज्य सरकारों पर निर्भर है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" श्रेणी के अंतर्गत दाखिले हेतु दिनांक 07.01.2011 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति

***191. श्री दानवे रावसाहेब पाटीलः**
श्री राधा मोहन सिंहः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में सरकारी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन किए जाने वाले कथित अपराधों की जांच करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने का अधिदेश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधती ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सतर्कता आयुक्तों/केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए कोई मानदण्ड/दिशा-निर्देश तैयार किए गए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल में इस प्रकार के मानदण्ड/दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने के मामलों की जानकारी मिली है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी हां! केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की

प्रस्तावना एवं धारा 8(1), केन्द्रीय सतर्कता आयोग को, केन्द्रीय सरकार द्वारा संदर्भित या इसे प्राप्त शिकायत, जिसमें यह आरोप लगाया गया हो कि केन्द्रीय सरकार या किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम, सरकारी कम्पनी, सोसायटी तथा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारी होने के नाते, किसी लोक सेवक ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अपराध किया हो, की जांच करने, जांच करवाने अथवा अन्वेषण करने का अधिदेश देती है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, 2003 की धारा 3(3) तथा धारा 4 में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त तथा सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति के मानदण्ड एवं प्रक्रिया विहित है।

(ङ) और (च) हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका सं. 348/2010 तथा 355/2010 के संबंध में अपने दिनांक 3 मार्च, 2011 के निर्णय में, श्री पी. जे. थॉमस की केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति के बारे में यह पाया है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम की धारा 3(3) के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं हुआ है और न्यायालय ने, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एवं सतर्कता आयुक्तों के चयन के लिए पैनल तैयार करने के लिए मानदण्ड निर्धारण हेतु, निदेश/दिशा-निर्देश जारी किए हैं। देश का शीर्षस्थ न्यायालय होने के नाते उच्चतम न्यायालय के निदेशों का प्रभाव कानून के समान है।

बारहवीं योजना का दृष्टिकोण पत्र

***192. श्री एम. बी. राजेश:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधती ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने इस संबंध में विभिन्न हितधारकों से चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधती ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस परामर्श प्रक्रिया में मजदूर संघों और सिविल सोसाइटी के संगठनों को भी शामिल किए जाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधती ब्यौरा क्या है;

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (च) योजना आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में हितधारकों के साथ विभिन्न परामर्श आयोजित किए गए हैं। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सिविल सोसायटी संगठनों के साथ 1 अक्टूबर, 2010 को प्रथम परामर्श आयोजित किया गया और प्रतिनिधि एनजीओज और सिविल सोसायटी संगठनों के विचार सुने गए। इस परामर्श के लिए आमंत्रित संगठनों/एनजीओज की सूची संलग्न विवरण-I पर दी गई है। योजना आयोग ने भी विशेष रूप से सभी इच्छुक व्यक्तियों और संगठनों की टिप्पणियां और विचार प्राप्त करने के उद्देश्य से एक वेबसाइट शुरू की है, जिससे की परामर्श की प्रक्रिया को व्यापक बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त योजना आयोग का बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न मुद्दों पर विचार जानने के लिए राज्य सरकारों और सिविल सोसायटी, बिजनेस, व्यापार-संघों, अकादमी और युवाओं सहित अन्य हितधारकों के साथ पांच क्षेत्रीय परामर्श आयोजित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित क्षेत्रीय स्तर के परामर्शों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य अधिक भागीदारी निर्णय प्रक्रिया के लिए परामर्श के क्षेत्र को व्यापक बनाना है।

विवरण-I

1 अक्टूबर, 2010 को आयोजित विचार-विमर्श संगोष्ठी में आमंत्रित सिविल सोसायटी संगठनों/एनजीओज की सूची

1. वीमेन पावर कनेक्ट
2. आर्घयम
3. राष्ट्रीय महिला संगठन एलायंस (एनएडब्ल्यूओ)
4. राष्ट्रीय दलित मानव अधिकार अभियान (एनसीडीएचआर)
5. स्वरोजगार महिला संगठन (सेवा)
6. जन स्वास्थ्य अभियान
7. प्रथम
8. वादा ना तोड़ो अभियान
9. जामिया हिदायत ट्रस्ट
10. विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र
11. पूर्वोत्तर नेटवर्क
12. बाल श्रम के विरूद्ध

13. खाद्य अधिकार अभियान

14. राष्ट्रीय स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन, भारत

15. सलाम बालक ट्रस्ट

16. जल सहायता सेवाएं एवं कार्यकलाप नेटवर्क (डब्ल्यूएएसएएन)

17. प्रयास (पूणे)

18. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस)

19. ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (आईआरएमए)

20. हेल्प एज इंडिया

21. यंग इंडियन्स

22. राष्ट्रीय विकलांग रोजगार संवर्धन केन्द्र

विवरण-II

राज्य सरकारों और राज्यों से अन्य हितधारकों के साथ मार्च/अप्रैल, 2011 में आयोजित होने वाले क्षेत्रीय परामर्शों के ब्यौरे

	संभावित स्थल	राज्य सरकारें एवं अन्य हितधारक
1.	शिलांग	सिक्किम सहित आठ पूर्वोत्तर राज्य
2.	कोलकाता	बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल
3.	बैंगलोर	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु
4.	मुम्बई	गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान
5.	दिल्ली	दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश

डाकघरों में निष्क्रिय खाते

*193. **श्री ए. गणेशमूर्तिः** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश विभिन्न डाकघरों में अनेक बचत एवं अन्य खाते निष्क्रिय हैं तथा जमा धनराशि पर कई वर्षों से कोई दावा नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश भर में ऐसे खातों में राज्य-वार कुल कितनी धनराशि जमा है;

(घ) सरकार इन खातों में जमा धनराशि की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठा रही है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन खातों में पड़ी अदावाकृत धनराशि का उपयोग विकास परियोजनाओं के लिए करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां! बचत खाता स्कीम के अंतर्गत निष्क्रिय एवं अदावाकृत खाते हैं। 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार लगभग 4.09 बचत खाते निष्क्रिय (साइलेंट) पड़े हुए थे। सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, किसी बचत बैंक खाते में पूरे तीन वर्षों तक अगर कोई जमा या निकासी नहीं की जाती है, तो ऐसे खाते को निष्क्रिय (साइलेंट) खाता माना जाना चाहिए।

(ग) से (च) निष्क्रिय खातों में जमा कुल राशि का हिसाब केंद्रीकृत रूप से अथवा राज्य स्तर पर नहीं रखा जाता बल्कि यह संबंधित डाकघरों के बहीखातों में दर्ज होता है। ऐसे खातों की बकाया राशि को राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) में रखा जाता है और इसका उपयोग इस निधि के प्रयोजनार्थ किया जाता है। जमाकर्ता को वार्षिक ब्याज मिलता रहता है और वह कभी भी एक आवेदन देकर तथा कोई लेन-देन जैसी जमा/निकासी करके अपने खाते को पुनःसक्रिय कर सकता है। ऐसे खातों में जमा धनराशि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, किसी भी तरह के लेन-देन करने से पहले जमाकर्ता की उचित पहचान की जाती है।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान

*194. **श्री हुक्मदेव नारायण यादवः** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक परिषद ने अपने हाल के अध्ययन में बताया है कि समाज के निचले वर्गों के 20 प्रतिशत

लोगों ने विकास/सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 5.2 प्रतिशत का योगदान किया है और समाज के उच्च वर्ग के 20 प्रतिशत लोगों ने 52.7 प्रतिशत का योगदान किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) इस असमानता को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या योजना आयोग प्रमुख औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों के मूल्य के बारे में आंकड़े रखता है;

(ङ) यदि हां, तो दस शीर्ष औद्योगिक घरानों की कुल परिसम्पत्तियों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है तथा राष्ट्रीय विकास/जीडीपी में इनका प्रतिशत क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इस प्रकार के संगत तथ्यों को शामिल नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने अपने अध्ययन 'भारत कैसे अर्जन' व्यय और बचत करता है' में बताया है कि वर्ष 2004-05 में कुल आय में से आबादी के निचले वर्गों के 20 प्रतिशत लोगों का हिस्सा 5.2% था जब कि उच्च वर्ग के 20% लोगों का हिस्सा 52.7% था। अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों में शामिल हैं:

I. निम्न आय वर्ग परिवारों की संख्या (वर्ष 2001-02 के मूल्यों पर 45,000 रु. प्रतिवर्ष से कम आय वाले) जो वर्ष 1985-86 में 84 मिलियन थी वर्ष 2001-02 में कम होकर 65 मिलियन होने का अनुमान है, और दशक के अंत तक यह संख्या और कम होकर 41 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है।

II. मध्यम आय वर्ग परिवारों की संख्या (वर्ष 2001-02 के मूल्यों पर 45,000 रु. से 1,80,000 रु. प्रतिवर्ष की आय वाले) जो वर्ष 1985-86 में 43 मिलियन थी वर्ष 2001-02 में बढ़कर 109 मिलियन होने का अनुमान है और वर्ष 2009-10 में इसमें और अधिक वृद्धि होकर 141 मिलियन होने की आशा है।

III. कुल ग्रामीण आय में 41 प्रतिशत का योगदान करने वाले उच्च आय वर्ग से संबंधित लगभग 14 प्रतिशत ग्रामीण भारतीयों की तुलना में निचले वर्ग के 25.5 प्रतिशत ग्रामीण भारतीयों का कुल ग्रामीण आय में योगदान 8.4 प्रतिशत है।

IV. कुल शहरी आय में 68 प्रतिशत का योगदान करने वाले उच्च आय वर्ग से संबंधित 36 प्रतिशत शहरी आबादी की तुलना में निचले वर्ग के 6.2 प्रतिशत शहरी भारतीयों का कुल शहरी आय में योगदान 1.1 प्रतिशत है।

V. उच्च आय वर्ग परिवारों की संख्या (वर्ष 2001-02 के मूल्यों पर 1,80,000 रु. से अधिक आय वाले) इसी अवधि के दौरान 1.4 मिलियन से बढ़कर 13.8 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है और वर्ष 2009-10 में इसमें वृद्धि होकर 47 मिलियन होने की आशा है।

अध्ययन रिपोर्ट प्रत्येक स्तर के परिवारों की आय और उनके जीवन स्तरों में क्रमिक व सतत वृद्धि दर्शाती है जिसका निष्कर्ष है कि निम्न आय वर्ग के परिवारों की संख्या में कमी आ रही है। रिपोर्ट में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

'भारत में भाग्य का चक्र सतत् रूप से चल रहा है, जिसमें प्रत्येक स्तर के परिवारों की आय दशक के अंत तक अगले उच्च तक पहुंचना निर्धारित है'।

(ग) भारत में अमीरों और गरीबों के मध्य आर्थिक असमानताओं में कमी लाना विकास आयोजना के प्रमुख नीतिगत लक्ष्यों में से रहा है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की कार्यनीति अपनाई गई जिससे यह सुनिश्चित हो कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। सरकार इसके लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई), एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस), मध्याह्न भोजन स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), ग्रामीण पेय जलापूर्ति और संपूर्ण स्वच्छता अभियान, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) आदि का कार्यान्वयन कर रही है। इसके अतिरिक्त, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम का कार्यान्वयन सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने संबंधी पहलों में से है। इन कार्यक्रमों से समाज के समृद्ध तथा वंचित वर्गों के बीच वैयक्तिक व सामूहिक रूप से अंतराल कम होने की आशा है।

(घ) और (ङ) योजना आयोग में औद्योगिक घरानों की परिसंपत्तियों संबंधी सूचना नहीं रखी जाती है।

(च) निवल राष्ट्रीय आय (एनएनआई) द्वारा कारक लागत पर मापित राष्ट्रीय आय एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में उत्पन्न सभी वस्तुओं व सेवाओं के मुद्रा मूल्य और व्यापक अवमूल्यन निवल से प्राप्त निवल कारक आय है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, योजना आयोग द्वारा नहीं। राष्ट्रीय आय के आकलन संबंधी कार्यपद्धति सीएसओ के प्रकाशन 'राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी-स्रोत एवं पद्धतियां (2007)' और 'राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की नई सीरीज, आधार वर्ष 2004-05' संबंधी विवरणिका में अंतर्विष्ट है।

[अनुवाद]

शिक्षा संस्थाओं में अनुचित व्यवहार

***195. श्री बलीराम जाधवः**
श्री के. सुगुमारः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में तकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अनुचित व्यवहार की कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों के स्वरूप सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश के इन शिक्षा संस्थानों के विरूद्ध उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उच्च शिक्षा संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए आगे क्या कार्रवाई करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सूचित किया है कि परिषद को विगत वर्ष तथा चालू वर्ष में आरोपित अनुचित कार्य-कलापों के संबंध में तकनीकी संस्थाओं के खिलाफ 101 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि उसे अनुचित कार्य-कलापों में संलिप्त विश्वविद्यालयों/सम-विश्वविद्यालय और संस्थाओं के विरूद्ध 23 शिकायतें प्राप्त हुई है। इन शिकायतों में अधिकांश शिकायतें, जाली संस्थाओं के संचालन तथा लगाने, शुल्क को वापस न करने, भ्रामक विज्ञापनों, गैर-अनुमोदित पाठ्यक्रम चलाने, दाखिले, प्रवेश परीक्षा से संबंधित शिकायतों/सुझावों और निजी प्रबंधन आदि से संबंधित हैं।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने बताया है कि वे तथाकथित अनुचित कार्य-कलापों के बारे में प्राप्त शिकायतों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं। जिन मामलों में आवश्यक है, विशेषज्ञ समितियों द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अपनी-अपनी वेबसाइटों में जाली विश्वविद्यालयों, गैर-अनुमोदित संस्थाओं तथा गैर-अनुमोदित पाठ्यक्रमों के बारे में समय-समय पर सूचना प्रकाशित कर रही हैं। छात्रों और आम जनता की सूचना के लिए समय-समय पर सार्वजनिक नोटिस भी जारी किए जाते हैं।

(घ) तकनीकी तथा चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालय पद्धति में अनुचित कार्यों की रोकथाम करने एवं उन्हें अनुचित कार्यों के बाबत दण्डित करने के लिए सरकार ने 3 मई, 2010 को संसद में तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में अनुचित कार्यों की रोकथाम संबंधी विधेयक, 2010 नामक एक विधेयक प्रस्तुत किया है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर

***196. प्रो. रामशंकरः** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) विश्वविद्यालय में इन छात्रों के नामांकन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा कौन-सी विशेष योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आबंटित तथा खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे मामलों में बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 हेतु अ.जा. तथा अ.ज.जा. छात्रों द्वारा कक्षा I-V, I-VIII और I-X में पढ़ाई बीच में छोड़ने की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार दरें संलग्न विवरण (I), (II) और (III) में दी गई हैं।

(ख) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य स्कूलों में अ.जा. तथा अ.ज.जा. श्रेणियों के छात्रों सहित छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना है।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः अनु.जाति उप योजना और जनजातीय उपयोजना के तहत अनुमानतः 16.2% तथा 8.0% योजनागत आबंटन निर्धारित किया जाता है। विभिन्न केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं के तहत ही केवल राज्यवार कुल आबंटन जारी किए जाते हैं।

(घ) निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है, में व्यवस्था है कि 6-14 वर्ष तक की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु एक फ्लैगशिप कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान कार्यान्वयन ढांचे को स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों, अध्ययन-कक्षों तथा स्कूलों में सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा साथ ही साथ गुणवत्ता संबंधी उपायों के संदर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान ने समानता आधारित दृष्टिकोण अपनाया है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों तथा समाज के लाभवंचित वर्गों की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करता है। समाज के लाभावंचित वर्गों की शिक्षा संबंधी सरोकार सर्व शिक्षा अभियान योजना में अंतर्निहित है। अ.जा., अ.ज.जा. के बच्चों और बालिकाओं को शिक्षा की लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए शैक्षिक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ऐसे समूहों हेतु शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए संदर्भ विशिष्ट उपाय किए जाते हैं।

कस्तूरबा गांधी बालिक विद्यालय योजना के तहत अ.जा., अ.ज.जा., अन्य पिछड़ा वर्ग तथा मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था है। इस योजना के तहत अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व तथा अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए न्यूनतम 75% आरक्षण की व्यवस्था है।

मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य लाभवंचित वर्गों के बच्चों के नामांकन, प्रतिधारण तथा उपस्थिति में वृद्धि करने के साथ-साथ पोषण स्तर में भी सुधार करना है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए आरंभ किया गया है, का उद्देश्य स्त्री-पुरूष अंतर को समाप्त करना और सामाजिक-आर्थिक अड़चनों को दूर करना तथा वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

विवरण I

कक्षा I-V में पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अ.जा. छात्र			अ.ज.जा. छात्र		
		2006-07	2007-08	2008-09(अ.)	2006-07	2007-08	2008-09(अ.)
1	2	3	4	5	6	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	27.10	20.82	20.19	48.14	46.26	39.78
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	47.31	44.06	41.51
3.	असम	36.68	0.00	6.88	52.58	0.00	-
4.	बिहार	61.02	45.99	50.07	49.13	34.67	4.06
5.	छत्तीसगढ़	-1.98	41.38	29.06	31.46	25.62	37.77

1	2	3	4	5	6	6	7
6.	गोवा	3.13	0.00	–	–	–	–
7.	गुजरात	3.35	46.93	46.94	35.75	52.57	52.58
8.	हरियाणा	14.49	9.02	–	–		–
9.	हिमाचल प्रदेश	9.99	12.52	15.11	0.00	0.00	3.52
10.	जम्मू और कश्मीर	26.28	6.97	–	34.80	34.80	4.65
11.	झारखण्ड	28.92	2.57	20.12	53.811	22.63	29.89
12.	कर्नाटक	14.83	12.11	7.14	12.30	15.27	5.38
13.	केरल	0.00	0.00	–	2.07	3.00	–
14.	मध्य प्रदेश	0.00	2.59	18.49	0.00	0.00	17.75
15.	महाराष्ट्र	0.27	13.50	21.81	15.43	29.20	33.15
16.	मणिपुर	–	58.18	35.47	66.82	66.701	52.15
17.	मेघालय	–	–	–	49.93	48.02	52.96
18.	मिजोरम	–	–	–	49.60	47.82	40.08
19.	नागालैण्ड	–	–	–	43.83	32.82	9.82
20.	उड़ीसा	35.09	28.17	25.65	34.18	39.11	35.21
21.	पंजाब	27.31	0.00	23.50	–	–	–
22.	राजस्थान	49.00	51.12	50.70	37.73	50.44	39.54
23.	सिक्किम	39.10	48.46	·52.00	0.00	28.04	37.36
24.	तमिलनाडु	12.84	0.00	–	12.50	0.00	–
25.	त्रिपुरा	–5.77	0.00	8.98	39.06	38.26	32.48
26.	उत्तर प्रदेश	57.23	46.77	31.87	84.05	0.00	–
27.	उत्तराखंड	33.641	26.091	34.42	16.68	10.23	15.99
28.	पश्चिम बंगाल	39.85	38.01	22.61	47.02	46.76	49.91
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	0.57	21.61	22.65
30.	चंडीगढ.	0.00	0.00	–	11		
31.	दादरा और नगर हवेली	25.81	5.26	21.97	38.48	25.82	24.55
32.	दमन और दीव	–2.40	0.00	–	–0.93	11.42	–

1	2	3	4	5	6	6	7
33.	दिल्ली	0.00	37.16	8.97	13.75	0.00	-
34.	लक्षद्वीप	-	-	-	1.69	1.24	6.13
35.	पुदुचेरी	0.00	0.00	-	-	-	-
	भारत	35.91	30.09	26.71	33.09	31.34	31.26

अ. - अनन्तिम

(-) का आशय या तो कोई अ.जा./अ.ज.जा. नहीं है या फिर पढ़ाई बीच में छोड़ने वालीं की दर की गणना हेतु अपेक्षित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। नकारात्मक पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर का कारण स्कूलों में पार्श्विक प्रवेश अथवा एक ही कक्षा में दुबारा पढ़ने वाले हैं।

विवरण II

कक्षा I-VIII में पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अ.जा. छात्र			अ.ज.जा. छात्र		
		2006-07	2007-08	2008-09(अ.)	2006-07	2007-08	2008-09(अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	61.19	52.75	43.85	77.98	72.40	68.30
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	57.98	50.60	48.30
3.	असम	70.55	69.53	-	77.31	77.11	-
4.	बिहार	80.62	77.79	73.11	97.81	97.66	63.81
5.	छत्तीसगढ़	-	-	42.04	-	-	53.30
6.	गोवा	25.56	30.57	-	-	-	-
7.	गुजरात	48.86	49.60	48.83	64.52	63.43	65.28
8.	हरियाणा	16.05	27.89	21.78	-	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश	17.33	10.70	18.61	0.00	-19.43	-
10.	जम्मू और कश्मीर	17.70	17.70	-	37.55	37.55	-
11.	झारखण्ड	-	-	61.62	-	-	70.93
12.	कर्नाटक	41.82	43.28	41.27	36.90	38.22	30.47
13.	केरल	0.00	0.00	-	9.48	.2.44	10.12
14.	मध्य प्रदेश	43.73	67.00	33.65	61.03	68.91	39.03
15.	महाराष्ट्र	24.00	31.27	28.57	46.46	42.72	48.95
16.	मणिपुर	-	3.07	-	62.83	63.95	-

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मेघालय	–	–	79.25	63.67	60.26	79.74
18.	मिजोरम	–	–	69.15	62.67	63.16	65.72
19.	नागालैण्ड	–	–	–	34.06	37.47	17.23
20.	उड़ीसा	70.27	70.53	70.56	82.13	82.99	83.6)
21.	पंजाब	49.87	43.27	28.66	–	–	–
22.	राजस्थान	65.01	65.39	64.16	59.68	63.31	66.30
23.	सिक्किम	69.53	67.59	49.23	34.98	45.03	14.53
24.	तमिलनाडु	18.62	0.00	–	47.76	22.21	–
25.	त्रिपुरा	41.77	43.39	31.03	64.62	66.30	62.78
26.	उत्तर प्रदेश	59.44	55.97	58.76	77.52	8.05	26.58
27.	उत्तराखंड	–	–	45.82	–	–	29.33
28.	पश्चिम बंगाल	68.79	67.10	59.78	78.93	78.39	75.69
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	27.93	27.16	25.82
30.	चंडीगढ.	43.73	46.86	15.62	–	–	–
31.	दादरा और नगर हवेली	11.38	0.76	9.35	49.52	42.74	43.33
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	–	34.63	33.71	–
33.	दिल्ली	37.29	35.16	–	-8.87	-42.78	–
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	0.00	-11.70	12.24
35.	पुदुचेरी	0.00	0.00	–	–	–	–
	भारत	53.05	52.47	47.89	62.54	62.48	58.26

अ. - अनन्तिम

I-मध्य प्रदेश में शामिल, 2-बिहार में शामिल, 3-उत्तर प्रदेश में शामिल-2006-07 तथा 2007-08 हेतु

(-) का आशय या तो कोई अ.जा./अ.ज.जा. नहीं है या फिर पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर की गणना हेतु अपेक्षित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। नकारात्मक पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर का कारण स्कूलों में पार्श्विक प्रवेश अथवा एक ही कक्षा में दुबारा पढ़ने वाले हैं।

विवरण III

कक्षा I-X में पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अ.जा. छात्र			अ.ज.जा. छात्र		
		2006-07	2007-08	2008-09(अ.)	2006-07	2007-08	2008-09(अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	69.78	69.09	66.22	81.92	82.26	81.77
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	72.09	65.57	66.13
3.	असम	74.67	83.84	83.88	79.75	86.36	83.63
4.	बिहार	92.12	89.47	88.39	98.99	98.80	98.60
5.	छत्तीसगढ़[1]	-	-	-	-	-	-
6.	गोवा	73.12	66.33	62.95	-	-	-
7.	गुजरात	67.33	65.39	65.05	72.68	73.64	73.99
8.	हरियाणा	61.35	60.33	48.36	-	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश	51.08	47.33	39.56	33.39	29.63	18.05
10.	जम्मू और कश्मीर	40.99	50.72	50.72	36.96	65.30	65.30
11.	झारखण्ड[2]	-	-	-	-	-	-
12.	कर्नाटक	56.79	60.33	56.33	57.66	56.63	48.13
13.	केरल	8.70	9.30	-	44.07	38.91	35.24
14.	मध्य प्रदेश	66.23	65.00	63.58	85.04	84.43	82.86
15.	महाराष्ट्र	52.45	47.71	41.78	75.28	72.07	70.15
16.	मणिपुर	-	0.13	6.58	68.361	70.61	71.66
17.	मेघालय	-	-	70.63	79.03	77.22	77.47
18.	मिजोरम	-	-	59.12	72.78	70.00	68.91
19.	नागालैण्ड	-	-	-	66.12	66.28	67.28
20.	उड़ीसा	74.06	74.09	77.08	84.52	84.79	85.78
21.	पंजाब	64.90	65.00	70.06	-	-	-
22.	राजस्थान	81.23	73.26	75.09	77.71	67.65	70.76
23.	सिक्किम	89.17	83.83	86.87	68.97	60.41	63.70
24.	तमिलनाडु	32.74	35.04	11.17	68.31	72.93	50.37

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	त्रिपुरा	75.21	68.26	63.66	84.37	81.51	78.69
26.	उत्तर प्रदेश	74.62	75.71	75.71	83.39	53.93	53.93
27.	उत्तराखंड[3]	-	-	-	-	-	-
28.	पश्चिम बंगाल	81.79	81.27	77.68	87.04	86.70	87.12
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	31.78	40.24	28.53
30.	चंडीगढ़	73.47	77.94	60.04	-	-	-
31.	दादरा और नगर हवेली	43.48	32.801	37.40	74.46	66.66	68.62
32.	दमन और दीव	24.79	0.00	-	75.46	55.06	56.56
33.	दिल्ली	26.71	61.40	47.56	25.17	14.92	0.11
34.	लक्षद्वीप	-	-	-	7.30	30.03	29.94
35.	पुदुचेरी	15.96	7.59	11.88	-	-	-
	भारत	69.01	68.42	66.56	78.07	76.85	76.18

अ. - अनन्तिम

1-मध्य प्रदेश में शामिल, 2-बिहार में शामिल, 3-उत्तर प्रदेश में शामिल-2006-07 तथा 2007-08 हेतु

(-) का आशय या तो कोई अ.जा./अ.ज.जा. नहीं है या फिर पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर की गणना हेतु अपेक्षित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

नकारात्मक पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर का कारण स्कूलों में पार्श्विक प्रवेश अथवा एक ही कक्षा में दुबारा पढ़ने वाले हैं।

[अनुवाद]

समान पाठ्यक्रम

***197. श्री मानिक टैगोर:**
श्री नवीन जिंदल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं के लिए 'एक राष्ट्र, एक पाठ्यक्रम, एक परीक्षा' तथा 'कोर पाठ्यक्रम' के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सभी व्यावसायिक तथा गैर-व्यावसायिक महाविद्यालयों के लिए परिमाणात्मक और गैर-परिमाणात्मक विषयों में एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा शुरू किए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस संबंध में विभिन्न राज्य शिक्षा बोर्डों तथा अन्य हितधारकों से परामर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल):

(क) वर्तमान में देशभर में 10वीं तथा 11वीं कक्षाओं हेतु एक समान पाठ्यक्रम तथा एक समान परीक्षा से संबंधित कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद ने अपने सदस्य बोर्डों के परामर्श से उच्च माध्यमिक स्तर पर भौतिकी, रसायन, शास्त्र, जीव विज्ञान तथा गणित विषयों की कोर पाठ्यचर्या तैयार की है।

(ख) और (ग) देश में सभी इंजीनियरी कार्यक्रमों हेतु एक समान प्रवेश परीक्षा की संभावना तलाशने हेतु प्रो. डी. आचार्य, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने सुझाव दिया है कि इस व्यवस्था की शुरूआत करते हुए विज्ञान, इंजीनियरी तथा फार्मेसी कार्यक्रमों में दाखिले के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाई जाए। इस समिति की अंतरिम रिपोर्ट डॉ. रामासामी, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में गठित एक अन्य समिति के पास भेज दी गई है। इसके अलावा, कुलपतियों की एक समिति ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले हेतु चरणबद्ध तरीके से एक संयुक्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था करने की सिफारिश की है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भारत के मेडिकल/डेन्टल कॉलेजों हेतु 15% योग्यता आधारित सीटों के लिए अखिल भारतीय प्री मेडिकल/प्री डेन्टल प्रवेश परीक्षा (एआईपीएमटी) संचालित करता है और साथ ही विभिन्न इंजीनियरी तथा वास्तुकला संस्थाओं जिनमें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा संचालित अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाएं शामिल हैं; हेतु अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा (एआईईईई) का भी संचालन करता है।

(घ) जी, नहीं। साझा प्रवेश परीक्षा हेतु इस योजना के बारे में राज्य शिक्षा बोर्डों के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले की चोरी

***198. श्री अब्दुल रहमानः**
श्रीमती सुप्रिया सुलेः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिलेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में कोयले की चोरी, काला बाजारी तथा अवैध खनन की घटनाओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सहायक कंपनी-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा कितनी मात्रा में/कितने मूल्य की हानि हुई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों तथा विधि प्रवर्तन/सुरक्षा एजेंसियों में सांठ-गांठ की जानकारी मिली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) कोयले की चोरी/उठाईगिरी/अवैध खनन/काला-बाजारी चोरी-छिपे और गुप्त रूप से की जाती है। इसलिए, चोरी हुए कोयले की वास्तविक मात्रा और कोयले की चोरी/उठाईगिरी/ अवैध-खनन/ काला-बाजारी के कारण हुई हानि का पता लगा पाना संभव नहीं है।

तथापि, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सुरक्षा कार्मिकों तथा संबंधित राज्य सरकारों के कानून एवं व्यवस्था से संबंधित प्राधिकारियों के साथ मारे गए संयुक्त छापों के दौरान बरामद किए गए कोयले और उसका लगभग मूल्य निम्नानुसार है-

कोयले की चोरी/उठाईगिरी

कंपनी	2010-11 (दिसम्बर, 2010 तक) (अनंतिम)		2009-10		2008-09		2007-08	
	बरामद की गई मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रु. में)	बरामद की गई मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रु. में)	बरामद की गई मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रु. में)	बरामद की गई मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ईसीएल	1101.00	22.02	4137.00	48.460	9152.00	91.52	13117.00	131.17
बीसीसीएल	7976.43	153.62	7662.00	163.699	9714.54	189.66	11071.52	186.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सीसीएल	279.50	3.32	393.75	4.424	2524.00	27.60	1803.07	23.09
एनसीएल	0	0	3.00	0.060	9.00	0.18	0	0
डब्ल्यूसीएल	114.63	1.69	275.48	4.654	353.15	5.99	250.01	4.08
एसईसीएल	7.50	0.13	378.67	5.601	843.98	15.04	1910.57	32.03
एमसीएल	10.10	0.10	1562.70	12.571	607.10	4.42	343.55	2.76
एनईसी	0.20	0.01	15.00	0.330	2.80	0.08	0	0
सीआईएल	9489.36	180.89	14427.60	239.799	23206.57	334.49	28495.72	380.03

कोयले का अवैध खनन

कंपनी	2010-11 (दिसम्बर, 2010 तक) (अनंतिम)		2009-10		2008-09		2007-08	
	बरामद की गई मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रु. में)	बरामद की गई मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रु. में)	बरामद की गई मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रु. में)	बरामद की गई मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रु. में)
ईसीएल	5138.00	101.760	8161.00	96.300	6529.00	65.290	2497.00	24.97
बीसीसीएल	930.96	17.461	2131.18	36.012	2050.96	35.920	131.00	2.034
सीसीएल	15.00	0.150	30.00	0.300	93.00	0.855	429.90	7.549
एनसीएल	0	0	0	0	0	0	0	0
डब्ल्यूसीएल	0	0	0	0	11.00	0.110	41.00	0.80
एसईसीएल	0	0	0	0	0	0	40.00	0.60
एमसीएल	0	0	0	0	0	0	0	0
एनईसी	0	0	0	0	0	0	0	0
सीआईएल	6083.96	119.371	10322.18	132.612	8683.96	102.175	3138.90	35.953

कालाबाजारी

ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के अंतर्गत आपूर्ति किए गए कोयले के दुरूपयोग की घटना की सूचना समय-समय पर मिलती है। इसके पश्चात जांच की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। कोल इंडिया लि. द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार उपर्युक्त के कारण कोयला कंपनियों द्वारा 21 उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति रोक दी गयी है।

(ग) से (ङ) सीआईएल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उपर्युक्त गतिविधियों में अधिकारियों की सांठ-गांठ के बारे में कोई सूचना नहीं है। तथापि, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में अवैध खनन को रोकने के प्रति भावशून्य रवैये के कारण एक अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है।

(च) कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए आवश्यक निवारक कार्रवाई राज्य/जिला प्रशासन की प्रथम जिम्मेवारी है। तथापि, कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं-

(क) जहां भी संभव होता है पत्थर और मलबे से रैट होलों को डोज-आफ और भरा जाता है।

(ख) अवैध खनन स्थलों को पृथक करने के लिए खाइयां खोदी जाती हैं।

(ग) परित्यक्त खानों के मुहाने पर कंकरीट की दीवारें बनायी जाती हैं।

(घ) अवैध खनन स्थलों पर चार दिवारी बनायी जाती है एवं साइन-बोर्ड प्रदर्शित किया जाता है।

(ङ) खनित क्षेत्रों पर ओवर बर्डेन डम्प किया जाता है।

(च) सुरक्षा कार्मिक और संबंधित राज्य सरकारों के कानून एवं व्यवस्था प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से नियमित तथा औचक छापे मारे जाते हैं।

(छ) अवैध कोयला डिपो और कोयले की अवैध ढुलाई के बारे में आसूचना रिपोर्टों का संग्रह करना और निवारक कार्रवाई करने के लिए उक्त के बारे में जिला प्राधिकारियों को सूचित करना।

(ज) परिवहन दस्तावेजों की जांच करने के लिए संवेदनशील बिन्दुओं पर चेक-पोस्ट स्थापित करना।

(झ) इसे नियंत्रित करने के लिए कोयला कंपनियां समय-समय पर राज्य प्राधिकारियों से मदद लेती हैं।

[हिन्दी]

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

***199. श्री यशवंत लागुरी:**
श्रीमती रमा देवी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की कुछ सहायक कंपनियों में कोयला खदानों के धंसने तथा अन्य खान दुर्घटनाओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कोयला खान-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

(ग) ऐसी प्रत्येक दुर्घटना में मृत/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या इन दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करवायी गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है; और

(च) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) डिपिलरिंग द्वारा कोयले का निष्कर्षण करने के पश्चात केविंग पद्धति का प्रयोग करके, जहां अनुमेय होती है, केविंग की जाती है। इसके लिए खान प्रबंधन डीजीएमएस से अनुमति लेता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सीआईएल में केविंग के कारण कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ अथवा किसी की मृत्यु नहीं हुई।

पिछले तीन वर्षों (2008-10) के दौरान कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की सहायक कंपनियों में सूचित की गयी अन्य खान दुर्घटनाओं का कोयला खान-वार, वर्ष-वार ब्यौरा और प्रत्येक दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों की संख्या विवरण-I में तथा पिछले तीन वर्षों (2008-10) के दौरान सीआईएल में कंपनी-वार और वर्ष-वार गम्भीर दुर्घटनाएं तथा गम्भीर चोटें विवरण-II में दी गयी हैं-

(घ) और (ङ) सभी दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की गयी है। जिन कारणों तथा परिस्थितियों के परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं हुईं, उनकी पहचान की गयी है और ऐसी घटनाओं/दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जांच प्राधिकारियों की सिफारिशों का अनुपालन किया गया है।

(च) खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार कोयला खानों में सुरक्षा को मानीटर तथा लागू करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के माध्यम से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) जिम्मेवार है। कोयला खान प्रचालक खान अधिनियम 1952 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार खानों में सुरक्षा मादण्डों के अनुपालन के लिए जिम्मेवार हैं। सुरक्षा कार्य-निष्पादन मानीटरिंग एक सतत प्रक्रिया है और डीजीएमएस कोयला खानों में सुरक्षा कार्य-निष्पादन मानीटरिंग एक सतत प्रक्रिया है और डीजीएमएस कोयला खानों में सुरक्षा के मानदण्डों को निर्धारित करने के लिए नोडल एजेन्सी है। सुरक्षा मानदण्डों में आवश्यक सुधारों को ध्यान में रखते हुए डीजीएमएस द्वारा सुरक्षा परिपत्र जारी किए जाते हैं और सुरक्षा निरीक्षण के दौरान

की गयी टिप्पणियों तथा विभिन्न सुरक्षा समितियों और जांच न्यायालयों की सिफारिशों के आधार पर सुरक्षा मानदण्डों में आवश्यक परिवर्तन को सम्मिलित करते हुए समय-समय पर कोयला खान विनियमों में संशोधन किया जाता है। खान प्रबंधन तथा डीजीएमएस द्वारा सभी प्रमुख दुर्घटनाओं/घातक दुर्घटनाओं की विस्तार से जांच की जाती है। खान अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाता है और प्रबंधन भी दोषी व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करता है। खान प्रबंधन, ट्रेड यूनियन (टीयू) और डीजीएमएस के अधिकारियों वाली त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियां खानों में सुरक्षा मानदण्डों की समीक्षा तथा मानीटर करती है और सिफारिशें करती हैं। कोयला मंत्री की अध्यक्षता में कोयला खानों में सुरक्षा से संबद्ध स्थायी समिति द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर देश में कोयला खानों के सुरक्षा पहलुओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णयों के आधार पर कोयला कंपनियां निम्नलिखित कार्रवाई कर रही हैं-

* संभावित खतरों का प्रशमन करने के लिए खानों का नियमित सुरक्षा आडिट और जोखिम मूल्यांकन किया जाता है।
* प्रभावी सुरक्षा मानीटरिंग के लिए प्राथमिकता पर सांविधिक रिक्तियों को भरना
* बहु-विषयक आंतरिक सुरक्षा संगठन (आईएसओ) के माध्यम से सुरक्षा मानीटरिंग
* सुरक्षा प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी
* ठेकेदार के कामगारों सहित सुपरवाइजरों और कामगारों के प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण पर बल।
* रॉक मास रेटिंग पर आधारित वैज्ञानिक रूफ सपोर्ट प्रणाली
* ज्वलनशील और जहरीली गैसों का पता लगाने के लिए खान पर्यावरण की नियमित मानीटरिंग
* खान प्रचालनों का मशीनीकरण

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों में दुर्घटना का कोयला खान-वार, वर्ष वार ब्यौरा और उनमें मारे गए व्यक्तियों की संख्याः–

वर्ष-2008

कंपनी	दुर्घटना की तारीख	खान का नाम	मारे गये व्यक्ति
1	2	3	4
बीसीसीएल	14.01.2008	ब्लॉक II	1
बीसीसीएल	07.04.2008	बारारी	1
बीसीसीएल	10.06.2008	बुर्रागढ़	1
बीसीसीएल	27.06.2008	लोयाबाद	1
बीसीसीएल	12.07.2008	वेस्ट मुडीडीह	1
बीसीसीएल	16.07.2008	जमुना ओसीपी	1
बीसीसीएल	25.09.2008	बस्ताकोल्ला	1
बीसीसीएल	03.10.2008	एकेडब्ल्यूएम यूजी	1
बीसीसीएल	05.11.2008	मुनीडीह प्रोजेक्ट	1

1	2	3	4
बीसीसीएल	19.11.2008	लोदना	1
बीसीसीएल	21.11.2008	मुराईडीह ओसी	1
सीसीएल	09.02.2008	जरंगडीह यूजी	1
सीसीएल	24.07.2008	तरमी	1
सीसीएल	25.07.2008	केडीएच ओसी	1
सीसीएल	07.11.2008	जरंगडीह ओसी	1
ईसीएल	23.01.2008	मोहनपुर ओसीपी	1
ईसीएल	17.02.2008	चोरा 7 एंड 9 पीट	1
ईसीएल	21.05.2008	परासकोली (डब्ल्यू)	1
ईसीएल	07.06.2008	जामबाद	1
ईसीएल	17.06.2008	परबेलिया	1
ईसीएल	20.06.2008	खोट्टाडीह	1
ईसीएल	25.06.2008	बंसरा	1
ईसीएल	04.07.2008	सोदीपुर-आर	1
ईसीएल	03.10.2008	मंदमोन	1
ईसीएल	22.12.2008	खोट्टाडीह ओसीपी	1
एमसीएल	28.02.2008	ओरियन्ट माइन न. 4	1
एमसीएल	30.03.2008	लाजकुरा ओसी	1
एमसीएल	18.06.2008	समलेश्वरी ओसीपी	1
एमसीएल	24.08.2008	अनन्ता ओसीपी	1
एमसीएल	16.01.2008	निगाही	1
एमसीएल	01.02.2008	खादिया ओसी	1
एमसीएल	20.06.2008	निगाही प्रोजेक्ट	1
एमसीएल	08.09.2008	दुधीचुआ प्रोजेक्ट	1
एमसीएल	17.12.2008	जयंत प्रोजेक्ट	1
एनईसी	23.04.2008	बारागोलाई	1
एनईसी	04.11.2008	लेडो	1

1	2	3	4
एसईसीएल	25.01.2008	जमुना ओसीएम	1
एसईसीएल	17.02.2008	गेवरा ओसीपी	1
एसईसीएल	26.05.2008	गेवरा ओसीपी	1
एसईसीएल	05.06.2008	पिनौरा	1
एसईसीएल	18.06.2008	बीजूरी	1
एसईसीएल	01.07.2008	चोरचा	1
एसईसीएल	04.08.2008	उमारिया	1
एसईसीएल	12.09.2008	मनीकपुर ओसीएम	1
एसईसीएल	03.11.2008	दीपका	1
एसईसीएल	09.11.2008	एनसीपीएच (न्यू) आर-2	1
एसईसीएल	03.12.2008	जयनगर 5 एंड 6 इन्क	1
एसईसीएल	10.12.2008	पांडवपारा	1
डब्ल्यूसीएल	22.01.2008	दुर्गापुर रैयतवारी	1
डब्ल्यूसीएल	26.02.2008	नंदगांव	1
डब्ल्यूसीएल	18.04.2008	दुर्गापुर	1
डब्ल्यूसीएल	27.04.2008	घोरवासा ओसी	1
डब्ल्यूसीएल	11.05.2008	नेहारिया	1
डब्ल्यूसीएल	19.05.2008	विष्णुपूरी खान न. 2	1
डब्ल्यूसीएल	22.05.2008	पदमापुर ओसी	1
डब्ल्यूसीएल	05.07.2008	तंदसी 3 एंड इंक्लाइन	1
डब्ल्यूसीएल	18.07.2008	पताखेरा खान न. 1	1
डब्ल्यूसीएल	06.10.2008	पदमपुर ओसी	1
डब्ल्यूसीएल	12.11.2008	गौरी ओसी-II	1
		वर्ष 2009	
बीसीसीएल	05.01.2009	लोदना	1
बीसीसीएल	20.01.2009	बागाबंद	1
बीसीसीएल	02.02.2009	सीमलाबहल	1

1	2	3	4
बीसीसीएल	17.03.2009	बस्ताकोला	1
बीसीसीएल	16.04.2009	नार्थ तिसरा-साउथ तिसरा ओसी	1
बीसीसीएल	05.05.2009	ब्लाक II ओसीपी	1
बीसीसीएल	23.05.2009	कुसुंदा ओसी	1
बीसीसीएल	09.07.2009	अकाशकिनारी	1
बीसीसीएल	15.07.2009	घानूडीह ओसीपी	1
बीसीसीएल	24.07.2009	निचितपुर ओसी	1
बीसीसीएल	28.07.2009	सेंदरा बंसजोरा	1
बीसीसीएल	19.09.2009	पीबी प्रोजेक्ट	1
बीसीसीएल	22.10.2009	बासदेवपुर	1
सीसीएल	13.03.2009	जरंगडही ओसी	1
सीसीएल	15.05.2009	जरंगडीह यूजी	1
सीसीएल	17.05.2009	पिपरवार ओसी	1
सीसीएल	24.07.2009	कर्मा ओसी	1
सीसीएल	03.09.2009	सिरका सीएचपी	1
सीसीएल	18.11.2009	झारखंड ओसी	1
ईसीएल	28.02.2009	राजमहल ओसीपी	1
ईसीएल	03.03.2009	भनोरा वेस्ट ब्लाक	1
ईसीएल	02.04.2009	हरिपुर	1
ईसीएल	26.06.2009	कुनूस्टोरीया	1
ईसीएल	10.08.2009	राजमहल ओसीपी	1
ईसीएल	10.08.2009	कुमारडीह "ए"	1
ईसीएल	27.08.2009	सतग्राम	1
ईसीएल	17.09.2009	नार्थ सियरसोली	1
एमसीएल	17.03.2009	हिंगुला ओसी	1
एमसीएल	28.08.2009	जगन्नाथ ओसीपी	1
एमसीएल	22.09.2009	अंनता	1
एमसीएल	25.01.2009	ककरी प्रोजेक्ट	1

1	2	3	4
एमसीएल	26.07.2009	दुधीचुआ प्रोजेक्ट	1
एमसीएल	02.09.2009	बीना प्रोजेक्ट	1
एमसीएल	15.12.2009	बीना प्रोजेक्ट	1
एसईसीएल	03.02.2009	चुरचा	1
एसईसीएल	04.02.2009	बस्तुनगा हिल	1
एसईसीएल	19.02.2009	दीपका ओसी	1
एसईसीएल	18.04.2009	दीपका ओसी	1
एसईसीएल	06.05.2009	नवगांव यूजी	1
एसईसीएल	08.06.2009	दीपका ओसीएम (न.1ए)	1
एसईसीएल	02.09.2009	अमलाई ओसीएम	1
एसईसीएल	29.10.2009	गेवरा ओसीपी	1
एसईसीएल	30.10.2009	कुसमुंडा ओसी	1
एसईसीएल	25.11.2009	चुरचा	1
डब्ल्यूसीएल	09.02.2009	न्यू माजरी खान न. 3	1
डब्ल्यूसीएल	19.03.2009	नंदन 1 खान	1
डब्ल्यूसीएल	03.05.2009	मन्ना एंक्लाइन	1
डब्ल्यूसीएल	30.05.2009	रावानवारा खास (पेंच ईस्ट)	1
डब्ल्यूसीएल	04.06.2009	सास्ती ओसी	1
डब्ल्यूसीएल	12.07.2009	दमुआ	1
डब्ल्यूसीएल	15.07.2009	सारनी	1
डब्ल्यूसीएल	12.11.2009	मथानी	1
डब्ल्यूसीएल	17.12.2009	सोबापुर	1
डब्ल्यूसीएल	23.12.2009	महाकाली	1
डब्ल्यूसीएल	23.12.2009	गौरी ओसी	1

नोट-आंकड़े अनंतिम हैं और डीजीएमएस के पास समाधान के अधीन हैं।

1	2	3	4
		वर्ष 2010	
बीसीसीएल	17.02.2010	मुराई डीह ओसीपी	1
बीसीसीएल	30.03.2010	अलकुसा	1
बीसीसीएल	08.08.2010	नार्थ टिसरा/साउथ टिसरा ओसीपी	1
बीसीसीएल	23.09.2010	मुनी डीह	1
बीसीसीएल	15.12.2010	गोडुडीह	1
बीसीसीएल	21.12.2010	मुनीडीह	1
बीसीसीएल	26.12.2010	केसलपुर-वेस्ट मुडीडीह	1
सीसीएल	27.01.2010	जारगडीह ओसी	1
सीसीएल	28.01.2010	चयनित धोरी खदान 1	1
सीसीएल	05.04.2010	भुरकुण्डा यूजी	1
सीसीएल	20.05.2010	अमलो ओपनकास्ट प्रोजेक्ट	1
सीसीएल	01.04.2010	कारो ओसी	1
सीसीएल	20.09.2010	भुरकुडा ओसी एम	1
सीसीएल	12.01.2010	सरोबेरा (ईस्ट) कोलि	1
सीसीएल	29.11.2010	कर्मा ओसी	1
ईसीएल	02.01.2010	शंकरपुर	1
ईसीएल	13.02.2010	नकरा कोण्डा-बी पैंच ओसी	1
ईसीएल	16.04.2010	जामबाद ओसीपी (प.ब.)	1
ईसीएल	22.04.2010	सौदपुर (आर) कोलि.	1
ईसीएल	05.06.2010	राजमहल ओसीपी	1
ईसीएल	12.06.2010	झाझरा प्रोजेक्ट	1
ईसीएल	03.09.2010	चित्रा ए ओसीपी	1
ईसीएल	12.09.2010	खास कजोरा	1
ईसीएल	02.09.2010	खास कजोरा	1
ईसीएल	14.10.2010	नराका कुण्डा बी ओसीपी	1
ईसीएल	27.10.2010	परासिया कोलि.	1

1	2	3	4
ईसीएल	14.12.2010	राजमहल ओसीपी	1
एमसीएल	04.06.2010	बलराम ओसीपी	1
एमसीएल	09.06.2010	समलेश्वरी ओसीपी	1
एमसीएल	11.01.2010	खादिया ओसीपी	1
एमसीएल	09.02.2010	ब्लाक-बी प्रोजेक्ट	1
एमसीएल	24.01.2010	ककरी प्रोजेक्ट	1
एमसीएल	20.02.2010	निगाही प्रोजेक्ट	1
एमसीएल	14.03.2010	निगाही प्रोजेक्ट	1
एमसीएल	30.04.2010	निगाही	1
एमसीएल	11.07.2010	बीमा प्रोजेक्ट	1
एमसीएल	21.07.2010	धुधीचुआ प्रोजेक्ट	1
एमसीएल	26.08.2010	धुधीचुआ ओसीपी	1
एमसीएल	15.12.2010	अमलोहरी ओसीपी	1
एनईसी	08.09.2010	तिरप कोलि.	1
एसईसीएल	10.02.2010	जमना 1 एवं 2 इंक्ल.	1
एसईसीएल	24.02.2010	बरतराई	1
एसईसीएल	20.03.2010	बलगी 3 एवं 4 एक्ल.	1
एसईसीएल	03.04.2010	बरसिंग पुर 3 एवं 4	1
एसईसीएल	16.04.2010	पवन इक्ल.	1
एसईसीएल	23.04.2010	पलकी मारा माईन	1
एसईसीएल	24.04.2010	धनपुरी ओपनकास्ट	1
एसईसीएल	06.05.2010	अंजन हील यूजी	1
एसईसीएल	19.05.2010	दीपका ओसीएम (सं. 1ए)	1
एसईसीएल	22.06.2010	बरतुंगा हील माईन	1
एसईसीएल	03.07.2010	भाटगांव कोलि.	1
एसईसीएल	01.08.2010	सुराकछार मेन	1
एसईसीएल	12.08.2010	राजनगर आरओ यूजी	1

1	2	3	4
एसईसीएल	12.09.2010	कटकोना 3 एवं 4 इक्ल.	1
एसईसीएल	28.10.2010	सिंगहाली यूजी माईन	1
एसईसीएल	30.10.2010	नवरोजा बाद	1
एसईसीएल	19.11.2010	गेबरा ओसीपी	1
एसईसीएल	11.11.2010	दीपका ओसीएम-1ए	1
एसईसीएल	09.12.2010	एनसीपीएच (ओल्ड)	1
एसईसीएल	26.12.2010	राजनगर आरओयूजी	1
डब्ल्यूसीएल	02.01.2010	उमरेर ओसी	1
डब्ल्यूसीएल	10.03.2010	बरकुई ओसीपी	1
डब्ल्यूसीएल	15.04.2010	छत्तर पुर-1 माईन	1
डब्ल्यूसीएल	23.04.2010	दमुआ कोलि.	1
डब्ल्यूसीएल	07.06.2010	पीके 2 माईन	2
डब्ल्यूसीएल	31.05.2010	घुनुस माईन	1
डब्ल्यूसीएल	20.07.2010	उमरेर ओसी	1
डब्ल्यूसीएल	27.09.2010	सिलेवारा यूजी	2
डब्ल्यूसीएल	28.09.2010	उमरेर ओसी	1
डब्ल्यूसीएल	16.10.2010	गौडे गांव ओसीपी	1
डब्ल्यूसीएल	30.10.2010	छत्तरपुर 2 माईन	2

नोट-2009-10 के आंकड़े अंनतिम हैं और डीजीएमएस के पास समाधान के अधीन हैं।

विवरण II

पिछले वर्षों के दौरान सीआईएल में गंभीर दुर्घटनाओं एवं गंभीर चोटों का कंपनी-वार ब्यौरा

कंपनी	गंभीर दुर्घटनाएं			गंभीर चोटें		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
ईसीएल	133	74	88	134	75	88
बीसीसीएल	69	50	60	69	50	61

1	2	3	4	5	6	7
सीसीएल	11	12	11	11	12	11
एनसीएल	22	11	11	23	11	11
डब्ल्यूसीएल	44	48	42	45	46	46
एसईसीएल	72	47	44	74	50	57
एमसीएल	4	8	6	4	8	6
एमसीएल	1	0	0	3	0	0
सीआईएल	356	248	262	693	252	280

नोट- 2009-10 के आंकड़े अंनतिम है और डीजीएमएस के पास समाधान के अधीन है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर सुरक्षा संबंधी चूक

***200. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन महीनों के दौरान प्रत्येक विमानपत्तन से सुरक्षा में चूक की कितनी घटनाओं का पता लगा है;

(ख) ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले दोषी सुरक्षा कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ विमानपत्तनों पर प्रयोग के तौर पर गैर-अन्तर्भेदी बॉडी स्कैनर स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी स्थापना लागत कितनी है तथा इस उपकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार विमानपत्तनों पर मौजूदा सुरक्षा प्रणाली का नवीकरण करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा विभिन्न हवाईअड्डों पर सुरक्षा संबंधी चूकों के पांच मामलों की रिपोर्ट दी गई है।

(ख) दो मामलों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक और एक अन्य मामले में एक चालक को उल्लंघनों के लिए निलंबित किया गया है और शेष दो मामलों में संबंधित हवाईअड्डा निदेशक को दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने नॉन-इन्ट्रूसिव बॉडी स्कैनर नहीं लगाए हैं। तथापि, सुरखा दृष्टिकोण से सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बॉडी स्कैनरों का मूल्यांकन किया जा रहा है। प्रभावोत्पादकता, निजता और स्वास्थ्य की दृष्टि से बॉडी स्कैनरों के मूल्यांकन के लिए इस मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन भी किया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। हवाईअड्डों पर वर्तमान सुरक्षा ढांचे का स्तरोन्नयन करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) वाहनों/व्यक्तियों/वस्तुओं की औचक चेकिंग के लिए हवाईअड्डों के पहुंच मार्गो पर विमानन सुरक्षा समूह/विमानन सुरक्षा इकाई द्वारा कैरियर लगाया जाना; (ii) सभी लावारिस वस्तुओं की रिपोर्ट किया जाना; (iii) हवाईअड्डों के लैंड साइड और एयर साइड क्षेत्रों पर संवर्धित सर्विलैंस/निगरानी; (iv) प्रचालनिक अवधि के दौरान पैरीमीटर पेट्रोलिंग और फनेल एरिया की निगहबानी; (v) सभी प्रवेश नियंत्रण स्थलों का पुनः सुदृढ़ीकरण; (vi) हवाईअड्डों पर क्विक रिएक्शन टीम/स्ट्राइकिंग रिजर्व का सुदृढ़ीकरण (vii) हवाईअड्डों पर क्विक रिएक्शन टीम/स्ट्राइकिंग रिजर्व का सुदृढ़ीकरण; (viii) हवाईअड्डों के लैडर प्वाइंट पर सेकेंडरी सुरक्षा जांच किया जाना; (viii) होल्ड बैगेज और हैंड बैगेज दोनों की व्यापक और पूर्ण स्क्रीनिंग किया जाना; तथा (ix) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

के सुदृढ़ीकरण और पुनर्संरचना के लिए एक अध्ययन आरंभ किया जाना।

अल्पसंख्यकों के लिए वीजा नियमों को कठोर करना

2071. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

(क) क्या कुछ देशों ने अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के लिए वीजा नियमों को कठोर बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी नहीं, किसी विदेशी सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए वीजा नियमों को कड़ा किए जाने संबंधी कोई प्रकरण हमारी जानकारी में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

इंदिरा-मुज़ीब समझौता

2072. श्री महेन्द्र कुमार राय: क्या विदेश मंत्री 23.08.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3947 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा-मुज़ीब समझौते के अंतर्गत विपरीत स्वामित्व वाले दक्षिण बेरूबड़ी क्षेत्र के तैयार स्ट्रिप-नक्शों को अंतिम रूप देकर उनका परस्पर आदान-प्रदान कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ढाका में हुई गृह सचिव स्तर की शिखर-वार्ता में हुई बातचीत और फैसले में आदान-प्रदान का मुद्दा शामिल था और/या आदान-प्रदान के साथ ही विपरीत स्वामित्व की निरस्तीकरण या भारत अथवा बांग्लादेश के एंक्लेवों का निरस्तीकरण शामिल था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनका क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ङ) दक्षिण बेरूबाड़ी क्षेत्र के स्ट्रिप-नक्शों का संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया है। चूंकि, भारत और बांग्लादेश के बीच विपरीत स्वामित्व के मुद्दे का दोनों देशों के बीच समाधान किया जाना है, अत: इनका अभी आदान-प्रदान नहीं हुआ है। दोनों पक्ष भारत और बांग्लादेश द्वारा धारित विपरीत स्वामित्व वाले क्षेत्रों का संयुक्त सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया में है। ढाका में 17-20 जनवरी, 2011 तक आयोजित गृह सचिव स्तरीय वार्ताओं में दोनों पक्षों ने अन्य बातों के साथ-साथ, दोनों पक्षों के बीच विपरीत स्वामित्व और इन्क्लेवों के आदान-प्रदान के मुद्दों पर चर्चा की और इन मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करने का आग्रह किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अभियोजन का अपर्याप्त प्रावधान

2073. श्री जयंत चौधरी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सूचना का अधिकार अधिनियम के वर्तमान प्रावधान उन अधिकारियों पर अभियोजन हेतु अपर्याप्त हैं जो दोषी पाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे मामलों से निपटने के लिए उपयुक्त विधान लाने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में सूचना आदि की गैर-आपूर्ति के मामलों में लोक प्राधिकारी तथा/अथवा लोक सूचना अधिकारी को दण्डित करने के लिए कई प्रावधान हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है

(क) धारा 19(8) (ख) के अंतर्गत, सूचना आयोग लोक प्राधिकारी से सूचना की गैर-आपूर्ति अथवा गलत सूचना की आपूर्ति के परिणामस्वरूप, शिकायतकर्ता को हुई किसी प्रकार की हानि अथवा नुकसान की क्षतिपूर्ति करना अपेक्षित कर सकता है।

(ख) धारा 20(1) के अंतर्गत, सूचना आयोग, किसी शिकायत अथवा अपील पर निर्णय करते समय, ऐसे मामलों में जिनमें लोक सूचना अधिकारी द्वारा (i) बिना किसी समुचित कारण के आवेदन प्राप्त करने से इंकार करने (ii) निर्धारित समयावधि में सूचना प्रस्तुत नहीं करने (iii) सूचना के अनुरोध को बदनीयती के कारण इंकार करने (iv) जानबूझकर, गलत, अधूरी अथवा भ्रमित सूचना

देने (v) अनुरोध के विषय से संबंधित सूचना नष्ट करने अथवा (vi) सूचना प्रदान करने में किसी प्रकार की रुकावट डालने के लिए आवेदन प्राप्ति से सूचना प्रस्तुत करने तक कुल 25000/-रु. की शास्ति से अधिक नहीं होने की शर्त पर 250/-रु. प्रतिदिन की शास्ति लगा सकता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, धारा 20(2) के अंतर्गत, सूचना आयोग ऐसी चूक के लिए लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है।

(ग) से (ङ) सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधनों के सुनिश्चियन हेतु उपर्युक्त प्रावधनों को पर्याप्त समझा जाता है। अत: इसके लिए अन्य कोई विधान लाना अपेक्षित नहीं है।

"सार्क" देशों की महिला उद्यमी

2074. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सार्क" देशों की महिला उद्यमियों ने महिलाओं द्वारा संचालित नवाचारी उद्यमों हेतु आधार संरचना सुधार की संभावनाओं का पता लगाने और करावकाश उपलब्ध कराने का आहान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) मंत्रालय को इस बात की जानकारी नहीं है कि इसे अथवा सार्क सचिवालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

(ख) और (ग) लागू नहीं।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना के तहत अजा/अजजा/अपिव कर्मचारी

2075. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत रसोइये के रूप में काम करने वाले अजा/अजजा और अपिव के कर्मचारियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) क्या उक्त योजना के तहत रसोइयों की भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो आरक्षित श्रेणियों के रसोइयों की संख्या कम रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मध्याह्न भोजन के दिशा-निर्देशों के अनुसार रसोइया-सह-हैल्पर अंशकालिक होते हैं जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मानदेय के आधार पर नियोजित किया जाता है; और उनके नियोजन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों के व्यक्तियों को तरजीह दी जाती है।

(ग) इस समय 20 प्रतिशत रसोइया-सह-सहायक अनुसूचित जाति के हैं; 14 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के हैं और 34 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत रसोइयों/हेल्परों का श्रेणीवार ब्यौरा: 2009-10

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	30461	18662	66078

1	2	3	4	5
3.	अरूणाचल प्रदेश	2010	18094	0
4.	असम	11411	22655	24987
5.	बिहार	35800	2000	37050
6.	चंडीगढ़	158	0	263
7.	छत्तीसगढ़	7945	17556	15548
8.	दादरा और नगर हवेली	1	457	0
9.	दमन और दीव	14	35	177
10.	दिल्ली	3935	0	6559
11.	गोवा	683	163	1138
12.	गुजरात	8163	22983	40482
13.	हरियाणा	4423	0	3198
14.	हिमाचल प्रदेश	4178	0	2089
15.	जम्मू और कश्मीर	2280	3167	2191
16.	झारखंड	12980	31948	23575
17.	कर्नाटक	34133	0	30192
18.	केरल	1986	248	6205
19.	लक्षद्वीप	0	50	0
20.	मध्य प्रदेश	80532	78568	104056
21.	महाराष्ट्र	52058	23663	82819
22.	मणिपुर	125	1557	530
23.	मेघालय	147	7541	0
24.	मिजोरम	0	2790	0
25.	नागालैंड	0	1903	0
26.	उड़ीसा	9732	20650	0
27.	पुडुचेरी	65	0	227
28.	पंजाब	10872	19	3376
29.	राजस्थान	7804	13914	38467

1	2	3	4	5
30.	सिक्किम	132	1135	189
31.	तमिलनाडु	23311	809	78649
32.	त्रिपुरा	800	1500	500
33.	उत्तराखंड	1380	732	2208
34.	उत्तर प्रदेश	39593	2240	77125
35.	पश्चिम बंगाल	37710	954	59567
	कुल	424821	295993	707445

[अनुवाद]

अप्रतिदेय रकम वाले हवाई-टिकटों को निरस्त किया जाना

2076. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों की घरेलू विमानन कंपनियां, अप्रतिदेय रकम वाले हवाई-टिकट के निरस्तीकरण की दशा में, यात्रियों को मूल किराए को छोड़कर पूरा लागत वापस लौटाने पर राजी हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रावधान के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों के पास उड़ानों के रद्द होने के मामले में विमान किराए को वापिस करने की नीति है, जिसे उनके संबंधित वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया गया है।

[हिन्दी]

पड़ोसी देशों को सहायता

2077. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत द्वारा वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को प्रदत्त वार्षिक सहायता में अनुदान तथा ऋण का अंश कितना-कितना था; और

(ख) उक्त देशों को वर्ष 2011-12 के दौरान प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए पाकिस्तान को दी गयी सहायता अनुदान और वित्तीय सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं–

वित्तीय वर्ष	पाकिस्तान	बांग्लादेश	अफगानिस्तान
2010-2011	25 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 114.7 करोड़ रुपए)	1.65 करोड़ रुपए	323.5 करोड़ रुपए*
2009-2010	शून्य	1.37 करोड़ रुपए	208.49 करोड़ रुपए
2008-2009	लगभग 1.01 करोड़ रुपए	75 लाख रुपए	410.41 करोड़ रुपए

*फरवरी, 2011 तक

बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना की जनवरी, 2010 में भारत यात्रा के दौरान भारत ने 1.75% प्रतिवर्ष की नियत दर पर बांग्लादेश को 1 बिलियन अमरीकी डालर की ऋण शृंखला देने पर सहमति व्यक्त की थी।

[अनुवाद]

देवचा-पचमी में कोयला खनन

2078. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री प्रशांत कुमार मजूमदार:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के देवचा-पचमी कोयला रक्षित-क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या देवचा-पचमी में कोयला-खनन के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनडीएमसी) और पश्चिम बंगाल सरकार उपक्रम के बीच कोई संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) खनन कार्य को संयुक्त उद्यम को सौंपने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ङ) इस रक्षित-क्षेत्र में कोयला खनन हेतु आवश्यक तकनीकी विशेषताओं के साथ संयुक्त उद्यम के साझेदारों के कोयला खनन संबंधी अनुभव का ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त विशेषज्ञता व अनुभव कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की विशेषज्ञता व अनुभव से किस प्रकार तुलनीय है; और

(छ) सीआईएल को इस उद्यम से बाहर रखने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) देवचा-पचमी कोयला ब्लॉक (क्षेत्र लगभग 10 वर्ग कि.मी.) बीरभूम कोलफील्ड, पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है और इसका भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा क्षेत्रीय तौर पर अन्वेषण किया गया है। इस ब्लॉक में 4 कोयला सीम जोनो की पहचान की गई है। तथापि, कोयला सीमें ट्रेप निर्माण की मोटी परत से दबी हुई हैं। देवचा-पचमी और ग्रेड-सी से जी तक और 850 मीटर गहराई तक समीपवर्ती पूर्वी क्षेत्र में 2025 मि.ट. के एक निर्दिष्ट श्रेणी वाले कोयला संसाधनों की सूचना मिली है।

(ख) और (ग) कोयला मंत्रालय को देवचा-पचमी में कोयला खनन करने के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) और पश्चिम बंगाल सरकार के एक उपक्रम के बीच संयुक्त उद्यम के निर्माण की जानकारी नहीं है। तथापि, कोल इंडिया लि., राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और पश्चिम बंगाल विकास एवं ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लि. द्वारा गठित की जाने वाली स्पेशल परपज व्हीकल को देवचा-पचमी कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) देवचा-पचमी ब्लॉक में ट्रेप के नीचे गहराई में दबे कोयला भंडारों के विस्तृत अन्वेषण के लिए अपेक्षित सामान्य कोयला अन्वेषण तकनीकों को लागू किया जाएगा। इसमें उच्च क्षमता ड्रिलों वाली विभिन्न किस्म की बिटों का उपयोग शामिल है। सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एवं डिजायन इंस्टीटयूट लि. द्वारा ट्रेप के नीचे/गहराई वाले ब्लॉकों में इसी प्रकार की ड्रिलिंग की जाती है।

(छ) उपर्युक्त भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एएआई द्वारा निजी विमान सेवाओं से प्रयोक्ता-शुल्क

2079. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा निजी विमान सेवाओं को सेवा प्रदान करने के एवज में वसूले जाने वाले प्रयोक्ता-शुल्क की कुल कितनी रकम बकाया है;

(ख) प्रयोक्ता-शुल्क किन-किन क्षेत्रों में सेवा देने के प्रभारित किया जा रहा है;

(ग) क्या निजी विमान सेवाओं द्वारा विमान किराया बढ़ा देने के अनुपात में उक्त शुल्क को भी पुनरीक्षित किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) दिनांक 31.01.2011 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सेवाओं के लिए निजी एयरलाइनों की ओर से कुल देनदारियों की राशि 402.13 करोड़ रुपए है।

(ख) ये प्रभार मार्ग दिक्चालन सेवा प्रभारों (आरएनएफसी),, टर्मिनल दिक्चालन अवतरण प्रभारों (टीएनएलसी), अवतरण, हाउसिंग तथा पार्किंग, यात्री सेवा शुल्क तथा भाडे, आदि से संबंधित है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। ये प्रभार एयरलाइनों द्वारा वसूल किए जाने वाले किराए से स्वतंत्र नियत किए जाते हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में तकनीकी शिक्षा संस्थान

2080. श्री मनसुखभाई डी. वसावाः
श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़ियाः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा गुजरात राज्य में तकनीकी शिक्षा संस्थान स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) गुजरात में उक्त संस्थान किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं;

(ग) गुजरात के सुदूरस्थ तथा पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे संस्थान स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा सहायता न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देवरी): (क) से (घ) सरकार द्वारा गुजरात राज्य में गांधी नगर में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अहमदाबाद में एक भारतीय प्रबंध संस्थान और सूरत में एक सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्राद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। सरकार ने गुजरात की राज्य सरकार को सभी पांच असेवित और अल्पसेवित जिलों में नए पॉलिटेक्नीकों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता भी जारी की है।

प्रवासी भारतीयों को सुविधाएं

2081. श्री धनंजय सिंहः क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों को विशेषकर वीजा और दोहरी नागरिकता के मामले में क्या-क्या सुविधाएं प्रदान करने का विचार है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों में प्रवासी भारतीयों के मारे जाने/पर हमले कि कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(ग) विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) भारत सरकार भारतीय मूल के व्यक्तियों को, प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) और भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड जारी कर रही है। ओसीआई और पीजीईओ कार्डों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II पर दिया गया है। प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं की जाती है।

(ख) व (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण I

प्रवासी भारतीय नागरिक योजना के ब्यौरे और मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

* योजना में भारतीय मूल के सभी लोगों, जो 26 जनवरी, 1950 को अथवा उसके बाद भारत के नागरिक थे अथवा जो 26 जनवरी, 1950 को भारत के नागरिक बनने के पात्र थे और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देशों के नागरिक थे, के पंजीकरण की व्यवस्था है।
* योजना को अगस्त, 2005 में, नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करके लागू किया गया था और इसे जनवरी, 2006 से संचालित किया गया था।
* पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिकों को ओसीआई पंजीकरण प्रमाण-पत्र और भारत भ्रमण के लिए आजीवन बहु-आयामी प्रवेश, बहु-प्रयोजन वीजा जारी किया जाता है।
* पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिकों को भारत में कितने भी समय तक ठहरने के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण कराने से छूट दी जाती है।
* पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिकों को, कृषि अथवा बागान संपत्तियों की खरीद से संबंधित मामलों को

छोड़कर, आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों को मिलने वाली सभी उपलब्ध सुविधाएं समान रूप से दी जाती हैं। तथापि विशिष्ट लाभों को नागरिकता अधिनियम की धारा 7 ख (1) के अन्तर्गत अधिसूचित किया जाना है।

विवरण II

पी.आई.ओ. कार्ड का ब्यौरा

* भारतीय मूल का वह पीआईओ कार्ड प्राप्त करने का पात्र है–

(i) जो किसी भी समय भारतीय नागरिक रहा हो

(ii) वह या उसके माता-पिता या दादा या दादी या दादा-दादी के माता-पिता का जन्म भारत में हुआ था या स्थाई रूप से वे भारतीय निवासी रहे हों, बशर्ते कि उनमें से कोई भी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका का नागरिक नहीं था।

(iii) वह किसी ऐसे राज्य-क्षेत्र से सम्बन्धित था, जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग बन गया।

* पीओई कार्ड, भारतीय मूल के लोगों और पीआईओ कार्ड धारकों के विदेशी पतियों/पत्नियों को जारी किया जाता है।

* एन पीआईओ कार्ड धारक 15 वर्षीय वैध वीजा का हकदार होता है।

* एक पीआईओ कार्ड धारक को किसी एकल यात्रा पर भारत में 180 दिनों से अधिक तक ठहरने के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकरण के पास पंजीकरण कराना अपेक्षित है।

* पंजीकृत भारतीय मूल के लोगों को, कृषि अथवा बागान सम्पत्तियों की खरीद से सम्बन्धित मामलों को छोड़कर, आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों को मिलने वाली सभी सुविधाएं समान रूप से दी जाती है।

डाक विभाग का कार्यकरण

2082. **श्री ओम प्रकाश यादवः** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी के युग में डाक विभाग की कार्यनिति अप्रासंगिक सी हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा डाक विभाग को प्रतिस्पर्धी और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) देश में विभागीय तथा विभागेतर डाककर्मियों की संख्या सर्किल-वार कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में विभागीय एवं अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों (ग्रामीण डाक सेवक) की राज्यवार संख्या विवरण-I और II में दी गई है।

विवरण I

30.11.2010 की स्थिति के अनुसार डाक विभाग में विभागीय कर्मचारियों (श्रेणीवार एवं सर्किलवार) की संख्या को दर्शाता विवरण

क्र.सं.	सर्किल का नाम	श्रेणी-"ख" (डाक अधीक्षक सेवा समूह ख को छोड़कर)	श्रेणी-"ग"
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	369	12618
2.	असम	99	4474
3.	बिहार	495	8045
4.	छत्तीसगढ़	71	2084
5.	दिल्ली	281	7824
6.	गुजरात	239	14087
7.	हरियाणा	61	3646
8.	हिमाचल प्रदेश	127	2133
9.	जम्मू और कश्मीर	44	1683
10.	झारखंड	63	3385
11.	कर्नाटक	216	11915

1	2	3	4
12.	केरल	173	9892
13.	मध्य प्रदेश	173	6917
14.	महाराष्ट्र	489	25932
15.	पूर्वोत्तर	37	1756
16.	उड़ीसा	185	4679
17.	पंजाब	106	5389
18.	राजस्थान	261	7435
19.	तमिलनाडु	611	18027
20.	उत्तर प्रदेश	346	18712
21.	उत्तराखंड	71	2321
22.	पश्चिम बंगाल	313	11327

अखिल भारतीय संवर्ग

क्र.सं.	श्रेणी	संख्या
1.	डाक अधीक्षक सेवा समूह 'ख'	808
2.	भारतीय डाक सेवा समूह 'ग'	475

विवरण II

31.03.2009 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण डाक सेवकों की वास्तविक संख्या

सर्किल	कुल
1	2
आंध्र प्रदेश	26503
असम	8576
बिहार	14772
छत्तीसगढ़	5386
दिल्ली	304
गुजरात	15175
हरियाणा	4219
हिमाचल प्रदेश	6304
जम्मू और कश्मीर	2571
झारखंड	6044
कर्नाटक	14194
केरल	12095
मध्य प्रदेश	13926
महाराष्ट्र	19887
पूर्वोत्तर	7009
उड़ीसा	15922
पंजाब	6091
राजस्थान	14335
तमिलनाडु	23272
उत्तर प्रदेश	31763
उत्तराखंड	6150
पश्चिम बंगाल	18838
कुल	27336

[अनुवाद]

'इनसैट' शृंखला का उपग्रह कार्यक्रम

2083. डॉ. संजय जायसवाल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'इनसैट'शृंखला के उपग्रह कार्यक्रम के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या 'इनसैट'शृंखला के कई उपग्रहों ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया है और देश ने संचार नेटवर्क में बहुत सुधार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रक्षेपित उपग्रहों के संतोषप्रद कार्य-निष्पादन से प्राप्त प्रायोगिक ज्ञान के आधार पर नई सेवाएं लेने के संदर्भ में 'इनसैट' या अन्य किसी शृंखला के अगले उपग्रहों का विस्तार और अधिक अनुमानयोग्य हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो 'जी-सैट-6' तथा 'जी-सैट-6ए' उपग्रहों के प्रक्षेपण के द्वारा द्वारा क्या-क्या सेवाएं निष्पादित करने का अनुमान है और इसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कितना बजट स्वीकृत किया गया है; और

(च) 'जी-सैट-6' तथा 'जी-सैट-6ए' उपग्रहों की मूलरूप से स्वीकृत सेवाओं के दायरे में बाद में जिन विशिष्ट परिवर्तनों की स्वीकृति प्रदान की गई उनका ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) उपग्रह संचार, उपयोग तथा प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता इन्सैट प्रणाली का लक्ष्य है।

(ख) और (ग) जी हां। 80 के दशक के शुरूआत में अब तक कुल 19 उपग्रह निर्मित किये गये हैं, जिनमें से 9 उपग्रह निर्मित किये गये हैं, जिनमें से 9 उपग्रह आज प्रचालन में हैं जैसे, इन्सैट, इन्सैट-2 ई, इन्सैट-3ए, 3सी, 3ई, इन्सैट-4ए, 4बी, 4सीआर, जीसैट-2 तथा कल्पना-1। ये उपग्रह दूरसंचार, टी.वी. तथा रेडियो प्रसारण एवं मौसम विज्ञानीय सेवाओं की राष्ट्रीय आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त, सामारिक तथा सामाजिक उपयोग भी इन्सैट प्रणाली द्वारा प्रदत्त सेवाओं के अंश है।

(घ) जी हां। नई आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से एस, सी विस्तारित सी, के.यू. तथा के.ए. आवृत्ति बैण्डों में प्रचालित प्रेशानुकारों के साथ इसरो अब नए उपग्रहों का निर्माण कर रहा है।

(ङ) सक्षम अधिकारी द्वारा परियोजना तथा बजट अनुमोदन के समय जीसैट-6 तथा जीसैट-6ए उपग्रहों द्वारा निष्पादित सेवाओं का कार्यक्षेत्र, "देश में उपग्रह आधारित अंकीय मल्टीमीडिया प्रसारण सेवाओं की शुरूआत, सामरिक तथा सामाजिक क्षेत्र के लिए मोबाइल उपग्रह उपयोगों का प्रदर्शन और विशाल खुले एन्टेना के उपयोगवाली उपग्रह प्राद्योगिकी की सीमाओं को बढ़ाना" है।

(च) कोई परिवर्तन नहीं दिये गये हैं।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार

2084. डॉ. किरोड़ी लाल मीणाः
श्री महेश्वर हजारीः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी (नॉसकाम) ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नौकरी के अवसरों के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में तथा बाहर, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नौकरी के अवसर काफी घटे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में अजा/अजजा वर्गों को शामिल करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के ऐसे कितने शिक्षित पेशेवर हैं जो बेरोजगार हैं; और

(च) उक्त देश में नौकरी के और अधिक अवसर सृजित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर तथा सेवा कम्पनी संघ (नॅसकॉम) ने आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में नौकरी के अवसरों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए कोई अध्ययन नहीं किया है। किन्तु, नैसकॉम ने "परिप्रेक्ष्य 2020: व्यवसाय का रूप बदलों, भारत का स्वरूप बदलों" शीर्षक से एक अध्ययन प्रकाशित किया हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि भारतीय आईटी/आईटीईएस उद्योग वर्ष 2020 तक बढ़कर 225 बिलियन अमरीकी डॉलर का हो सकता है।

(ग) और (घ) देश में आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में नौकरी के अवसरों में कोई कमी रिपोर्ट नहीं की गई है। देश के बाहर आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में नौकरी के अवसरों का पता नहीं लगाया जाता है। देश में आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार वर्ष 2006-07 में 1.62 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2009-10 में 2.30 मिलियन हो गया है तथा यह वर्ष 2010-11 में अनुमानतः 2.54 मिलियन हो जाएगा। इस प्रकार उद्योग एक बड़ा नियोक्ता है। भारत

में आईटी/आईटीईएस उद्योग द्वारा निकट भविष्य में निर्यात तथा देशीय बाजार में वृद्धि का रुझान जार रहने की संभावना है।

(ङ) ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(च) देश में कई आईटी/आईटीईएस एसईजेड शुरू हो रहे हैं। वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भी स्तर। तथा स्तर 111 शहरों में एसईजेड स्थापित करने के लिए इससे संबंधित दिशा-निर्देशों में संशोधन करके उन्हें उदार बनाया है।

[अनुवाद]

भारतीय मदरसों में विदेशी छात्र

2085. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने विदेशी मुस्लिम छात्र भारतीय मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आए;

(ख) क्या विदेश स्थित भारतीय दूतावासों ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए कई ऐसे छात्रों को वीजा प्रदान करने से इंकार कर दिया हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या उक्त दूतावासों द्वारा भारत के अन्य विश्वविद्यालयों और कालेजों में अध्ययन करने के इच्छुक विदेशी छात्रों को वीजा जारी किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का उन छात्रों को, जो भारतीय मदरसों में अध्यन करना चाहते हैं, वीजा प्रदान करने हेतु दूतावासों को निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेशी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में पूर्णकालिक अध्ययन हेतु भारत में आने वाले सभी पात्र विदेशी छात्रों को छात्र वीजा प्रदान किये जाते हैं। संस्थानवार अथवा धर्मवार मंजूर किए गए अथवा नामंजूर किए गए वीजा संबंधी कोई आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) जी, हां।

(ङ) जारी किए गये छात्र वीजा के संस्थावार और कॉलेज-वार ब्यौरे संकलित किये जाते हैं।

(च) और (छ) धर्म-विज्ञान अध्ययन में रूचि रखने वाले विदेशी छात्रों को वीजा जारी करने संबंधी दिशानिर्देश पहले से विद्यमान हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार विदेश स्थित भारतीय मिशन और केन्द्र गृह मंत्रालय के अनुमोदन से उन छात्रों को वीजा प्रदान कर सकते हैं, जो भारत के मदरसों में अध्ययन करना चाहते हैं।

नये आईआईटी की स्थापना में विलंब

2086. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **मानव संसाधान विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के लिए भूमि उपलब्ध नहीं कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रस्तावित आईआईटी को भूमि उपलब्ध न कराने वाले राज्यों से हटाकर ऐसे राज्यों में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है जो इस हेतु तुरंत भूमि देने की मंशा रखते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख)इंदौर तथा मंडी स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए चिन्हित भूमि संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा केवल आंशिक रूप से दी गई है जबकि आईआईटी, गांधी नगर के लिए भूमि गुजरात सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बीएसएनएल की असंतोषजनक सेवा

2087. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री प्रेमचंद गुड्डू:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में बीएसएनएल की सेवाएं आवश्यक उपकरणों की कमी की वजह से प्रभावित हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) अधिष्ठापित मोबाइल टॉवरों तथा इंदौर व उज्जैन सर्किलों सहित पूरे मध्य प्रदेश में उनके कवरेज का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में बेहतर मोबाइल कवरेज हेतु और अधिक मोबाइल टॉवर अधिष्ठापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बीएसएनएल अपने तकनीकी-वाणिज्यिक निर्णयों के आधार पर अपनी मोबाइल सेवाएं आरंभ करता है। बीएसएनएल उत्तरोत्तर रूप से अपने नेटवर्क का संवर्द्धन कर रहा है ताकि कवरेज, क्षमता और सेवा की गुणवत्ता को बढ़ावा जा सके। इंदौर और उज्जैन के साथ-साथ मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल में संस्थापित किए गए ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन्स (जीएसएम) आधारित बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की स्थिति निम्नलिखित है:-

ईकाई का नाम	दिनांक 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार जीएसएम आधारित बीटीएस की संख्या	वर्ष 2010-11 के दौरान संस्थापित किए जाने वाले अतिरिक्त जीएसएस आधारित बीटीएस की संख्या	दिनांक 1.4.2010 से दिनांक 28.2.2011 तक संस्थापित किए गए जीएसएम आधारित बीटीएस की संख्या
मध्य प्रदेश	2846	1553	1035
इंदौर	152	53	50
उज्जैन	109	13	11

परमाण्वीय अवशिष्ट का निपटान

2088. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परमाण्वीय अवशिष्ट के निपटान हेतु कोई प्रभावी योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां, सरकार ने नाभिकीय अपशिष्टों के निर्माण के लिए एक कारगर योजना बनाई है।

(ख) नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम के विभिन्न कार्यकलापों के दौरान नाभिकीय अपशिष्ट गैसीय, द्रव्य और ठोस रूप में उत्पन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार के नाभिकीय अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए निम्नानुसार योजना बनाई गई है:

1. गैसीय अपशिष्टों का उपचार उनके उत्पन्न होने के स्रोत पर ही किया जाता है। इसके लिए सक्रियत चारकोल पर अधिशोषण और उच्च क्षमता वाले विविक्त एयर फिल्टर द्वारा निस्यंदन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। उपचारित गैसों को तब निर्वात वायु के साथ तनुकृत किया जाता है और उन्हें ऊंचे स्तम्भ (स्टेक) के माध्यम से मानीटर करके विसर्जित किया जाता है।

2. द्रव्य अपशिष्ट धाराओं को विभिन्न तकनीकों जैसे कि निस्यंदन, अधिशोषण, रासायनिक उपचार, तापीय और सौर वाष्पन, आयन विनिमय, प्रतिलोम परासरण आदि द्वारा उपचारित किया जाता है।

3. ठोस अपशिष्टों को पहले पृथक किया जाता है और उसके बाद भस्मीकरण और संहनन जैसी तकनीकों को इस्तेमाल में लाकर उनकी मात्रा को कम किया जाता है।

4. गैसीय, द्रव्य और ठोस अपशिष्टों के उपचार से जमा हुए सांद्रण को सीमेंट, पोलिमर और कांच जैसे अक्रिय (इनर्ट) पदार्थों में अचलीकृत किया जाता है।

5. निम्न सक्रियता वाले ठोस अपशिष्टों का निपटान सतह के समीप बनाई गई सुविधाओं जैसेकि प्रबलित कंक्रीट खाइयों, टाइल के होलों और वाल्ट में किया जाता है। जिन ठोस अपशिष्टों में रेडियो सक्रियता की मात्रा अधिक होती है उन्हें योजनाबद्ध ढंग से शैल समूह में निपटान करने से पूर्व 30 से लेकर 50 वर्ष तक के लिए वायु शीतित सुविधा में भंडारित किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेडियो सक्रियता नियंत्रित क्षेत्र के भीतर ही सीमित रहे, निपटान सुविधा को एक नियमित निगरानी कार्यक्रम के माध्यम से मानीटर किया जाता है।

कोयले का मूल्य

2089. **श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा उसकी सहायक कंपनियों द्वारा खनिज कोयले के मूल्य को नियंत्रणयुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किस प्रकार हो सकेगा; और

(ग) वर्धित मूल्य से राज्य सरकारों को कहां तक लाभ पहुंचेगा?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, हां। कोयला का मूल्य 01.01.2000 से पूर्व रूप से नियंत्रण से युक्त है। चूंकि कोयले का मूल्य नियंत्रण से युक्त है, कोयला कंपनियां कोयले की मांग, कोयले का उत्पादन करने के लिए इनपुट्स की लागत में वृद्धि और आयात किए गए कोयले का अवतरित मूल्य में परिवर्तन जैसे बाजार शक्तियों के आधार पर समय-समय पर कोयले का मूल्य स्वयं निर्धारित कर रही हैं।

(ग) कोयलाधारी राज्य सरकारें बढ़े हुए मूल्य से लाभ उठा रही हैं क्योंकि कोयले के मूल्य से रॉयल्टी में वृद्धि होती है। कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी 2000-01 में 1897.78 करोड़ रु. से बढ़कर 2009-10 में 4599.24 करोड़ रु. हो गया है।

मध्याह्न भोजन योजना

2090. **श्री जगदीश ठाकोर:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी केंद्रीय दल ने हाल ही में गुजरात के विभिन्न जिलों में मध्याह्न-भोजन योजना की समीक्षा का निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो केंद्रीय दल के क्या निष्कर्ष रहे;

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(घ) राज्य में उक्त योजना का कार्यकरण सुधारने के लिए किए गए अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) समीक्षा मिशन ने स्कूल में उपस्थित होने वाले और मध्याह्न भोजन योजना का लाभ उठाने वाले बच्चों की वास्तविक संख्या के अंतर को कम करने; रिक्त पदों को भरने; राज्य, जिला और तालुका स्तरों पर अलग मध्याह्न भोजन सैल सृजित करने की सिफारिश की है। मिशन ने स्कूलों के निरीक्षण के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित करने, योजना की मानीटरिंग में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने; योजना के प्रबंधन, मानीटरिंग और मूल्यांकन करने के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग करने तथा शिकायत समाधान निवारण तंत्र स्थापित करने की भी सिफारिश की है। इसने स्कूल स्तर पर खाद्यान्न (चावल) देने, केन्द्रीकृत रसोईघरों को पूरी यूनिट लागत का भुगतान करने और भोजन के मापदंडों के अनुसार सब्जियां परोसने की भी सिफारिश की है।

(ग) सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर के अधिकारियों को समुचित निदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने भी मुख्य सचिव के पर्यवेक्षण में मध्याह्न भोजन के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करने के लिए राज्य स्तर की मानीटरिंग समिति का गठन किया है।

(घ) समीक्षा मिशनों के अलावा, राज्य में योजना के कार्यान्वयन की मानीटरिंग तिमाही प्रगति रिपोर्टों; राष्ट्र स्तरीय विषय-संचालन एवं मानीटरिंग समिति की बैठकों के जरिए और प्रतिवर्ष मध्याह्न भोजन

के लिए कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड की बैठकों में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके भी की जाती है। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र मानीटरिंग संस्थाएं नियमित अंतराल पर योजना का मूल्यांकन करती हैं।

[अनुवाद]

नाभिकीय प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान-प्रदान

2091. श्री पोन्नम प्रभाकरः क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के अपने-अपने नाभिकीय प्रतिष्ठानों तथा संबंधित सेवाओं की सूचियों का परस्पर आदान-प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप हमारे देश को क्या-क्या फायदा होने का अनुमान है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी, 2011 को राजनयिक माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच हुए नाभिकीय प्रतिष्ठापना पर हमले के निषेध संबंधी करार के अंतर्गत शामिल नाभिकीय प्रतिष्ठापनाओं और सुविधाओं की सूची नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ आदान-प्रदान किया।

इस करार, जिस पर 31 दिसम्बर, 1988 हो हस्ताक्षर किए गए थे और जिसे 27 जनवरी, 1991 को प्रभावी किया गया था, में अन्य बातों के साथ-साथ व्यवस्था है कि दोनों देश प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख को करार के अधीन शामिल नाभिकीय प्रतिष्ठापनाओं और सुविधाओं के बारे में एक-दूसरे को सूचित करेंगे। यह दोनों देशों के बीच ऐसी सूचियों का बीसवीं बार का निरंतर आदान-प्रदान 1 जनवरी, 1992 को किया गया था। नाभिकीय प्रतिष्ठापनाओं और सुविधाओं की सूचिओं का आदान-प्रदान भारत और पाकिस्तान के बीच एक विश्वास निर्माण उपाय है।

सरकारी सेवाओं में निशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

2092. श्री ई.जी. सुगावनमः क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निशक्त व्यक्तियों/विकलांग व्यक्तियों का केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजपत्रित तथा अराजपत्रित दोनों ही श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने पद निर्धारित किए गए हैं और उनकी वास्तविक संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने निशक्त व्यक्तियों के रिक्त पदों का बैंकलॉग भरने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) सरकारी सेवाओं में निशक्त व्यक्तियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, निशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम, 1995 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक स्थापन में कम से कम तीन प्रतिशत रिक्तियां निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगी। इन में से एक-एक प्रतिशत रिक्यिां, प्रत्येक निशक्तता के लिए चिन्हित पदों अर्थात (i) दृष्टिविहीन अथवा कम दृष्टि वालों के लिए) (ii) बधिरों) (iii) गतिशील निशक्तता अथवा पमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले व्यक्तियों, के लिए आरक्षित की जाएंगी।

तदनुसार यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आने वाले सभी स्थापनों में, समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' की सीधी भर्ती के मामले में तीन प्रतिशत रिक्तियां निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाएंगी। पदोन्नति के मामले में समूह 'ग' और 'घ' के उन चिन्हित पदों के लिए आरक्षण उपलब्ध है, जहां यदि कोई सीधी भर्ती है और वह 75% से अधिक पदों के लिए नहीं है।

भारत सरकार के 69 मन्त्रालयों/विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 1.1.2008 की स्थिति के अनुसार, भारत सरकार की सेवाओं में निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व 11134 था।

(ग) और (घ) निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए नवम्बर, 2009 में एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था। भारत सरकार के 69 मन्त्रालयों/विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 15.11.2009 को 8335 पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियां थीं जिनमें से 1235 रिक्तियां भर ली गई हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अधिशेष कोयले की बिक्री

2093. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षित कोयला खानों के डेवलेपरों को राज्यों को अधिशेष कोयला बेचने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने निजी कंपनियों को कोयले का कारबार शुरू करने देने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) से (ङ) योजना आयोग से निजी कंपनियों को कोयले का कारोबार आरंभ करने के लिए ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, अपनी सम्बद्ध कंपनी के अन्त्य उपयोग के लिए आवंटित कैप्टिव खान से अतिरिक्त कोयले के उपयोग के सम्बन्ध में एक कंपनी द्वारा अभ्यावेदन पर योजना आयोग ने इस मंत्रालय को लिखा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु अवसंरचना

2094. श्री रामसिंह राठवा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) को कार्यान्वित करने के लिए पृथक अवसंरचना का सृजन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने इसे कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां। सभी राज्यों ने, जिन पर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होता है इस अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार अपने अलग एवं स्वतंत्र सूचना आयोगों का गठन किया है।

(ख) से (ङ) कुछ राज्यों जैसे, आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं नागालैण्ड ने राज्य सूचना आयोगों के लिए भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मांगने से संबंधित प्रस्ताव भेजे हैं। योजना आयोग ने संसाधनों की कमी बताते हुए तथा यह कहते हुए कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सूचना आयोगों के भवन निर्माण को सुगम बनाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नई स्कीम शुरू करने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

साक्षरता के लिए अनुदान

2095. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को वर्ष 2010-11 के दौरान मध्य प्रदेश में कम साक्षरता प्रतिशत वाले जिलों में 13 बालिका शिक्षा परिसरों को अनुदान उपलब्ध कराने संबंधी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों के तहत धनराशि कब तक संस्वीकृत और जारी किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) अल्प साक्षरता प्रतिशत वाले जिलों में 13 बालिका शिक्षा परिसरों के लिए अनुदान का वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश सरकार से कोई विनिर्दिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, एसएसए-आरटीई के लिए अनुपूरक वार्षिक कार्य योजना एवं बजट पर विचार करने के लिए अक्तूबर, 2010 में हुई परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक के दौरान, राज्य के शैक्षिक

रूप से पिछड़े ब्लॉकों में 6 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित, अन्य पिछड़ा वर्ग के अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय हैं, की संस्वीकृति प्रदान की गई। 6 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का वितरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	एफएलआर
1.	बारवाणी	निवाली	360.62
2.	धार	गांधवाणी	32.55
3.	गुणा	गुणा	30.9
4.	इंदौर	इंदौर	44.8
5.	शहडोल	पुष्पराजगढ़	39.4
6.	विदिशा	फंडा (भोपाल)	41.7

परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने 2010-2011 में 6 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के 12 लाख रुपए अनुमोदित किए हैं ताकि राज्य निर्माण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित करने संबंधी प्रारंभिक कार्य शुरू कर सके। शेष राशि 2011-2012 में मध्य प्रदेश के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मंजूर की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश राज्य में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए "बालिका छात्रावास योजना" के अधीन शैक्षिक रूप से पिछड़े 30 ब्लॉकों में 30 बालिका छात्रावासों की संस्वीकृति दी गई हैं।

[अनुवाद]

सूरत में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

2096. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अंतर्गत सूरत में अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में उक्त अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सूरत विमानपत्तन पर धावनपट्टी का विस्तार करने संबंधी प्रस्ताव अभी भी लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ानों में विलंब

2097. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ानों में बारांबार होने वाले विलंब और इसके फलस्वरूप यात्रियों को होने वाली परेशानियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के प्रमुख विमानपत्तनों पर निर्धारित समय से उड़ान भरने की अनिवार्यता संबंधी नीति कार्यान्वित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के कार्यान्वयन में क्या सुधार किए गए हें;

(घ) क्या निकट भविष्य में देश के अन्य विमानपत्तनों में इस योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी, हां। देश के जिन प्रमुख हवाईअड्डों पर उडानें विलंबित होती है वहां नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण डीजीसीए द्वारा हवाई परिवहन परिपत्र-10/2009 द्वारा जारी स्टीक-टू-स्लॉट नीति कार्यान्वित की गई है।

(ग) इस नीति की मुख्य-मुख्य बाते इस प्रकार है;

1. डिपार्चर स्लॉट्स का वितरण एक घंटे के भीतर समानतापूर्वक किया गया है जिसमें 10 मिनट में पांच

तथा प्रति घंटा कुल 30 से अधिक डिपार्चर स्लॉट नहीं होते।

2. एयरलाइनें अनुमोदित अनुसूची के अनुसार प्रस्थान के अनुसूची के अनुसार प्रस्थान के अनुसूचित समय के साथ अपना फलाइट प्लान प्रस्तुत करेंगी।

3. विमान प्रस्थान के अनुसूचित समय से अधिकतम 45 मिनट पूर्व और अनुसूचित प्रस्थान समय के अधिकतम 15 मिनट बाद प्रस्थान संबंधी क्लियरेंस के लिए हवाई यातायात नियंत्रक से संपर्क करेंगें और अनुसूचित प्रस्थान समय से कम से 15 मिनट पहले भूतल आवागमन नियंत्रण से संपर्क करेंगे।

4. पुश-बैंक और स्टार्ट-अप से संबंधित अनुमोदन केवल पांच मिनट तक वैध रहेगा। पुश-बैक क्लियरेंस का पालन न करने वाला विमान वापस सिक्वेंस में चला जाएगा। अनुवर्ती क्लियरेंस उपलब्ध स्लॉट के आधार पर दी जाएगी।

उपरोक्त हवाई परिवहन परिपत्र के कार्यान्वयन के बाद एयरलाइनों के ऑन-टाइम परफोर्मेंस में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त के दृष्टिगत लागू नहीं।

(च) ऐसे छोटे हवाईअड्डों पर जहां पर कुछ ही उड़ानें प्रचालित होती हैं, विलंब उल्लेखनीय नहीं है।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क

2098. श्री मिलिंद देवरा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के कार्यान्वयन और डिलीवरी के लिए किन-किन प्रमुख अनुप्रयोगों की पहचान की गई है; और

(घ) इस नेटवर्क की स्थापना करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) से (घ) भारत सरकार ने दिनांक 25.03.2010 को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) की स्थापना के लिए एक परियोजना अनुमोदित की है। परियोजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 10 वर्ष की समय सीमा में 5990 करोड़ रुपए है। एनकेएन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

एनकेएन का उद्देश्य संसाधनों की भागीदारी और सहयोगात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए उच्च गति के आंकड़ा संचार नेटवर्क के जरिए देश में ज्ञान के सभी संस्थानों को परस्पर जोड़ना है। इसमें सभी विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों सहित 1500 से ज्यादा संस्थान शामिल होंगे। लगभग 1500 संस्थानों से मुख्य एवं संबद्ध सम्पर्क 2-3 वर्ष की अवधि में स्थापित किए जाने की संभावना है।

एनकेएन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. देश के लिए अति उच्च गति के राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क की स्थापना करना।

2. ज्ञान के सृजन, परितुलन और प्रसर के लिए ज्ञान के सभी मुख्य संस्थानों (विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों) को जोड़ना।

3. ज्ञान की भागीदारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान समुदाय से भारतीय ज्ञान संस्थानों को जोड़ना।

4. अनुप्रयोग के विभिन्न क्षेत्रों (कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ई-शासन और ग्रिड अभिकलन) में क्षेत्रवार आभासी नेटवर्क समर्थ करना।

5. उच्च बैंडविड्थ और निम्न लेटेंसी नेटवर्कों पर आधारित नई प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए मंच स्थापित करना।

6. नेटवर्क के लिए परीक्षण स्थल तैयार करना और देश के लिए प्रौद्योगिकी विकास सुरक्षित करना।

7. विश्वभर में अनुसंधान समुदायों के साथ सहयोग करने के लिए वैश्विक नेटवर्कों जैसेकि टीईआईएन3 (ट्रांस यूरेशिया सूचना नेटवर्क चरण 3) तथा जीएलओआरआईएडी (उन्नत अनुप्रयोग विकास के लिए वैश्विक रिंग नेटवर्क) के साथ सम्पर्क स्थापित करना।

एनकेएन के अंतर्गत परिकल्पित अनुप्रयोग के क्षेत्रों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ई-शासन, ग्रिड अभिकलन (उच्च कार्यनिष्पादन अभिकलन) शामिल हैं।

फरवरी, 2011 के अनुसार 18 पाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) स्थापित किए गए हैं। 110 संस्थानों को जोड़ा गया है तथा 26 आभासी कक्षाएं स्थापित की गई हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार

2099. श्री के. सुगुमारः क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के संबंध में एक ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के जी-4 समूह के राष्ट्रों के कदम का चीन पक्षधर नहीं था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि सुधार प्रक्रिया के मत चरण तक पहुंचने पर चीन भारत के प्रयास का विरोध करेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में चीन के साथ कोई संपर्क किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को चीन से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुईं है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों पर ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए जी-4 द्वारा किए गए प्रयास पर चीन से कोई विशिष्ट टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई हैं। 14 फरवरी, 2011 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों पर चल रहे अंतर सरकारी वार्तालाप पर एक प्रश्न के उत्तर में चीन लोक गणराज्य के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उल्लेख किया कि यूएनएससी सुधार के कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों पर सभी पक्षों के बीच अभी भी गंभीर मतभेद मौजूद हैं तथा अभी सर्वसम्मति नहीं बनी है। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि सुधारों हेतु पूर्व निर्धारित परिणाम अथवा असामयिक सुध ार योजना लागू करने से न केवल संयुक्त राष्ट्रों की एकता को क्षति पहुंचेगी, बल्कि इससे सुधार प्रक्रिया को भी हानि पहुंचेगी। अतः उन्होंने कहा चीन यूएनएससी सुधारों हेतु हल के लिए पैकेज की वकालत करता है।

(ग) से (ङ) चीन, सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में बड़ी भूमिका निभाने के लिए भारत की आकांक्षा का समर्थन करता है। चीनी प्रधानमंत्री, महामहिम श्री वेन जियाबाओं की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान 16 दिसम्बर, 2010 को जारी भारत गणराज्य और चीन लोक गणराज्य की संयुक्त विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है "चीन बड़े विकासशील देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की स्थिति को व्यापक महत्व प्रदान करता है, सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में बड़ी भूमिका निभाने की भारत की आकांक्षा को समझता है तथा उसका समर्थन करता है।"

[हिन्दी]

यूरोप और अमरीका के लिए सीधी उड़ान सेवा

2100. श्री कौशलेन्द्र कुमारः
श्री रामकिशुनः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलकाता विमानपत्तन से यूरोप की अमरीका के लिए सीधी अंतराष्ट्रीय उड़ान संचालित की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कोलकाता विमानपत्तन से यूरोप और अमरीका के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कोलकाता, अमरीका और तेरह यूरोपीय देशों के लिए प्वाइंट ऑफ काल के रूप में उपलब्ध है। जहां तक भारतीय वाहकों का संबंध है, वे संबंधित द्विपक्षीय विमान सेवा करारों के अनुसार कोलकाता समेत भारत में किसी भी स्थान से विदेशी गंतव्यों के लिए सेवाएं प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, किसी भी एयरलाइन द्वारा वास्तविक प्रचालन सदैव उसके अपने वाणिज्यिक निर्णय द्वारा निर्णीत होते हैं।

[अनुवाद]

स्वदेशी क्षमता बढ़ाने के लिए समिति

2101. श्री एन. चेलुवरया स्वामीः क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार विनिर्माण तथा अनुसंधान और विकास में स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा "दूरसंचार विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास में स्वदेशी को बढ़ाने" पर रिपोर्ट देने के लिए मार्च, 2009 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने दिनांक 30.06.2009 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई करने के लिए "दूरसंचार क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने के लिए विशिष्ट उपाय सुझाने" हेतु सितंबर, 2009 में एक और समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट 02.06.2010 को प्रस्तुत कर दी है।

(घ) चूंकि मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति (सीओएस) में लिए गए निर्णय के आधार पर इन समितियों का गठन किया गया था इसलिए दोनों रिपोर्टों को क्रमश: दिनांक 31.08.2009 और दिनांक 27.09.2010 को मंत्रिमंडल सचिव को भेज दिया गया है।

अफ्रीकी देशों के साथ संबंध

2102. श्रीमती जे. शांता: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अफ्रीका देशों के साथ हस्ताक्षरित समझौतों का ब्यौरा है;

(ख) किन-किन अफ्रीका देशों के साथ सरकार भविष्य में अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) सरकार का विचार इन देशों के साथ राजनैतिक, आर्थिक और राजनयिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाने का है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) विगत 3 वर्षों के दौरान अफ्रीका देशों के साथ हस्ताक्षरित करारों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) सरकार अफ्रीका के साथ भारत के एतिहासिक तथा बहुआयामी संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के कार्यों को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। इस उद्देश्य के लिए उच्च स्तरीय वार्ताओं, विदेश कार्यालयी विचार-विमर्श, संयुक्त आयोग बैठकों, विकास परियोजनाओं के लिए ऋण शृंखला प्रदान करने तथा स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी व आपदा राहत के क्षेत्र में अनुदान सहायता प्रदान करने सहित कई नीतियां एवं संरचनाएं स्थापित की गई हैं। भारत ने सर्वप्रथम अप्रैल, 2008 में नई दिल्ली में भारत अफ्रीका मंच सम्मेलन (आईएएफएस) की मेजबानी की, जिससे भारत व अफ्रीका के बीच निर्धारित विचार-विमर्श व सहयोग के लिए एक नई अवसंरचना तैयार की गई। इस सम्मेलन के दौरान, भारत ने अन्य बातों के अलावा, वर्ष 2009 से 2013 की अवधि के दौरान अफ्रीका के लिए 5.4 बिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त ऋण शृंखला तथा 500 मिलियन अमरीकी डालर की अनुदान राशि प्रदान करने की वचनबद्धता दी। भारत-अफ्रीका मंच का अगला सम्मेलन इस वर्ष अफ्रीका में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है, जोकि भारत-अफ्रीका संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की दिशा में एक कदम है।

विवरण

2008-10 के दौरान अफ्रीकी देशों के साथ हस्ताक्षरित करारों के ब्यौरे

क्र.स.	देश का नाम	भारत द्वारा हस्ताक्षरित करार
1	2	3
1.	अंगोला	तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सहयोग संवर्धित करने के लिए पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार तथा अंगोला सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन। 1.11.2010

1	2	3
2.	माली	(i) विदेश मंत्रालय, भारत सरकार तथा माली गणराज्य के विदेश कार्य एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के बीच परामर्श के लिए प्रोतोकाल, 9.10.2009
		(ii) भारत तथा माली के बीच राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सहयोग करार, 9.10.2009 को हस्ताक्षरित
3.	लाईबेरिया	(i) इसमें विदेश मंत्रालय तथा लाईबेरिया के विदेश मंत्रालय के बीच परामर्श के लिए प्रोतोकाल पर सितम्बर, 2009 में हस्ताक्षरित किए गए थे
		(ii) लाईबेरिया में होल-इन-द-वॉल कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर जुलाई, 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे।
4.	सियरा लियोन	भारत सरकार तथा सियरा लियोन के बीच एक संयुक्त तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग करार पर जनवरी, 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे।
5.	सेनेगल	भारत तथा सेनेगल के बीच द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं सुरक्षा करार पर जुलाई, 2008 में हस्ताक्षरित किए गए थे।
6.	केप वर्डे	विदेश मंत्रालय तथा केवल वर्डे के विदेश मंत्रालय के बीच परामर्श के लिए प्रोतोकाल पर जुलाई, 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे।
7.	गांबिया	विदेश मंत्रालय तथा विदेश मामले, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं प्रवासी गांबीयन मंत्रालय के बीच परामर्श के लिए प्रोतोकॉल पर अगस्त, 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे।
8.	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	(i) राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तकनीक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग के लिए संयुक्त आयोग स्थापित करने से संबंधित करार पर 12 मार्च, 2008 को हस्ताक्षर किए गए थे।
		(ii) सांस्कृतिक सहयोग करार पर 29 अक्टूबर, 2009 को हस्ताक्षर किए गए थे;
		(iii) द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं सुरक्षा करार पर 13 अप्रैल, 2010 को हस्ताक्षर किए गए थे;
		(iv) किंशासा में सूचना प्रोद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर 21.10.2010 को हस्ताक्षर किए गए थे।
9.	कांगो गणराज्य	विदेश मामलों पर विचार-विमर्श के लिए प्रोतोकॉल पर 17 मार्च, 2010 को हस्ताक्षर किए गए थे।
10.	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	(i) विदेश मामलों पर विचार-विमर्श के लिए प्रोतोकॉल पर 30.09.2010 को हस्ताक्षर किए गए थे;

1	2	3
		(ii) होल-इन-द-वाल परियोजना के अंतर्गत 2 शिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर 3.9.2010 को हस्ताक्षर किए गए थे;
		(iii) बांगुई में सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर 16.3.2010 को हस्ताक्षर किए गए थे।
11.	घाना	घाना में संयुक्त उद्यम उर्वरक परियोजना स्थापित करने के लिए भारत सरकार तथा घाना गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर मार्च, 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे।
12.	बुरकिना फासो	राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग के लिए संयुक्त आयोग स्थापित करने के लिए भारत सरकार तथा बुरकिना फासो सरकार के बीच करार पर 20.3.2009 को हस्ताक्षर किए गए थे।
13.	नाईजिरिया	भारत मानकीकरण कार्यालय तथा नाईजिरिया के मानकीकरण संगठन पर पारस्परिक मान्यता के लिए समझौता ज्ञापन पर 3.9.2009 को हस्ताक्षर किए गए थे।
14.	बेनीन	(i) राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत-बेनीन संयुक्त समिति स्थापित करने के लिए भारत तथा बेनीन के बीच करार पर मार्च, 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे;
		(ii) भारत तथा बेनीन के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर समझौता ज्ञापन पर अक्टूबर, 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे;
		(iii) विदेश मंत्रालय तथा बेनीन के विदेश मामले एवं अफ्रीकी एकीकरण मंत्रालय के बीच परामर्श के लिए प्रोतोकाल पर मार्च, 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे;
		(iv) बेनीन में सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर मार्च, 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे;
		(v) बेनीन सरकार तथा नेशनल रीसर्च डेवलपमेंट कार्यक्रम कारपोरेशन, नई दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन पर मार्च, 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे;
		(vi) भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा बेनीन सरकार के बीच आपसी सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन पर मार्च, 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे।
15.	चाड	4.8.2010 को विदेश मंत्रालय परामर्श
16.	इथोपिया	अगस्त, 2008 में अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त प्रशुल्क वरीयता के लिए स्वीकृति।

1	2		3
17.	इरिटिरिया		2009 में अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त प्रशुल्क वरीयता के लिए स्वीकृति
18.	बरूंडी		अप्रैल, 2010 में बरूंडी में सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन
19.	मैडागास्कर		मालागासी राष्ट्रपति भवन को मैडागास्कर सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों से जोड़ने के लिए लगभग 6 मिलियन अमरीकी डालर की लागत पर एक इंटरनेट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 18 सितंबर, 2008 को भारत सरकार की ओर से राजदूत द्वारा मालागासी दूरसंचार मंत्री के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
20.	सेशल्स	(i)	द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं सुरक्षा करार पर जून, 2009 में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। सेशल्स की नेशनल एसेंबली द्वारा इसके अनुसमर्थन की प्रतीक्षा की जा रही है;
		(ii)	सेशल्स में सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर फरवरी, 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे।
21.	ट्युनिशिया	(i)	ट्यूनिशियन चैम्बर ऑफ सर्विस एंटरप्राइजेज एंड कम्प्यूटर इंजिनियरिंग तथा इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद के बीच सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन पर फरवरी, 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे,
		(ii)	फरवरी, 2009 में ईईपीसी तथा यूटीआईसीए के बीच संस्थागत गठबंधन पर समझौता ज्ञापन;
		(iii)	अप्रैल, 2009 में ट्यूनिशिया के अलगजाला प्रौद्योगिकी पार्क तथा भारत के साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के बीच समझौता ज्ञापन।
22.	मिस्र	(i)	नवम्बर, 2008 में राजनयिक, विशेष तथा शासकीय/सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षा समाप्त करने से संबंधित करार;
		(ii)	नवम्बर, 2008 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन;
		(iii)	नवम्बर, 2008 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण प्रयोग में सहयोग पर समझौता ज्ञापन;
		(iv)	नवम्बर, 2008 में व्यापार एवं तकनीकि सहयोग पर समझौता ज्ञापन;
		(v)	अक्तूबर, 2009 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा की काहिरा यात्रा के दौरान मिस्र के व्यापार व उद्योग मंत्री तथा भारत के सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए थे।

1	2	3
23.	सुडान	माननीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री जितिन प्रसाद तथा सुडान की उर्जा एवं खनन राज्य मंत्री, सुश्री एंजेलिना जेनी जेनी के दिसम्बर, 2009 में नई दिल्ली में भारत के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा सुडान के उर्जा एवं खनन मंत्रालय के बीच तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
24.	मलावी	(i) कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन-जनवरी, 2010;
		(ii) मलावी के विदेश मंत्रालय तथा भारत के विदेश मंत्रालय के बीच परामर्श के लिए प्रोतोकॉल जनवरी, 2010;
		(iii) भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा मलावी में लघु उद्यम विकास में सहयोग के लिए मलावी के एक गांव एक उत्पाद-जनवरी, 2010;
		(iv) ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन नवम्बर, 2010;
		(vii) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन नवम्बर, 2010
		(viii) पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना पर समझौता ज्ञापन
25.	नामिबिया (सितम्बर, अक्तूबर, 2009)	(i) भू-विज्ञान एवं खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन;
		(ii) रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन;
		(iii) पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना पर समझौता ज्ञापन;
		(iv) परमाणु उर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग में सहयोग पर करार और
		(v) राजनयिक एवं सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा से छूट पर समझौता ज्ञापन।
26.	मोजाम्बिक	(i) 18 से 19 फरवरी, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित दूसरे जेसीएम के दौरान निवेश के द्विपक्षीय संवर्धन एवं पारस्परिक सुरक्षा करार पर हस्ताक्षर किए गए थे;
		(ii) मोजाम्बिक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 30 सितंबर, 2010 को दोहरे कराधान परिहार करार पर हस्ताक्षर किए गए थे;
		(iii) मोजाम्बिक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 30 सितंबर, 2010 को खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे;
		(iv) मोजाम्बिक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 30 सितंबर, 2010 को सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे;

1	2	3
		(v) पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना पर समझौता ज्ञापन
27.	स्वाजीलैंड	जुलाई, 2008 में होल-इन-द्-वॉल परियोजना स्थापित करने के लिए स्वाजी सरकार के साथ समझौता ज्ञापन।
28.	दक्षिण अफ्रीका	(i) द्विपक्षीय वायु सेवा करार (संशोधित)-जून, 2010;
		(ii) कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन-जून, 2010;
		(iii) भारतीय विदेश सेवा संस्थान तथा दक्षिण अफ्रीका की राजनयिक अकादमी के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन-जून, 2010
29.	बोत्स्वाना	(i) पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना पर समझौता ज्ञापन; (ii) कृषि क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन-जनवरी, 2010;
		(iii) शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए आदान-प्रदान कार्यक्रम-जनवरी, 2010;
		(iv) एसएमएमई के क्षेत्र सहयोग पर समझौता ज्ञापन-जून, 2010;
		(v) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन -जून 2010;
		(vi) संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग स्थापित करने से संबंधित करार-जनवरी, 2011
30.	लेसोथो	पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना पर समझौता ज्ञापन-जूलाई, 2009
31.	मॉरिशस	(i) भारत के पीकेआई मॉडल के आधार पर मॉरिशस में प्रमुख सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित करने पर समझौता ज्ञापन (2009);
		(ii) नौवहन चार्ट की बिक्री पर प्रोतोकाल (2009);
		(iii) अंतरिक्ष अनुसंधान विज्ञान एवं अनुप्रयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए तथा उपग्रह तथा प्रमोचन वाहनों के लिए टैलीमिटरी ट्रैकिंग तथा टैली कमांड केन्द्रों की स्थापना के लिए सहयोग पर करार (2009);
		(iv) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मॉरिशस के साथ ई-क्रय मंच साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन (2009);
		(v) पौध स्वास्थ्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन (2009);
		(vi) तटीय निगरानी राडार प्रणाली की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन (2009);
		(vii) आधुनिक हल्के हेलिकॉप्टर ध्रुव की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन (2009);
		(viii) एक अपतटीय गशती जहाज प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन (2010);

1	2	3
		(ix) मॉरिशस के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारत के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के बीच समझौता ज्ञापन (2010);
		(x) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सेवा केन्द्र, भारत गणराज्य की सरकार तथा मौसम सेवाएं, मॉरिशस गणराज्य की सरकार के बीच तटीय खतरों के लिए पूर्ण चेतावनी व्यवस्था के लिए सहयोग पर समझौता ज्ञापन;
		(xi) वर्ष 2010-2013 के दौरान भारत गणराज्य की सरकार तथा मॉरिशस गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम;
		(xii) भारत गणराज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मानकीकरण, जांच तथा गुणवता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) तथा मॉरीशस गणराज्य के नेशनल कंम्प्यूटर बोर्ड के बीच समझौता ज्ञापन;
		(xiii) एमजीआई, मोका में संस्कृत एवं भारतीय दर्शन शास्त्र की आगंतुक पीठ को ध्यान में रखते हुए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिसर तथा महात्मा गांधी संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन।

भारत विकास फाउन्डेशन

2103. **श्री प्रहलाद जोशी:** क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रवासी भारतीयों की भारत विकास न्यास निधि की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य देशों में भारतीय समुदाय के साथ जुड़ने हेतु ऐसी और अधिक नीतियां शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) प्रवासी भारतीयों की भारत विकास फाउन्डेशन (आईडीएफ-ओआई) भारत के सामाजिक विकास में प्रवासी भारतीय लोकोपकार के लिए एक विश्वसनीय विंडो प्रदान करने के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंजीकृत एक गैर-लाभ अर्जक ट्रस्ट है।

(ख) से (घ) वर्तमान में सरकार के पास ऐसी और नीतियां शुरू करने को कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि एक ही फोकस के साथ बहुत नीतियों से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं।

केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

2104. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंग्रेजी भाषा केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने और परीक्षाएं संचालित करने का एकमात्र माध्यम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी में प्रश्न पूछने और उत्तर देने का कोई प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रावधान किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्यालयों में अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों ही शिक्षा के माध्यम है। परीक्षाएं अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों माध्यमों में आयोजित की जाती हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुपूरक मुआवजा संबंधी कन्वेंशन

2105. श्री पशुपति नाथ सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वियना में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तत्वावधान में विकसित अनुपूरक मुआवजा संबंधी कन्वेंशन की संपुष्टि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) भारत ने, 27 अक्तूबर, 2010 को वियना में अनुपूरक क्षतिपूर्ति संबंधी कन्वेंशन (सीएससी) पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत द्वारा उस कन्वेंशन का अभी तक अनुसमर्थन नहीं किया गया है। भारत द्वारा आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही अनुसमर्थन करना संभव होगा।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में यू.आई.डी. जारी करना

2106. श्री जोसेफ टोप्पो: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या जारी करने का अभियान शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न हिस्सों में अनेक अवैध प्रवासी रह रह हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन प्रवासियों को युआईडी जारी करने के दायरे से बाहर रखने के लिए कोई कार्यनीति बनाई है अथवा दिशानिर्देश तैयार किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) विशिष्ट पहचान (आधार) संख्या जारी करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के त्रिपुरा में पंजीकरण शुरू हो चुका है।

(ख) त्रिपुरा में अभी तक 2,68,442 आधार संख्याएं जारी की जा चुकी हैं।

(ग) से (ङ) यूआईडीएआई का प्रस्ताव केन्द्रीय व राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों तथा उन लोगों के माध्यम से निवासियों की जनांकिकी और बायोमेट्रिक विशेषताओं का संग्रह करना है जो अपने सामान्य कार्यकलापों में निवासियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। इन संस्थाओं को यूआईडीएआई का "रजिस्ट्रार" कहा गया है। जनांकिकी आंकड़ों हेतु संस्वीकृत जांच प्रणाली में दस्तावेज, परिचायक प्रणाली तथा सार्वजनिक जांच की राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर प्रकिया शामिल है। आधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सभी राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर शामिल है। असम व पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न भागों में अवैध प्रवासियों के संबंध में रिपोर्ट मिले हैं। रजिस्ट्रार द्वारा की जाने वाली जांच प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल सही निवासियों का ही प्रणाली में पंजीकरण हो।

डाक विभाग की रिक्त भूमि

2107. श्री ए. सम्पत: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग के अंतर्गत भूमि का एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का रिक्त भूमि का उपयोग करने के लिए अन्य मंत्रालयों/राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों आदि के साथ नए समझौते करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, हां। डाक विभाग के पास 1871 भूखंड खाली पड़े हैं।

(ख) इस संबंध में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार का रिक्त भूमि का उपयोग करने के लिए अन्य मंत्रालयों/राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों आदि के साथ नए समझौते करने कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, व्यय सुधार आयोग एवं योजना द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार गैर-टैरिफ राजस्व अर्जित करने के लिए विभाग ने इन खाली भूखंडों के वाणिज्यिक उपयोग हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) माडल के अंतर्गत कार्रवाई की चेष्टा की है। फिलहाल यह मामला परामर्श स्तर पर ही है।

विवरण

खाली पड़े भूखंडों की संख्या, राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	भूखंडों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	229
2.	असम	33
3.	बिहार	86
4.	छत्तीसगढ़	8
5.	दिल्ली	20
6.	गुजरात	112
7.	हरियाणा	19
8.	हिमाचल प्रदेश	28
9.	जम्मू और कश्मीर	9
10.	झारखंड	65
11.	कर्नाटक	364
12.	केरल	145
13.	महाराष्ट्र	87
14.	गोवा	4
15.	मध्य प्रदेश	26
16.	अरुणाचल प्रदेश	10
1	2	3
17.	त्रिपुरा	2
18.	मेघालय	3
19.	मणिपुर	3
20.	नागालैंड	7
21.	मिजोरम	10
22.	उड़ीसा	42
23.	पंजाब	17
24.	राजस्थान	200
25.	तमिलनाडु	154
26.	उत्तर प्रदेश	80
27.	उत्तरांचल	20
28.	पश्चिम बंगाल	87
29.	सिक्किम	1
	कुल	1871

[हिन्दी]

चालू कॉलों का बाधित होना

2108. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू कॉलों के बारांबार बाधित होने से अधिक राशि के बिल आने के संबंध में विभिन्न दूरसंचार प्रचालकों के खिलाफ उपभोक्ताओं में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/ किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) विभिन्न समस्याओं जिनमें बिलिंग, मीटरिंग एवं सेवा संबंधी मुद्दे शामिल हैं, के बारे में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के खिलाफ उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तथापि, चालू कॉलों के बार-बार बाधित होने, जिससे बढ़े हुए बिल

प्राप्त होते हैं, संबंधी शिकायतों के संबंध में कोई डाटा नहीं रखा जाता।

(ग) (i) प्राप्त शिकायतों को निवारण/समाधान/समुचित कार्रवाई हेतु संबंधित सेवा प्रदाता को अग्रेषित कर दिया जाता है।

(ii) भारतीय दूरसंचार विनिमायक प्राधिकरण (ट्राई) ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए "दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण एवं शिकायत निवारण विनियम, 2007" नामक अपने विनियमन की मार्फत एक तंत्र की व्यवस्था की है।

(iii) सेवा की गुणवत्ता संबंधी दो मानकों यथा-कॉल ड्रॉप दर और सर्वाधिक प्रभावित कॉलों के प्रतिशत की मार्फत ट्राई द्वारा काल ड्रॉप के संबंध में सेवा प्रदाताओं के निष्पादन की निगरानी की जाती है। आवश्यकता होने पर ट्राई द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जाती है।

अन्य देशों में भारतीयों को विधिक सहायता

2109. **कुमारी सरोज पाण्डेय:** क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों में रहने वाले उन भारतीयों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की है जो धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) सरकार, अन्य देशों में रहने वाले भारतीयों को, विदेश स्थित भारतीय मिशनों की मार्फत कानूनी सहायता प्रदान करती है।

(ख) (i) मंत्रालय, भारतीय महिलाएं जो धोखेबाजी के विवाहों की पीड़ित हैं और जिन्हें उनके प्रवासी भारतीय पतियों ने छोड़ दिया है या वे विदेश में तलाक के मुकदमे का सामना कर रही हैं, को, संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और खाड़ी में भारतीय मिशनों की मार्फत कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। निधियों/पोस्टों के पास सूचीबद्ध भारतीय महिला संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को, इन के द्वारा कानूनी लागत और मुकदमा दायर करने और दस्तावेजों के लिए आकस्मिक प्रभार वहन करने के लिए, प्रत्येक मामले पर 1500 अमरीकी डालर तक की सीमित सहायता प्रदान करती है।

(ii) मंत्रालय ने भारतीय मिशनों द्वारा विपत्ति में पड़े प्रवासी भारतीय कामगारों के यथास्थान कल्याण सेवाएं, जिसमें उचित मामलों में आरम्भिक कानूनी सहायता भी शामिल है, प्रदान करने के लिए वहन किए जाने वाले आकस्मिक खर्च को पूरा करने के लिए, 42 देशों में भारतीय मिशनों के अधिकार में, भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना की है।

(iii) दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के भारतीय मिशन में एक भारतीय कामगार स्रोत केन्द्र (आईडब्ल्यूआरसी) भी स्थापित किया गया है, जो उस देश में भारतीय कामगारों को 24×7 सहायता प्रदान करता है। भारतीय कामगार स्रोत केन्द्र के उद्देश्यों में से एक, कामगारों को कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा परामर्श प्रदान करना है।

अवसंरचना संबंधी योजनाएं

2110. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्यों ने अवसंरचनात्मक विकास के लिए व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे संबंधित योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार योजना आयोग द्वारा प्रकाशित अवसंरचना की पीपीपी परियोजनाओं में निम्नलिखित परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित कर दी गई हैं/ कार्यान्वयनाधीन हैं।

विवरण

राज्यों में पीपीपी परियोजनाओं की स्थिति (दिसम्बर, 2009 की स्थिति)

	पूर्ण परियोजनाएं		कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं		आगामी परियोजनाएं	
	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की लागत (करोड़ रु.)	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की लागत (करोड़ रु.)	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की लागत (करोड़ रु.)
आंध्र प्रदेश	31	8,887	23	20,895	37	23,797
असम	1	102	5	852	10	3,783
बिहार	1	4			10	6,452
चंडीगढ़	1	15	1	60	1	25
छत्तीसगढ़	3	50	6	1,578	14	1,910
दिल्ली	1	15	5	513		
गुजरात	37	25,709	47	29,701	40	43,509
हरियाणा	4	75	7	9,725	3	1,769
झारखंड			3	376	2	150
केरल	6	198	9	258	13	7,625
कर्नाटक	3	67	6	289	2	130
मध्य प्रदेश	11	760	19	2,890	13	1,469
महाराष्ट्र	7	673	25	22,957	22	33,057
उड़ीसा			9	744	16	7,330
पंजाब	12	531			18	8,064
पुदुचेरी	1	416			2	2,785
राजस्थान	41	2,033	7	6,473	3	385
तमिलनाडु	7	1,319	8	2,400	9	2,009
उत्तर प्रदेश			7	57,634	12	44,917
उत्तराखंड					10	1,672
पश्चिम बंगाल	9	430	13	1,415	3	97
योग	176	41,284	209	1,65,197	252	1,91,754

(ग) इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना लागत के 20 प्रतिशत तक व्यवहार्यता अंतरात निनिध प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 46,171 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 70 पीपीपी परियोजनाओं का 31 जनवरी, 2011 तक अधिकार प्राप्त समिति/अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा अनुमोदन कर दिया गया था।

[अनुवाद]

आस्ट्रेलिया को सहायता

2111. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विनाशकारी बाढ़ से पीड़ित आस्ट्रेलिया को कोई सहायता उपलब्ध कराई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) माननीय मंत्री और विदेश मंत्री ने अपने आस्ट्रेलियाई समकक्षों को शोक संदेश भेजकर आस्ट्रेलिया में बाढ़ से पीड़ित लोगों को यथासंभव सहायता देने का प्रस्ताव किया था। माना जाता है कि आस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को छोड़कर अन्य सभी देशों से किसी प्रकार की सहायता लेने से इंकार कर दिया।

(ख) लागू नहीं।

परमाणु रिएक्टर

2112. श्री के. सुधाकरण: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत की क्षमता का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से अन्य देशों से सहयोग से अन्य देशों में परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) भारत ने छोटे और मध्यम आकार के 220, 540 तथा 700 मेगावाट क्षमता वाले नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों (एमएमआर्ज़) में विशेषज्ञता हासिल करते हुए नाभिकीय विद्युत तथा संबद्ध ईंधन चक्र के सभी पहलुओं में व्यापक क्षमता विकसित कर ली है। भारत इच्छुक मित्र देशों, में विशेषकर जिनके यहां छोटै ग्रिड लगे हुए हैं और जिनकी नाभिकीय विद्युत आरंभ करने की योजना है, नाभिकीय रिएक्टरों को निर्यात/स्थापित करने की महत्वकांक्षा रखता है। इस संबंध में 220 मेगावाट क्षमता वाले दाबित भारी पानी रिएक्टर का एक निर्यात मॉडल भी विकसित किया गया है।

कागजविहीन निकाय

2113. श्री पी. बलराम: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग शीघ्र ही कागज-विहीन निकाय हो जाएगा और प्रस्तावों के प्रारूपण से लेकर परियोजनाओं के अनुमोदन और धनराशि को प्रदान करने तक सभी कार्यालयी कार्य आंतरिक नेटवर्क पर कम्प्यूटर से किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इसका पूर्ण ब्यौरा तथा इससे संबंधित कार्यान्वयन स्थिति क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) आंतरिक कार्य प्रक्रियाओं के सुधार के रूप में योजना आयोग में एक चरणबद्ध तरीके से नया ऑनलाइन साफ्टवेयर टूल "ई-फाइल" कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। इस टूल से डिजीटल फाइलों का प्रचालन हो सकेगा। इस परियोजना के अंतर्गत डिजीटल प्रमाण-पत्र बनाए गए हैं और अधिकांश अधिकारियों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। कुछ प्रभागों में प्रयोग भी किया गया है। स्कैनर का प्रापण किया जा रहा है। कुछ कठिनाइयों की पहचान की गई है जिसके लिए साफ्टवेयर में संशोधन की आवश्यकता है।

एकीकृत कार्ययोजना का क्रियान्वयन

2114. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री रमेश राठौड़:
डॉ क्रुपारानी किल्ली:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनिंदा जनजातीय एवं पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य (आईएपी) को लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने सुरक्षा पहलू से जनजातीय कल्याण योजनाओं को अलग करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एकीकृत कार्ययोजना के क्रियान्वयन के मुद्दे पर गृह मंत्रालय और योजना आयोग के बीच कोई मतभेद है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण है।; और

(छ) इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) सरकार ने 60 चयनित जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) का नवम्बर, 2010 में अनुमोदन कर दिया है जोकि वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान प्रति जिला क्रमशः 25 करोड़ रुपये और 30 करोड़ रुपये के ब्लॉक अनुदान सहित शत प्रतिशत अनुदान आधार पर एसीए के रूप में है। आईएपी के अंतर्गत, निधियां जिला के पुलिस अधीक्षक और जिला वन अधिकारी सहित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति के अधीन होती है। जिला स्तरीय समिति को इसके द्वारा आकलित, आवश्यकतानुसार विकास स्कीमों पर राशि खर्च करने की छूट होती हैं इस प्रकार से चयनित स्कीमों के परिणाम अल्पावधि में दिखाई देंगे। प्रत्येक जिले के लिए वर्ष 2010-11 में 25 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। आईएपी के अंतर्गत कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

(ग) से (च) सुरक्षा से संबंधित पहलुओं और विकास स्कीम दोनों पर ध्यानकेन्द्रण करते हुए समग्र दृष्टिकोण लिया जाता है। तथापि, योजना आयोग विकास से संबंधित तथा गृह मंत्रालय सुरक्षा से संबंधित पहलुओं पर ध्यान देता है। आईएपी कार्यान्वयन के संबंध में योजना आयोग और गृह मंत्रालय के बीच विचारों में कोई अंतर नहीं है

(छ) एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) के कार्यान्वयन की नियमित रूप से मॉनीटरिंग/समीक्षा की जाती है। राज्य के विकास आयुक्त/समतुल्य विकास प्रभारी आईएपी के व्यय की जांच एवं मॉनीटरिंग के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त, आईएपी की योजना आयोग द्वारा राज्यों/जिलों के साथ नियमित वीडियो कान्फ्रेन्स/बैठकों के माध्यम से बृहद स्तर पर मॉनीटरिंग/समीक्षा की जाती है जिससे कि जमीनी स्तर पर तत्काल सुधारात्मक उपाय हो सकें।

वाईमैक्स फ्रेंचाइजी

2115. **श्री एस. पक्कीरप्पा:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाईमैक्स फ्रेचाइजी के लिए चयन सूची तैयार करने हेतु बीएसएनएल द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश का ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु सूचीबद्ध की गयी कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ख) आज की तिथि तक बीएसएनएल द्वारा नियुक्त फ्रेंचाइजी के सर्किल-वार नाम क्या है;

(ग) क्या कोई भी चयनित कंपनी दिशानिर्देश में निर्धारित मानदंड पूरा नहीं करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) बीएसएनएल द्वारा जारी खुली रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के परिणाम के आधार पर माइक्रोवेव एक्सेस (वाईमैक्स) फ्रेंचाइजी हेतु विश्व-व्यापी अंतर-प्रचालनात्मकता हेतु कंपनियों का चयन/उन्हें सूचीबद्ध किया गया था। सूचीबद्ध की गई कंपनियाँ निम्नवत हैं-

1. मैसर्स टेराकॉम लिमिटेड
2. मैसर्स स्टारनेट
3. मैसर्स टेक सोल्यूशंस

(ख) बीएसएनएल द्वारा आज की तारीख तक नियुक्त फ्रेंचाइजियों के सर्किल-वार नाम निम्नवत हैं-

फ्रेंचाइजी का नाम	आवंटित सर्किल
मैसर्स टेराकॉम लिमिटेड	राजस्थान, कर्नाटक एवं बिहार
मैसर्स स्टारनेट	चैन्नै दूरसंचार जिला एवं हिमाचल प्रदेश
मैसर्स टेक सोल्यूशंस	तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) एवं उड़ीसा

(ग) और (घ) "माइक्रोवेव एक्सेस (वाईमैक्स) फ्रेंचाइजियों हेतु बीएसएनएल द्वारा विश्व-व्यापी अंतर-प्रचालनात्मकता आवंटित करने में अनियमितताएँ" पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा एक प्रत्यक्ष जांच की जा रही है। दूरसंचार विभाग ने भी वाईमैक्स फ्रेंचाइजी हेतु बोलीदाताओं को सूचीबद्ध करने हेतु निविदा/ईओआई जारी करते समय बीएसएनएल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की विस्तृत जांच हेतु दूरसंचार आयोग के सदस्य (वित्त) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

[हिन्दी]

फर्जी शैक्षिक/तकनीकी संस्थान

2116. श्री घनश्याम अनुरागी:
श्री देवजी एम. पटेल:
श्री बद्रीराम जाखड़:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में फर्जी विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक/तकनीकी संस्थान कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनमें अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा प्रणाली में स्तरों के अनुरक्षण और समन्वय का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 21 जाली विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की पहचान की है जो देश के विभिन्न भागों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन कर कार्य कर रही हैं, इनमें से 8 उत्तर प्रदेश में, 6 दिल्ली में और एक-एक बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हैं। इसी प्रकार एआईसीटीई ने भी 350 गैर-अनुमोदित संस्थाओं की पहचान की है जो 6 जनवरी 2005 के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियमों का उल्लंघन कर तकनीकी और प्रबंधन पाठ्यक्रम चला रही हैं। इन गैर-अनुमोदित 350 संस्थाओं में से, 75-75 संस्थाएं दिल्ली और महाराष्ट्र में हैं, 52 आंध्र प्रदेश में, 34 पश्चिम बंगाल में, 30 उत्तर प्रदेश में, 27 कर्नाटक में, 17 हरियाणा में, 14 तमिलनाडु में, 9 चण्डीगढ़ में, 4 गुजरात में, 3 पंजाब में, 2-2 बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और गोवा में तथा 1-1 उत्तराखण्ड और केरल में हैं।

(ग) और (घ) ऐसे जाली विश्वविद्यालयों और गैर-अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं को क्रमशः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा रखी जाने वाली सूची में शामिल किया गया है और संबंधित शासकीय वेबसाइट में छात्रों और आम जनता की सूचना के लिए रखा गया है। इस संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा हर साल प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए एवं उनकी शासकीय वेबसाइटों पर व्यापक प्रचार किया जाता है ताकि छात्र और माता-पिता इन गैर-अनुमोदित संस्थाओं में दाखिला लेने के प्रति सावधान हो जाएं। इन जाली/गैर-अनुमोदित संस्थाओं को सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए या ऐसे पाठ्यक्रमों को बंद करने की सलाह देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। सांविधिक निकायों को भी यह सलाह दी गई है कि वे ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के विरुद्ध कारगर अभियान चलाएं और कानून के अधीन समुचित दाण्डिक कार्रवाई करें। इसके अलावा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया गया है कि भारतीय दण्ड संहिता के अधीन इन जाली/गैर-अनुमोदित विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के विरुद्ध दाण्डिक कार्रवाई करें। उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अनुचित कार्यों को रोकने के लिए एक विधायी प्रस्ताव संसद में पेश कर दिया गया है।

[अनुवाद]

स्मार्ट स्कूल

2117. श्री के. पी. धनपालन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। "स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी" की संशोधित केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत देश में 150 स्मार्ट स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है। राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों को प्रत्येक स्मार्ट स्कूल स्थापित करने हेतु 25.00 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी गई है। अभी तक 11 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 55 स्मार्ट स्कूल स्थापित करने हेतु मंजूरी दी जा चुकी है। अनुशंसित स्मार्ट स्कूलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2010-11 के दौरान स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत अनुमोदित राज्य-वार स्मार्ट स्कूलों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुशंसित स्मार्ट स्कूलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	05
2.	दादरा और नगर हवेली	02
3.	दमन और द्वीप	02
4.	हिमाचल प्रदेश	05
5.	केरल	05
6.	मणिपुर	04
7.	मेघालय	04
8.	नागालैण्ड	04
9.	पंजाब	05
10.	सिक्किम	04
11.	तमिलनाडु	05
12.	उत्तर प्रदेश	05
13.	पश्चिम बंगाल	05
	कुल	55

पर्वतीय राज्यों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

2118. **श्री प्रेम दास राय:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पर्वतीय राज्यों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार पर्वतीय राज्यों के योजना संबंधी कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पर्वतीय राज्यों को प्रदत्त सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में क्रियान्वित विभिन्न कार्यक्रम क्या हैं तथा इसके लिए कितनी राशि का आबंटन एवं उपयोग किया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) योजना आयोग, राज्यों के साथ वार्षिक योजना के विचार-विमर्श के दौरान, जिनको पर्वतीय राज्य माना जा सकता है, क्योंकि उनके राज्य क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा पर्वतीय मार्गों का है, अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश, सहित सभी राज्यों के योजना निष्पादन की समीक्षा करता है।

(ङ) इन राज्यों के सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत प्रदत्त सहायता तथा पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के अंतर्गत सहायता के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I एवं विवरण-II पर दिए गए हैं।

(च) राज्य सरकारें बड़ी संख्या में स्कीमों/कार्यक्रमों को उनकी राज्य की वार्षिक योजनाओं के जरिए कार्यान्वित करती हैं। अनुमोदित राज्य योजना परिव्यय (केन्द्रीय सहायता सहित) एवं इन राज्यों हेतु परिव्यय संलग्न विवरण-III पर है।

विवरण-I

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत आबंटन

क्र.सं.	राज्य	2007-08 आबंटन	2009-09 आबंटन	2009-10 आबंटन	2010-11 आबंटन
1.	अरूणाचल प्रदेश	66.08	79.66	66.47	66.91
2.	असम	19.69	21.07	23.96	48.00
3.	हिमाचल प्रदेश	11.19	12.97	12.76	12.80
4.	जम्मू और कश्मीर	105.83	103.95	98.78	107.00
5.	मणिपुर	12.45	15.33	20.86	18.43
6.	मेघालय	11.28	12.67	16.47	22.02
7.	मिजोरम	20.86	25.35	24.94	29.30
8.	नागालैंड	10.00	26.74	19.50	25.00
9.	सिक्किम	10.00	11.50	15.21	20.00
10.	त्रिपुरा	22.83	26.04	30.06	35.79
11.	उत्तराखंड	11.92	19.16	21.79	24.61

विवरण-II

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) का आबंटन

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2007-08 आबंटन	2009-09 आबंटन	2009-10 आबंटन	2010-11 आबंटन
पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीसी)					
1.	असम (उत्तरी कछार एवं कारबी अंलोंग जिले)	82.67	99.92	99.92	99.92
2.	तमिलनाडु (नीलगिरी जिले)	35.50	42.93	42.93	42.93
3.	पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग जिले)	31.83	38.48	38.48	38.48

विवरण-III

राज्यों में अनुमोदित परिव्यय (केन्द्रीय सहायता सहित) एवं व्यय

क्र.सं.	राज्य	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11	
		अनुमोदित परिव्यय	उसमें से केन्द्रीय सहायता	व्यय	अनुमोदित परिव्यय	उसमें से केन्द्रीय सहायता	व्यय	अनुमोदित परिव्यय	उसमें से केन्द्रीय सहायता	व्यय	अनुमोदित परिव्यय	उसमें से केन्द्रीय सहायता
1.	अरूणाचल प्रदेश	132000.00	103331.00	108298.47	226460.00	187829.00	173928.17	210000.00	216896.00	201600.00'	250000	225560
2.	असम	380000.00	352836.00	258039.12	501151.00	368405.00	359375.52	600000.00	444537.00	502308.95	764500	472672
3.	हिमाचल प्रदेश	210000.00	140350.00	209874.62	240000.00	173925.00	228595.2	270000.00	202121.00	280767.30	300000	258835.00
4.	जम्मू और कश्मीर	485000.00	364007.00	440331.05	551297.00	440327.00	482670.01	550000.00	759565.00	527914.11	600000	768092
5.	मणिपुर	137431.00	123621.00	133650.32	166000.00	148850.00	152150.23	200000.00	189912.00	178441.38	260000	199107
6.	मेघालय	112000.00	77362.00	98406.54	150000.00	101470.00	138695.78	210000.00	154014.00	165526.00'	223000	147580
7.	मिजोरम	85000.00	76963.00	76733.35	100000.00	95052.00	82252.81	125000.00	137645.00	106722.08	150000	139160
8.	नागालैंड	90000.00	80978.00	84695.31	120000.00	99108.00	109741.51	150000.00	116284.00	142849.57	150000	184915
9.	सिक्किम	69114.00	47349.00	60704.24	85200.00	42216.00	114024.86	104500.00	77320.00	101925.57	117500	95307
10.	त्रिपुरा	122000.00	108049.00	106715.07	145000.00	127289.00	143115.77	168000.00	143118.00	173556.78	186000	187601
11.	उत्तराखंड	437863.00	223833.00	394488.22	477500.00	281130.00	365356.78	580081.00	341774.00	351408.71	680000	33883

*अपेक्षित व्यय

फोन टैपिंग

2119. श्री ताराचंद भगोरा:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:
श्री दिनेश चंद्र यादव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रतिवर्ष भारी संख्या में टैलीफोनों की टैपिंग की जाती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई तथा नागरिकों की निजता के अधिकार की रक्षा करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ग) इस मामले से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय

2120. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) देश में वर्ष 2009-10 के लिए स्थिर मूल्यों (वर्ष 2004-05) पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय द्वारा मापित प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) 33,731 रुपये होने का अनुमान लगाया गया है और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएओ) द्वारा 7 फरवरी, 2011 को जारी किए गए राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वास्तविक

अर्थों में 6.7% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करते हुए वर्ष 2010-11 में इसमें वृद्धि होकर 36,003 रुपये होने की आशा है।

देश में वर्ष 2009-10 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) द्वारा मापित राज्य-वार प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

प्रचलित मूल्यों (वर्ष 2004-05 सीरीज) पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय

(रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	51025
2.	अरुणाचल प्रदेश	51644
3.	असम	27197
4.	बिहार	16119
5.	झारखंड	30719
6.	गोवा	132719
7.	गुजरात	63961
8.	हरियाणा	78781
9.	हिमाचल प्रदेश	50365
10.	जम्मू और कश्मीर	30565
11.	कर्नाटक	50676
12.	केरल	59179
13.	मध्य प्रदेश	27250
14.	छत्तीसगढ़	38059
15.	महाराष्ट्र	74027
16.	मणिपुर	28531
17.	मेघालय	42601
18.	मिजोरम	45982
19.	नागालैंड	एन.ए.
20.	उड़ीसा	33226
21.	पंजाब	62153
22.	राजस्थान	34189
23.	सिक्किम	48937
24.	तमिलनाडु	62499
25.	त्रिपुरा	35799
26.	उत्तर प्रदेश	23132
27.	उत्तराखंड	55877
28.	पश्चिम बंगाल	एन.ए
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	74340
30.	चंड़ीगढ़	120912
31.	दिल्ली	116886
32.	पुदुचेरी	82767

अखिल भारत एनएनआई (2004-05 सीरीज) 46492

टिप्पणी: एन.ए. उपलब्ध नहीं

स्रोत: क्रम सं. 1-32 के लिए संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, और अखिल भारत के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

[अनुवाद]

बीपीएल जनसंख्या

2121. श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्री भूदेव चौधरी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के गरीबी से नीचे रहने वाली (बीपीएल) जनसंख्या आज की तिथि के अनुसार कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों/परिवारों के संबंध में हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त लोगों/परिवारों की औसत मासिक/वार्षिक आय कितनी है; और

(घ) बीपीएल जनसंख्या के जीवन स्तर में समग्र सुधार सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) योजना आयोग देश में गरीबी की संख्या का अनुमान लगाने हेतु एक नोडल संस्था है। योजना आयोग द्वारा वर्ष 2005 में गठित तेन्दुलकर समिति ने गरीबी अनुमान हेतु कार्य प्रणाली की समीक्षा की थी तथा वर्ष 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट में वर्ष 2004-05 के लिए गरीबी प्रति व्यक्ति अनुपात 37.2 प्रतिशत बताया गया है। जिसमें ग्रामीण गरीबी अनुपात 41.8 प्रतिशत तथा शहरी गरीबी अनुपात 25.7 प्रतिशत है। तेन्दुलकर समिति के अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण I में दी गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी प्रति व्यक्ति अनुपात संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों जिन्हें इसके कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ हेतु लक्षित किया जा सके, ही पहचान के लिए बीपीएल जनगणना कराए जाने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। पिछली बीपीएल जनगणना वर्ष 2002 में कराई गई थी।

बीपीएल जनगणना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कराई जाती है तथा बीपीएल सूची संबंधित राज्यों सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की जाती है और संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इनका रख-रखाव किया जाता है। बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए वर्तमान मानदंड/कार्य प्रणाली अर्थात् बीपीएल जनगणना 2002 हेतु मानदंड/कार्य प्रणाली को विशेषज्ञ समूह की सिफारिश पर अपनाया गया था। कार्य प्रणाली गरीबी के प्रौक्सी सूचकों के रूप में लिए गए समाजार्थिक सूचकों संबंधी प्रत्येक परिवार के स्कोर आधारित रैंकिंग (एसबीआर) पर आधारित है। इस प्रणाली में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिबारों की पहचान के लिए ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर एवं जीवन यापन की गुणवत्ता दर्शाते हुए 13 समाजार्थिक मानदंडों का प्रयोग किया गया था। इस समय शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए कोई एक समान मानदंड नहीं है।

हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने डॉ. एन.सी. सक्सेना की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा सुझाई गई कार्य प्रणाली का फील्ड टेस्ट करने तथा वैकल्पिक विकल्पों और आगामी बीपीएल जनगणना कराने हेतु कार्य प्रणाली के संबंध में एक प्रायोगिक सर्वेक्षण कराया है। प्रायोगिक सर्वेक्षण दो चरणों में किया गया है।

चरण I: देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 254 गांवों में प्रश्नावली के माध्यम से परिवार सर्वेक्षण कराया गया है।

चरण II: भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) तकनीकी पर आधारित भागीदारी समाजार्थिक अध्ययन (पीएसईएस) कराया गया है। पीएसईएस उन्हीं 254 गांवों में कराया गया है। जहां परिवार सर्वेक्षण हो चुका है। पीआरए के परिणामों का सर्वेक्षण के निष्कर्षों की संपुष्टि करने हेतु उपयोग किए जाने की संभावना है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रायोगिक सर्वेक्षण में सभी परिवारों की आय के बारे में सूचना एकत्र नहीं की गई है। अत: प्रायोगिक सर्वेक्षण में कवर किए गए परिवारों की औसत मासिक/वार्षिक आय के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) भारत सरकार गरीबी उपशमन के लिए विभिन्न स्कीमों, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), मध्यान्ह भोजन स्कीम (एमडीएम), जवाहर लाल नेहरू, राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) का कार्यान्वयन कर रही है।

विवरण I

वर्ष 2004-05 के लिए तेंदुलकर समिति के गरीबी अनुमान पर आधारित गरीबों की अनुमानित संख्या

क्र.सं.	राज्य/सं.रा.क्षे.	अनुमानित आबादी* (लाख में)	राज्यवार प्रति व्यक्तिगत अनुपात(%)	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या (लाख में) (कॉलम 3*कालम 4)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	798.52	29.9	238.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.56	31.1	3.60

1	2	3	4	5
3.	असम	282.73	34.4	97.26
4.	बिहार	892.64	54.4	485.60
5.	छत्तीसगढ़	222.51	49.4	109.92
5.	दिल्ली	155.69	13.1	20.40
6.	गोवा	14.50	25.0	3.63
7.	गुजरात	541.40	31.8	182.17
8.	हरियाणा	228.83	24.1	55.15
9.	हिमाचल प्रदेश	63.83	22.9	14.62
10.	जम्मू और कश्मीर	107.83	13.2	14.23
11.	झारखंड	288.46	45.3	130.67
12.	कर्नाटक	555.97	33.4	185.69
13.	केरल	329.89	19.7	64.99
14.	मध्य प्रदेश	652.02	48.6	316.88
15.	महाराष्ट्र	1032.18	38.1	393.26
16.	मणिपुर	22.80	38.0	8.66
17.	मेघालय	24.40	16.1	3.93
18.	मिजोरम	9.35	15.3	1.43
19.	नागालैंड	20.94	9.0	1.88
20.	उड़ीसा	384.90	57.2	220.16
21.	पंजाब	257.24	20.9	53.76
22.	राजस्थान	611.36	34.4	210.31
23.	सिक्किम	5.69	31.1	1.77
25.	तमिलनाडु	646.23	28.9	186.76
26.	त्रिपुरा	33.66	40.6	13.67
27.	उत्तर प्रदेश	1798.24	40.9	735.48
28.	उत्तराखंड	90.73	32.7	29.67
29.	पश्चिम बंगाल	842.77	34.3	289.07

1	2	3	4	5
30.	अं. व नि. द्वीप समूह	4.05	28.9	2.19
31.	चंडीगढ़	10.50	20.9	2.19
32.	दादरा व नगर हवेली	2.52	38.1	0.96
33.	दमन व दीव	2.05	25.0	0.51
34.	लक्षद्वीप	0.70	19.7	0.14
35.	पुदुचेरी	10.57	14.1	1.49
	कुल	10957.26	37.2	4076.10

*1 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक की अनुमानित आबादी

टिप्पणी: तेंदुलकर समिति ने पुदुचेरी को छोड़कर संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति अनुपात नहीं दिया है। तथापि, जैसाकि पूर्व में सरकारी अनुमानों के लिए किया जा रहा था, वर्तमान में भी उन्हीं अनुमानों का प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात्

* तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का प्रयोग अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के लिए किया गया है।
* पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का प्रयोग चंडीगढ़ के लिए किया गया है।
* महाराष्ट्र के गरीबी अनुपात का प्रयोग दादरा व नगर हवेली के गरीबी अनुपात का अनुमान करने हेतु किया गया है।
* गोवा के गरीबी अनुपात का प्रयोग दमन व दीव के लिए किया गया है।
* केरल के गरीबी अनुपात का प्रयोग लक्षद्वीप के लिए किया गया है।

विवरण II

राज्य व क्षेत्रक के संबंध में अंतिम गरीबी रेखाएं और गरीबी प्रति व्यक्ति अनुपात (तेंदुलकर रिपोर्ट)

राज्य	गरीबी रेखा (रुपये)		गरीबी प्रति व्यक्ति अनुपात (प्रतिशत)	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर	522.30	602.89	14.1	10.4
हिमाचल प्रदेश	520.40	605.74	25.0	4.6
पंजाब	543.51	642.51	22.1	18.7
उत्तराचंल	486.24	602.39	35.1	26.2
हरियाणा	529.42	626.41	24.8	22.4
दिल्ली	541.39	642.47	15.6	12.9
राजस्थान	478.00	568.15	35.8	29.7
उत्तर प्रदेश	435.14	532.12	42.7	34.1
बिहार	433.43	526.18	55.7	43.7

1	2	3	4	5
सिक्किम	531.50	741.68	31.8	25.9
अरूणाचल प्रदेश	547.14	618.45	33.6	23.5
नागालैंड	687.30	782.93	10.0	4.3
मणिपुर	578.11	641.13	39.3	34.5
मिजोरम	639.27	699.75	23.0	7.9
त्रिपुरा	450.49	555.79	44.5	22.5
मेघालय	503.32	745.73	14.0	24.7
असम	478.00	600.03	36.4	21.8
पश्चिम बंगाल	445.38	572.51	38.2	24.4
झारखंड	404.79	531.35	51.6	23.8
उड़ीसा	407.78	497.31	60.8	37.6
छत्तीसगढ़	398.92	513.70	55.1	28.4
मध्य प्रदेश	408.41	532.26	53.6	35.1
गुजरात	501.58	659.18	39.1	20.1
महाराष्ट्र	484.89	631.85	47.9	25.6
आन्ध्र प्रदेश	433.43	563.16	32.3	23.4
कर्नाटक	417.84	588.06	37.5	25.9
गोवा	608.76	671.15	28.1	22.2
केरल	537.31	584.70	20.2	18.4
तमिलनाडु	441.69	559.77	37.5	19.7
पुदुचेरी	385.45	506.17	22.9	9.9
अखिल भारत	446.68	578.8	41.8	25.7

अल्पसंख्यक लड़कियों/महिलाओं की शिक्षा

2122. **श्री बदरुद्दीन अजमलः** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम राज्य में अल्पसंख्यक लड़कियों में शिक्षा का स्तर संतोषप्रद नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर असम के आंतरिक क्षेत्रों में अल्पसंख्यक लड़कियों एवं महिलाओं में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार असम राज्य की अल्पसंख्यक लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष वित्तीय पैकेज देने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) बालिकाओं सहित अल्पसंख्यक समुदायों के बीच शिक्षा को बढ़ाया देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2010-11 के दौरान पर्याप्त अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले असम के जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 785 प्राथमिक स्कूल, 2711 अतिरिक्त क्लास रूम, 2219 नए प्राथमिक स्कूल तथा 6406 शिक्षक पद संस्वीकृत किए हैं। इसके अलावा, वर्ष 2010-11 के दौरान पालिटेक्निकों में महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु 60.00 करोड़ रु. तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 19.35 करोड़ रु. असम राज्य को जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों को अल्पसंख्यक दर्जा

2123. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 'अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय' एवं 'जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय' को अल्पसंख्यक दर्जा देने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विश्वविद्यालयों को अब तक अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान नहीं करने के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) इन विश्वविद्यालयों को कब तक अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों, पूर्व छात्रों के प्रतिनिधि निकायों तथा सार्वजनिक जीवन से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों से समय-समय पर इस संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) यद्यपि सरकार ने यह कहते हुए अपना पक्ष रखा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अनुसार, यह एक अल्पसंख्यक संस्था है, और यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्णयाधीन है। जहां तक जामिया मिलिया इस्लामिया का संबंध है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग ने इसे हाल ही में अल्पसंख्यक शैक्षिक घोषित किया है।

रिक्तियों को भरना

2124. राजकुमारी रत्ना सिंह:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान दिशा-निर्देशों और नियमों के अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अपनी जरूरत के मुताबिक रिक्तियों को भरने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त दिशानिर्देशों एवं नियमों के अंतर्गत भरी गई रिक्तियों की वर्गवार संख्या कितनी है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त दिशानिर्देशों एवं नियमों का कितनी बार उल्लंघन किया गया है;

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इसके परिणाम क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) सरकारी विभागों में रिक्तियां, उस पद के लिए निर्धारित भर्ती नियमों/विनियमों के उपबन्धों के अनुसार भरी जानी होती हैं। सरकारी विभागों द्वारा भरी गई रिक्तियों के संबंध में, विशिष्ट ब्यौरे संबंधी जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पद रिक्ति संख्या की निगरानी और पदों को भरते समय, भर्ती नियमों/नियमों के पालन की अपेक्षा की जाती है।

हज तीर्थयात्रा के लिए राजसहायता

2125. श्री राधे मोहन सिंह:
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:
श्री गोपीनाथ मुंडे:

क्या **क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति हज यात्रा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी राजसहायता का ब्यौरा क्या है तथा उपलब्ध करायी गयी कुल राजसहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सरकार द्वारा शत प्रतिशत राजसहायता प्रदान करने की कोई योजना बनायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान हज तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु तैनात कर्मियों की संख्या तथा उन पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा हज यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए और लागत वहनीय एवं सुविधाजनक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) भारतीय हज समिति के माध्यम से हज यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की विमान यात्रा की व्यवस्थाएं नागर विमानन मंत्रालय द्वारा की जाती है। चार्टर उड़ानों हेतु हज, 2008 तथा 2009 के लिए प्रत्येक वयस्क तीर्थ यात्री द्वारा 12,000/- रुपए तथा हज 2010 के लिए 16000/- रुपए का भुगतान विमान किराए के रूप में किया गया। हज चार्टर उड़ानों की शेष लागत राशि का वहन सरकार द्वारा किया गया था। लागत राशि के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के लिए सरकार द्वारा वहन की गई अनंतिम कुल लागत (सेवा कर सहित) तथा प्रति तीर्थ यात्रा लागत का ब्यौरा निम्नानुसार हैं-

वर्ष	सरकार द्वारा वहन की गई कुल लागत (करोड़ रुपए में)	सरकार द्वारा वहन की गई प्रति तीर्थ यात्री लागत (रुपए में)
2007	476.74	43,340
2008	894.77	73,526
2009	689.91	57,430

हज 2010 के लिए 1,26,191 तीर्थ यात्रियों की यात्रा के खर्च हेतु सरकार द्वारा 580/- करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय हज समिति (एचसीआई) द्वारा हज के प्रबंधन तथा तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित कर्तव्यों का निष्पादन किया जाता है।

(ङ) कुल विमान किराए में से हज यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए हज तीर्थ यात्रियों से किराए के रूप में मामूली राशि एकत्रित की जाती है। भारत में/के लिए 21 इम्बारकेशन स्थलों से तीर्थ यात्रियों को वाहित किया जाता है। इस वर्ष श्रीनगर पटना, जहां पर तकनीकी खामियां थी, के अलावा सीधी उड़ानों से तीर्थ यात्रियों को वाहित किया गया था। विमान के सवार होने से पहले तथा बाद में, रद्दकरण/उड़ानों के विलंब, बैगेज आदि के मामले में, तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान हेतु एअरलाइनों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षित किया गया है। इसके अलावा, सउदी अरेबिया में इन तीर्थ यात्रियों के रुकने की अवधि के दौरान उन्हें अनेक प्रकार की सहायता भी प्रदान की जाती है।

संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार रोधी संकल्प

2126. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) भारत सरकार ने 9 दिसंबर, 2005 को भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। कन्वेंशन का अभी अनुसमर्थन किया जाना बाकी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस अनुसमर्थन करने से पूर्व यह समुचित समझा गया था कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का इसके अनिवार्य प्रावधानों की अनुपालना करने के लिए, पहले अपेक्षित अध्यवसाय की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए।

कैलाश मानसरोवर यात्रा

2127. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार मानसरोवर यात्रा के लिए आवेदन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या कितनी थी, कितने तीर्थयात्रियों को अनुमति दी गयी तथा कितने तीर्थयात्रियों ने वास्तव में यात्रा की;

(ख) तीर्थयात्रियों को संबंधित राज्यों एवं केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य आकस्मिकता की स्थिति में सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहायता तथा राहत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मानसरोवर यात्रा के दौरान चीन सरकार द्वारा क्या सहयोग दिया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आवेदन करने वाले तीर्थयात्रियों/यात्रियों का विवरण, जिन यात्रियों को यात्रा पर जाने की अनुमति दी गई थी, उनकी संख्या तथा वास्तविक रूप से यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) भारत सरकार भारत व चीन दोनों में पूरी यात्रा के दौरान परिवहन, आवास, भोजन, सुरक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के कार्य करती हैं। यात्रा का आयोजन पिथौरागढ़ जिला प्रशासन, कुमाऊं मंडल विकास निगम और चीनी प्राधिकारियों के समन्वय से स्व-भुगतान आधार पर किया जाता है। दिल्ली में प्रवास के दौरान दिल्ली सरकार भी तीर्थयात्रियों को कुछ सहायता प्रदान करती है। विदेश मंत्रालय प्रत्येक जत्थे के लिए एक संपर्क अधिकारी नियुक्त करता है। आपातकालीन स्थिति में स्व-भुगतान आधार पर भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा एअर-लिफ्ट कराने की भी व्यवस्था की जाती है। विदेश मंत्रालय कैलाश मानसरोवर यात्रा के सुचारू संचालन के लिए चीनी प्राधिकारियों के नियमित संपर्क में रहता है।

विवरण

राज्यों के नाम	यात्रा के लिए आवेदन करने वाले यात्रियों की संख्या या	यात्रा के लिए अनुमोदित यात्रियों की सं.	यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की वास्तविक सं.
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	113	107	41
असम	13	13	5
छत्तीसगढ़	50	48	14
दिल्ली	295	277	126
गुजरात	411	394	155
हरियाणा	64	60	21
हिमाचल प्रदेश	11	10	7
झारखंड	13	13	6
कर्नाटक	121	115	43
केरल	34	32	14
मध्य प्रदेश	73	70	29
महाराष्ट्र	312	295	130
उड़ीसा	10	10	5
पंजाब	26	25	10
राजस्थान	59	58	6
तमिलनाडु	52	49	20
उत्तर प्रदेश	118	113	34
उत्तराखंड	66	64	37
पश्चिम बंगाल	74	69	34
अन्य	39	39	17
कुल	1954	1861	754
कैलाश मानसरोवर यात्रा, 2009			
आंध्र प्रदेश	41	41	19
असम	10	10	5

1	2	3	4
छत्तीसगढ़	25	25	17
दिल्ली	205	205	100
गुजरात	364	364	166
हिमाचल प्रदेश	53	53	19
झारखंड	5	5	5
कर्नाटक	4	4	4
केरल	87	87	40
मध्य प्रदेश	14	14	5
महाराष्ट्र	71	71	35
उड़ीसा	219	219	96
पंजाब	2	2	0
राजस्थान	19	19	6
तमिलनाडु	29	29	13
उत्तर प्रदेश	26	26	13
उत्तराखंड	78	78	31
पश्चिम बंगाल	24	24	18
अन्य	41	41	11
कुल	1334	1334	607
कैलाश मानसरोवर यात्रा, 2008			
आंध्र प्रदेश	21	21	12
असम	8	8	1
छत्तीसगढ़	45	45	12
दिल्ली	168	168	73
गुजरात	300	300	111
हिमाचल प्रदेश	27	27	0
झारखंड	2	2	0
कर्नाटक	113	113	29
केरल	18	18	9
मध्य प्रदेश	68	68	18
महाराष्ट्र	169	169	68
उड़ीसा	3	3	2
पंजाब	21	21	3
राजस्थान	26	26	2
तमिलनाडु	27	27	16
उत्तर प्रदेश	69	69	14
उत्तराखंड	19	19	11
पश्चिम बंगाल	33	33	10
अन्य	44	44	6
कुल	1187	1187	407

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास

2128. श्री मनोहर तिरकी:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास की गति तेज करने के मद्देनजर उपायों की पहचान की है जिन्हें लघु अवधि और दीर्घ अवधि के आधार पर क्रियान्वित किया जाना आवश्यक पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्रियान्वयन के पश्चात् का परिदृश्य क्या होगा;

(ग) इनके प्रारंभ की तिथि को बताते हुए 31 जनवरी, 2011 तक इनके क्रियान्वयन की राज्यवार स्थिति क्या है;

(घ) क्या क्रियान्वयन की कोई समीक्षा की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) दुर्गम मार्ग, परिवहन एवं संचार बाधाओं, प्राकृतिक आपदाओं इत्यादि कारणों की वजह से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की विकास प्रक्रिया धीमी रही है। क्षेत्र के त्वरित विकास हेतु विशेष ध्यान हेतु आवश्यकता को पहचानते हुए, सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न नीतिगत पहलें, उदार योजना निधियन हेतु विशेष श्रेणी राज्यों के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य को श्रेणीबद्ध करना, क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के रूप में कम से कम 10% अनिवार्य निर्धारण, मंत्रालयों के 10% बजटीय आबंटन के खर्च न हुई शेष में से गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल (एनएलसीपीआर) का सृजन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु पूर्वोत्तर परिषद् (एनईसी) को स्थापित करना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु एक समर्पित मंत्रालय का सृजन, इत्यादि जैसी नीति पहलें शुरू की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के कमजोर संसाध न आधार को ध्यान में रखते हुए, संसाधन अंतराल को पूरा करने को विशेष योजना सहायता के रूप में 11वीं योजनावधि के दौरान काफी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा चुकी है, जिसमें राज्यों को अपने प्राथमिकता वाले अल्पावधि एवं दीर्घावधि अवसंरचना आवश्यकता का ध्यान रखने में सक्षम बनाया है।

उपर्युक्त के अलावा, भारत सरकार ने 10वीं एवं 11वीं योजना के दौरान विशेष कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, विशेषत: संपर्कता के क्षेत्रों में जैसे (i) पूर्वोत्तर हेतु विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपीएनई), (ii) पूर्व-पश्चिम गलियारा (सिलचर तक विस्तारित), (iii) अरुणाचल पार राजमार्ग, (iv) रेलवे लाइन परिवर्तन एवं नई लाइनों का विस्तार, (v) हवाई अड्डों का अद्यतन एवं प्रचालन और ग्रीन फील्ड क्षेत्र हवाई अड्डों को स्थापित करना, (iv) पहाड़ी क्षेत्रों इत्यादि में महत्वपूर्ण स्थानों तक हैलिकोप्टर सेवाएं।

विद्युत क्षेत्र में, लघु एवं सूक्ष्म जलीय परियोजनाओं को विकसित करने हेतु उनकी योजना के तहत राज्यों द्वारा की गई पहलों के साथ में भारत सरकार ने बृहत्त जल विद्युत परियोजनाएं जैसे लोअर सुबांसिरी परियोजना, पेयर हाईड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना, कमेंग हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में दिबांग हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना को शुरू किया गया है।

विभिन्न पहलों के तहत शुरू की गई सभी परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के संबद्ध मंत्रालयों द्वारा मानीटर की जा रही हैं और शीघ्र कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर शीर्ष स्तर पर समीक्षा भी की जाती है। परियोजना वार परिदृश्य एवं उनके कार्यान्वयन की स्थिति संबंधित मंत्रालय के पास उपलब्ध होगी।

प्राचीन भाषाओं को प्रोत्साहन

2129. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राचीन भाषाओं विशेषकर कन्नड़ भाषा के विकास हेतु अनुदान प्रदान करने में कोई सक्रिय कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में कन्नड़ अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने प्राचीन भाषा दर्जा के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) कन्नड़ भाषा को 'शास्त्रीय भाषा' के रूप में वर्गीकृत करने के केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय, में शास्त्रीय कन्नड़ भाषा में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना करने के साथ-साथ शास्त्रीय कन्नड़ भाषा में लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों के लिए वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के संबंध में योजना आयोग को उनका अनुमोदन 'सिद्धांत रूप में' प्राप्त करने हेतु स्थाई वित्त समिति का प्रारूप नोट भेजकर अनुवर्ती कार्रवाई की है।

(ग) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में कन्नड़ भाषा अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) उपयुक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए मामले

2130. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए माामलों की संख्या क्या है;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या क्या है जिनकी जांच के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं;

(ग) क्या भ्रष्टाचार रोधी शासन प्रणाली में कोई संरचनात्मक कमियां हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कमियों को दूर करने और भ्रष्टाचार रोधी शासन प्रणाली को और मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तीन वर्षों अर्थात् 2008, 2009, 2010 और 2011 (31.01.2011तक) के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 2276 मामले दर्ज किए गए।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच पूरी होने के बाद 1924 मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए।

(ग) और (घ) भ्रष्टाचार निरोधी शासन प्रणाली में ऐसी कोई संरचनात्मक कमियां नहीं हैं। तथापि, दो प्रमुख भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसियों अर्थात् केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता आयोग की कार्यक्षमता बढ़ाने का केन्द्र सरकार का प्रयास है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, अवसंरचना, आवास को बेहतर बनाना और कार्य की बेहतर परिस्थितियां तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के स्टाफ का नियोजन शामिल है।

केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में लोक अभियोजक, निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और स्टेनो लिपिक के ग्रेडों में 284 पदों का सृजन किया है; और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के जाली भारतीय मुद्रा नोट प्रकोष्ठ के लिए विभिन्न रैंकों के 25 पद सृजित किए हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में विभिन्न ग्रेड़ों में रिक्त पड़े 62 पदों को भी पुनर्जीवित किया गया है। भर्ती नियमों में ढील देते हुए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक स्तर की 77 रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति कोटा की जगह पदोन्नति कोटा के माध्यम से भरने की अनुमति दी गई। अभियोजकों और तकनीकी अधिकारी की संविदा आधार पर 5 वर्ष के लिए नियुक्ति हेतु नई स्कीमों को अनुमोदन दे दिया गया है और विभिन्न राज्यों में अलग से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों के ट्रायल के लिए 71 विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। 54 अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना हेतु आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान करना;
- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पर्यवेक्षण के अधीन लाना;
- शिकायतों का निपटारा करने और अन्वेषण रिपोर्टों की प्रोसेसिंग करने में आयोग की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम कोर सीवीसी प्रक्रियाएं;
- 12 पदों का सृजन निदेशक/उप सचिव के 06 पद शामिल हैं।

यू.एस.ए. के साथ सहयोग

2131. डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री पूर्णमासी राम:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इसरो यू.एस. की 'जेट प्रोपलशन लेबोरेटरी' के साथ संयुक्त रूप से दूसरे चन्द्र मिशन की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मिशन के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना हेतु दोनों देशों द्वारा अंशदान की गयी राशि की मात्रा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से

(ग) अंतरिक्ष विभाग का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) चंद्रमा से नमूने लाने के लिए अमरीका के राष्ट्रीय वायुयानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) के जेट नोदन प्रयोगशाला (जेपीएल) द्वारा संकल्पित किए जा रहे "मूनराईज" नामक भावी चंद्र मिशन में भाग लेने का विचार बना रहा है। 2011 के मध्य तक नासा द्वारा चयन किए गए तीन ग्रहीय मिशनों में से मूनराइज मिशन एक है।

अंतिम चयन एवं आवश्यक अनुमोदनों के बाद इसरो का, जेपीएल के नमूने के साथ वापस आने वाले अंतरिक्षयान के साथ संपर्क बनाने के लिए कक्षित्र अंतरिक्षयान प्रदान करने का प्रस्ताव है। प्रारंभिक अनुमान में प्रचालनों सहित कक्षित्र की लागत 150 करोड़ दर्शाई गई है।

[हिन्दी]

एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. पदों के लिए आरक्षण

2132. डॉ. बलीराम:
श्री टी.आर. बालू:
श्री एस. सेम्मलई:
श्री पन्ना लाल पुनिया:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31.01.2011 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्रों एवं सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में अनुसूचित जातियों (एस.सी.), अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) एवं अन्य पिछड़ा वर्गों (ओ.बी.सी.) के लिए आरक्षित रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस संबंध में समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या आरक्षित एस.सी, एस.टी. एवं ओ.बी.सी. के स्थायी पदों को अनुबंध आधार पर भरने के उदाहरण भी हैं जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध आधार पर स्टाफ को अनुवर्ती रूप से स्थायी स्टाफ के रूप में विलय किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अनुबंध आधार पर नियुक्तियों में आरक्षण लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) उपर्युक्त क्षेत्रों में एस.सी./एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिए रिक्तियों के बारे में किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, भारत सरकार के 73 मंत्रालयों/विभागों ने सूचित किया है कि दिनांक 01.11.2008 की स्थिति के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों आदि में अनुसूचित जातियों के 25187, अनुसूचित जनजातियों के 28461 तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के 23066 बैकलॉग आरक्षित रिक्त पद हैं। इन बैकलॉग आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए नवम्बर 2008 में एक विशेष भर्ती अभियान शुरू किया गया था।

(ग) और (घ) सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण, केवल सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के मामलों में ही उपलब्ध है। केन्द्रीय सरकार के ध्यान में यह आया है कि कुछ मंत्रालय/विभाग आदि कुछ पदों को भर्ती नियमों के अभाव में अनुबंध आधार पर भर रहे हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी ग्रेड में की गई नियुक्ति में सीधी भर्ती के सभी तत्व उपलब्ध हैं, तब वहां भी आरक्षण नीति लागू होगी बेशक नियुक्ति को अनुबंध आधार पर माना जा रहा है।

(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या अभिनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। फिर भी, 73 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 1.11.2008 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के कुल 76714 बैकलॉग आरक्षित रिक्त पद थे।

[अनुवाद]

बी.पी.एल. परिवार की उपरिसीमा

2133. श्री रवनीत सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बी.पी.एल. परिवारों की संख्या की राज्य-वार उपरिसीमा रखी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंजाब में बी.पी.एल. परिवारों की कुल संख्या 15 के प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या बी.पी.एल. परिवारों की कुल संख्या एक बार सदा के लिए निर्धारित की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) योजना आयोग देश में गरीबों की संख्या का अनुमान लगाने हेतु एक नोडल संस्था है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहचान किए जाने वाले बी.पी.एल. परिवारों की राज्य-वार संख्या का वर्तमान ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। योजना आयोग द्वारा वर्ष 2005 में गठित तेन्दुलकर समिति ने गरीबी अनुमान हेतु कार्य प्रणाली की समीक्षा की थी तथा वर्ष 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट में वर्ष 2004-2005 के लिए गरीबी प्रति व्यक्ति अनुपात 37.2 प्रतिशत बताया गया है जिसमें ग्रामीण गरीबी अनुपात 41.8 प्रतिशत तथा शहरी गरीबी अनुपात 25.7 प्रतिशत है। तेन्दुलकर समिति के अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की राज्य-वार संख्या विवरण-II. में दी गई है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन परिवारों, जिन्हें इसके कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ हेतु लक्षित किया जा सके की पहचान के लिए बी.पी.एल. जनगणना कराए जाने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। पिछली बी.पी.एल. जनगणना वर्ष 2002 में कराई गई थी। बी.पी.एल. जनगणना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कराई जाती है तथा बी.पी.एल. सूची संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा तैयार की जाती है। बी.पी.एल. परिवारों की पहचान के लिए वर्तमान मानदंड/कार्य प्रणाली अर्थात् बी.पी.एल. जनगणना 2002 हेतु मानदंड/कार्य प्रणाली को विशेषज्ञ समूह की सिफारिश पर अपनाया गया था। कार्य प्रणाली गरीबी के प्रॉक्सी सूचकों के रूप में लिए गए समाजार्थिक सूचकों संबंधी प्रत्येक परिवार के स्कोर आधारित रैंकिंग (एस.बी.आर.) पर आधारित है। इस प्रणाली में गरीब परिवारों की पहचान के लिए ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर एवं जीवन यापन के गुणवत्ता दर्शाते हुए 13 समाजार्थिक मानदंडों का प्रयोग किया गया है। ये तेरह सूचक हैं - भूमि धारक, घर का प्रकार, कपड़े की उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, उपभोक्ता सामग्रियों का स्वामित्व अर्थात्, टी.वी., इलेक्ट्रिक फैन, रसोई उपकरण, कूकर रेडियो आदि, सर्वोच्च शिक्षित की साक्षरता स्थिति, श्रमिक परिवार की स्थिति, जीवन यापन के साधन, बच्चों की स्थिति, ऋणग्रस्तता का प्रकार, प्रवास कारण और सहायता की वरीयता।

हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय में डॉ. एन.सी. सक्सेना की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा सुझाए गई कार्य प्रणाली की फील्ड टेस्ट करने तथा वैकल्पिक विकल्पों और आगामी बी.पी.एल. जनगणना कराने हेतु कार्य प्रणाली के संबंध में एक प्रायोगिक सर्वेक्षण कराया है। प्रायोगिक सर्वेक्षण दो चरणों में की गई है।

चरण I: देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 254 गांवों में प्रश्नावली के माध्यम से परिवार सर्वेक्षण कराया गया है।

चरण II: भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन (पी.आर.ए.) तकनीकी पर आधारित भागीदारी समाजार्थिक अध्ययन (पी.एस.ई.एस.) कराया गया है। पी.एस.ई.एस. उन्हीं 254 गांवों में कराया गया है जहां परिवार सर्वेक्षण हो चुका है। पी.आर.ए. के परिणामों का सर्वेक्षण के निष्कर्षों की संपुष्टि करने हेतु उपयोग किए जाने की संभावना है। बी.पी.एल. जनगणना 2002 हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना आयोग के गरीबी अनुमानों के अनुरूप पहचान किए जाने वाले बी.पी.एल. परिवारों की संख्या की एक उपरि सीमा थी। राज्यों को बी.पी.एल. परिवारों की संख्या की पहचान इस तरीके से करने को कहा गया था कि यह 1999-2000 के गरीबी अनुमानों अथवा योजना आयोग द्वारा संगणित समायोजित शेयर, जो भी अधिक हो, के समतुल्य हो। इसके अतिरिक्त राज्यों को अस्थायी गरीबों हेतु 10% की अतिरिक्त छूट दी गई थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र राज्य स्तर की सीमा तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अंदर गरीबी स्थिति में भिन्नता पर विचार करते हुए राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर कट-ऑफ स्कोर का निर्धारण करने की छूट दी गई थी।

(घ) और (ङ) योजना आयोग ने पहले ही यह निर्णय ले लिया है कि बी.पी.एल. आबादी हेतु लक्षित किए जाने वाले स्कीमों के लिए लाभार्थियों की पहचान प्रो. सुरेश डी. तेन्दुलकर की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समूह द्वारा संस्तुत 2004-05 हेतु नए गरीबी अनुमानों का प्रयोग करते हुए की जाएगी।

विवरण I

बीपीएल जनगणना 2002 के अंतर्गत समायोजित शेयर अथवा गरीबी अनुमान 1999-2000 के अनुसार पहचान हेतु अनुमत ग्रामीण बीपीएल परिवार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समायोजित शेयर के अनुसार बीपीएल परिवारों की सूची $	कालम 3 का 10%	10% सहित पहचान की लिए अनुमत बीपीएल परिवारों की कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	27.526	2.753	30.279
2.	अरूणाचल प्रदेश $	0.760	0.076	0.836
3.	असम $	18.434	1.843	20.277
4.	बिहार	66.322	6.632	72.954
5.	छत्तीसगढ़	15.019	1.502	16.521
6.	दिल्ली	.	.	.
7.	गोवा	0.063	0.006	0.069
8.	गुजरात	10.361	1.036	11.397
9.	हरियाणा	6.096	0.610	6.706
10.	हिमाचल प्रदेश	2.567	0.257	2.824
11.	जम्मू और कश्मीर	3.177	0.318	3.495
12.	झारखंड	23.851	2.385	26.236
13.	कर्नाटक	20.786	2.079	22.865
14.	केरल	9.327	0.933	10.260
15.	मध्य प्रदेश	30.687	3.069	33.756
16.	महाराष्ट्र	41.089	4.109	45.198
17.	मणिपुर $	1.306	0.131	1.437
18.	मेघालय $	1.578	0.158	1.736
19.	मिजोरम $	0.280	0.028	0.308
20.	नागालैंड $	1.042	0.104	1.146
21.	उड़ीसा *	31.484	3.148	38.000
22.	पंजाब	2.962	0.296	3.258
23.	राजस्थान	15.784	1.578	17.362

1	2	3	4	5
24.	सिक्किम $	0.400	0.040	0.440
25.	तमिलनाडु	24.339	2.434	26.773
26.	त्रिपुरा	2.506	0.251	2.757
27.	उत्तर प्रदेश	93.768	9.377	103.145
28.	उत्तराचंल	5.468	0.547	6.015
29.	पश्चिम बंगाल $	36.022	3.602	39.624
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह.	0.146	0.015	0.161
31.	चंडीगढ़	.	.	.
32.	दादरा और नगर हवेली	0.146	0.015	0.161
33.	दमन और दीव	0.005	0.001	0.006
34.	लक्षद्वीप	0.010	0.001	0.011
35.	पुदुचेरी	0.185	0.019	0.204
	कुल	493.496	49.350	546.213

$-समायोजित शेयर अथवा वर्ष 1999-2000 के गरीबी अनुमान, जो भी अधिक हो, के अनुसार परिवारों की संख्या
x योजना आयोग द्वारा निर्धारित संशोधित सीमा

विवरण II

वर्ष 2004-05 के लिए तेंदुलकर समिति के गरीबी अनुमान पर आधारित गरीबों की अनुमानित संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित आबादी* (लाख में)	राज्यवार प्रति व्यक्ति अनुपात (%)	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या (लाख में) = (कॉलम 3 कालम 4)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	798.52	29.9	238.76
2.	अरूणाचल प्रदेश	11.56	31.1	3.60
3.	असम	282.73	34.4	97.26
4.	बिहार	892.64	54.4	485.60
5.	छत्तीसगढ़	222.51	49.4	109.92

1	2	3	4	5
6.	दिल्ली	155.69	13.1	20.40
7.	गोवा	14.50	25.0	3.63
8.	गुजरात	541.40	31.8	172.17
9.	हरियाणा	228.83	24.1	55.15
10.	हिमाचल प्रदेश	63.83	22.9	14.62
11.	जम्मू और कश्मीर	107.83	13.2	1423
12.	झारखंड	288.46	45.3	130.67
13.	कर्नाटक	555.97	33.4	185.69
14.	केरल	329.89	19.7	64.99
15.	मध्य प्रदेश	652.02	48.6	316.88
16.	महाराष्ट्र	1032.18	38.1	393.26
17.	मणिपुर	22.80	38.0	8.66
18.	मेघालय	24.40	16.1	3.93
19.	मिजोरम	9.35	15.3	1.43
20.	नागालैंड	20.94	9.0	1.88
21.	उड़ीसा	384.90	57.2	220.16
22.	पंजाब	257.24	20.9	53.76
23.	राजस्थान	611.36	34.4	210.31
24.	सिक्किम	5.69	31.1	1.77
25.	तमिलनाडु	646.23	28.9	186.76
26.	त्रिपुरा	33.66	40.6	13.67
27.	उत्तर प्रदेश	1798.24	40.9	735.48
28.	उत्तराचंल	90.73	32.7	29.67
29.	पश्चिम बंगाल	842.77	34.3	289.07
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.05	28.9	1.17
31.	चंडीगढ़	10.50	20.9	2.19
32.	दादरा और नगर हवेली	2.52	38.1	0.96

1	2	3	4	5
33.	दमन और दीव	2.05	25.0	0.51
34.	लक्षद्वीप	0.70	19.7	0.14
35.	पुदुचेरी	10.57	14.1	1.49
	कुल	10957.26	37.2	4076.10

*1 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक द्वारा अनुमानित आबादी

टिप्पणी: तेंदुलकर समिति ने पुदुचेरी को छोड़कर संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति अनुपात नहीं दिया है। तथापि, जैसाकि पूर्व में सरकारी अनुमानों के लिए किया जा रहा था, वर्तमान में भी उन्हीं अनुमानों का प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात्

* तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का प्रयोग अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के लिए किया गया है।

* पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का प्रयोग चंडीगढ़ के लिए किया गया है।

* महाराष्ट्र के गरीबी अनुपात का प्रयोग दादरा व नगर हवेली के गरीबी अनुपात का अनुमान करने हेतु किया गया है।

* गोवा के गरीबी अनुपात का प्रयोग दमन व दीव के लिए किया गया है।

* केरल के गरीबी अनुपात का प्रयोग लक्षद्वीप के लिए किया गया है।

जालसाज एजेण्ट

2134. श्री अंजनकुमार एम. यादव:
श्री एस. अलागिरी:
श्री पी.टी. थॉमस:
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में श्रमिक नौकरी/कामकाज के लिए विदेश जाते हैं अथवा भर्ती करने वाली एजेंसियों द्वारा वहां भेजे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी वर्ष-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रवासी भारतीय कामगारों की ओर से सरकार को विदेशी नियोक्ताओं/भर्ती एजेन्टों द्वार विदेशस्थ रोजगार, फर्जी पेशकशी, अनुबंध के उल्लंघन तथा धोखाधड़ी की शिकातयें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी देश-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्तावधि के दौरान कितनी एजेंसियों को दोषी पाया गया;

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान उनके विरुद्ध प्रकरण-वार क्या कार्रवाई की गई;

(छ) देश में विशेषकर राजस्थान में, ऐसी कितनी पंजीकृत भर्ती-एजेंसियां कार्यरत हैं; और

(ज) सरकार द्वारा कामगारों को भर्ती एजेंटों/उनके विदेशी नियोक्ताओं की धोखाधड़ी से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी हां।

(ख) उन कामगारों का ब्यौरा, जिन्हें उत्प्रवास स्वीकृति प्रदान की गई है, संलग्न विवरण I पर दिया गया है।

(ग) समय-समय पर उत्प्रवासियों को भर्ती एजेंटों द्वारा झूठे/जाली यात्रा दस्तावेज प्रदान करने की शिकायतें सरकार के नोटिस में आती हैं। इन शिकायतों में से अधिकतर विदेशी नियोक्ता द्वारा आश्वासित काम न दिए जाने, मजदूरी का भुगतान न करने, काम करने और रहने की खराब परिस्थितियों, यात्रा/वाणिज्यिक वीजा पर रोजगार के लिए कामगारों की भर्ती, आदि के बारे में होती हैं।

(घ) से (ङ) ऐसे मामलों में पंजीकृत भर्ती एजेंटों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलम्बित/रद्द करने और आवश्यकता पड़ने पर अपराधियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने के लिए, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। 2009 के दौरान, उत्प्रवास महासंरक्षी ने 54 पंजीकरण प्रमाण-पत्रों को निलम्बित/रद्द किया है। गत तीन वर्षों में पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों से संबंधित स्थिति निम्नलिखित है:

पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें

वर्ष	शिकायतों की संख्या	जारी किए गए	निरस्त/रद्द किए गए कारण बताओ नोटिस पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की संख्या	छोड़ दी गई/हल की गई शिकायतों की संख्या	लम्बित मामले जिन पर कार्रवाई की जा रही है
2008	118	118	29	89	0
2009	158	158	54	41	63
2010	145	145	33	27	85

राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते।

भारतीय मिशनों ने भी ऐसे विदेशी नियोक्ताओं को, मामलों की मेरिट के आधार पर, पूर्व अनुमोदन श्रेणी (काली सूची) में शामिल करने की सिफारिश करते हैं। इस प्रकार की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रालय संबंधित विदेशी नियोक्ता को पूर्व अनुमोदन श्रेणी में डाल देता है। एक विदेशी नियोक्ता-जब पूर्व अनुमोदन श्रेणी में शामिल हो जाता है तो उसे भारत से कामगारों की भर्ती करने की अनुमति नहीं होती, जब तक कि वह उस देश में भारतीय मिशन से अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लेता। वर्तमान में, 406 विदेशी नियोक्ता पूर्व अनुमोदन श्रेणी सूची में हैं। देश-वार ब्रेक आप विवरण II पर दिया गया है।

(छ) 03.12.2010 को 1655 पंजीकृत भर्ती एजेंसियां थीं, जिनमें से 20 पंजीकृत भर्ती एजेंट राजस्थान से थे। राज्य-वार ब्यौरा विवरण III में दिया गया है।

(ज) उत्प्रवासियों के संरक्षण और कल्याण के लिए, सरकार द्वारा निम्नलिखित निवारक उपाय किए गए हैं:

(i) ईसीआर के प्रवासी पासपोर्टों पर उत्प्रवास करने वाली सभी महिलाओं के लिए 30 वर्ष की आयु सीमा की पाबंदी।

(ii) उत्प्रवासियों/संभावित उत्प्रवासियों को जानकारी देने और भर्ती एजेंटों/विदेशी नियोक्ताओं के विरुद्ध शिकायतें दायर करने के लिए एक 24 × 7 प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र (ओडब्ल्यूआरसी) हेल्पलाइन स्थापित की गई है;

* प्रवासी भारतीय बीमा योजना, 2006 नामक एक व्यापक बीमा योजना विद्यमान है, जिसे 01.04.2008 से और उन्नत बनाया गया है।

* संभावित उत्प्रवासियों, जिनमें श्रमिक और महिला उत्प्रवासियों जैसे अन्य संवेदनशील वर्ग शामिल हैं, को शिक्षित करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मार्फत एक अभियान नियमित आधार पर शुरू किया गया है ताकि, कानूनी उत्प्रवास के लाभों और अवैध उत्प्रवास की परेशानियों के बारे में प्रचार किया जा सके।

* यदि आवश्यकता हो तो, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, राज्य सरकार के प्राधिकारियों, गृह मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय से समन्वय स्थापित करता है, ताकि उत्प्रवासियों को स्वदेश भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के आवश्यक प्रबंध किए जा सकें और वे अपने-अपने घरों में सुरक्षित लौट सकें।

* उत्प्रवासियों की मौके पर सहायता करने के लिए, सभी ईसीआर देशों सहित, 42 देशों में भारतीय समुदाय कल्याण कोष की स्थापना की गई है।

विवरण I

क्र.सं.	देश	2008	2009	2010
1	2	3	4	5
1.	अफगानिस्तान	405	395	256
2.	बहरीन	31924	17541	15101
3.	ब्रुनेई	607	2	1
4.	इन्डोनेशिया	33	9	3
5.	इराक	–	–	390

1	2	3	4	5
6.	जोर्डन	1377	847	2562
7.	कुवैत	35562	42091	37667
8.	लेबनान	75	250	765
9.	लीबिया	5040	3991	5221
10.	मलेशिया	21123	11345	20577
11.	मालद्वीव	ECNR	ECNR	0
12.	मॉरिशस	ECNR	ECNR	0
13.	ओमान	89659	74963	105807
14.	कतर	82937	46292	45752
15.	दक्षिण अरब	228406	281110	275172
16.	सूडान	1045	708	957
17.	सीरिया	74	0	2
18.	थाईलैण्ड	15	5	05
19.	यूएई	349827	130302	130910
20.	यमन	492	421	208
	योग	848601	610272	641356

विवरण II

विदेशी नियोक्ताओं (पूर्व अनुमोदन श्रेणी) की देश-वार ब्रेक-अप सूची

क्रमांक	देश का नाम	पूर्व अनुमोदन श्रेणी में रखे गए विदेशी नियोक्ताओं की संख्या
1	2	3
1.	अजरबैजान	2
2.	बहरीन	27
3.	ब्रुनेई	2
4.	जोर्डन	8
5.	केन्या	4
6.	कुवैत	39
7.	लीबिया	2
8.	मलेशिया	131
9.	मालटा	2
10.	मॉरिशस	1
11.	नाईजीरिया	1
12.	ओमान	46
13.	कतर	21
14.	सऊदी अरब	81
15.	श्रीलंका	01
16.	युगान्डा	2
17.	यूक्रेन	10
18.	संयुक्त अरब अमीरात	23
19.	यू.एस.ए.	1
20.	वेस्ट इंडीज	1
21.	यमन	2
	योग	406

विवरण II

उन सभी भर्ती एजेंटों की सूची जिनके पास वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र है राज्य-वार

राज्य	3.12.2010
1	2
अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह = 01	0
आन्ध्र प्रदेश = 02	57
असम = 04	0

1	2
बिहार = 05	1
चंडीगढ़ = 07	1
छत्तीसगढ़ = 07	1
दादरा और नगर हवेली = 08	0
दमन व द्वीप = 09	0
दिल्ली =10	253
गोवा = 11	13
गुजरात = 12	13
हरियाणा = 13	12
हिमाचल प्रदेश = 14	1
जम्मू और कश्मीर = 15	2
झारखंड = 16	0
कर्नाटक = 17	14
केरल = 18	235
लक्षदीप = 19	0
मध्य प्रदेश = 20	1
महाराष्ट्र = 21	753
मणिपुर = 22	0
मेघालय = 23	0
मिजोरम = 24	0
नागालैंड = 25	1
उड़ीसा = 26	1
पुदुचेरी = 27	1
पंजाब = 28	75
राजस्थान = 29	20
सिक्किम = 30	0
तमिलनाडु = 31	150
त्रिपुरा = 32	0
उत्तर प्रदेश = 33	12
उत्तरांचल = 34	0
पश्चिम बंगाल = 35	10
कुल	1655

निगरानी प्रणाली

2135. श्री नित्यानंद प्रधानः
श्री वैजयंत पांडाः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए सभी संचार प्लेटफार्मों में एक केन्द्रीयकृत निगरानी तथा अंतर्रोधन (इंटरसेप्शन) प्रणाली स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे किस सीमा तक लाभ पहुंचने की संभावना है; और

(ग) क्या देश में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कोई अन्य कार्य योजना मौजूद है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के निवारण के लिए और संचार का कानूनी अंतरावरोधन करने तथा इसकी मॉनीटरिंग करने हेतु मॉनीटरिंग प्रणाली (सीएमएस) संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। यह अंतरावरोधन और मॉनीटरिंग की मौजूदा मैनुअल प्रणाली को स्वचालित बनाएगी, जिससे अंतरावरोधित नंबरों की गोपनीयता बढ़ेगी तथा सुविधा प्रदान करने संबंधी विलंब में कमी आएगी

(ग) (i) ज्ञात सुरक्षा संबंधी चिंताओं का ध्यान रखने के लिए सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस से संबंधित निबंधन और शर्तों में संशोधन किया गया है।

(ii) दूरसंचार उपस्करों के घरेलू स्तर पर विनिर्माण तथा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है।

[हिन्दी]

क्रेजी काल साफ्टवेयर

2136. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साफ्टवेयर "क्रेजी काल" के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के फोन नम्बर से फोन काल कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त साफ्टवेयर का दिल्ली सहित देश में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभी तक ऐसी कोई सूचना जानकारी में नहीं आई है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

लड़कियों को परेशान करना/छेड़ना

2137. **श्री भूदेव चौधरी:**
श्रीमती मीना सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विद्यालयों/महाविद्यालयों में लड़कियों को परेशान करने/छेड़ने की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी घटनाएं हुईं और इनमें से प्रत्येम मामले में क्या कार्रवाही की गई;

(ख) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए महाविद्यालयों और विद्यालयों के प्राधिकारियों को जारी किए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अपराधों के पीड़ितों की मदद करने के लिए हेल्पलाइन स्थापित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) स्कूल/कॉलेजों में लड़कियों से छेड़खानी करने/उन्हें परेशान की छुट-पुट घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं चूंकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है और अधिकांश स्कूल/कॉलेज राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं अत: ऐसी घटनाओं की संख्या के संबंध में आंकड़े इस मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों में लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपचारी उपाय करने हेतु 8.8.2006 और 5.8.2010 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी वर्ष 2009 में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में रैगिंग की बुराई को समाप्त करने हेतु विनियम भी बनाए हैं जो 17.6.2009 से लागू हुए हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, सरकार ने स्कूली बच्चों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एस सी ई आर टी) में एक हैल्पलाइन (1800116888) स्थापित की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पीड़ितों की सहायता के लिए अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, उड़िया, असमी, गुजराती और बंगाली) में काल सेंटर सुविधाओं के साथ सप्ताह में 24 घंटे उपलब्ध टोलफी हैल्पलाइन (1800-180-5522) स्थापित की है।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे

2138. **श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 8 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के बावजूद गरीब लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आज तक गरीबी में वृद्धि का कोई आंकड़ा रखा है; और

(घ) यदि हां, तो चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान आय तथा गरीबी का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) योजना आयोग सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा घरेलू उपभोग व्यय पर किए जाने वाले दीर्घ प्रतिदर्श सर्वेक्षण से प्राप्त मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एम.पी.सी.ई.) आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या और अनुपात का अनुमान लगाता है। ये सर्वेक्षण लगभग पांच वर्षों के अंतराल पर किए जाते हैं और इसलिए गरीबी अनुमान पांच सालों में एक बार लगाए जाते हैं। ताजा गरीबी अनुमान वर्ष 2004-05 के लिए उपलब्ध हैं। वर्ष 2004-05 के अनुमानों के अनुसार अखिल भारत स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या वर्ष 1993-94 के 320.3 मिलियन की तुलना में 301.7 मिलियन है। इस अवधि के दौरान गरीबी अनुपात 36% से गिरकर 27.5% हो गया।

स्थिर मूल्यों (2004-05) पर विशुद्ध राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय द्वारा आकलित देश में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2006-07 में 28083 से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 36003 हो गई (अग्रिम अनुमान), जिसने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के प्रथम चार वर्षों में 6.4% वार्षिक विकास दर पंजीकृत किया।

ए.ए.आई. में वायु यातायात प्रबंधन सेवा की कमी

2139. श्री रमेश राठौड़: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में वायु यातायात प्रबंधन सेवाओं जैसे ए.टी.सी. तथा संचार, विमानचालन तथा निगरानी कर्मियों की कमी के कारण दैनंदिन कार्य प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी

2140. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में राजधानी में विश्व डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी 2011 आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभाग टिकट संग्रह की एक अनोखी 'कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज्ड डाक-टिकट-माई स्टैम्प' अवधारणा लेकर आया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जनसाधारण कब तक इस सेवा का लाभ उठा सकता है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) नई दिल्ली में हाल ही में 12 से 18 फरवरी, 2011 तक प्रगति मैदान में विश्व डाक-टिकट प्रदर्शनी/इंडिपेक्स्टस-2011 का आयोजन किया गया था, जिसमें 60 से अधिक देशों ने अपने-अपने देशों की डाक-टिकटों, पोस्टल स्टेशनरी और डाक-टिकट साहित्य की प्रदर्शनी लगाई थी।

(ग) और (घ) विश्व डाक-टिकट प्रदर्शनी इंडिपेक्स, 2011 के दौरान 'माई स्टैंप' नामक एक फिलैटलिक उत्पाद की शुरुआत की गई है। इसके तहत किसी व्यक्ति को एक डाक-टिकट के साथ अपनी फोटो प्रिंट करने की अनुमति दी जाती है, जिसे डाक-टिकट शीट पर छिद्रण से अलग रखा जाता है। इस फोटोग्राफ में ग्राहक की तस्वीर के अलावा किसी भी प्रकार का पाठ अथवा अन्य सामग्री अंकित नहीं होती।

(ङ) इस उत्पाद को इंडिपेक्स, 2011 के दौरान प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है। फिलहाल, डाक विभाग इसका प्रदर्शनी जैसे विशेष अवसरों पर उपयोग कर सकता है।

[हिन्दी]

विद्यालयों से बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थी

2141. श्री जितेन्द्र सिंह मलिक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पहले ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों के छात्र बड़ी संख्या में बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का लिंग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बीच में पढ़ाई छोड़ देने के कारणों का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों के पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों का लेखा जोखा नहीं रखा जाता है। तथापि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट "भारत में शिक्षा: 2007-08 भागीदारी और व्यय" के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के अ.ज.जा., अ.जा. तथा अ.पि.व. की श्रेणियों के व्यक्तियों (5-29 वर्ष की आयु तक) जिनका कभी उच्चतर माध्यमिक स्तर में नामांकन हुआ हो और वर्तमान में पढ़ाई छोड़ चुके हैं और या उन्होंने वांछित स्तर की शिक्षा प्राप्त कर ली है अथवा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी नहीं की है, का प्रतिशत क्रमश: 32.8, 28.7 तथा 28.4 है।

(ग) और (घ) सरकार ने पढ़ाई बीच में छोड़ने अथवा पढ़ाई अधूरी छोड़ने के कारणों का आकलन किया है और उसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट "भारत में शिक्षा: 2007-08 भागीदारी और व्यय" में प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2007-08 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई बीच में छोड़ने अथवा पढ़ाई अधूरी रह जाने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

(i) वित्तीय बाध्यताएं - 21.2%

(ii) बच्चों द्वारा पढ़ाई में रुचि न लेना - 20.7%

(iii) पढ़ाई में समर्थ न हो पाना अथवा पढ़ाई में असफल होना - 11.3%

(iv) माता-पिता द्वारा पढ़ाई में रुचि न लेना - 9.7%

(v) वांछित स्तर/कक्षा तक की शिक्षा पूरी कर लेना - 7.9%

(ङ) नि:शुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है, में व्यवस्था है कि 6-14 वर्ष तक की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने तक नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु एक फ्लेगशिप कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान कार्यान्वियन ढांचे को स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों, अध्ययन-कक्षों तथा स्कूलों में सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा साथ ही साथ गुणवत्ता संबंधी उपायों के संदर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान ने समानता आधारित दृष्टिकोण अपनाया है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों तथा समाज के लाभवंचित वर्गों की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करता हैं समाज के लाभवंचित वर्गों की शिक्षा संबंधी सरोकार सर्व शिक्षा अभियान योजना में अंतर्निहित है। अ.जा., अ.ज.जा. के बच्चों और बालिकाओं को शिक्षा की लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए शैक्षिक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ऐसे समूहों हेतु शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए संदर्भ विशिष्ट उपाय किए जाते हैं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत अ.जा., अ.ज.जा., अन्य पिछड़ा वर्ग तथा मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था है। इस योजना के तहत अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. तथा अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए न्यूनतम 75% आरक्षण की व्यवस्था है।

मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य लाभवंचित वर्गों के बच्चों के नामांकन, प्रतिधारण तथा उपस्थिति में वृद्धि करने के साथ-साथ पोषण स्तर में भी सुधार करना है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए आरंभ किया गया है, का उद्देश्य स्त्री-पुरुष अन्तर को समाप्त करना और सामाजिक-आर्थिक अड़चनों को दूर करना तथा वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण के लक्ष्य को पूरा करना है।

[अनुवाद]

पुनर्वास योजना के तहत नियुक्ति

2142. **श्री अर्जुन चरण सेठी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ओड़ीसा के पोस्टल सर्किलों में पुनर्वास सहायता योजना के तहत की गई नियुक्तियों की स्थिति क्या है;

(ख) इन सर्किलों में ऐसी नियुक्ति के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या योग्य उम्मीदवारों के मामले में कोई लंबन है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त योजना के तहत योग्य उम्मीदवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) डाक विभाग में कोई पुनर्वास सहायता स्कीम नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हज के लिए अनिवार्य पारपत्र

2143. **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:**
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय हज समिति ने केवल वैध पारपत्र रखने वाले व्यक्तियों से ही हज, 2011 के लिए आवेदनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस नए नियम से लोगों को परिचित करवाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) सऊदी प्राधिकारियों ने यह अनिवार्य कर दिया है कि हज वीजा के पृष्ठांकन के लिए हज यात्रियों के पास वैध पासपोर्ट होना चाहिए। तदनुसार, हज 2009 से सभी हज यात्री अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्टों पर यात्रा कर रहे हैं। इसलिए, भारतीय हज समिति ने यह निर्णय लिया है कि हज-2011 के इच्छुक हज यात्री अंतिम तारीख से पहले अपने संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की हज समितियों को वैध पासपोर्टों की प्रतिलिपि सहित निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। जिन व्यक्तियों के पास पासपोर्ट नहीं हैं, वे पहले पासपोर्ट के लिए आवेदन करें तथा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से प्राप्त रसीद की प्रतिलिपि संलग्न करें।

(ग) सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों को निदेश दिया गया है कि वे सभी इच्छुक हज यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर पासपोर्ट जारी करें।

(घ) और (ङ) भारतीय हज समिति ने इसका उचित प्रचार-प्रसार किया है। ये तथ्य हज समिति की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

अधिकारियों का प्रशिक्षण

2144. **डा. शशी थरूर:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय में पिछले दो वर्षों के दौरान अधिकारियों को विदेशी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए कितना व्यय किया गया है;

(ख) वरिष्ठ स्तर के ऐसे कितने पद (राजदूत तथा उप-राजदूत) हैं, जहां अधिकारी के भाषा कौशल के अनुरूप देशों में उन्हें तैनात किया गया है;

(ग) क्या यह सत्य है कि अरबी राजभाषा वाले देशों में कोई भी अरबी न जानने वाला राजदूत तैनात किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या तैनाती की नीति यह दर्शाती है कि जिस विशिष्ट संगत भाषा में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों पर व्यय किया गया, उन अधिकारियों की वर्तमान तैनाती भाषा के अनुरूप देशों में की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान मंत्रालय में अधिकारियों के लिए विदेशी भाषा के प्रशिक्षण पर 2,70,85,056 रुपये (दो करोड़ सत्तर लाख पचासी हजार छप्पन रुपये) का व्यय हुआ है।

(ख) विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों में अधिकारियों की तैनाती संबंधित पद की कार्यात्मक आवश्यकताओं एवं उस पद को भरने के लिए प्रस्तावित अधिकारी की उपयुक्ता के आधार पर की जाती है। तैनाती देश के अनुरूप भाषा कौशल रखने वाले देशों में तैनात किए गए वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) उन देशों, जहां की राजभाषा अरबी है, में तैनात अरबी बोलने वाले राजदूतों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) और (च) विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों में अधिकारियों की तैनाती संबंधित पद की कार्यात्मक आवश्यकताओं एवं उस पद को भरने के लिए प्रस्तावित अधिकारी की उपयुक्ता के आधार पर की जाती है। उपरोक्त के मद्देनजर, तैनाती के संबंध में निर्णय लेते समय तैनात किए जा रहे भाषा कौशल एवं कार्य अनुभव को भी ध्यान में रखा जाता है।

विवरण-I

तैनाती वाले देश के अनुरूप भाषा कौशल रखने वाले अधिकारियों की सूची

राजदूत/उच्चायुक्त:

क्रम सं.	नाम	भाषा	पदनाम	केन्द्र	पद भार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	नागेशराव पार्थसार्थी	फ्रेंच	राजदूत	डकार	06/10/2008
2.	असित कुमार नाग (जुलाई, 2011 तक पुनःनियुक्त)	फ्रेंच	उच्चायुक्त	विक्टोरिया	05/04/2008
3.	हामिद अली राव	जर्मन	जेनेवा राजदूत/अंकोड में पी.आर (भारत का स्थायी मिशन)		17/12/2007
4.	प्रभात पी. शुक्ला	रसियन	राजदूत	मास्को	28/09/2007
5.	दीपक किशीनचंद भोजवानी	स्पेनिश	राजदूत	हवाना	13/08/2010
6.	प्रदीप कुमार कपूर	स्पेनिश	राजदूत	सांतिआगो	24/01/2009
प्रतिनियुक्त व्यक्ति:					
1.	रवीश कुमार	भाषा इंडोनेशिया	कोंसुलर	जकार्ता	20/09/2010
2.	अभिलाषा जोशी (सुश्री)	पुर्तगीज	कोंसुल	साओ पालो	11/12/2008
अन्य वरिष्ठ अधिकारी:					
1.	अरुण कुमार साहू	चाइनीज	कोंसुलर	बीजिंग	05/08/2010
2.	अमनदीप सिंह गिल	फ्रेंच	कोंसुलर	जेनेवा (भारत का स्थायी मिशन)	07/05/2010

1	2	3	4	5	6
3.	संजीव कुमार सिंगला	फ्रेंच	कोंसुलर	जेनेवा (भारत का स्थायी मिशन)	08/01/2009
4.	के. नंदिनी सिंगला (सुश्री)	फ्रेंच		जेनेवा (भारत का स्थायी मिशन)	08/01/2009
5.	पुनीत अग्रवाल	जर्मन	कोंसुलर	वियना	11/05/2009
6.	मनीष प्रभात	रसियन	कोंसुलर व निदेशक, जे.एन.सी.सी.	मास्को	13/05/2008
7.	मुनु महावर	रसियन	कोंसुलर	मास्को	02/02/2009
8.	नूतन कपूर महावर (सुश्री)	रसियन	कोंसुलर	मास्को	02/02/2009
केन्द्र प्रमुख					
1.	मदन मोहन सेठी (निदेशक)	बर्मिज	महाकोंसुल	मांडले	13/09/2010
2.	गिना उइका (सुश्री)	रसियन	महाकोंसुल	व्लाडिवोस्टक	26/07/2010
उन देशों में तैनाती जहां पर ये भाषाएं बहुतायत बोली जाती हैं-					
1.	लालदुथलाना राल्ते	चाइनीज	उच्चायुक्त	बंदर सेरी बेगावन	06/10/2010
2.	कुलदीप सिंह भारद्वाज	फ्रेंच	राजदूत	अल्जीयर्स	15/05/2010
3.	सतबीर सिंह	रसियन	राजदूत	उलानबटोर	18/05/2010

विवरण-II

उन देशों, जहां की राजभाषा अरबी है, में तैनात अरबी बोलने वाले राजदूतों और प्रतिनियुक्त व्यक्तियों की सूची

क्रम सं.	नाम	भाषा	पदनाम	केन्द्र	पद भार ग्रहण करने की तारीख
1.	तलमिज अहमद	अरबी	राजदूत	रियाध	24/01/2010
2.	बी.बी. त्यागी	अरबी	राजदूत	रबात	27/12/2008
3.	रामचन्द्रन स्वामीनाथन	अरबी	राजदूत	काहिरा	22/03/2009
4.	मनीमेकलई मुरुगेसन (सुश्री)	अरबी	राजदूत	त्रिपोली	13/02/2008
5.	रवि थापर	अरबी	राजदूत	बेरुत	19/11/2009
6.	औसफ सईद (डा.)	अरबी	राजदूत	सना	19/09/2010
7.	जे.एस. मुकुल	अरबी	राजदूत	मस्कट	मनोनीत

भारत के अरबी बोलने वाले प्रतिनिधि

1.	बिश्वदीप डे	अरबी	भारत के प्रतिनिधि	रामल्ला	12/04/2008

अरबी बोलने वाले प्रतिनियुक्त व्यक्ति

1.	संजीव कोहली	अरबी	मंत्री	दोहा	17/04/2008
2.	बी.एस. मुबारक	अरबी	कोंसुल	जेद्दाह	28/06/2008

पड़ोसी देशों के साथ संबंध

2145. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शांति बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) भारत एक पड़ोसी एवं रणनीतिक भागीदार के रूप में अफगानिस्तान की सरकार और वहां के लोगों को सहायता देने के प्रति वचनबद्ध है, क्योंकि इससे एक शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक, बहुलवादी और समृद्ध देश का निर्माण होता है। भारत पाकिस्तान के साथ आतंक और हिंसा से मुक्त माहौल में सभी बकाया मुद्दों का समाधान करने के प्रति वचनबद्ध है। पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध आतंकवाद के लिए किसी भी प्रकार से अपने नियंत्रणाधीन भूभाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने की अपनी निष्ठापूर्ण वचनबद्धता का अवश्य ही पालन करना चाहिए। आतंकवाद के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा विश्वसनीय एवं कारगर कार्रवाई करना उसके स्वयं के और क्षेत्र के हित में है। सरकार सतर्क रहती है और अपनी वैध सामरिक एवं सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

एस-बैंड स्पेक्ट्रम का आवंटन

2146. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री पी.सी. मोहन:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री राकेश सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक निजी कंपनी को एस-बैंड स्पेक्ट्रम आबंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) उक्त आवंटन के परिणामस्वरूप निजी कंपनी को कितना लाभ पहुंचा है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) इसरो ने किसी निजी कम्पनी को कोई एस-बैण्ड स्पेक्ट्रम आबंटित नहीं किया है। परन्तु, इसरो/अं.वि. के वाणिज्यिक अंग, एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड ने सैटकॉम नीति के प्रावधानों के तहत दो भूस्थिर उपग्रहों पर एस-बैण्ड की अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता के नाम को पट्टे पर देने के लिए मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ जनवरी 2005 में एक करार तय किया।

(ग) निजी कम्पनी को इस करार से कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि उपग्रह अभी तक प्रमोचित नहीं किया गया है और इसलिए कंपनी द्वारा एस-बैण्ड प्रेषानुकर क्षमता का उपयोग नहीं किया गया। इस बीच केन्द्र सरकार ने एन्ट्रिक्स-देवास करार समाप्त करने का निदेश दिया है। तदनुसार, एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन ने 25.02. 2011 को देवास मल्टीमीडिया प्रा.लि. को समाप्ति की सूचना भेजी है।

(घ) केन्द्र सरकार ने सुधारात्मक उपाय सुझाने हेतु और चूक, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु एन्ट्रिक्स और मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्रा.लि. के बीच करार के तकनीकी, वाणिज्यिक, प्रक्रियात्मक तथा वित्तीय पहलुओं की समीक्षा करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। यह समिति

प्रक्रियाओं तथा अनुमोदन प्रक्रिया की पर्याप्तता की समीक्षा भी करेगी और सुधार एवं परिवर्तन सुझायेगी। इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

भारती हैक्साकॉम में टी.सी.आई.एल. की हिस्सेदारी की बिक्री

2147. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारती हैक्साकॉम लि. में टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सलटेन्ट्स इंडिया लिमिटेड (टी.सी.आई.एल.) की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री पर निर्णय लेने के लिए अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ई.जी.ओ.एम.) का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मुद्दे पर ई.जी.ओ.एम. के विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारती हैक्साकॉम लि. में टी.सी.आई.एल. की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के संबंध में कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की बिक्री के मूल्य बैंड एवं अंतिम मूल्य के बारे में निर्णय करने के लिए अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ई. जी.ओ.एम.) पहले ही से गठित है जिसके द्वारा मौजूदा मामले सहित सभी मामलों पर विचार किया जाना अपेक्षित है।

(ग) और (घ) जी, हां। ई-नीलामी सहित विभिन्न मुद्दों पर संसद सदस्यों से भारती हैक्साकॉम लिमिटेड में टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सलटेन्ट्स इंडिया लिमिटेड (टी.सी.आई.एल.) की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। 3जी बी. डब्ल्यू.ए. स्पेक्ट्रम के दौरान ई-नीलामी का जवाब उत्साहवर्धक रहा है। माननीय संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जांच की प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है।

उपयोगकर्ता विकास शुल्क का संग्रहण

2148. श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री रमेश राठौड़:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बेंगलूरू, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई के चारों अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वायु मार्गों के यात्रियों से उपयोगकर्ता विकास शुल्क संग्रहण का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस शुल्क की वसूली में किन मानदण्डों का पालन किया गया है;

(ग) क्या उपरोक्त चारों विमानपत्तनों से वसूला जाने वाला शुल्क एक समान नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का इस शुल्क में और वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) बेंगलूरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, देवनहली पर प्रस्थान करने वाले घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से एकत्रित किए जाने वाले प्रयोगता विकास शुल्क (यू.डी.एफ.) की दर प्रति प्रस्थानकर्ता घरेलू यात्री 260 रुपए और प्रति प्रस्थानकर्ता अंतरराष्ट्रीय यात्री 1070 रुपए है, और राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, शमशाबाद, हैदराबाद पर यह दर प्रति प्रस्थानकर्ता घरेलू यात्री 430 रुपए और प्रति प्रस्थानकर्ता अंतरराष्ट्रीय यात्री 1700 रुपए (सेवा शुल्क, यदि कोई है, के बिना) है।

आई.जी.आई. हवाई अड्डा, नई दिल्ली और सी.एस.आई. हवाई अड्डा, मुंबई पर कोई यू.डी.एफ. एकत्रित नहीं किया जाता। तथापि आई.जी.आई. हवाई अड्डा दिल्ली प्रति प्रस्थानकर्ता घरेलू यात्री से 200 रुपए और प्रति स्थानकर्ता अंतरराष्ट्रीय यात्री से 1300 रुपए की दर से, तथा सी.एस.आई. हवाई अड्डा मुंबई पर प्रति प्रस्थानकर्ता घरेलू यात्री से 100 रुपए और प्रतिस्थानकर्ता अंतरराष्ट्रीय यात्री से 60 रुपए की दर से विकास शुल्क (डी.एफ.), सभी लागू कर समेत, एकत्रित किया जा रहा है।

(ख) यू.डी.एफ. हवाई अड्डा प्रचालनों की आर्थिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए एक राजस्व संवर्द्धक उपाय है और

इसका अनुमोदन विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) द्वारा प्रमुख हवाई अड्डों पर किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हवाई अड्डा प्रचालक को विनियामक परिसंपत्ति आधार पर उचित रिटर्न मिल रहा है तथापि, डी.एफ., परियोजना के लिए एक वित्त पोषण-पूर्व व्यवस्था है जिसका अनुमोदन ऐरा द्वारा प्रमुख हवाई अड्डों की अन्य विकल्पों के जरिए परियोजना का वित्त पोषण करने की अक्षमता की स्थिति में किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। हवाई अड्डों के संबंध में यू.डी. एफ. और डी.एफ. की उगाही उपरोल्लिखित मानदंडों, के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर की जाती है।

(ङ) और (च) बेंगलुरु तथा हैदराबाद हवाई अड्डों पर यू. डी.एफ. में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि ऐरा को हाल ही में आई.जी.आई. हवाई अड्डा, नई दिल्ली और सी.एस. आई.ए. हवाई अड्डा, मुंबई पर डी.एफ. की समीक्षा की बाबत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

कोयले की कमी

2149. श्री पी. कुमार:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने वर्ष 2011-12 में कोयले की मांग 713.24 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया है जबकि घरेलू आपूर्ति 591.78 मिलियन टन तक सीमित रहने का अनुमोदन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कमी को कोयले के आयात से पूरा किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वर्जित क्षेत्रों से चरणबद्ध तरीके से कोयले के निकालने की अनुमति देने का प्रस्ताव करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा विद्युत इकाइयों के लिए कोयले की घरेलू आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) वार्षिक योजना दस्तावेज 2011-12 के अनुसार देश में कोयले की सम्भावित मांग 696.03 मि.ट. है और अनुमानित घरेलू कोयला उत्पादन 554.00 मि.ट. है। तथापि, 5 मि.ट. कोयला सी.आई.एल. द्वारा दिये जाने का प्रस्ताव है जिससे अंतर घटकर 137 मि.ट. हो जायेगा। इस अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जायेगा।

(ग) और (घ) निषिद्ध/प्रतिबंधित क्षेत्रों का मामला पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित "गो एंड नो गो कनसेप्ट" मामले से संबंधित है। मामले के समाधान के लिये मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है।

सी.आई.एल. तथा एस.सी.सी.एस. द्वारा किए गए अनेक उपायों के अलावा भारत सरकार ने विद्युत इकाईयों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की घरेलू सप्लाई में वृद्धि करने के लिये निजी/सार्वजनिक कंपनियों को 208 कोयला ब्लाक आबंटित किए हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में आई.टी. का संवर्धन

2150. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस क्षेत्र के तहत कवर किए गए ग्रामीण क्षेत्रों का राज्य-वार कुल प्रतिशत क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत सरकार ने सामान्य सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) योजना को मंजूरी दी है जिसके अंतर्गत 1,00,000 कयोस्क ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं। इन कयोस्कों में कम्प्यूटर, सम्पर्क तथा प्रशिक्षित और प्रोत्साहन प्राप्त जनशक्ति उपलब्ध है। ये केन्द्र इन्टरनेट की सुविधाओं तथा ई-मेल सहित सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। यह योजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर कार्यान्वित की जा रही हैं जिसमें भारत सरकार केवल राजस्व के व्यावहारिक अंतराल का पोषण कर रही है। 28 फरवरी, 2011 तक लगभग 90,000 सी.ए.सी. स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक सी.एस.सी. प्रत्येक 6 गांवों के लिए 1 सी.एस.सी. के आधार पर स्थापित किया गया है। स्थापित किए गए सी.एस.सी. के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 28 फरवरी, 2011 तक इस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

28 फरवरी, 2011 के अनुसार सामान्य सेवा केन्द्रों की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य	स्थापित किए जाने वाले कुल सी.एस.सी.	28 फरवरी, 11 के अनुसार कार्यान्वयन	% वार
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	5452	2177	40
2.	अरुणाचल प्रदेश	200	112	56
3.	असम	4376	3875	89
4.	बिहार	8463	6989	83
5.	चंडीगढ़	3385	2464	73
6.	छत्तीसगढ़	13	13	100
7.	दिल्ली	520	520	100
8.	गोवा	160	160	100
9.	गुजरात	13695	13695	100
10.	हरियाणा	1159	1159	100
11.	हिमाचल प्रदेश	3366	2592	77
12.	जम्मू और कश्मीर	1109	539	49
13.	झारखंड	4562	4556	100
14.	कर्नाटक	5713	800	14
15.	केरल	2694	2694	100
16.	मध्य प्रदेश	9232	8850	96
17.	महाराष्ट्र	10484	7928	76
18.	मणिपुर	399	399	100
19.	मेघालय	225	184	82
20.	मिजोरम	136	118	87
21.	नागालैंड	220	156	71
22.	उड़ीसा	8558	6044	71
23.	पुदुचेरी	44	44	100
24.	पंजाब	2112	38	2

1	2	3	4	5
25.	राजस्थान	6626	2911	44
26.	सिक्किम	45	45	100
27.	तमिलनाडु	5440	3952	73
28.	त्रिपुरा	145	145	100
29.	उत्तर प्रदेश	17909	9032	50
30.	उत्तरांचल	2804	1709	61
31.	पश्चिम बंगाल	6797	6118	90
	कुल	126043	90018	71

71% स्थापित किए गए यदि कार्यान्वयन की संख्या 126043 है

90% स्थापित किए गए यदि कार्यान्वयन की संख्या 100000 है

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सी.एस.सी.एस.	टिप्पणी
32.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	45	एस.सी.ए. का चयन किया गया एम.एस.ए. पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया जारी है
33.	लक्षद्वीप	10	कार्यान्वयन नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है
34.	दमन और दीव	12	विचार विमर्श किया जा रहा है
35.	दादरा और नगर हवेली	4	विचार विमर्श किया जा रहा है

[अनुवाद]

हज के लिए कोटा

2151. श्री शिवकुमार उदासी:
श्री पन्ना लाल पुनिया:
श्री हमदुल्लाह सईद:
श्री कमल किशोर "कमांडो":

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हज तीर्थयात्रियों के लिए आवंटित कोटे का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान समिति हज कोटे के चलते बड़ी संख्या में लोग हज यात्रा नहीं कर पाए;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा हज तीर्थ यात्रा हेतु राज्यों को कोटा उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) कोटा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हज के लिए गए हजयात्रियों की कुल संख्या के साथ-साथ राज्य-वार और वर्ष-वार आबंटित कोटे का ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II, III, IV, V तथा VI में दिया गया हैं।

(ख) और (ग) जी हां, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या और हजयात्रा पर गए हज यात्रियों की कुल संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	भारतीय हज समिति के माध्यम से हजयात्रा पर गए हजयात्रियों की कुल संख्या
हज- 2008	2,70,962	1,21,787
हज- 2009	3,51,368	1,20,127
हज- 2010	3,01,680	1,26,018

भारतीय हज समिति के तत्वावधान में हज चार्टर उड़ानों से जाने वाले हजयात्रियों के लिए मंत्रालय द्वारा आबंटित कोटे का वितरण वर्ष 2001 की जनगणना में निर्धारित मुस्लिम जनसंख्या के अनुसार राज्य/संघ शासित राज्य की हज समितियों के बीच किया जाता है।

(घ) सऊदी अरब, मुस्लिम जनसंख्या वाले देशों में प्रति एक हजार मुसलमानों के लिए हज हेतु एक सीट का आबंटन करता है। प्रत्येक वर्ष इस राष्ट्रीय कोटा के अलावा, भारत सरकार अधिक मांग को पूरा करने के लिए सऊदी सरकार से अधिक कोटा आबंटित करने का अनुरोध करती है।

विवरण I

अंतिम तिथि 31.05.2008 तक हज 1429 (एच)-2008 के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा अंतिम आबंटित कोटे को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य का नाम	चिन्ह	प्राप्त आवेदनों की संख्या	वास्तविक कोटा	आधिक्य आवेदन सीट	उपलब्ध अतिरिक्त सीट	अतिरिक्त आबंटित हो	अंतिम कोटा	अधिक प्रतीक्षा सूची यदि कोई> 1.75 % × अंतिम कोटा, जहां अधिक आवेदन प्राप्त हुए (5 के गुणक के करीब)		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान निकोबार (संघ शासित)	एएन	67	22	45		45	67	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	एपी	17127	5258	11869		1146	6404	10723	115	
3.	असम	एएस	3090	6332		3242		3090			
4.	बिहार	बीआर	5420	10327		4907		5420			
5.	चण्डीगढ़ (संघ शासित)	सीएच	52	27	25		25	52			
6.	छत्तीसगढ़	सीजी	1272	308	964		67	375	897	10	
7.	दादरा और नगर हवेली (संघ शासित)	डीएन	51	5	46		46	51			
8.	दमन दीव (संघ शासित)	डीडी	37	9	28		28	37			
9.	दिल्ली (संघ शासित)	डीएल	6872	1222	5'650		266	1488	5384	30	
10.	गोवा	जीए	176	69	107		107	176			
11.	गुजरात	जीजे	25039	3457	21582		754	4211	20828	75	
12.	हरियाणा	एचआर	2564	920	1644		201	1121	1443	20	
13.	हिमाचल प्रदेश	एचपी	191	90	101		101	191			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	जम्मू और कश्मीर	जेके	15831	5113	10718		1115	6228	9603	110	
15.	झारखंड	जेआर	2392	2808		416		2392			
16.	कर्नाटक	केए	18052	4864	13188		1060	5924	12128	105	
17.	केरल	केएल	29054	5918	23136		1290	7208	21846	130	
18.	लक्षद्वीप (संघ शासित)	एलडी	413	44	369		248	292	121	5	जीक्यू सहित–239
19.	मध्य प्रदेश	एमपी	13471	2891	10580		630	3521	9950	65	
20.	महाराष्ट्र	एमएच	33941	7730	26211		1685	9415	24526	165	
21.	मणिपुर	एमएन	376	143	233		233	376			
22.	उड़ीसा	ओआर	846	573	273		273	846			
23.	पुदुचेरी	पीवाई	289	45	244		244	289			
24.	पंजाब	पीबी	1151	288	863		63	351	800	10	
25.	राजस्थान	आरजे	11987	3604	8383		786	4390	7597	80	
26.	तमिलनाडु	टीएन	10503	261'	7891		569	3181	7322	60	
27.	त्रिपुरा	टीआर	114	191		77		114			
28.	उत्तर प्रदेश	यूपी	59175	23135	36040		5043	28178	30997	495	
29.	उत्तरांचल	यूए	3487	762	2725		166	928	2559	20	
30.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबी	7922	15233		7311		7922			
31.	सरकारी कोटा	जीक्यू		6000				5761			
	योग	270962	110000		182915	15953	16192	110000	166723	1495	

विवरण II

हज 1996-2008 के दौरान यात्रा पर गए राज्यवार हजयात्रियों को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	यात्रा पर जाने वाले हजयात्रियों की संख्या													
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2006.11	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
अंडमान निकोबार (संघ शासित)	12	18	11	15	30	13	31	22	37	23	38	39	75	67
आंध्र प्रदेश	1753	1599	1935	2406	3459	3711	4634	4841	4584	5299	6206	6980	6992	7187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
असम	461	485	596	472	620	1067	1106	1102	1240	1461	2026	2157	2599	3014
बिहार	597	862	907	1212	1580	1771	1308	1508	1436	1517	2104	2324	3260	5296
चण्डीगढ़ (संघ शासित)	शून्य	3	2	4	21	4	10	22	37	36	33	28	45	50
छत्तीसगढ़	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	210	287	310	395	580	641	680	465
दादरा और नगर हवेली	(*)	5	34	33	30	15	18	5	5	14	4	15	23	47
दमन दीव (संघ शासित)	23	13	12	12	31	23	30	27	9	24	14	10	33	39
दिल्ली (संघ शासित)	1517	1684	2173	2422	3083	2649	2456	2435	2623	3000	2688	2419	1909	2287
गोवा	33	15	13	27	28	28	26	19	20	25	36	74	113	175
गुजरात	5673	4837	5628	5310	7269	7082	5993	4351	5168	5901	6359	4760	4565	5823
हरियाणा	1568	942	1040	855	867	720	577	480	515	926	949	1489	1303	1305
हिमाचल प्रदेश	6	15	11	24	15	39	25	44	51	70	94	110	108	190
जम्मू और कश्मीर	2430	2835	3656	3252	4443	5746	6383	7701	8923	8593	9196	10616	8102	6393
झारखंड	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	692	811	832	921	1045	1310	1631	2331
कर्नाटक	2396	2804	3820	3606	4455	4848	3900	3608	3653	4057	5527	6735	6576	6905
केरल	4588	3908	5361	4192	6969	6221	6780	7813	7503	9121	10742	7870	7811	9009
लक्षद्वीप (संघ शासित)	87	87	143	234	205	216	156	156	123	159	226	247	292	53
मध्य प्रदेश	2628	3021	3932	3604	3638	3406	3282	2895	2588	3306	5297	3775	3789	4292
महाराष्ट्र	8521	8706	10340	10517	10413	10682	10583	8900	9180	9625	11359	11639	10467	12212
मणिपुर	120	157	116	170	126	198	173	132	172	206	191	195	249	359
उड़ीसा	144	83	185	152	240	214	270	236	284	306	423	525	573	803
पुडुचेरी	32	32	52	34	60	72	63	43	53	59	85	145	205	287
पंजाब	411	141	151	126	158	144	180	225	237	230	256	351	580	392
राजस्थान	2967	3263	3422	3119	3987	4297	4202	3585	3348	3862	5522	4923	4783	5062
तमिलनाडु	2449	2049	3309	2661	3537	2858	2682	2743	2621	2578	3812	3608	3447	3801
त्रिपुरा	शून्य	18	5	21	10	9	47	16	25	18	23	39	54	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
उत्तर प्रदेश	9853	13664	13789	15064	13925	12085	11749	11944	12923	14401	18389	27025	29639	30033
उत्तराखंड	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	423	596	897	1377	1966	1081	1192
पश्चिम बंगाल	1296	1378	1711	1916	2227	2056	2278	1972	2336	2231	3316	4561	5634	7685
सरकारी कोटा	781	1046	1238	640	483	959	432	1449	279	1476	1743	2240	3797	4922
नेपाल		100												
निकटतम पड़ोसी									(*) 35					
योग	50346	53770	63592	62100	71909	71133	70276	69795	71711	80772	99660	108816	110415	121787

(*) विद्यमान नहीं

(**) 35-2004 में भगदड़ से मरे लोगों के निमकतम संबंधी

विवरण III

भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हज 1430 (एच)-2009 के लिए हज कोटे का राज्यवार वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य का नाम	मुस्लिम जनसंख्या का अनुमपात	मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात	कोटा	एसएचसी द्वारा आवेदनों की संख्या	अतिरिक्त सीट उपलब्ध	अधिक आवेदन	अतिरिक्त सीटों का आबंटन	कुल अंतिम कोटा	अधिक यदि कोई है	अंतिम कोटे पर 2% प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान निकोबार (संघ शासित)	29,265	–	22	118	–	96	96	118	0	–
2.	आंध्र प्रदेश	6,986,856	6,986,856	5258	23687	–	–	965	6223	17464	124
3.	असम	8,413,252	–	6332	3504	2828	167	–	3504	0	–
4.	बिहार	13,722,048	–	10327	6499	3828	51	–	6499	0	–
5.	चण्डीगढ़ (संघ शासित)	3,731,308	–	2808	2975	–	98	167	2975	0	–
6.	छत्तीसगढ़	35,548	–	27	78	–	51	51	78	0	–
7.	दादरा और नगर हवेली (संघ शासित)	409,615	409,615	308	1568	–	–	57	365	1203	7
8.	दमन दीव (संघ शासित)	6,524	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	दिल्ली (संघ शासित)	12,281	–	9	55		46	46	55	0	–
10.	गोवा	1,623,520	1,623,520	1222	8661	–	–	224	1446	7215	29
11.	गुजरात	92,210	–	69	374	–	305	305	374	0	–
12.	हरियाणा	4,592,854	4,592,854	3457	34164	–	–	634	4091	30073	82
13.	हिमाचल प्रदेश	119,512	–	90	149	–	59	59	149	0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	जम्मू और कश्मीर	1,222,916	1,222,916	920	6126	–	–	169	1089	5037	22
15.	झारखंड	6,793,240	6,793ण240	5113	21172	–	–	938	6051	15121	121
16.	कर्नाटक	6,463,127	6,463,127	4864	22695	–	–	893	5757	16938	115
17.	केरल	7,863,842	7,863,842	5918	44706	–	–	1086	7004	37702	140
18.	लक्षद्वीप (संघ शासित)	57,903	57,903	44	781	–	–	8	52	729	1
19.	मध्य प्रदेश	3,841,449	3,841,449	2891	16704	–	–	531	3422	13282	68
20.	महाराष्ट्र	10,270,485	10,270,485	7730	50997	–	–	1419	9149	41848	183
21.	मणिपुर	190,939	–	144	329	–	185	185	329	0	–
22.	उड़ीसा	761,985	761,985	573	1145	–	–	105	678	467	14
23.	पुडुचेरी	59,358	–	45	371	–	326	326	371	0	–
24.	पंजाब	382,045	382,045	288	969	–	–	53	341	628	7
25.	राजस्थान	4,788,227	4,788,227	3604	17959	–	–	661	4265	13694	85
26.	तमिलनाडु	3,470,647	3,470,647	2612	16735	–	–	479	3091	13644	62
27.	त्रिपुरा	254,442	–	191	72	119	–	–	72	0	–
28.	उत्तर प्रदेश	30,740,158	30,740,158	23135	63067	–	–	4246	27381	35686	548
29.	उत्तरांचल	1,012,141	1,012,141	762	3464	–	–	140	902	2562	18
30.	पश्चिम बंगाल	20,240,543	–	15233	8067	7166	–	–	8067	0	–
31.	सरकारी कोटा										
	योग	138,188,240	91,281,010	104,000	357,294	13,941	1,333	13,941	104,000	253,293	1,626

विवरण IV

हज 1430 (एच)-2009 (एडी) के लिए हजयात्रियों के राज्यवार, और आरोहण-स्थलवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य का नाम	चिन्ह	अहमदाबाद		औरंगाबाद		बंगलौर		कालीकट		चेन्नै		दिल्ली		गुवाहाटी		हैदराबाद		जयपुर		कोलकाता	
			वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	अंडमान निकोबार (संघ शासित)	एएन	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	एपी					354										6343	22				
3.	असम	एएस													3057	2						
4.	बिहार	बीआर											41								9	
5.	झारखंड	सीएच											2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6.	चंडीगढ़ (संघ शासित)	सीजी											61									
7.	छत्तीसगढ़	डीएन																				
8.	दादरा और नगर हवेली (संघ शासित)	डीडी																				
9.	दमन दीव (संघ शासित)	डीएल																				
10.	दिल्ली (संघ शासित)	जीए											2636	4								
11.	गोवा	जीजे																				
12.	गुजरात	एचआर	5751	5																		
13.	हिमाचल प्रदेश	एचपी											129									
14.	हरियाणा	जेके											1258	1								
15.	जम्मू और कश्मीर	जेआर																				
16.	कर्नाटक	केए					5248	16								821	1	2				
17.	केरल	केएल							7944	5												
18.	लक्षद्वीप (संघ शासित)	एलडी							285													
19.	मध्य प्रदेश	एमपी											2									
20.	महाराष्ट्र	एमएच			2299	4										3						
21.	मणिपुर	एमएन													268							
22.	उड़ीसा	ओआर																			666	
23.	पुडुचेरी	पीवाई							74		274											
24.	पंजाब	पीबी											377									
25.	राजस्थान	आरजे																5241	12			
26.	तमिलनाडु	टीएन									3624	9										
27.	त्रिपुरा	टीआर																			60	
28.	उत्तर प्रदेश	यूपी											11706	40								
29.	उत्तरांचल	यूए											1040	5								
30.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबी																			7043	
	सरकारी कोटा	जीक्यू	1229		12		307		232		179		333				50		142		3	
	खादीमुलहुज्जाज	केएच			7		6		14		12		31		8		21		14		3	
	एचसी	एचसी											28				2				3	
	योग		6980	5	2318	4	5915	16	8549	5	4190	9	17644	50	3333	2	7240	23	5399	12	7787	0

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य का नाम	चिन्ह	लखनऊ		मुंबई		नागपुर		पटना		श्रीनगर		वाराणसी		इंदौर		मंगलौर		रांची		योग	
			वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1.	अंडमान निकोबार	एएन																			101	0
2.	आंध्र प्रदेश	एपी																			6697	22
3.	असम	एएस																			3057	2
4.	बिहार	बीआर			39	1			5569	6											5658	7
5.	झारखंड (संघ शासित)	सीएच			11														2573	5	2586	5
6.	चंडीगढ़	सीएच																			61	0
7.	छत्तीसगढ़	सीजी			23		561	2													584	2
8.	दादरा और नगर हवेली (संघ शासित)	डीएन			90																90	0
9.	दमन दीव (संघ शासित)	डीडी			60																60	0
10.	दिल्ली (संघ शासित)	डीएल																			2636	4
11.	गोवा	जीए			404																404	0
12.	गुजरात	जीज			4																5755	5
13.	हिमाचल प्रदेश	एचआर																			129	0
14.	हरियाणा	एचपी																			1258	1
15.	जम्मू और कश्मीर	जेके									7590	3									7590	3
16.	कर्नाटक	जेआर			3												672				6746	17
17.	केरल	केए			35																7979	5
18.	लक्षद्वीप (संघ शासित)	केएल			107		867	2													285	0
19.	मध्य प्रदेश	एलडी	6		9561	41	1692	5							3309	9					4285	11
20.	महाराष्ट्र	एमपी																			13561	50
21.	मणिपुर	एमएन																			268	0
22.	उड़ीसा	ओआर																			666	0
23.	पुडुचेरी	पीवाई			1																349	0
24.	पंजाब	पीबी																			377	0
25.	राजस्थान	आरजे			4																5245	12
26.	तमिलनाडु	टीएन																			3624	9
27.	त्रिपुरा	टीआर																			60	0
28.	उत्तर प्रदेश	यूपी	12690	39	56								4101	6							28553	85
29.	उत्तरांचल	यूए																			1040	5
30.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबी			2																7045	0
	सरकारी कोटा	जीक्यू	232		192		29				28		24		71		1				3064	0
	खादीमुलहुज्जाज	केएच	36		15		6				22		2		11				4		212	0
	एचसी				69																102	0
	योग		12964	39	10676	42	3155	9	5569	6	7640	3	4127	6	3391	9	673	0	2577	5	120127	245

विवरण V

हज 1431 (एच)-2010 के लिए हज कोटे का राज्यवार विवरण, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम जनसंख्या पर आधारित

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य का नाम	मुस्लिम जनसंख्या का अनुमपात	कोटा	एसएचसी द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या	अतिरिक्त सीट उपलब्ध	अधिक प्राप्त आवेदन	अतिरिक्त सीटों का आबंटन	कुल अंतिम कोटा	अधिक यदि कोई है	आरसीएस के अंतर्गत संपुष्ट	कुराह के लिए आबंटित कोटा	अंतिम कोटे पर प्रतीक्षा सूची 5%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अंडमान निकोबार (संघ शासित)	29,265	22	119	–	97	97	119	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	6,986,856	5258	17831	–	12573	769	6027	11804	154	5873	301
3.	असम	8,413,252	6332	4220	2112	–	–	4220	–	–	–	–
4.	बिहार	13,722,048	10327	6268	4059	–	–	6268	–	–	–	–
5.	चण्डीगढ़ (संघ शासित)	35,548	27	43	–	16	16	43	–	–	–	–
6.	छत्तीसगढ़	409,615	308	1322	–	1014	45	353	969	–	353	18
7.	दादरा और नगर हवेली	6,524	5	15	–	10	10	15	–	–	–	–
8.	दमन दीव (संघ शासित)	12,281	9	54	–	45	45	54	–	–	प	–
9.	दिल्ली (संघ शासित)	1,623,520	1222	6305	–	5083	179	1401	4904	195	1206	70
10.	गोवा	92,210	69	341	–	272	272	341	–	–	–	–
11.	गुजरात	4,592,854	3457	27085	–	23628	506	3963	23122	1363	2600	198
12.	हरियाणा	1,222,916	920	4337	–	3417	135	1055	3282	296	759	53
13.	हिमाचल प्रदेश	119,512	90	187	–	97	97	187	–	–	–	–
14.	जम्मू और कश्मीर	6,793,240	5113	22763	–	17650	748	5861	16902	854	5007	293
15.	झारखंड	3,731,308	2808	2896	–	88	88	2896	–	–	–	–
16.	कर्नाटक	6,463,127	4864	16719	–	11855	712	5576	11143	234	5342	279
17.	केरल	7,863,842	5918	38113	–	32195	866	6784	31329	1556	5228	339
18.	लक्षद्वीप (संघ शासित)	57,903	44	561	–	517	6	50	511	–	50	3
19.	मध्य प्रदेश	3,841,449	2891	16197	–	13306	423	3314	12883	770	2544	166
20.	महाराष्ट्र	10,270,485	7730	37183	–	29453	1,131	8861	28322	909	7952	443
21.	मणिपुर	190,939	144	354	–	210	210	354	–	–	–	–
22.	उड़ीसा	761,985	573	948	–	375	84	657	291	–	657	33
23.	पुडुचेरी	59,358	45	321	–	276	276	321	–	–	–	–
24.	पंजाब	382,045	288	798	–	510	42	330	468	–	330	17
25.	राजस्थान	4,788,227	3604	14235	–	10631	527	4131	10104	510	3621	207
26.	तमिलनाडु	3,470,647	2612	11999	–	9387	382	2994	9005	202	2792	150
27.	त्रिपुरा	254,442	191	108	83	–	–	108	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	उत्तर प्रदेश	30,740,158	23135	55711	–	32576	3,384	26519	29192	339	26180	1326
29.	उत्तरांचल	1,012,141	762	3322	–	2560	111	873	2449	219	654	44
30.	पश्चिम बंगाल	20,240,543	15232	10325	4907	–	–	10325	–	–	–	–
31.	सरकारी कोटा											
	योग	138,188,240	104,000	300,680	11,161	207,841	11,161	104,000	196,680	7.601	71,148	3,937

विवरण VI

हज 14310 (एच)-2010 (एडी) के लिए हजयात्रियों के राज्यवार और आरोहण स्थल-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य का नाम	चिन्ह	अहमदाबाद		औरंगाबाद		बंगलौर		कालीकट		चेन्नै		दिल्ली		गुवाहाटी		हैदराबाद		जयपुर		कोलकाता	
			वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	अंडमान निकोबार	एएन											109								6771	17
2.	आंध्र प्रदेश	एपी					352												3613	2		
3.	असम	एएस																				
4.	बिहार	बीआर													4							
5.	झारखंड (संघ शासित)	सीएच																				
6.	चंडीगढ़	सीएच													41							
7.	छत्तीसगढ़	सीजी																				
8.	दादरा और नगर हवेली (संघ शासित)	डीएन																				
9.	दमन दीव (संघ शासित)	डीडी																				
10.	दिल्ली (संघ शासित)	डीएल																				
11.	गोवा	जीए													1919	4						
12.	गुजरात	जीज															276	1				
13.	हिमाचल प्रदेश	एचआर													171							
14.	हरियाणा	एचपी													1203	2						
15.	जम्मू और कश्मीर	जेके																				
16.	कर्नाटक	केए					4978	12													763	3
17.	केरल	केएल									8201	2										
18.	लक्षद्वीप (संघ शासित)	एलडी									59											
19.	मध्य प्रदेश	एमपी							2179	6												
20.	महाराष्ट्र	एमएच			2637	2							3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
21.	मणिपुर	एमएन																	307			
22.	उड़ीसा	ओआर																				
23.	पुडुचेरी	पीवाई									81		204									
24.	पंजाब	पीबी												394	1							
25.	राजस्थान	आरजे													3							
26.	तमिलनाडु	टीएन					2						3744	3								
27.	त्रिपुरा	टीआर																				
28.	उत्तर प्रदेश	यूपी													13545	24						
29.	उत्तरांचल	यूए													1145	6						
30.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबी																				
	सरकारी कोटा	जीक्यू	2011		68		709		120		584		393		906						107	
	खादीमुलहुज्जाज	केएच	3		11		15		7		14		10		23				8		18	
	एचसी														10							
	योग		7240	8	2716	2	6056	12	2306	6	8939	2	4463	4	19364	37	276	1	3928	2	7669	20

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य का नाम	चिन्ह	लखनऊ		मुंबई		नागपुर		पटना		श्रीनगर		वाराणसी		इंदौर		मंगलौर		रांची		अहमदाबाद		औरंगाबाद		योग	
			वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु	वयस्क	शिशु
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1.	अंडमान निकोबार	एएन																							109	1
2.	आंध्र प्रदेश	एपी							21																7144	17
3.	असम	एएस			60				1						3057	2									3874	2
4.	बिहार	बीआर			8				6				542	3											5439	3
5.	चण्डीगढ़ (संघ शासित)	सीएच							1														2689	2	2690	2
6.	छत्तीसगढ़	सीएच																							41	0
7.	दादरा और नगर हवेली (संघ)	सीजी							38		433	1													471	1
8.	दमन दीव (संघ शासित)	डीएन									16														16	0
9.	दिल्ली (संघ शासित)	डीडी									46														48	0
10.	गोवा	डीएल																							1919	0
11.	गुजरात	जीए																							276	1
12.	हरियाणा	जीज																							5226	8
13.	हिमाचल प्रदेश	एचआर																							171	0
14.	जम्मू और कश्मीर	एचपी																							1203	2
15.	झारखंड	जेके													6820										6820	0
16.	कर्नाटक	जेआर																			733	1			6474	16
17.	केरल	केए																							8201	2
18.	लक्षद्वीप (संघ शासित)	केएल																							59	0

1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
19.	मध्य प्रदेश	एलडी							261		2								1704	2					4146	8
20.	महाराष्ट्र	एमपी							8233	13	1634														12507	15
21.	मणिपुर	एमएन																							307	0
22.	उड़ीसा	ओआर			756	2																			756	2
23.	पुदुचेरी	पीवाई																							285	0
24.	पंजाब	पीबी																							394	1
25.	राजस्थान	आरजे	5164	14																					5167	14
26.	तमिलनाडु	टीएन																							3746	3
27.	त्रिपुरा	टीआर			103																				103	0
28.	उत्तर प्रदेश	यूपी					2918	30	18		2						4316	7							30799	61
29.	उत्तरांचल	यूए																							1145	6
30.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबी			9876	4																			9576	4
	सरकारी कोटा	जीक्यू	469				404		548		122				42		57		96		134				6770	0
	खादीमुलहुज्जाज	केएच	14		8		41		20		7		11		23								9		242	0
	एचसी				2				82						2										96	0
	योग		5647	14	10513	6	3363	30	9291	13	2200	1	5432	3	6887	0	4373	7	1800	2	867	1	2698	2	126018	173

महत्वपूर्ण शहरों के लिए विमान सेवा

2152. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलियाः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सूरत और राजकोट विमानपत्तनों से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में विभिन्न गंतव्य स्थानों के लिए नई उड़ानें शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विभिन्न संगठनों/कार्पोरेट घरानों/व्यापारिक समुदायों से प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी, नहीं। घरेलू सेक्टर में प्रचालन मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुपालन के मद्देनजर वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर संबंधित एयरलाइनों द्वारा गैर विनियमित तथा उड़ानों को प्रचालित किया जाता है।

(ग) और (घ) सूरत तथा राजकोट से विमान सेवाओं में वृद्धि किए जाने के लिए पिछले चार वर्षों में सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	आवेदक	अनुरोध
1.	श्री कुंवरजी भाई, संसद सदस्य (लोक सभा), गुजरात	राजकोट से दिल्ली के लिए उड़ान
2.	डा. टी. चौधरी, एम.ओ.एस. (लोक सभा), गुजरात	सूरत से दिल्ली के लिए विमान संपर्कता
3.	श्री अजय भट्टाचार्य, अध्यक्ष, दक्षिण गुजरात, चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री	सूरत के लिए राष्ट्रीय विमान संपर्कता

सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्ग संवितरण और दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बहरहाल, यह एअरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए यातायात मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराएं।

कोयले के स्त्रोतों का यौक्तिकरण

2153. श्री सी.आर. पाटिल: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले के स्त्रोतों के यौक्तिकरण के मुद्दे पर गठित कृतक बल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) जी, हां।

(ख) इस प्रश्न के भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कार्यबल का 24 अप्रैल, 2011 तक सक्षम प्राधिकारी को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की संभावना है।

स्पेक्ट्रम का उपयोग

2154. श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री लाल चन्द कटारिया:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री उदय प्रताप सिंह:
श्री सुरेश अंगडी:
श्री धनंजय सिंह:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सरकारी और निजी एजेंसियों को आवंटित स्पेक्ट्रम का क्षमता से कम उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सरकारी और निजी एजेंसियों का आवंटित स्पेक्ट्रम के प्रभावी उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट):* (क) जी, नहीं।

*(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) से (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने "स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग ढांचा" पर दिनांक 11 मई, 2010 की अपनी सिफारिशों में यह उल्लेख किया है कि "अधिकांश देशों में स्पेक्ट्रम के प्रबंधन के लिए विनियामक जिम्मेदार होता है। प्राधिकार ने इस पहलू को ध्यान में रखते हुए उन क्षेत्रों की जांच किया है जहां से शुरुआत की जा सकती है और निम्न कार्यों को निर्धारित किया है जिन्हें वह स्वयं पूरा करेगा

* स्पेक्ट्रम लेखा परीक्षा
* अंतरावरोधन की निगरानी और नियंत्रण
* स्पेक्ट्रम पुनः निर्धारण
* नई प्रौद्योगिकियों का अभिनिर्धारण

सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है।

सम्मिलित वार्ता

2155. श्री मनीष तिवारी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात पर सहमति बनी है कि जुलाई 2011 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के दौरे से पहले अनेक मुद्दों पर सरकारी स्तर की बैठकें होंगी;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान के साथ पहले की जा रही सम्मिलित वार्ता में प्रस्तुत मुद्दों से ये मुद्दे किस प्रकार भिन्न हैं; और

*दिनांक 9.3.2011 के वाद-विवाद में अतारांकित प्रश्न संख्या 2154 के भाग (क) और भाग (ख) के उत्तर को बाद में 17.08.2011 को सभा में दिए गए एक शुद्धि करने वाले विवरण के माध्यम से शुद्ध किया गया। तदनुसार, उत्तर को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया है:
"(क) और (ख) नए यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंसीज (यूएएसएल) के मामले में, आवंटित स्पेक्ट्रम को ऐसे समय तक कम प्रयुक्त किया जाएगा जब तक कि पर्याप्त उपभोक्ता आधार को प्राप्त न कर लिया जाए और/अथवा रोल आउट दायित्व को पूरा न कर लिया जाए। अन्य सरकारी और निजी प्रयोक्ताओं के संदर्भ में, स्पेक्ट्रम कुछ भौगोलिक स्थानों में कम प्रयुक्त हो सकता है।"

(ग) पाकिस्तान के साथ वर्तमान दौरे की वार्ता से सरकार को क्या आशाएं हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अप्रैल, 2010 में थिम्पू में हुई बैठक और भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की जुलाई, 2010 में इस्लामाबाद में हुई बैठक द्वारा दिये गए अधिदेश के अनुसरण में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने भारत-पाकिस्तान संबंधों को आगे बढ़ाने का मार्ग निर्धारित करने के लिए 6 फरवरी, 2011 को थिम्पू में मुलाकात की। दोनों विदेश सचिव सभी बकाया मुद्दों का हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच रचनात्मक वार्ता करने की आवश्यकता पर सहमत हुए। दोनों पक्ष निम्नलिखित पर सहमत हुए:

(i) वे, दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच थिम्पू बैठक की भावना के अनुरूप सभी मुद्दों पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए।

(ii) पाकिस्तान के विदेश मंत्री अपने समकक्ष के साथ वार्ता प्रक्रिया में प्रगति की समीक्षा करने के लिए जुलाई, 2011 में भारत की यात्रा करेंगे। इसके पश्चात दोनों देशों के विदेश सचिवों की बैठक होगी।

(iii) वे इस बात पर सहमत हुए कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री की यात्रा से पूर्व संबंधित सचिवों के स्तर पर आतंकवादरोधी (मुम्बई के मुकदमों पर प्रगति सहित); मानवीय मुद्दे; विश्वासोत्पादक उपायों सहित शांति एवं सुरक्षा; जम्मू एवं कश्मीर; मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान को प्रोत्साहन; सियाचिन; आर्थिक मुद्दों, वुल्लर बराज/तुलबुल नौवहन परियोजना और सर क्रीक (अपर सचिव/महासर्वेक्षक के स्तर पर) पर बैठकें आयोजित की जाएंगी।

(iv) उपर्युक्त बैठकों की तिथि राजनयिक माध्यमों के जरिए तय की जाएंगी।

[हिन्दी]

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

2156. श्री महाबल मिश्रा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना का क्या उद्देश्य है और इसकी उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) संस्थान को प्राप्त हुए सुझावों और शिकायतों की संख्या क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) संस्थान में लापरवाही और अनियमितताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आई.आई.पी.ए.) का गठन, लोक प्रशासन तथा सरकारी तन्त्र तथा इनसे संबंधित शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान को बढ़ावा देने और इनके अध्ययन का प्रावधान करने के लिए किया गया है।

आई.आई.पी.ए. की उपलब्धियां/विशेष क्रियाकलाप प्रशिक्षण, सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशाला/विन्यास व्याख्यानों का आयोजन करने, अनुसंधान एवं परामर्शदात्री कार्य करने, प्रकाशन, मामला अध्ययन कार्यक्रम इत्यादि के क्षेत्रों में है। इन क्रियाकलापों का ब्यौरा, वर्ष 2009-10 की आई.आई.पी.ए. की वार्षिक रिपोर्ट में देखा जा सकता है, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में दिनांक 01 दिसम्बर, 2010 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

(ख) और (ग) संस्थान को, आमसभा की वार्षिक बैठक तथा क्षेत्रीय/स्थानीय शाखाओं के प्रमुखों की वार्षिक बैठक में सदस्यों से सलाह प्राप्त होती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, अर्थात् 2009-10, 2008-09 तथा 2007-08 के दौरान, संस्थान ने 128 सुझाव प्राप्त किए हैं। आई.आई.पी.ए. की कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन से इन सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। संस्थान को शिथिलता तथा अनियमितताओं के संबंध में कोई भी शिकायत नहीं मिली है।

[अनुवाद]

गहरे कोहरे में उड़ान भरने योग्य विमान

2157. श्री वैजयंत पांडा:
श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गहरे कोहरे में उड़ान भरने योग्य विमान विकसित करने का प्रस्ताव है और सरकार ने ऐसे विमानों हेतु हरी झंडी दिखा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य देशों के समान इस प्रयोजन हेतु नए मानक तैयार किए जा चुके हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी जेलों में बंद मछुआरे

2158. श्रीमती पूनम बेलजीभाई जाट:
श्री आर. ध्रुवनारायण:
श्री हरिन पाठक:
श्री महेन्द्र कुमार राय:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पड़ोसी देशों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अपनी नौकाओं सहित पकड़े गए, मार दिए गए तथा रिहा किए गए भारतीय मछुआरों की वर्ष-वार और देश-वार संख्या कितनी है और वर्तमान में उनकी जेलों में कितने मछुआरे बंद हैं तथा वे किन-किन राज्यों से हैं; और

(ख) सरकार ने पकड़े गए मछुआरों को छुड़ाने और भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) वर्ष 2008, 2009 और 2010 में पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा पकड़े गए, रिहा किए गए भारतीय मछुआरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

देश	मछुआरे					
	2008		2009		2010	
	पकड़े गए	रिहा किए गए	पकड़े गए	रिहा किए गए	पकड़े गए	रिहा किए गए
पाकिस्तान	223	195	256	100	100	454*
श्रीलंका	1456	1456	127	127	34	34
बांग्लादेश	शून्य	शून्य	3	3	शून्य	शून्य

*454 की संख्या में विगत वर्षों में पकड़े गए मछुआरे शामिल हैं।

श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर की गई गोलाबारी/हमलों की घटनाओं में: 2008 में 5 मछुआरे मारे गए; 2009 में कोई नहीं; 2010 में एक मछुआरा मारा गया और 2011 में 2 मछुआरे मारे गए। 2008 में पाकिस्तानी जेलों में दो भारतीय मछुआरों की मृत्यु हुई, 2009 में एक मछुआरे की मृत्यु हुई तथा 2010 में एक मछुआरे की मृत्यु हुई। वर्तमान में पाकिस्तान और श्रीलंका की हिरासत में रखे गए भारतीय मछुआरों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	देश	हिरासत में रखे गए मछुआरों की संख्या	हिरासत में रखी गई नौकाओं की संख्या	जिस राज्य से संबंधित हैं
1.	पाकिस्तान	243	487	उनमें से अधिकांश गुजरात एवं दीव एवं दमन से संबंधित हैं।
2.	श्रीलंका	शून्य	शून्य	
3.	बांग्लादेश	2	शून्य	पश्चिम बंगाल

(ख) सरकार पाकिस्तान और श्रीलंका से भारतीय मछुआरों एवं उनकी नौकाएं छुड़ाने का लगातार प्रयास कर रही है। दोनों सरकारों को सिफारिशें करने के लिए 26 फरवरी, 2008 को कैदियों संबंधी भारत-पाकिस्तान न्यायिक समिति का गठन किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मछुआरों को तुरंत छोड़ा जाना और उनसे कोंसली संपर्क मुहैया कराना और एक दूसरे के जेलों में राष्ट्रिकों की समेकित सूची का आदान-प्रदान करना शामिल था। भारत और श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आई.एम.बी. एल.) पार करने वाले वास्तविक भारतीय और श्रीलंकाई मछुआरों की पहचान करने के लिए व्यावहारिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के वास्ते 26 अक्तूबर, 2008 को करार किया। इन व्यवहारिक व्यवस्थाओं के भाग के रूप में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय मछुआरों और पोतों पर कोई गोलीबारी नहीं की जाएगी और मछली पकड़ने वाले भारतीय पोत श्रीलंका सरकार द्वारा श्रीलंका की तटरेखा से लगे चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। संयुक्त वक्तव्य के माध्यम से अक्तूबर, 2008 में किए गए समझौते के पश्चात पकड़े जाने की घटनाएं काफी कम हुई हैं। हमारे मछुआरों के मारे जाने पर भारत सरकार की पुरजोर चिंता से अवगत कराने के लिए विदेश सचिव ने जनवरी, 2011 में श्री लंका की यात्रा की। विदेश सचिव की यात्रा के दौरान एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया, जिसमें दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि किसी भी हालत में बल प्रयोग को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। थिम्पू में श्रीलंका के विदेश मंत्री प्रो. पेइरिस के साथ 7 फरवरी, 2011 को उनकी मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री ने पुरजोर ढंग से भारतीय मछुआरों पर हमलों का मुद्दा उठाया और हमारे मछुआरों के विरुद्ध हिंसा पर हमारी गहरी चिंता से अवगत कराया।

ज्योंही बांग्लादेश प्राधिकारियों द्वारा भारतीय मछुआरों की हिरासत का मामला सरकार के ध्यान में लाया जाता है, हमारे उच्चायोग द्वारा बंदी बनाए गए मछुआरों का शीघ्र देश-प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाते हैं। वर्तमान में बांग्लादेश में बंदी बनाए गए दो मछुआरों को देश-प्रत्यावर्तित करने के प्रयास जारी हैं।

लंबित परियोजनाएं

2159. श्री नरहरि महतो: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय उसके सरकारी उपक्रमों और अधीनस्थ कार्यालयों की संयुक्त उद्यम परियोजनाओं सहित ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनकी लागत 20 करोड़ रुपये या इससे अधिक है और जो समय से पीछे चल रही है;

(ख) प्रत्येक मामले में विलंब के क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप राजकोष को अनुमानित कुल कितनी हानि हुई है; और

(ग) सरकार ने इन परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा करने तथा व्यय में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) मंत्रालय की इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अधीनस्थ कार्यालयों सहित 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली ऐसी 38 परियोजनाएं जो निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अधीनस्थ कार्यालय	निर्धारित समय से पीछे चल रही परियोजनाओं की संख्या
दूरसंचार विभाग	शून्य
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	4
सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का कार्यालय	4
टेलीकम्यूनिकेशंस कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी.सी.आई.एल.)	3
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	5
भारत संचार निगम लिमिटेड	20
टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र	2
डाक विभाग	सूचना एकत्र की जा रही है

(ख) विलंब के कारणों में अंतर प्रचालनीयता संबंधी मुद्दों का समाधान करने, कुछ राज्यों में छतों पर टावरों की स्थापना हेतु स्थानीय निकायों से अनुमति प्राप्त करने, राज्य विद्युत कंपनियों से विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने, विक्रेताओं से उपकरणों की आपूर्ति प्राप्त करने, बाजार में आपूर्ति संसाधनों की कमी के कारण उपस्कर विक्रेताओं द्वारा अवसंरचना संबंधी मदों की आपूर्ति आदि में विलंब होना शामिल है।

इन सभी मामलों में राजकोष को हुई हानि या तो शून्य, नगण्य है अथवा विभिन्न कारणों से अपरिमाणनीय है।

(ग) परियोजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण करने और संबंधित व्यय को कम करने की दृष्टि से, स्थानीय निकायों तथा अन्य एजेंसियों को इन्हें अनुमोदित करने के लिए कहा जा रहा है। निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है, विक्रेताओं को निविदा की शर्तों के अनुसार विलंब के लिए दंडित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

मोबाइल टावरों में डीजल जनरेटर

2160. श्री तूफानी सरोज:
श्री ए.टी. नाना पटील:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में डीजल जनरेटरों से चल रहे मोबाइल टावरों की राज्य-वार संख्या और उनका प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन टावरों से हो रहे कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दूरसंचार कंपनियों से अपने गैस के उत्सर्जन के संबंध में घोषणा करने के लिए कभी कहा गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने उद्योग के कार्बन 'फुट प्रिंट' को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) देश में 5.88 लाख दूरसंचार बी.टी.एस. टावर है। उनका विवरण निम्नवत है:

क्र.सं.	लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र/राज्य	बी.टी.एस. की संख्या
1.	असम	9771
2.	आंध्र प्रदेश	47458
3.	बिहार	36911
4.	चैन्ने	14718
5.	दिल्ली	18455
6.	गुजरात	36420
7.	हरियाणा	15161
8.	हिमाचल प्रदेश	5811
9.	जम्मू और कश्मीर	8235
10.	कर्नाटक	41502
11.	केरल	26812
12.	कोलकाता	15434
13.	मध्य प्रदेश	34874
14.	महाराष्ट्र	41306
15.	मुम्बई	19313
16.	पूर्वोत्तर	5750
17.	उड़ीसा	18680
18.	पंजाब	23957
19.	राजस्थान	30183
20.	तमिलनाडु	37638
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	40626
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	32277
23.	पश्चिम बंगाल	26785
	कुल	588077

24 घंटे बिजली उपलब्ध न होने के कारण प्रचालक देश भर में सेलुलर टावरों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए डीजल जनरेटरों पर निर्भर है।

(ख) और (ग) इन टावरों से कार्बन उत्सर्जन की मात्रा का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) दूरसंचार कंपनियों से कभी भी उनके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बारे में नहीं पूछा गया है।

(ङ) (i) मोबाइल बेस टर्मिनल स्टेशनों को बिजली प्रदान करने के लिए सौर एवं सौर-पवन हाईब्रिड सिस्टम हेतु पायलेट परियोजना को कार्बन फुट प्रिंट एवं जनरेटर प्रचालन घंटों में कमी लाने तथा तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करने के लिए चलाया जा रहा है।

(ii) टी.ई.आर.आई. के "लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स" कार्यक्रम के सहयोग से मोबाइल फोनों को रीचार्ज करने के लिए सौर ऊर्जा आधारित चार्जिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु 5000 ग्रामों में प्रायोगिक आधार पर यू.एस.ओ.एफ. से राज-सहायता प्रदान की जा रही है।

[अनुवाद]

ओ.सी.आई. और पी.आई.ओ. कार्ड

2161. श्री पद्मसिंह बाजीराव पाटील: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रवासी भारतीयों (ओ.सी.आई.) और भारतीय मूल के व्यक्ति (पी.आई.ओ.) कार्ड धारकों को वीजा मुक्त यात्रा, आवास का अधिकार, व्यवसाय में भागीदारी और अन्य गतिविधियों में अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) भारत सरकार भारतीय मूल के व्यक्तियों को, प्रवासी भारतीय नागरिक (ओ.सी.आई.) और भारतीय मूल के व्यक्ति (पी.आई.ओ.) कार्ड जारी कर रही है। इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं और उनका ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और II पर दिया गया है।

विवरण I

प्रवासी भारतीय नागरिक योजना के ब्यौरे और मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

* योजना में भारतीय मूल के सभी लोगों, जो 26 जनवरी, 1950 को अथवा उसके बाद भारत के नागरिक थे अथवा जो 26 जनवरी, 1950 को भारत के नागरिक बनने के पात्र थे और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देशों के नागरिक थे, के पंजीकरण की व्यवस्था है।
* योजना को अगस्त, 2005 में, नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करके लागू किया गया था और इसे जनवरी, 2006 से संचालित किया गया था।
* पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिकों को ओ.सी.आई. पंजीकरण प्रमाण-पत्र और भारत भ्रमण के लिए आजीवन बहु-आयामी प्रवेश, बहु-प्रयोजन वीजा जारी किया जाता है।
* पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिकों को भारत में कितने भी समय तक ठहरने के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण कराने से छूट दी जाती है।
* पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिकों को, कृषि अथवा बागान संपत्तियों की खरीद से संबंधित मामलों को छोड़कर, आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों को मिलने वाली सभी उपलब्ध सुविधाएं समान रूप से दी जाती हैं। तथापि विशिष्ट लाभों को नागरिकता अधिनियम की धारा 7 ख (1) के अन्तर्गत अधिसूचित किया जाना है।

विवरण II

पी.आई.ओ. कार्ड का ब्यौरा

* भारतीय मूल का वह व्यक्ति पी.आई.ओ. कार्ड प्राप्त करने का पात्र है–

(i) जो किसी भी समय भारतीय नागरिक रहा हो।

(ii) वह या उसके माता-पिता या दादा-दादी के माता-पिता का जन्म भारत में हुआ था या स्थाई रूप से वे भारतीय निवासी रहे हों, बशर्ते कि उनमें से कोई भी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका का नागरिक नहीं था।

(iii) वह किसी ऐसे राज्य-क्षेत्र से सम्बन्धित था, जो 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का भाग बन गया।

* पी.ओई कार्ड, भारतीय मूल के लोगों और पी.आई.ओ. कार्ड धारकों के विदेशी पतियों/पत्नियों को जारी किया जाता है।
* एक पी.आई.ओ. कार्ड धारक 15 वर्षीय वैध वीजा का हकदार होता है।

* एक पी.आई.ओ. कार्ड धारक को किसी एकल यात्रा पर भारत में 180 दिनों से अधिक तक ठहरने के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकरण के पास पंजीकरण कराना अपेक्षित है।

* पंजीकृत भारतीय मूल के लोगों को, कृषि अथवा बागान सम्पत्तियों की खरीद से सम्बन्धित मामलों को छोड़कर, आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों को मिलने वाली सभी सुविधाएं समान रूप से दी जाती है।

विमानपत्तनों का विकास

2162. श्री गजानन ध. बाबर: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में विकसित किए जाने हेतु प्रस्तावित विमानपत्तनों के नाम क्या हैं;

(ख) महाराष्ट्र में विमानपत्तनों के विकास की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में इन विमानपत्तनों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा महाराष्ट्र राज्य में प्रबंधित किए जा रहे सात हवाईअड्डे हैं: औरंगाबाद, नागपुर, पुणे, अकोला, जुहू, गोंदिया तथा जलगांव। यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मुहैया कराने के लिए समय-समय पर इन हवाईअड्डों पर विकास कार्य किये जाते रहते हैं। इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा नवी मुंबई तथा सिन्धुदुर्ग में नए ग्रीन फील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए "सैद्धान्तिक रूप में" अनुमति दी गई है।

इन हवाईअड्डों के विकास की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

नवी मुम्बई-केन्द्र सरकार द्वारा ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के विकास के लिए "सैद्धान्तिक रूप में" महाराष्ट्र राज्य सरकार के उपक्रम "सिटी एण्ड इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन" लिमिटेड (सिडको) को अनुमति दी गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए पर्यावरणीय तथा तटीय क्षेत्र विनियम (सी.आर.जेड.) क्लीयरेंस प्रदान कर दी गई है।

सिन्धुदुर्ग-केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के सिन्धुदुर्ग में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए सितम्बर, 2008 में महाराष्ट्र राज्य सरकार को "सैद्धान्तिक रूप से" अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा हवाईअड्डे के निर्माण के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एम.आई.डी.सी.) नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। एम.आई.डी.सी. द्वारा 271 हेक्टेयर भूमि अर्जित कर ली गई है। टेलीफोन, विद्युत तथा जल आपूर्ति लाइनों के डायवर्जन से संबंधित कार्य पूरा हो गया है।

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में प्राथमिक स्कूलों का निर्माण

2163. श्री विष्णु पद राय: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के बरतांग द्वीप में बोआल्चा गांव में किसी प्राथमिक स्कूल के भवन का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भवन के निर्माण पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) इस स्कूल में अस्थाई तौर पर कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं;

(घ) क्या योजनागत निधियों को बचाने के लिए विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार दूरदराज/पिछड़े क्षेत्रों में पूर्व निर्मित क्लासरूमों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में बोलचा ग्राम में 17,46,568 रु. की लागत से एक प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण किया गया है। इस विद्यालय में अस्थायी तौर पर 19 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं।

(घ) और (ङ) इस संघ शासित प्रदेश में पूर्व निर्मित कक्षा-कक्षों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशों में आई.आई.टी. और आई.आई.एम. परिसर

2164. डा. थोकचोम मैन्या: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार का विचार विदेशों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.) के परिसरों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक ऐसे परिसरों में भारतीय और अनिवासी भारतीय छात्रों हेतु कोटे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे परिसरों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा भारतीय प्रबंध संस्थान के परिसरों की विदेशों में स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कॉलों हेतु निपटान शुल्क

2165. श्री खगेन दास:
श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में दूरसंचार प्रचालकों के बीच मध्य पूर्व देशों को कॉलों हेतु निपटान शुल्कों में असमानता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रचालकों को समान अवसर प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को इस मामले में हस्तक्षेप करने का कार्य सौंपा गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सूचित किया है कि इसकी जानकारी में यह लाया गया है कि मध्य-पूर्व के प्रचालकों ने भारत से उन देशों को भेजे जा रहे परियात हेतु भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों (आई.एल.डी.ओ.) द्वारा भुगतान की जा रही निपटान दर को एकपक्षीय तौर पर बढ़ाया है। तथापि, विदेशी प्रचालकों द्वारा भारतीय प्रचालकों को भुगतान की गई निपटान दरें, भारतीय सेवा प्रदाताओं के मध्य कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण, कम हैं।

(ग) और (घ) ट्राई अधिनियम, 1997 के द्वारा दूरसंचार सेवाओं के प्रशुल्क के विनियमन का अधिकार ट्राई को दिया गया है।

(ङ) और (च) ट्राई ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभारों (यानि अंतर्राष्ट्रीय निपटान) सहित अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों पर लगने वाले वाहक प्रभारों को स्थगित रखा है। तथापि, ऊपर (क) और (ख) को देखते हुए ट्राई ने इस मुद्दे पर स्टेकधारियों की राय मांगी है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन का घनत्व

2166. श्री लाल चन्द कटारिया:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री दत्ता मेघे:
श्री उदय प्रताप सिंह:
श्री नारनभाई कछाड़िया:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और इसके राज्य-वार कारण क्या हैं;

(ग) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व को शहरी क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में मोबाइल का नेटवर्क भी बहुत घटिया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इन क्षेत्रों में नेटवर्क में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) दिनांक 31.12.2010 को देश

के शहरी टेली-घनत्व के 147.52% होने की तुलना में ग्रामीण टेली-घनत्व 31.22% है। दिनांक 31.12.2010 को सेवा क्षेत्र-वार ग्रामीण और शहरी टेली-घनत्व को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम टेली-घनत्व के कारण निम्नवत हैं:

(i) कम प्रतिव्यक्ति आय।

(ii) अवसंरचना यानि बिजली, सड़कें आदि की कम उपलब्धता जोकि दूरसंचार के विकास के लिए अनुकूल नहीं है।

(iii) कम साक्षरता दर।

(iv) ग्रामीण आबादी का सामाजिक-आर्थिक स्तर।

(v) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन की अधिकतर मांग दूर-दराज में फैले हुए क्षेत्रों से आती है जहां दूरसंचार नेटवर्क कायम करना तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा के प्रावधान की लागत इन सेवाओं के द्वारा अर्जित राजस्व से अधिक है।

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेली-घनत्व बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में वायर लाइन टेलीफोनों की मांग को पूरा करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) मांग एवं तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर एक्सचेंज से 2.5 किमी. के पूर्ववर्ती मानक की तुलना में अब 5 किमी. तक केबल बिछा रहा है।

2. बी.एस.एन.एल. ने, ऐसे छितरे हुए एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों, जहां लैंडलाइन पर टेलीफोन कनेक्शन तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, में लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) नेटवर्क में वायरलैस लगाए हैं।

3. बी.एस.एन.एल. ने राष्ट्रीय राजमार्गों, महत्वपूर्ण कस्बों, तीर्थस्थलों एवं राज्य राजमार्गों पर अपना मोबाइल नेटवर्क लगाया है।

4. दिनांक 31.01.2011 तक लगभग 5,74,673 गांवों यानी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आवासित राजस्व गांवों के 96.81% भाग को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) से कवर किया गया है। जारी सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) स्कीमों के तहत शेष आवासित राजस्व गांवों में वी.पी.टी. उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

5. 1,85,121 वी.पी.टी. जोकि पहले मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एम.ए.आर.आर.) प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहे थे और जिन्हें 01.04.2002 से पहले स्थापित किया गया था, उन्हें विश्वसनीय प्रौद्योगिकियों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। दिनांक 31.01.2011 तक कुल 1,84,649 एम.ए.आर.आर. वी.पी.टी. (99.74%) को प्रतिस्थापित किया जा चुका है।

6. विशिष्ट ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों, जहां कोई मौजूदा फिक्स्ड वायरलैस या मोबाइल कवरेज नहीं था, में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान हेतु 27 राज्यों के 500 जिलों में 7363 (7871 से संशोधित) अवसंरचना स्थलों/टावरों की स्थापना एवं उनके प्रबंधन हेतु सरकारी इमदाद उपलब्ध कराने के लिए यू.एस.ओ. निधि से एक स्कीम प्रारंभ की गई है। इस स्कीम के तहत दिनांक 31.01.2011 तक 7251 यानी लगभग 98.48% टावरों की स्थापना की गई है। इस प्रकार सृजित अवसंरचना को मोबाइल सेवाओं के प्रावधान हेतु तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा साझा किया जा रहा है। सेवा प्रदाताओं द्वारा दिनांक 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार 13866 बी.टी.एस. (बेस ट्रांसीवर स्टेशनों) को चालू किया गया है और मोबाइल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। बी.एस.एन.एल. द्वारा प्रदान की जा रही मोबाइल संचार हेतु ग्लोबल सिस्टम (जी.एस.एम.) आधारित सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा इसके लाइसेंसीकृत क्षेत्र में संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है और सामान्यतः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता (क्यू.ओ.एस.) संबंधी मानकों को पूरा कर रहा है। तथापि, देश के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क सुधारने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. बी.एस.एन.एल. अपने मोबाइल नेटवर्क को लगातार बढ़ा रहा है ताकि कवरेज, क्षमता को बढ़ाया जा सके और सेवा की गुणवत्ता को और सुधारा जा सके।

2. बी.एस.एन.एल. अपने निष्पादन को सुधारने के लिए अपने नेटवर्क का भी लगातार विस्तार कर रहा है।

3. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता के मानकों के संदर्भ में ट्राई, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक संकुलन रिपोर्टों और

तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्टों (पी.एम.आर.) की मार्फत, सेवा प्रदाताओं के निष्पादन की निगरानी कर रहा है। सितंबर, 2010 को समाप्त तिमाही की निष्पादन निगरानी रिपोर्ट के अनुसार, बुनियादी एवं सेलुलर सेवा प्रदाता, दोषपूर्ण मामलों की कुछ घटनाओं और बुनियादी सेवा प्रदाताओं से संबंधित कुछ दोष सुधारों को छोड़कर, विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा के गुणवत्ता मानकों संबंधी विभिन्न नेटवर्क बैंचमार्कों को सामान्यत: पूरा कर रहे हैं।

4. ट्राई सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है जैसे मासिक आधार पर संकुलन के अंतर कनेक्शन बिन्दु (पी.ओ.आई.) की निगरानी, सेवा के गुणवत्ता बैंचमार्कों को पूरा करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत करना और खामियों की समस्या को दूर करने के लिए विस्तृत कार्य योजना मांगना, बुनियादी, सेलुलर एवं ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता का स्वतंत्र एजेंसियों आदि की मार्फत सर्वेक्षण के आधार पर तथ्यपरक आकलन करना आदि।

विवरण

दिनांक 31.12.2010 को देश में सेवा क्षेत्र-वार ग्रामीण, शहरी और समग्र टेली-घनत्व

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	टेली-घनत्व (% में)		
		ग्रामीण	शहरी	समग्र
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	31.28	171.99	70.27
2.	असम	22.16	114.10	35.88
3.	बिहार	20.73	157.28	39.34
4.	गुजरात	43.69	124.23	76.12
5.	हरियाणा	47.55	136.77	77.49
6.	हिमाचल प्रदेश	69.70	389.47	104.86
7.	जम्मू और कश्मीर	28.02	97.48	46.62
8.	कर्नाटक	32.28	166.84	82.25
9.	केरल	51.26	228.94	96.67
10.	मध्य प्रदेश	20.31	112.22	44.66
11.	महाराष्ट्र (मुम्बई को छोड़कर)	41.90	105.77	63.88
12.	पूर्वोत्तर	29.14	119.61	50.89
13.	उड़ीसा	26.80	179.25	51.31
14.	पंजाब	53.32	162.13	97.97
15.	राजस्थान	36.73	144.01	62.37
16.	तमिलनाडु (चैन्ने को छोड़कर)	46.03	145.90	93.89

1	2	3	4	5
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) *	24.13	132.77	48.28
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) *			
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	32.59	139.64	47.80
20.	कोलकाता	#	#	150.74
21.	चैन्ने	#	#	159.80
22.	दिल्ली	#	#	208.94
23.	मुम्बई	#	#	174.83
	समस्त भारत	31.22	147.52	66.17

* उत्तर प्रदेश (पूर्व) एवं उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सेवा क्षेत्रों की आबादी के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।
# चार मैट्रो शहरों में ग्रामीण टेलीफोन हैं लेकिन ग्रामीण-शहरी आबादी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
नोट: पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सेवा क्षेत्रों के आंकड़ों में क्रमश: अंडमान एवं निकोबार तथा सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल के जी.एस.एम. टेलीफोन भी शामिल हैं चूंकि निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता सेवा क्षेत्रवार ही आंकड़े उपलब्ध कराते हैं।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रिक्त पद

2167. श्री सज्जन वर्मा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/और अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त पदों को भरने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान वर्ष के दौरान आज की तिथि के अनुसार ऐसे कितने आरक्षित पद भरे गए हैं;

(ग) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग श्रेणी के छात्रों को छात्रवृत्ति न प्रदान करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालयों को समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों को भरने की सलाह दी जाती है। राज्य विश्वविद्यालय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तथा उनके द्वारा पदों के आरक्षण की संबंधित नीतियों की अनुपालना की जाती है।

(ख) वर्ष 2009-10 के दौरान भरे गए आरक्षित पदों की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित जनजातियां		अन्य पिछड़े वर्ग	
	शिक्षण	शिक्षणेत्तर	शिक्षण	शिक्षणेत्तर	शिक्षण	शिक्षणेत्तर
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	357	1783	182	948	63	1666
राज्य विश्वविद्यालय	893	3994	208	883	1450	5279
निजी विश्वविद्यालय	28	88	1	6	86	449
सम विश्वविद्यालय	88	551	27	215	249	835
राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं	73	184	21	69	93	304

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हेलीकॉप्टरों की खरीद

2168. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीशः क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पवन हंस हैलीकाप्टर लि. (पी.एच.एच.एल.) के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) आगामी दो वर्षों के दौरान खरीदे/पट्टे पर लिए जाने वाले हैलीकाप्टरों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पी.एच.एच.एल. के लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पी.एच.एच.एल. के कार्यकरण में सुधार करने हेतु उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संगठनों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है। पवन हंस हैलीकाप्टर लि. (पी.एच. एच.एल.) में ऐसी एक समीक्षा बैठक दिनांक 23.02.2011 को आयोजित की गई थी। जिसमें संगठन के कार्यनिष्पादन तथा समग्र वृद्धि की रणनीति के बारे में चर्चा की गई थी।

(ग) पवन हंस हैलीकाप्टर लि. की दो ट्वीन ईंजन वाले हल्के हैलीकाप्टर तथा दो अल्ट्रालाईट हैलीकाप्टर खरीदे जाने की योजना है। इसकी योजना, वेट लीज पर, एक हैवी ड्यूटी वाले हैलीकाप्टर लेने की भी है।

(घ) पिछले तीन वर्षो के दौरान कर पश्चात् निवल लाभ वर्ष 2007-08 23.17 करोड़ रु.; 2008-09 25.12 करोड़ रु. तथा 2009-10 35.59 करोड़ रु. है।

(ङ) पी.एच.एच.एल. द्वारा अपने कार्य संचालन को सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कस्टमर बेस का विस्तार, प्रचालन के नए क्षेत्रों की खोज तथा मेडिकल इवेकुवेशन, हैली-पर्यटन, सी-प्लेन सेवाएं, तकनीशियनों का प्रशिक्षण, रोहिणी, दिल्ली में हैलीपोर्ट का निर्माण शामिल है।

विदेशों में कोयला खानों का अधिग्रहण

2169. श्री उदय सिंहः
श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वीः
श्री दुष्यंत सिंहः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण अफ्रीका सहित अलग-अलग देशों में कोयला खानों का अधिग्रहण करने का है ताकि भारतीय कंपनियां वहां कोयला परिसंपत्तियां अर्जित करने के साथ-साथ स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का विकास करने में उनकी सहायता कर सकें;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ इस संबंध में चर्चा हुई है और उन देशों की क्या प्रतिक्रिया रही;

(ग) क्या केन्द्र सरकार देश में रक्षित कोयला खानों हेतु दक्षिण अफ्रीका से स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी प्राप्त करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत और मलावी ने विशेष रूप से कोयले के संबंध में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र खनिज संसाधनों विशेष रूप से कोयले के विकास के संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की संभावना तलाशी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) ने निम्नलिखित समझौता ढांचों के अंतर्गत मौजूदा अथवा ग्रीनफील्ड कोयला संसाधनों में स्टेकों को खरीदने के लिए ऑस्ट्रेलिया, यू.एस.ए., साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया जैस अधिमत स्थानों में नीतिगत साझेदार/साझेदारों का चयन करने के लिए जुलाई, 2009 में वैश्विक रुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) आमंत्रित की थी:-

(क) सी.आई.एल. द्वारा प्रचलित आयात मूल्य से कम मूल्य पर दीर्घावधि ऑफ टेक संविदा के साथ इक्विटी निवेश।

(ख) उत्पादन में वृद्धि के लिए सी.आई.एल. से ऋण के रूप में वित्तीय सहायता (यदि अपेक्षित हो) के साथ प्रचलित आयात मूल्य से कम मूल्य पर लागत जमा आधार पर केवल दीर्घावधि ऑफ टेक संविदा।

(ग) इन लक्ष्य देशों में से किसी भी देश में कोयला परिसंपत्तियों का अन्वेषण, विकास और प्रचालन के लिए संयुक्त उद्यम बनाना।

उपर्युक्त समझौता ढांचे के माध्यम से, आपूर्ति की निश्चितता और वैश्विक मूल्यों के उतार-चढ़ाव से बचाए रखने दोनों उद्देश्यों को लेकर सी.आई.एल. का कोयले का आयात करने का प्रस्ताव है। हालांकि वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका से अर्जन का कोई प्रस्ताव सी.आई.एल. के विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) कोल इंडिया के एक दल ने मई, 2008 में मालवी का दौरा किया था। इस दौरे से यह स्पष्ट हुआ था कि मालवी में कोलफील्डों का अपेक्षित सटीकता से भू-गर्भीय पूर्वेक्षण कर पूर्ण रूप से अन्वेषण भी नहीं किया गया है और मालवी में संभावित कोयलाधारी क्षेत्रों की रूपरेखा पुन: तैयार करना अर्जन के लिए उपयुक्त कोयला ब्लॉकों की पहचान करने के लिए आवश्यक हो सकता है। हालांकि यह महसूस किया गया कि कोयला क्षेत्र में सहयोग की संभावना थी।

भारत को ब्रिटिश सहायता

2170. श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ब्रिटिश सरकार के भारत को अपनी सहायता जारी रखने के निर्णय का स्वागत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ब्रिटेन द्वारा सहायता में कटौती करने की स्थिति में स्वैच्छिक रूप से धनराशि को वापस करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम की सरकार भावी द्विपक्षीय विकास सहयोग भागीदारी पर चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी

2171. श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्री एस. सेम्मलई:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित देश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आज की स्थिति के अनुसार शिक्षक पदों की रिक्तियों की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा प्रो. संजय धांडे की अध्यक्षता में गठित कार्य-बल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो कार्य-बल द्वारा सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) 26 पुराने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्वीकृत अध्यापन के कुल पदों की संख्या 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार 13765 है जिसमें से 4913 पद खाली पड़े हैं। स्वीकृत अध्यापन पदों और उनमें रिक्तियों, जिनमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं, का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अधीन 13 नए स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं (परिवर्तित केन्द्रीय

विश्वविद्यालयों को छोड़कर) जिनमें यू.जी.सी. ने 544 अध्यापन पद स्वीकृत किए हैं (90 प्रोफेसर, 180 एसोसिएट प्रोफेसर और 274 सहायक प्रोफेसर) जिन पर विश्वविद्यालयों ने 1.2.2011 की स्थिति के अनुसार 20 अध्यापन पदों को नियमित/प्रतिनियुक्त आधार पर और 186 अध्यापन पदों को अनुबंध/अतिथि फेक्लटी पर नियुक्त किया है।

(घ) से (च) जबकि सरकार द्वारा गठित कार्य बल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, अगस्त, 2010 में प्रस्तुत अपनी अंतरिम में, समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ गुणवत्ता फैकल्टी में कमी को पूरा करने के लिए कई उपचारी नीतियों और अन्य उपायों की सिफारिश की है। एकेडमिक कैरियर असिस्टेंटशिप प्रोग्राम, समर रिसर्च फैलोशिप स्कीम, बेस्ट एजुकेशनिस्ट अवार्ड के रूप में उपयुक्त उपचारी उपाय सुझाने के अलावा इसने नॉन-रेगुलर फैकल्टी सदस्यों जैसे अनुबंध फैकल्टी, अतिथि फैकल्टी, एडजंक्ट फैकल्टी, डिस्टिंगुइशड मेन्टर फैकल्टी, इण्टरनेशनल एडजंक्ट फैकल्टी के प्रबंधन पर और एक लचीले संवर्ग ढांचे जिसमें रिक्तियों को भर्ती/पदोन्नति से भरने के लिए अनिवार्य रूप से वार्षिक कवायद करने पर जोर दिया है।

विवरण

दिनांक 31.03.2010 तक शैक्षिक कर्मचारियों की संख्या का विवरण (वर्तमान और रिक्त पद)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय	संस्वीकृत पद					वर्तमान संख्या										रिक्त पदों की संख्या				
		पी	आर	एल	ओ	कुल	प्रोफेसर डीआर	सीएसए	रीडर डीआर	एसएसधए सजी सीएएस	एएस	लेक्चरर डीआर	ओ	कुल डीआर	सीएएस		पी	आर	एल	ओ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
आंध्र प्रदेश																					
1.	एमएएन उर्दू विश्वविद्यालय	35	58	155	91	339	18	0	33	0	0	79	29	159	0	159	17	25	76	62	180
2.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	106	221	214	0	541	87	74	126	19	19	32	0	245	112	357	19	95	70	0	184
3.	द इंग्लिश एण्ड फौरेन लैग्वेजेस यूनिवर्सिटी	32	60	145	0	237	28	24	48	4	0	78	0	154	28	182	4	12	39	0	55
अरूणाचल प्रदेश																					
4.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	16	31	95	0	142	5	10	16	8	0	56	0	77	18	95	11	15	21	0	47
असम																					
5.	असम विश्वविद्यालय	32	94	199	0	325	27	18	81	0	18	152	0	260	36	296	5	13	11	0	29
6.	तेजपुर विश्वविद्यालय	38	63	137	0	238	10	4	16	11	0	44	0	70	15	85	28	47	73	0	81
छत्तीसगढ़																					
7.	गुरू घासी दास विश्वविद्यालय	48	64	120	0	232	29	5	34	11	20	52	0	115	36	151	19	30	32	0	153
8.	दिल्ली विश्वविद्यालय	307	654	691	50	1702	124	0	296	0	0	349	23	792	0	792	183	358	342	27	910
9.	जामिया मिलिया इस्लामिया	113	176	434	47	770	92	78	157	29	72	195	35	479	179	658	21	19	60	12	112
10.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	165	287	271	5	728	101	122	195	0	0	67	5	368	122	490	64	92	82	0	238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
मध्य प्रदेश																					
11.	डा. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय	50	92	178	7	327	9	62	42	14	0	26	3	80	76	156	41	50	76	4	171
12.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय		816	26	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		16	26	0	50
महाराष्ट्र																					
13.	एम जी ए हिन्दी विश्वविद्यालय	16	10	43	0	69	9	0	6	0	0	28	0	43	0	43	7	4	15		26
मणिपुर																					
14.	मणिपुर विश्वविद्यालय	35	81	141	0	257	8	42	52	11	0	54	0	114	53	167	27	29	34	0	90
मेघालय																					
15.	उत्तर पूर्वी हिल विश्वविद्यालय	87	133	186	0	406	60	36	96	28	28	50	0	206	92	298	27	37	44	0	108
मिजोरम																					
16.	मिजोरम विश्वविद्यालय	43	67	228	0	338	20	2	40	4	10	137	0	197	16	213	23	27	75	0	125
नागालैण्ड																					
17.	नागलैण्ड विश्वविद्यालय	32	59	120	5	216	14	11	29	5	16	62	0	105	32	137	18	30	26	5	79
पुडुचेरी																					
18.	पुडुचेरी विश्वविद्यालय	69	138	253	0	460	33	46	69	27	0	83	0	185	73	258	36	69	97	0	202
सिक्किम																					
19.	सिक्किम विश्वविद्यालय	29	68	104	0	201	0		0			0	0	0	0	0	29	68	104	0	201
त्रिपुरा																					
20.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	16.	27	54	0	97	8	9	20	6	13	19	0	47	28	75	8	7	7	0	22
उत्तर प्रदेश																					
21.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	173	356	853	373	1755	128	230	280	148	178	182	340	930	556	1486	45	76	115	33	269
22.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	347	680	1368	0	2395	175	460	418	137	0	300	0	93	597	1490	172	202	471	0	905
23.	बीबीएयू	22	43	65	0	130	11	1	19	1	0	43	0	73	2	75	11	24	20	0	55
24.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	70	167	534	0	771	12	86	73	70	0	79	0	164	156	320	58	94	299	0	451
उत्तराखण्ड																					
25.	विश्वविद्यालय	29	55	235	8	327	18	86	37	64	16	41	7	103	166	269	11	18	28	1	58
पश्चिम बंगाल																					
26.	विश्व भारती	62	128	359	163	712	53	78	106	45	61	119	138	416	184	600	9	22	56	25	112
	कुल	1980	3828	7208	749	13765	1079	1484	2289	642	451	2327	580	6275	2577	8852	901	1539	2304	169	4913

अध्यापक शिक्षा संस्थान

2172. श्री चंदूलाल साहू: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने कई अध्यापक शिक्षा संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) छत्तीसगढ़ में ऐसे अध्यापक शिक्षा संस्थानों की संख्या कितनी है जिनकी गत तीन वर्षों के दौरान मान्यता रद्द की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियों ने जनवरी से दिसम्बर, 2010 के बीच ऐसे 404 अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों/संस्थाओं के संबंध में मान्यता वापस ले ली है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए थे।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के 15 अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों/संस्थाओं की मान्यता वापस ले ली गयी थी।

अवांछित काल/एस.एम.एस.

2173. श्रीमती अश्वमेध देवी:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री के. सुगुमार:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवांछित काल और एस.एम.एस. को रोकने के लिए डू नॉट डिस्टर्ब (डी.एन.डी.) सेवा को आरंभ करने में काफी समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अवांछित व्यावसायिक संचार पर रोक लगाने के लिए लागू किए गए नए विनियमों में प्रचालकों द्वारा डी.एन.डी. सेवाएं आरंभ करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने उपभोक्ताओं द्वारा उक्त सेवा के चयन किए जाने के पश्चात् ऐसी कॉलों/एस.एम.एस. को तत्काल ब्लॉक करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अवांछित वाणिज्यिक संचार को रोकने के लिए दिनांक 5 जून, 2007 को दूरसंचार अवांछित वाणिज्यिक संचार विनियम, 2007 जारी किए थे जिनके जरिए अवांछित वाणिज्यिक संचार को नियंत्रित करने का ढांचा स्थापित किया गया था। इनके अंतर्गत, ऐसे उपभोक्ताओं के अनुरोधों को नेशनल डू नाट कॉल (एन.डी.एन.सी.) रजिस्ट्री में पंजीकरण कराने की सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी जो अवांछित वाणिज्यिक संचार प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ताओं के पंजीकरण के लिए लगने वाला समय 45 दिन का रखा गया था। उपभोक्ता द्वारा किसी प्रकार का अवांछित वाणिज्यिक संचार (यू.सी.सी.) प्राप्त नहीं करने के लिए एक बार पंजीकरण करा लेने पर, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा एन.डी.एन.सी. रजिस्ट्री में उसका डाटा अद्यतन करने के लिए उन्हें 45 दिनों का समय दिया गया था।

(ग) और (घ) यह महसूस किया गया कि 2007 में यू.सी. सी. पर रोक लगाने के लिए जो ढांचा स्थापित किया गया था वह कारगर नहीं है और उसमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। अत:, अवांछित वाणिज्यिक संचार को रोकने के लिए एक प्रभावी तंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, ट्राई ने पहली दिसंबर, 2010 को "दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता वरीयता विनियम, 2010" जारी किए हैं। दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता वरीयता विनियम, 2010 को इनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं तथा टेलीमार्केटरों के हितों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ता द्वारा अवांछित वाणिज्यिक संचार (यू.सी.सी.) प्राप्त नहीं करने के लिए एक बार पंजीकरण करा लेने पर, अभिगम प्रदाता को 24 घंटे के भीतर उसकी रजिस्ट्री को अद्यतन करना होता है। उपभोक्ताओं के पंजीकरण हेतु एक्टिवेशन के समय को पहले के 45 दिनों की तुलना में घटाकर 7 दिन कर दिया गया है।

(ङ) अनचाही कॉल/एस.एम.एस. को रोकने के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता वरीयता विनियम, 2010 के तहत विभिन्न उपबंध निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में इन विनियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) राष्ट्रीय उपभोक्ता वरीयता रजिस्टर की अभिगम प्रदाताओं और टेलीमार्केटरों के साथ साझेदारी करना ताकि टेलीमार्केटिंग के कार्यकलाप शुरू करने से पूर्व टेलीफोन डाटाबेसों को प्रभावी तरीके के अद्यतन बनाया जा सके।

(ii) उपभोक्ताओं को उनके विकल्पों, यदि कोई हों, के अनुसार कॉलों तथा एस.एम.एस. की छंटनी करके भेजना और इन पर स्वत: रोक लगाना।

(iii) चूककर्ता टेलीमार्केटरों के दूरसंचार संसाधनों के कनेक्शन काटना और उनको काली सूची में दर्ज करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें किसी अन्य अभिगम प्रदाता से कोई दूरसंचार संसाधन प्राप्त न हों।

(iv) इन विनियमों के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्धारित किए गए उपबंध।

जांच हेतु तकनीक और उपकरण

2174. डॉ. संजय सिंह:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) जांच करते समय उन्नत तकनीक और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त तकनीक और उपकरणों के उपयोग से किस सीमा तक जांच कार्य में तेजी आई है;

(घ) क्या इन उपकरणों और तकनीक का संचालन करने के लिए सी.बी.आई. के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, हां, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अन्वेषण करते समय उन्नत फोरेन्सिक तकनीकों और आधुनिक उपस्करों का प्रयोग करता है। जांचकर्ताओं को तकनीकी और फोरेन्सिक तथ्य उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के 16 आंचलिक कार्यालयों में तकनीकी और फोरेन्सिक एककों की स्थापना की गई है।

(ग) अन्वेषण कार्य में लगने वाले समय में हुई कमी का आकलन करना संभव नहीं है तथापि, इन तकनीकों से मामलों की बेहतर छानबीन के परिणाम प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने साइबर और उच्च तकनीकी अपराध में जांच में प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी में एक केन्द्र की स्थापना की है। वर्ष, 2010 के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के 3080 कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों ने फलोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय कम्प्यूटर जांच विशेषज्ञ संघ (आई.ए.सी.आई.एस.) से कम्प्यूटर फोरेन्सिक प्रमाणित परीक्षक (सी.एफ.सी.ई.) प्रमाणन पाठ्यक्रम पूरा किया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बी.एस.एन.एल. द्वारा एयरवेव का आवंटन

2175. श्री बिभू प्रसाद तराई:
श्री गुरूदास दासगुप्त:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लि. (बी.एस.एन.एल.) ने निजी फ्रैंचाइजी कंपनियों को नि:शुल्क महंगे एयरवेव प्रदान किए हैं यद्यपि, बी.एस.एन.एल. ने सरकार को प्रवेश शुल्क के रूप में करोड़ों रुपये अदा किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) बी.एस.एन.एल. ने ब्रॉडबैंड बेतार अभिगम (बी. डब्ल्यू.ए.) स्पैक्ट्रम के लिए 831.80 करोड़ रु. का भुगतान किया है। इस स्पैक्ट्रम का उपयोग करने के लिए, बी.एस.एन.एल. ने राजस्व हिस्सेदारी आधार पर फ्रैंचाइजी मॉडल को अपनाया है।

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) और फ्रैंचाइजी कंपनियों के साथ हुए करार के उपबंध के अनुसार उनके द्वारा बी.एस.एन.एल. को मासिक आधार पर स्पैक्ट्रम के परिशोधन मूल्य/लागत का भुगतान करना अपेक्षित है।

(ग) और (घ) "बी.एस.एन.एल. के वर्ल्डवाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस (वाईमैक्स) फ्रैंचाइजी आवंटन में अनियमितताओं" की केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) द्वारा एक सीधी जांच की जा रही है। दूरसंचार विभाग ने बी.एस.एन.एल. द्वारा वाईमैक्स फ्रैंचाइजी हेतु बोलीदाताओं का चयन करने के लिए निविदा/अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी करते समय अपनाई गई प्रक्रिया की विस्तृत जांच के लिए सदस्य (वित्त), दूरसंचार आयोग की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की है।

आई.ए.एस. कैडर में दृष्टिहीन व्यक्ति

2176. श्री पी. लिंगम:
श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने वर्ष 2009 में अच्छे रैंक के साथ यू.पी. एस.सी. की परीक्षा पास करने वाले उन दो दृष्टिहीन व्यक्तियों को सेवा में 8 सप्ताह के भीतर बहाल करने का आदेश जारी किया है जिन्हें आई.ए.एस. कैडर देने से मना किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कैट के आदेश को अब तक नहीं मानने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली ने श्री अजीत कुमार और श्री आशीष कुमार ठाकुर द्वारा दायर 2009 की ओ.ए. सं. 2369 और ओ.ए. सं. 2717 के संदर्भ में दिनांक 8.10.2010 के अपने आदेश में, आदेश दिया था कि इस आदेश की प्राप्ति के आठ सप्ताह के अंदर इन दो अभ्यर्थियों के नाम पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में आबंटन के लिए विचार किया जाए। यह दो अभ्यर्थी सिविल सेवा परीक्षा, 2008 के आधार पर सफल घोषित किए गए थे। यह मामला विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्शातर्गत विचाराधीन है।

सिविल सेवा में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का चयन

2177. श्री टी.आर. बालू: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यू.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी के अंतर्गत 2005 में चयनित एस. सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है तथा उन्हें कौन-से कैडर आवंटित किए गए हैं;

(ख) क्या आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में रखकर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में रखकर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित वर्ग की तुलना में निचले रैंक होने के बावजूद 2002 से तैनात किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी नियुक्तियां की गई हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) सिविल सेवा परीक्षा (सि.से.प.) के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2005 से सामान्य श्रेणी (सामान्य मेरिट) के अंतर्गत चयनित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या निम्नलिखित थी:

सिविल सेवा परीक्षा	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा
2005	32	1	–	31
2006	58	15	2	41
2007	96	19	1	76
2008	90	11	5	74
2009	114	18	8	88

इन उम्मीदवारों को जिनकी सिफारिश सामान्य मेरिट उम्मीदवार के रूप में की गई है, को सेवा का आवंटन, सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के अनुसार किया जाता है। केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में ही सेवा आबंटन के बाद संवर्ग आवंटन किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के कल्याण हेतु धनराशि

2178. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों ने अनुसूचित जाति (एस.सी.), अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के विकास और कल्याणकारी क्रियाकलापों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी तथा इसका प्रत्येक राज्य द्वारा कितना उपयोग किया गया है;

(ग) उक्त उद्देश्य हेतु निर्धारित धनराशि का कम उपयोग अथवा उपयोग नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) आवंटित धनराशि का सही और पूर्ण उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

सी.बी.आई. द्वारा निपटाए गए मामले

2179. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री यशवीर सिंह:
श्री नीरज शेखर:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान सी.बी.आई. द्वारा वर्ष-वार कितने मामले निपटाए गए;

(ख) आज की तिथि अनुसार सी.बी.आई. के पास कितने मामले लंबित हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान सी.बी.आई. द्वारा वर्ष-वार कितने मामलों में चार्जशीट दायर की गयी है; और

(घ) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान सी.बी.आई. द्वारा वर्ष-वार कितने मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दर्ज की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा गत तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2008, 2009, 2010 तथा दिनांक 31.01.2011 तक के दौरान जांच से निपटाए गए मामलों की संख्या निम्नलिखित अनुसार है:

वर्ष	जांच द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या
2008	1127
2009	1127
2010	1173
2011 (31.01.2011 तक)	42

(ख) दिनांक 31.01.2011 तक 859 मामले जांच के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) उन मामलों में जिनमें विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में आरोप पत्र दायर किए गए उनकी वर्षवार संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	मामलों की संख्या जिनमें आरोप पत्र दायर किए गए
2008	843
2009	806
2010	842
2011 (31.01.2011 तक)	29

(घ) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान ऐसे मामलों की संख्या जिनमें क्लोजर रिपोर्ट दर्ज की गई:

वर्ष	बंद किए गए मामलों की संख्या
2008	213
2009	212
2010	164
2011 (31.01.2011 तक)	13

मदरसे की अर्हता

2180. श्री संजय दिना पाटील:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि जैसे अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा अपनायी जा रही पद्धति के आधार पर सभी विश्वविद्यालयों में नामांकन के उद्देश्य से मदरसों से प्राप्त अर्हताओं को मान्यता देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) राज्य मदरसा बोर्डों के प्रमाणपत्रों/अर्हताओं जिन्हें राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा उनकी माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक अर्हताओं के बराबर समकक्षता प्रदान की गई है, को रोजगार और शिक्षा के उच्च स्तरों में प्रवेश के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद और अन्य स्कूल परीक्षा बोर्डों के बराबर समकक्षता प्रदान की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपेक्षित अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।

[हिन्दी]

रनवे का निर्माण

2181. श्री महेश जोशी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने नए रनवे के निर्माण और मौजूदा रनवे के विस्तार हेतु प्रस्ताव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार स्वीकृत/लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी दिये जाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीयों पर हमले

2182. श्री जयवंत गंगाराम आवले:
श्री डी.वी. सदानन्द गौडा:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीयों को विदेशों में विशेषकर आस्ट्रेलिया और अमेरिका में हमलों/जातीय हिंसा का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2010 के दौरान सरकार की जानकारी में देश-वार ऐसे कितने मामले आए हैं; और

(ग) विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परमाणु ऊर्जा से विद्युत

2183. श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री आर.के. सिंह पटेल:
डॉ. एम. तम्बिदुरई:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुल उत्पादित विद्युत का बहुत थोड़ा सा हिस्सा परमाणु ऊर्जा से आता है;

(ख) यदि हां, तो परमाणु ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन के मामले में अन्य देशों की तुलना में भारत की क्या स्थिति है;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कार्यक्षमता कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां। भारत में उत्पादित कुल बिजली का केवल 3% नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त होता है।

(ख) नाभिकीय विद्युत उत्पादन देश में उत्पादित कुल विद्युत का लगभग 3% बैठता है। देश में नाभिकीय विद्युत का हिस्सा कम होने की वजह 1,70,229 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता में से 4780 मेगावाट का कम क्षमता आधार होना है। नाभिकीय विद्युत के मामले में कुछ अन्य देशों के साथ तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है:

देश	नाभिकीय उत्पादन का हिस्सा (%)
फ्रांस	75
कोरिया गणराज्य	34
जापान	29
संयुक्त राज्य अमरीका	20
रूसी परिसंघ	18
ब्राजील	3
चीन	2

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर आधारित रिएक्टरों की स्थापना करके नाभिकीय विद्युत क्षमता का विस्तार और इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से नाभिकीय विद्युत के हिस्से को क्रमिक रूप से बढ़ाने की योजना है।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा

2184. डा. कृपारानी किल्ली: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण कंपनी के वित्तीय निष्पादन में कितना सुधार आने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) महारत्न का दर्जा देने के लिए एक प्रस्ताव कोल इंडिया लि. से प्राप्त हुआ है और वर्तमान में लोक उद्यम विभाग के परामर्श से उस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) महारत्न का दर्जा प्राप्त केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सी.पी.एस.ई.) के पास इसके निदेशक बोर्ड को अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय और प्रचालनात्मक अधिकार होगा जिससे वह विशेष रूप से वैश्विक बाजारों में अपने प्रचालनों का आगे विस्तार कर सके और अपने वित्तीय निष्पादन में सुधार कर सके। ऐसे महारत्न सी.पी.एस.ई. के निदेशक बोर्ड के पास कुछ स्थितियों के अध्यधीन विलय और अधिग्रहण का अधिकार भी होगा।

[हिन्दी]

छात्र संघों का चुनाव

2185. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने लिंगदोह समिति की सिफारिशों की अनुपालना में छात्र संघ के चुनाव संबंधी आवश्यक नियम बना लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त नियम कब तक बना लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 के सांविधि 31 की धारा (2) और खंड 29 की धारा (ट) के अंतर्गत बनाए गए अधिनियम LXVII के अनुसार, इस विषय पर नियमों को तैयार करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद् द्वारा प्रो. वाई.सी. श्यामहाद्री, पूर्व उपकुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और विश्वविद्यालय विनियमों में शामिल किए जाने से पूर्व इन्हें अभी शैक्षिक परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

[अनुवाद]

जवाहर नवोदय विद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय

2186. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय (जे.एन.वी.) के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने हेतु कोई नियम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कार्यालयों को प्रत्येक राज्य में खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त क्षेत्रीय कार्यालय के कब तक खोले जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) ऐसे कोई विशिष्ट नियम नहीं हैं।

(ग) इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय राजनयिक द्वारा दुर्व्यवहार

2187. डॉ. भोला सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में भारतीय राजनयिकों द्वारा दुर्व्यवहार के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा वापस बुलाए गए ऐसे राजनयिकों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार राजनयिकों के लिए कोई आचार संहिता जारी करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) लंदन में तैनात एक भारतीय राजनयिक को हाल ही में घरेलू हिंसा के लिए दोषी ठहराया गया था। उस अधिकारी को असमय भारत वापस बुला लिया गया था। वे 22 जनवरी, 2011 को वापस आये और उन्हें उसी समय से उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को उस अधिकारी को मुख्यालय वापस स्थानांतरित करने के बारे में निर्णय लेने की सलाह दी गई थी और यह अनुरोध किया गया था कि वे अपनी ओर से आगे आवश्यक कार्रवाई करें। अलबत्ता, मंत्रालय को न्यूयार्क की यात्रा कर रहे एक भारतीय राजनयिक द्वारा किये गए अनुचित व्यवहार के मामले की जानकारी है। उस राजनयिक को तुरंत मुख्यालय में वापस बुला लिया गया था। इस संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के अधीन जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) विदेशों में तैनात सभी अधिकारियों को केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के तहत शामिल किया जाता है। अधिकारियों के व्यवहार के संबंध में समय-समय पर विशेष निदेश जारी किये जाते हैं। इस संबंध में, विदेश सचिव ने हाल ही में विदेश स्थित मिशनों में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुनः इस प्रकार के निर्देश दिये हैं और इस बात पर बल दिया है कि प्रताड़ना का कोई मामला सामने आने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को मुख्यालय वापस बुला लिया जाएगा, जहां पर उन्हें अनुशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

पोस्टल सेवाओं का कंप्यूटरीकरण

2188. श्री दुष्यंत सिंह:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सहित देश के सभी डाकघरों के कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव है ताकि दूरसंचार और पोस्टल सेक्टर के विकास हेतु लोगों की पोस्टल सेवाओं तक पहुंच में सुधार किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा सभी डाकघरों का कंप्यूटरीकरण करने हेतु कोई विशेष अभियान चलाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक सभी डाकघरों को इंटरनेट सुविधा के साथ कंप्यूटर प्रदान किया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (घ) सरकार ने डाक प्रचालनों में सुधार लाने के लिए डाक विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी दे दी है जिसे 2012-13 तक चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जाना है, बशर्ते निधियां उपलब्ध रहें। इस प्रस्ताव में, सभी गैर-कंप्यूटरीकृत डाकघरों का कंप्यूटरीकरण, डाक विभाग के विभिन्न प्रचालनों के लिए सॉफ्टवेयर का विकास, डाटा केंद्रों की शुरुआत, नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रावधान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समाधान का कार्यान्वयन शामिल है। राजस्थान सहित देश में अब तक कंप्यूटरीकृत किए गए डाकघरों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

28-02-2011 तक कंप्यूटरीकृत डाकघरों की कुल राज्यवार संख्या

सर्किल का नाम	कुल कंप्यूटरीकृत डाकघर
1	2
आंध्र प्रदेश	855
असम	631
बिहार	503
छत्तीसगढ़	167
दिल्ली	299
गुजरात दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली सहित	907
हरियाणा	305
हिमाचल प्रदेश	275
जम्मू और कश्मीर	132
झारखंड	224
कर्नाटक	871
केरल लक्षद्वीप सहित	1098
मध्य प्रदेश	530
महाराष्ट्र गोवा सहित	1344
पूर्वोत्तर (मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश)	295
उड़ीसा	502
पंजाब	518
राजस्थान	559
तमिलनाडु पुदुचेरी सहित	1493
उत्तर प्रदेश	1510
उत्तराखंड	222
पश्चिम बंगाल अंडमान एवं निकोबार द्वीप-समूह सहित	1115
कुल	14415

[हिन्दी]

क्षेत्रीय विसंगति

2189. श्री जगदानंद सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों में विभिन्न केन्द्रीय योजनाएं शुरू करने के बावजूद कई राज्यों में प्रति व्यक्ति आय और वार्षिक वृद्धि दर के बीच काफी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय विसंगति को दूर करने हेतु कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वार्षिक वृद्धि दर में एकरूपता लाने तथा विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के अंतर को कम करने हेतु कुछ विशेषज्ञों से परामर्श किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) राज्यों की प्रतिव्यक्ति आय और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की वार्षिक विकास दर में अंतर है। ब्यौरे क्रमश: विवरण-I एवं II में दिए गए हैं।

(ग) से (च) बारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभिक स्तरों पर है और इसके प्रस्ताव अभी तैयार नहीं किए गए हैं। तथापि, सरकार का उद्देश्य अंतराल को पाटना और आर्थिक विकास दरों में क्षेत्रीय असमानता को कम करना है।

विवरण I

वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान प्रतिव्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद

		चालू मूल्यों पर प्रतिव्यक्ति एनएसडीपी (रुपए)				
क्र.सं.	राज्य/संघ	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	26662	30439	35600	40902	44081
2.	अरूणाचल प्रदेश	22291	25717	28945	33302	एनए
3.	असम	18378	20194	21991	23993	26242
4.	बिहार	7840	9796	11074	13663	14654
5.	झारखंड	16267	18474	19928	21465	एनए
6.	गोवा	78612	87501	105582	एनए	एनए
7.	गुजरात	34264	39459	45433	49251	एनए
8.	हरियाणा	41857	50611	59008	68914	77878
9.	हिमाचल प्रदेश	33943	36766	40107	44538	49211
10.	जम्मू और कश्मीर	20799	22426	24214	एनए	एनए
11.	कर्नाटक	28734	31718	36945	41513	45199
12.	केरल	33044	37947	43104	49316	एनए
13.	मध्य प्रदेश	15596	17257	19149	21648	24146
14.	छत्तीसगढ़	19501	24556	29776	34483	38534
15.	महाराष्ट्र	36048	42051	49058	54867	64953
16.	मणिपुर	17772	18630	19780	21062	एनए
17.	मेघालय	23355	26387	29811	33674	एनए
18.	मिजोरम	24029	26220	28170	30292	एनए

1	2	3	4	5	6	7
19.	नागालैंड	20255	20892	एनए	एनए	एनए
20.	उड़ीसा	17576	21282	26654	29464	32814
21.	पंजाब	36277	39874	46686	52879	61035
22.	राजस्थान	18008	21203	23986	27001	28885
23.	सिक्किम	26628	29819	33349	37553	एनए
24.	तमिलनाडु	31663	37190	40757	45058	एनए
25.	त्रिपुरा	25700	27816	28806	एनए	एनए
26.	उत्तर प्रदेश	13302	14651	16436	18710	21874
27.	उत्तराखंड	24928	29373	33381	36675	42031
28.	पश्चिम बंगाल	24457	27905	32065	36322	41617
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	37127	41962	44304	एनए	एनए
30.	चंडीगढ़	88456	100146	110728	119240	128743
31.	दिल्ली	60951	70283	78790	88421	एनए
32.	पुडुचेरी	52408	71719	78302	84625	89129
	कुल	26003	29524	33283	37490	एनए

विवरण II

वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान प्रतिव्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद

		चालू मूल्यों पर जीएसडीपी (1999-2000) करोड़ रुपए में					वार्षिक विकास दर				
क्र.सं.	राज्य/संघ	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	194437	216140	239372	251431	265140	10.24	11.16	10.75	5.04	5.45
2.	अरूणाचल प्रदेश	2364	2689	2860	3028	एनए	.4.25	13.75	6.36	5.87	एनए
3.	असम	45282	47502	50222	53319	56702	4.94	4.9	5.73	6.17	6.34
4.	बिहार	67243	82394	89620	104491	109420	1.89	22.53	8.77	16.59	4.72
5.	झारखंड	43347	48780	51794	54655	एनए	2.79	12.53	6.18	5.52	एनए
6.	गोवा	8991	9923	11028	एनए	एनए	11.33	10.37	11.14	एनए	एनए
7.	गुजरात	173654	189436	213092	228460	252528	13.44	9.09	12.49	7.21	10.53
8.	हरियाणा	83436	94268	103244	111420	120407	9.77	12.98	9.52	7.92	8.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	हिमाचल प्रदेश	20916	22843	24800	26646	28632	8.48	9.21	8.57	7.44	7.4520421
10.	जम्मू और कश्मीर	21698	23060	एनए	एनए	6.17	6.25	6.28	एनए	एनए	एनए
11.	कर्नाटक	142241	152794	171984	179809	189773	13.41	7.42	12.56	4.55	5.54
12.	केरल	104104	115103	126378	135202	एनए	10.26	10.57	9.8	6.98	एनए
13.	मध्य प्रदेश	94777	101627	108376	117772	127896	7.5	7.23	6.64	8.67	8.6
14.	छत्तीसगढ़	38434	45164	50451	53886	60080	6.94	17.51	11.71	6.81	11.49
15.	महाराष्ट्र	347187	388611	427818	442320	480335	9.68	11.93	10.09	3.39	8.59
16.	मणिपुर	4129	4283	4573	4899	एनए	4.61	3.73	6.77	7.13	एनए
17.	मेघालय	5173	5508	5971	6459	एनए	8.04	6.48	8.41	8.17	एनए
18.	मिजोरम	2105	2286	2449	2620	गचतह	2.38	8.6	7.13	6.98	एनए
19.	नागालैंड	4554	4850	एनए	एनए	एनए	4.04	6.5	एनए	एनए	एनए
20.	उड़ीसा	61594	70216	78082	83274	90229	5.86	14	11.2	6.65	8.35
21.	पंजाब	85125	91299	97577	103826	110775	4.5	7.25	6.88	6.4	6.69
22.	राजस्थान	110293	124339	135654	144568	148200	7.86	=.ट 4	9.1	6.57	2.51
23.	सिक्किम	1413	1514	1626	1756	एनए	8.94	7.15	7.4	8	एनए
24.	तमिलनाडु	188076	209302	218538	228479	241122	11.89	11.29	4.41	4.55	5.53
25.	त्रिपुरा	7813	8019	8350	एनए	एनए	9.09	2.64	4.13	एनए	एनए
26.	उत्तर प्रदेश	222242	239070	258067	276677	294836	5.6	7.57	7.95	7.21	6.56
27.	उत्तराखंड	21076	23103	25482	26968	29507	5.66	9.62	10.3	5.83	9.41
28.	पश्चिम बंगाल	187709	204948	222683	236806	एनए	5.61	9.18	8.65	6.34	एनए
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1320	1466	1559	एनए	एनए	9.18	11.06	6.34	एनए	एनए
30.	चंडीगढ़	7596	8687	9687	10693	11759	9.94	14.36	11.51	10.39	9.97
31.	दिल्ली	84376	97191	109682	120694	एनए	11.05	15.19	12.85	10.04	एनए
32.	पुडुचेरी	4318	5864	7321	8110	9059	6.88	35.8	24.85	10.78	11.7
	कुल	2616101	2871118	3129717	3339375	एनए	9.52	9.75	9.01	6.7	एनए

[अनुवाद]

बढ़ती असमानता

2190. श्री पी. करुणाकरन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस तथ्य से बढ़ती असमानता स्पष्ट हो जाती है कि 120 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 100 व्यक्तियों के पास देश की सकल घरेलू उत्पाद की एक चौथाई संपत्ति है जबकि 84 करोड़ भारतीय 20 रुपए प्रतिदिन से कम पर गुजर-बसर करने को बाध्य हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) लोगों की संपत्ति की सूचना योजना आयोग में नहीं रखी जाती है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) मंत्रालय द्वारा वर्ष 2004 में गठित असंगठित क्षेत्रक में राष्ट्रीय उद्यम आयोग (एन.सी.ई.यू.एस.) ने "असंगठित क्षेत्रक में कार्य की शर्तों और आजीविका के संवर्धन" के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि कुल 836 मिलियन लोगों की 77% जनसंख्या की वर्ष 2004-05 में प्रतिव्यक्ति दैनिक खपत 20 रुपए तक थी और जनसंख्या के इस वर्ग को गरीब और कमजोर कहा गया। समिति ने प्रतिदिन 20 रुपए की राशि की कट-ऑफ का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं दिया। तथापि, वर्ष 2004-05 के घरेलू उपभोग व्यय के आंकड़ों (एन.एस.एस. का 61वां दौर 2004-05) के परिकलन पर आधारित आर्थिक सर्वेक्षण 2008-09 में खुलासा हुआ कि 20 रुपए प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति उपयोग व्यय से कम वाली जनसंख्या मात्र 60.5% थी।

एन.एस.एस. के 50वें दौर (1993-94) अर्थात् 61वें दौर (2004-05) से प्राप्त मासिक प्रतिव्यक्ति उपयोग व्यय (एम.पी.सी.ई.) आंकड़ों के तुलनात्मक आकलन में सुझाव दिया गया है कि जनसंख्या के सभी प्रतिशत समूहों की एम.पी.सी.ई. वास्तविक अर्थों में इस अवधि के दौरान बढ़ी है। वृद्धि की दर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश निम्न प्रतिशत समूहों के लिए लगभग 10-12% थी और दो शीर्ष समूहों के लिए उच्च थी।

(ग) आर्थिक असमानताओं की कमी भारत में विकास योजना के प्रमुख नीतिगत उद्देश्यों में एक है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की कार्यनीति अपनाई जिससे कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सकें। सरकार इस लक्ष्य के लिए अनेक फ्लैगशिप कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.), स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.), इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), एकीकृत बाल विकास स्कीम (आई.सी.डी.एस.), मध्याह्न भोजन स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.), ग्रामीण पेय जलापूर्ति और समग्र स्वच्छता अभियान, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) आदि। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.) सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की एक पहल है।

इंजीनियरिंग की पढ़ाई की ऑनलाइन पहल

2191. श्री आनंद प्रकाश परांजपे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इंजीनियरिंग शिक्षा में प्रसार हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) और भारतीय विज्ञान संस्थान (आई.आई.एस.) ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस पहल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या ऐसी पहल को अन्य विश्वविद्यालयों के समरूप ही माना जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस पहल के तहत छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा जारी करने की मान्यता देगी; और

(ङ) ऑनलाइन विश्वविद्यालय के कब तक शुरू होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी ज्ञान वृद्धि कार्यक्रम, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा शुरू की गई एक ऑनलाइन पहल है। इस कार्यक्रम के तहत इंजीनियरिंग तथा विज्ञान विषयों के पाठ्यक्रम विवरणों को मुक्त ऑनलाइन पर निःशुल्क प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया है।

(ख) एन.पी.टी.ई.एल. के तहत, आज के पाठ्यक्रम, चार चतुर्थांश पद्धति पर आधारित होंगे; जो इन अंतर्वस्तुओं को व्यापक

रूप से समझने और अधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाने में सहायक हों।

(ग) से (ङ) चूंकि अभी तक कोई भी विश्वविद्यालय ऑनलाइन नहीं है, इसलिए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कैदियों संबंधी समिति

2192. श्री हरीश चौधरी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री इज्यराज सिंह:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने दोनों देशों के कैदियों और मछुआरों की शीघ्र रिहाई और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु एक न्यायिक समिति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा उक्त समिति के सदस्य सहित विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने देशों में विभिन्न जेलों का दौरा किया है तथा हिरासत में लिए गए कैदियों और मछुआरों से मुलाकात की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जेल-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त समिति द्वारा की गई बैठकों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) दोनों देशों द्वारा उक्त समिति की सिफारिशों का कितना कार्यान्वयन किया गया है और समिति के गठन के पश्चात् कितने कैदियों को रिहा किया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (च) 13 से 14 जनवरी, 2007 को विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा के दौरान न्यायपालिका के सेवानिवृत्त जजों को मिला कर कैदियों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था जिसे दोनों देशों में स्थित जेलों का दौरा करना और कैदियों के साथ मानवीय ढंग से व्यवहार किए जाने तथा अपनी सजा काट चुके कैदियों की शीघ्र रिहाई को सुनिश्चित करने हेतु उपायों का प्रस्ताव करना था। समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई जिनके सदस्य भारतीय पक्ष की ओर से न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) नागेन्द्र राय, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), अमरजीत चौधरी, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), ए.एस.गिल और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एम.ए. खान और पाकिस्तानी पक्ष की ओर से न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अब्दुल कादिर चौधरी, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) फजल करीम, न्यायमूर्ति (सेनानिवृत्त), नासिर असलम जाहिद और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मियां मोहम्मद अजमल थे। अब तक समिति की क्रमश: 26-27 फरवरी, 2008, 9-14 जनवरी, 2008 और 18-23 अगस्त, 2008 को तीन बैठकें हो चुकी हैं।

इन बैठकों के साथ 8 जेलों के दौरे भी किए गए। समिति की कुछ सिफारिशों में हिरासत पर लिए जाने/मृत्यु हो जाने को तुरंत अधिसूचित किया जाना, कौंसलीय पहुंच की त्वरित व्यवस्था (हिरासत में लिए जाने के एक माह के भीतर); एक-दूसरे की जेलों में बंद राष्ट्रिकों के पूरे ब्यौरे और वर्तमान स्थिति सहित समेकित सूचियों का नियमित और समय से आदान-प्रदान, जिन कैदियों की राष्ट्रियता की पुष्टि की जा चुकी है और जिन्होंने अपनी सजा काट ली है उनकी तत्कालीन रिहाई के लिए व्यवस्था, महिलाओं, बच्चों और नि:शक्त कैदियों और मामूली अपराधों के लिए सिद्धदोष किए गए कैदियों के संबंध में उनके त्वरित प्रत्यर्पण के लिए अनुकंपा और मानवीयता के आधार पर विशेष विचार करना और कोंसलीय पहुंच के संबंध में किए गए करार में की गई वचनबद्धता का दोनों देशों द्वारा अनुपालन किए जाने की जरूरत शामिल है। गृह/आंतरिक मामलों के सचिव स्तर के पांचवें दौर की वार्ता में समिति के कार्यों की सराहना की गई और इसके कार्यो को जारी रखे जाने की जरूरत पर सहमति व्यक्त की गई। 27 जनवरी, 2010 को हमने पाकिस्तान से न्यायिक समिति की अगली बैठक के लिए तारीख सुझाने का अनुरोध किया है। पाकिस्तान पक्ष की ओर से उत्तर प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

लाइट वॉटर रिएक्टर

2193. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में स्थान-वार और राज्य-वार कार्य कर रहे लाइट वॉटर रिएक्टर की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक लाइट वॉटर रिएक्टर की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो स्थान-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) वर्तमान में महाराष्ट्र में तारापुर में (तारापुर परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2 - 2 × 160 मेगावाट) दो साधारण जल रिएक्टर (एल. डब्ल्यू. आर्ज) प्रचालनरत हैं। इसके अतिरिक्त, रूसी परिसंघ के तकनीकी सहयोग से स्थापित किए जा रहे दो साधारण जल रिएक्टर, तमिलनाडु में कुडनकुलम में (के.के.एन.पी. 1 तथा 2 - 2 × 1000 मेगावाट) कमीशनन की प्रगत अवस्था में हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्तमान योजनावधि में, चार साधारण जल रिएक्टरों पर काम शुरू करने की योजना है। इस संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:

परियोजना	अवस्थिति	राज्य	के सहयोग से	क्षमता (मेगावाट)
के.के.एन.पी.पी. 3 तथा 4	कुडनकुलम	तमिलनाडु	रूसी परिसंघ	2 × 1000
जे.एन.पी.पी. 1 तथा 2	जैतापुर	महाराष्ट्र	फ्रांस 2 × 1650	

[हिन्दी]

भारतीय सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना

2194. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत कुछ वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सहित देश के विभिन्न राज्यों में भारतीय सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.आई.टी.) की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन आई.आई.टी. की स्थापना के लिए भूमि, संबंधित राज्यों द्वारा प्रदान की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का अनुमोदन कर दिया है। अनुमोदित योजना के अनुसार केन्द्र सरकार, उन संबंधित राज्यों, जहां भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाएंगे, की सरकारें और उद्योग जगत पणधारी (स्टेक होल्डर) होंगे। प्रत्येक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की पूंजीगत लागत का अंशदान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और उद्योग जगत द्वारा क्रमशः 50:35:15 (पूर्वोत्तर क्षेत्र में 57.5:35:7.5) के अनुपात में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए 50-100 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराएंगी। नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की अवस्थिति राज्य सरकारों के प्रत्युत्तर, भूमि की उपलब्धता और निजी भागीदारों द्वारा प्रदर्शित रुचि पर निर्भर करती है।

संघ राज्य क्षेत्रों में विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना

2195. श्री नाथूभाई गोमनभाई पटेल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के संघ राज्य क्षेत्रों में विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछड़े संघ राज्यक्षेत्रों में विभिन्न विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किए गए केन्द्रीय विद्यालयों एवं जवाहर नवोदय विद्यालयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। दिल्ली में चार केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा पुड्डुचेरी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। इसके अतिरिक्त, संबंधित संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कई महाविद्यालयों, विद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना भी की गई है।

(ग) राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालयों एवं जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना करने हेतु केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालयों स्कीमों को तैयार किया गया है। सरकार ने मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना हेतु विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में सात जिलों सहित देश में 374 शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों को चिन्हित किया है।

विवरण

संघ राज्य क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए केन्द्रीय विद्यालय एवं जवाहर नवोदय विद्यालय

क्र.सं.	संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या	जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	02	02
2.	चंडीगढ़	05	01
3.	दादरा और नगर हवेली	01	01
4.	दमन और दीव	01	02
5.	दिल्ली	42	02
6.	लक्षद्वीप	01	01
7.	पुदुचेरी	04	04
	कुल	56	13

चीन द्वारा अतिक्रमण

2196. श्री धर्मेन्द्र यादव: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में चीन द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में चीन को अपना विरोध दर्ज कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) भारत और चीन के बीच सीमा क्षेत्र में सर्वमान्य रूप से कोई वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी.) सीमांकित नहीं है। वास्तविक नियंत्रण रेखा की अवधारणा के संबंध में मतभेद होने के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे वास्तविक नियंत्रण रेखा की सर्वमान्य अवधारणा होने की स्थिति से बचा जा सकता था। सरकार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर होने वाले उल्लंघन के मसले को चीनी पक्ष के साथ सीमा कार्मिकों की बैठकों, फ्लैग बैठकों और राजनयिक माध्यमों सहित स्थापित तंत्रों के माध्यम से नियमित रूप से उठाती है। कई अवसरों पर दोनों पक्षों ने सीमा प्रश्न का अंतिम निस्तारण होने तक भारत-चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और सद्भावना बनाए रखने की अपनी वचनबद्धता दोहराई है। सरकार भारत की सुरक्षा से संबंध रखने वाले सभी घटनाक्रमों पर निरंतर निगाह रखती है और उसके रक्षोपाय के लिए सभी जरूरी उपाय करती है।

[अनुवाद]

ठेका देने में अनियमितताएं

2197. श्री यशवीर सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में डब्ल्यू.एल.एल. सी.डी.एम.ए. , एफ.डब्ल्यू.टी. के लिए ठेके देने में अनियमितताएं आई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने बी.एस.एन.एल. को इन अनियमितताओं के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी निर्धारित करने की सलाह दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में जवाबदेही निर्धारित की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) जी, हां।

(ख) डब्ल्यू.एल.एल., सी.डी.एम.ए. और एफ.डब्ल्यू.टी. के लिए निविदाएं प्रदान करने संबंधी अनियमितताएं सरकार के ध्यान में दिनांक 15.07.2004 की निविदा सं. एम.एम./एस.डब्ल्यू. /072004/00027 और दिनांक 13.8.2007 की सं. एम.एम./एस.डब्ल्यू. /082007/000337 के मामले में आयी है।

(ग) जी, हां।

(घ) दिनांक 15.7.2004 की निविदा सं. एम.एम./एस.डब्ल्यू. /072004/000277 के मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने बी.एस. एन.एल. के मुख्य सतर्कता अधिकारी को दूरसंचार विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी को सभी संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने की सलाह दी है ताकि वे सरकारी निदेशकों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने और उनके प्रथम चरण की सलाह के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकें। दिनांक 13.08.2007 की निविदा संख्या एम.एम. /एस.डब्ल्यू./082007/000337 के मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने बी.एस.एन.एल. के मुख्य सतर्कता अधिकारी को संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय करने और उनके प्रथम चरण की सलाह के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी थी।

(ङ) और (च) दोनों मामलों में बी.एस.एन.एल. बोर्ड के निदेशक शामिल थे। इसलिए बी.एस.एन.एल. के मुख्य सतर्कता अधिकारी से एक तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। इसकी दूरसंचार विभाग में विधिवत जांच की गई और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को उनके प्रथम चरण की सलाह के लिए एक रिपोर्ट भेजी जा चुकी है।

निजी विद्यालयों में निःशक्त बच्चों का प्रवेश

2198. श्रीमती प्रिया दत्तः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजी विद्यालयों और महाविद्यालयों में आत्मविमोह, डिस्लेक्सिया और अन्य समस्याओं से ग्रस्त बच्चों के प्रवेश के लिए कोई प्रावधान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित बच्चों के लिए कोई आरक्षण होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) शिक्षा एक समवर्ती विषय है और अधिकांश स्कूल तथा कालेज राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विभिन्न श्रेणियों के स्कूलों को संबंधन प्रदान करता है जिसमें निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं और ऐसे स्कूल बोर्ड के संबंधन उप नियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होते हैं जिसमें व्यवस्था है कि प्रत्येक स्कूल 'निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995' के उपबंधों के अनुसार तथा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के अनुरूप निःशक्त/विशेष जरूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूलों में शामिल किए जाने को बढ़ावा देगा।

इसके अलावा, माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना (आई.ई.डी.एस.एस.) इस उद्देश्य से लागू की गई है कि प्रारंभिक स्कूल से उत्तीर्ण होने वाले निःशक्त बच्चे माध्यमिक स्कूलों में एक समावेशी माहौल में अध्ययन करने में सक्षम होंगे। इनमें ऑटिस्टिक, डिस्लेक्सिया तथा अन्य समस्याओं से ग्रस्त बच्चे शामिल हैं।

(ख) और (ग) कोई आरक्षण नीति निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र द्वारा यूरेनियम खनन

2199. श्री हंसराज गं. अहीरः
श्री पी. कुमारः
श्री हरिश्चंद्र चव्हाणः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का यूरेनियम के घरेलू उत्पादन में वृद्धि और यूरेनियम के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एन.ई. एल.पी. की तर्ज पर घरेलू स्तर पर यूरेनियम का अन्वेषण और खनन शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में निजी क्षेत्र की यूरेनियम के अन्वेषण और खनन की अनुमति देने और देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए विदेशों में व्यापक स्तर पर यूरेनियम परिसम्पत्तियों के अर्जन को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) के मद्देनजर यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) वर्तमान में, परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (ए.एम.डी.), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग

(डी.ए.ई.) का एक संघटक यूनिट है, यूरेनियम युक्त खनिजों के अन्वेषण के लिए उत्तरदायी है। तथापि, वे वेधन कार्य के लिए निजी क्षेत्र और अन्वेषण संबंधी कार्यकलापों के लिए हेलिबोर्न वैद्युत चुम्बकीय सर्वेक्षण की व्यवस्था करते हैं। यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यू.सी.आई.एल.), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र का उपक्रम (पी.एस.यू.) है, देश में एकमात्र ऐसी एजेंसी है जोकि यूरेनियम युक्त खनिजों के खनन में लगी हुई है। भारत की नाभिकीय ईंधन संबंधी दीर्घावधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए विदेशों में यूरेनियम परिसम्पत्तियों के अर्जन के लिए न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक और सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, और यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल. के एक सहायक यूनिट के रूप में) के बीच एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव उपयोगी सिद्ध होगा।

[अनुवाद]

कोयला खानों की उपग्रह से निगरानी

2200. श्री एस. सेम्मलई: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपनी खुली कोयला खानों की उपग्रह से निगरानी आरंभ की है/आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उन खानों की संख्या कितनी है जहां यह प्रणाली आरंभ की गई है;

(ग) शेष कोयला खानों को उपग्रह की निगरानी में कब तक लाए जाने की संभावना है;

(घ) सरकार द्वारा शुरू किए गए भूमि सुधार और वनरोपण का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस दिशा में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) कोल इंडिया लि. ने वर्ष 2008 से आगे से वार्षिक आधार पर अपने ओपनकास्ट (ओ.सी.) खानों के लिए सेन्ट्रल माइन प्लानिंग और डिजायन इंस्टीट्यूट (सी.एम.पी.डी.आई.एल.) के माध्यम से पहले ही सैटेलाइट इमेज मानीटरिंग शुरू कर दिया है।

(ख) 50 ओ.सी. खानों जो मिलकर 5 मिलियन घनमीटर से अधिक कोयला भार का उत्पादन करते हैं, के लिए सैटेलाइट इमेज मानीटरिंग प्रणाली चरण-I में शुरू किया गया है।

(ग) 113 ओ.सी. खानों जो मिलकर 5 मिलियन घनमीटर से कम कोयला और अत्यधिक भार का उत्पादन करते हैं, वर्ष 2011-12 से चरण-II में 3 वर्षों के नियमित अंतराल पर सैटेलाइट इमेज मानीटरिंग के अंतर्गत लाए जाएंगे।

(घ) और (ङ) कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच वृक्षारोपण के लिए विशिष्ट समझौता ज्ञापन लक्ष्य है। समझौता ज्ञापन के अनुसार, चालू वर्ष अर्थात् 2010-11 के दौरान वृक्षारोपण के लिए लक्ष्य 13.20 लाख है। 2010-11 के दौरान, दिसम्बर, 2010 तक, 15.60 लाख वृक्ष लगाए गए हैं और वर्ष के दौरान 610 हेक्टेयर भूमि का जैविक पुनरुद्धार किया गया है।

प्रशिक्षणाधीन पायलटों द्वारा उड़ानों का प्रचालन

2201. श्री एस.एस. रामासुब्बूः
श्री एस. पक्कीरप्पाः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशिक्षणाधीन पायलट देश में प्रतिष्ठित विमानन कंपनियों के लिए वाणिज्यिक उड़ानों का प्रचालन कर रहे हैं जिससे सैंकड़ों यात्रियों की जान जोखिम में पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं की जांच के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उड़ानों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विमान यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं

2202. श्री मिथिलेश कुमार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया प्रबंधन का विचार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं देने का है ताकि अन्य अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनियों से प्रतिस्पर्धा की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसी भी कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व यात्रियों से आवश्यक शुल्क पैक प्राप्त करने के लिए एयर इंडिया प्रबंधन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) एयर इंडिया ने अन्य अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के साथ प्रतिस्पर्धा हेतु अनेक कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं: (i) अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर जिससे सदस्य संवर्धित वेब सर्विसिंग और कॉल सेन्टर सर्विसिंग समेत अनेक लाभ उठा सकेंगे, (ii) अपने यात्रियों को अधिक अवसर और संपर्कता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्टार एलाइंस में शामिल होना, (iii) अधिक माइलेज हासिल करने के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के और अधिक गैर एयरलाइन भागीदार, (iv) कतिपय घरेलू सेक्टरों की उड़ानों पर एयर बाजार आरंभ करना, (v) अंतरराष्ट्रीय सेक्टरों पर मेन्यू का स्तरोन्नयन।

(ग) एयर इंडिया विभिन्न व्यापारिक एसोसिएशनों, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, महत्वपूर्ण फ्लायर्स आदि से सुझाव लेने के अतिरिक्त नियमित रूप से अपने फील्ड तथा मार्केटिंग कर्मचारियों से फीडबैक लेती हैं। ये सभी सुझाव अनुसूची कार्यान्वयन के लिए योजनाओं को अंतिम रूप देने में सहयोगी होते हैं।

कामगारों को परामर्श

2203. **श्री के.आर.जी. रेड्डी:** क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मलेशिया और अन्य देशों में जाने वाले कामगारों/श्रमिकों के लिए कोई परामर्श/दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी हां। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने मलेशिया में रोजगार चाहने वाले भारतीय कामगारों के लिए अपनी वेबसाइट पर दिशानिर्देश जारी किए हैं और ओमान एवं सऊदी अरब की सल्तनता के लिए उत्प्रवास करने वाले कामगारों के लिए परामर्श भी जारी किए हैं।

मलेशिया में रोजगार चाहने वाले भारतीय कामगारों के लिए दिशानिर्देशों में, उनके मलेशिया जाने से पहले उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है एवं चेतावनियां और मलेशिया में उनके आगमन पर उनके द्वारा बरती जाने वाली अपेक्षित सावधानियां/कदम शामिल हैं। दिशानिर्देशों में, मलेशिया में कार्य स्थिति पर सूचना भी प्रदान की गई है।

सऊदी अरब की सल्तनत से सम्बन्धित परामर्श में, स्थानीय प्रणाली, स्थानीय कानूनों, बरती जाने वाली सावधानियों और सऊदी अरब की सल्तनत के भारतीय दूतावास में उपलब्ध कानूनी आश्रय/सहायता पर अत्यावश्यक सूचना शामिल है। ओमान की सल्तनत से सम्बन्धित परामर्श, कामगारों को ओमानी लेबर लॉ को संशोधित करते हुए, ओमान की 63/2009 रॉयल डिक्री की उलझनों के बारे में सलाह देता है।

[हिन्दी]

समावेशी शिक्षण कार्यक्रम

2204. **श्री ए.टी. नाना पाटील:**
राजकुमारी रत्नासिंह:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समावेशी शिक्षण कार्यक्रमों को और सुदृढ़ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में एन.सी.ई.आर.टी. सहित सभी पणधारियों से परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(ङ) चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी निधियां निर्धारित की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) क्षेत्र में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से फीडबैक के आधार पर 2010-11 से समेकित शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड प्रति शिशु प्रतिवर्ष 1200/-रु. से बढ़ाकर 3000/- रुपए कर दिया गया है। इस राशि का उपयोग विशेष जरूरतों वाले बच्चों की पहचान उनकी अशक्तता की विनिर्दिष्ट प्रकृति के निर्धारण, समुचित शैक्षिक नियोजन, सहायता और उपकरण के लिए प्रावधान वास्तुशिल्पीय बाधाओं को दूर करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण, संसाधन शिक्षक रखना इत्यादि के लिए किया जा सकता है।

पाठ्यपुस्तकों के लिए दिशा-निर्देशों, प्रभावी शिक्षण एवं शिक्षा और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से शिक्षक प्रशिक्षण इत्यादि के विकास हेतु एन.सी.ई.आर.टी. से संसाधन सहायता ली गई है।

(ङ) चालू पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजनार्थ उद्दिष्ट निधियां निम्न प्रकार से हैं:

(रुपए लाख में)

वर्ष	निधियों का आबंटन
2006-07	28,068.70
2007-08	22,848.55
2008-09	24,574.13
2009-10	28,309.65
2010-11	75,308.2

[अनुवाद]

दूरभाष प्रचालकों द्वारा अधिक प्रभार

2205. श्री सुरेश अंगड़ी:
श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टी.आर.ए.आई. (ट्राई) को लोगों से निजी दूरसंचार प्रचालकों द्वारा अधिक बिल, झूठे बिल और अन्य अनुचित वसूली के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान कम्पनीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र सृजित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एक सर्कल में एक दूरभाष प्रचालक कितने "प्लान" दे सकता है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को बिलिंग, मीटरिंग और प्रशुल्क से संबंधित मुद्दों और उपभोक्ता से विशिष्ट सहमति प्राप्त किए बिना प्रभारणीय मूल्य योजित सेवाओं को शुरू करने जैसी विभिन्न समस्याओं के संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। गत तीन वर्षों के दौरान निजी सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का कंपनी वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये शिकायतें उपयुक्त कार्रवाई/समाधान हेतु ट्राई द्वारा संबंधित सेवा प्रदाताओं को भेज दी जाती हैं।

(ग) और (घ) ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत समाधान विनियम, 2007 अधिसूचित किया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक सेवा प्रदाता के लिए यह अनिवार्य है कि वह दूरसंचार उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान हेतु एक त्रिस्तरीय तंत्र स्थापित करे जिसमें कॉल सेंटर, नोडल अधिकारी और अपील प्राधिकारी शामिल हों। इस विनियम में प्रक्रिया, क्रियाविधि और समय-सीमा का भी उल्लेख किया गया है। शिकायत समाधान प्रणाली की प्रभावकारिता में सुधार लाने की दृष्टि से ट्राई ने दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए समीक्षा उपायों के संबंधा में एक परामर्श पत्र भी जारी किया है।

(ङ) दूरसंचार प्रचालक किसी एक सेवा क्षेत्र में किसी भी समय अधिकतम 25 प्रशुल्क योजनाओं की पेशकश कर सकता है। 25 प्रशुल्क योजनाओं (जिनमें पोस्ट पेड और प्रीपेड योजनाएं शामिल हैं) की अधिकतम सीमा स्थिर वायरलाइन, स्थिर वायरलेस, मोबाइल (जी.एस.एम.) और मोबाइल (सी.डी.एम.ए.) सेवा क्षेत्रों पर अलग से लागू है।

विवरण

ट्राई को निजी सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुई शिकायतें

प्रचालक	2008-09	2009-10	2010-11 (दिसम्बर 2010 तक)
एयरटेल	773	1736	1062
टाटा	232	678	329
रिलायंस	466	1000	685
वोडाफोन	477	881	538
आइडिया	129	425	371
अन्य	109	370	300
कुल	2186	5090	3285

बंगलुरू से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों तक एआई की सीधी सेवाएं

2206. श्री अनंत कुमार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बंगलौर से एयर इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों तक आरंभ और बंद की गई सीधी सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन सेवाओं को बंद किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सभी विमानन कंपनियों द्वारा बंगलौर से प्रचालित की जाने वाली उड़ानों की संख्या, आवृत्ति, अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों का ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) मार्ग यौक्तीकरण तथा संसाधन की कमी के भाग के रूप में पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान एयर इंडिया द्वारा बंगलोर से निम्नलिखित सेवाएं शुरु/वापिस की गई हैं:

वर्ष 2008 के दौरान

(i) ग्रीष्म, 2008 शेड्यूल से बंगलोर-गोवा-दुबई-वापिसी मार्ग पर साप्ताहिक उड़ान प्रचालन के लिए 3 साप्ताहिक बंगलोर-दुबई वापिसी उड़ानों को पुनर्सरंचित किया गया है।

(ii) बंगलोर-शारजाह-वापिसी उड़ान को अगस्त 2008 से वापिस ले लिया गया था

(iii) हैदराबाद-शारजहा-हैदराबाद सेक्टर पर प्रचालन के लिए हैदराबाद-बंगलोर-शारजाह एवं वापिसी मार्ग पर आईसी 961/962 की सेवाओं को पुनर्सरंचित किया गया।

वर्ष 2009 के दौरान-शून्य

वर्ष 2010 के दौरान

बंगलोर-सिंगापुर एवं वापिसी उड़ान 1 नवंबर, 2010 से वापिस ले ली गई।

वर्ष 2011 के दौरान-शून्य

(ग) विभिन्न एयरलाइनों द्वारा बंगलोर से प्रचालित की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

विवरण

भारतीय विमान कंपनियां

एयरलाइंस का नाम	सेक्टर	फलाईट शेड्यूल
एयर इंडिया	बंगलोर-गोवा-दुबई	04 फलाईट/प्रति सप्ताह
	बंगलोर-हैदराबाद-मस्कट	03 फलाईट/प्रति सप्ताह
	बंगलोर-माले-बंगलोर	05 फलाईट/प्रति सप्ताह
किंगफिशर एयरलाइंस	बंगलोर-दुबई-बंगलोर	07 फलाईट/प्रति सप्ताह

विदेशी विमान कंपनियां

एयरलाइंस का नाम	सेक्टर	फलाईट शेड्यूल
1	2	3
एयर अरेबिया	बंगलोर-शारजाह	07 फलाईट/प्रति सप्ताह
एयर चाईना	बंगलोर-चेंगडू	02 फलाईट/प्रति सप्ताह

1	2	3
एयर फ्रांस	बंगलोर-पेरिस	07 फलाईट/प्रति सप्ताह
एयर मॉरिशस	बंगलोर-चेन्नै-मॉरिशस	01 फलाईट/प्रति सप्ताह
ब्रिट्रिश एयरवेज	बंगलोर-लंदन	07 फलाईट/प्रति सप्ताह
एमीरेटस	बंगलोर-दुबई	20 फलाईट/प्रति सप्ताह
हांगकांग ड्रेगन एयरलाइंस	बंगलोर-हांगकांग	07 फलाईट/प्रति सप्ताह
लुफतांसा	बंगलोर-फैंकफर्ट	07 फलाईट/प्रति सप्ताह
मलेशिया एयरलाइंस	बंगलोर-कुआलाल्मपुर	07 फलाईट/प्रति सप्ताह
ओमान एयर	बंगलोर-मस्कट	06 फलाईट/प्रति सप्ताह
साऊदी अरेबियन एयरलाइंस	बंगलोर-जेद्दाह	06 फलाईट/प्रति सप्ताह
सिल्क एयर	बंगलोर-सिंगापुर	02 फलाईट/प्रति सप्ताह
सिंगापुर एयरलाइंस	बंगलोर-सिंगापुर	07 फलाईट/प्रति सप्ताह
श्री लंकन एयरलाइंस	बंगलोर-कोलम्बो	08 फलाईट/प्रति सप्ताह
टाइगर एयरवेज	बंगलोर-सिंगापुर	03 फलाईट/प्रति सप्ताह

जीएसएलवी की विफलता

2207. श्री पूर्णमासी राम: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भू-स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (जीएसएलवी) की विफलता के मामले की जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जुलाई, 2006 में एक रूसी क्रायोजेनिक इंजिन द्वारा चालित और हाल ही में अप्रैल, 2010 में भारत के प्रथम स्वेदशी क्रायोजेनिक इंजिन के उड़ान भरने के बाद पथ से विपथित होने के पश्चात् असफल मिशन की यह तीसरी घटना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल ही में जीएसएलवी की विफलता को ध्यान में रखते हुए आईएसआरओ (इसरो) ने 2013 में जीएसएलवी से प्रक्षेपित किए जाने वाले चन्द्रयान-2 की समीक्षा करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने इसरो और इसरो से बाहर के 11 विशेषज्ञों को लेकर डॉ. जी. माधवन नायर की अध्यक्षता में विफलता विश्लेषण समिति को नियुक्त किया है। इस समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ग) जी हां।

(घ) जी एस एल वी मिशन का पहला असफल प्रमोचन रूसी निम्नतापीय ऊपरी चरण के साथ 10 जुलाई, 2006 को जी एस एल वी एफ 02 था। मिशन की विफलता का मुख्य कारण प्रथम चरण के एक द्रव स्ट्रैप-ऑन मोटर में प्रणोद का न होना रहा है। इस स्ट्रैप-ऑन मोटर की गैस जनरेटर तंत्र के नोदक नियामक में खराबी के कारण इसने इस प्रकार असामान्य रूप से कार्य किया।

15 अप्रैल, 2010 को आयोजित स्वदेशी निम्नतापीय ऊपरी चरण के साथ ही एस एल वी डी 3 की उड़ान जी एस एल वी का दूसरा असफल प्रमोचन था। स्वदेशी निम्नतापीय इंजन (तीसरा चरण) अपने ज्वलन के पश्चात् 1 सेकेन्ड से अधिक प्रज्वलन नहीं सहन कर सका जिसके कारण मिशन विफल हो गया।

(ङ) और (च) सरकार ने भविष्य के जी एस एल वी कार्यक्रम एवं निकट भविष्य में संचार प्रेषानुकरों की मांग पूरी करने की नीतियों पर विचार करने के लिए डॉ. के कस्तूरिंगन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय 'कार्यक्रम समीक्षा एवं नीति निरूपण समिति' नियुक्त की है। इस समिति की सिफारिशों को देखते हुए ही चन्द्रयान II मिशन पर निर्णय लिया जाएगा। उनके रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

कंप्यूटर शिक्षा

2208. **श्रीमती परमजीत कौर गुलशन:**
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में केन्द्र प्रायोजित योजना 'विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी' के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत कंप्यूटर साक्षरता प्राप्त करने वाले छात्रों का वर्ष-वार और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। "स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित अध्ययन तथा कंप्यूटर साक्षरता हेतु सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को शामिल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में स्थित स्कूलों को प्राथमिकता दी जाती है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों जहां पर हिस्सेदारी अनुपात 90:10 है, को छोड़कर केन्द्र तथा राज्यों के बीच हिस्सेदारी पैटर्न 75:25 है।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित तथा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) यह आशा की जाती है कि इस योजना के अंतर्गत शामिल स्कूलों में, कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्र विभिन्न स्तरों की कंप्यूटर साक्षरता हासिल करेंगे। हालांकि, इसकी मानीटरिंग राज्य सरकार द्वारा की जाती है तथा सामान्य प्रवीणता परीक्षा के अभाव में, कंप्यूटर शिक्षा में प्रवीणता प्राप्त करने वाले छात्रों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान "स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित तथा उपयोग की गई निधियों का वर्षवार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी तथा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा							
		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (04-03-2011)	
		जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	3750.00	3750.00	5250.00	5250.00	–	–	6600.00	–
3.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	67.38	67.38	105.52	105.52	165.82	–
4.	असम	1301.23	1301.23	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	बिहार	–	–	895.93	–	–	–	–	–
6.	चंडीगढ़	100.00	100.00	–	–	182.75	182.75	–	–
7.	छत्तीसगढ़	–	–	2417.53	1217.53	–	–	–	–
8.	दमन और दीव	–	–	41.00	41.00	–	–	14.40	–
9.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	31.20	–
10.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	गोवा	571.50	571.50	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	–
12.	गुजरात	1022.15	1022.15	–	.	1871.78	1871.78	6915.57	–
13.	हरियाणा	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1500.00	1500.00	–	–
14.	हिमाचल प्रदेश	–	–	772.44	772.44	–	–	–	–
15.	जम्मू और कश्मीर	570.06	–	–	–	–	–	–	–
16.	झारखण्ड	1074.00	–	–	–	–	–	–	–
17.	कर्नाटक	4558.00	4558.00	3150.00	–	–	–	–	–
18.	केरल	1016.00	1016.00	407100	4071.00	4071.00	4071.00	2600.00	–
19.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	.	–	–
20.	मध्य प्रदेश	807.50	–	–	–	–	–	.	.
21.	महाराष्ट्र	500.00	500.00	–	–	1250.00	–	–	.
22.	मणिपुर	195.975	195.975	195.98	195.98	391.95	391.95	–	–
23.	मेघालय	–	–	428.88	428.88	–	–	386.59	–
24.	मिजोरम	–	–	–	–	301.50	301.50	408.06	–
25.	नागालैण्ड	1299.46	1299.46	815.00	815.00	111.21	111.21	–	–
26.	उड़ीसा	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	पुदुचेरी	259.53	–	–	–	–	–	–	–
28.	पंजाब	91.24	91.24	3017.40	3017.40	4305.00	4305.00	3386.42	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	राजस्थान	400.00	400.00	1050.00	1050.00	2300.00	2300.00	4500.00	–
30.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	तमिलनाडु	1312.50	1312.50	2681.00	2681.00	318.72	318.72	–	–
32.	त्रिपुरा	209.00	209.00	–	–	–	–	–	–
33.	उत्तर प्रदेश	3115.47	3115.47	–	–	–	–	3750.00	–
34.	उत्तराखंड	377.25	377.25	150.00	150.00	151.50	151.50	–	–
35.	पश्चिम बंगाल	964.33	964.33	762.42	762.42	–	–	3500.00	–
	कुल	24745.195	22034.105	27447.96	22202.03	17292.93	16042.93	32690.06	–

कोयले का उत्पादन

2209. श्री प्रदीप माझी:
श्री किशनभाई वी. पटेल:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र को आबंटित रक्षित ब्लॉकों से कोयले के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू पंचवर्षीय योजना में वास्तविक कोयला उत्पादन ऐसे लक्ष्यों से काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्रों की कंपनियों के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य कोयला ब्लाक के लिए दिशा-निर्देश तथा आबंटन पत्र की शर्तों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। चालू पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए आबंटित कोयला ब्लॉकों से उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार से है:

(आंकड़े मि.ट. में)

वर्ष	उत्पादन का लक्ष्य	वास्तविक उत्पाद
2007-08	23.93	21.245
2008-09	36.22	29.997
2009-10	37.11	35.46
2010-11 (अनंतिम)	35.23 (अनुमानित)	26.921
2011-12 (अनंतिम)	30.25 (अनुमानित)	-

(ग) और (घ) उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी का कारण आबंटिती कंपनियों के सम्मुख भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट खरीदना, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन और पर्यावरण मंजूरी, खनन पट्टा प्राप्त करना तथा भूमि अधिग्रहण जैसे विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रमुख जटिलताएं रही हैं। गैर-अन्वेषित ब्लॉकों के मामले में भावी लाइसेंस को प्राप्त करने तथा विस्तृत ड्रीलिंग को पूरा करने में भी समय लगता है।

(ङ) आबंटित ब्लॉकों के विकास के साथ-साथ आवंटिती कंपनियों द्वारा अन्य उपयोग संयंत्र की सरकार द्वारा समीक्षा बैठकों में समय-समय पर निगरानी तथा समीक्षा की जाती है। जहां कहीं विलम्ब नजर आता है, सरकार ऐसे आबंटितियों को कारण बताओ नोटिस जारी करके और परामर्श देकर कोयला ब्लॉकों में, दिशा

निर्देशों/लक्ष्य चार्ट के अनुसार उत्पादन आरंभ करने के लिए सावधान करती है। जून 2009 में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद 48 कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों के आबंटितियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। आबंटिती कंपनियों द्वारा की गई प्रगति के आधार पर समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर 10 ब्लॉकों को आवंटन रद्द कर दिया गया है और एक ब्लाक का पट्टा अब तक अमान्य घोषित कर रखा है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों के शीघ्र विकास को सुकर बनाने के लिए मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित करें। विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोयला नियंत्रक का कार्यालय भी नियमित आधार पर निगरानी कर रहा है।

कोयला ब्लॉकों के विकास तथा अन्त्य उपयोग परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए सभी कोयाला ब्लॉक आबंटितियों के साथ पिछली समीक्षा बैठक 20 तथा 21 जुलाई, 2010 को आयोजित की गई थी। तदनुसार, 84 कोयला ब्लॉकों के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा-विवाद

2210. योगी आदित्यनाथ: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीमा विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच हुई वार्ता में कितनी प्रगति हुई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर राज्य में भारतीय भूक्षेत्र के लगभग 78000 वर्ग कि.मी. पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान ने तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा करार, 1963 के तहत पाकिस्तान, अधिकृत कश्मीर स्थित भारतीय भूक्षेत्र का लगभग 5180 वर्ग कि.मी. अवैध ढंग से चीन में मिला दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक क्षेत्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आई.एम.बी.एल.) का सीमांकन नहीं किया गया है।

भारत पाकिस्तान के साथ जम्मू और कश्मीर मुद्दे सहित सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता द्वारा समाधान करना चाहता है। जम्मू और कश्मीर तथा सर क्रीक के मुद्रों पर समन्वित वार्ता के ढांचे के अंतर्गत पाकिस्तान के साथ चर्चा हुई थी।

भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की भारत-पाकिस्तान संबंधों के मार्ग के निर्धारण हेतु 6 फरवरी, 2011 को थिम्पू में बैठक हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति हुई है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री की जुलाई, 2011 तक होने वाली यात्रा से पहले अन्य बैठकों के साथ-साथ दोनों देशों के विदेश सचिवों की एक बैठक जम्मू और कश्मीर मसले पर आयोजित की जाएगी और सर क्रीक के मसले पर अपर सचिवों/महा सर्वेक्षकों के स्तर की बैठक आयोजित की जाएगी। उपरोक्त बैठकों की तारीखें राजनयिक माध्यमों से नियत की जाएगी।

[अनुवाद]

प्राथमिक विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा माध्यम

2211. रमेन डेका: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना प्राथमिक विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषा माध्यम को प्रोत्साहन देने और इस क्षेत्र में अवसंरचना विकसित करने के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कोई प्रोत्साहन देने की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा 2005 में यह अनुशंसा की गई है कि स्कूलों में विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर अध्ययन का माध्यम बच्चों की गृह भाषा अथवा मातृभाषा होनी चाहिए। नि:शुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षाक अधिकार अधिनियम, 2009 जो कि 1.4.2010 से लागू हो गया है, की धारा 29(2)(7) में यह व्यवस्था है कि जहां तक व्यवहार्य हो सके, शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। इस संबंध में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

कोयला धोवनशाला

2212. डॉ. चरणदास महन्तः क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 11.1 करोड़ टन कोयला क्षमता वाली 20 नई कोयला धोवनशालाएं खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में पहचान किए गए स्थान कौन-कौन से हैं और ऐसे स्थानों की पहचान करने के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड का 111.1 मिलियन टन की कुल क्षमता से 20 कोयला वाशरियों की स्थापना का प्रस्ताव है। प्रस्तावित वाशरियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	वाशरियों का नाम	क्षमता (मि. ट. प्रति वर्ष)	प्रकार	राज्य
1.	कुसमुण्डा	10.0	नॉन-कोकिंग	छत्तीसगढ़
2.	बरौद	5.0	नॉन-कोकिंग	छत्तीसगढ़
3.	मधुबंद	5.0	कोकिंग	झारखंड
4.	पाथरडीह	5.0	कोकिंग	झारखंड
5.	पाथरडीह	2.5	कोकिंग	झारखंड
6.	दहीबारी	1.6	नॉन-कोकिंग	झारखंड
7.	दुग्दा	2.5	कोकिंग	झारखंड
8.	भोजूडीह	2.0	नॉन-कोकिंग	पं. बंगाल
9.	अशोका	10.0	नॉन-कोकिंग	पं. बंगाल
10.	कोनार	3.5	नॉन-कोकिंग	झारखंड
11.	कारो	2.5	नॉन-कोकिंग	झारखंड
12.	नई पिपरवार	3.5	नॉन-कोकिंग	झारखंड
13.	ढोरी	2.5	कोकिंग	झारखंड
14.	चित्रा	2.5	नॉन-कोकिंग	झारखंड
15.	सोनपुर-बाजरी	8.0	नॉन-कोकिंग	पं. बंगाल
16.	वसुन्धरा	10.0	नॉन-कोकिंग	उड़ीसा
17.	जगन्नाथ	10.0	नॉन-कोकिंग	उड़ीसा
18.	हिंगुला	10.0	नॉन-कोकिंग	उड़ीसा
19.	आईबी-वेली	10.0	नॉन-कोकिंग	उड़ीसा
20.	कोलारपिम्परी	5.0	नॉन-कोकिंग	महाराष्ट्र

इन वाशरियों की अवस्थिति की पहचान करने के लिए अपनाए गए मानदंड निम्नलिखित हैं:-

- सी.आई.एल/कोयला कंपनियों के गैर-कोयलाधारी भूमि की उपलब्धता।
- जल, बिजली, रेलवे साइडिंग, अपशिष्ट डंपिंग/भंडारण क्षेत्र आदि जैसे अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता।
- घटिया किस्म के कोयले की उपलब्धता।
- 2.5 मि.ट. प्रति वर्ष से अधिक क्षमता की नई ओपनकास्ट परियोजनाएं और जो पिटहैड थर्मल पावर स्टेशनों से जुड़े हुए न हों।
- कोयले का भंडार और संबंधित खानों का जीवन।

[अनुवाद]

एन.ए.एसी. द्वारा प्रत्यायन

2213. श्री कमलेश पासवानः
श्री कालीकेश नारायण सिंह देवः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एन.ए.एसी) द्वारा प्रत्यायित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का प्रतिशत कितना है;

(ग) एन.ए.एसी. द्वारा प्रत्यायन में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या कितनी है; और

(घ) देश में सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की गुणवत्ता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, देश में लगभग 550 विश्वविद्यालय और 26,000 कालेज हैं।

(ख) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एन.ए.एसी.) द्वारा इन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लगभग 29 प्रतिशत विश्वविद्यालयों और 16 प्रतिशत कालेजों का प्रत्यायन किया गया है।

(ग) 2007 से, शिक्षा संस्थाओं का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन, पाठ्यचर्या पहलुओं, शिक्षण-अध्ययन और मूल्यांकन अनुसंधान परामर्श और विस्तार, अवसंरचना तथा अध्ययन संसाधन, छात्र सहायता एंव प्रगति, संचालन एवं नेतृत्व और नवाचारी कार्यों को ध्यान में रखते हुए, कुमुलेटिव ग्रेडिंग प्वाइंट एवरेज (सी.जी.पी.ए.) सिस्टम के आधार पर किया जाता है और प्रत्यायन स्तर, क, ख, ग, और घ ग्रेड़ों के अर्थों में दर्शाया जाता है।

(घ) 11वीं योजना अवधि के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेलों की स्थापना हेतु एक योजना शुरू की है ताकि बोधगम्य, संगत और उत्प्रेरक कार्य के लिए गुणवत्ता प्रणाली विकसित हो सके और साथ ही उत्तम कार्यों को संस्थागत बनाने और गुणवत्ता सुधार के अंतर्राष्ट्रीयकरण के जरिये संस्थागत कार्यकरण में गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में उपाय किए जा सकें। इस प्रयोजनार्थ, यह एकमुश्त अनुदान के रूप में प्रत्येक विश्वविद्यालय को 5.00 लाख रु. और प्रत्येक कॉलेज को 3.00 लाख रु. की प्रारंभिक धनराशि प्रदान करता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् उत्तर प्रत्यायन गुणवत्ता संरक्षण कार्य के रूप में वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन सेल द्वारा वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट (एक्यू.ए.आर.) प्रस्तुत करने के लिए जोर दे रही है और इसने संस्था के पुनः प्रत्यायन के लिए इसको एक बुनियादी पात्रता शर्त बना दिया है।

पायलटों का पलायन

2214. डॉ. एम. तम्बिदुरईः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन के अनेक प्रशिक्षित पायलटों ने निजी विमानन कंपनियों में नौकरी करने के लिए राष्ट्रीय विमान कंपनी को छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय विमानन कंपनी को छोड़ने वाले ऐसे पायलटों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) एयरलाइंस कंपनियों द्वारा एक पायलट के प्रशिक्षण पर खर्च किए जाने वाला औसत धन कितना है; और

(घ) ऐसी प्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एयर इंडिया द्वारा एक पायलट के प्रशिक्षण पर औसतन 25 से 30 लाख रु. खर्च किया जाता है।

(घ) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

2215. श्री कीर्ति आजाद: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा संचालित करने वाले बिजनेस स्कूलों ने हाल ही में राज्य सरकारों द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों के संबंध में 'ए.आई.सी.टी.ई.' के नए निदेशों का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के मामले में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की हाल ही की सार्वजनिक अधिसूचना सं. लीगल 12(06)/2010 दिनांक 24-11-2010 के विरुद्ध कुछ संस्थाएं/प्रबंधन माननीय न्यायालय में गए हैं। विभिन्न न्यायालयों में इस संबंध में दायर कानूनी मामलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय में: (1) भारतीय गैर-सहायता प्राप्त व्यवसायिक शैक्षिक संस्था के प्रबंधन संघ के फेडरेशन द्वारा दायर 2011 की रिट् याचिका सं. 599 और 690(2) दूरसंचार एवं प्रबंध अध्ययन स्कूल और अन्य द्वारा ए.आई.सी.टी.ई. तथा अन्य के विरुद्ध दायर 2011 की रिट् याचिका सं. 206(3) आंध्र प्रदेश निजी इंजीनियरी कॉलेज प्रबंध संघ और अन्य द्वारा ए.आई.सी.टी.ई. तथा अन्य के विरुद्ध दायर 2011 की रिट् याचिका सं. 207

मुंबई उच्च न्यायालय में: (4) व्यवसायिक प्रबंध संस्थान द्वारा ए.आई.सी.टी.ई. के विरुद्ध दायर 2011 की रिट् याचिका सं. 1334 (5) कंसोरटियम ऑफ मैनेजमेंट एंड एजूकेशन द्वारा ए.आई.सी.टी.ई. के विरुद्ध दायर 2011 की रिट् याचिका सं. 1335

हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में उच्च न्यायालय: (6) जोसफ श्रीहर्षा और मेरी इंदराजा शैक्षिक सोसायटी, हैदराबाद द्वारा दायर 2011 की रिट् याचिका सं. 630 (7) तेजवानी शैक्षिक फाउंडेशन सोसायटी, आई.टी. तथा प्रबंधन का सावित्री कॉलेज द्वारा दायर 2011 की रिट् याचिका सं. 1439

कटक स्थित उड़ीसा के अधिकार क्षेत्र में उच्च न्यायालय: (8) प्रबंध एवं सूचना विज्ञान संस्थान तथा अन्य द्वारा उड़ीसा राज्य तथा अन्य के विरुद्ध दायर 2011 की रिट् याचिका सं. 3597 (9) सी.वी. रमण बी. स्कूल तथा अन्य द्वारा उड़ीसा राज्य तथा अन्य के विरुद्ध दायर 2011 की रिट् याचिका सं. 364

(ग) मामला निर्णयाधीन है अत: इस स्तर पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

[अनुवाद]

दूरसंचार विवादों के निपटान के लिए मध्यस्थ

2216. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार दूरसंचार विवादों को निपटाने के लिए टेलीग्राफ अधिनियम के अंतर्गत एक मध्यस्थ की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति के बारे में आम जनता को पर्याप्त रूप से सूचना दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ग) मध्यस्थ की नियुक्ति मामला दर आधार पर की जाती है। संबंधित व्यक्तियों/पक्षों को प्रत्येक मामले में मध्यस्थ की नियुक्ति संबंधी पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है। ऐसे व्यक्तिगत मामलों में आम जनता को सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दूरसंचार विवादों के समाधान के लिए आम मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय से कोई निदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

यूजीसी द्वारा नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को मान्यता

2217. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों में रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अनुमोदित नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान रोजगारोन्मुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ करने को प्रोत्साहित करने के लिए यूजीसी द्वारा प्रदान की गई वित्तीय साहयता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए यूजीसी द्वारा कितनी अनुरोध प्राप्त किए गए तथा कितने अनुरोध अस्वीकृत किए गए और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान रोजगारोन्मुखी शिक्षा के संवर्धन के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वार अनुमोदित नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	2008-09	2009-10
1.	कला/सामाजिक विज्ञान	91	93
2.	विज्ञान	53	82
3.	वाणिज्य	29	52

(ख) और (ग) रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान क्रमशः 4683.00 लाख तथा 4930.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान क्रमशः 609 तथा 747 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिसमें से 159 तथा 232 प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किए गए क्योंकि आजीविका अभिमुख समिति द्वारा उन्हें व्यवहार्य और/अथवा पूर्ण नहीं पाया गया था।

[हिन्दी]

गांवों को जीएसएम कवरेज

2218. श्री निशिकांत दुबे:
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जीएसएम टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गांवों में जी.एस.एम. कवरेज प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ङ) चयनित गांवों को शामिल करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी, हां। देश में जी.एस.एम. टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 31-03-2008 की स्थिति के अनुसार, देश में उपलब्ध जी.एस.एम. टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 192.69 मिलियन थी, जो 31-01-2011 की स्थिति के अनुसार बढ़कर अब 564.09 मिलियन हो गई है। गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सेवा-क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड ने 31-01-2011 की स्थिति के अनुसार अपने प्रचालन क्षेत्र में 610885 गांवों में से 390552 गांवों में मोबाइल सुविधा उपलब्ध करा दी है। इसके अलावा, भारत संचार निगम लिमिटेड की अगले तीन वर्षों में तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अध्ययधीन 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में उत्तरोत्तर रूप से मोबाइल सेवा की उपलब्धता का विस्तार करने की योजना है।

वर्तमान समय में स्थिर बेतार या मोबाइल कवरेज सुविधारहित विशिष्ट ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं की उपलब्धता हेतु, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा 27 राज्यों के 500 जिलों के 7363 (7871 से संशोधित) अवसंरचना स्थलों/टावरों की स्थापना

एवं प्रबंधन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम शुरू की गई है। 31-01-2011 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत 7251 टॉवरों अर्थात् लगभग 98.48% टॉवरों की स्थापना की गई है। मोबाइल सेवाओं की उपलब्धता हेतु तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा इस प्रकार से सृजित अवसंरचना की साझेदारी की जा रही है। 31-12-2010 की स्थिति के अनुसार, सेवा प्रदाताओं द्वारा 13866 बेस ट्रांससीवर स्टेशनों का प्रचालन आरंभ कर दिया गया है तथा मोबाइल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

विवरण

देश में सेवा क्षेत्र-वार जीएसएम टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	जीएसएम टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या			
		31.03.2008 की स्थिति के अनुसार	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	14,156,780	21,934,044	30,983,374	40,672,342
2.	असम	3,812,373	5,661,467	8,563,617	10,645,023
3.	बिहार	8,432,726	16,060,803	29,512,424	41,180,678
4.	गुजरात	13,403,445	19,297,585	24,630,640	33,720,855
5.	हरियाणा	4,537,001	7,191,982	9,075,246	12,604,479
6.	हिमाचल प्रदेश	1,922,303	2,805,339	4,425,392	6,219,974
7.	जम्मू और कश्मीर	2,097,075	3,363,102	4,846,445	4,781,672
8.	कर्नाटक	13,147,235	18,378,973	25,312,586	31,409,752
9.	केरल	8,508,486	12,566,231	17,769,072	23,101,754
10.	मध्य प्रदेश	9,419,349	15,041,683	23,422,235	33,130,317
11.	महाराष्ट्र (मुंबई छोड़कर)	14,842,831	22,522,853	27,975,581	38,933,448
12.	पूर्वोत्तर	2,039,271	3,224,507	5,107,819	6,280,852
13.	उड़ीसा	4,034,921	7,057,842	12,291,238	17,731,604
14.	पंजाब	9,332,430	11,807,586	14,754,064	18,757,340
15.	राजस्थान	9,832,754	16,840,034	24,220,498	29,005,956
16.	तमिलनाडु (चेन्नई छोड़कर)	14,494,306	23,223,182	33,004,703	42,739,831
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	11,948,699	20,957,237	32,128,259	43,804,977
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	9,012,824	13,941,620	20,779,790	29,341,069

1	2	3	4	5	6
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता छोड़कर)	7,485,577	12,875,756	20,846,630	31,053,895
20.	कोलकाता	5,149,108	8,157,230	11,551,796	16,049,099
21.	चेन्नई	5,665,198	7,350,574	8,836,250	10,243,745
21.	दिल्ली	10,483,600	13,858,962	16,955,964	22,653,927
23.	मुंबई	8,937,200	13,146,363	15,962,593	20,029,397
	कुल	192,695,492	297,264,955	422,956,216	564,091,986

1. पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश (पं) सेवा क्षेत्रों के आंकड़ों में क्रमशः अंडमान एवं निकोबार और सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल के जी.एस.एम. टेलीफोनों की संख्या शामिल है, क्योंकि निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता सेवा-क्षेत्र वार ही डाटा उपलब्ध कराते हैं।
2. आइडिया टेलीकम्यूनिकेशन्स ने चेन्नई के जी.एस.एम. फोनों की संख्या को तमिलनाडु के आंकड़ों में शामिल कर दिया है।
3. रिलायंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड तथा टाटा टेलीसर्विसेज ने बेतार फोनों (डब्ल्यू.एल.एल. एवं जी.सी.एम. दोनों सहित) के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

परियोजनाओं में विलंब समय और लागत में वृद्धि

2219. श्री महेश्वर हजारी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत द्वारा पड़ोसी देशों में निष्पादित की जा रही वृहत परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब हो रहा है और उनकी लागत में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं जहां ये परियोजनाएं निष्पादित की जा रही है तथा परियोजनाओं की लागत कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने की प्रारम्भिक समय-सीमा क्या थी; और

(घ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) भारत अपने पड़ोसी देशों में कई विकास परियोजनाएं कार्यान्वित करता है। 300 करोड़ रुपए तथा अथवा इससे अधिक राशि की गैर-योजना परियोजनाओं तथा 150 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक राशि की योजनागत परियोजनाओं को मेगा परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी योजनाओं का समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। तथापि, कुछ मामलों में आकस्मिक परिस्थितियों के कारण अधिक लागत व समय लगता है।

(ख) से (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भूटान

भूटान में भारत द्वारा कार्यान्वित की जा रही मेगा परियोजनाओं में से फूंटशोलिंग - थिम्पु सड़क की दोहरी लेन निर्माण के चरण-II व चरण-III (दाम्चू-चूखा का पुनर्निर्माण) में अधिक लागत व समय लगा।

फूंटशोलिंग- थिम्पु सड़क की दोहरी लेन निर्माण चरण-II	
सड़क की लम्बाई	77.4 कि.मी.
कार्य प्रारंभ	जुलाई, 2007
प्रारंभिक लागत (अप्रैल, 2007)	152.0157 करोड़
समापन की प्रारंभिक अवधि	मार्च, 2010
संशोधित लागत (अगस्त, 2008)	186.76 करोड़ रुपए
संशोधन पूर्व लागत (2009)	259.88 करोड़ रुपए
संशोधित समापन अवधि	जून, 2011

उपरोक्त परियोजना में लागत की अधिकता मूल्य वृद्धि प्रभारों में वृद्धि, निविष्टियों की लागत में वृद्धि, कार्मिकों के वेतन व भतों में वृद्धि (छठे वेतन आयोग के बाद) मंदी के दरों में परिवर्तन एजेंसी के प्रभारों की गणना की पद्धति में परिवर्तन, आकस्मिक एवं रॉयल्टी प्रभार में वृद्धि के कारण थी। समय की अधिकता, पहाड़ी तराइयों में भारी वर्षा, भूस्खलन के कारण कार्य में विघ्न एवं व्यवधान के कारण थी।

फूंटशेलिंग-थिम्पु सड़क की दोहरी लेन निर्माण चरण II (दाम्चू-चूखा का पुनर्निर्माण)

सड़क की लंबाई	29.2 कि.मी.
कार्य प्रारंभ	मार्च, 2010
प्रारंभिक लागत (भूटानी सरकार की विकास परियोजना रिपोर्ट के अनुसार)	61.88 करोड़
संशोधित लागत (दनतक की विकास परियोजना रिपोर्ट के अनुसार)	216.78 करोड़ रुपए
समापन की प्रारंभिक समयावधि	अप्रैल, 2012
संशोधित समापन अवधि	मार्च, 2013

उपरोक्त परियोजना में प्रारंभिक लागत अनुमानों में संशोधन तथा समय की अधिकता, सीमा सड़क संगठन द्वारा संशोधित विकास परियोजना रिपोर्ट (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने के कारण थी। भूटान की शाही सरकार द्वारा तैयार प्रारंभिक विकास परियोजना रिपोर्ट में केवल अनंतिम अनुमान शामिल किया गया था।

भारत सरकार परियोजना परिवीक्षण समिति तथा योजना वार्ता जैसी अंतर्सरकारी संरचनाओं के माध्यम से भूटान में द्विपक्षीय सहयोग की उपभोक्त परियोजनाओं का परिवीक्षण करती रही है। भूटान में भारतीय दूतावास कार्यान्वयन एजेंसी के साथ नियमित रूप से सम्पर्क रखता है तथा इन परियोजनाओं में कार्यान्वयन की सतत प्रगति पर नजर रखता है।

अफगानिस्तान

भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान में कार्यान्वित अधिकांश परियोजनाओं को लागत में वृद्धि के बिना समय पर पूरा किया गया है। तथापि, हेरात प्रांत में सलमा बांध विद्युत परियोजना (3 × 4 मेगावट) के निर्माण के मामले में समय व लागत में वृद्धि हुई है। विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई सुविधा के उद्देश्य से यह परियोजना नवंबर, 2004 में 391.87 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अनुमोदित की गई थी। गैर-योजना व्यय से संबंधित समिति में दिसंबर, 2010 तक 54.01 करोड़ रुपए की मूल्य वृद्धि सहित 800.85 करोड़ रुपए की संशोधित लागत अनुमोदित की थी। जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम वॉटर एंड पावर कंसलटेंसी लिमिटेड (वाप्कोस) द्वारा इस परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

सलमा बांध विद्युत परियोजना को पूरा करने के लिए प्रारंभिक समयावधि दिसंबर, 2008 थी। परियोजना को पूरा करने में विलंब के तीन मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं:

(क) अफगानिस्तान में सुरक्षा की गंभीर स्थिति

(ख) बांध स्थल की दूरस्थ अवस्थिति

(ग) बांध स्थल पर निर्माण सामग्री पहुंचाने में विलम्ब, निर्माण सामग्री परिवहन ईरान एवं उज्बेकिस्तान के रास्ते किया जाना है।

परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए परियोजना के सतत अनुवीक्षण तथा शीघ्र निर्णय लेने में सहायता करने के लिए उच्च स्तरीय परियोजना समीक्षा तथा तकनीकी सलाहकार समिति स्थापित की गई है।

भारतीय श्रमिकों का संरक्षण

2220. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान खाड़ी देशों, विशेषकर लीबिया में कार्यरत भारतीय श्रमिकों को हो रही समस्याओं की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) त्रिपोली स्थित भारतीय दूतावास द्वारा वहां कार्यरत भारतीय नागरिकों के संरक्षण हेतु किए गए/किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत वापस लाए गए लोगों की संख्या कितनी है तथा लीबिया स्थित भारतीय दूतावास द्वारा कितने लोगों को सहायता प्रदान की गई और गत तीन वर्षों के दौरान निरुद्ध किए गए लोगों की संख्या राज्य-वार कितनी है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) लीबिया में रहने वाले भारतीय कामगार, वहां आन्तरिक संघर्ष के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लीबिया में हिंसा की रिपोर्टों के पश्चात् 21.02.2011 से लीबिया में रोजगार हेतु जाने के लिए भारतीय कामगारों को उत्प्रवास स्वीकृति प्रदान करने पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी गई है। सरकार संघर्ष-ग्रस्त देश में फंसे भारतीय कामगारों/नागरिकों को, विशेष उड़ानों और समुद्री जहाजों/फैरी का प्रबंध करके और लीबिया के पड़ोसी देशों के लिए सड़क संचलन की सुविधा से, निकाल लाने के संयुक्त प्रयास कर रही है।

लीबिया से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित निकाल लाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास के भाग के रूप में, इंडियन टुनिसिया, लीबिया और मिस्र के दूतावासों के कर्मचारियों को, वहां फंसे लोगों को निकाल लाने के कार्य में पूरी तरह लगा दिया गया है और भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाया जा रहा है।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का प्रतिशत

2221. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009-11 के दौरान वर्ष-वार जीडीपी का कितना प्रतिशत कृषि पर व्यय किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में विकास दर का प्रतिशत कितना है;

(ग) कृषि क्षेत्र में देश की कितनी प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या कार्यरत है;

(घ) क्या सरकार का विचार बारहवीं योजना में कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले व्यय में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो जीडीपी का कितना प्रतिशत कृषि पर व्यय किया जाएगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों संबंधी व्यय निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

वर्ष	कृषि, वानिकी एवं मछली पालन (वर्तमान मूल्यों पर करोड़ रु. में)	केन्द्र, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों पर व्यय (वर्तमान मूल्यों पर करोड़ रु. में)	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यय
2008-09	9,28,943	26,598 (वास्तविक व्यय)	2.86
2009-10	10,89,297 (त्वरित अनुमान)	28,194 (संशोधित अनुमान)	2.59
2010-11	13,41,503 (अग्रिम अनुमान)	36,707 (बजट अनुमान)	2.74

स्रोत: जीडीपी और आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के लिए कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों के संबंध में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार की दिनांक 7 फरवरी, 2011 की प्रेस विज्ञप्ति।

(ख) विगत चार वर्षों के दौरान वर्ष 2004-05 के स्थिर मूल्यों पर कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों की प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

वर्ष	कृषि, वानिकी एवं मछली पालन का जी.डी.पी. (2004-05 की कीमतों पर)	पूर्व वर्ष के दौरान जी.डी.पी. की वृद्धि (प्रतिशत)
2007-08	6,55,080	5.8
2008-09	6,54,118	-0.1
2009-10 (त्वरित अनुमान)	6,56,975	0.4
2010-11 (अग्रिम अनुमान)	6,92,499	5.4

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली की दिनांक 7 फरवरी, 2011 और 31 जनवरी, 2011 की प्रेस विज्ञप्ति।

(ग) 2001 की जनगणना के अनुसार, ग्रामीण आबादी के कुल कामगारों का 73% कृषि क्षेत्रक में किसानों और कृषि मजूदरों के रूप में कार्य कर रहा है।

(घ) और (ङ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जानी है।

संघ लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन

2222. श्री समीर भुजबल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संघ लोक सेवा आयोग को पुनर्गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) में पार्श्विक प्रवेश हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सिविल सेवा सुधारों में व्यापक परिवर्तन करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री वी. तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग ने राज्य सिविल/पुलिस/वन सेवा/गैर राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की भारतीय पुलिस सेवा सहित अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति/नियुक्ति हेतु चयन के लिए एक सामान्य वार्षिक परीक्षा की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय के पास भारतीय पुलिस सेवा में सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा पार्श्विक प्रवेश हेतु एक प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 'कार्मिक प्रशासन में पुनर्सुधार-नई ऊंचाईयों की प्राप्ति' नामक 10वीं रिपोर्ट में सिविल सेवा से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया है। इस रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, सिविल सेवा परीक्षा के सिविल ढांचे, संघ लोक आयोग के मौजूदा कार्यकलापों में परिवर्तन, क्षमता निर्माण, कार्य निष्पादन मूल्यांकन, मध्य तथा उच्च स्तरीय प्रबंधन में तैनाती, कार्य निष्पादन प्रबंध प्रणाली, सिविल सेवा संहिता, सिविल सेवा कानून, नैतिक संहिता तथा सरकार में कार्यकारी अभिकरणों के गठन के संबंध में सिफारिशें की गई हैं। मंत्री दल ने इस रिपोर्ट पर अभी विचार नहीं किया है।

[हिन्दी]

मिड-डे मील योजना का विस्तार

2223. श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री रमेश बैस:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजकीय विद्यालयों में चलायी जा रही मिड-डे मील योजना को निजी विद्यालयों में भी लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है जिनमें उक्त योजना चलायी जा रही है; और

(घ) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष व्यय की जा रही धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) यह योजना देश में 12.61 लाख सरकारी, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के स्कूलों में कक्षा-I से VIII में चलाई जा रही है।

(घ) वर्ष 2009-10 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध और खर्च की गयी राशि संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

वर्ष 2009-10 के दौरान राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के पास उपलब्ध और खर्च की गई राशि

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	
		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खर्च की गयी राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	26105.62	23040.92
2.	अरूणाचल प्रदेश	1616.82	1032.12
3.	असम	19996.58	8029.25
4.	बिहार	45157.15	31936.14
5.	छत्तीसगढ़	17578.58	16553.55
6.	गोवा	794.17	578.82
7.	गुजरात	24603.06	21163.78
8.	हरियाणा	19082.81	17651.91
9.	हिमाचल प्रदेश	5065.47	3758.53
10.	जम्मू और कश्मीर	4849.93	3546.41
11.	झारखंड	27777.87	17354.98
12.	कर्नाटक	26902.33	25847.73
13.	केरल	13844.74	10198.55
14.	मध्य प्रदेश	53311.19	35598.17
15.	महाराष्ट्र	57771.47	46105.61
16.	मणिपुर	1478.66	1056.59
17.	मेघालय	5887.725	5453.08
18.	मिजोरम	792.877	740.67
19.	नागालैंड	1062.005	1009.32
20.	उड़ीसा	32108.54	28046.40
21.	पंजाब	11139.42	10267.42
22.	राजस्थान	40639.53	36328.56
23.	सिक्किम	444.55	423.78
24.	तमिलनाडु	40189.23	40012.73
25.	त्रिपुरा	4546.42	4358.18
26.	उत्तर प्रदेश	5680.3	3915.81
27.	उत्तराचंल	89054.39	77136.22
28.	पश्चिम बंगाल	74165.49	60920.71
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	216.48	216.48
30.	चंडीगढ़	343.12	343.12
31.	दादरा और नगर हवेली	152.62	152.62
32.	दमन और नागर हवेली	89.96	89.96
33.	दिल्ली	4995.74	3817.07
34.	लक्षद्वीप	46.48	46.48
35.	पुदुचेरी	429.7	366.34
	कुल	652921.03	537097.99

पत्रों का वितरण

2224. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतोः
श्री रामकिशुनः
श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) डाक पत्रों, वस्तुओं आदि के वितरण हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या इन मानदंडों का पालन किया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या श्रम शक्ति विशेषकर डाकियों की कमी के कारण ग्रामीण और दुर्गम/दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवाएं प्रभावित हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) डाक पत्रों, वस्तुओं के वितरण के लिए निर्धारित मानदंड निम्नानुसार हैं:

डाक/क्षेत्र की श्रेणी	वितरण के मानदंड
जिले के अंदर	प्रेषण की तिथि के 48 घंटों के भीतर (डी+2)
राज्य के अंदर	प्रेषण की तिथि के 48 से 72 घंटों के भीतर (डी+2 से डी+3)
अन्य राज्यों के लिए डाक	दूरी एवं परिवहन संपर्कों पर निर्भर करते हुए 3 से 5 दिन (डी+3 से डी+5) शाखा डाकघर से/तक वाली डाक के लिए एक दिन और लगेगा।
मेट्रो शहरों के बीच प्रथम श्रेणी डाक-(दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, हैदराबाद, बेंगलूर)	प्रेषण की तिथि से 48 से 72 घंटों के भीतर (डी+2 से डी+3)
राज्यों की राजधानियों के बीच प्रथम श्रेणी डाक	प्रेषण की तिथि के 48 से 72 घंटों के भीतर (डी+2 से डी+3)
पंजीकृत डाक एवं मनीआर्डर	दूरी एवं हैंडलिंग प्वाइंटों पर निर्भर करते हुए साधारण डाक से 1 से 2 दिन अधिक
स्पीड पोस्ट	दूरी/गंतव्य पर निर्भर करते हुए 24 से 72 घंटे
एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट	गंतव्य पर निर्भर करते हुए 48 से 96 घंटे।

(ख) और (ग) यह प्रयास किए जाते हैं कि डाक वितरण के मानदंडों का हर समय अनुपालन किया जाए। तथापि, (i) डाक के पारेषण हेतु डाक विभाग का एयरलाइंस, रेलवे, सड़क परिवहन आदि बाह्य एजेंसियों पर निर्भर होने (ii) ग्राहकों द्वारा गलत अथवा अपूर्ण पतों का प्रयोग करने (iii) पिनकोड का उपयोग न करने (iv) प्राप्तकर्ता के उपलब्ध न होने (v) डाक के गलत-भेजने और (vi) संबंधित डाकघर को सूचित किए बिना प्राप्तकर्ता द्वारा पते में परिवर्तन आदि के कारण डाक के वितरण में यदा-कदा देरी होती है।

(घ) और (ङ) पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, मृत्यु अथवा छुट्टी के कारण होने वाली श्रम-शक्ति की कमी को तदर्थ व्यवस्था, सेवाओं के पुनर्वितरण एवं संयोजन तथा विशेषकर ग्रामीण एवं दुर्गम/दूर-दराज के क्षेत्रों में डाकघरों में अल्प सेवा कर्मचारियों को लगाकर और डाक मदों के वितरण के लिए सवेतन प्रतिस्थानी को तैनात कर पूरा किया जाता है। इन उपायों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि डाक सेवाएं देश में कहीं भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों। उत्पन्न होने वाली सभी रिक्तियों को भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार भरा जाता है।

निजी क्षेत्र को अनुचित लाभ

2225. श्री हर्ष वर्धन:
श्री जगदीश शर्मा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों में एकल और स्वामित्व निविदा के माध्यम से निजी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को अनुचित लाभ दिए जाने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी अनियमितताओं को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की वर्ष 2008 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उजागर किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या उक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सरकार की शासकीय प्रापण प्रक्रिया की खामियों का उल्लेख किया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी नहीं। विभाग ने एकल तथा स्वामित्व वाली निविदा के जरिये किसी निजी वाणिज्यिक संस्थान को कोई अनुचित सहायता नहीं की है। अन्तरिक्ष प्रणालियों को उच्च विश्वसनीयता, विकिरण कठोरन तथा सिद्ध परम्परा वाले घटकों की आवश्यकता है। इसलिए विभाग ने विभाग की क्रय प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, ऐसे विशिष्टीकृत घटक, सामग्री, उप-प्रणालियां, आदि खरीदी हैं जैसे उच्च विश्वसनीय क्रिस्टल दोलित्र, अन्तरिक्ष अर्ह डी-सी-डी.सी. परिवर्तक, उपयोग विशिष्ट समेकित परिपथ, अन्तरिक्ष ग्रेड रिले, आदि, जो एकल निविदा/स्वामित्व के आधार पर उपग्रह तथा प्रमोचक राकेटों के निर्माण हेतु आवश्यक हैं।

(ग) और (घ) जी हां। नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने प्रापण कार्रवाही में कुछ विसंगतियां पाई हैं। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कहा कि निविदा के बाद की कुछ बातचीत असंगत थीं और सी.वी.सी. के मार्गनिर्देशों एवं जी.एफ.आर. के अनुरूप नहीं थीं। विभाग ने 28 नवम्बर, 2008 को सभी संबंधितों को अनुदेश जारी करते हुए इस मामले में उचित कार्रवाई शुरू की है।

(ङ) और (च) जी हां। नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रापण के विविध चरणों में समय-ढांचे के अभाव, निविदा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा का अभाव, सामग्री के निरीक्षण में विलंब, बैंक प्रतिभूति के मानीटरन का अभाव, अंतरिक्ष विभाग की क्रय प्रक्रिया के गैर-संशोधन से संबंधित कमियां दर्शाई हैं। तदनुसार, विभाग ने 1.4.2009 से अपनी क्रय प्रक्रिया में संशोधन किया है।

राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा

2226. डा. ज्योति मिर्धा:
श्री जगदीश शर्मा:
डा. किरोड़ी लाल मीणा:
श्री कीर्ति आजाद:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री महेश्वर हजारी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है;

(ख) किन शर्तो/मानदंडों के आधार पर उक्त दर्जा प्रदान किया गया है;

(ग) क्या बिहार और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने की मांग पर अभी भी निर्णय लिया जाना बाकी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा बिहार और राजस्थान को विशेष दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव पर कब तक विचार किए जाने की सम्भावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी दर्जा नहीं दिया गया है।

(ख) राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के आवंटन हेतु विशेष श्रेणी राज्य (एस.सी.एस.) दर्जा भूतकाल में उन राज्यों को दिया गया है जिनमें ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकतां है। इन विशेषताओं में शामिल हैं: (i) पर्वतीय एवं कठिन क्षेत्र, (ii) कम आबादी घनत्व और/या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, (iii) पड़ोसी देशों की सीमा के साथ कार्यनीतिक

स्थान, (iv) आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन, और (v) राज्य वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति। किसी राज्य को विशेष श्रेणी दर्जा का निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा लिया जाता है, जो इस कार्य के लिए प्रमुख सक्षम निकाय है।

(ग) और (घ) राजस्थान राज्य सरकार ने राजस्थान को विशेष श्रेणी देने के लिए अनुरोध किया है। योजना आयोग की विचारित राय है कि राज्य विशिष्ट समस्याओं के कारण विशेष श्रेणी मांग करने वाले किसी भी राज्य के लिए यह अधिक उचित होगा कि दर्जा बदलने की बजाय प्रकरण आधार पर राज्य को वित्तीय सहायता/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) आदि मुहैया कराई जाए, जैसे कि अब तक होता रहा है। इस निर्णय को राजस्थान सरकार को मार्च, 2010 में भेजा जा चुका है।

बिहार को विशेष श्रेणी दर्जा देने संबंधी बिहार सरकार का अनुरोध योजना आयोग के विचाराधीन है।

काली सूची से भारतीय संगठनों को हटाना

2227. श्री दिनेश चन्द्र यादवः
श्री जगदीश शर्माः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका (यू.एस.ए.) द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) को काली सूची में डाल दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा हाल ही में उक्त संगठनों को काली सूची से हटा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके पश्चात् अमरीकी ऐजेंसियों के साथ कारोबार/साझेदारी का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) "इकाई सूची" विदेशी इकाईयों जैसे संगठन, उद्योगों की एक सूची है जिसे अमरीका (यू.एस.ए.) के उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो द्वारा तैयार किया जाता है। "इकाई सूची" में शामिल संगठनों से विशिष्ट सामग्रियों के निर्यात, पुनःनिर्यात और/या अंतरण के लिए विशिष्ट लाइसेंस की आवश्यकता पर निर्भर करता है। अभी तक निम्नलिखित केन्द्र "इकाई सूची" में शामिल थे

1. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वी.एस.एस.सी.)
2. द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र (एल.पी.एस.सी.)
3. सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र (एस.डी.एस.सी.)
4. ठोस नोदन अंतरिक्ष बूस्टर संयंत्र (एस.पी.आर.ओ.बी.)

डी.आर.डी.ओ. की निम्नलिखित चार प्रयोगशालाएं भी यू.एस.ए. की इकाई सूची में हैं

1. शस्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (ए.आर.डी.ई.)
2. ठोस स्थिति भौतिक प्रयोगशाला (एस.एस.पी.एल.)
3. अनुसंधान केन्द्र इमारत (आर.सी.आई.)
4. रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (डी.आर.डी.एल.)

यू.एस.ए. की ओर से ऐसे प्रतिबंधों का कारण नीतिगत क्षेत्रों में उच्च-प्रौद्योगिकी के व्यापार संबंधित मनाही है।

(ग) और (घ) नवंबर 2010 को भारतीय प्रधानमंत्री और यू.एस.ए. के राष्ट्रपति की ओर से जारी संयुक्त वक्तव्य के बाद, जनवरी 25, 2011 को जारी अधिसूचना के माध्यम से यू.एस.ए. के वाणिज्य विभाग द्वारा औपचारिक उद्घोषणा करते हुए उपर्युक्त इसरो केन्द्रों और डी.आर.डी.ओ. प्रयोगशालाओं को इकाई सूची से निकाल दिया गया है।

इस उद्घोषणा के आधार पर इसरो एवं डी.आर.डी.ओ. को यू.एस.ए. एजेन्सियों के साथ लेन-देन/साझेदारी की शुरुआत करनी है। तथापि, यह अपेक्षित है कि इकाई सूची से हटाए जाने के कारण इसरो एवं डी.आर.डी.ओ. को उच्च तकनीकी क्षेत्रों में कार्य करने में सुविधा होगी।

कोयला परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति

2228. श्री विश्व मोहन कुमारः
श्री रवीन्द्र कुमारः
श्री पी. कुमारः
श्री लाल चंद कटारियाः
श्री आनंद प्रकाश परांजपेः
श्री हर्ष वर्धनः

श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री सी. शिवासामी:
श्री उदय प्रताप सिंह:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्रीमती कमला देवी पटले:
श्री गजानन ध. बाबर:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कुछ कोयला परियोजनाओं को स्वीकृति नहीं दिए जाने और कुछ अन्य कारणों के परिणामस्वरूप देश में कोयले की कमी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या वन क्षेत्रों के अंतर्गत कोयला बहुल क्षेत्र के पुनर्वर्गीकरण के संबंधी में कोयला मंत्रालय तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय के बीच कोई बातचीत हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय के समक्ष पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति हेतु लंबित कोयला परियोजनाओं का परियोजना-वार और कोयला कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और इस मंत्रालय के बीच पर्यावरणीय एवं वानिकी स्वीकृति तेजी से करने के लिए नियमित रूप से बैठकें/चर्चाएं की जाती हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन, भू-अर्जन, विधि एवं व्यवस्था जैसे अन्य मुद्दों को भी सक्षम प्राधिकारियों के साथ समाधान के लिए नियमित रूप से उठाया जाता है।

(ग) और (घ) कोयले के खनन के लिए वन कवर के अंतर्गत और अधिक कोयलाधारी क्षेत्र देने के मसले पर सरकार द्वारा इस प्रयोजन से गठित मंत्री समूह (जी.ओ.एम.) द्वारा उच्चतम स्तर पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास लंबित कोयला परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) लंबित चरण-I और चरण-II वानिकी प्रस्ताव:

		चरण-I पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य स्तर पर लंबित परियोजनाओं की संख्या		चरण-II पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य स्तर पर लंबित परियोजनाओं की संख्या	
क्र.सं.	सहायक कंपनी	परियोजनाओं की संख्या	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/राज्य	परियोजनाओं की संख्या	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/राज्य
1	2	3	4	5	6
1.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	3	(1) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (2) राज्य	1	(1) राज्य
2.	भारत कोकिंग कोल लि.	1	(1) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	2	(2) राज्य
3.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	14	(4) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (10) राज्य	11	(7) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (4) राज्य
4.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	1	(1) राज्य	1	(1) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

1	2	3	4	5	6
5.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	27	(5) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (22) राज्य	6	(6) राज्य
6.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	47	(9) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (38) राज्य	33	(11) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (22) राज्य
7.	महानदी कोलफील्ड्स लि.	16	(16) राज्य		
8.	नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	7	(7) राज्य		

(ii) पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लंबित

क्र.सं.	परियोजनाओं की कुल सं.	के लिए लंबित परियोजनाएं
1.	14	विचारार्थ विषय (टी.ओ.आर.)
2.	25	जन सुनवाई (पी.एच.)
3.	8	पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति (ई.ए.सी.)
4.	20	पर्यावरणीय स्वीकृति

(च) स्वीकृति तेजी से करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) अर्जन की प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के भू-अर्जन अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ गहन अनुवर्ती कार्रवाई।

(ii) जिला एवं तहसील स्तर पर वन पदाधिकारियों से आवश्यकता अथवा प्रश्नों को पूरा करने के लिए नियमित आधार पर संपर्क किया जाता है।

(iii) पर्यावरणीय एवं वानिकी प्रस्तावों की स्वीकृति तेजी से करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ समय-समय पर संपर्क किया जाता है।

(iv) पुनर्वासन स्थल के चयन तथा उन्हें पुनर्वासन स्थल तक स्थानांतरित करने के लिए मनाने के वास्ते भी भू-मालिकों/ग्रामीणों के साथ चर्चाएं की जाती हैं।

(v) राज्य प्राधिकारियों को विधि एवं व्यवस्था संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए नियमित रूप से सूचित किया जाता है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया द्वारा विमानों की खरीद

2229. श्री प्रबोध पांडा:
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी:
श्री संजय निरूपम:
श्री बदरूद्दीन अजमल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया की बाजार में हिस्सेदारी को बढ़ाने और इसके लाभ में वृद्धि के लिए वर्ष 2006 में फ्रांस और यू.एस.ए. के 111 विमान खरीदे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विमानों की खरीद के पश्चात् एयर इंडिया की बाजार में हिस्सेदारी और अर्जित मुनाफे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एयर इंडिया द्वारा विमानों के नये बेड़े की खरीद और एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय पर आपत्तियां उठायी गयी थीं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) हाल ही के वर्षों में एयर इंडिया की बाजार में हिस्सेदारी और उसके लाभ में आयी कमी के क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) पूर्ववर्ती एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने मैसर्स बोईंग और मैसर्स एयरबस इंडस्ट्रीज को

2005/2006 के दौरान क्रमशः 68 तथा 43 विमानों की खरीद का आर्डर दिया था।

(ग) विलय से पूर्व एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 15.1 प्रतिशत और 9.6 प्रतिशत थीं। विलय के पश्चात् जनवरी-सितंबर 2010 की अवधि में एयर इंडिया की बाजार हिस्सेदारी बढ़ कर 23.8 प्रतिशत हो गई। एयर इंडिया को वित्त वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान क्रमशः 2226.16 करोड़ रु. 5548.26 करोड़ रु. और 5542.44 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। अनंतिम अनुमानों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के पूर्वार्द्ध में लगभग 3450.57 करोड़ रुपए का घाटा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रारंभिक विमानों का इस्तेमाल लीज पर लिए गए विमानों और कंपनी के स्वामित्व वाले पुराने विमानों को प्रतिस्थापित करने के लिए किया गया था। पिछले 4 वर्षों में एयर इंडिया अपनी लागत में कटौती करने और घाटों को कम करने के प्रयास की वजह से अपनी क्षमता हिस्सेदारी में वृद्धि नहीं कर सकी। एयर इंडिया की बाजार हिस्सेदारी में कमी विदेशी और घरेलू वाहकों द्वारा और क्षमता शामिल करने कम लागत वाले वाहकों (एल.सी.सी.) के प्रवेश, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से हुई है, हालांकि बाजार का आकार कम नहीं हुआ है। घाटों की प्रमुख वजह ईंधन की कीमतों में वृद्धि, ब्याज और मूल्यह्रास लागतों में वृद्धि, वेतन बिल और लीजिंग तथा अनुरक्षण लागत में वृद्धि है।

[अनुवाद]

तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना

2230. **श्री शिवराम गौडा:**
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:
श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश:
श्री राधे मोहन सिंह:
श्री के.पी. धनपालन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में कार्यरत तकनीकी और व्यावसायिक शैक्षिक संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये संस्थान पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक सहित देश के विभिन्न भागों में और अधिक संख्या में ऐसे संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु कितनी निधि आबंटित की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इन संस्थानों द्वारा कब तक कार्य आरम्भ किए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सिग्नल/मोबाइल टावरों की स्थापना

2231. **श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:**
श्री बलीराम जाधव:
श्री समीर भुजबल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल. द्वारा महाराष्ट्र में बेहतर दूरसंचार संपर्क उपलब्ध कराने हेतु और अधिक संख्या में टावर स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित टावरों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने दूर-दराज और माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के संचार नेटवर्क में सुधार लाने हेतु और अधिक संख्या में टावर स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड का बेहतर दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में 281 अतिरिक्त टावर संस्थापित करने का प्रस्ताव है। दूरसंचार जिला-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	दूरसंचार जिले का नाम	संस्थापित किए जाने वाले टावरों की संख्या
1.	अहमदनगर	2
2.	अकोला	10
3.	अमरावती	30
4.	औरंगाबाद	16
5.	बीड़	5
6.	बुल्धाना	21
7.	चंद्रपुर	3
8.	ढुले	4
9.	गढ़चिरोली	28
10.	गोवा	2
11.	जलगांव	12
12.	जालना	18
13	कल्याण	8
14	कोल्हापुर	2
15	लातूर	9
16	नागपुर	31
17	नांदेड़	3
18	नासिक	6
19	ओस्मानाबाद	3
20	परभानी	21
21	पुणे	6
22	रायगढ़	3
23	रत्नागिरी	10
24	सतारा	1
25	सोलापुर	4
26	वर्धा	5
27	यवतमाल	18

(ग) से (ङ) हालांकि महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य के माओवाद प्रभावित जिलों में और अधिक टावर संस्थापित करने के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं मिला है, फिर भी माओवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों सहित महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों को अधिकतम कवरेज प्रदान करना बी.एस.एन.एल. का प्रयास है।

आई.ए. और ए.आई. की वित्तीय स्थिति

2232. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
चौधरी लाल सिंह:
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री पी. विश्वनाथन:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
डा. पद्मसिंह बाजीराव पाटील:
श्री एल. राजगोपाल:
श्री उदय सिंह:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:
श्री रुद्रमाधव राय:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री एस. सेम्मलई:
श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री उमाशंकर सिंह:
श्री समीर भुजबल:
डा. कृपारानी किल्ली:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्रीमती मीना सिंह:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री रामकिशुन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स (आई.ए.) और एयर इंडिया (ए.आई.) के कर्मचारी समय पर मासिक वेतन नहीं मिल पाने की समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या विलय उपरांत आई.ए. और ए.आई. के पायलटों के वेतन में विषमताएं विद्यमान हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और सरकार द्वारा इस विषमता को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ङ) क्या ए.आई. ने इस स्थिति से उबरने के लिए वर्ष 2011-12 हेतु 'बेल आउट' पैकेज की मांग की है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(छ) क्या निजी विमान कंपनियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर काफी अच्छा कारोबार कर रही हैं और वे बेहतर स्थिति में हैं जबकि राष्ट्रीय विमान कंपनी की स्थिति में गिरावट आई है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर इसके कारण क्या हैं;

(झ) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी. एण्ड ए.जी.) ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ए.आई. ने वर्ष 2009-10 के दौरान हुई हानियों को कम करके बताया है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) वित्तीय तंगियों के दृष्टिगत एअर इंडिया ने वेतन का भुगतान एक सप्ताह विलंब से किया है। लिक्विडीटी की समस्या के दीर्घकालीन समाधान के रूप में एअर इंडिया ने एक 'टर्नअराउण्ड योजना' तैयार की है। प्रचालनिक पुनर्संसंरचना के अतिरिक्त टर्नअराउण्ड योजना में कंपनी के रोकड़ प्रवाह को बढ़ाने के लिए वित्तीय पुनर्संरचना भी शामिल है।

(ग) और (घ) पायलटों सहित एयर इंडिया के कर्मचारियो को वेतन एवं भत्तों का भुगतान पूर्ववर्ती एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के प्रबंधन तथा संबंधित यूनियनों/संघों के साथ किए गए वेतन करारों के अनुसार किया जा रहा है। एयर इंडिया को वेतन संबंधी मामलों का युक्तिकरण करने का निर्देश दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। वर्ष 2011-12 के बजट में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(छ) और (ज) निजी एयरलाइनों द्वारा अधिक क्षमता को शामिल करके उनके बाजार हिस्सेदारी में सुधार हुआ है। जबकि घरेलू तथा विदेशी एयरलाइनों द्वारा क्षमता में विस्तार और लागत तथा हानियों को कम करने के लिए मार्गों के युक्तिकरण के कारण एअर इंडिया की बाजार हिस्सेदारी में कमी आई है।

(झ) और (ञ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी. एंड जी.) द्वारा अपनी सामान्य प्रक्रिया के भाग के रूप में कुछ टिप्पणियां दी गई हैं। एअर इंडिया तथा नागर विमानन मंत्रालय ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को यह स्पष्ट किया है कि कर प्रक्रिया मानदंड के अनुसार यह एक सामान्य लेखा प्रक्रिया है।

विदेशों में कैद भारतीय बंदियों का प्रत्यार्पण

2233. श्री एंटो एंटोनी: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों में कैद भारतीय बंदियों के प्रत्यार्पण के संबंध में विदेशों के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा कोई समझौता करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार संयुक्त अरब अमीरात के साथ किसी प्रत्यार्पण संधि पर बात कर रही है; और

(च) यदि हां, तो प्रस्तावित समझौते का ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) जी हां। भारत सरकार ने अभी तक निम्नलिखित देशों के साथ, विदेशों में कैद भारतीय बंदियों के देश-प्रत्यावर्तन से सम्बन्धित करारों पर हस्ताक्षर किए हैं:

ब्रिटेन, मॉरीशस, कम्बोडिया, बुल्गारिया, मिस्र, फ्रांस, श्रीलंका, बांग्लादेश, कोरिया, सऊदी अरब और ईरान। करार के अन्तर्गत, विदेशी बंदियों को उनके मूल के देश में, उनकी बाकी की सजा काटने के लिए स्थानान्तरित किया जा सकेगा और भारतीय मूल के बंदियों, जिन्हें विदेशों के न्यायालयों ने सजा सुनाई है, को उनकी सजा काटने के लिए भारत स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(ङ) संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) के साथ, बंदियों के देश-प्रत्यावर्तन से सम्बन्धित संधि पर बातचीत समाप्त हो गई है। गृह मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय के परामर्श से शीघ्र ही संयुक्त अरब अमीरात के साथ करार पर हस्ताक्षर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(च) संधि पर हस्ताक्षर हो जाने पर, करार के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

[हिन्दी]

गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

2234. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में वर्तमान में कार्यरत सार्वजनिक टेलीफोन बूथों (पी.सी.ओ.) की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या अनेक पी.सी.ओ. खराब पड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा सार्वजनिक टेलीफोन बूथों (पी.सी.ओ.) के आंकड़े सक्रिल-वार रखे जाते हैं न कि राज्य-वार। 31.01.2011 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में कार्यरत पी.सी.ओ. की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं। पी.सी.ओ. सामान्यत: संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पी.सी.ओ. का उपयुक्त कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए बी.एस.एन.एल. द्वारा आवधिक मॉनीटरिंग, खराबी आने की स्थिति में मरम्मत कार्य को प्राथमिकता देना, बाह्य नेटवर्क की बहाली करने आदि जैसे उपाय किए गए हैं। बेतार पी.सी.ओ. की भी शुरुआत की गई है। बी.एस.एन.एल. ने पी.सी.ओ. संबंधी खराबी दर्ज कराने के लिए पृथक 3 अंकीय नं. "179" भी खोल रखा है।

विवरण

31.1.2011 की स्थिति के अनुसार देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. के कार्यरत पी.सी.ओ. का सर्किल-वार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल/जिला	ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में कार्यरत पीसीओ की सं.
1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	247
2.	आंध्र प्रदेश	81633
3.	असम	5543
4.	बिहार	29353
5.	छत्तीसगढ़	1575
6.	गुजरात	14823
7.	हरियाणा	6749
8.	हिमाचल प्रदेश	5978
9.	जम्मू और कश्मीर	2629
10.	झारखंड	6800
11.	कर्नाटक	71999
12.	केरल	51184
13.	मध्य प्रदेश	13397
14.	महाराष्ट्र	72252
15.	पूर्वोत्तर-I	3574
16.	पूर्वोत्तर-II	1683
17.	ओडिशा	6191
18.	पंजाब	9019
19.	राजस्थान	21385

1	2	3
20.	तमिलनाडु (चेन्नै महानगर टेलीफोन जिला सहित)	53005
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	54711
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	4648
23.	उत्तरांचल	3572
24.	पश्चिम बंगाल (कलकत्ता महानगर टेलीफोन जिला सहित)	26798
	जोड़	548738

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर पार्किंग शुल्क

2235. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री मनमुखभाई डी. वसावा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** 12 अगस्त, 2010 के अतारांकित प्रश्न सं. 2994 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और मुंबई विमानपत्तनों पर पार्किंग शुल्क के संबंध में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड ने घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनलों पर पार्किंग शुल्क में वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अत्यधिक पार्किंग शुल्क वसूले जाने के क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) जी, हां। संबंधित विवरण पहले से उपलब्ध कराई गई कार्यान्वयन रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है। आई.जी.आई. हवाईअड्डा, दिल्ली तथा सी.एस.आई. हवाई अड्डा, मुंबई में पार्किंग प्रभारों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

(i) टी-3, आई.जी.आई. हवाईअड्डा, दिल्ली की सामान्य पार्किंग पर चौ पहिया वाहनों के लिए सामान्य पार्किंग प्रभार हैं - 30 मिनट के लिए 50 रु., 30 मिनट से 2 घंटे के लिए 100 रु. तथा प्रत्येक अगले घंटे से 8 घंटों तक 50 रु. तथा 24 घंटों के लिए 600 रु.। प्रीमियम पार्किंग पर चौ-पहिया वाहनों के लिए दर है - 30 मिनट के लिए 70 रु., 30 मिनट से 2 घंटे तक के लिए 140 रु. तथा आगे 8 घंटों तक अगले प्रत्येक घंटे के लिए 70 रु. और 24 घंटों के लिए 900 रु.। जहां तक टर्मिनल 1 का संबंध है सामान्य पार्किंग में चौपहिया वाहनों के लिए पार्किंग प्रभार है - 30 मिनटों तक 40 रु., 30 मिनट से 2 घंटे तक 80 रु. तथा अगले 8 घंटों तक प्रति अगले घंटे के लिए 40 रु. । प्रीमियम पार्किंग में 30 मिनटों तक के लिए 60 रु., 30 मिनट से 2 घंटों तक के लिए 120 रु. और 8 घंटों तक प्रत्येक अगले घंटे के लिए 60 रु.।

(ii) सी.आई.एस. हवाईअड्डा, मुंबई की सामान्य पार्किंग पर प्रति वाहन प्रभार है - 30 मिनट तक 40 रु., 30 मिनट से 2 घंटे तक 80 रु. तथा 8 घंटों तक के लिए प्रत्येक अगले घंटे के लिए 40 रु. तथा 24 घंटों के लिए 500 रु.। प्रीमियम पार्किंग पर दरें हैं 30 मिनट के लिए 60 रु., 30 मिनटों से 2 घंटों के लिए 130 रु. तथा 8 घंटों तक प्रत्येक अगले घंटे के लिए 60 रु. तथा 24 घंटों तक के लिए 750 रु.।

पिछले तीन वर्षों यथा 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा चालू वर्ष यथा 2010-11 के दौरान एकत्र राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

आई.जी.आई. हवाईअड्डा, दिल्ली - क्रमश: 1,71,29,000 रु. , 19,94,51,739 रु., 23,40,96,332 रु. तथा 34,73,30,000 (फरवरी, 2011 तक)

सी.एस.आई. हवाईअड्डा, मुंबई - क्रमश: 11,62,64,547 रु, 14,10,28,686 रु., 132609644 रु. तथा 9,48,04,839 रु. (दिसम्बर, 2010 तक)

टी-3 में प्रचालनों के आरंभ होने के परिणामस्वरूप दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा प्रा. लिमिटेड ने सुविधाओं के साथ पार्किंग प्रभार लगाने आरंभ कर दिए हैं।

(ङ) और (च) आई.जी.आई. हवाईअड्डा सहित हवाईअड्डों पर पार्किंग प्रभार संबंधित हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा अपने व्यावसायिक सिद्धांतों के आधार पर लगाए जाते हैं।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता संबंधी ढांचा

2236. श्री उदय प्रताप सिंहः
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डीः
श्री आनंद प्रकाश परांजपेः
श्री धनंजय सिंहः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्य सरकारें विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु केन्द्र सरकार द्वारा तैयार राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता संबंधी ढांचे पर सहमत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को किस प्रकार की सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों, पोलीटेक्निकों, कालेजों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय तौर पर मान्यता प्राप्त अर्हता प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए एक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता ढांचा तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। 14 दिसम्बर, 2010 तथा 20 जनवरी, 2011 को आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों की बैठकों में इस कार्यढांचे की अवधारणा पर विचार-विमर्श किया गया था। कार्यढांचे के कार्यान्वयन हेतु समय सीमा का निर्धारण कार्यढांचे का विकास संबंधी कार्य पूरा होने के बाद ही किया जा सकता है।

(घ) "माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक विषय शुरू करने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

[हिन्दी]

रायपुर विमानपत्तन का नाम परिवर्तन

2237. श्री एम.के. राघवनः
कुमारी सरोज पाण्डेयः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विमानपत्तनों का नामकरण करने/नाम परिवर्तन करने से संबंधित क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को रायपुर विमानपत्तन और केरल के तीन विमानपत्तनों के नाम परिवर्तन के संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावों की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) हवाईअड्डों के पुनः नामकरण की कोई विशिष्ट नीति विद्यमान नहीं है। तथापि, यह एक सामान्य पद्धति है कि हवाईअड्डों का नाम उन शहरों के नाम पर रखा जाता है जहां वे हवाईअड्डे स्थित हैं क्योंकि सामान्यतः यात्री और विशेष रूप से विदेशी पर्यटक तथा अन्य आगंतुक जो स्थानीय इतिहास से अवगत नहीं होते हैं, वे हवाईअड्डों को आसानी से पहचान लेते हैं। कतिपय मामलों में जब राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और संबंधित विधान परिषद द्वारा स्वीकृत हैं तो हवाईअड्डों के पुनः नामकरण के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है और मंत्रिमंडल की स्वीकृति से मामला दर मामला आधार पर उन पर निर्णय लिया जाता है।

(ख) से (घ) जी, हां। रायपुर हवाईअड्डे का पुनः नामकरण स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था, किन्तु केरल राज्य सरकार से उनके तीन हवाईअड्डों के पुनः नामकरण के लिए हाल ही में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जैतापुर परमाणु संयंत्र पर रोष

2238. श्री निलेश नारायण राणेः
श्री अर्जुन राम मेघवालः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने लंबी प्रतीक्षा के बाद जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को हाल ही में पर्यावरणीय स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरणविद् और स्थानीय लोग परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना का विरोध कर रहे हैं चूंकि इससे व्यापक स्तर पर पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) ने निर्धारित प्रक्रिया के पूरा होने के बाद 6×1650 मेगावाट क्षमता की जैतापुर परियोजना की स्थापना के लिए पर्यावरणीय अनुमति 26 नवम्बर, 2010 को दी। इस अनुमति के अंतर्गत निर्धारित 23 विशिष्ट तथा 12 सामान्य शर्तों का अनुपालन किया जाना है जिसमें पहले चरण का कार्य शुरू होने पर जैव-विविधता संरक्षण योजना तैयार करना और पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया जाना शामिल है। यह अनुमति पांच वर्ष तक के लिए वैध है। जहां तक जैतापुर नाभिकीय विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय अनुमति का संबंध है, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिसम्बर, 2005 में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) अध्ययन किया था।

संबद्ध अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार, पर्यावरणीय अनुमति के लिए आवेदन-पत्र पर्यावरण तथा वन मंत्रालय को फरवरी, 2009 में प्रस्तुत किया गया था। लोक-सुनवाई आयोजित करने के लिए न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अतिरिक्त विचारणीय विषय और निर्देश जून, 2009 में जारी किए गए थे। लोक-सुनवाई का आयोजन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जैतापुर स्थल पर 16 मई, 2010 को किया गया था। बैठक का कार्यवृत्त और लोक-सुनवाई के संबंध में लोगों की प्रतिक्रिया (जन-सामान्य द्वारा मराठी में प्रस्तुत 964 पृष्ठ) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 16 जुलाई, 2010 को प्राप्त हुई थी। सभी प्रस्तुतियों का अनुवाद मराठी से अंग्रेजी भाषा में करके उपर्युक्त प्रस्तुतियों की प्रतिक्रिया, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय को 23 सितम्बर, 2010 को प्रस्तुत की गई थी। इसके साथ-साथ, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, 'कोंकण बचाओ समिति, मुंबई' जैसे गैर सरकारी संगठनों के साथ तीन अवसरों पर विभिन्न बैठकें कीं जिनमें अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, और बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (बी.एन.एच.एस.), मुंबई के स्तर की बैठकें शामिल हैं, जिनमें सभी पर्यावरणीय तथा तकनीकी मुद्दों का पूरी तरह से समाधान किया गया था। इसके अतिरिक्त न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, स्थानीय और उसके साथ-साथ राज्य स्तर की विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठकें कीं और उनके द्वारा उठाए गए सभी तकनीकी तथा पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान किया। मानव के स्वास्थ्य, कृषि उत्पादों, मछली की लब्धि, आदि पर विकिरण के पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में जन-सामान्य की चिंता का समाधान, टाटा स्मारक केन्द्र (टी.एम.सी.), उस क्षेत्र के कुछ विश्वविद्यालयों के मत्स्य विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा राज्य के अन्य संस्थानों के कृषि वैज्ञानिकों के साथ परस्पर बातचीन के माध्यम से किया गया है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति ने जैतापुर परमाणु विद्युत परियोजना स्थल का दौरा 26 अक्तूबर, 2010 को किया और रत्नागिरी के लिए पर्यावरणीय अनुमति के प्रस्ताव की समीक्षा की। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 15 नवम्बर, 2010 को आयोजित उपर्युक्त समीक्षा बैठक में शंकाओं के संबंध में प्रस्तुत अंतिम प्रस्तुतीकरण के आधार पर, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने जैतापुर नाभिकीय विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय अनुमति 26 नवम्बर, 2010 को दी। उपर्युक्त पर्यावरणीय अनुमति के एक भाग के रूप में और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों के अनुसार, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने, जैतापुर क्षेत्र के आस-पास 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र के लिए एक जैव-विविधता संरक्षण योजना तैयार करने के लिए एक समिति गठित किए जाने की इच्छा जाहिर की।

(ग) और (घ) नाभिकीय विद्युत और परियोजनाओं के संबंध में गलत धारणाओं और आधारहीन शंकाओं की वजह से, पर्यावरणविदों के कुछ वर्ग और स्थानीय लोग परियोजना का विरोध करते रहे हैं।

(ङ) पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों की गलत धारणाओं और आधारहीन शंकाओं का समाधान करने के मुद्दे को एक सुविचारित लोक जागरुकता अभियानों के माध्यम से हाथ में लिया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं, प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नाभिकीय विद्युत और परियोजना के संबंध में तथ्यात्मक सूचना का प्रसार, स्थानीय भाषाओं के संबद्ध साहित्य, नाभिकीय विद्युत तथा पर्यावरण के बीच सामंजस्य पर फिल्में, नाभिकीय विद्युत विषय पर प्रदर्शनियों का आयोजन, देश में प्रचालनरत नाभिकीय बिजलीघरों में स्थानीय लोगों का दौरा, आदि। कई वाद-विवाद प्रतियोगिताएं तथा सार्वजनिक बैठकें भी आयोजित की गई हैं। इस संबंध में, परियोजना के आस-पास की जनता की सहभागिता वाली एक खुली बात-चीत का आयोजन महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 18 जनवरी, 2011 को किया गया, जिसमें लोगों की शंकाओं का समाधान किया गया था। निदेशक, बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (बी.एन.एच.एस.), मुंबई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति, जिसमें पर्यावरणीय विशेषज्ञ भी शामिल हैं, का गठन जैतापुर क्षेत्र

के आस-पास की जैव-विविधता के संरक्षण के लिए एक योजना तैयार करने के लिए किया गया है।

दिल्ली से विभिन्न राज्यों को विमान सेवायें

2239. श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों विशेषकर दिल्ली से विमान सेवाओं में वृद्धि करने हेतु केन्द्र सरकार को क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इनको कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर अतिरिक्त विमान सेवायें शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) दिल्ली से विमान सेवाओं में वृद्धि करने के लिए पिछले चार वर्षों में सरकार को विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. कोटा से दिल्ली के लिए विमान संपर्कता
2. दिल्ली से इलाहाबाद के लिए विमान संपर्कता
3. दिल्ली से जामनगर के लिए उड़ान
4. राजकोट से दिल्ली के लिए उड़ान
5. सूरत से दिल्ली के लिए विमान संपर्कता
6. गुवाहाटी से दिल्ली के लिए सुबह की उड़ान
7. दिल्ली से गुवाहाटी के लिए विमान संपर्कता
8. दिल्ली से लुधियाना के लिए गो एयर की विस्तारित उड़ान
9. इम्फाल-गुवाहाटी-दिल्ली किंगफिशर की उड़ान
10. कोटा से दिल्ली के लिए विमान संपर्कता

(ग) से (च) संपकित राज्यवार स्टेशनों का ब्यौरा संलग्न विवरण पर उपलब्ध है:

सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बहरहाल, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए यातायात की मांग तथा वाणिज्यक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराएं।

अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर अतिरिक्त उड़ानों के संबंध में सरकार द्वारा यातायात अधिकारों के आबंटन के मध्यनजर होंगे।

विवरण

राज्यवार विमान संपर्कता

क्रम सं.	राज्य	विमान सपंकित शहरों के नाम राज्य
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद, राजमुंद्री, तिरूपति, विजयवाड़ा, विजाग
2.	अरूणाचल प्रदेश	–

1	2	3
3.	असम	डिबरूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, लीलाबाड़ी, सिल्चर, तेजपुर
4.	बिहार	गया, पटना
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर
6.	दिल्ली	दिल्ली
7.	गोवा	गोवा
8.	गुजरात	अहमदाबाद, भावनगर, भुज, जामनगर, कांडला, पोरबंदर, राजकोट, सूरत, वडोदरा
9.	हरियाणा	-
10.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला, कुल्लू, शिमला
11.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू, लेह, श्रीनगर, थोईसे
12.	झारखंड	रांची
13.	कर्नाटका	बंगलोर, हुबली, मंगलोर, मैसूर
14.	केरला	कालीकट, कोचीन, त्रिवेन्द्रम
15.	मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खजुराहो
16.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नांनदेड़, नासिक, पुणे
17.	मणिपुर	इम्फाल
18.	मेघालय	शिलांग
19.	मिजोरम	एजवाल
20.	नागालैण्ड	दीमापुर
21.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
22.	पंजाब	अमृतसर, लुधियाना, पठानकोट
23.	राजस्थान	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर
24.	सिक्किम	-
25.	तमिलनाडु	चेन्नै, कोयम्बटूर, मदुरै, सलेम, त्रिची, तुतीकोरिन
26.	त्रिपुरा	अगरतला
27.	उत्तर प्रदेश	आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी
28.	उत्तरांचल	देहरादून
29.	पश्चिम बंगाल	बागडोगरा, कोलकाता

1	2	3
		संघ राज्य क्षेत्र
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	पोर्टब्लेयर
2.	लक्षद्वीप	अगाती
3.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
4.	दादरा एवं नगर हवेली	-
5.	दमन एवं दीव	दीव
6.	पुदुचेरी	-

[अनुवाद]

कालेजों की स्थापना

2240. श्री रूद्रमाधव राय:
श्री वैजयंत पांडा:
नित्यानंद प्रधान:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार से 100 नये व्यावसायिक जूनियर कालेजों, 30 मेडिकल कालेजों की स्थापना करने तथा मौजूदा 231 सरकारी व्यावसायिक जूनियर कालेजों का सुदृढ़ीकरण करने संबंधी कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उड़ीसा में दक्ष श्रमशक्ति की भारी कमी को पूरा करने हेतु इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना "माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण" के तहत उड़ीसा सरकार से 100 नए व्यावसायिक जूनियर कालेज खोलने तथा 231 सरकारी व्यावसायिक जूनियर कालेजों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि मॉडल कालेजों की स्थापना के लिए उड़ीसा राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के समीक्षाधीन होने के कारण इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

(ग) संशोधित योजना आरम्भ होने के बाद ही राज्य सरकारों से प्राप्त नए प्रस्तावों को संस्वीकृति दी जाएगी।

ग्रीन विमानपत्तनों का विकास

2241. डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री पी. कुमार:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महानगरों/गैर-महानगरीय शहरों/कस्बों में विमानपत्तनों की स्थापना हेतु किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ख) इन विमानपत्तनों के निर्माण की विमानपत्तन-वार मौजूदा स्थिति क्या है;

(ग) नये ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों की स्थापना करने के लिये किन स्थानों की पहचान की गई है तथा इन विमानपत्तनों की स्थापना की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या उन राज्य सरकारों ने जहां नये ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों की स्थापना प्रस्तावित है, इनके निर्माण कार्य को पूरा करने में कठिनाई व्यक्त की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना के अंतर्गत निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिये उन प्रोत्साहनों

का ब्यौरा क्या है जो दिये जाने हैं; और

(च) सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है जिससे इनका निर्माण निर्धारित समय के अनुरूप हो सके तथा निर्धारित से अधिक समयावधि एवं लागत न आये?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (च) विमान यात्रियों में व्यापक विकास के दृष्टिगत, जिसने विमान अवसंरचना पर दबाव डाला है और हवाईअड्डा सेक्टर में अधिक निवेश को प्रोत्साहित किया है, सरकार ने अप्रैल, 2006 में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के लिए एक नीति की घोषणा की थी। यह पॉलिसी बताती है कि केन्द्र सरकार का यह प्रयास हवाईअड्डा कंपनी को सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जैसे भूमि, रियायती या अन्यथा, हवाईअड्डों के भीतर तथा आस-पास रीयल इस्टेट के विकास के अधिकार, हवाईअड्डा संपर्कता, रेल, सड़क, राज्य करों से छूट के माध्यम द्वारा वित्तीय पहल, तथा कोई अन्य सहायता जो राज्य सरकार उपयुक्त समझे। एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए अपेक्षित विभिन्न क्लीयरेंसों के संबंध में समन्वय तथा मॉनीटरिंग के लिए सचिव, नागर विमानन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया है। हवाईअड्डे को विकसित करने के इच्छुक प्रमोटर को संचालन समिति के विचारार्थ सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए समय-समय पर आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनपर, पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट, स्थल क्लीयरेंस, विनियामक एजेंसियों से क्लीयरेंस आदि प्राप्त करने की सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान किए जाने के लिए संचालन समिति/सक्षम प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाता है।

हवाईअड्डा परियोजना के निर्माण की समय-सीमा अनेक कारकों पर निर्भर करती है जैसे भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य क्लीयरेंसों की उपलब्धता, वित्तीय क्लोजर आदि। ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजना की स्थिति, जिसे 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान की गई है, निम्नानुसार है:

(i) गोवा में मोपा: सरकार ने गोवा राज्य सरकार को मार्च, 2000 में गोवा के मोपा में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृति प्रदान करते समय, भारत सरकार ने यह स्वीकृति प्रदान की है कि नए हवाईअड्डे के प्रचालनिक हो जाने के पश्चात् मौजूदा डाबोलिम हवाईअड्डे को बन्द कर दिया जाए। बहरहाल, मौजूदा हवाईअड्डे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस निर्णय की समीक्षा की और मोपा में नए हवाईअड्डे के प्रचालनिक हो जाने के पश्चात भी डाबोलिम में मौजूदा हवाईअड्डे को सिविल प्रचालनों के लिए प्रचालनिक रहने की अनुमति प्रदान की है। लगभग 1000 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है।

(ii) महाराष्ट्र में नवी मुम्बई: जुलाई, 2007 में महाराष्ट्र सरकार को सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से नवी मुंबई में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान की है। महाराष्ट्र सरकार ने परियोजना के विकास के लिए महाराष्ट्र शहर एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सी.आई.डी.सी.ओ.) को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। सी.आई.डी.सी.ओ. द्वारा तकनीकी तथा कानूनी परामर्शदाता नियुक्त किए गए हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने हाल ही में इस परियोजना को पर्यावरणिक स्वीकृति प्रदान की है। हवाईअड्डा परियोजना के लिए 2054 हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई है जिसमें से 1341 हेक्टेयर भूमि सी.आई.डी.सी.ओ. के अधिकार क्षेत्र में है।

(iii) केरल में कन्नूर: केरल सरकार को कन्नूर में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए फरवरी 2008 में 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान की गई है। केरल सरकार ने निर्माण स्वामित्व तथा प्रचालन (बी.ओ.ओ.) मॉडल पर कन्नूर हवाईअड्डे के निर्माण के लिए मैसर्स के.आई.एन.एफ.आर.ए. को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा प्रा. लिमिटेड (के.आई.ए.एल.) नामक एक कंपनी का गठन किया गया है। अभी तक 1277.19 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है।

(iv) सिक्किम में पेक्योंग: सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 309.46 करोड़ रुपए की लागत पर सिक्किम में पेक्योंग में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। हवाईअड्डा परियोजना के मास्टर प्लान को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है और निर्माण पहले ही आरंभ हो गया है।

(v) महाराष्ट्र में सिंधु दुर्ग: महाराष्ट्र सरकार को सिंधु दुर्ग में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए सितम्बर, 2008 में 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान की गई है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हवाईअड्डे के निर्माण के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एम.आई.डी.

सी.) को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। एम.आई.डी.सी. ने 271 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत कर ली है। टेलीफोन, बिजली तथा पानी आपूर्ति की लाइनों के मार्ग परिवर्तन का कार्य पूरा कर लिया गया है।

(vi) कर्नाटक में गुलबर्गा, बीजापुर, हासन तथा शिमोगा: कर्नाटक सरकार को गुलबर्गा, बीजापुर, हसन तथा शिमोगा में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए जून, 2008 में 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान की गई है। इन हवाईअड्डा परियोजनाओं के कार्यों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

(क) बीजापुर हवाईअड्डा: एस.ओ.पी. को अंतिम रूप दे दिया गया है। दिनांक 18.01.2010 को राज्य सरकार तथा मैसर्स एम.ए.आर.जी. लिमिटेड के बीच परियोजना विकास करार पर हस्ताक्षर किया गया था। परियोजना के लिए अपेक्षित 728.01 एकड़ भूमि में से 385.22 एकड़ भूमि को अधिग्रहीत किया गया है तथा विकास कर्ता को सौंप दी गई है।

(ख) गुलबर्गा हवाईअड्डा: दिनांक 02.04.2008 को राज्य सरकार तथा गुलबर्गा एयरपोर्ट डवेलपर्स लिमिटेड (जी.ए.डी.एल.) के बीच परियोजना विकास करार पर हस्ताक्षर किया गया था और मई, 2010 के दौरान जी.ए.डी.एल. को 670 एकड़ भूमि अधिग्रहीत करके सौंप दी गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से आवश्यक क्लीयरेंस प्राप्त कर ली गई हैं। मास्टर प्लान के अनुसार निर्माण कार्य आरंभ हो गया है।

(ग) हसन हवाईअड्डा: दिनांक 06.09.2007 को राज्य सरकार तथा जूपिटर एविएशन लोजिस्टिक के बीच परियोजना विकास करार पर हस्ताक्षर किया गया था। परियोजना के लिए अपेक्षित 960 एकड़ भूमि में से 536.24 एकड़ भूमि को अधिग्रहीत किया गया है। विकासकर्ता ने पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त कर ली है और कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त कर ली है। परियोजना के लिए मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है।

(घ) शिमोगा हवाईअड्डा: दिनांक 02.04.2008 को राज्य सरकार तथा शिमोगा एयरपोर्ट डवेलपमेंट लिमिटेड के बीच परियोजना विकास करार पर हस्ताक्षर किया गया था। परियोजना के लिए 662.38 एकड़ भूमि को अधिग्रहीत किया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से आवश्यक क्लीयरेंस प्राप्त कर ली गई है। मास्टर प्लान के अनुसार परियोजना का कार्य आरंभ हो गया है।

(vii) मध्यप्रदेश में डाबरा, ग्वालियर/दातिया: सरकार ने दिसम्बर, 2008 में मैसर्स ग्वालियर एग्रीकल्चर कंपनी लिमिटेड को मध्य प्रदेश में बदोन कलां/भैसनरी, जिला-दातिया/ग्वालियर, में एक विशिष्ट कार्गो हवाईअड्डा स्थापित करने के लिए 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान की है।

(viii) पश्चिम बंगाल में बर्धमान जिले के अन्दल - फरीदपुर खण्ड: सरकार ने मैसर्स बंगाल एयरोट्रोपोलिस परियोजना लिमिटेड को पश्चिम बंगाल में बर्धमान जिले के अन्दल-फरीदपुर खण्डों में एक घरेलू ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। परियोजना के मास्टर प्लान को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है और निर्माण कार्य आरंभ हो गया है।

(ix) राजस्थान में जयपुर के नजदीक पालडी - रामसिंहपुर तहसील: भारत सरकार ने मैसर्स राजस्थान एविएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) लिमिटेड को राजस्थान में जयपुर के नजदीक पालडी - रामसिंहपुर तहसील में एक घरेलू ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान की है। विश्वस्तरीय मानकों पर हवाईअड्डे की स्थापना के लिए हवाईअड्डा प्रमोटर ने फ्रापोर्ट एजी के साथ साझेदारी की है। प्रमोटर ने सूचित किया है कि उन्होंने 2 बी श्रेणी के विमानों के प्रचालन को आरंभ करने के लिए निर्माण कार्य पूरा कर लिया है।

(x) उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा: भारत सरकार ने सितम्बर, 2010 में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान की है। सीमा शुल्क विभाग, भारतीय मौसम विभाग तथा पर्यावरण वन मंत्रालय से आवश्यक

क्लीयरेंस प्राप्त कर ली गई हैं।

(xi) पुदुचेरी में कराईकल हवाईअड्डा - सरकार ने हाल ही में फरवरी, 2011 को सार्वजनिक प्रयोग श्रेणी के अन्तर्गत पुदुचेरी में कराईकल क्षेत्र के पोनबेथी, पुथाकुडी तथा वरिचीकुडी राजस्व गांव के क्षेत्र को शामिल करने वाले स्थल पर एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान की है।

निजी विमान कंपनियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान प्रचालन

2242. श्री एस. अलागिरीः
डा. पद्मसिंह बाजीराव पाटीलः
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निजी विमान कंपनियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उड़ान प्रचालन हेतु कोई अनिवार्य अनुमति प्राप्त करनी होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में कुछ निजी विमान कंपनियों को उक्त मानदण्ड पूरा करने के बाद कुछ क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालन शुरू करने की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विमान कंपनी-वार ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए निर्धारित मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार भारतीय अनुसूचित वाहक को घरेलू क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष के निरन्तर प्रचालन का अनुभव होना चाहिए और उनके पास न्यूनतम 20 विमानों का बेड़ा होना चाहिए तभी उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन की अनुमति दी जाएगी।

(ग) और (घ) उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार इंडिगो एयरलाइंस को अन्तर्राष्ट्रीय सेक्टरों पर प्रचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

कोयला उत्खनन हेतु जनजातीय भूमि

2243. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदारः
श्री रामसिंह राठवाः
श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोडः
श्री मनोहर तिरकीः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा अधिग्रहीत की गई जनजातीय भूमि का एकड़ में कंपनी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन कंपनियों ने विस्थापित जनजातीय परिवारों के लिये कोई पुनर्वास पैकेज तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान विस्थापित परिवारों को नौकरी देने के प्रावधान सहित जनजातियों को दिये जाने वाले वास्तविक पुनर्वास पैकेज का कंपनी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश के कोयला खनन ब्लाकों विशेषकर अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय लोगों को भाग या कोटा प्रदान करने का कोई प्रावधान है;

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय लोगों को कोयला खनन ब्लाकों में दिये गये कोटे का कंपनी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये नियमों का उल्लंघन करके छत्तीसगढ़ के जनजातीय एवं वन क्षेत्रों में कुछ कोयला ब्लाक निजी क्षेत्र को आबंटित किये गये हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी कोयला ब्लाक-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा/इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा अधिग्रहीत जनजातीय भूमि का कंपनी-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

अधिग्रहीत जनजातीय भूमि (एकड़ में)

वर्ष	ई.सी.एल.			डब्ल्यू.सी.एल.			एस.ई.सी.एल.		
	प.बंगाल	झारखंड	कुल	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	कुल	मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़	कुल
2007-08	16.32	30.49	46.81	116.03	11.31	127.34	0.00	219.72	219.72
2008-09	0.00	16.06	16.06	0.00	13.09	0.00	210.78	210.78	
2009-10	6.56	10.17	16.73	13.02	6.22	19.24	22.72	803.79	826.51

(ख) सी.आई.एल. की सभी सहायक कंपनियों में जनजातीय परिवारों सहित सभी परियोजना प्रभावित लोगों/परिवारों के लिए परम्परागत अधिकारों के अंतर्गत उनकी कृषि योग्य भूमि का ध्यान रखने के लिए सी.आई.एल. की संशोधित पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर. एंड आर.) नीति का पालन विशेष प्रावधान के साथ किया जा रहा है।

(ग) जनजातीय सहित विस्थापित परिवारों को सी.आई.एल. की आर. एंड आर. नीति के अंतर्गत प्रदत्त लाभ नीचे दिए गए हैं:

(क) समस्त आवश्यक अवसंरचना के साथ प्रति परिवार 100 वर्ग मीटर का वैकल्पिक गृह स्थल।

(ख) प्रतिकूल रूप से प्रभावित विस्थापित परिवार को 10,000/- रु. की एक मुश्त वित्तीय सहायता मिलेगी अथवा उनके परिवार, भवन संबंधी सामग्री, सामान और पशुओं की शिफ्टिंग।

(ग) प्रतिकूल रूप से प्रभावित प्रत्येक विस्थापित परिवार जिसके पास पशु है तो उसके पशुगृह आदि के निर्माण के लिए 15,000/- रु. की वित्तीय सहायता मिलेगी।

(घ) प्रतिकूल रूप से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति जो ग्रामीण कारीगर, छोटा व्यापारी अथवा स्वनियोजित व्यक्ति है और जिसे विस्थापित किया गया है, को कार्यशैड अथवा दुकान के निर्माण के लिए 25,000/- रु. की एक मुश्त वित्तीय सहायता मिलेगी।

(ङ) प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक वर्ष के लिए 25 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी (एम.ए.डब्ल्यू.) का निर्वाह भत्ता मिलेगा।

अथवा

(च) प्रत्येक प्रभावित परिवार को उपर्युक्त (क) से (ङ) में दिए गए सभी लोगों के बदले 1,00,000/- रु. (एक लाख) की एक मुश्त राशि दी जाएगी।

(छ) जनजातीय प्रभावित परिवार को वन उपज के प्रयोगों अथवा परम्परागत अधिकार के खत्म होने के लिए 500 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी (एम.ए.डब्ल्यू.) की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(ज) जिले से बाहर पुनर्स्थापित प्रभावित जनजातीय परिवारों को पुनर्वासन और पुनर्स्थापना (आर. एंड आर.) लाभों से 25% अधिक राशि दी जाएगी।

(झ) सहायक कंपनी जनजातीय समुदाय को एक यूनिट के रूप में शिफ्ट करेगी और जनजातीय समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने की सुविधाएं प्रदान करेगी ताकि वे अपनी विलक्षण सांस्कृतिक पहचान को बनाए रख सकें।

(घ) रिक्तियों की उपयुक्तता और उपलब्धता की शर्त पर कोयला कंपनियां अधिग्रहीत की गयी प्रत्येक दो एकड़ भूमि के लिए एक रोजगार की पेशकश करती है। रोजगार की पेशकश प्रदत्त कोई व्यक्ति रोजगार को ठुकरा सकता है और संबंधित राज्य सरकार द्वारा घोषित नकद मुआवजा प्राप्त कर सकता है। यदि राज्य सरकार के पास इस संबंध में कोई नीति नहीं है तो सी.आई.एल. द्वारा आर. एंड आर. नीति के अनुसार पेशकश किया जा रहा नकद मुआवजा निम्नानुसार है:

(i) न्यूनतम 50,000/- रु. की शर्त पर यथामूल्य आधार पर प्रथम एकड़ भूमि के लिए 2,00,000/- रु. (दो लाख रु.)

(ii) दूसरे एवं तीसरे एकड़ भूमि के लिए यथामूल्य आधार पर 1,50,000/- रु. (डेढ़ लाख रु.)

(iii) तीन एकड़ से अधिक के लिए यथामूल्य आधार पर 1,00,000/-रु. (एक लाख रु.)

तथापि, सी.आई.एल. बोर्ड की 1.2.2011 को आयोजित बैठक में इसने रोजगार के बदले न्यूनतम दो लाख रु. की शर्त पर

यथामूल्य आधार पर प्रत्येक एकड़ भूमि के लिए 5 लाख रु. की सीमा तक मुआवजे की वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातीय परिवार को पेशकश किया गया रोजगार:

कंपनी		2007-08	2008-09	2009-10
बी.सी.सी.एल.	झारखंड	37	00	00
ई.सी.एल.	पश्चिम बंगाल	01	00	00
	झारखंड	16	10	06
सी.सी.एल.	झारखंड	26	115	82
डब्ल्यू.सी.एल.	महाराष्ट्र	13	00	02
	मध्य प्रदेश	00	00	00
एस.ई.सी.एल.	मध्य प्रदेश	00	01	00
	छत्तीसगढ़	29	08	136
एम.सी.एल.	उड़ीसा	80	19	19
एन.सी.एल.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
एन.ई.सी.	असम	शून्य	शून्य	शून्य

(ङ) से (छ) ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करके छत्तीसगढ़ के जनजातीय तथा वन क्षेत्रों सहित देश में निजी क्षेत्र को कोयला ब्लाक आवंटित किए गए हैं।

(ज) उपर्युक्त भाग (ङ) से (छ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारतीय विद्यार्थियों को आकृष्ट किया जाना

2244. श्री गुरुदास दासगुप्तः
श्री पी. लिंगमः
श्री ए.टी. नाना पाटीलः
श्री रमेश राठौडः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका, यू.के., आस्ट्रेलिया, सिंगापुर और अन्य देशों के अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा शैक्षिक मेलों, इलेक्ट्रानिक/प्रिंट मीडिया में विज्ञापन एवं प्रवेश हेतु नियुक्त एजेन्टों द्वारा भारतीय विद्यार्थियों का आकृष्ट किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इन विदेशी विश्वविद्यालयों की विश्वसनीयता का सत्यापन करने के लिए कोई तन्त्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) फर्जी विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने के बारे में भारतीय विद्यार्थियों को चेतावनी/सुरक्षा देने हेतु क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। हालांकि विदेशों में ख्याति प्राप्त संस्थाओं में उच्चतर अध्ययन हेतु अवसर का लाभ उठाने वाले भारतीय छात्रों पर कोई रोक नहीं है, किसी विदेशी संस्थाओं अथवा दाखिलों के लिए प्रचार करने के उनके तरीकों के संबंध में कोई सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संयुक्त राज्य अमरीका में हाल ही की एक घटना के मद्देनजर जहां पर अमरीका सरकार द्वारा एक विश्वविद्यालय को बंद किए जाने से कुछ भारतीय छात्रों को परेशानी हुई, सरकार ने भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सभी संभव उपाय करने हेतु अमरीकी सरकार से अनुरोध किया है। सरकार को उम्मीद है कि भारतीय छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में आवेदन करते समय समुचित सावधानी बरतेंगे। भ्रामक प्रचार सहित अनुचित कार्यों पर रोक लगाने हेतु एक विधायी प्रस्ताव संसद में पहले ही प्रस्तुत किया गया है।

वीजा शुल्क में वृद्धि

2245. श्री नीरज शेखर:
श्रीमती जयाप्रदा:
डॉ. कृपारानी किल्ली:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ने हाल में अमरीका द्वारा की गई वीजा शुल्क में वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह अमरीकी राष्ट्रपति के भारत के गत दौरे के समय जारी किये गये परस्पर वक्तव्य के अनुरूप नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अमरीका के साथ वीजा शुल्क में की गई वृद्धि का मुद्दा उठाया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) अमरीका ने अमरीकी सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए 600 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि जुटाने हेतु अगस्त, 2010 में आपातिक अनुपूरक विनियोजन अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, 2014 तक एच 1बी और एल श्रेणी के वीजा पर लिए जाने वाले शुल्क को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। यह शुल्क वृद्धि उन कंपनियों पर लागू होगी, जिनके पास 50 से अधिक कर्मचारी हैं और उनमें से 50% के पास एच 1बी/एल वीजा हैं। 9/11 स्वास्थ्य और क्षतिपूर्ति अधिनियम, जिसे दिसंबर, 2010 में पारित किया गया, के अनुसार एच-1 बी और एल वीजा श्रेणियों पर संवर्धित शुल्क की अवधि एक वर्ष आगे बढ़ाकर 2015 कर दी गयी है। सरकार को जानकारी है कि एच-1 बी और एल श्रेणी के वीजा शुल्क में हाल की बढ़ोत्तरी से भारतीय कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) और (घ) सरकार मानती है कि यह उपाय राष्ट्रपति ओबामा की भारत यात्रा के दौरान जारी पेशेवरों, निवेशकों और कारोबारी यात्रियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों की दोनों देशों के बीच आवाजाही को सुगम बनाने और उनकी आर्थिक और वित्तीय भागीदारी को बढ़ाने के संबंध में 8 नवंबर, 2010 के भारत-अमरीका संयुक्त वक्तव्य में अंतनिर्हित वचनबद्धता के अनुरूप नहीं है।

(ङ) और (च) सरकार ने अमरीका में संरक्षणवादी भावना और एच-1 बी तथा वीजा श्रेणियों के लिए शुल्क में बढ़ोतरी के संबंध में अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। सरकार सर्वोच्च स्तर सहित अमरीकी सरकार के साथ इस मुद्दे पर लगातार सम्पर्क में है।

3जी एवं वाईमैक्स स्पेक्ट्रम की नीलामी

2246. श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री भक्त चरण दास:
योगी आदित्यनाथ:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 3जी एवं वाईमैक्स स्पेक्ट्रम की नीलामी की है;

(ख) यदि हां, तो 3जी और वाईमैक्स की नीलामी से अलग-अलग कितना राजस्व अर्जित हुआ है;

(ग) देश में 3जी सेवाएं शुरू करने वाले बोलीदाताओं का कंपनी-वार और सर्किल-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी बोलीदाता को 3जी सेवा हेतु पूरे भारत का लाइसेंस आबंटित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या निवेश की तुलना में अनुमानित लाभ को 3जी स्पेक्ट्रम के मूल्य को अत्यंत अधिक माना जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) सरकार ने 3जी तथा ब्रॉडबैंड बेतार अभिगम (बी.डब्ल्यू.ए.) स्पेक्ट्रम की नीलामी की है।

(ख) 3जी तथा बी.डब्ल्यू.ए. स्पेक्ट्रम की नीलामी के फलस्वरूप अर्जित राजस्व क्रमश: 67,718.95 करोड़ रु. और 38,543.31 करोड़ रु. है।

(ग) देश में पहले ही सेवाएं आरम्भ कर चुके सफल 3जी बोलीदाताओं का सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी एक नियंत्रित, एक साथ तथा आरोही ई-नीलामी के माध्यम से की गई है। तथापि, बी.एस.एन.एल. को मुम्बई तथा दिल्ली मेट्रो सेवा क्षेत्रों को छोड़कर सभी सेवा क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिए 3जी स्पेक्ट्रम का आवंटन किया गया है।

(च) और (छ) सरकार ने निवेश पर प्रत्याशित लाभ की तुलना में 3जी स्पेक्ट्रम के मूल्य के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है।

विवरण

सफल बोलीदाताओं द्वारा 3जी सेवाओं की व्यावसायिक शुरूआत की स्थिति-ब्यौरा

सेवा क्षेत्र	सफल बोलीदाता	क्या व्यावसायिक शुरूआत की गई
1	2	3
दिल्ली	वोडाफोन एस्सार लिमिटेड	हां
	भारती एयरटेल लिमिटेड	हां
	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	हां
	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	हां
मुंबई	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	हां
	वोडाफोन एस्सार लिमिटेड	नहीं
	भारती एयरटेल लिमिटेड	नहीं
	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	हां
महाराष्ट्र	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	हां
	आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड	नहीं
	वोडाफोन एस्सार लिमिटेड	नहीं
	भारत संचार निगम लिमिटेड	हां
गुजरात	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	हां
	वोडाफोन एस्सार लिमिटेड	नहीं
	आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड	नहीं
	भारत संचार निगम लिमिटेड	हां

1	2	3
आंध्र प्रदेश	भारती एयरटेल लिमिटेड	नहीं
	आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड	नहीं
	एयरसेल लिमिटेड	हां
	भारत संचार निगम लिमिटेड	हां
कर्नाटक	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	हां
	एयरसेल लिमिटेड	हां
	भारती एयरटेल लिमिटेड	हां
	भारत संचार निगम लिमिटेड	हां
तमिलनाडु	भारती एयरटेल लिमिटेड	हां
	वोडाफोन एस्सार लिमिटेड ***	नहीं
	एयरसेल लिमिटेड	हां
	भारत संचार निगम लिमिटेड	हां
कोलकाता	वोडाफोन एस्सार लिमिटेड	नहीं
	एयरसेल लिमिटेड	हां
	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	हां
	भारत संचार निगम लिमिटेड	हां
केरल	आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड	नहीं
	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	हां
	एयरसेल लिमिटेड	हां
	भारत संचार निगम लिमिटेड	हां
पंजाब	आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड	नहीं
	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	हां
	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	हां
	एयरसेल लिमिटेड	नहीं
	भारत संचार निगम लिमिटेड	हां
हरियाणा	आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड	नहीं
	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	हां

1	2	3
	वोडाफोन एस्सार लिमिटेड	नहीं
	भारत संचार निगम लिमिटेड	हां
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	एयरसेल लिमिटेड	हां
	आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड	नहीं
	वोडाफोन एस्सार लिमिटेड	नहीं
	भारत संचार निगम लिमिटेड	हां
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	भारती एयरटेल लिमिटेड	नहीं
	आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड	नहीं
	टाटा टेलिसर्विसेज लिमिटेड	हां
	भारत संचार निगम लिमिटेड	हां
राजस्थान	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	हां
	भारती एयरटेल लिमिटेड	नहीं
	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	हां
	भारत संचार निगम लिमिटेड	हां
मध्य प्रदेश	आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड	नहीं
	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	नहीं
	टाटा टेलिसर्विसेज लिमिटेड	हां
	भारत संचार निगम लिमिटेड	हां
पश्चिम बंगाल	भारती एयरटेल लिमिटेड	नहीं
	रिलायंस टेलिकॉम लिमिटेड	नहीं
	वोडाफोन एस्सार लिमिटेड	नहीं
	एयरसेल लिमिटेड	नहीं
	भारत संचार निगम लिमिटेड	हां
हिमाचल प्रदेश	भारती एयरटेल लिमिटेड	नहीं
	एस. टेल प्रा.लि.	नहीं

1	2	3
	आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड	नहीं
	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	नहीं
	भारत संचार निगम लिमिटेड	हां
बिहार	एस.टेल प्रा.लि.	नहीं
	भारती एयरटेल लिमिटेड	नहीं
	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	नहीं
	एयरसेल लिमिटेड	हां
	भारत संचार निगम लिमिटेड	हां
उड़ीसा	एस.टेल प्रा.लि.	नहीं
	एयरसेल लिमिटेड	हां
	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	नहीं
	भारत संचार निगम लिमिटेड	हां
असम	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	नहीं
	भारती एयरटेल लिमिटेड	नहीं
	एयरसेल लिमिटेड	हां
	भारत संचार निगम लिमिटेड	हां
पूर्वोत्तर	एयरसेल लिमिटेड	हां
	भारतीय एयरटेल लिमिटेड	नहीं
	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	नहीं
	भारत संचार निगम लिमिटेड	हां
जम्मू और कश्मीर	आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड	नहीं
	एयरसेल लिमिटेड	हां
	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	हां
	भारती एयरटेल लिमिटेड	नहीं
	भारत संचार निगम लिमिटेड	नहीं

***वोडाफोन ने 3जी सेवाओं की वाणिज्यिक रूप से शुरूआत केवल चेन्नई सेवा क्षेत्र में की।

पासपोर्ट सेवा परियोजना

2247. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेन्ट, हैदराबाद को पासपोर्ट सेवा परियोजना का कार्य दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ग) अब तक स्थापित प्रत्योजित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में पासपोर्ट सेवा केन्द्रों की स्थापना हेतु स्थानों के चयन को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त उद्देश्य हेतु स्थानों की पहचान करने के लिये निर्धारित मानदण्ड का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार देश में इन केन्द्रों की स्थापना करने हेतु स्थानों के चयन को अन्तिम रूप कब तक देगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी, हां।

(ख) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गर्वनमेंट (एन.आई.एस. जी.) को पासपोर्ट को जारी करने की वर्तमान प्रणाली का अध्ययन करने तथा पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपायों की सलाह देने के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। अपने अध्ययन के अंत में एन.आई.एस. जी. ने बढ़ती मांग को पूरा करने तथा प्रणाली की प्रभाविता में सुधार लाने के लिए पासपोर्ट सेवा परियोजना को कार्यान्वित किये जाने की अनुशंसा की थी। एन.आई.एस.जी. ने फरवरी, 2007 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंप दी। तदुपरांत उन्होंने पासपोर्ट सेवा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु प्रस्ताव के अनुरोध की रूपरेखा तैयार की जिसे अक्तूबर, 2007 में जारी किया गया।

(ग) इस प्रायोगिक परियोजना को 7 पासपोर्ट सेवा केन्द्रों में प्रचालित किया गया है- बेंगलुरु (02), हुबली (01), मंगलोर (01), अम्बाला (01), चंडीगढ़ (01) और लुधियाना (01)। मई, 2010 में शुरूआत किये जाने के बाद से यह प्रायोगिक परियोजना कार्य कर रही है। 11 जनवरी, 2011 को तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा एजेंसी- मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन (एस.टी.क्यू.सी.) ने प्रस्ताव के अनुरोध में सन्निहित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में अनुपालन के लिए इस प्रायोगिक परियोजना को सत्यापित किया है।

(घ) जी, हां। सरकार ने पासपोर्ट सेवा परियोजना के अंतर्गत पासपोर्ट सेवा केन्द्रों की स्थापना करने के लिए 77 स्थानों (विवरण) को अंतिम रूप दिया है।

(ङ) एन.आई.एस.जी. ने प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय के अंतर्गत विभिन्न जिलों से प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों की संख्या के आधार पर किये गये अध्ययन के आधार पर पासपोर्ट सेवा केन्द्रों के स्थानों की अनुशंसा की है।

(च) लागू नहीं।

विवरण

पासपोर्ट कार्यालय	पासपोर्ट कार्यालय के शहर के भीतर अवस्थित पी.एस.के.	पासपोर्ट कार्यालय के क्षेत्राधिकार के भीतर अन्य जिलों में अवस्थित पी.एस.के.	पी.एस.के. की कुल संख्या
1	2	3	4
दिल्ली	दिल्ली 1, दिल्ली 2	गुड़गांव	3
मुंबई	मुंबई 1, मुंबई 2, मुंबई 3	कोई नहीं	3
हैदराबाद	हैदराबाद 1, हैदराबाद 2, हैदराबाद 3	विजयवाड़ा, निजामबाद, तिरूपति	6
चेन्नई	चेन्नई 1, चेन्नई 2, चेन्नई 3	कोई नहीं	3
बैंगलोर	बैंगलोर 1, बैंगलोर 2	हुबली-धारवाड़, मंगलौर	4

1	2	3	4
अहमदाबाद	अहमदाबाद 1, अहमदाबाद 2	बड़ौदा, राजकोट	4
कोचीन	कोचीन	त्रिसूर, अलाप्पुझा, एर्नाकुलम ग्रामीण, कोट्टयाम	5
जालंधर	जालंधर 1, जालंधर 2	होशियारपुर	3
त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	कोल्लम, त्रिवेन्द्रम ग्रामीण	3
चंडीगढ़	चंडीगढ़	लुधियाना, अंबाला	3
त्रिची	त्रिची 1, त्रिची 2	तंजवूर	3
कोलकाता	कोलकाता	बेरहामपुर	2
लखनऊ	लखनऊ	वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर	4
जयपुर	जयपुर	जोधपुर, सीकर	3
कोझिकोड	कोझिकोड 1, कोझिकोड 2	कन्नूर 1, कन्नूर 2	4
ठाणे	ठाणे	नासिक	2
मदुरई	मदुरई	तिरूनेलवली शहर	2
पुणे	पुणे	कोई नहीं	1
पटना	पटना	कोई नहीं	1
विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम	कोई नहीं	1
सूरत	सूरत	कोई नहीं	1
भोपाल	भोपाल	कोई नहीं	1
गाजियाबाद	गाजियाबाद	कोई नहीं	1
बरेली	बरेली	कोई नहीं	1
मलाप्पुरम	मलाप्पुरम	कोई नहीं	1
नागपुर	नागपुर	कोई नहीं	1
अमृतसर	अमृतसर	कोई नहीं	1
कोयम्बटोर	कोयम्बटोर	कोई नहीं	1
		कुल	68
पासपोर्ट कार्यालयों के भीतर उनके साथ अवस्थित पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पी.एस.के.)			
भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	कोई नहीं	1
रांची	रांची	कोई नहीं	1
गुवाहाटी	गुवाहाटी	कोई नहीं	1

1	2	3	4
पणजी	पणजी	कोई नहीं	1
जम्मू	जम्मू	कोई नहीं	1
श्रीनगर	श्रीनगर	कोई नहीं	1
शिमला	शिमला	कोई नहीं	1
रायपुर	रायपुर	कोई नहीं	1
देहरादून	देहरादून	कोई नहीं	1
कुल			9
		कुल कार्यालय	77

[हिन्दी]

उपभोक्ता संरक्षण मानदण्ड

2248. श्री इज्यराज सिंह:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण हेतु मूलभूत सेवाओं/केबल लाइन्स/सेलुलर मोबाइल, टेलीफोन सेवाओं की गुणवत्ता आदि के मानदण्डों संबंधी दूरसंचार विनियमन 2009 में उल्लिखित उपभोक्ता केन्द्रित मानदण्डों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न दूरसंचार कंपनियों के कार्यकरण में कोई कमी देखी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1) (ख) (v) के अनुसार, ट्राई सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण करने, सेवा की गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण करने, सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त ऐसी सेवा का आवधिक सर्वेक्षण करने संबंधी अपने कार्यों का निर्वहन करता है, ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जा सके।

ट्राई विभिन्न स्टेकधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के उद्देश्यार्थ "दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ता के हित के संरक्षण संबंधी उपायों की समीक्षा" विषय पर दिनांक 2 अगस्त, 2010 को परामर्श-पत्र जारी करके दिनांक 20 मार्च, 2009 के "बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) तथा सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा-गुणवत्ता संबंधी मानक विनियम, 2009" में उल्लिखित उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए पैरामीटरों की फिलहाल समीक्षा कर रहा है। विभिन्न स्थानों पर "खुला सत्र विचार-विमर्श" आयोजित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) ट्राई को उपभोक्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उपर्युक्त विनियमों में उल्लिखित उपभोक्ता केंद्रित पैरामीटरों के क्रियान्वयन के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। इन पैरामीटरों से संबंधित विभिन्न मुद्दों का उल्लेख उपर्युक्त परामर्श-पत्र में किया गया है, ताकि इस मामले में स्टेकधारकों के विचार प्राप्त हो सकें।

[अनुवाद]

अफगानिस्तान में गतिविधियां

2249. श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफगानिस्तान ने अपने यहां लौह अयस्क खनन हेतु प्रारम्भिक बोली लगाने के लिये कुछ भारतीय कंपनियों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारतीय कंपनियों एवं बोली के लिये कोई कंजोर्टियम बनाने की योजना बना रही हैं;

(ग) यदि हां, तो अफगानिस्तान में खनन क्रियाकलापों हेतु बोली की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) अन्तिम परिणाम कब तक आने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) अफगानिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान में हाजीगाक लौह अयस्क खान का विकास करने के लिए भारत सहित अन्य देशों की खनन कंपनियों से रुचि की अभिव्यक्तियां आमंत्रित की थी। जिन कंपनियों ने रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की थी, उन्हें अफगानिस्तान सरकार द्वारा पात्र कंपनियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें भारत की 14 कंपनियां शामिल हैं। अफगानिस्तान सरकार इस परियोजना के लिए प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया की योजना बना रही है और फिलहाल यह बोली प्रक्रिया के सभी चरणों के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दे रही है।

[हिन्दी]

महिलाओं को पदोन्नति में आरक्षण

2250. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के मामले में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महिलाओं को सेवाओं में पदोन्नति के मामलों में समान अवसर प्रदान किए जाते हैं।

[अनुवाद]

ई-गवर्नेंस परियोजनाएं

2251. श्री नवीन जिन्दल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के अंतर्गत देश में किसान समुदाय के लिए वहनीय संचार और सूचना फैलाव उपकरण विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अंतरिक्ष कार्यक्रम

2252. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने मानव सहित अंतरिक्ष कार्यक्रम में अमरीका, ब्रिटेन और अन्य देशों से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक देश में अब तक क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) सरकार द्वारा 2007 में अनुमोदित "समानव अन्तरिक्ष कार्यक्रम" पर परियोजना-पूर्व अध्ययन के भाग के रूप में, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने समानव अन्तरिक्ष कार्यक्रम को शुरू करने में शामिल प्रौद्योगिक चुनौतियों को समझने के लिए प्रारंभिक अध्ययन शुरू किये हैं।

दिसम्बर 2008 में, समानव अन्तरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के क्षेत्र में संयुक्त क्रियाकलाप शुरू करने हेतु इसरो तथा रूसी संघ

अन्तरिक्ष एजेन्सी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। 2009-2010 के दौरान इस समझौता ज्ञापन के तहत रूसी एजेन्सी द्वारा दो साध्यता अध्ययन किये गये।

साथ ही, अमरीका ने समानव अन्तरिक्ष उड़ान पर भारत के साथ सहयोग करने की अभिरुचि व्यक्त की है जैसा कि, नवम्बर 2010 में भारत के प्रधानमंत्री तथा अमरीकी राष्ट्रपति के संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है।

[हिन्दी]

तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना

2253. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार तकनीकी शिक्षा के संवर्धन के लिए परिषद् द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम निम्नानुसार हैं:

(i) नई संस्थाओं को खोलने के लिए आवेदन वर्ष भर स्वीकार किए जाते हैं। (ii) नई संस्थाएं अब अधिक आर्थिक व्यवहार्यता हेतु अधिक प्रवेश क्षमता के साथ आरम्भ की जा सकती हैं। (iii) नई इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थाओं को 5 अवर स्नातक पाठ्यक्रम तक और/अथवा 300 विद्यार्थियों के प्रवेश के साथ वर्गीकरण की मंजूरी दी जाती है। (iv) नई इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थाओं को 2 अवर स्नातक पाठ्यक्रम तक और/अथवा 120 के प्रवेश के साथ वर्गीकरण की मंजूरी दी जाती है। (v) अप्रतिरूप स्नातकोत्तर संस्था की स्थापना के लिए ए.आई.सी.टी.ई. का अनुमोदन दिया जाता है। (vi) यदि ऐसी संस्था जिसने एक बैच पूरा कर लिया है, के पास सुविधा उपलब्ध है तो स्व-प्रकटन के आधार पर प्रति पाली किसी भी स्तर पर 2 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम तक की अनुमति दी जाती है। (vii) यदि ऐसी संस्था जिसे एक बैच पूरा करना बाकी है, के पास सुविधा उपलब्ध है तो स्व-प्रकटन के आधार पर प्रति पाली किसी भी स्तर पर 2 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम तक की अनुमति दी जाती है। (viii) यदि संस्था प्रत्यायित है तो उसे किसी भी स्तर पर प्रति पाली एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित करने की अतिरिक्त मंजूरी दी जाएगी। (ix) संस्थान में अवसंरचना के उपयोग को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रवेश के साथ दूसरी पाली की अनुमति दी जाती है। (x) इंजीनियरिंग में डिग्री कार्यक्रमों में डिप्लोमा धारकों के बाद के प्रवेश के लिए अतिरिक्त डिवीजन (60 सीटें) प्रदान की जाती हैं। (xi) समान कार्यक्रम चलाने वाली समान सोसायटी/न्यास/सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न संस्थाएं इंजीनियरिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि के लिए समेकित की जा सकती है। (xii) भागीदारी में वृद्धि करने तथा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना को अनुमोदन प्रदान करने हेतु भूमि तथा भवन मानदंडों को संशोधित किया गया है।

देश में तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्टता और परिवर्तन में सहायता हेतु 10-12 वर्षों में तीन चरणों में कार्यान्वयन हेतु दीर्घावधि परियोजना के रूप में तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम की परिकल्पना और डिजाइनिंग की गई थी। 1399 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ केन्द्र समन्वित केन्द्रीय और राज्य सेक्टर परियोजना के रूप में विश्व बैंक की सहायता से तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम चरण-1 कार्यान्वित किया गया था। इसमें से 306 करोड़ रुपए केन्द्रीय घटक और शेष 1033 करोड़ रुपए राज्य घटक था। यह कार्यक्रम मार्च, 2003 से प्रभावी हुआ था और कार्यक्रम की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2009 थी।

"कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के अंतर्गत पालिटेक्नीकों के उप-मिशन" की योजना के अंतर्गत यह मंत्रालय देश के असेवित और अल्प सेवित जिलों में 300 नए पालिटेक्नीकों की स्थापना हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रति पालिटेक्नीक 12.30 करोड़ रुपए की एक कालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बशर्ते राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार निःशुल्क भूमि प्रदान करें, 100 प्रतिशत आवर्ती व्यय और 12.30 करोड़ रुपए से अधिक, यदि कोई हो, अनावर्ती व्यय भी वहन करे। अब तक 252 जिलों में नए पालिटेक्नीकों की स्थापना हेतु विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।

XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 7 नए भारतीय प्रबंध संस्थान (उदयपुर (राजस्थान), और काशीपुर (उत्तराखंड) के भारतीय प्रबंध संस्थान अकादमिक वर्ष 2011-12 से आरंभ होंगे), 10 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 3 भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान और 2 आयोजना और वास्तुकला स्कूल भी स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त

तकनीकी शिक्षा के संवर्धन हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के अंतर्गत 20 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना को सरकार पहले ही अनुमोदित कर चुकी है।

(ग) और (घ) ए.आई.सी.टी.ई. ने शैक्षिक वर्ष 2011-12 के लिए इंजीनियरिंग में विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ नई संस्थाएं खोलने के लिए प्रस्तावों की प्रस्तुती हेतु 31.12.2010 से 13.3.2011 तक अपना वेबपोर्टल खोल दिया है। इस प्रकार प्राप्त आवेदनों पर अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2011-12 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और शैक्षिक वर्ष 2011-12 आरम्भ होने से पहले ए.आई.सी.टी.ई. के मानदंडों के अनुसार समुचित प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

मीडिया के माध्यम से शिक्षा

2254. श्री धनंजय सिंह:
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) ने हाल ही में एक सर्वेक्षण किया था जिसमें यह सिद्ध हुआ था कि विद्यालयों में दूरदर्शन के माध्यम से दी गई शिक्षा अधिक व्यापक एवं टिकाऊ होती है तथा अत्यंत सफल होती है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य से अलग टेलीविजन चैनल शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने सूचित किया है कि इसने ऐसा कोई सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का नोडल एजेन्सियों के रूप में स्कूल शिक्षा चैनल प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

बिहार में विमानपत्तन

2255. श्री ओम प्रकाश यादव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में अनेक विमानपत्तन बंद पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनका प्रचालन शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने विचार है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) बिहार राज्य में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में पांच हवाईअड्डे हैं यथा गया, पटना, मुज्जफरपुर, जोगबनी, रक्सॉल हवाईअड्डे। इनमें से केवल गया तथा पटना हवाईअड्डे प्रचालनिक हैं।

(ग) चूंकि इन तीन हवाईअड्डों पर प्रचालन करने के लिए यातायात संभाव्यता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा एयरलाइन प्रचालकों द्वारा दृढ़ प्रतिबद्धता नहीं है, इसलिए इस समय इन तीन हवाईअड्डों को प्रचालनिक बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

मुस्लिमों की शैक्षणिक स्थिति

2256. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश के संदर्भ में मुस्लिमों की शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम कहां तक सहायता कर रहे हैं;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश राज्य में 8 प्रतिशत मुस्लिम छात्र विद्यालय से वंचित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ग्यारहवीं योजना की समाप्ति से पहले इन योजनाओं के अंतर्गत सभी बच्चों को शामिल करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई थी;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां हासिल की गईं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या भावी रणनीति बनाई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में मुस्लिम बच्चों सहित सभी बच्चों की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए अंशदान दे रहे हैं।

सामाजिक और ग्रामीण शोध संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय विपणन शोध ब्यूरो की एक इकाई द्वारा संचालित स्वतंत्र राष्ट्र स्तरीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार उन मुस्लिम बच्चों का प्रतिशत जो स्कूल-बाह्य थे, 2005 में 10 प्रतिशत से घटकर 2009 में 7.7 प्रतिशत हो गया। सर्वेक्षण में यह पता चला कि इसी अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में स्कूल बाह्य मुस्लिम बच्चों का प्रतिशत 4.29 प्रतिशत से घटकर 1.41 प्रतिशत हो गया।

मुस्लिम बच्चों सहित सभी स्कूल-बाह्य बच्चों को शामिल करने और प्रारंभिक शिक्षा परिदृश्य में सुधार करने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जो 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हो गया, के प्रावधानों के अनुरूप बनाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों में संशोधन किए गए हैं। पूर्वोत्तर को छोड़कर केन्द्र और राज्य सरकार के बीच निधि शेयरिंग पद्धति को 65:35 के अनुपात में संशोधित किया गया था तथा 2010-11 से 2014-15 के लिए शिक्षा का अधिकार-सर्व शिक्षा अभियान के संयुक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 2,31,233 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत, कार्यक्रम की शुरुआत से कुल 14.1 लाख अध्यापकों के पद संस्वीकृत किए गए हैं जिसमें से 11.13 लाख अध्यापकों की भर्ती कर ली गई है। 1,98,907 प्राथमिक स्कूल और 1,47,419 उच्च प्राथमिक स्कूल संस्वीकृत किए गए हैं।

रेडियोधर्मी पदार्थों के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश

2257. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के सभी कालेजों के लिए रेडियोधर्मी पदार्थों की खरीद, उपयोग के उद्देश्य और भंडारण सुविधा की सुरक्षा के लिए एटोमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यू.जी.सी. ने इस संबंध में विश्वविद्यालयों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं तथा कॉलेजों में रेडियोधर्मी एवं अन्य जोखिम वाली सामग्रियों/रसायनों की खरीद, भंडारण, उपयोग और निपटान के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदक को सीलबंद संसाधनों की खरीद के लिए परमाणु ऊर्जा निगमित बोर्ड की सहमति प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसमें, जहां कहीं आवश्यक हो, इन संसाधनों के कार्य एवं भंडारण सुविधा के स्थान के नक्शे से संबंधित ब्यौरे भी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। ये आवेदन पत्र ए.ई.आर.बी. द्वारा अनुमोदित किए जाने होते हैं। यू.जी.सी. द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश यू.जी.सी. की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/notices/notice.html. पर उपलब्ध हैं। यह दिशानिर्देश देश में सभी विश्वविद्यालयों को सूचित कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

'लो कर लो बात' योजना

2258. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल. ने देश के विभिन्न भागों में 'लो कर लो बात' योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उन सर्किलों/राज्यों के नाम क्या हैं जहां यह योजना कार्यान्वित की गई थी और इसके परिणामस्वरूप क्या सफलता हासिल की गई;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों में यह सेवा बंद कर दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश सहित इन राज्यों में उक्त योजना दुबारा शुरू करने का है; और

(छ) यदि हां, तो कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) से (ग) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन. एल.) ने मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश (पूर्व) दूरसंचार सर्किलों में "लो कर लो बात" स्कीम शुरू की थी। इन दूरसंचार सर्किलों के बी.एस.एन.एल. के स्थिर लाइन उपभोक्ता जिन्हें यह सुविधा प्राप्त थी, अपने दूरसंचार सर्किल के भीतर बी.एस.एन.एल. के किसी भी नम्बर (मोबाइल/स्थिर लाइन) पर असीमित निःशुल्क कॉल कर सकते थे। तथापि, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सर्किलों के स्थिर लाइन उपभोक्ता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों सर्किलों के मोबाइल/स्थिर लाइन उपभोक्ताओं को निःशुल्क कॉल कर सकते थे। उत्तर प्रदेश (पूर्व) के मामले में बी.एस.एन.एल. के उपभोक्ताओं को सर्किल के भीतर ही स्थिर लाइन से स्थिर लाइन उपभोक्ताओं को असीमित निःशुल्क कॉल करने की अनुमति दी गई थी। यह स्कीम बी.एस.एन.एल. के लिए लैण्डलान उपभोक्ताओं को बनाए रखने में कुछ सीमा तक सहायक रही है।

(घ) और (ङ) जी, हां। यह स्कीम मध्य प्रदेश सर्किल में 1.11.2008 से, बिहार में 1.09.07 से, छत्तीसगढ़ सर्किल में 1.1. 2008 से और उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्किल में 30.11.2009 से बंद कर दी गई। यह स्कीम बंद कर दी गई थी क्योंकि बी.एस.एन. एल. अपनी वाणिज्यिक व्यवहार्यता और बाजार के मौजूदा परिदृश्य के अनुसार समय-समय पर स्थिर लाइन स्कीमों में संशोधन करता रहता है।

(च) और (छ) यह स्कीम गुजरात सर्किल में पहले से चालू है। तथापि इस स्कीम को मध्य प्रदेश सर्किल सहित अन्य राज्यों में पुनः शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

के.बी.के. विशेष योजना

2259. श्री तथागत सत्पथी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य को इस समय दी जा रही कालाहांडी, बोलांगीर, कोरापुट (के.बी.के.) विशेष सहायता में वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी हां। उड़ीसा राज्य सरकार ने 2009-17 की अवधि के लिए 4550 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता हेतु के.बी.के. जिलों के लिए आठ-वर्षीय विशेष योजना मसौदा प्रस्तुत किया है।

(ग) भारत सरकार ने हाल ही में चुनिंदा 60 जनजातीय एवं पिछड़े जिलों के लिए 2010-11 हेतु 25 करोड़ रुपए तथा 2011-12 के लिए 30 करोड़ रुपए के ब्लॉक अनुदान के साथ एक एकीकृत कार्य योजना (आई.ए.पी.) अनुमोदित की है। सभी आठ के.बी.के. जिले आई.ए.पी. के तहत कवर किए गए 60 जिलों की सूची में कवर हैं और 200 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए पहले ही जारी किया जा चुके हैं। 2011-12 में आठ के.बी.के. जिलों हेतु आबंटन 240 करोड़ रुपए (आठ के.बी.के. जिलों के प्रत्येक हेतु 30 करोड़ रुपए) में आठ के.बी.के. जिलों हेतु आबंटन 240 करोड़ रुपए (आठ के.बी.के. जिलों के प्रत्येक हेतु 30 करोड़ रुपए) है। के.बी.के. जिलों को इसलिए तीन विभिन्न स्त्रोतों से निधियां आबंटित की जाती हैं, नामतः के.बी.के. जिलों हेतु विशेष योजना (130 करोड़ रुपए), बी.आर.जी.एफ. का जिला घटक (120 करोड़ रुपए) और आई.ए.पी. (2010-11 एवं 2011-12 के दौरान क्रमशः 200 करोड़ रुपए और 240 करोड़ रुपए)। इस प्रगति की दृष्टि में, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 2009-2017 की अवधि हेतु के.बी.के. जिलों के लिए आठ वर्षीय भावी विशेष योजना से संबद्ध मामले पर योजना आयोग में विचार किया गया एवं यह विनिश्चित किया गया है कि ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान के.बी. के. जिलों को आबंटन को और बढ़ाने हेतु कोई आवश्यकता नहीं है।

नए ए.एम.यू. केंद्रों की स्थापना

2260. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नए केंद्रों की स्थापना के लिए निधियां जारी की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) वित्त वर्ष 2009-10 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मुर्शीदाबाद (पश्चिम बंगाल) तथा मल्लापुरम (केरल) में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के केन्द्रों को स्थापित करने के लिए क्रमशः 25 करोड़ रु. तथा 10 करोड़ रु. जारी किए हैं।

बकाया राशि

2261. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक विमान कंपनियों के पास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भारी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बकाया राशि वसूल करने तथा विमानपत्तनों पर सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) भारत में 31.01.2011 को प्रमुख एयरलाइनों के प्रति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की देय राशियां इस प्रकार हैं - (राशि करोड़ रुपए में): एयर इंडिया - 720, किंगफिशर - 257.62, गो एयरलाइंस - 6.77, इंटरग्लोबल एविएशन लिमिटेड (इंडिगो) - 13.29, जेट एयरवेज - 38.49, जेट लाइन (इंडिया) लिमिटेड - 13.96, स्पाइस जेट लिमिटेड - 16. 99, पैरामाउंट एयरवेज - 4.88 अन्य (छोटी/गैर प्रचालनिक एयरलाइनों) - 50.13

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा यह मुद्दा संबंधित एयरलाइनों के समक्ष देय राशियों के निपटान के लिए समय-समय पर उठाया गया है। हवाईअड्डों पर सुविधाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. चेन्नै तथा कोलकाता हवाईअड्डों का आधुनिकीकरण

2. अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं, यात्री सहिष्णु सुख-सुविधाओं तथा अच्छे वातावरण वाले टर्मिनल भवनों सहित 35 गैर मैट्रो हवाईअड्डों का विकास

3. उपग्रह आधारित दिक्चालन प्रणाली

(ङ) उपर्युक्त के दृष्टिगत लागू नहीं है।

महिला शिक्षा

2262. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं/बालिकाओं की शिक्षा के स्तर में वृद्धि के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य-वार कुल कितनी राशि स्वीकृत/जारी की गई है; और

(घ) अभी तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों में से एक स्त्री-पुरुष और सामाजिक श्रेणी के बीच अंतर को कम करना है। सर्व शिक्षा अभियान वंचित समूहों और कमजोर वर्गों की बालिकाओं एवं बच्चों तक पहुंचता हैं सर्व शिक्षा अभियान अपनी मुख्यधारा के सभी कार्यकलापों में बालिकाओं को सहायता प्रदान करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पाठ्यपुस्तकें, वर्दियां, महिला अध्यापकों की नियुक्ति, लड़कियों के लिए अलग शौचालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह बालिकाओं के सशक्तिकरण की पहलकदमियों को सहायता प्रदान करता है जैसे प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) के साथ-साथ देश के शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना के तहत आवासीय स्कूल। पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एनपीईजीईएल और केजीबीवी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यवार संस्वीकृत कुल निधियां दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) में लड़कियों की शिक्षा के लिए अनेक उपायों की परिकल्पना की गई है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ महिला अध्यापकों की नियुक्ति और लड़कियों के लिए अलग शौचालयों का प्रावधान शामिल है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में माध्यमिक शिक्षा जारी रखने के लिए लड़कियों की सुविधा हेतु नवंबर, 2008 में महिला छात्रावास की योजना शुरू की गई थी। वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान महिला छात्रावास स्कीम के तहत संस्वीकृत छात्रावासों और जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निरक्षर वयस्कों को कार्यसाधक साक्षरता प्रदान करने के लिए साक्षर भारत कार्यक्रम शुरू किया गया है। साक्षर भारत कार्यक्रम का उद्देश्य स्त्री-पुरुष के बीच असमानता को कम करते हुए और परिणामस्वरूप महिलाओं को साक्षर बनाने एवं उनकी शिक्षा जारी रखने पर ध्यान केन्द्रित करता है। साक्षर भारत योजना के तहत संस्वीकृत निधियों की स्थिति विवरण-III में संलग्न है।

बालिकाओं की शिक्षा के सभी सूचकों में पर्याप्त सुधार हुआ है यथा नामांकन में स्त्री-पुरुष के बीच अंतर में कमी, बालिकाओं की हिस्सेदारी में तथा साथ ही स्त्री-पुरुष समानता सूचक में वृद्धि तथा बालिकाओं की स्थिति में परिवर्तन की दर का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है।

डीआईएसई		2003-04	2009-10
नामांकन में स्त्री-पुरुष के	प्राथमिक	4.8	3.11
अंतर में कमी	उच्च प्राथमिक	8.8	30.93
नामांकन में बालिकाओं की	प्राथमिक	47.47	48.44
हिस्सेदारी में वृद्धि	उच्च प्राथमिक	45.01	48.04
स्त्री-पुरुष समानता सूचक	प्राथमिक	0.90	0.94
	उच्च प्राथमिक	0.80	0.92
प्राथमिक से उच्च प्राथमिक तक बालिकाओं की परिवर्तन दर		74.15	82.73
स्कूल न जाने वाले बच्चों के संबंध में राष्ट्रीय नमूना अध्ययन		2005	2009
स्कूल न जाने वाली बालिकाओं की प्रतिशतता में कमी		7.9	4.6

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	केजीबीवी				एनपीईजीईएल			
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2535.00	11308.83	20380.11	12021.83	12895.01	9582.69	8520.78	3605.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	73.13	383.03	2081.32	1021.95	90.18	51.43	12.72	12.76
3.	असम	0.00	344.78	1228.73	1063.60	123.66	122.09	61.29	40.57
4.	बिहार	2330.44	12974.40	22434.27	15387.09	7393.03	4806.03	3827.90	3146.78
5.	छत्तीसगढ़	473.44	2034.78	2841.03	2359.05	1740.96	1313.36	720.63	1192.46
6.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	76.27	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	दिल्ली	0.00	0.00	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	127.50	1780.67	3131.98	2755.39	918.57	726.46	3131.98	725.87
9.	हरियाणा	36.56	480.67	380.84	324.12	485.20	484.61	433.55	316.57
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	127.99	158.60	142.60	73.66	71.10	74.91	41.55
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	1527.73	5644.53	4001.35	46.42	997.59	359.36	359.36
12.	झारखंड	390.00	7511.85	7205.35	6712.66	6088.85	4143.93	3933.98	2563.14
13.	कर्नाटक	0.00	958.31	1218.86	2332.00	1159.83	553.09	773.50	587.87
14.	मध्य प्रदेश	975.00	4199.16	8669.78	8162.93	13221.89	12067.03	13634.46	6929.95
15.	महाराष्ट्र	109.69	1543.05	2609.72	2455.92	1334.35	607.21	616.03	456.16
16.	मणिपुर	33.98	37.43	34.32	25.47	24.65	21.36	12.82	5.09
17.	मिजोरम	0.00	19.05	25.47	25.47	41.97	7.20	7.44	7.44
18.	मेघालय	5.94	13.13	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	97.45	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	0.00	3628.37	5140.89	4454.66	6175.88	4378.60	2825.93	3044.27
21.	पंजाब	0.00	15.04	70.03	31.94	5.11	4.80	5.11	5.02
22.	राजस्थान	1689.38	4078.75	6297.81	5985.69	1806.28	12375.60	3933.72	3221.85
23.	तमिलनाडु	706.30	1074.33	1292.72	1189.71	2272.32	1279.99	1185.03	595.93
24.	त्रिपुरा	0.00	35.83	91.35	91.32	32.07	3.64	3.67	4.12
25.	उत्तर प्रदेश	1608.75	13482.19	29090.13	23010.06	23852.30	15354.00	14463.94	13296.00
26.	उत्तराखंड	180.00	582.93	975.08	585.91	350.83	344.14	255.51	252.68
27.	पश्चिम बंगाल	357.94	1039.18	1377.07	1559.80	2416.99	1547.57	1408.54	1360.12
	कुल	11633.05	69181.47	122679.90	95995.14	82550.01	70843.52	60202.78	41771.00

विवरण II

संस्वीकृत बालिका छात्रावासों की संख्या और जारी की गई निधियों के राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	2009-10 में संस्वीकृत छात्रावास	2010-11 में संस्वीकृत छात्रावास	2009-10 और 2010-11 के दौरान जारी की गई कुल निधियां
1.	हिमाचल प्रदेश	5	0	0.96
5.	मध्य प्रदेश	30	0	5.74
3.	राजस्थान	27	159	50.97
4.	पंजाब	21	0	8.03
5.	मिजोरम	1	0	0.19
6.	छत्तीसगढ़	74	0	14.14
7.	अरूणाचल प्रदेश	5	0	0.96
8.	कर्नाटक	62	0	10.56
9.	तमिलनाडु	44	0	8.42
10.	जम्मू और कश्मीर	18	0	3.44
11.	बिहार	92	0	17.59
12.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
13.	गुजरात	0	0	0
14.	उड़ीसा	0	0	0
15.	नागालैंड	0	0	0
16.	उत्तर प्रदेश	0	0	0
17.	महाराष्ट्र	0	0	0
18.	झारखंड	0	0	0
19.	उत्तराखंड	0	0	0
	कुल	379	159	121.00

विवरण III

साक्षर भारत योजना के तहत संस्वीकृत निधियां

(रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11
1.	आंध्र प्रदेश	689954848	55167274
2.	अरूणाचल प्रदेश	40367883	48703479
3.	असम	144758782	85808476
4.	बिहार	44940282	851893439
5.	छत्तीसगढ़	190278401	145361190
6.	गुजरात	239910671	
7.	हरियाणा	12011239	72755867
8.	झारखंड	54667320	257608995
9.	कर्नाटक	184441275	36982862
10.	मणिपुर	26224890	
11.	उड़ीसा	34988640	
12.	महाराष्ट्र	178226529	47954315
13.	राजस्थान	441059406	
14.	सिक्किम	6263066	
15.	तमिलनाडु	93632124	54154612
16.	त्रिपुरा	8268235	
17.	उत्तर प्रदेश	648836474	
18.	उत्तराखंड	79411275	19092762
19.	पश्चिम बंगाल	141568826	
20.	दादरा और नगर हवेली		1795424
21.	हिमाचल प्रदेश		14634185
22.	जम्मू और कश्मीर		165933626
23.	मेघालय		36202317
24.	नागालैंड		19626221
25.	मध्य प्रदेश		207001450
26.	पंजाब		156133369
	सकल योग	3259810166	2276809863

[हिन्दी]

राज्यों को योजना निधि का आबंटन

2263. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित निधियां समय पर प्राप्त हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण मध्य प्रदेश में कितनी केन्द्रीय परियोजनाएं लंबित हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सहायता सीधे परियोजना विकास अधिकारी को प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) योजना आयोग राज्यों के साथ विचार विमर्श के उपरांत राज्य वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन करता है। राज्य सरकारें संबंधित मंत्रालयों अथवा बजट आवंटन, विभिन्न योजना स्कीमों के लिए दिशा निर्देशों, तथा पूर्व में जारी की गई निधियों की उपयोगिता के आधार पर वित्त मंत्रालय से केन्द्रीय निधियां प्राप्त करती है। कुछ केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा राज्यों की संचित निधियों के माध्यम से बगैर राज्यों की कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे निधियां जारी की जाती हैं।

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजनाओं में निवेश वर्ष 2008-09 में 1098.85 करोड़ रुपये तथा 2009-10 में 8417.22 करोड़ रुपये था। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश की सभी योजना स्कीमों के लिए वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 (4 मार्च 2011 तक) में क्रमशः 14741.78 करोड़ रुपये तथा 15149.81 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालय खोला जाना

2264. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चल रहे 593 नवोदय विद्यालयों में एक भी तमिलनाडु में स्थित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में नवोदय विद्यालय खोलने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ कोई विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य में कोई जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक नवोदय विद्यालय योजना को स्वीकार नहीं किया है।

(ग) और (घ) नवोदय विद्यालय योजना को स्वीकार करने के लिए इस मंत्रालय तथा नवोदय विद्यालय समिति ने तमिलनाडु राज्य सरकार को अनेक बार अनुरोध किया है, इस संबंध में अंततम पत्र अगस्त, 2010 में भेजा गया था।

शिक्षा पर व्यय

2265. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत तथा अन्य देशों में सकल घरेलू उत्पाद में शिक्षा का योगदान पृथक-पृथक कितना है;

(ख) भारत तथा अन्य देशों में शिक्षा पर व्यय के पृथक-पृथक तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2008-09 के दौरान भारत में सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में शिक्षा पर किया गया व्यय 3.78% (अनन्तिम) था। अन्य देशों से संबंधित इस प्रकार के आंकड़े इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं। हालांकि, यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान द्वारा प्रकाशित "ग्लोबल एजुकेशन डायजेस्ट 2010" में दिए गए आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में

शिक्षा का योगदान वर्ष 2008 के दौरान कुछ अन्य देशों में मिस्र (3.8%), अजरबैजान (1.9%), जार्जिया (2.9%), ताजिकिस्तान (3.5%), चीन का हांगकांग एस.ए.आर. (3.3%), थाईलैंड (409%), पेरू (2.7%), जमैका (6.2%), पाकिस्तान (2.9%), बंगलादेश (2.4%), इथियोपिया (5.5%), तनजानिया संयुक्त गणराज्य (6.8%) तथा जाम्बिया (1.4%) था।

(ख) वर्ष 2008-09 के दौरान भारत में शिक्षा पर 186498.57 करोड़ रु. की राशि (बजट अनुमान) थी। हालांकि, अन्य देशों हेतु शिक्षा पर किए गए व्यय का ब्यौरा इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ग) XI वीं योजना के दौरान, शिक्षा क्षेत्र में निधियों को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय योजनागत आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है। शिक्षा हेतु केन्द्रीय योजनागत परिव्यय में की गई यह पर्याप्त वृद्धि शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% के खर्च के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च में वृद्धि करने की दिशा में केन्द्र सरकार के अति महत्वपूर्ण प्रयास को दर्शाता है। हालांकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में समग्र प्रगति, राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों पर भी निर्भर करेगी।

विश्वविद्यालयों/संस्थानों की रेटिंग

2266. श्रीमती जे. शांता: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों/संस्थानों को अपनी रेटिंग के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने के लिए अपनाई गई प्रत्यायन प्रणाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अपने प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रणाली को जोर-शोर से लागू क्यों नहीं किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (एन.ए.ए.सी.) का मुख्य अधिदेश जैसाकि इसके संगम ज्ञापन में अभिकल्पित है, उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों या उनकी एक या एक से अधिक इकाईयों अर्थात विभागों, स्कूलों, संस्थाओं, कार्यक्रमों इत्यादि का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करना है। तथापि, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा किया जाने वाला प्रत्यायन, जो वर्तमान में स्वैच्छिक है, शिक्षण एवं अध्ययन प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है जिससे न केवल विद्यार्थियों अपितु अन्य स्टेकहोल्डरों को भी लाभ पहुंचता है। उदाहरण के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी 'उत्कृष्टता की संभावना' स्कीम के अंतर्गत विचार करने हेतु कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिए प्रत्यायन को बतौर एक पूर्व अपेक्षित शर्त निर्धारित किया है। सरकार ने अभी हाल ही में उच्चतर शिक्षा संस्था विधेयक, 2010 जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के अनिवार्य प्रत्यायन की व्यवस्था की गई है, के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण पुर: स्थापित किया है।

आई.ए.एस., आई.पी.एस. तथा आई.एफ.एस. के रिक्त पद

2267. श्री प्रह्लाद जोशी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) क्या सरकार का वर्तमान जनसंख्या के अनुपात में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) दिनांक 1.1.2009, 1.1.2010 और 1.1.2011 की स्थिति के अनुसार कुल प्राधिकृत पद संख्या, पदासीन अधिकारियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा में अन्तराल के ब्यौरे संलग्न विवरण पर हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय प्रशासनिक सेवा					भारतीय पुलिस सेवा			भारतीय वन सेवा	
की स्थिति के अनुसार	कुल प्राधिकृत पद संख्या	पदासीन पद संख्या	अन्तराल पदासीन	कुल प्राधिकृत पद संख्या	पदासीन	अन्तराल	अन्तराल	कुल प्राधिकृत पद संख्या	अन्तराल
01.01.2009	5671	4572	1099	3889	3332	557	2875	2670	205
01.01.2010	5689	4534	1155	4013	3383	630	3034	2648	386
01.01.2011	*	*	*	4720	3393	1327	*	*	*

टिप्पणी 1-* अभी संकलित किया जाना है।
2-कुल प्राधिकृत पद संख्या।

[हिन्दी]

यौन शिक्षा को बढ़ावा

2268. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्यालयों में यौन शिक्षा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने इस मामले पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों और अन्य स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने के पश्चात, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम नामक एक शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम देश में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और कई राज्य तथा संघ-शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम किशोरावस्था के सरोकारों और एच.आई.वी./एड्स और मादक पदार्थों के सेवन करने के खतरों से छात्रों को अवगत कराने तथा आवश्यक जीवन कौशलों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करने, पर ध्यान केन्द्रित करता है ताकि उनको जोखिम भरी परिस्थितियों से बचाया जा सके, सूचना आधारित निर्णय लिया जा सके और स्वस्थ तथा जिम्मेदार व्यवहार विकसित किया जा सके।

[अनुवाद]

डाकघरों में सामाजिक सुरक्षा सेवाएं

2269. श्री ए. सम्पत: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) क्या सरकार ने सामाजिक सुरक्षा सेवाओं/योजनाओं की मजदूरी का भुगतान डाकघर बचत बैंक खाता से करने के लिए किन्हीं राज्य सरकारों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष डाक विभाग द्वारा अर्जित कुल राजस्व निम्नानुसार है:

वर्ष	राजस्व
2007-08	5761.22
2008-09	6163.15
2009-10	6705.64

(ख) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय और डाक विभाग ने संयुक्त रूप से मॉडल समझौता ज्ञापन विकसित किया है जिस पर "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एम.जी.एन. आर.ई.जी.एस.)" के तहत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान डाकघरों में बचत बैंक खातों के माध्यम से करने हेतु डाक सर्किलों एवं राज्य सरकारों के बीच हस्ताक्षर किए जाने हैं।

(ग) तदनुसार, सभी डाक सर्किलों को संबंधित राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली, जम्मू व कश्मीर एवं तमिलनाडु को छोड़कर अधिकांश राज्य सरकारों ने डाक सर्किलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

प्रौद्योगिकी आधारित अध्ययन कार्यक्रम

2270. श्री पी. बलराम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना विद्यालयों में विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य के ग्रामीण तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी आधारित अध्ययन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अन्य देशों के साथ कोई साझेदारी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित, जारी तथा उपयोग की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) "स्कूलों में सूचना संचार प्रौद्योगिकी" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत प्रौद्योगिकी आधारित अध्ययन के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह इस योजना के तहत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े प्रत्येक ब्लॉक में स्थित कम से कम दो स्कूलों को शामिल करे।

इस योजना के तहत आन्ध्र प्रदेश राज्य में 11031 स्कूलों को शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अवसंरचना में निवेश

2271. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान अवसंरचना विकास के लिए निवेश हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में पिछड़ सकती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में योजना अवधि के दौरान दस प्रमुख भौतिक अवसंरचना क्षेत्रकों (एन.सी.ई. सहित विद्युत, सड़कें एवं पुल, दूरसंचार, एम.आर.टी.एस. सहित रेलवे, जलसंभर सहित सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, अन्तर्देशीय जल-मार्गों सहित पत्तन, हवाई पत्तन, भंडारण और तेल एवं गैस पाइप लाइनें) में 20,56,150 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान लगाया गया था। योजना आयोग ने योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के भाग के रूप में अनुमान लगाया है कि योजना अवधि के दौरान अवसंरचना में निवेश 20,54,205 करोड़ रुपये होगा, जो प्रारंभिक लक्ष्य के लगभग बराबर है। सरकार ने अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी.सी.आई.)

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 6 जुलाई, 2009 को अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी.सी.आई.) का गठन किया गया था। सी.सी.आई. अवसंरचना क्षेत्रकों में नीतियों और परियोजनाओं का अनुमोदन व उनकी समीक्षा करती है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पी.पी.पी.ए.सी.)

पी.पी.पी. परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधी प्रक्रियाओं को सहज व सरल बनाने की दृष्टि से, एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पी.पी.पी.ए.सी.) का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष सचिव, आर्थिक कार्य विभाग हैं और योजना आयोग, व्यय विभाग, विधि विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभाग के सचिव इसके सदस्य हैं।

अधिकार प्राप्त समिति/संस्था (ई.सी./ई.आई.)

पी.पी.पी. के माध्यम से शुरू की गई अवसंरचना परियोजनाओं की लागत से 20 प्रतिशत तक वी.जी.एफ. अनुदान प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन व इनके अनुमोदन के लिए एक अंतर मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति सहित एक संस्थागत ढांचे की स्थापना की गई है।

व्यवहार्यता अंतराल निधि (वी.जी.एफ.)

यह मानते हुए कि अवसंरचना परियोजनाओं द्वारा व्युत्पन्न किए गए अप्रत्याशित प्रभाव हमेशा परियोजना प्रवर्तकों द्वारा अभिग्रहीत नहीं किए जा सकते, प्रतिस्पर्धी विधि से बोली लगाई जाने वाली अवसंरचना परियोजनाओं, जो आर्थिक प्रतिलाभों द्वारा समर्थित हैं, परंतु वित्तीय प्रतिलाभों के मानक स्तर पर खरी नहीं उतरतीं, की वित्तीय क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ष 2006 में एक व्यवहार्यता अंतराल निधि (वी.जी.एफ.) स्कीम अधिसूचित की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत, किसी भी केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार, सांविधिक निकाय अथवा स्थानीय निकाय द्वारा शुरू की गई पी.पी.पी. परियोजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा पूंजी लागतों के 20 प्रतिशत तक सहायता अनुदान उपलब्ध कराई जाती है, अत: निजी पूंजी के वृहद पूल तक पहुंच के लिए बजटीय संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। प्रायोजक मंत्रालय, राज्य सरकार अथवा परियोजना प्राधिकरण द्वारा परियोजना लागतों के 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है।

भारतीय अवसंरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (आई.आई.एफ.सी.एल.)

अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए दीर्घावधिक ऋण उपलब्ध कराने हेतु भारतीय अवसंरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (आई.आई.एफ.सी.एल.) की स्थापना एक गैर बैंकिंग कम्पनी के रूप में की गई थी। इसमें लम्बी परिपक्वना अवधियां शामिल हैं। आई.आई.एफ.सी.एल. परियोजना कम्पनियों को सीधे उधार देकर और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के पुन: वित्त पोषण, दोनों के माध्यम से परियोजना लागतों के 20 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। आई.आई.एफ.सी.एल. द्वारा दिए गए उधार का आधा गौण ऋण के रूप में भी हो सकता है, जो अक्सर अर्ध-इक्विटी के रूप में कार्य करता है।

माडल दस्तावेज

मानकीकृत मार्गदर्शी दिशा-निर्देश और मॉडल दस्तावेज, जिनमें पी.पी.पी. परियोजनाओं संबंधी बोली प्रक्रिया से संबंधित मुख्य सिद्धांत और बेहतर पद्धतियां शामिल हैं, भी तैयार किए गए हैं।

वित्त मंत्रालय द्वारा सभी पी.पी.पी. परियोजनाओं पर लागू करने के लिए बोली लगाने वालों की पूर्व-अर्हता हेतु मॉडल रिक्वेस्ट फार क्वालिफिकेशन (आर.एफ.क्यू.) दस्तावेज सहित मार्गदर्शी निर्देश जारी किए गए हैं।

पाकिस्तान द्वारा वीजा

2272. **डा. संजीव गणेश नाईक:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-पाक मालगाड़ी सेवा के लिए भारतीय रेलगाड़ी ड्राइवरों को वीजा देने से मना किए जाने के मामले को इस्लामाबाद के साथ उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस कदम से माल से भरी रेलगाड़ियां सीमा पर अटक गई हैं तथा यह आयातकों के भयग्रस्त होने के कारण बन गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली भारतीय मालगाड़ी के चालक दल को वीजा जारी करने में कुछ विलंब हुआ था। 23.12.2010 से 19.12.2010 की अवधि के दौरान भारतीय मालगाड़ियों के चालक दलों को वीजा नहीं दिए जाने के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मालगाड़ी नहीं चल सकी। इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया और संतोषजनक तरीके से इसका समाधान कर लिया गया। 30.12.2010 से मालगाड़ी की आवाजाही बहाल हो गयी है।

[हिन्दी]

आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

2273. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालयों, विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्तियों के संबंध में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन कारगर ढंग से नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक विधान लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को इस संबंध में माननीय संसद सदस्यों से अनुरोध/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार भारत सरकार के अंतर्गत सेवाओं में आरक्षण की नीति का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनूसचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अन्य रिक्तियों के साथ भरा जा रहा है। तथापि, केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए समय-समय पर विशेष भर्ती अभियान चलाती आ रही है।

(घ) से (छ) सेवाओं में आरक्षण पर कानून बनाने के लिए अभ्यावेदन, जिसमें संसद सदस्यों से प्राप्त प्रत्यावेदन भी शामिल हैं, प्राप्त हुए हैं। सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है।

सी.बी.आई. को सौंपे गए मामले

2274. श्री गणेश सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. द्वारा प्रस्तुत मामलों में दोषसिद्धि के उदाहरण कम हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्यों तथा न्यायालयों द्वारा सी.बी.आई. को संदर्भित किए गए मामलों, लंबित मामलों तथा अभियुक्तों के रिहा होने वाले मामलों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों के ट्रायल के अधीन मामलों की दोषसिद्धि दर 2009 में 64.4 प्रतिशत से बढ़कर 2010 में 70.8 प्रतिशत हो गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2008, 2009, 2010 (31.01.2011 तक) के दौरान राज्य सरकारों द्वारा 114 मामले और संवैधानिक न्यायालयों द्वारा 256 मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजे गए। वर्षवार ब्यौरा निम्नवत हैं :-

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा भेजे गए मामले	संवैधानिक न्यायालयों द्वारा भेजे गए मामले
2008	42	89
2009	36	57
2010	33	97
2011 (31.01.2011 तक)	03	13
कुल	114	256

दिनांक 31.01.2011 की स्थिति के अनुसार, इन 370 मामलों में से 117 मामले अन्वेषण के विभिन्न चरणों में हैं।

उपर्युक्त अवधि के दौरान, उपरोल्लिखित मामलों में न्यायालय ने 04 आरोपित व्यक्तियों को छोड़ दिया है।

[अनुवाद]

गरीबी के अनुमान

2275. श्रीमती अन्नू टन्डन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले (बी.पी.एल.) लोगों की संख्या के सही आकलन के लिए एक नई समिति का गठन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का गरीबी के अनुमानों के बारे में सुरेश तेंदुलकर समिति, अर्जुन सेनगुप्ता समिति तथा योजना आयोग के अनुमानों तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एन.एस.एस.) से उपलब्ध आंकड़ों में असंगतियों का समाधान किस प्रकार करने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, नहीं। वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) योजना आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या और अनुपात का अनुमान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा लगभग पांच वर्षों के अंतराल पर कराए गए परिवार उपभोग व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण से प्राप्त प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (एम.पी.सी.ई.) के आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग लगाता है। योजना आयोग द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए लगाए गए गरीबी संबंधी नवीनतम अनुमानों के अनुसार, देश में गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) रहने वाले लोगों का प्रतिशत 27.5% है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 28.3% तथा शहरी क्षेत्रों के 27.5% लोग हैं। एन.एस.एस.ओ. अलग से कोई गरीबी अनुमान प्रकाशित नहीं करता है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) मंत्रालय द्वारा वर्ष 2004 में श्री अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में गठित असंगठित क्षेत्र में उद्यम हेतु राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.ई.यू.एस.) ने वर्ष 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 77% आबादी की प्रति व्यक्ति दैनिक उपभोग वर्ष 2004-05 में 20 रुपये तक थी तथा आबादी के इस वर्ग को गरीब व असुरक्षित कहा गया। समिति ने 20 रुपये प्रतिदिन कट-आफ राशि के प्रयोग का कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया था। तथापि, वर्ष 2004-05 के परिवार उपभोग व्यय (एन.एस.एस. का 61वां दौर-2004-05) संबंधी आंकड़ों की गणना के आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण 2008-09 में कहा गया कि 20 रुपये प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय से कम वाली आबादी मात्र 60.5% थी। किसी भी परिस्थिति में, अर्जुन सेनगुप्ता समिति के निष्कर्ष सरकारी गरीबी रेखाओं पर आधारित नहीं थे।

गरीबी अनुमान हेतु योजना आयोग द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली की समीक्षा प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई थी जिसने दिसम्बर 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। तेंदुलकर समिति का यह निष्कर्ष था कि जब कि सरकारी तरीके से तैयार की गई शहरी गरीबी अनुपात आमतौर पर कम विवादास्पद मानी गई, ग्रामीण गरीबी अनुपात अत्यधिक कम होने के कारण इसकी आलोचना की गई। समिति ने भावी गरीबी रेखाओं के अनुमान हेतु आधार के रूप में मिश्रित संदर्भ अवधि (एम.आर.पी.) आधारित परिवार उपभोग व्यय को तथा शहरी गरीबी रेखा बजट बास्केट के एम.आर.पी. समतुल्य के तदनुरुप परम्परागत शहरी प्रति व्यक्ति अनुपात (25.7%) के नए संदर्भ पी.एल.बी. के रूप में अपनाने की सिफारिश की थी। वर्ष 2004-05 के लिए अखिल भारत ग्रामीण गरीबी प्रति व्यक्ति अनुपात का परिणामी अनुपात 41.8 प्रतिशत, शहरी गरीबी प्रति व्यक्ति अनुपात 25.7 प्रतिशत तथा अखिल भारत गरीबी अनुपात 37.2 प्रतिशत रखा गया था। वर्तमान में योजना आयोग द्वारा इन अनुपातों को स्वीकार कर लिया गया है।

फ्रांस के साथ समझौते

2276. डॉ. रत्ना डे: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और फ्रांस के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए समझौतों/समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या दोनों देशों के बीच किसी प्रत्यर्पण संधि पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) हाल के वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग हेतु भारत और

फ्रांस के बीच हस्ताक्षरित करारों/समझौता ज्ञापनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि पर 24.01.2003 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह करार 01.08.2005 को लागू किया गया था। यह करार जिसमें प्रत्यर्पण का प्रावधान है, आतंकवाद का मुकाबला करने तथा न्याय और अपराध के मामलों में पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करने में द्विपक्षीय सहयोग में महत्वपूर्ण कदम हैं। यह अन्य कान्सुलर मामलों में भी सहयोग करता है।

विवरण

4-7 दिसम्बर 2010, को फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित करार

1. भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच फिल्म सहनिर्माण पर करार।
2. भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के विकास पर बौद्धिक सम्पदा अधिकारों संबंधी करार।
3. भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग संबंधी तकनीकी आंकड़ों तथा सूचना की विश्वसनीयता के संरक्षण के बारे में करार।
4. परमाणु ऊर्जा की शांतिपूर्ण उपयोग हेतु परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई तथा कमीशरियेट ए ले एनर्जिक अटामिक एट अक्स एनर्जिस अलटर्नेटिव्स के बीच सहयोग करार
5. जैतापुर स्थल, महाराष्ट्र में ईपीआरएनपीपी एककों के कार्यान्वयन हेतु एनपीसीआईएल तथा अरेवा के बीच सामान्य कार्यरचना करार
6. जैतापुर स्थल, महराष्ट्र में ईपीआरएनपीपी एककों के कार्यान्वयन हेतु एनपीसीआईएल तथा अरेवा के बीच प्रारंभिक कार्य करार
7. भू प्रणाली विज्ञान तथा जलवायु में सहयोग हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा सेन्टर नेशनल डी एटयूडस स्पाटियलास के बीच समझौता ज्ञापन।

25-26 जनवरी 2008, को फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित करार

1. रक्षा के क्षेत्र में वर्गीकृत सूचना के पारस्परिक संरक्षण पर भारत और फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच करार
2. सजायाफ्ता कैदियों के स्थानान्तरण पर भारत सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच करार
3. ज्युलस होरोविटज जेएच रिएक्टर के निर्माण और परिचालन के लिए कमीशरियेट एले एनर्जिक एटामिक, फ्रांस तथा डीएई भारत के बीच करार
4. एएफडी के जरिए भारत फ्रांस, विकास सहयोग पर भारत सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच करार
5. तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएटेड प्रयोगशाला पर आईएनएसईआरएम तथा पेरिस विश्वविद्यालय VII तथा राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र एनबीआरसी के बीच समझौता ज्ञापन

30 सितम्बर 2008 को प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित करार

1. परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर भारत गणराज्य की सरकार तथा फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच कार्य रचना करार।
2. सामाजिक सुरक्षा पर भारत सरकार तथा फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच करार। सरकारी स्तर पर पेरिस में 30.6.2010 को प्रशासनिक व्यवस्था करार एएए पर हस्ताक्षर किए गए थे।
3. बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर भारत सरकार तथा फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच करार
4. पीएसएलवी द्वारा जांच सेवाओं के लिए एसट्रियम एसएएम फ्रांस तथा अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड भारत के बीच दीर्घकालिक करार

कुछ अन्य द्विपक्षीय करार/समझौता ज्ञापन

1. फिक्की और सेन्टर इन्टर प्रोफेशनल डी मेडिटेशन एट डी आरबिटरेज सीआइएमए के बीच करार पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् 2008 में लियोन फ्रांस में एक मध्यस्थता केन्द्र स्थापित किया गया था।

2. द फेडरेशन फ्रांसरेज डी ला कोटोरे डयू प्रेट पर पार्टर डेस कोटरिसर्य एट डेस क्रिएचर्स डी मोड तथा भारतीय वस्त्र उद्योग कानफेडरेशन एवं भारतीय परिधान निर्यात प्रोत्साहन परिषद् के बीच फरवरी 2010 में वस्त्र संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

3. भारत के नागर विमानन महानिदेशालय तथा ब्यूश डी "इनक्वाइटस एट डी" "एनलाइसेस के बीच वायुयान दुर्घटना तथा दुर्घटना की जांच संबंधी सहयोग के बारे में फरवरी 2010 में" समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

4. भारत के डीजीसीए तथा फ्रांस के डीजीसीए के बीच तकनीकी सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर फरवरी 2010 में हस्ताक्षर किए गए।

5. फ्रांस के डीजीसीए तथा तथा भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के बीच तकनीकि सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर फरवरी 2010 में हस्ताक्षर किए गए।

6. निवेश के क्षेत्रों में सहयोग हेतु समझौते पर यूबी फ्रांस, इन्वेस्ट इंडिया तथा एएफडी के बीच दिसम्बर 2010 में हस्ताक्षर किए गए।

7. भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा कृषि, मत्स्य पालन तथा सागर मंत्रालय के बीच खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में सहयोग में वृद्धि करने हेतु आश्य पत्र पर दिसम्बर 2010 में हस्ताक्षर किए गए।

[हिन्दी]

वाराणसी विमानपत्तन पर अपर्याप्त सुविधाएं

2277. श्री रामकिशुन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाराणसी विमानपत्तन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा दिए जाने के बाद भी विमान यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं नहीं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यात्रियों को आवश्यक सुरक्षा जांच के बाद नई धावनपट्टी की ओर पैदल जाना पड़ता है।;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) वाराणसी हवाईअड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा घोषित नहीं किया गया है। तथापि, वाराणसी हवाईअड्डे पर इनक्लाइंड कैरोसेल, आगमन बैगेज कनवेयर, इनलाइन एक्सरे बैगेज स्क्रीनिंग प्रणाली, एयरो ब्रिज आदि जैसी विश्वस्तरीय यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मोबाइल पोर्टेबिलिटी

2278. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री एंटो एंटोनी:
श्री जोस के. मणि
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री विश्व मोहन कुमार:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के अंतर्गत आपरेटर में परिवर्तन के लिए मोबाइल उपभोक्ताओं से फरवरी 2011 तक राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) एमएनपी शुरू किए जाने के पश्चात् अभी तक कितने मोबाइल उपभोक्ताओं ने दूसरे आपरेटर को चुना है;

(ग) क्या एमएनपी से आपरेटरों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या कुछ सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं को सुविधा लेने से रोक रहे हैं अथवा इसकी प्रक्रिया में विलम्ब कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) एमएनपी सेवा की शुरुआत से 28 फरवरी

2011 तक, एमएनपी सेवा प्रदाताओं को पोर्टिंग के कुल 38,33,038 अनुरोध प्राप्त हुए। राज्य-वार/सेवा क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) एमएनपी सेवा का उपयोग करते हुए अब तक कुल 29,78,518 उपभोक्ताओं ने अपने मोबाइल नंबर पोर्ट किए हैं।

(ग) और (घ) एमएनपी उपभोक्ताओं को एक अभिगम सेवा प्रदाता से दूसरे अभिगम सेवा प्रदाता की सेवा में जाने पर अपना मौजूदा मोबाइल टेलीफोन नंबर कायम रखने की अनुमति देती है चाहे मोबाइल प्रौद्योगिकी कोई भी हो अथवा उसी अथवा किसी अन्य अभिगम सेवा प्रदाता की एक प्रौद्योगिकी से दूसरी प्रौद्योगिकी हो। इस तरह, आशा की जाती है कि यह स्पर्धा बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी। बाजार की शक्तियां एमएनपी के कारण बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा का स्तर तय करेंगी।

(ङ) और (च) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और उपभोक्ताओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार नंबरों की पोर्टिंग में कुछ समस्याएं देखने में आई हैं। सामान्यत: पोर्टिंग के संबंध में सूचित की गई समस्याएं निम्नानुसार हैं :

(i) दाता द्वार पोर्ट आऊट संबंधी अनुरोध को अस्वीकार करना जिसका कारण एक्टिवेशन को 90 दिन से कम अवधि का बताया जा रहा है जबकि उक्त नंबर 90 दिनों से अधिक अवधि से चालू रहा है।

(ii) पोर्ट आऊट किए गए नंबर का कनेक्शन नहीं काटना और सफलतापूर्वक पोर्ट आऊट किए गए नंबरों के मामले में दाता द्वारा नंबर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस को अद्यतन न करना।

(iii) संविदागत दायित्वों के अंतर्गत दाता द्वारा पोर्ट आऊट संबंधी अनुरोध को अस्वीकार करना।

(iv) यूनिक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) का सृजन करने की प्रणाली की विफलता के कारण यूपीसी का विलम्ब से सृजन करना/सृजन नहीं करना।

दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन और अनुश्रवण (टर्म) प्रकोष्ठों द्वारा उक्त मामले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं/उपभोक्ताओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उक्त मुद्दे के समाधान हेतु बैठक करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय दूरसंचार विनियामक, प्राधिकरण ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से "यथासंशोधित दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009" के विभिन्न उपबंधों के अनुपालन की रिपोर्ट भी मांगी है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र	एमएनपी सेवा प्रदाताओं को प्रस्तुत पोर्टिंग के लिए कुल आवेदन
1.	दिल्ली	1,73,437
2.	गुजरात	3,64,849
3.	हिमाचल प्रदेश	20,242
4.	हरियाणा	3,19,850
5.	जम्मू और कश्मीर	1,291
6.	महाराष्ट्र (गोवा सहित, मुंबई छोड़कर)	2,62,110
7.	मुंबई	1,36,067
8.	पंजाब	1,94,167
9.	राजस्थान	3,13,725
10.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1,77,368
11.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (उत्तराखंड सहित)	2,27,752
12.	आंध्र प्रदेश	2,29,034
13.	असम	8,308
14.	बिहार (झारखंड सहित)	83,030
15.	कर्नाटक	3,18,092
16.	केरल	1,23,812
17.	कोलकाता	96,382
18.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	235,039
19.	पूर्वोत्तर (मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा सहित)	1,863
20.	उड़ीसा	56,989
21.	तमिलनाडु	2,76,950
22.	पश्चिम बंगाल (अंडमान और निकोबार सहित, कोलकाता को छोड़कर)	2,12,681

[अनुवाद]

आरटीडी अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन

2279. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री पन्ना लाल पुनिया:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों की प्रकृति क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) 6-14 आयु वर्ग में अनुमानित रूप से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों में नामांकन करवाया जाना है;

(घ) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित रूप से कितने अध्यापकों/प्राचार्यों तथा कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ङ) योजना के अंतर्गत निधियों का विपथन नहीं किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) राज्य सरकारा संघ राज्य क्षेत्रों से नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें इसके कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त संसाधनों के लिए अनुरोध और आरटीई अधिनियम आदि के कुछ प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण शामिल हैं। सरकार ने संयुक्त आरटीई-सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के लिए 2,31,233 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया है तथा केन्द्र और राज्यों के बीच 65:35 के अनुपात में (उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90:10) निधियों की हिस्सेदारी करने की पद्धति को संशोधित किया है। सरकार ने आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं जिनमें ये शामिल हैं : स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रियाविधि, आरटीई अधिनियम की धारा 23(2) के तहत अध्यापक की अर्हताओं में छूट हेतु अनुरोध और आरटीई अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मापदंडों और मानकों के अनुसार स्कूल में शिष्य-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखना।

(ग) सामाजिक और ग्रामीण अनुसंधान संस्थान एसआरआई जो अंतर्राष्ट्रीय विपणन अनुसंधान ब्यूरो (आईएमआरबी) की इकाई है, के माध्यम से 2009 में कराए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के 81.5 लाख बच्चे स्कूल के बाहर हैं।

(घ) आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए 5.08 लाख अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें 2.44 लाख मुख्य अध्यापक शामिल हैं।

(ङ) सर्व शिक्षा अभियान के लिए कठोर मानीटरिंग प्रणाली मौजूद हैं जिसमें सांविधिक एवं वार्षिक वित्तीय लेखापरीक्षा तथा समवर्ती वित्तीय पुनरीक्षा, कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में स्वतंत्र पुनरीक्षा मिशन, सामाजिक विज्ञान की विख्यात संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों के माध्यम से फील्ड स्तर की मानीटरिंग, राज्यों द्वारा मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करना और आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित करना शामिल है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालयों को निधियां अंतरित करने की इलैट्रोनिक प्रणाली भी विद्यमान है।

आपात लैंडिंग

2280. श्री एंटो एंटोनी:
श्री एस. सेम्मलई:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान निजी विमान कंपनियों तथा एयर इंडिया के विमानों की आपात लैंडिंग/रफ लैंडिंग किए जाने के अनेक उदाहरण हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सभी घटनाओं की कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) वर्ष 2010 के दौरान एअर इंडिया, किंगफिशर तथा जेट एयरवेज विमान की एक-एक घटनाएं आपातकालीन लैंडिंग के कारण हुई, स्पाइस जेट विमान की दो आपातकालीन लैंडिंग की घटना हुई तथा जेटलाइन एवं गो एयर विमान की चार घटनाएं आपातकालीन लैंडिंग की हुईं। इसी अवधि के दौरान स्पाइस जेट विमान की पांच रफ लैंडिंग की घटना की रिपोर्ट मिली थी।

(ग) से (ङ) आपातकालीन लैंडिंग तथा रफ लैंडिग समेत सभी घटनाओं की जांच वायुयान नियम, 1937 के प्रावधानों के अनुसार की जा रही है। सभी 5 रफ लैंडिंग घटनाओं की जांच पूरी कर ली गई है, आपातकालीन लैंडिंग की 13 घटनाओं में से 10 घटनाओं की जांच पूरी कर ली गई है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को कम करने के लिए इन जांचों के संबंध में की जाने वाली सुरक्षा सिफारिशों का अनुपालन भी किया जाता है।

नवी मुंबई विमानपत्तन

2281. श्री बलीराम जाधवः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवी मुंबई-विमानपत्तन को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नवी मुंबई विमानपत्तन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस विमानपत्तन के कब तक शुरू होने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलमेंट कॉरपोरेशन को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा परियोजना के लिए पर्यावरण तथा तटीय क्षेत्र विनियम (सीआरजेड) अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 22 नवम्बर, 2010 को सामान्य शर्तों सहित निर्माण एवं प्रचालन के लिए (60) साठ से अधिक शर्तें तैयार की गई हैं। हवाईअड्डे के विकास के लिए सिडकों को परामर्शक सेवाओं के लिए लगाया गया है और परियोजना के पूरा करने की समय-सीमा 2015 निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

आगरा से मुंबई और लखनऊ के बीच विमान सेवा

2282. प्रो. राम शंकरः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आगरा से मुंबई और लखनऊ के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी निजी एयरलाइन का इसी प्रकार की सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) देश के विभिन्न क्षेत्रों में विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन की दृष्टि से सरकार द्वारा मार्ग संवितरण संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। यह, बहरहाल, एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर मार्ग संवितरण संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराए।

[अनुवाद]

बंद पड़े विमानपत्तनों को शुरू करने का कार्यक्रम

2283. श्री अब्दुल रहमानः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश में बंद पड़े विमानपत्तनों को शुरू करने का कोई कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त कार्यक्रम में शामिल और अब तक शुरू किए गए विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) चल रही परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और प्रत्येक मामले में विलम्ब, यदि कोई है, के क्या कारण हैं; और

(घ) इस काम को शीघ्र पूरा करने के लिए विमानपत्तन-वार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं तथा उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स राइट्स को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 33 निष्क्रिय (गैर प्रचालनिक) छोटे हवाईअड्डों के विकास/प्रचालनीकरण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था। प्राधिकरण के इन छोटे हवाईअड्डों में से 13 के विकास/प्रचालनीकरण के लिए सिफारिश की गई। इन हवाईअड्डों के नाम हैं अकोला, शोलापुर (महाराष्ट्र), वेल्लौर (तमिलनाडु), मैसूर (कर्नाटक), वारंगल, कडप्पा (आंध्र प्रदेश), चकूलिया (झारखंड), मालदा (पश्चिम बंगाल), झारसुगुडा (उड़ीसा), तेजू, पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश), रूपसी (असम), कमालपुर (त्रिपुरा)।

(ग) और (घ) मैसूर हवाईअड्डे को मई, 2010 में ही एटीआर 72 श्रेणी के विमानों के लिए प्रचालनीकृत किया जा चुका है। एटीआर 72 के लिए कडप्पा हवाइअड्डे और तेजू हवाईअड्डे का प्रचालनीकरण क्रमशः सितम्बर, 2010 तथा दिसम्बर, 2012 में पूरा होना निर्धारित है।

पासीघाट हवाईअड्डे के विकास के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पहले ही रक्षा मंत्रालय को भारतीय वायु सेना द्वारा कार्य किए जाने की अनुमति (वर्किंग परमिशन) प्रदान कर चुका है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वारंगल, मालदा, झारसुगुडा, कमालपुर और वेल्लौर हवाईअड्डों के विकास के लिए राज्य सरकारों को मास्टर प्लान के मुताबिक अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता प्रक्षेपित कर दी है।

[हिन्दी]

विदेशी जेलों में बंद भारतीय

2284. डॉ. किरोड़ी लाल मीणाः
श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः
श्री हरीश चौधरीः
श्री एस.एस. रामासुब्बूः
श्रीमती रमा देवीः
श्री एस. पक्कीरप्पाः

क्या **विदेशी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रवासी कामगारों सहित विदेशी जेलों में वर्ष-वार, अपराध-वार, लिंग-वार तथा देश-वार कितने भारतीय बंद हैं;

(ख) जेलों में बंद लोग किन-किन राज्यों से हैं;

(ग) उन्हें शीघ्र रिहा कराने के लिए किए गए उपायों सहित सरकार विदेशी जेलों में बंद भारतीयों को किस प्रकार मदद करेगी; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी जेलों में वर्ष-वार और देश-वार कितने भारतीय नागरिकों को फांसी दी गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत निर्माण योजना

2285. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़ेः
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकरः
श्रीमती जे. शान्ताः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत निर्माण योजना के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) समीक्षा में किस प्रकार की खामियों की ओर इशारा किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में भारत निर्माण योजना को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा किए गए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के मध्यावधि मूल्यांकन में भारत निर्माण स्कीमों की समीक्षा की गई है। भारत निर्माण सड़कों, विद्युत और टेलीफोनों के माध्यम से ग्रामीण भारत को जोड़ने के लिए एक संयुक्त बिजनेस योजना है जो सिंचाई में निवेश के माध्यम से आवास और जलापूर्ति तथा कृषि उत्पादकता और आय में सुधार करके मूलभूत

सेवाओं को सुनिश्चित करती है। एमटीए में भारत निर्माण के तहत क्रियान्वित की जा रही स्कीमों के लक्ष्यों की उपलब्धि में होने वाली कमियों के लिए निम्नलिखित महत्पूर्ण मुद्दों का खुलासा किया गया है।

1. **ग्रामीण सड़कें** : राज्यों में ठेकेदारी क्षमता का अभाव, वन तथा पर्यावरण निकासियों में विलम्ब, कानून और व्यवस्था समस्याओं की व्याप्तता और निजी भूमि की अनुपलब्धता।

2. **ग्रामीण विद्युतीकरण** : राज्यों में पर्याप्त सब-ट्रांसमिशन सिस्टम की अनुपलब्धता।

3. **सिंचाई** : निर्माण लागत में वृद्धि और परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता।

4. **आवास** : बीपीएल घरों के लिए आवासीय जगहों की अनुपब्धता, कम गुणवत्ता वाले आवास और आवास की अपर्याप्त यूनिट लागत।

5. **पेय जलापूर्ति** : पूरी हुई जलापूर्ति स्कीमों के अनुरक्षण और उन्हें कायम रखने के लिए पंचायती राज संस्थानों की क्षमता का अभाव तथा सामुदायिक जल प्रयोक्ताओं के क्षमता प्रतिबंध।

(घ) भारत निर्माण की विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन के गति में सुधार करने के लिए उठाए गए समाधान कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं-(i) अतिरिक्त बजटीय सहायता आवंटित करना, (ii) संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना, (iii) ठेकेदारी क्षमता में वृद्धि करना, (iv) वन तथा पर्यावरण निकासियां प्राप्त करने के लिए अग्र सक्रिय कार्रवाई, (v) नोडल केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की निरन्तर। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के व्यय के ट्रेंड और पैटर्न की समीक्षा नियमित अंतरालों पर वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। योजना आयोग सभी क्षेत्रकों की छ: माही समीक्षा करता है और निधियों के उपयोग को तेज करने के लिए सुधारात्मक उपायों का सुझाव देता है। इस निगरानी प्रक्रिया से वांछित परिणामों के लिए संसाधनों के प्रभावी और कुशल उपयोग के माध्यम से भारत निर्माण स्कीमों का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित होता है।

[अनुवाद]

एयरलाइनों में प्रथमोपचार किट

2286. श्री आनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने भारत में सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एक परिपत्र जारी करते हुए उनसे उड़ान के दौरान चोटों से निपटने के लिए प्रथमोपचार किट के साथ-साथ विमानों में जीवन रक्षक औषधियों वाली मेडिकल किट लेकर चलने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी विमान कंपनियां परिपत्र में अंतर्विष्ट उपबंधों का पालन कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विमान कंपनी-वार ब्यौरा क्या है और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या नई किट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नई किट पहले की किटों से किस प्रकार अलग है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी, हां। भारत में सभी घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में विमान में सवार होने पर घायलों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए प्राथमिक उपचार किटों तथा जीवन रक्षक दवाओं से युक्त मेडिकल किटों को ले जाने हेतु विमान में मेडिकल सप्लाई के प्रावधान के संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा 01 मार्च, 2011 से नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) खंड-2 सीरीज X भाग III, संशोधन-5 जारी किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सभी एयरलाइनों को नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) खंड-2, सीरीज-X, भाग-III, संशोधन-5 दिनांक 01.03.2011 में निहित प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

(ङ) जी, हां। ये अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (यूपीके) के मानदंडों के अनुसार है।

(च) (i) इकाओ मानदंडों के अनुसार यूनिवर्सल प्रोटेक्शन किट (यूपीके) नए रूप में शामिल किया गया है।

(ii) प्राथमिक उपचार किटों तथा मेडिकल किटों की वस्तुएं तथा उनकी गुणवत्ता इकाओ मानदंडों के अनुसार हैं।

इस संबंध में ब्यौरा नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) खंड-2, सीरीज-X, भाग-III, संशोधन-5 दिनांक 01 मार्च 2011 में दिया गया है।

अफगानिस्तान का दौरा

2287. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका की सरकार सहित विभिन्न पक्षों से प्रसिद्ध सिनेमा हस्तियों की सेवाएं लेने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं ताकि अफगानिस्तान में हालात सामान्य बनाये जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेशी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विमान अपहरण को रोकने के लिए मॉक ड्रिल

2288. श्री मधुगौड यास्खी:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:
श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री कृपारानी किल्ली:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली विमानपत्तन पर विमान अपहरण को रोकने के लिए संस्थापित प्रणाली के मॉक ड्रिल में कई खामियां नजर आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके लिए कौन से लोग/एजेन्सियां जिम्मेदार हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विमान अपहरण को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी हां। विभिन्न एजेंसियों के बीच कुछ प्रक्रियागत चूक तथा समन्वयन की कमियां पाई गई थीं।

(ख) इन चूकों का ब्यौरा सभा के पटल पर नहीं रखा जा सकता, चूंकि ये गुप्त प्रकृति की हैं और इनके उजागर होने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है।

(ग) डायल, एएआई, सीआईएसएफ, भारतीय वायु सेना तथा दिल्ली पुलिस की ओर से कुछ कमियां पाई गई थी। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई तथा संबंधित एजेंसियों को प्रणाली में सुधार लाने के लिए निर्देश दिया गया।

(घ) विमान अपहरण की स्थिति की हैंडलिंग के लिए समुचित यंत्रावली बनाई गई है।

[हिन्दी]

एनसीआर में रोमिंग

2289. श्री जितेन्द्र सिंह मलिक: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मोबाइल और लैंडलाइन के टेलीफोन उपभोक्ताओं की पृथक्-पृथक् संख्या कितनी है;

(ख) एनसीआर में वे कौन से क्षेत्र हैं जहां से दिल्ली में कॉल करने के लिए पैसे लिए जाते हैं/नहीं लिए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार संपूर्ण एनसीआर को रोमिंग मुक्त बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) 31.01.2011 की स्थिति के अनुसार दिल्ली सेवा क्षेत्र में 36.68 मिलियन बेतार तथा 2.82 मिलियन लैण्डलाइन उपभोक्ता हैं।

(ख) से (ङ) दूरसंचार लाइसेंस सेवा क्षेत्र-वार जारी किए जाते हैं। दूरसंचार लाइसेंस के अनुसार, दिल्ली सेवा क्षेत्र में दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा तथा गुडगांव टेलीफोन एक्सचेंजों द्वारा सेवा प्रदान किए जा रहे स्थानीय क्षेत्र शामिल हैं। रोमिंग शुल्क तब नहीं लगाए जाते जब उपभोक्ता लाइसेंस शुदा सेवा क्षेत्र के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और उसी नेटवर्क का प्रयोग करता है। तथापि, जब उपभोक्ता सेवा का प्रयोग अपने प्रचालक के लाइसेंस शुदा सेवा क्षेत्र के बाहर करता है तो उसे रोमिंग शुल्कों का भुगतान करना होता है।

[अनुवाद]

डाकघरों में ग्रामटेल/ग्रामीण एटीएम

2290. श्री जोस के. मणि:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार डाकघरों में विशेष रूप से तैयार किए गए ग्रामटेल स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) वित्तीय समावेशन की सरकारी कार्यसूची में भारतीय डाकघरों की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विभाग, निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए मनरेगा की मजदूरी के वितरण एवं अन्य डाक वित्त सेवाओं के लिए शाखा डाकघरों हेतु ग्रामीण आईसीटी उपस्करों की शुरुआत करने पर विचार कर रहा है।

जैमर के कारण नेटवर्क की समस्या

2291. श्री के. सुधाकरण: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत संचार विभाग लिमिटेड के उपभोक्ताओं से कुन्नूर स्थित केन्द्रीय कारागार में मोबाइल जैमर लगाए जाने के कारण उसकी सेवाओं की गुणवत्ता में आई गिरावट के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के अन्य भागों से भी इसी प्रकार की शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) और (ख) जी, हां। पिछले कुल महीनों के दौरान, बीएसएनएल के कन्नुर स्थित पलिक्कुन्नु क्षेत्र के उपभोक्ताओं से केन्द्रीय कारागार, कन्नुर में मोबाइल जैमर लगाए जाने के कारण इसकी सेवाओं की खराब गुणवत्ता के बारे में शिकायतें मिली हैं। चूंकि जैमर के फ्रीक्वेंसी सिग्नल जेल परिसर तक ही सीमित नहीं हैं, ये केन्द्रीय कारागार के आसपास के क्षेत्र के मोबाइल उपभोक्ताओं की सेवाओं को भी प्रभावित कर रहें हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस मामले को कन्नुर, केरल स्थित बीएसएनएल की स्थानीय इकाई द्वारा इस संबंध में आवश्क कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय कारागार कन्नुर के अधीक्षक के समक्ष पहले ही उठाया जा चुका है।

सार्क सम्मेलन

2292. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में थिम्पू में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्क देशों ने पिछले सम्मेलन में हस्ताक्षरित सेवा में व्यापार करने संबंधी समझौते का अनुसमर्थन किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा शेष देशों से ऐसा करने का अनुरोध करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) जी, नहीं। सार्क मंत्री परिषद के (सार्क विदेश

मंत्रियों के स्तर पर) एक अंतरशिखर सत्र का आयोजन 8 से 9 फरवरी, 2011 को थम्पू, भूटान में किया गया था। इसके पहले 6-7 फरवरी, 2011 को स्थायी समिति (विदेशी सचिवों के स्तर पर) के 38वें सत्र का आयोजन किया गया था। ये बैठकें दो शिखर बैठकों के बीच पिछली शिखर बैठक से की गई प्रगति का जायजा लेने और अगली शिखर बैठक की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए आयोजित की जाती हैं।

(ग) और (घ) सेवाओं में व्यापार संबंधी सार्क समझौते (एसएटीआईएस) का अब तक केवल बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा अनुसमर्थन किया गया है। थिम्पू में 6 से 7 फरवरी, 2011 को आयोजित स्थायी समिति की बैठक के 38वें सत्र में शेष सदस्य राष्ट्रों से आग्रह किया गया था कि वे इस समझौते के लिए अपनी संबंधित अनुसमर्थन प्रक्रियाएं यथाशीघ्र पूरी कर लें।

विद्यालयों में सीसीई

2293. श्री के. सुगुमारः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विद्यालयों में शिक्षा के सतत् और व्यापक मूल्यांकन की प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रणाली को शुरू करने से पूर्व राज्य सरकारों की राय मांगी थी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों के क्या विचार हैं;

(ङ) क्या देश में 12 लाख विद्यालयों में से केवल 11000 विद्यालय सीबीएसई से सम्बद्ध थे; और

(च) यदि हां, तो सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत और अधिक विद्यालयों को लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2009-10 के दौरान बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में सतत् और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली शुरू की है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। यह प्रणाली केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में आरंभ की गई है और इसलिए राज्य सरकारों से राय नहीं मांगी गई थी। तथापि सतत् और व्यापक मूल्यांकन शुरू करने के सामान्य मुद्दे को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 31.8.2009 को आयोजित हुई बैठक में विचार-विमर्श हेतु उठाया गया था। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड इस बारे में सर्वसम्मति थी कि छात्रों में परीक्षा के तनाव को कम करने की आवश्यकता है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उन छात्रों के लिए जो उसी स्कूल में कक्षा XIवीं में पढ़ाई जारी रखेंगे, कक्षा X की परीक्षा को वैकल्पिक करने के प्रयास को इसे एक कारगर सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के द्वारा प्रतिस्थापित करते हुए नोट किया। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की योजना स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद के माध्यम से कई राज्य बोर्डों को भी प्रस्तुत की गई थी जिसने अगस्त 2009 और दिसम्बर 2009 में अनेक बैठकें आयोजित की हैं।

(ङ) और (च) 31.3.2010 तक की स्थिति के अनुसार 11040 स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित स्कूल शिक्षा सांख्यिकी 2008-09 के अनुसार 30.9.2008 तक देश में स्कूलों की कुल संख्या 13,76,608 थी। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यचर्या, शिक्षा प्रणाली और मूल्यांकन में नवाचारी प्रयोगों का अनुसरण करता है। जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। 31.3.2005 और 31. 3.2010 के बीच केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध 3301 स्कूलों अर्थात् 42.6 की वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

मामलों में अत्यधिक विलम्ब

2294. श्री मनसुखभाई डी. वसावाः
डॉ. संजय सिंहः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें अभियोजन के लिए अनुमति मांगने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है और इसे देखते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सरकार से उक्त अनुमति देने के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मामलों में कौन-कौन अधिकारी शामिल हैं;

(ग) क्या सरकार ने अभियोजन के लिए अनुमति प्रदान करने में विलम्ब की जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) सरकार ने अभियोजन की स्वीकृति के मामलों में विभाग द्वारा कार्यवाही करने तथा निर्णय लेने के लिए तीन माह की अवधि निर्धारित की है। विलम्ब की स्थिति में आयोग मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के संबंधित सक्षम प्राधिकारियों के साथ जैसे एवं जब अपेक्षित हो, बैठक करता है।

(ख) आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 60 मामलों में (दिनांक 31 जनवरी, 2011 तक) अभियोजन की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारियों के पास लंबित है। इन मामलों का ब्यौरा विवरण पर है।

(ग) से (ङ) यह देखा गया है कि प्राय: विलम्ब उपलब्ध साक्ष्यों के विस्तृत विश्लेषण, मुख्य सतर्कता, आयुक्त, राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श करने तथा कभी-कभी संबंधित दस्तावेजी साक्ष्यों की अनुपलब्धता के कारण होता है।

अभियोजन के लिए स्वीकृति देने में विलम्ब को रोकने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 06.11.2006 को दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं जिसमें प्रत्येक स्तर पर समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा जान-बूझकर विलम्ब करने के लिए जवाबदेही भी निर्धारित की गई है।

विवरण

दिनांक 31.1.2011 के अनुसार तीन महीनों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलों के अंतर्गत अभियोजन संस्तुति हेतु लम्बित मामले

क्र.सं.	अपराध सं. पंजीकरण की तारीख	आरोपित अधिकारी का नाम
1	2	3
1.	आरसी. 13(क)/10-पटना 17.09.10	कौशल कुमार
2.	आर सी. 4(क)/10-छत्तीसगढ़	1. एन.एन. अख्तर
		2. के. एन यादव
3.	आर सी 3(क)/2005	बनदेव सिंह, सन्धु, आईआरएस, 81 आयकर
	एससीयू-I 12.04.05	आयुक्त, अहमदाबाद
4.	आर सी. 15 (क)/09-एसीबी चेन्नई	श्री आर सेलवाराज
5.	आर सी.2(क)/09-एनजीपी 28.02.2009	
		1. हर्षद दतर
		2. जी.वी. तावरी
		3. नवनीत श्रीवास्तव
		4. हेमन्त पाण्डे
		5. एम.के. सिंह
		6. आलोक एल. कुमार

1	2	3
		7. असित कुमार नन्दी
		8. डी.एम. बोब्डे
		9. बी.सी. सिंह
6.	आर सी.2(क)/2009-एसीयू-2 10.06.2009	श्रीर संजय त्रिपाठी
7.	आर सी.2(क)-09-पीबी 19.05.2009	श्री एस.के. शेखर
8.	आर सी.4(क)/08/एसीयू-II/डीएलआई 28.08.08	श्रीमती न्यायमूर्ति निर्मल यादव
9.	आर सी.55(क)/2005/डीएलआई 29.09.05	कैलाश पति अनेजा
10.	आर सी59(क)/2008/डीएलआई 29.12.08	1. सुनील पाराशर
		2. रवि माथुर
11.	आर सी 60(क)/2008/डीएलआई 29.12.08	1. देवेश चन्द
		2. एस. के. जैन
12.	आर सी 61(क)/2008/डीएलआई 29.12.08	1. ए.के. सैनी 2. सी.पी. सिंह
13.	आर सी, 62(क)/2008/डीउलआई 29.12.08	1. श्री अनिल कुमार सैनी
		2. श्री राकेश कुमार मित्तल
14.	आर सी.63(क)/2008/डीएलआई 29.12.08	1. श्री अनिल कुमार पाण्डे
		2. श्री अनिल सचान
15.	आर सी 64(क)/2008/डीएलआई 29.12.08	1. अनिल सचान
		2. मनीश भटनागर
16.	आर सी.20(क)/09-एसीबी सीएचएन	श्रीमती सुमति रविचन्द्रन
17.	आर सी.9(डीएलआई)/08-विजाग 02.04.08	श्री जी.बी.एस. प्रसाद
18.	आर सी.4(ई)/04-बीएसएफ कोल 29.07.2008	1. एस.बी.एस. प्रकाश कुमार
		2. श्रीमती सी.वी. रमानि
19.	आर सी.10(ई)/2009-बीएसएफ दिल्ली दिनांक 13.4.2009	1. एम. के जैन
20.	आर सी. 8(ई)/2009 बीएसएफ दिल्ली 08.04.2009	1. आर के. मुरगई
		2. रवि प्रकाश माथुर
		3. एस.के. शर्मा
		4. एम.सी. सेठी

1	2	3
21.	आर सी.13(ई)/बीएसएफ दिल्ली	1. एस.के. शर्मा
22.	आर सी. 5(क)/09 बीबीएसआर 23.03.09	श्रीमती प्रज्ञान सुब्रत
23.	आर सी.9(क)/08 जीएनआर 19.06.08	1. अब्दुल रब
		2. पी.आर. अनिल
		3. श्रीका प्रसाद
24.	आर सी3(क)/06-एसीयू-I 28.06.06	कर्नल एफ.बी. सिंह
25.	आर सी.6(एस)/2005 एसएचजी 21.09.05	1. श्री पी.एस. बनाफर
		2. श्री अशीश
		3. श्री बाबूलाल प्रधान 4श्री अशोक कुमार सिंह
		4. श्री लक्ष्मन सिंह
26.	आर सी. 30(क)/10-सीएचएन	राजाशेखर
27.	आर सी.55(क)/09-सीएचएन	आर. शेखर
28.	आर सी.15(क)/09-एसीबी चेन्नई	1. श्री एस. काशीमायां
29.	आर सी.64(क)/2009 एसीबी चेन्नई	1. आर शेखर
		2. अश्विनी कुमार
		3. आर. एल. जयासीलन
		4. के. सलीम खान
		5. ए. के. मुहम्मद इसमाइल
		6. एस.एच. मोहिऊद्दीन गैर सरकारी व्यक्ति
30.	आर सी.1(क)/07-एसीयू IX दिनांक 23/04/2007	श्री राकेश मोहन
31.	आर सी 4(क)/08/एसीयू IX दिनांक 18.12.2008	श्री अरविंद कुमार
32.	आर सी.20(क)/2000 जेपीआर दिनांक 21.10.00	श्री रवि शंकर श्रीवास्तव आईएएस
33.	आर सी.4(ई)/06-ईओयू-IX 19.07.08	1. राम चन्द्र
		2. डी. के बीस
		3. भगवान दास सिंघल
		4. राजेन्द्र कुमार सैनी
		5. सुनिल कुमार
		6. आर. के. कसोटियाड

1	2	3
		7. परमजीत सिंह सैनी
		8. राम रतन
		9. भारत भूषण
		10. एच.एस. तेवतिया
		11. श्रीमती सरोज चड्ढा
		12. इन्द्रजीत कक्कर
		13. अप्पु कुट्टन पिल्लई
		14. शिव नारायण शर्मा
34.	आर सी.4(ई)/2005-मुंबई 25.06.05	एच.आर. शुक्ला
35.	आर सी 1(क)/08-गोवा 25.04.08	1. श्री अच्युत मुकुंद अलोमेकर
		2. सुनिल पाण्डुरंग भामे
		3. मुर्तबा लाखबा सरदेसाई
		4. राज कुमार माथुर
		5. मुकुंद एस. शिन्दे
		6. मनोज कुमार
		7. आत्माराम घाडी
		8. वीरेन्द्र कुमार
		9. रमेश सीताराम सावंत
36.	आर सी.4(क)/2009-गोवा	1. श्री कर्रा विद्याधर राव
		2. श्री विलियम बास्त्यों मिरांडा
		3. श्री मोनेश सिद्रे पैटर
37.	आर सी. 19(क)/09-एसीबी सीएचजी	1. के.के. शर्मा
		2. मनिंदर पाल
38.	आर सी.4(क)/08-जीजेडवी	1. एम.आर चौधरी
		2. एम.सी. सिंह
		3. ए.के. जैन
		4. जे.पी. तलवालिया
		5. प्रकाश चन्द्र मीना

1	2	3
		6. गोपाल सिंह
		7. जी.एस. तेवतिया
		8. आर.के. चौधरी
		9. विशपाल सिंह
		10. विजेन्द्र सिंह
		11. आर.एस. सिंह
		12. सुभाष सिंह
		13. रमेश पाल
		14. आर.के. शर्मा
39.	आर सी.2(क) 2009-बीपीएल 12.02.09	प्रदीप सिंह जादोन
40.	आर सी.18(क)/08-एसीबी बंगलूर	श्री जी ब्रह्यया
41.	आर सी.14(क)/2009 ACB CHG 14.05.09	एस.के. अग्रवाल तत्कालीन महाप्रबंधक
42.	आर सी.22(क)/04-10 मुंबई 14.06.10	नरेश कुमार
43.	आर सी.3(क)/10-मुंबई 28.01.10	1. श्रीमती सविता महेन्द्र गंगूर्डे
44.	आर सी.23(क)/10-मुंबई दिनांक 19.06.2010	मेजर दीपेन्द्र भूषण
45.	आर सी.19(क)/10 मुंबई दिनांक 21.05.2010	1.1. श्री आर.जे. कक्कर
		2. श्री एस.टी. पाटिल
46.	आर सी.21(क)/2009-केरल दिनांक 31.12.2009	1. सुशील कुमार गीवा,
	निम्नलिखित के संबंध में आव्रजन, अधिनियम, 1983 की धारा 27 के तहत अभियोग चलाने की मंजूरी	
		2. श्री फ्रांसिस चेम्बोला
		3. श्रीमती मिनि फ्रांसिस
		4. श्रीमती पेनामा थोंमस
47.	आर सी 1(क)/2009-केरल दिनांक 28.02.09	1. मुहम्मद कुडागे
		2. मुहम्मद कासिम (ए 13)
48.	आर सी.3(क)/2009 केरल दिनांक 31.03.09	
	बीपीसीएल	
		1. श्री पी.एम. सोमचुदान
		2. टी.एस. शंकरनारायण

1	2	3
		3. के. जयरमन
		4. के. गोविंद,
		5. बाबू जे. बेबी
		6. नेडुमचेजियन
		7. कोसी, जैकब
		8. डैक्स मोहन
		9. जोली सेबेस्टियन, एरिया
		केरल सरकार
		1. अब्दुल मुनाफ
49.	आर सी.19(क)/2009-केरल दिनांक 31.12.2009	1. श्री पी.ए. बेबी
		2. श्री आर.वी. सुरेश कुमार
		3. श्रीमती बिलकीस, मुहम्मद
		4. श्रीमती एम. गीता
50.	आर सी.05/09 हैदराबाद, 30.4.09	1. एम. मुनिस्वामी
		2. एस. कुमार प्रसाद
51.	आर सी.23(क)/2007 एसीबी लखनऊ	श्री यू. के. बाजपेयी
52.	आर सी 07(क)/2009एनजीपी 10.06.2009	श्री तरसेन गोयल
53.	आर सी. 9(क)/2009 एनजीपी 20.07.2010	1. श्री ए.के. घोषाल
		2. श्री मदन कुमार
		3. श्री गिरिराज गुप्ता
54.	आर सी 11(क)/2009 एनजीपी 21.07.2010	1. श्री योगेन्द्र तिवारी
		2. संजीव अग्रवाल
		3. सैयद नौशाद अली
		4. मधुकर जयराम भोंगले
		5. एस. कमावत
55.	आर सी.2(क)/2009 एनजीपी 28.02.09	1. हर्षद दतात
		2. जी.वी. तावरी
		3. नवनीत श्रीवास्तव

1	2	3
		4. हेमन्त पाण्डे
		5. एम.के. सिंह
		6. आलोक एल. कुमार
		7. असित कुमार नन्दी
		8. डी.एम. बोब्डे
		9. बी.सी. सिंह
56.	आर सी. 10(एस)/09 एससीबी चेन्नई	1. एस. जयशंकर
		2. वी. रामकुमार
		3. एस. कन्नन
57.	आर सी.17(क)/09-जीएनआर दिनांक 03.12.2009	बी. एस. रिज्वी
58.	आर सी. 38(क)/09-एसीबी सीएचएन	1. आर. शेखर
		2. अश्विनी कुमार
		3. आर.एल. जयासीलन
		4. संजय कुमार
		5. सूरज शर्मा
		6. दिनेश बसरा
		7. धनशेखर
		8. एस.के. जीवा
		9. सलिल दीप सचन
		10. जनक राज
		11. एम. उरांगन
		12. रामचन्द्र महतो
59.	आर सी. 27(क)/05-एसीबी मुंबई	संतोष झा
60.	आर सी. 39(क)/07-एसीबी मुंबई	धनंजय कुमार सिंहा

[अनुवाद]

विमानन सुरक्षा परियोजनाएं

2295. श्री एस.आर. जेयदुरई: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित विमानन सुरक्षा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या कुछ परियोजनाएं शुरू नहीं हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी वास्तविक लागत और बढ़ा हुआ समय क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए हैं (i) कांटेक्टलेस स्मार्ट कार्ड के माध्यम से हवाईअड्डे पर पहुंच को नियंत्रित करने के लिए नया सिस्टम शुरू करना और (ii) डीजीसीए, बीसीएएस तथा एएआई की संयुक्त प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना करना।

(ख) भारी मात्रा में एईपी (स्मार्ट कार्ड) के नवीकरण का कार्य 31.12.2010 को पूरा हो गया था और भारतीय विमानन अकादमी की स्थापना निआमार के तत्वावधान में की गई है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु संयंत्रों के लिए ईंधन की कमी

2296. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
श्री रामसिंह राठवा:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री रामसिंह कस्वां:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में यूरेनियम के कितने भंडार हैं तथा किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) क्या यूरेनियम की कमी के कारण देश गहरे संकट से गुजर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में परमाणु और नाभिकीय खनिजों की उपलब्धता संबंधी कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से देश के यूरेनियम भंडारों से यूरेनियम का उत्पादन तथा इसके ईष्टतम उपयोग संबंधी कोई योजना तैयार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग की एक संघटक इकाई है ने 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार 1,62,762 मीटरी टन यूरेनियम स्रोतों (U_3O_8) का पता लगाया है। इसका राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य	अनुमानित स्रोत (मीटरी टन U_3O_8)
आंध्र प्रदेश	79,142
छत्तीसगढ़	3,986
हिमाचल प्रदेश	784
झारखंड	48,074
कर्नाटक	4,682
महाराष्ट्र	355
मेघालय	18,578
राजस्थान	6,276
उत्तर प्रदेश	785
उत्तराखंड	100
कुल	1,62,762

(ख) प्रचालनरत कुल 20 नाभिकीय विद्युत रिक्टरों में से जिनकी क्षमता 4780 मेगावाट है, 10 रिएक्टरों (1940 मेगावाट) में ईंधन के रूप में आयातित यूरेनियम का उपयोग किया जाता है जोकि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। शेष 10 रिएक्टरों (2840 मेगावाट) में ईंधन के रूप में स्वदेशी प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग

किया जाता है। हालांकि स्वदेशी यूरेनियम अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तथापि, इसकी आपूर्ति में सुधार हो रहा है जिस कारण इन रिएक्टरों को उनकी निर्धारित क्षमता के 68 से 100% तक प्रचालित किया जा रहा है।

(ग) जी, हां। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), परमाणु खनिजों के अन्वेषण का कार्य कर रहा है। और इसने 11वीं योजनावधि (दिसंबर, 2010 तक) के दौरान 54,905 मीटरी टन अतिरिक्त यूरेनियम का पता लगाया है। जिसके परिणामस्वरूप कुल भंडार बढ़कर 1,62,762 मीटरी टन हो गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, इस समय पांच भूमिगत खानें नामत: जादुगुडा, भाटिन, नरवापहाड़, तुरमडीह और बागजाता का प्रचालन कर रहा है। बंदुहुरंग में एक विवृत खान, जादुगुडा और तुरमडीह, सिंहभूम जिले में दो संसाधन संयंत्र और झारखंड राज्य के सरायकेला खर्सवान जिले में निर्माणाधीन मोहुलडीह स्थित एक भूमिगत खान भी है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में तुम्मलापल्ली में एक भूमिगत खान और संसाधन संयंत्र का निर्माण भी किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में लाम्बापुर यूरेनियम परियोजना से संबंधित परियोजना-पूर्व कार्यकलाप किए जा रहे हैं। कर्नाटक के गोगी में एक भूमिगत खान और संसाधन संयंत्र परियोजना पूर्व चरण में है। मेघालय में किलेंग पिंडेंगसोहियांग मावथाबाह (केपीएम) में यूरेनियम स्रोतों का विकास करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) द्वारा राजस्थान के रोहिल क्षेत्र में जल के स्रोतों का पता लगाने के लिए उस क्षेत्र में यूरेनियम के भंडार का अन्वेषण करने संबंधी कार्य किया जा रहा है।

[हिन्दी]

शैक्षिक संस्थाओं में बकाया रिक्तियाँ

2297. श्री सी.आर. पाटिल:
श्री टी.आर. बालू:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू किए विशेष भर्ती अभियानों के बावजूद विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में कई रिक्त पदों को भरा नहीं गया है;

(ख) यदि हां, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिन्हित, विज्ञापित तथा भरे गए पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्तियों को 30 जून, 2011 तक भरने के लिए किसी समिति का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। जबकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में बैकलॉग के रिक्त पद हैं, अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) सहित ऐसे रिक्त पदों की अद्यतन सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) और (घ) सरकार ने दिनांक 30.06.2011 तक इन रिक्त पदों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है, और तद्नुसार इन रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने के लिए सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिनांक 22.02.2011 को निर्देश जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

2298. श्री मनीष तिवारी:
श्री संजय दिना पाटील:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू होने के बाद से इस योजना के अंतर्गत देश में कितने विद्यालयों की स्थापना की गई है;

(ख) केजीबीवी के लिए धनराशि आवंटन के मानदंड क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी का कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की क्या स्थिति है;

(ङ) संपूर्ण दंश में गत तीन वर्षों के दौरान महिला साक्षरता को ध्यान में रखते हुए बालिकाओं विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के प्रवेश में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(च) क्या सरकार इन योजनाओं के बजट में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय स्कूलों की स्थापना हेतु जुलाई, 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संस्वीकृत किए गए थे। अक्टूबर, 2010 में 999 अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संस्वीकृत किए गए थे, जिससे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की कुल संख्या 3569 हो गई है।

(ख) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए निधियां सर्व शिक्षा अभियान के अनुमोदित निधीयन पैटर्न जो वर्तमान में केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य 65:35 अनुपात में है, के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान की राज्य कार्यान्वयन सोसायटियों को जारी की जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए वित्तीय मानक निम्नानुसार है :

माडल	टाईप	आवर्ती (रु. लाख में)	अनावर्ती (रु. लाख में)
I.	100 बालिकाओं के लिए छात्रावास वाले स्कूल	32.07	7.25 लाख रुपए राज्य दर अनुसूची के अनुसार भवन निर्माण की लागत, 100 छात्रों वाले छात्रावास के लिए 60 स्क.फी. प्रति छात्र के कार्पेट एरिया सहित
II	50 बालिकाओं के लिए छात्रावास वाले स्कूल	2395	5.375 लाख रुपए राज्य दर अनुसूची के अनुसार भवन निर्माण की लागत, 50 छात्रों वाले छात्रावास के लिए 80 स्क.फी. प्रति छात्र के कार्पेट एरिया सहित
III	वर्तमान स्कूल में छात्रावास	17.95	5.375 लाख रुपए राज्य दर अनुसूची के अनुसार भवन निर्माण की लागत, 50 छात्रों वाले छात्रावास के लिए 80 स्क.फी. प्रति छात्र के कार्पेट एरिया सहित

पिछले तीन वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के अंतर्गत आवंटित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य महिला-पुरुष समन्वयकों की तिमाही समीक्षा बैठकों के माध्यम से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के कार्यान्वयन की प्रगति की मानीटरिंग की जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के कार्यात्मक पहलुओं की समीक्षा भी सर्व शिक्षा अभियान के लिए द्विवार्षिक संयुक्त समीक्षा मिशन द्वारा की जाती है। राज्य वित्त नियंत्रकों की तिमाही समीक्षा बैठकों के साथ-साथ समवर्ती वित्तीय समीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा और सांविधिक लेखापरीक्षा के माध्यम से वित्तीय पहलुओं की मानीटरिंग की जाती है।

(ङ) वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं की नामांकन प्रतिशतता विवरण II में दी गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकन का विवरण प्रतिशत अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए 27 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए 29 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए 27 प्रतिशत है।

(च) और (छ) उपेक्षित समुदायों की स्कूल बाह्य बालिकाओं की अधिक संख्या को कवर करने के लिए (क) नए कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना करने, (ख) वर्तमान कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अतिरिक्त बालिकाओं के दाखिला देने हेतु सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मानदंडों में हाल ही में संशोधन किए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठकों में राज्यों के वास्तविक और वित्तीय आवंटन का अनुमोदन किया जाता है।

विवरण I

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत राज्यों को अनुमोदित निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वार्षिक कार्ययोजना और बजट 2008-09	वार्षिक कार्ययोजना और बजट 2009-10	वार्षिक कार्ययोजना और बजट 2010-11
1.	आन्ध्र प्रदेश	20380.11	12021.830	10972.70
2.	अरूणाचल प्रदेश	2081.32	1021.950	1036.17
3.	असम	1228.73	1063.598	712.75
4.	बिहार	22504.60	15387.092	13322.07
5.	छत्तीसगढ़	2841.03	2359.050	2785.21
6.	दादरा और नगर हवेली	76.27	71.470	28.14
7.	दिल्ली	48.73	48.725	0.00
8.	गुजरात	3131.97	2755.393	2431.20
9.	हरियाणा	380.84	324.120	313.17
10.	हिमाचल प्रदेश	158.60	142.600	147.25
11.	जम्मू और कश्मीर	5644.53	4001.350	4133.23
12.	झारखंड	7205.35	6712.657	6401.30
13.	कर्नाटक	1218.86	2332.000	1813.53
14.	मध्य प्रदेश	8669.78	8162.934	6794.07
15.	महाराष्ट्र	2609.72	2455.920	1396.72
16.	मणिपुर	34.32	25.470	26.22
17.	मेघालय	77.48	77.480	80.54
18.	मिजोरम	25.47	25.470	28.02
19.	नागालैण्ड	97.45	96.940	84.73
20.	उड़ीसा	5140.89	4454.662	5917.31
21.	पंजाब	70.02	31.940	103.79
22.	राजस्थान	6617.73	5985.690	5500.44
23.	तमिलनाडु	1351.15	1189.710	1736.50
24.	त्रिपुरा	91.35	91.320	100.24
25.	उत्तर प्रदेश	29090.03	23010.058	15898.00
26.	उत्तराखंड	1031.78	585.910	433.15
27.	पश्चिम बंगाल	1377.07	1559.800	2352.58
	कुल	123179.19	95995.139	84549.03

विवरण II

प्रारंभिक स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं का दाखिला प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं का दाखिला %								
		अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
		2007-08	2008-09	2009-10	2007-08	2008-09	2009-10	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	57.14	48.28	–	46.94	47.50	47.79	45.29	49.81	50.35
2.	आन्ध्र प्रदेश	49.12	49.34	49.41	47.31	47.72	47.74	49.14	49.32	49.30
3.	अरूणाचल प्रदेश	46.71	47.69	43.11	48.48	48.67	49.21	43.16	46.70	44.54
4.	असम	49.24	49.31	49.82	49.12	49.28	49.60	48.80	48.81	49.26
5.	बिहार	43.96	45.45	46.28	45.05	46.55	46.91	45.98	47.09	47.55
6.	चण्डीगढ़	47.98	46.59	47.25	44.83	36.24	41.06	46.44	49.66	50.00
7.	छत्तीसगढ़	48.52	48.82	49.19	48.63	48.41	48.78	48.72	48.96	49.08
8.	दादरा और नगर हवेली	48.69	46.95	45.82	47.43	47.79	47.81	47.73	47.75	48.88
9.	दमन और दीव	44.33	45.24	45.43	46.44	45.70	46.31	51.05	54.72	49.00
10.	दिल्ली	47.88	47.6	47.71	47.33	40.91	47.98	50.06	48.89	48.53
11.	गोवा	49.27	48.89	49.08	47.13	47.32	47.91	48.12	47.79	48.87
12.	गुजरात	46.95	46.9	46.83	48.10	48.20	48.08	46.41	46.54	46.45
13.	हरियाणा	47.42	48.22	48.12	41.48	50.01	0.00	46.04	47.26	47.11
14.	हिमाचल प्रदेश	48.3	48.45	48.45	48.10	48.16	48.18	47.16	47.08	47.24
15.	जम्मू और कश्मीर	45.57	46.38	46.54	43.38	45.15	45.54	45.45	47.30	47.41
16.	झारखंड	47.65	47.93	48.45	48.08	48.34	48.84	49.12	49.67	50.12
17.	कर्नाटक	48.14	48.29	48.24	48.11	48.10	48.21	48.87	48.86	48.86
18.	केरल	48.58	48.4	48.56	48.90	50.29	49.18	49.38	49.26	49.33
19.	लक्षद्वीप	50	50	44.44	48.42	49.88	50.03	38.24	50.00	55.36
20.	मध्य प्रदेश	48.18	49.01	49.43	48.03	49.00	49.63	48.14	48.77	49.07
21.	महाराष्ट्र	47.74	47.76	47.83	46.78	47.08	47.17	47.19	47.21	47.08
22.	मणिपुर	49.18	50.08	50.47	48.46	48.71.	49.25	47.93	50.38	50.50
23.	मेघालय	48.9	46.28	46.72	50.68	51.12	51.06	48.62	50.85	49.48
24.	मिजोरम	45.14	44.88	43.30	48.76	48.64	48.65	48.35	46.13	47.77
25.	नागालैण्ड	43.56	45.69	54.35	49.08	49.08	48.89	16.67	31.25	48.70
26.	उड़ीसा	48.6	48.82	49.02	47.90	48.13	48.56	48.76	48.83	48.86
27.	पुदुचेरी	49.49	49	49.28	51.21	51.20	73.62	49.36	48.71	48.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	पंजाब	47.09	46.98	47.15	47.88	47.50	38.34	46.70	46.66	46.54
29.	राजस्थान	44.79	44.85	45.39	44.49	44.59	44.85	44.99	45.04	45.46
30.	सिक्किम	50.47	49.86	49.83	51.13	23851.16	50.50	51.17	50.80	50.92
31.	तमिलनाडु	48.65	48.77	48.71	47.62	47.42	47.96	48.21	48.22	48.33
32.	त्रिपुरा	49.34	49.3	49.48	47.30	47.90	47.99	49.40	49.46	49.31
33.	उत्तर प्रदेश	48.58	48.92	49.12	47.75	48.72	48.68	49.28	49.60	49.93
34.	उत्तराखंड	48.84	48.89	48.90	50.40	50.29	50.81	47.67	47.57	47.87
35.	पश्चिम बंगाल	48.54	48.86	49.31	47.78	48.24	48.98	47.66	47.95	48.67
	कुल	47.76	48.09	48.36	47.64	48.01	48.33	47.89	48.22	48.42

साइबर अपराध

2299. **श्री वैजयंत पांडा:**
श्री संजीव गणेश नाईक:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) की वेबसाइट को पाकिस्तानी हैकरों द्वारा हैक किए जाने के बाद अब यह वेबसाइट पुन चालू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सीबीआई और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेस कंपनीज ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए कोई समझौता किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह इस अपराध से निपटने में किस प्रकार सहायक होगा?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की वेबसाइट दिनांक 6.1.2011 को समुचित सुरक्षा उपायों का सुनिश्चय करने के बाद चालू की गई।

(ग) और (घ) सूचना का आदान-प्रदान करने और वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रवर्त्तन एजेंसियों में सुरक्षा के मानदण्डों, श्रेष्ठ पद्धतियों पर जागरुकता पैदा करने तथा उभरती हुई साइबर प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने के प्रयोजन से सीबीआई के साइबर और उच्च प्रौद्योगिकीय अपराध अन्वेषण एवं प्रशिक्षण (सीएचसीआईटी) केन्द्र के जरिए कानून प्रवर्त्तन एजेंसियों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए नवंबर, 2010 में सीबीआई अकादमी, राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर तथा सेवा कंपनी संघ (नैसकॉम) और भारतीय आंकड़ा सुरक्षा परिषद (डीएससीआई) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौता ज्ञापन से साइबर अपराध के मामलों के बेहतर अन्वेषण के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता

2300. **श्री रमेश राठौड़:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य बड़े देशों की तुलना में देश में विश्वविद्यालयों को कितनी स्वायत्तता प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार अपने नियंत्रणाधीन विभिन्न विश्वविद्यालयों को और अधिक स्वायत्तता देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन विश्वविद्यालयों को कब तक और अधिक प्रशासनिक/प्रकार्यात्मक स्वायत्तता दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों के अध्यधीन विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त है। उस विधान जिसके तहत विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है, में वित्तीय, प्रशासनिक तथा कार्य-संचालन संबंधी मामलों में स्वायत्तता की सीमा का निर्धारण किया गया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): श्री एस.एम. कृष्णा की ओर से, मैं नालन्दा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 42 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 2809 (अ) जो 19 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 25 नवम्बर, 2010 को उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं। (मंत्रालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 4003/15/11)

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): मैं वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 21 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 59(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करता हूं। (मंत्रालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 4004/15/11)

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं वर्ष 2011-2012 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं। (मंत्रालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 4005/15/11)

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (मंत्रालय में रखे गये/देखिए संख्या एल. टी. 4006/15/11)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4007/15/11]

(3) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4008/15/11]

(5) दसवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं तथा पंद्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

दसवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या उनचास पहला सत्र, 1991

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4009/15/11]

2. विवरण संख्या बावन तीसरा सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4010/15/11]

3. विवरण संख्या अड़तीस पांचवां सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4011/15/11]

बारहवीं लोक सभा

4. विवरण संख्या छियालीस दूसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4012/15/11]

5. विवरण संख्या चालीसतीसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4013/15/11]

तेरहवीं लोक सभा

6. विवरण संख्या पैंतालीस दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4014/15/11]

7. विवरण संख्या पचास तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4015/15/11]

8. विवरण संख्या चवालीस चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4016/15/11]

9. विवरण संख्या अड़तालीस छठा सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4017/15/11]

10. विवरण संख्या छत्तीस नौवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4018/15/11]

11. विवरण संख्या तीस ग्यारहवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4019/15/11]

12. विवरण संख्या अट्ठाईस चौदहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4020/15/11]

चौदहवीं लोक सभा

13. विवरण संख्या पच्चीसदूसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4021/15/11]

14. विवरण संख्या तेईस तीसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4022/15/11]

15. विवरण संख्या चौबीस चौथा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4023/15/11]

16. विवरण संख्या इक्कीस पांचवां सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4024/15/11]

17. विवरण संख्या बीस छठा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4025/15/11]

18. विवरण संख्या बीस सातवां सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4026/15/11]

19. विवरण संख्या सत्रह आठवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4027/15/11]

20. विवरण संख्या सत्रह नौवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4028/15/11]

21. विवरण संख्या सोलह दसवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4029/15/11]

22. विवरण संख्या चौदह ग्यारहवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4030/15/11]

23. विवरण संख्या तेरह बारहवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4031/15/11]

24. विवरण संख्या ग्यारह तेरहवां सत्र, 2008

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4032/15/11]

25. विवरण संख्या नौ चौदहवां सत्र, 2008

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4033/15/11]

26. विवरण संख्या आठ पंद्रहवां सत्र, 2009

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4034/15/11]

पंद्रहवीं लोक सभा

27. विवरण संख्या सात दूसरा सत्र, 2009

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4035/15/11]

28. विवरण संख्या पांच तीसरा सत्र, 2009

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4036/15/11]

29. विवरण संख्या पांच चौथा सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4037/15/11]

30. विवरण संख्या दो पांचवां सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4038/15/11]

31. विवरण संख्या एक छठा सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4039/15/11]

(6) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 12 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 16(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 12 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 17(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 12 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 18(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 12 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 19(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 12 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 20(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 12 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 21(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 12 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 22(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 12 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 23(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4040/15/11]

(7) वर्ष 2011-2012 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4041/15/11]

(8) वर्ष 2011-2012 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4042/15/11]

मानव संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) सर्व शिक्षा अभियान यूटी मिशन अथॉरिटी अंडमान एण्ड निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान यूटी मिशन अथॉरिटी अंडमान एण्ड निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।)

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4043/15/11]

(3) (एक) सर्व शिक्षा अभियान यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4044/15/11]

(5) (एक) एक्सोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4045/15/11]

(7) (एक) उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), देहरादून के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), देहरादून के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4046/15/11]

(9) (एक) स्टेट मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), नागालैंड के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), नागालैंड के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4047/15/11]

(11) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन के प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4048/15/11]

(12) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4049/15/11]

(14) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंबई, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंबई, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंबई, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4050/15/11]

(16) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, कानपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, कानपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4051/15/11]

(17) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन के एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4052/15/11]

(18) औरोविले फाउंडेशन के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4053/15/11]

(19) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन के एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4054/15/11]

(21) (एक) विश्व भारती, शांति निकेतन के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्व भारती, शांति निकेतन के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4055/15/11]

(23) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4056/15/11]

(25) (एक) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवारूर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवारूर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4057/15/11]

(27) (एक) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल.टी. 4058/15/11)

(29) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4059/15/11]

(30) (एक) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग जबलपुर, जबलपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग जबलपुर, जबलपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग जबलपुर, जबलपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4060/15/11]

(32) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, जयपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4061/15/11]

(34) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4062/15/11]

(36) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4063/15/11]

(38) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलौर, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलौर, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4064/15/11]

(40) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रायपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रायपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4065/15/11]

(42) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रायपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रायपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। ,

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4066/15/11]

(44) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4067/15/11]

(46) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटक, सुरतकल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटक, सुरतकल के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4068/15/11]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) वर्ष 2011-2012 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4069/15/11]

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4069क/15/11]

[हिन्दी]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4070/15/11]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4071/15/11]

(ख) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखों तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4072/15/11]

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) डेवलपमेंट प्लानिंग सेंटर ऑफ इंस्टिट्यूट ऑफ इकॉनोमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डेवलपमेंट प्लानिंग सेंटर ऑफ इंस्टिट्यूट ऑफ इकॉनोमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4073/15/11]

अपराह्न 12:01 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित दो संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के विषय 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे, विनियोग (रेल) विधेयक, 2011 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 7 मार्च, 2011 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के अनुबंधों के अनुसरण में, मुझे, विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2011 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 7 मार्च, 2011 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 12:02 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

15वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुंडा (खूंटी): अध्यक्ष महोदया, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

12वें से 14वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2010-2011) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन–जारी

(दो) सोमाली जल दस्युओं द्वारा भारतीयों को बंधक बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब 'शून्य काल' शुरू होगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, सोमालिया के समुद्री लुटेरों द्वारा बंधक बनाये गये भारतीयों को मार डालने की समय सीमा आज तक निर्धारित थी। इसलिए यह विषय एस.ओ.एस. जैसी इमर्जेंसी का बन गया, तो मैंने आपसे इस विषय को उठाने की विशेष अनुमति मांगी। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे यह विषय उठाने की अनुमति दी। मैं अभी तक विदेश मंत्री जी को यहां बैठे हुए देख रही थी। मुझे नहीं मालूम, वह कब उठकर चले गये, वर्ना मैं आपसे विशेष आग्रह करती कि आप उन्हें रोक लें।

अध्यक्षा जी, समुद्री लुटेरों द्वारा जहाजों को पकड़कर लोगों को बंधक बनाने की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हर सात दिन के बाद एक खबर आ जाती है कि आज एक जहाज को बंधक बना लिया गया। आज से करीब एक महीना पहले मेरे केरल प्रवास के दौरान केरल का एक परिवार मुझसे आकर मिला था, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका बेटा नौ महीने से बंधक बना हुआ है। मैंने स्वयं जाकर विदेश मंत्री जी से बात की थी। इसलिए मैं कह रही थी कि अगर विदेश मंत्री जी बैठे होते तो अच्छा होता। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि वह बहुत जल्दी उसका पता लगायेंगे और उसे छुड़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, यह भी बतायेंगे।

लेकिन अभी तक उसका कोई उत्तर नहीं मिला है। सुवेज नाम का जो जहाज पकड़ा हुआ है, उस पर आठ भारतीय हैं, उनके सारे परिवारजन दिल्ली आए हुए हैं और यहां-वहां भटक रहे हैं, एक-एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं क्योंकि आज की समय सीमा उनको मार डालने की है। मैं पूछना चाहती हूं इस सरकार से और सरकार के मंत्रियों से कि जब अमेरिका का कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में फंस जाता है, तो उसे छुड़ाने के लिए अमेरिका जमीन-आसमान एक कर देता है। अभी आपने पिछले दिनों देखा डेविस के प्रसंग में, पाकिस्तान और अमेरिका के इतने मधुर संबंध भी तनावपूर्ण हो गए क्योंकि उनको लगा कि एक अमेरिकी फंस रहा है, लेकिन क्या कारण है कि हमारे भारतीय बच्चों को ट्राई वैली यूनिवर्सिटी में उनको एंकलेट्स पहना दिए जाते हैं, श्रीलंकर नेवी द्वारा हमारे मछुआरे मारे जाते हैं, सोमालिया जैसा छोटा देश हमारे जैसे बड़े देश को ठेंगा दिखाकर हमारे लोगों को बंधक बना देता है? हमारा रिस्पांस ऐसा होता है कि कोई हमें सीरियसली नहीं ले रहा है। मैं आज सबसे पहले यह जानना चाहती हूं कि भारत सरकार इन लोगों को छुड़ाने के लिए क्या कर रही है? हमारे लोग वाकई सुरक्षित लौट आएं, इसके लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किया गया है? यह मेरा तात्कालिक प्रश्न है। इसके बारे में मैं एक दीर्घकालिक नीति भी चाहती हूं क्योंकि ये समुद्री लुटेरे जिन जहाजों को पकड़ रहे हैं, उनमें केवल भारतीय नहीं हैं, उनमें विश्व के अनेक देशों के लोग हैं, इसलिए भारत को पहल करके इसके लिए एक ग्लोबल नीति भी बनानी पड़ेगी, जिससे इन लोगों की दादागिरी समाप्त हो और पैसेंजर सुरक्षित तरीके से जा सकें। हमें ग्लोबली एक नीति बनाने के लिए इनिशिएटिव लेना है, यह मेरी बड़ी मांग है, लेकिन अभी तात्कालिक तौर पर इन परिवारजनों को हम क्या कहें, क्या कह कर सांत्वना दें? सरकार क्या कर रही है, यह हमें बताएं। दो बजे वे लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि सरकार का रिस्पांस आ जाए ताकि उनको मैं सांत्वना के चंद शब्द कह सकूं। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे विशेष अनुमति देकर यह विषय उठाने की इजाजत दी।......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय विदेश मंत्री को सूचित कर दूंगा...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: हम वक्तव्य चाहते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: मुझे माननीय विदेश मंत्री को सूचित करना होगा और तभी वह इस बारे में कुछ कह सकेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: लेकिन इसे कल तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि आज ही वक्तव्य दिया जाए।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं ऐसा नहीं कह सकता।

श्रीमती सुषमा स्वराज: आपको ऐसा कहना होगा।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वक्तव्य आज ही दिया जाएगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज: आपको ऐसा कहना होगा।

श्री पवन कुमार बंसल: लेकिन मैं ऐसा निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं अभी माननीय विदेश मंत्री को सूचित कर दूंगा। मैं नहीं जानता कि उन्हें क्या तथ्य जुटाने हैं, घटनाक्रम क्या है; और क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, इस तरह के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा। लेकिन मैं माननीय विदेश मंत्री को तत्काल सूचित कर दूंगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: मंत्री जी यहां बैठे हुए थे, मुझे पता ही नहीं चला कि कब वह उठकर चले गए।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: आप उस वक्त उनको कह देतीं, उनके पास नोटिस नहीं होती है, उनको जीरो आवर का पता नहीं होता है। अगर वह उठकर जा रहे थे, उसी वक्त उनको आप रोक लेते, तो वह रुक जाते।...*(व्यवधान)* आप यहां बैठी थीं, उनको नहीं मालूम था कि आप क्या बात उठाने वाली हैं। आप उस वक्त उनको कह देतीं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, आप इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकार को निर्देशित कीजिए कि दो बजे जब हाउस बैठेगा, उस समय तक जवाब आए। यह एक मानवीय संवेदना का सवाल है, यह कोई राजनीति का सवाल नहीं है। जो लोग बंधक बने हैं, वे भारतीय हैं, न वे भाजपा के हैं, न कांग्रेस के हैं।...*(व्यवधान)* मैडम, इसमें आपका संरक्षण चाहिए। आप यह कहिए कि विदेश मंत्री जी दो बजे जवाब दें।...*(व्यवधान)* हम इस मामले में लेट नहीं हो सकते। यह एस.ओ.एस. जैसी इमरजेंसी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदया, हम माननीय नेता, प्रतिपक्ष द्वारा दिए गए बयान को जितना महत्व देना चाहिए, उतना महत्व देते हैं। लेकिन मैं नहीं जानता वे विभिन्न दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं, जिन पर वक्तव्य से पहले माननीय विदेश मंत्री को विचार करना होगा। अत: मैंने कहा कि मैं इसकी सूचना माननीय विदेश मंत्री को दे दूंगा और तत्पश्चात् जैसा वे उचित समझें इसका उत्तर देंगे। मैं यह नहीं कह सकता कि वे पूर्वाह्न में आएंगे और इस पर वक्तव्य देंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि इस पर तत्काल वक्तव्य दिया जाए...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं नहीं बल्कि देश ऐसा चाहता है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन सभी मेरे भाई-बहन हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: लेकिन विभिन्न ऐसे पहलू हैं जिन पर विचार किया जाना है। उन्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सरकार इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील नहीं है...*(व्यवधान)* उन्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए और मनमाने ढंग से कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं मान लेती हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सुषमा जी, वह संबंधित मंत्री को तत्काल सूचित कर देंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: जिन लोगों के सिर पर तलवार लटक रही है, मैं उनकी तरफ से बोल रही हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: मैंने अभी माननीय विदेश मंत्री को संदेश भिजवाया है और वह यहां आ रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: ठीक है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. शशी थरूर (तिरुवनंतपुरम): अध्यक्ष महोदया, कुछ सप्ताह पहले मुझे बहुत दुखद अनुभव हुआ जब मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्कूली बस दुर्घटना में मारे गए बच्चों के शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की।

यह बस नहर में गिरी थी जिसमें छह बच्चों की जान गई। लेकिन इस दुर्घटना में मैंने महसूस किया कि इसमें ऐसी कई बातें थीं जो देश के अनेक भागों में भी प्रचलित हैं और जिन पर राष्ट्रव्यापी रूप से ध्यान देने की जरूरत है। उक्त दुर्घटना में प्रयुक्त वाहन बच्चों को लाने-ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं था। इसे एक

अनुभवहीन चालक चला रहा था। जिसकी उम्र दस वर्ष थी। वह अंधाधुंध तरीके से और बहुत तेज गति से गाड़ी चला रहा था ताकि वह कई फेरे लगा सके और उस छोटे वाहन में कई बच्चे ठुंसे हुए थे।

अध्यक्ष महोदया, बच्चे किसी भी परिवार के सर्वाधिक बहुमूल्य पूंजी होते हैं। वे अपने माता-पिता की आशा होते हैं। अभिभावकों के दुख और उनको हुई क्षति को देखते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि देश भर में प्रभावी उपाय करने के लिए क्या किया जा सकता है।

मैंने पाया कि वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय ने एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार मामले में दिशानिर्देश जारी किए थे तथापि इन दिशानिर्देशों का पूरे देश में उल्लंघन किया गया है। इन दिशानिर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, न्यायालय ने कहा कि स्कूल बस चलाने वाले सभी ड्राइवरों को कम से कम दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए और वाहन भी कतिपय मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए अथवा उसे कतिपय मानदंडों को पूरा करना चाहिए। वाहनों की गति के लिए भी नियम हैं कि इनकी गति कितनी होनी चाहिए।

स्कूल बस की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन, स्कूल प्राधिकरण, अभिभावकों, यदि वाहन स्कूल का नहीं है, तो वाहन के मालिक अथवा चालक की है। अत: स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के आधार पर राष्ट्रीय अभियान और राष्ट्रीय मानदंड प्रख्यापित किए जाने की आवश्यकता है। इस बात की आड़ लेने की यह राज्य का विषय है और शिक्षा का कार्यभार किसी और पर सौंपने के बजाय आवश्यकता इस बात की है कि जोखिम के बारे में राष्ट्रीय जागरूकता फैलाई जाए कि पूरे देश में प्रतिदिन बच्चे किस तरह स्कूल जाते हैं।

नि:संदेह यह आवश्यक है कि राज्य सरकारों से उन्हें लागू करने के लिए कहा जाए परंतु तथ्य यह है कि मानदंडों को नजरअन्दाज किया गया है। असल में उन्हें पूरे देश में नजरअंदाज किया जाता है इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस मामले में अपने विवेक को जगाएं तथा कार्यात्मक कार्यवाही करें ताकि मानदण्डों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

शोकसन्तप्त परिवारों से मिलने पर मैंने यह नोट किया कि वे सभी सर्वसम्मति से चाहते थे कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ करे कि उन्होंने जो दु:ख सहा है वह अन्य अभिभावकों को न झेलना पड़े। अत:, मेरे विचार में हमें इस मामले के प्रति सजग होने और बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

सम्भवत:, इस मामले में अनेक मंत्रालय शामिल हैं जैसे कि मानव संसाधन मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय। उन सभी को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा और एक राष्ट्रव्यापी जन सूचना अभियान हेतु समन्वय करना होगा ताकि लोगों में प्रभावी प्रतिक्रिया लाई जा सके।

नोबेल पुरस्कार विजेता कवि, गैबरियेला मिसट्रल ने बच्चों के बारे में बात करते हुए कहा था कि, "हमें बच्चों का आज सुधारना होगा उनके विकास को हम कल पर नहीं टाल सकते।" अध्यक्ष महोदया, यह एक गंभीर समस्या है और हमें इस मामले पर कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री पी.के. बिजू (अलथूर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका और इस सभा का ध्यान कैंसर हेतु महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों में भारी अंतर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा एक गंभी मुद्दा है। राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा कैंसर की दवाइयों के संबंध में पहली बार किए गए अध्ययन से पता चला है कि देश में कैंसर हेतु बेची जा रही समान दवाइयों की अलग-अलग ब्रान्डों के मूल्यों में भारी अंतर है। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नोवारटिस, फाइजर, एली लिली और भारतीय कंपनियों में डा. रेड्डीज, सन, कैडिला, हिटेरो, ग्लेनमार्क और नैटको के उत्पादों को इस विश्लेषण में शामिल किया गया है।

स्तन कैंसर की दवा लैटरोजोल की विभिन्न ब्रान्डों में सर्वाधिक अंतर अर्थात् 3, 210 प्रतिशत का अंतर पाया गया। स्विस दवा निर्माता नोवाटलिस का लैटरोजोल का 2.5 एम.जी. का दस गोलियों का एक पत्ता 1,986 रु. का है जबकि हैदराबाद स्थित हिटेरो का यही पत्ता 60 रु. का है।

कैंसर के सभी पांच अथवा छह प्रकारों में यही प्रवृत्ति देखी जा सकती है। जहां मूल्यों में लगभग 1,000 प्रतिशत का अंतर है क्योंकि आयातित दवाईयां हमेशा से ही अत्यधिक महंगी होती हैं जबकि घरेलू उत्पादक उन्हीं दवाईयों को सस्ते में बेचते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां घरेलू कंपनियों द्वारा सबसे अधिक और सबसे कम मूल्यों की पेशकश की गई। विश्लेषण हेतु ली गई 75 दवाईयों में से 30 मामलों में 100 प्रतिशत से अधिक का मूल्य अंतर देखा गया। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां घरेलू कंपनियों द्वारा सर्वाधिक और न्यूनतम मूल्य की पेशकश की गई।

अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिनियमित राष्ट्रीय भेषज मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण को शामिल करने वाली पन्द्रह वर्ष पुराना दवा मूल्य नियंत्रण आदेश कैंसर रोधी दवाइयों को उन दवाईयों की सूची में शामिल नहीं करता जिनके मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। दवा मूल्य नियंत्रण आदेश में 'जनहित' खण्ड का प्रयोग करना भी मुश्किल होगा क्योंकि कैंसर

रोधी दवाईयां कारोबार की मात्रा और एकाधिकार के मानदण्ड के अन्तर्गत ये दवाईयां प्रत्यक्ष मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत लाये जाने से बच जाती हैं।

इनकी अधिक लागत के कारण अधिकांश प्रभावित लोग ये दवाईयां लेने में असमर्थ हैं। मुझे आश्चर्य है कि सरकार ने कैंसररोधी दवाईयों को विद्यमान नियमों के भीतर नियमित करने हेतु कोई कड़े कदम नहीं उठाए। यदि मूल्य नियंत्रण के पक्ष में कोई ठोस मामला बनता है तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं।

मैं सरकार से यह पुरजोर आग्रह करता हूं कि वह हमारे देश में असाध्य कैंसर पीड़ितों की सहायता हेतु मूल्यों को कम करने हेतु कड़े विनियमन कार्यान्वित करे।

[हिन्दी]

प्रो. रामशंकर (आगरा): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आगरा में प्रतिदिन 40 हजार से लेकर 80 हजार तक देसी और विदेशी पर्यटक जाते हैं, लेकिन वहां पर टूटी-फूटी सड़कें हैं और वहां का जो नेशनल हाईवे है, उस पर देसी और विदेशी पर्यटक फंसा रहता है और उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहां पर जो एयरपोर्ट है वह एयरफोर्स का है और वहां से ताज की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है। ताज को देखने जब देसी और विदेशी मेहमान आते हैं तो इस 10 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसके तीन तहसीलों के लोग और शहर की लगभग 5 लाख की आबादी आती है और जब वी.आई.पी. और वी.वी.आई.पी. लोग आते हैं तो इनके आने से एक घंटा पहले और जाने तक दोनों तरफ से रोड बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण स्कूल में जाने वाले बच्चे और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली जनता वहां फंसकर खड़ी रहती है और बड़ी-बड़ी लम्बी कतारें वाहनों की लग जाती हैं। महोदया, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां जो स्कूल के बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली जनता और देसी-विदेशी मेहमानों को समस्या आती है, उसे किसी प्रकार से हल करने की कृपा करें।

श्री गजानन ध. बाबर (मावल): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय जहाजरानी मंत्री जी का ध्यान न्यू-मुम्बई स्थित जवाहर लाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदया, जवाहर लाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट के निर्माण के समय वहां ग्रामीणों की जमीन सरकार द्वारा अधिगृहीत की गयी थी और किसानों को यह आश्वासन दिया गया था कि साढ़े बारह टके के हिसाब से बाद में उन्हें जमीन दे दी जाएगी। 30 साल के लगातार आंदोलन के बाद किसानों को जमीन देने की बात कही गयी।

लेकिन अभी तक किसानों को जमीन नहीं दी गई है, जिसके कारण स्थानीय किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहां दिन-प्रतिदिन आंदोलन हो रहे हैं। यह जमीन साढ़े बारह टका के हिसाब से किसानों को दी जाती है, वहां पर जमीन समतल होनी चाहिए, जबकि यह जमीन ऊबड़-खाबड़ है। यह जमीन समतल किए जाने की आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे। जहां साढ़े बारह टका के हिसाब से जमीन किसानों को दी जानी है, वहां जमीन जल्दी से जल्दी समतल करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित विभाग को दिया जाए तथा किसानों को उचित रूप से जमीन का आबंटन किया जाए, जिससे कि सभी किसानों को लाभ मिल सके।

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका बहुत आभारी हूं।

महोदया, सोमवार को एक राष्ट्रीय रसाले में एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि भारत के एक बड़े शहर में फर्जी अदालतें चल रही हैं। ये जो फर्जी कचहरियां हैं, आरबिट्रल ट्राइब्यूनल, ऑल इण्डिया ओवरसीज आरबिट्रेशन कमेटी, ए.डी.आर. फोरम जैसे नामों से जानी जाती हैं। खबर में यह लिखा हुआ है कि ये सभी फर्जी कचहरियां हैं, ये मुकदमें सुनती हैं, गवाहों को तलब करती हैं, फैसले सुनाती हैं और उन फैसलों का क्रियान्वयन अपने गुण्डों द्वारा करवाती हैं। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है कि यदि इस मुल्क में समानान्तर कानून प्रक्रिया चलेगी तो यह बहुत बड़ा खतरा लोकतन्त्र के लिए बनेगा। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि चूंकि यह खबर एक राष्ट्रीय रसाले में आयी थी, इसके ऊपर गौर किया जाए और यदि यह बात सही है तो इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं, जिससे ये जो फर्जी कचहरियां, ये बंद हो सकें।

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्गों की ओर ले जाना चाहता हूं। आज पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति ठीक नहीं है। मैं विशेष रूप से मध्य प्रदेश का उल्लेख करना चाहता हूं। पिछले सत्र के समय माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को बुलाया था और उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में जिन राष्ट्रीय राजमार्गों

की हालत ठीक नहीं है और जिनको ठीक करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, उन्हें हम फरवरी मार्च तक सुधारने का काम करेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि फरवरी माह बीत गया है और अभी तक उन सड़कों की यथावत स्थिति है। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र सतना शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। शहर की आबादी लगभग चार लाख से अधिक है और सिंगल सड़क है। यह राष्ट्रीय मार्ग शहर के बीच में से होकर गुजरता है। यहां आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे सैकड़ों बेगुनाह लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने सतना शहर का बायपास बनाने एवं बेला तक चार लेन सड़क बनाने हेतु भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। वर्तमान में उक्त प्रकरण एन.एच.डी.पी. फेज-IV ए.पी.पी.पी. संबंधित आधार में एस.एफ.सी. कमेटी तथा योजना आयोग के पास विचाराधीन है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे स्वीकृति दे दें, ताकि वहां बेगुनाह लोगों की जो लगातार मौतें हो रही हैं, उन्हें बचाया जा सके।

अपराह्न 12.24 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन—*जारी*

(दो) सोमाली जल दस्युओं द्वारा भारतीयों को बंधक बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): अध्यक्ष महोदया, विपक्ष के माननीय नेता ने खुले सागर में हाल ही में हुई घटनाओं संबंधी गंभीर मामले को उठाया है। मैं इस संबंध में सभा के समक्ष एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूं।

समुद्री डकैती का मुद्दा एक जटिल अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। हाल ही में सोमाली जल दस्युओं ने 1000 कर्मियों सहित विश्वभर के सैकड़ों जहाजों का अपहरण किया। उनमें से अधिकांश को छोड़ दिया गया था।

पोत परिवहन हेतु भारत सरकार की नोडल एजेन्सी: पोत परिवहन निदेशालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अपहरण किए गए इन जहाजों में लगभग 215 भारतीय कर्मी थे। इनमें से 136 को छोड़ दिया गया है। इस समय सोमाली जलदस्युओं के पास भारत के सात जहाज हैं जिनमें कुल 79 कर्मी बंदी हैं। संबंधित देशों के राजदूतावास और भारत के महाकांसुलावास कई महीनों से स्थानीय सरकारों और जहाज मालिकों के नियमित संपर्क में हैं। हम संबंधित स्थानीय सरकारों और जहाज मालिकों पर केवल इस बात का दबाव डाल सकते हैं कि वे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और शीघ्र रिहाई के लिए हर संभव प्रयास करें क्योंकि रिहाई ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बंदी बनाए गए भारतीय कर्मियों के परिवार के सदस्य मुझसे और सरकार के अन्य लोगों से मिले थे। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं मिस्र में हमारे राजदूत के नियमित संपर्क में हूं और मैंने दुबई में काउंसल जनरल से बात की है। मैंने भारत आए मिस्र के राजदूत से भी मुलाकात की है और 'एम.वी. स्वेज' में बंधक बनाए गए भारतीयों की सुरक्षित और शीघ्र रिहाई हेतु उनकी सरकार से सहायता करने का अनुरोध किया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने समुद्री डकैती से निपटने हेतु अनेक संकल्प पारित किए हैं जिनमें से एक वर्ष 2008 में पारित किया गया था। तथापि, सोमालिया में जहां अधिकांश समुद्री डकैत हैं, संक्रमणकालीन सरकार है। केनिया में हमारे उच्च आयुक्त ने, जो सोमालिया से संबंधित मामलों को भी देखते हैं, परिवर्तित सरकार के अध्यक्ष के साथ इस मामले को उठाया है और उन्होंने हमें पूर्ण सहायता देने का आश्वासन दिया है। सरकार का यह प्रयास होगा कि यह इसे जिस किसी के साथ संभव होगा उसके साथ उठायेगी। यह प्रश्न भारतीय मूल के कतिपय नागरिकों के समुद्री लुटेरों द्वारा बंधक बनाए जाने का है। हम जहाज के मालिकों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। मैंने स्वयं अपने राजदूत के माध्यम से, जहाज के मालिकों के साथ संपर्क बनाया हुआ है। अत: हम जहाज के मालिकों द्वारा लुटेरों के साथ चर्चा करने का इंतजार कर रहे हैं जैसा कि कई मामले में हुआ है और इसके परिणामस्वरूप बंधकों की रिहाई हुई है। हमें आशा है कि हम बंधकों को लुटेरों के चंगुल से बचाने में सफल होंगे...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): महोदया, यह सरकार की विवशता दर्शाता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदया, यह उत्तर बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है।...*(व्यवधान)* आप बताइए कि जिनको आज मारने की धमकी दी है, उनको आप कैसे रिलीज कराएंगे? वे न मरें, इस बारे में हम उनके परिवारजनों को क्या सांत्वना दे सकते हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। उन्होंने अपना वक्तव्य दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: उन्होंने अभी-अभी अपना वक्तव्य दिया है। अब हम आगे चर्चा करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: जिन्हें आज मारने की धमकी दी गई है, उन्हें हम कैसे कहें कि वे नहीं मारे जाएंगे।...*(व्यवधान)* क्या सरकार इतनी हैल्पलैस हो गई है कि हम शिपओनर को कह रहे हैं कि आप नैगोशिएट कर लीजिए। नेगोसिएशन का मतलब है कि जो रैनसम उन्होंने मांगा है, वह दे दीजिए।...*(व्यवधान)* जो रैनसम उन्होंने मांगा है, वह शिपओनर उनको दे दें, क्या यही नैगोशिएशन है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: शून्यकाल के अन्य मामले बाद में उठाए जायेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: वे लोग मारे नहीं जाएंगे, इस बारे में हम परिवारजनों को क्या कहें कि वे नहीं मारे जाएंगे?...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदया जी, मंत्री जी का यह उत्तर बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। हम इस पर वॉक-आउट करते हैं।

अपराह्न 12.28 बजे

इस समय श्रीमती सुषमा स्वराज और कुछ अन्य सदस्य सभा से बाहर चले गए।

नियम 377 अधीन मामले*

अपराह्न 12.29 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जायेंगे। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामला उठाने की अनुमति दी गई है और अगर वे इसे सभा पटल पर रखने हेतु इच्छुक हैं, तो वे व्यक्तिगत रूप से उसे पर्ची द्वारा 20 मिनट के अंदर सभा पटल पर रख दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा हुआ माना जायेगा जिससे संबंधित पर्चियां निर्धारित समय के अंतर्गत प्राप्त होंगी। शेष को व्ययगत माना जायेगा।

...*(व्यवधान)*

(एक) राष्ट्रीय सफल बीमा योजना में विसंगतियों को दूर किए जाने की आवश्यकता।

श्री मानिक टैगोर (विरुद्धनगर): कृषि विभाग ने किसानों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत बीमा योजना शुरू की है ताकि फसल खराब होने के समय किसानों को अप्रत्याशित हानि से बचाया जा सके। कई किसान, विशेष रूप से तमिलनाडु के किसान शिकायत कर रहे हैं कि फसल बीमा योजना उचित मानदंड और दिशानिर्देशों के अभाव में किसानों के लिए लाभकारी नहीं हैं और यह किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु मुआवजा देने के संबंध में किसानों और अधिकारियों के द्वंद्व के कारण इच्छित रूप से कार्य नहीं कर पा रही है।

फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावों का निपटान पूरे अधिसूचित क्षेत्र में फसल की हानि की गणना करने के पश्चात की आती है लेकिन हानि की गणना सामान्य औसत पैदावार के स्थान पर वास्तविक औसत पैदावार को आधार मानकर की जानी चाहिए। लेकिन मानदंडों में अधिसूचित क्षेत्रों के संबंध में विगत के वर्षों में छूट देते हुए इसे जिला स्तर से प्रखंड स्तर पर निर्धारित किया गया है, फिरक्का स्तर पर नहीं। इससे किसानों और अधिकारियों दोनों को ही अर्थात किसी किसान विशेष अथवा किसानों के समूह जिन्हें फसल की हानि होने पर लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था और कंपनी को भी हानि हो रही है क्योंकि इसे किसी अधिसूचित क्षेत्र के सभी किसानों, जिसमें भारी पैदावार प्राप्त करने वाले किसान विशेष भी शामिल हैं, मुआवजे का भुगतान करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त किसान विशेष स्तर पर इस योजना का दुरूपयोग करने वाले बीमा अधिकारियों को रोकने के लिए उचित तंत्र बनाया जाना चाहिए ताकि इसे रोका जा सके और इसके दुरूपयोग से बचा जा सके। गरीब किसान को लाभ नहीं पहुंचाने वाले ऐसे बीमा योजना की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

अत: मैं सरकार से इस सर्वोच्च सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना को सही करने हेतु

* सभा पटल पर रखे माने गये।

आवश्यक उपाय करे और किसानों को प्रतिवर्ष होने वाली फसल की वास्तविक हानि का उचित मुआवजा में निपटान करे।

(दो) संघर्षरत लीबिया में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता।

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरुनेलवेली): महोदया, मिस्र में काफी दिनों तक शासन के विरुद्ध अशांति के बाद विगत कुछ दिनों में लीबिया में हिंसा बढ़ी है और नियंत्रण से बाहर चली गई है। सरकार विरोधी हिंसा के दौरान अनेक बार गोलियां चलाए जाने से बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। लीबिया में त्रिपोली में और इसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 18,000 भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और वे वहां फंसे हुए हैं। इसके अतिरिक्त, इनमें से कुछ विभिन्न अस्पतालों में डाक्टर और नर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। विगत कुछ महीनों से उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वे बिना पर्याप्त जल, खाद्य आदि के घरों के अंदर रह रहे हैं। इनमें से मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तिरुनवेली, तमिलनाडु के तलाईवकोट्टी गांव के 24 अर्ध-कुशल कामगारों का एक दल भी है। ठेके पर कार्यरत दो कामगारों की मृत्यु हो गई है।

हमारी केंद्र सरकार ने त्वरित कार्यवाही की है, लीबियन प्राधिकारियों से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् वहां विमान और पोत भेजकर वहां से भारतीय लोगों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक कार्यवाही आरंभ की है। चूंकि वे अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने अपना सामान वहीं छोड़ दिया है, अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें नि:शुल्क वापस लाया जाए अथवा उन्हें वहां से निकालने के लिए नाममात्र का शुल्क लेने के अतिरिक्त कुछ नहीं लिया जाए और उनके घर पहुंचने तक उन्हें भोजन, दवा आदि जैसी सभी प्रकार की सहायता मुहैया कराई जाए।

मृतकों के परिवार गहरे दु:ख में हैं और उनके मृत शरीर अभी तक यहां नहीं लाए गए हैं।

अत:, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि लीबिया में हिंसा में मेरे तिरुनेलवेली जिले के वहां मरने वाले दो ठेका कामगारों के मृत शरीरों को विमान से यहां लाए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और मृतकों के परिवारों को उनकी आजीविका के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाए।

(तीन) कर्नाटक के चामराजनगर निर्वाचन क्षेत्र में बदनवल गांव में खादी और ग्राम उद्योगों का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता।

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): कर्नाटक राज्य का बदनवल गांव विश्व भर में खादी की आपूर्ति के लिए एक प्रमुख केंद्र और एक आदर्श गांव है जहां 1927 में खादी और ग्रामोद्योग केंद्र के उद्घाटन के लिए महात्मा गांधी ने दौरा किया था, जो कि अब भुला दिया गया गांव है और वहां शेड, क्वार्टरों और प्रयोग में नहीं लाए जाने वाले लकड़ी के चर्खों के अवशेष बचे हैं। चर्खे पूरी तरह से ठप्प हो गए हैं जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और समीपवर्ती मैसूर की ओर मजदूरों के पलायन को बढ़ावा मिला है, खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसका पुनरुद्धार करने, इसे अपनाने और इसमें धनराशि के निवेश के प्रति उत्तरवर्ती सरकारों की उदासीनता के परिणामस्वरूप बाध्य होकर सात यूनिटों में से छह यूनिटों को बंद करना पड़ा है।

आज खराब रखरखाव और आंशिक रूप से ढह गए ढांचे, बंद चर्खों और विद्युत आपूर्ति तथा टेलीफोन लाइनों से कटे दो ब्लॉक जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं। पेपर मैट, तेल, बढ़ईगिरी और कपड़ा इकाइयां 7.5 एकड़ में फैले इस परिसर में परियोजना का भाग थी; जिससे नानजनगुड गांव में सैकड़ों ग्रामीणों को रोजगार मिलता था, ये इकाईयां बंद हो गई हैं जिससे रोजगार सृजन करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयोजन और गांधीजी का सपना विफल हो गया है।

अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उक्त स्थान पर खादी इकाईयों का पुनरुद्धार किया जाए।

(चार) नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष विकास योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले को निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता।

डॉ. कृपारानी किल्ली (श्रीकाकुलम): श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश के साथ ही देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है। इस जिले के पिछड़ेपन के कारण यह 1968 में ही नक्सल आंदोलन का शिकार हो गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में 'नक्सलबाड़ी' से अभी आरंभ ही हुआ था। श्रीकाकुलम जिले के लगातार पिछड़ेपन से नक्सल आंदोलन को एक सुरक्षित आश्रय मिल गया है और केवल इसी जिले से नक्सलवाल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के शेष जिलों में फैल गया। इस जिले की सीमा उड़ीसा के मल्कानगिरी, कोरापुट और रायगढ़ जिले से लगी हुई है जोकि सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। जबकि उड़ीसा के ये तीन जिले विशेष विकास योजना (एस.डी.पी.) में पहले ही शामिल किए जा चुके हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम जिला इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। यद्यपि खम्माम और विशाखापत्तनम की पहचान नक्सल प्रभावित के रूप में की गई है, लेकिन केवल खम्माम को ही एस.डी.पी. निधियां प्राप्त हो रही हैं। आंध्र प्रदेश

राज्य सरकार ने श्रीकाकुलम जिले को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शामिल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया है। जब तक इस जिले के विकास के लिए निधियां नहीं दी जाती हैं, तब तक यहां के पिछड़ेपन को दूर नहीं किया जा सकता और जब तक पिछड़ापन दूर नहीं किया जाता, तब तक इस जिले से नक्सलवाद का उन्मूलन नहीं किया जा सकता।

अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि श्रीकाकुलम को नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया जाए और इस जिले के समग्र विकास के लिए एस.डी.पी. निधियां जारी की जाएं।

(पांच) आंध्र प्रदेश के विजयनगरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वर्ण-जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना के लिए निधियां संस्वीकृत किए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयमगरम): स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना का उद्देश्य आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में एकीकृत डेयरी विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीब स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए सतत आधार पर आजीविका अवसर उपलब्ध कराना है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु-पालन आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। पशु जनगणना के अनुसार जिले में 7 लाख पशु हैं जिनमें से 50 प्रतिशत प्रजनन योग्य हैं। यह परियोजना तीन वर्षों की है जिसमें 2500 बी.पी.एल. परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें घर के निकट गायों और भैंसों के लिए कृत्रिम गर्भधान सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त तीन वर्षों की अवधि में दुधारू पशुओं की क्षमता वृद्धि के लिए डेयरी किसानों को पैकेज प्रदान करने, ग्रामीण परिवारों को सतत रूप से रोजगार सृजन और लगातार लाभ प्रदान करने और उत्पादक पशुओं में क्षमता वृद्धि करने जैसे कुछ विशेष उद्देश्यों को शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है।

अत:, मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करती हूं कि वह इस प्रयोजनार्थ 15 करोड़ रु. की अनुमानित परियोजना लागत को यथाशीघ्र संस्वीकृति प्रदान करे।

(छह) पूरे देश में विशेषकर उत्तराखंड में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत निजी विद्यालयों को शामिल किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): मैं इस सदन का ध्यान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार द्वारा यह अभियानसारे देश में व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को भारी धन आबंटन भी किया है। अभियान का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों के लिए आगे शिक्षा जारी रखने, 14-18 वर्ष के बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा, आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ी बालिकाओं, विकलांगों, ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा को सुलभ बनाना है। जोकि केन्द्र सरकार द्वारा की गई एक सराहनीय पहल है व जिसके लिए वह बधाई की पात्र है। इस अभियान को केवल राजकीय विद्यालयों तक ही सीमित किया गया है। जिससे अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी इसके लाभ से वंचित हैं। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि देश के विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश विशेषकर उत्तराखण्ड राज्यों में सरकारी विद्यालयों की संख्या काफी कम है जबकि गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या काफी अधिक है। गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को इसमें सम्मिलित किए बिना इस योजना के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल होगा और इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के साथ यह अन्याय है।

महोदया, यह समस्या सारे देश की है। अत: समान शिक्षा व्यवस्था के लिए हमारी शिक्षा नीति में एकरूपता होनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इतने उद्देश्यपूर्ण राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में राजकीय विद्यालयों के साथ-साथ अशासकीय विद्यालयों को भी सम्मिलित करे जिससे इसका लाभ संपूर्ण विद्यार्थियों तक समान रूप से सुनिश्चित हो सके।

(सात) देश में जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री एंटो एंटोनी (पथनमथीट्टा): मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वह शैक्षणिक वर्ष 2011-12 के लिए पूरे देश में जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए तत्काल उपाय करे। जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा फरवरी माह में आयोजित की जानी थी और चयन प्रक्रिया उसके बाद के माह में पूरी की जानी थी। लेकिन, समस्त प्रवेश प्रक्रिया लंबित है और लाखों बच्चे तथा उनके अभिभावक दु:खी और व्यथित हैं। वार्षिक परीक्षाएं मार्च माह में आयोजित की जा रही हैं तथा अगली कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया अप्रैल और मई माह के दौरान पूरी की जाएगी। अत:, विद्यार्थियों के लिए इन महीनों में नवोदय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना बहुत कठिन है। जवाहर नवोदय विद्यालयों का उद्देश्य विशेषकर ग्रामीण भारत में बच्चों को गुणवत्तापूर्वक आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है। यह नूतन प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति ला सकता है। यही एकमात्र ऐसा स्कूली

कार्यक्रम है जिसमें विद्यालय अपने विद्यार्थियों को परस्पर एक-दूसरे के विद्यालय में भेजा करते हैं जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का व्यावहारिक साधन है। तथापि, जवाहर नवोदय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा का असमय स्थगन इसके गौरव और विश्वसनीयता को प्रतिकूलत: प्रभावित करेगा। अत:, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह जवाहर नवोदय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा को पूरा करने के लिए तत्काल आवश्यक उपाय करे।

(आठ) केरल के चालाकुडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए एक विशेष पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

श्री के.पी. धनपालन (चालाकुडी): मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान चालाकुडी निर्वाचन क्षेत्र में पर्यटन के बढ़ते महत्व से संबंधित महत्वपूर्ण मामले की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस क्षेत्र के बढ़ते पर्यटन महत्व के मद्देनजर चालाकुडी हेतु विशेष पर्यटन पैकेज देने पर विचार करे। प्रसिद्ध अधीरापल्ली वॉटरफॉल को देखने प्रतिदिन हजारों पर्यटक आते हैं। इसके नजदीक वाभाचल-धूमपूरमूझी भी एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। मूजीरिस, जिसे हमारे देश का प्राचीन पोर्ट सिटी माना जाता है, चेरामऊपारो एम.पी.यू., कोट्टापुरम नौका दौड़, मेल ज्यू सुनानन और सिमेंट्री देश के विभिन्न भागों से अनेक पर्यटकों और बुद्धिजीवियों (स्कॉलर्स) को आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त, वहां पर्यटन महत्व वाले अनेक स्थल हैं।

क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करने हेतु चालाकुडी में नौ प्रमुख तीर्थ स्थल हैं - कोडुनगलूर भगवती मंदिर, कोडुनगलूर, तिरुवनचिकुलम मंदिर, चेरामन जुमा मस्जिद, मार्थोमा चर्च, अझिकोड, कीलथाझी शिव मंदिर, कलाउ में श्री शंकराचार्य का जन्म स्थल, सेंट थॉमस चर्च अम्बाझाकाडु और मालायत्तूर, अलूवा में शिवरात्रि मानलपुरम तथा कडामट्टम में काडामत्थू काथानार चर्च।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह चालाकुडी के विकास हेतु विशेष पर्यटन पैकेज स्वीकृत करे।

(नौ) सिद्धमुख-नहर सिंचाई परियोजना के लिए राबी-व्यास नदी के अतिरिक्त जल से राजस्थान को उसका उचित हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों द्वारा दिनांक 31.12.1981 को प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हुए अनुबंध के अंतर्गत राजस्थान को रावी-व्यास के आधिक्य जल में से 8.60 एम.ए.एफ. पानी आवंटित किया गया था। उक्त समझौते के तहत सिधमुख-नोहर के लिए 0.47 एम.ए.एफ. पानी का आवंटन किया गया। पूर्व में ही सिधमुख-नोहर सिंचाई प्रणाली के लिए 0.30 एम.ए.एफ. पानी उपलब्ध है। शेष 0.17 एम.ए.एफ. पानी (एक्स नांगल) राजस्थान को नांगल में भाखड़ा मेन लाइन के माध्यम द्वारा राजस्थान के संसाधनों से प्रवाहित किया जाना था। भाखड़ा-व्यास प्रबंधन निगम की दिनांक 11.7.2006 को आयोजित 192वीं बैठक में राजस्थान ने पुन: एजेण्डा रखा कि भाखड़ा मेन लाइन की पूर्ण क्षमता सुनिश्चित कर ली गई है। अत: राजस्थान का बकाया हिस्सा आवंटित किया जाए। जिसे पंजाब के सदस्यों ने भी स्वीकार किया, परंतु हरियाणा की असहमति के कारण इस प्रकरण को भारत सरकार को निर्णय हेतु प्रेषित कर दिया गया। राजस्थान सरकार ने बार-बार भारत सरकार को उक्त पानी दिलवाने के लिए केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री से निवेदन किया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सिधमुख-नोहर क्षेत्र में नहरों व माईनरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। पानी के अभाव में वहां का किसान अत्यधिक परेशान है। राजस्थान में बार-बार अकाल पड़ने के कारण किसान की हालत अत्यंत ही खराब होती जा रही है। अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि प्रभावी कार्यवाही कर सिधमुख-नोहर के हिस्से का शेष पानी 0.17 एम.ए.एफ. दिलवा कर अनुग्रहीत करे।

(दस) संसद में खाद्य सुरक्षा विधेयक को पारित किए जाने की आवश्यकता।

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगांव): सरकार ने गरीबों को अनाज सस्ते में पहुंचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली तैयार की। लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खामियों की वजह से सरकार की इस योजना का लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार ने बी.पी.एल. यानि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को तथा अंत्योदय योजना के अंतर्गत 35 किलो तक अनाज सस्ते में देने का प्रावधान किया लेकिन आज स्थानीय स्तर पर जांच करे तो यह पता लगता है कि 35 किलो अनाज कहीं भी नहीं मिल पा रहा है और सरकार ने अनाज की जो दरें सुनिश्चित की हैं उस दर पर लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों तक सस्ते में अनाज पहुंचाने को सुनिश्चित करने का यह उद्देश्य इस प्रणाली में अनियमितताओं के कारण असाध्य साबित हो रहा है।

कुछ महीने पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार द्वारा खरीद किए गए अनाजों का भंडारण के अभाव में सड़ने के कारण इसे सड़ने के बजाय गरीबों में बांटने के निर्देश दिए गए, लेकिन सरकार इसे अव्यावहारिक बता रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए और गरीबों की खाद्यान्न सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम जल्द

से जल्द संसद में लाकर उसे पारित कर उसका पूरे देश में कार्यान्वयन सुनिश्चित करे।

(ग्यारह) बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पात्र लोगों को केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण का समुचित संवितरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के तीन जिले मोतीहारी, सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर के जो ब्लाक हैं, उनमें केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों द्वारा जो धन सहायता या ऋण के रूप में दिया जाता है उसमें काफी अनियमितताएं बरती जा रही हैं एवं लाभांवित लोगों को कम पैसा मिल रहा है। ऋण एवं सहायता के रूप में योजनाओं का लाभ ग्रामीण लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए सरकार को बैंकों के कार्य पर निगरानी रखनी होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी होगी तभी इन योजनाओं से ग्रामीण लोगों को लाभ मिलेगा एवं जिन लाभांवित व्यक्ति को सहायता दी जा रही है उन्हें उनके घर पोषक क्षेत्र वाले क्षेत्र में पास बुक दी जानी चाहिए।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण एवं सहायता के रूप में दी जा रही योजनाओं में अनियमितताओं को दूर किया जाए एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

(बारह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केंद्र द्वारा प्रायोजित विकास योजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मेरे संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी उ.प्र. में केन्द्र द्वारा प्रायोजित विकास कार्यक्रम की योजनाएं राष्ट्रीय स्वजल धारा योजना, राष्ट्रीय राजीव गांधी पेयजल मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सेंट्रल रोड फंड एवं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य नहीं हो रहे हैं। वर्ष 2010-2011 एवं 2011-2012 कई कार्य योजनाओं के लंबित होने से विकास अवरुद्ध है। केन्द्र सरकार एक सर्वे निरीक्षण केन्द्र से मेज पर जांच कराए तथा लंबित सभी परियोजनाओं पर तत्काल धन देकर विकास सुनिश्चित कराने की कृपा करें।

(तेरह) उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्युत परियोजनाओं से राज्य को पर्याप्त विद्युत प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठान एन.टी.पी.सी. एवं एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा कुल 8,753 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित हैं लेकिन इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश को केवल 38 प्रतिशत बिजली आवंटित की गई है। उत्तर प्रदेश द्वारा इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि एवं जल की व्यवस्था उस समय की गई थी जब एन.टी.पी.सी. ने अपना कार्य प्रारंभ किया था तथा अन्य राज्यों में भूमि एवं जल की सुविधा एन.टी.पी.सी. को नहीं मिल रही थी। उत्तर प्रदेश में बिजली की भारी कमी है तथा केन्द्रीय परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश का अंश बढ़ाने के लिए प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती द्वारा प्रधानमंत्री जी को कई बार अनुरोध किया जा चुका है लेकिन केन्द्र सरकार केन्द्रीय परियोजनाओं में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए अभी भी गाडगिल फार्मूले पर टिकी हुई है।

उत्तर प्रदेश द्वारा जनसंख्या के आधार पर बिजली के आवंटन की मांग की जा रही है लेकिन आवंटन के फार्मूले में परिवर्तन न होने के कारण उत्तर प्रदेश को आवश्यकता के अनुसार बिजली नहीं मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश को भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन कंपनियों से बिजली क्रय करनी पड़ रही है।

उत्तर प्रदेश को अधिक बिजली आवंटित किए जाने की मांग पूरी तरह जायज है क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश ने अपने बहुमूल्य संसाधन जैसे कि भूमि एवं पानी इन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराए हैं तथा उत्तर प्रदेश का पर्यावरण भी इन परियोजनाओं से प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रहित में दिए गए सहयोग के लिए केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश को जनसंख्या के अनुपात में बिजली का आवंटन करना चाहिए।

(चौदह) बिहार में पूर्व-मध्य रेलवे के अंतर्गत दानापुर में सड़कों, रेलवे स्टाफ क्वाटर्स और पार्कों की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता।

प्रो. रंजन प्रसाद यादव (पाटलिपुत्र): मैं रेल मंत्री का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर स्टेशन के पास से गुजरने वाली सड़क, रेलवे कालोनी की सड़क तथा क्वार्टरों की मरम्मत एवं पार्क की व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं।

दानापुर स्टेशन के पास जो सड़क गुजरती है वह बहुत ही जर्जर स्थिति में है। टूटी-फूटी सड़क होने के कारण आम जनता तथा रेलवे कर्मचारियों को बहुत ही असुविधा होती है तथा आये दिन यहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। रेलवे कालोनी, दानापुर के क्वार्टरों की भी स्थिति ठीक नहीं है। वह भी बहुत जर्जर स्थिति में है। किसी भी समय क्वार्टर गिर सकते हैं और दुर्घटना हो सकती है, जिससे जान-माल का नुकसान होने का खतरा है। यही हाल वहां के पार्कों का भी है। उनकी साफ-सफाई तथा रख-रखाव नहीं होता है जिससे गंदगी के कारण बीमारी फैलने का डर है। अत: मैं मंत्री

महोदया से आग्रह करता हूं कि वह दानापुर स्टेशन के पास की सड़क, रेलवे कालोनी की सारी सड़कें, रेलवे क्वार्टरों की मरम्मत एवं पार्कों की सफाई तथा रख-रखाव करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें जिससे आम जनता तथा रेलवे कर्मचारियों में आक्रोश की भावना समाप्त हो।

(पंद्रह) पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड की बंद पड़ी इकाई को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

शेख सैदुल हक (वर्धमान-दुर्गापुर): पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड के यूरिया उत्पादन संयंत्र को वर्ष 2000-2003 के दौरान बंद कर दिया गया था। पूरे देश में यूरिया की मांग बढ़ती जा रही है। पिछले दो वर्षों में इस इकाई को पुन: चालू करने के लिए अनेक प्रयास किए गए लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। अत: मैं सरकार से एच.एफ.सी.एल. की दुर्गापुर इकाई को तत्काल पुन: चालू करने का आग्रह करता हूं।

(सोलह) कैंसर रोगियों के इलाज के लिए अस्पताल बनाने हेतु पंजाब राज्य को विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन (फरीदकोट): पंजाब राज्य में कैंसर रोगियों की संख्या चिंताजनक दर से बढ़ रही है। कैंसर का इलाज करने वाले अस्पतालों की संख्या कैंसर रोगियों की संख्या की तुलना में काफी कम है। बेशक, ऐसे अधिकतर मामलों में प्रधानमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता दी जाती है, लेकिन इस स्थिति की विकरालता और गंभीरता को देखते हुए अधिकतर ऐसे रोगी उपचार के बिना ही दुखस्था झेल रहे हैं।

अत: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करती हूं कि वह पंजाब में विशेष रूप से कैंसर रोगियों के लिए अस्पताल बनाने हेतु पंजाब राज्य को विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान करे।

(सत्रह) बिहार के सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री ओम प्रकाश यादव (सिवान): केन्द्र सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत घर-घर तक विद्युत कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र में भी विद्युतीकरण हो रहा है जो पावरग्रिड के द्वारा कराया जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के बहुत सारे गांव की आबादी ज्यादा है। इस योजना के तहत जो ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, वह उपभोक्ताओं के अनुपात में ज्यादा लोड सहन नहीं कर पा रहे हैं परिणामस्वरूप वे ठप्प पड़ जाते हैं। इसके बाद कई महीने तक गांव में अंधेरा हो जाता है जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि उपभोक्ताओं के आधार पर ट्रांसफार्मर की क्षमता निर्धारित की जाए। जहां आबादी अधिक हो वहां उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाए जाएं ताकि इस योजना का लाभ मेरे संसदीय क्षेत्र की गरीब जनता को मिल सके।

(अठारह) जम्मू-कश्मीर के कारगिल में एल.पी.जी. एजेंसी खोलने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हसन खान (लद्दाख): लद्दाख क्षेत्र में दो जिले लेह और कारगिल शामिल हैं। यह 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है और इसका वर्ष में छ: महीने से अधिक समय तक विश्व से संपर्क बना रहता है। लेह में अस्सी के दशक के शुरुआत में विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत एक रसोई गैस डीलरशिप के आबंटन को मंजूरी दी गई थी। कारगिल जिले में रसोई गैस भी आपूर्ति यहां अलग से एक रसोई गैस की डीलरशिप हो जाने के बगैर आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत लेह से शुरू की गई थी। रसोई गैस के भंडार को जम्मू (710 किलोमीटर) से लेह भेजा जाता था और इसे पुन: लेह से कारगिल (250 किलोमीटर) तक भेजा जाता था। अंतत: आई.ओ.सी. ने कारगिल में वर्ष 2006 में अलग से एक रसोई गैस डीलरशिप शुरू करने का निर्णय लिया। हालांकि इसके लिए बोली वर्ष 2006 में ही आमंत्रित किए गए थे लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। अत: अनुरोध है कि कारगिल में एक रसोई गैस एजेंसी खोलने हेतु त्वरित कदम उठाए जाएं।

अपराह्न 12.30 बजे

सामान्य बजट (2011-12) सामान्य चर्चा और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2010-11-जारी

अध्यक्ष महोदया: अब सभा मद सं. 15 और 16 के संबंध में एक साथ विचार करेगी। श्री निशिकांत दुबे।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैंने पिछली बार भी कहा था और इस बार भी कहता हूं कि मैंने बचपन में पहली बजट स्पीच सुनी तो माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी की सुनी। उनसे मुझ जैसे लोगों को बहुत अपेक्षाएं रहती हैं कि शायद देश के लिए कुछ नया होने वाला है, नई घोषणा होने वाली है। जब इस देश के प्रधानमंत्री स्वयं वित्त विशेषज्ञ हों, श्री रंगराजन इकनॉमिक सलाहकार वित्त विशेषज्ञ हों, मोंटेक सिंह आहलूवालिया प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन और वित्त विशेषज्ञ हों और स्वयं वित्त मंत्री जिनके प्रधानमंत्री फाइनेंस सैक्रेट्री रहे हों, इसका मतलब है कि उन्होंने वित्त के बारे में पूरी जानकारी मनमोहन सिंह जी, मोंटेक सिंह जी और रंगराजन जी को सिखाई और पढ़ाई होगी और इससे देश कहीं न कहीं आगे बढ़ते नजर आना चाहिए। मैंने इस बजट को देखा और मैं सोच रहा था कि आज क्या बोलूं। आज सुबह मैं गाड़ी में आ रहा था तो एक गाना बज रहा था और मुझे लगा कि वित्त बजट के बारे में यही एक लाइन काफी होगी। आप सब लोगों को इस गाने के बारे में पता होगा और वह लाइन है - "अजीब दास्तां है ये कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम।" इस बजट के बारे में वे क्या कहना चाहते थे, मैं कुछ नहीं समझ पाया। यदि वे फिस्कल डेफिसिट को माइनस करने की बात कहते हैं, डा. जोशी कल बता रहे थे कि कहीं न कहीं एकाउंट में फेरबदल हुई है। 3,82,000 करोड़ को 4,01,000 करोड़ को रिवाइज एस्टीमेट में डाला गया है। इसके बाद थ्री जी आप्शन में ज्यादा पैसा गया लेकिन एक चीज जो किसी वक्ता ने नहीं कही कि आपने पेट्रोल प्राइस के बारे में कहा कि टैक्स पांच परसेंट ले रहे हैं, कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं, उसे 70 डॉलर के तौर पर जोड़ा था कि 70 डॉलर कच्चे तेल का दाम होगा और उसके हिसाब से इतना रेवेन्यू मिलेगा। जबकि कभी पेट्रोल 70 डॉलर पर नहीं आया, वह जब भी आया 80, 90 या 100 पर आया। क्या आप इसे रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए नहीं डाल रहे हैं? क्या आपने कभी प्रयास किया कि उसे आम जनता तक कैसे लाएंगे? यदि आपने बजट एस्टीमेट 70 डॉलर पर बनाया तो पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ा रहे हैं तो इसे आम जनता तक ट्रांसफर क्यों नहीं किया?

महोदया, ग्रोथ और इन्फलेशन पर बराबर बहुत बार चर्चा होती रही है। मेरे पास आई.एम.एफ. का बड़ा खूबसूरत डाटा है कि वर्ष 2000 से 2004 तक चीन का डेवलपमेंट 9.2 परसेंट हुआ, जी. डी.पी. ग्रोथ 9.2 परसेंट हुई। और उसका इनफ्लेशन रेट 1.1 परसैन्ट था। इंडिया का 2000 से 2004 तक जी.डी.पी. ग्रोथ रेट 5.6 परसैन्ट था और उसका इनफ्लेशन रेट 3.9 परसैन्ट था। ब्राजील का जी. डी.पी. ग्रोथ रेट 1980-1984 में 1.5 परसैन्ट था और उसका इनफ्लेशन रेट 123 परसैन्ट था। उसी ब्राजील का 1990 से 1994 तक जी.डी.पी. ग्रोथ रेट 1.4 परसैन्ट था और उसका इनफ्लेशन रेट 1690 परसैन्ट था। रशिया का बड़ा खूबसूरत है, इसका 1990-1994 तक जी.डी.पी. ग्रोथ रेट माइनस 4.3 परसैन्ट था और उसका इनफ्लेशन रेट 236 परसैन्ट था। इसका मतलब यह है कि इनफ्लेशन का प्राइस से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि महंगाई आम जनता को कितना परेशान करती है, इससे कितनी शादियां टूट रही हैं, युवा जोड़े कितने दुखी होते हैं। मेरे मोबाइल पर एक जोक आया कि एक युवा जोड़ा शादी करना चाहता था। वह बड़ा खूबसूरत जोक है। शादी करने से पहले जब वे दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए गये तो लड़के ने कहा दिलरुबा, तो लड़की ने कहा कि पिज्जा खिला। लड़के ने कहा कि पैसे नहीं, लड़की ने कहा कैसे नहीं। लड़के ने कहा महंगाई है, लड़की ने कहा आज से तू मेरा भाई है।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (सारण): आप वहां क्या कर रहे थे?

श्री निशिकांत दुबे: मैं वहां देख रहा था और सुन रहा था। आप इस महंगाई के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि आज सिचुएशन क्या है। आप रोटी की बात करिये। आप कहते हैं कि शुगर ज्यादा पैदा हो गया, ओनियन ज्यादा पैदा हो गया, पल्सेज ज्यादा पैदा हो गई। पल्सेज 2008 में 14.2 मीट्रिक टन पैदा हुई थी और उसके दाम तीस रुपये किलो थे। यदि अरहर की दाल को देखें तो यह आपने 17.2 मीट्रिक टन पैदा की है और उसके दाम 75 से 80 रुपये हैं। इसका क्या कारण है? यदि आप शुगर की बात करते हैं तो शुगर का प्रोडक्शन 2008 में कितना था, उसके मुकाबले आपने 20 मीट्रिक टन ज्यादा पैदा किया है और उसका दाम कितना है। इसके पीछे क्या कारण है? आज लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, लोगों को कपड़ा नहीं मिल रहा है। हमारे यहां शादी होती है तो कहते हैं कि घड़ी, साइकिल और रेडियो दीजिएगा।

अध्यक्ष महोदया, आप बिहार से आती हैं। शादी होती थी तो लोग घड़ी, रेडियो और साइकिल मांगते थे। लेकिन आज क्या मांगते हैं कि हमें रेमंड्स का कपड़ा दे दीजिए, कहते हैं कि बारबरी का कपड़ा दे दीजिए। क्योंकि शादी के समय कपड़े खरीदे जाते हैं। लेकिन आपने क्या किया, ब्रांडेड कपड़ों पर टैक्स लगा दिया। यदि गरीब आदमी कपड़ा पहनना चाहता है, खरीदना चाहता है तो आपने उस पर भी टैक्स लगा दिया। वह हवाई जहाज की यात्रा करना चाहता है। वह हनीमून पर जाना चाहता है। आजकल जितनी बजट एयरलाइंस चलती हैं, आपने उन सब पर टैक्स लगा दिया। किसी पर पचास रुपये लगा दिये, दो सौ पचास रुपये लगा दिये। आप किस तरह की सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। आप कहते हैं

कि एयरकंडीशंड गाड़ी खरीद लो, उसके लिए आप रिबेट दे रहे हैं। लेकिन जब आप एयरकंडीशन की आदत लगा देते हैं और हैल्थ की परेशानी के हल के लिए आदमी जाता है तो आप कहते हैं कि जो ए.सी. हैल्थ हास्पिटल्स हैं, उनमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। आई.सी.यू. पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जितने आई.सी.यू. हैं, उन सभी में एयरकंडीशंस लगे हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप इन सारी चीजों का मिसमैच कर रहे हैं?

महोदया, इनकी तीन चीजें हैं। इस सरकार की पालिसी है - यूथ, माइनोरिटी और वूमैन। यूथ के बारे में आप बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन यदि इस साल का बजट देखेंगे तो आपने यूथ पर बजट एलोकेशन कम दिया है। आप जिस माइनोरिटीज की बात करते हैं, उसकी सब्सिडी को क्या मंत्री जी आपने देखा है? 2010-2011 में यह 837 करोड़ रुपये थी, लेकिन 2011-2012 में वह 600 करोड़ रुपये हो गई है। आपने हर सब्सिडी घटा दी है। आपने केवल मौलाना आजाद फाउंडेशन, जिसमें प्रायोरिटी सैक्टर में लैंडिंग होता है, उसके अलावा आपने माइनोरिटी पर कोई काम नहीं किया है, कोई बजट नहीं दिया है। वूमैन की यदि बात करें तो आंगनबाड़ी वर्कर्स को पैसा बढ़ाने के अलावा आपका कोई ऐसा काम नहीं है। मैं योजना का नाम बता सकता हूं कि आपने क्या-क्या किया है, कहां-कहां वूमैन का पैसा कम हुआ है। उनकी जो योजनाएं स्वभार, प्रियदर्शी, ट्रेनिंग आदि हैं, इन सबमें आपने एलोकेशन कम किया है।

इसके बाद यदि प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग की बात करें, आप सोशल सैक्टर की बहुत बात कर रहे हैं, यदि हम सोशल सर्विस की बात करें तो 2010-2011 में आप 1,62,501 रुपये दिये थे।

आपने वर्ष 2011-2012 में एक लाख 65 हजार 975 रुपया दिया है। यदि इसका जी.डी.पी. के रेश्यो में परसेंटेज देखेंगे तो यह 1.8 परसेंट है। यदि आप एजुकेशन की बात देखेंगे तो एजुकेशन में जो कोठारी कमीशन था, कोठारी कमीशन ने कहा था कि इसे 3.39 परसेंट से बढ़ाकर 6 परसेंट ऑफ जी.डी.पी. करना चाहिए था। क्या आप वहां तक इस सिचुएशन को ले जा पाये हैं? क्या आप हैल्थ एंड फैमिली वैलफेयर में बढ़ा पाये हैं? पिछली बार 0.32 परसेंट एलोकेशन था, इस बार 0.34 परसेंट एलोकेशन है। रूरल डेवलपमेंट का एलोकेशन आपने घटाया है। पिछली बार प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो एलोकेशन था, वह इस बार कम है, नरेगा का जो एलोकेशन था, इस बार कम है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का जो एलोकेशन था, वह भी इस बार कम है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पिछली बार जितना पैसा था, इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर में भी घटा है। जो आपका सोशल सेक्टर है, वह कहीं न कहीं प्रभावित है। आपने रेवेन्यू फोरगोन कितना दिया है, पांच लाख ग्यारह हजार करोड़ रेवेन्यू फोरगोन है, उसमें इनडिविजुअल कारपोरेट रेवेन्यू फोरगोन कितना दे रहे हैं, 80 हजार करोड़ रुपया आप इनडिविजुअल रेवेन्यू फोरगोन दे रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे सोने की लूट, कोयले पर छाप कहते हैं। आप किस पर टैक्स लगाएंगे, हैल्थ पर टैक्स लगा देंगे। कोई एक दिशा तो होनी चाहिए। आप एल.पी.जी., कैरोसीन और फर्टीलाइजर को सब्सिडी देने की बात करते हैं। फर्टीलाइजर को सब्सिडी देते हैं। क्या आपके पास यह डाटा है कि जो खेती कर रहा है, वह किसान है या उसने बटाईदारी पर किसी को खेती दे दी है? आप किसे फर्टीलाइजर की सब्सिडी देंगे? आपने इस बार कहा कि हम सब्सिडी घटा रहे हैं, आप कैसे सब्सिडी घटाएंगे? पिछली बार डी.ए.पी. का रेट 500 प्रति टन था, इस बार 580 रुपये प्रति टन है। आप यह समझिये कि यदि 580 रुपये पर आप डी.ए.पी. खरीद रहे हैं, मार्केट में कार्टल है, उसे रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उसे रोक नहीं पा रहे हैं तो कैसे फर्टीलाइजर सब्सिडी खत्म हो जायेगी? फूड की सब्सिडी, यदि फूड का इंफ्लेशन बढ़ रहा है, यदि लोग बढ़ रहे हैं तो आप कैसे फूड की सब्सिडी कम कर दीजिएगा? उसके बाद आप फूड सिक्यूरिटी बिल ला रहे हैं। आप कहीं न कहीं बजट को फज करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक एल.पी.जी. का सवाल है, कितने गरीब लोग गोयठा जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, क्या आपको पता है? आप जो यह गैस देने की बात करते हैं, आपके पास कितनी गैस उपलब्ध है? कैरोसीन तेल कितने लोग यूज कर रहे हैं?

महोदया, अब तो कैरोसीन तेल कोई यूज नहीं करता है। अब तो सोलर यूज कर रहे हैं या फिर गैस यूज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा लाइट चाहिए, नहीं तो बच्चों की आंखें खराब हो जाती हैं। यदि आप ब्राजील या मैक्सिको की पॉलिसी एडॉप्ट करना चाहते हैं तो क्या उतनी इलैक्ट्रीसिटी हमारे पास है, क्या वैसी सिचुएशन हमारे पास है? इसके बाद आप तीन नये बिल की बात कर रहे हैं। आप इंश्योरेंस सेक्टर खोलने की बात करते हैं, बजट में वित्त मंत्री जी ने इसके बारे में कहा है। आप इंश्योरेंस सेक्टर कैसे खोलिएगा, 26 से 49 नहीं होगा, यह इस पार्लियामेंट का कमिटमेंट था। अभी दस साल के बाद सभी कंपनियों को आई.पी.ओ. लाना है, आप कैसे लाएंगे? वे फिर से अपने हिस्से को बेचेंगे, कहीं एक अलग 2जी स्कैम करने की बात तो आपके मन में नहीं है? जो प्राइवेट पार्टी इंश्योरेंस में हैं, यदि सभी का, वे कह रहे हैं कि वे रैड में हैं, उन्हें 80 हजार, 90 हजार करोड़ रुपया इंश्योरेंस सेक्टर के लिए चाहिए तो आप उसे कैसे लाकर देंगे? बैंकिंग में, फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना हो पा रहा है? इसके बार एयर इंडिया का सवाल आता है, आज बहुत अच्छा सवाल अन्नू टन्डन जी के द्वारा पूछा गया। एयर इंडिया के बारे में मेरा कहना है कि

आप गोबर में घी डाल रहे हैं। आपने कभी बायलेट्रल की बात देखी है कि बायलेट्रल में कितना बड़ा करप्शन है? एयर इंडिया के पास 105 हवाई जहाज हैं, उसे 12 हजार कर्मचारी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री निशिकांत दुबे: महोदया, मैं पांच मिनट और बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदया: आप पांच मिनट और नहीं बोलेंगे, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री निशिकांत दुबे: महोदया, मैं पांच मिनट बोलूंगा। उनके लिए 12 हजार कर्मचारी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: आपका समय समाप्त हो गया है। आप जल्दी से आखिरी दो, तीन वाक्य बोलकर अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री निशिकांत दुबे: महोदया, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण प्वाइंट हैं। 105 एयरक्राफ्ट थे, उनके लिए 12 हजार कर्मचारी चाहिए। एयर इंडिया के पास 40 हजार कर्मचारी हैं, उन 28 हजार कर्मचारियों का क्या करेंगे?

बायलेट्रल में हमने जिन-जिन देशों को बेचा है, जिन देशों को एयरलाइंस ने अपना सीट बेच दिया है, उनका रेवेन्यू 367% बढ़ा है। हमारा जो घाटा है, आज ही कहा कि जो बिल है, कम्पनी बिल नहीं चुका पा रही है, पेट्रोल का बिल नहीं चुका पा रही है। आपने क्या किया? बारह सौ करोड़ रुपया दे रहे हैं। इसके पहले बारह सौ करोड़ रुपया दिया। इसके पहले आठ सौ करोड़ रुपया दिया। क्या आपने इसके रीस्ट्रकचरिंग के लिए कुछ किया है या इतना बड़ा जो घाटा हो रहा है, इसका कोई श्वेत पत्र जारी किया है? एयर इंडिया ने अठारह हजार करोड़ रुपये का लोन बैंक से ले रखा है। इसके बारे में आपने कुछ किया है? इसके बाद ब्लैक मनी का सवाल है। हसन अली के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट हमारे ऊपर क्वेश्चन कर रही है। हसन अली का अदनान खाशोगी के साथ संबंध माना जाता है। वर्ष 2006 में रेड हुआ था। आपने इसके बारे में क्या किया? पेरिस के एफ.ए.टी.एफ. की रिपोर्ट है उसके बारे में कहा जाता है कि ये सारी जो ब्लैक मनी नारकोटिक्स की मनी है, ड्रग्स की मनी है, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? एक हमारे पास डाक्यूमेंटस है जिसमें कि तहलका ने एक जानकारी निकाली थी, यदि तहलका की बात सही है कि प्रबोध, रश्मी, चेतन और भाविन मेहता, इन चारों ने पैसा रखा हुआ है। इनपर बेल्जियम सरकार ने प्रिवेशन ऑफ मनी लौड्रिंग एक्ट में 180 करोड़ की पेनल्टी डाली हुई है। वे आई.एन.जी. वैश्या बैंक चलाते हैं, वे लीलावती बैंक चलाते हैं। आप उनको रोकने की क्या बात कह रहे हैं? मैंने आपको पत्र लिखा था। उस पत्र के जवाब में आपने सेबी का लिखा। सेबी का मैंने एक पत्र दिया था। सेबी में इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है, रोज मैनिपुलेशन हो रहा है। मेरे पास जून से लेकर जनवरी तक का है रोज मैनिपुलेशन हो रहा है। ब्रोकर्स मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कम्पनियां मैनिपुलेशन कर रही हैं। आपका रटा-रटाया एक जवाब आ जाता है कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। मेरा यह कहना है कि आपको इसको रोकने के बारे में क्या नीति है? आपने आयरन और एक्सपोर्ट जो है 20% बढ़ा दिया। आप सिल्क इंडस्ट्रीज के बारे में चिंतित हैं। सिल्क इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त करिए। आप स्थान ग्रहण कर लीजिए।

श्री निशिकांत दुबे: महोदया, मैं एक मिनट में कन्क्लूड करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदया: एक मिनट में आप समाप्त कर लीजिए।

श्री निशिकांत दुबे: मेरा यह कहना है कि नया बिल टी.डी.सी. आ रहा है, जी.एस.टी. आ रहा है, कंपनी लॉ आ रहा है। प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं कि भगवान का माइंड बदलना है। प्रार्थना इसलिए करते हैं कि भगवान हमारे माइंड को बदल दे। हमारे पास एक मौका है, इस मौका का आप उपयोग करिए, मैं प्रणव मुखर्जी से यही आग्रह करूंगा कि वह भगवती के बहुत बड़े भक्त हैं। उनका जो एक लाइन है:

शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे, सर्व स्यार्ति हरे देवी दुर्गे देवी नमस्तुते।

आप इस देश की जनता के सामने शरणागत होकर उनके बारे में सोचिए, बी.पी.एल. के बारे में सोचिए, उनको डायरेक्ट पैसा देने के बारे में सोचिए। आपकी जो सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम्स हैं, उनको चार-पांच पर कल्टीवेट कर दीजिए। 12वां प्लान आ रहा है, इतने बड़े, लंबे-चौड़े प्लान लाने की आवश्यकता नहीं है। देश के विकास के लिए हम और आप मिलकर काम करें। अगर कभी गोधरा की बात होगी, हम भागलपुर की बात करेंगे। कभी आप कंधार की बात करेंगे, तो हम मस्तगुल की बात करेंगे। इस तरह के वाद-विवाद में न पड़ते हुए इस देश को बनाने का काम कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीकारा): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, इस सर्वोच्च सदन में आप बजट 2011-12 की चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने हेतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अंततः मुझे इस सर्वोच्च सदन में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर मिला है। अन्यथा मुझे किसी न किसी कारण से इस प्रकार के अवसर से वंचित रखा जा रहा था।

माननीय वित्त मंत्री ने यू.पी.ए. की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के कुशल निर्देशन और हमारे प्यारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के प्रशंसनीय नेतृत्व में राष्ट्र को गरीबों के हित वाला बजट प्रस्तुत किया है।

इस आम बजट की हमारे देश के समाज के सभी वर्गों द्वारा व्यापक प्रशंसा की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमने माननीय वित्त मंत्री जी से जो कुछ भी आशा की थी उसे अधिकांश रूप से प्राप्त कर लिया है। उन्होंने उनके इस बजट में एक बेंचमार्क तैयार किया है क्योंकि यह बजट हमारे देश के समाज के सभी वर्गों को शामिल करके प्रस्तुत किया गया है।

सभा पटल पर रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण में देश की पिछले बारह महीने में आर्थिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत को सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2010-11 में वास्तविक दृष्टि से 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कृषि में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है और उद्योग और क्षेत्र में यह वृद्धि क्रमशः 8.1 प्रतिशत और 9.6 प्रतिशत अनुमानित है।

यह भी उल्लेख किया गया है कि ये सभी प्रमुख तीन क्षेत्र प्रगति में मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हमारे निर्यात में 29.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह बढ़कर 184.6 बिलियन हो गया है जबकि अप्रैल-जनवरी 2010-11 के दौरान गत वर्ष की समवर्ती अवधि की तुलना में 17.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 273.6 बिलियन डालर का आयात किया गया है। प्रत्यक्ष कर संहिता (डी.टी.सी.) और प्रस्तावित माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) भी महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा क्योंकि इन सुधारों से दरों को संशोधित करने, कानूनों को आसान बनाने और इनका बेहतर अनुपालन होगा।

माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण के अनुसार यू.पी.ए. सरकार की महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का व्यापक विकास के इसके कार्य सूची के क्रियान्वयन में प्रमुख हाथ रहा है। वर्ष 2011-12 हेतु भारत निर्माण योजना में ग्राम सड़क योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और ग्रामीण टेलीफोनी शामिल है। इसके लिए कुल मिलाकर 58,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। इसमें वर्तमान वर्ष की तुलना में 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। देश के सभी 2,50,000 पंचायतों में आगामी तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण ब्राडबैंड संपर्क बहाल करने संबंधी एक योजना को अंतिम रूप दिया गया है।

बजट भाषण में यह भी उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित उपयोजना और जनजातीय उपयोजना के लिए विशिष्ट आबंटन निर्धारित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया गया है कि इसे संबंधित मंत्रालयों और विभागों के बजट में अलग से लघुलेखा शीर्ष में भी दर्शाया जायेगा। आदिम जाति जनजाति समूहों के लिए वर्ष 2011-12 के बजट आबंटन में वर्ष 2010-11 के 185 करोड़ रुपए की तुलना में 244 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

महोदया, समय की कमी के कारण मैं उन मुद्दों अथवा चुनौतियों जिनका हम सामना कर रहे हैं का उल्लेख नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं इनमें से तात्कालिक महत्व के एक-दो मुद्दों का उल्लेख करूंगा। मैं अपने राज्य केरल से संबंधित कतिपय मुद्दों को उठाना चाहता हूं। लम्बे समय से केरल के लोगों की कोचीन मेट्रो रेल शुरू किए जाने की मांग लंबित है। राज्य सरकार धन की भी मांग कर रही है लेकिन इस बजट में इसके लिए किसी धन का प्रावधान नहीं किया गया है। मैं मानता हूं कि कोचीन में मेट्रो रेल की मांग औचित्यपूर्ण है क्योंकि उस शहर में वर्तमान में भारी यातायात की समस्या है। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, वल्लारपदम और स्मार्ट सिटी, कोचीन शुरू होने वाले हैं जिसके परिणामस्वरूप शहर और इसके आस-पास बेहतर और अधिक परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि शहर का विस्तार होगा। अतः इस समस्या का समाधान कोचीन मेट्रो को शुरू करके किया जा सकता है। इस संबंध में शहरी विकास मंत्रालय और केरल राज्य सरकार के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है। यह प्रतीत होता है कि शहरी विकास मंत्रालय इस परियोजना के पक्ष में है लेकिन वित्त मंत्रालय अपनी सहमति नहीं दे रहा है। केरल के लोगों ने आशा की थी कि कोचीन मेट्रो के क्रियान्वयन हेतु धन का प्रावधान किया जाएगा परंतु बंगलुरू, मुम्बई इत्यादि जैसे शहरों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मेरे इस सुझाव पर सकारात्मक रूप से विचार करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि यह कोचीन जैसे महत्वपूर्ण शहर के विस्तार के लिए आवश्यक है। अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस सर्वोच्च सभा में चर्चा का उत्तर देते हुए कोई सकारात्मक घोषणा करेंगे।

महोदया, अब मैं अपने राज्य केरल में शिक्षा के मुद्दे पर अपनी बात कहूंगा। हाल की में माननीय प्रधानमंत्री जी ने केरल का दौरा

किया था और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था कि केरल में आई.आई.टी. की स्थापना पर विचार करेंगे। लेकिन वर्तमान बजट में केरल में आई.आई.टी. खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

मैं आपके ध्यान में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा लाना चाहता हूं जो पारंपरिक उद्योग जैसे और हस्तकरघा को प्रोत्साहन दिए जाने से संबंधित है। माननीय मंत्री जी के और हस्तकरघा जैसे पारंपरिक उद्योगों के लिए कतिपय घोषणा की है लेकिन काजू उद्योग का कोई उल्लेख नहीं है जिससे हमारे देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। काजू उद्योग में लगभग 2.50 लाख श्रमिक कार्य कर रहे हैं और इनमें से लगभग 80 प्रतिशत महिलाएं हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं। उनकी स्थिति बहुत खराब है। अत: केंद्र सरकार द्वारा काजू उद्योग के लिए एक पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए ताकि काजू क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के जीविकोपार्जन में सुधार लाने हेतु गति प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त काजू क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु लोगों की लम्बे समय से एक काजू बोर्ड गठित किए जाने की मांग रही है। इस क्षेत्र में आ रही समस्या का समाधान माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के हस्तक्षेप से ही किया जा सकता है। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से हमारे देश के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का कतिपय समाधान हो सकेगा।

महोदया, मैं इस क्षेत्र के समग्र विकास हेतु कुट्टनाड विकास प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं। वास्तव में कुट्टनाड आद्र भूमि वाला क्षेत्र है जहां 80 प्रतिशत लोग किसान हैं। इस समय पूरे कुट्टनाड तालुका में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जिसमें धान के खेती में खतरनाक कीटनाशकों और उर्वरकों की आवश्यकता से अधिक उपयोग किए जाने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कैंसर रोग के मामलों की संख्या में वृद्धि, खराब सड़क संपर्क। यह क्षेत्र विशेष नदियों और झीलों से घिरा हुआ है और पुल नहीं होने के कारण सड़कें खतरनाक हैं। इस क्षेत्र में औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट पदार्थों के भूजल में मिलने के कारण यह मानव उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं रहता है। जिससे इस क्षेत्र में पेयजल की अत्यधिक कमी है। अत: भारत सरकार को किसानों के कल्याण के साथ-साथ पूरे कुट्टनाड के लोगों के कल्याण हेतु कुट्टनाड विकास प्राधिकरण स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।

मैं आपके ध्यान में एक अन्य बात जो लाना चाहता हूं वह खाड़ी के क्षेत्रों से लोटने वाले लोगों के पुनर्वास से संबंधित है। मंदी के पश्चात खाड़ी के क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोग मध्य-पूर्व से वापिस आ रहे हैं। लीबिया में आये संकट के पश्चात हजारों भारतीय लीबिया से भारत वापस आ रहे हैं। अत: खाड़ी क्षेत्रों से आये इन मलियावी लोगों और लीबिया से आये भारतीयों के पुनर्वास हेतु वित्त मंत्री जी द्वारा कतिपय पुनर्वास योजना की घोषणा की जानी चाहिए।

शबरीमाला मंदिर का विकास करने हेतु इसे राष्ट्रीय तीर्थ केंद्र के रूप में घोषित करना चाहिए। इससे यहां आने वाले भगवान अयप्पा के लाखों श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी क्योंकि इससे उन्हें बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।

मैं महसूस करता हूं कि केरल में 'बैकवाटर' टूरिज्म को प्रोत्साहन दिए जाने की असीम संभावना है क्योंकि इसका कमोबेश रूप से दोहन नहीं हो रहा है। केरल विशेषकर अल्लपी और कुट्टनाड में हजारों की संख्या में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आ रहे हैं लेकिन इन पर्यटकों को वहां अभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। अत: केंद्र सरकार इस क्षेत्र में 'बैकवाटर' टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कतिपय पैकेज की घोषणा करे अथवा इस पर विचार करे।

युवा कार्य और खेलकूद मंत्रालय के अंतर्गत युवकों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। कतिपय संस्थान जैसे राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट ने भी कतिपय राहत की घोषणा की है लेकिन नेतृत्व युवा केंद्र को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि हमारे देश के युवकों को कुछ प्रोत्साहन दिया जा सके और उनमें राष्ट्रीय एकता और सामुदायिक सद्भावना का भाव जगाया जा सके। अत: इस क्षेत्र के लिए और अधिक धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता है ताकि इसके लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

मुझे इस सम्मानीय सदन में इस विषय से संबंधित कई अन्य मुद्दे उठाने के और यदि अध्यक्षपीठ इसकी अनुमति प्रदान करते हैं तो मैं इसे निकट भविष्य में किसी अन्य अवसर पर उठाऊंगा।

अपराह्न 1.00 बजे

मैं माननीय मंत्री महोदय को उनके द्वारा अत्यंत लोकप्रिय और अभिनव बजट प्रस्तुत करने हेतु बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, आज योजनावकाश नहीं होगा।

[हिन्दी]

डॉ. बलीराम (लालगंज): माननीय अध्यक्ष महोदया, यू.पी.ए. सरकार का जो वर्ष 2011-12 का आम बजट है, यह दिशा-विहीन

और निराशाजनक है। इस देश का जो गरीब तबका है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज है उसके लिए कोई विशेष तरह की योजनाएं नहीं बनाई गई हैं, फरवरी, 2010 में मुद्रास्फीति 20.2% पहुंच गई थी, जो जनवरी, 2011 में आधे से कम हो कर के 9.3 प्रतिशत रह गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब मुद्रास्फीति यहां कम हो गई है, आधे से ज्यादा कम हो गई है, तो महंगाई पर नियंत्रण क्यों नहीं होता है?

महोदया, जहां तक हम देखते हैं, तो पाते हैं कि जब-जब किसानों की फसलें तैयार होती हैं, तब मुद्रास्फीति कम हो जाती है और जब किसानों का माल बाजार में पहुंच जाता है, तब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। आज यही कारण है कि देश का गरीब आदमी खाने के लिए तरस रहा है और मर रहा है। अनाज की कमी नहीं है। एक तरफ तो अनाज गोदामों में सड़ रहा है और दूसरी तरफ लोग भूखों मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की अनुशंसा की थी कि सरकार के गोदामों में जो अनाज सड़ रहा है, उसे गरीब लोगों को वितरित कर दिया जाता, तो उनकी भुखमरी दूर हो सकती थी, लेकिन इस बजट में इस तरह की कोई चर्चा नहीं की गई है और न इस तरह का कोई प्रावधान किया गया है।

महोदया, यह जो बजट है इसकी सराहना सिर्फ दो लोगों ने की है। पहले तो इस देश के जो उद्योगपति हैं, उन्होंने इस बजट की सराहना की है और दूसरे जो यू.पी.ए. के लोग हैं, उन लोगों ने सदन में इसकी सराहना की है। इससे हमें जो नुकसान पहुंच रहा है उसके बारे में किसी ने नहीं कहा है। सरकार ने दावा किया है कि देश में जो गरीबी और भुखमरी है, उसे दूर करने के लिए 40 प्रतिशत लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार देंगे। आप मनरेगा के अंदर 40 प्रतिशत लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक साल में एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देंगे और एक व्यक्ति को 100 रुपए मजदूरी देने की घोषणा की है, लेकिन इस बजट में मनरेगा की जो राशि है, उसे नहीं बढ़ाया है। देश में जिस तरह की गरीबी और महंगाई है, उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है इस बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। हम तो आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जो मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं, आज वे बड़े पैमाने पर निराश हैं और वे काम करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां मजदूरी कम मिलती है और केवल 100 रुपए मिलती है। इसके अलावा हम मांग करते हैं कि इस मजदूरी को 100 रुपए से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, जिससे गरीब लोगों को लाभ मिल सके। जिससे गरीब लोग भी इसका फायदा ले सकें। इस बजट में बी.पी.एल. की कोई चर्चा नहीं की गई है। अगर देखा जाये तो बी.पी.एल. के लोगों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। जो 2002 में बी.पी.एल. की सूची बनाई गई, उस सूची को ही आज माना जा रहा है, जबकि बी.पी.एल. के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि सरकार को बी.पी.एल. की संख्या बढ़ानी चाहिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। वहां भी बड़े पैमाने पर आज हर वर्ग के लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, इसलिए उनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि आज जो गरीब हैं, वे दवा के अभाव में मर रहे हैं। दवाओं को कुछ सस्ता तो इस बजट में आपने करने का जरूर संकेत दिया है कि दवाएं कुछ जरूर सस्ती होंगी, लेकिन ऐसी गम्भीर बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, हार्ट की बीमारी है और किडनी की बीमारी है, बजट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जब हम लोग प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में चिट्ठी लिखते हैं या उसका एस्टीमेंट भेजते हैं कि इतने लोग इससे पीड़ित हैं तो वहां से जवाब आ जाता है कि आपका कोटा पूरा हो गया है और इसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। हम आपके माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि यह जो गम्भीर किस्म के रोगी हैं, उनके उपचार के लिए सरकार को इसमें अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। अभी 2011 में यह जो जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है, अभी सदन में इसकी बड़ी चर्चा हुई कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, इनकी सूची बनाई जाये और इनको भी कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जायें, लेकिन जो वित्त मंत्री जी ने अपना बजट भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की गणना नहीं की जायेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति की गणना क्यों नहीं की जायेगी? इनके अन्दर भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जब हमें आबादी के हिसाब से सुविधाएं मिल रही हैं तो हमें भी इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए इसमें इन्हें शामिल करना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के उपायों पर विचार करने के लिए एक मंत्री समूह का गठन करने की चर्चा की है। यह स्वीकार किया है कि यहां पर जो कालाधन है, वह बड़े पैमाने पर स्विस बैंकों में जमा है। एक स्विस बैंक के डायरैक्टर हैं, उनका यह कहना है कि भारत देश तो धनी देश है, लेकिन वहां पर ज्यादा गरीबी है। इसके कारण में उन्होंने बताया है कि भारत का अगर 280 लाख करोड़ रुपये का कालाधन, जो स्विस बैंकों में है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब अपनी बात समाप्त करिये।

डा. बलीराम: अगर उसको भारत में वापस लाया जाये तो मैं समझता हूं कि यहां पर 30 वर्षों तक जो आम आदमी पर टैक्स लगाया जा रहा है, कर लगाया जा रहा है, उससे वह करमुक्त

हो सकता है। यहां जो तमाम बेरोजगार हैं, भुखमरी है, लगभग 60 करोड़ ऐसे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। यहां का डेवलपमेंट हो सकता है, सड़कें बनाई जा सकती हैं, बिजली और पानी की व्यवस्था की जा सकती है, जिसका इस देश में बहुत बड़ा संकट है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि ऐसे कालेधन को, जो विदेशों में जमा है, उसको भारत लाया जाये और यहां की गरीबी और भुखमरी को दूर किया जाये।

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहती हूं। मेरे विचार से उनके बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है शासन में सुधार। उन्होंने सभी शीर्ष कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दर्शाई है, जिसमें शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और अवसंरचना क्षेत्र भी शामिल है।

आंगनवाड़ी सेविकाओं के वेतन में वृद्धि करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी, जो कि मेरे विचार से उनके द्वारा लिया गया निर्णय ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने शहरी और ग्रामीण के बीच संतुलन कायम करने का प्रयास किया है और हम सभी को खुश करने का प्रयास किया है, जो कि बजट से पूरी तरह से संतुष्ट हैं।

लेकिन दो ऐसे मुद्दे हैं जिनका उल्लेख मैं करना चाहूंगी, विशेषकर कृषि के बारे में।

मैं देश के एक ऐसे भाग का प्रतिनिधित्व करती हूं जहां मेरे सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र का लगभग 75 प्रतिशत ग्रामीण कृषि-आधारित क्षेत्र है। उन्होंने जो फसल ऋण दिया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं और उन्होंने ब्याज की दर सात प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दी है, लेकिन यहां महत्वपूर्ण यह है अथवा समस्या यह है कि अगर आप देखें तो पाएंगे कि फसल ऋण सम्पूर्ण कृषि कार्यक्रम की लागत का मात्र 40 प्रतिशत है। अगर आपके पास एक एकड़ भूमि है, आप जमीन की जुताई करते हैं और जब तक आप बीज बोते हैं, सभी की लागत 100 रुपए होती है, लेकिन फसल ऋण मात्र इसका 40 प्रतिशत होता है और 60 प्रतिशत पूंजी निवेश होता है, जो कि उपकरण, ड्रिप, ट्रैक्टर आदि के लिए व्यय किया जाता है। दुर्भाग्यवश इन सभी के लिए कर अभी भी 11 प्रतिशत है। अत: मैं मानती हूं कि यह काफी महत्वपूर्ण है कि कृषि में सभी पूंजी निवेश के लिए कर कम किए जाने की आवश्यकता है। हमें चार प्रतिशत पर फसल ऋण मिलता है, लेकिन हमें विशेषकर इस क्षेत्र के लिए अधिक राजसहायता की आवश्यकता है।

अपराह्न 1.11 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह **पीठासीन** हुए]

दूसरा अनुरोध कपास के लिए है। इस वर्ष असाधारण रूप से अच्छा उत्पादन हुआ है। यहां तक कि भारत सरकार भी किसानों के प्रति काफी मददगार रही है। लगभग 55 लाख गांठों का निर्यात किया गया है, जिसके लिए इस वर्ष अनुमति दी गई है। लेकिन देश का कुल उत्पादन 339 लाख गांठों का है, और हमारा घरेलू 265 लाख गांठों का है। अब अधिशेष 121 लाख गांठ है जिसमें 40 लाख गांठों को पिछले वर्ष से अग्रेनीत किया गया है। आज हम 80 लाख गांठों का निर्यात कर सकते हैं, जो कि पड़ा हुआ है और वास्तव में किसी काम का नहीं है। अगर हम इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दें जहां कि अभी कपास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारतीय बाजार के बीच घाटा काफी अधिक है और इस पर विचार करते हुए कि सरकार पूरे देश में किसानों द्वारा आत्महत्या के प्रति काफी संवेदनशील रही है, अत: मैं मानती हूं कि यह काफी महत्वपूर्ण है कि आप इसकी अनुमति दें। अभी आवश्यकता है कि निर्यात प्रतिबंध की सीमा को 55 लाख गांठों से बढ़ाकर 80 लाख गांठ कर दिया जाए।

यही चीनी के मामले में लागू है। इस वर्ष चीनी का उत्पादन भी असाधारण रहा है। इस वर्ष 245 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा और पिछले वर्ष से 50 लाख टन अग्रेनीत किया गया है। अत: कुल 295 लाख टन चीनी है। हमारे देश के लिए खपत/आवश्यकता 220 लाख टन है। अत: हमारे पास अभी भी 20 लाख टन चीनी है जिसका निर्यात किया जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि भारत में चीनी के मूल्यों और निर्यात बाजार के मूल्यों के बीच अंतर है। आज भारत में चीनी बाजार में लागत 2400 रुपए प्रति क्विंटल है जबकि भारत में डिलीवरी के लिए विश्वभर के निर्यात बाजार में मूल्य 3200 रुपए प्रति क्विंटल है। अत:, प्रति क्विंटल अंतर 800 रुपए है जो कि किसी भी फसल के लिए काफी बड़ी राशि है। अत:, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं कि इस अनुरोध पर विचार करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह समाज के सबसे निचले तबके अर्थात् किसान के लिए है जो कि देश की कपास और चीनी की आवश्यकता को पूरा करता है। हम उनके लिए अच्छा मूल्य देने पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि अगर हम उन्हें इस वर्ष अच्छा मूल्य नहीं देते हैं, तो ये किसान दूसरी फसल की ओर उन्मुख होंगे और वैसी स्थिति में पूर्ति और मांग के बीच अंतर आता है। अत: इस देश की खाद्य सुरक्षा के लिए यह पूरी तरह से अस्तव्यस्त

कर देने वाली बात होगी, जो कि तदन्तर हमारे देश के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौती होगी।

जहां तक खाद्य प्रसंस्करण का संबंध है, हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस देश को और 15 मेगा पार्क दिया है। वर्तमान में इस पर मूल्य वर्धित कर है। मेरे अनुसार हमारे देश में कृषि खाद्य प्रसंस्करण मात्र दो प्रतिशत है जबकि थाइलैंड जैसे देशों में 80 प्रतिशत प्रसंस्करण किया जा रहा है। लेकिन इस बार मूल्य वर्धित कर है। हमें कृषि खाद्य प्रसंस्करण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमें अपने सभी कृषि उत्पादों के लिए मूल्यवर्धन की आवश्यकता है। अगर एक छोटा उदाहरण दिया जाए, तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पुरंदर नामक स्थान है, जहां काफी अच्छा सीताफल, चीकू, अंजीर, मटर और टमाटर होता है। अगर आपूर्ति श्रृंखला में इन सभी उत्पादों में विलंब होता है, तो उनका बाजार शून्य होता है। अतः, वास्तव में किसान को नुकसान होता है। लेकिन अगर हम उनका प्रसंस्करण कर सकते हैं और हम पैक करने, फ्रीज करने और बिक्री करने जैसा मूल्य वर्धन उनमें कर सकते हैं, तब प्रत्येक किसान प्रति एकड़ काफी राशि अर्जित कर सकता है। मैंने इस सम्पूर्ण क्षेत्र में देखा है कि अगर किसान शरीफा के लिए एक लाख रुपए व्यय करता है और अगर वे कृषि खाद्य प्रसंस्करण में इसमें मूल्य वर्धन करते हैं, तो उन्हें मात्र शरीफा में 3 लाख और 4 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुनाफा होता है। अतः, मेरा मानना है कि कृषि खाद्य प्रसंस्करण में वास्तव में करों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

खाद्य प्रसंस्करण में केवल कृषि और किसान को ही मुनाफा नहीं होता है। इसमें स्व-सहायता समूह को भी मुनाफा होता है। एक बड़ी सूक्ष्म वित्त निधि बनाने के लिए हम माननीय वित्त मंत्री के आभारी हैं। लेकिन सूक्ष्म वित्त निधि का एकीकरण कृषि खाद्य प्रसंस्करण के साथ किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब किसान का लिंकेज एस.एच.जी. के साथ होता है, तब खाद्य प्रसंस्करण एक पूरी तरह से सफल कहानी बनती है। हमने महाराष्ट्र के अनेक स्थानों में ऐसा देखा है। अतः हमें अपने एस.एच.जी. को जोड़ना है और महिलाओं पर कर भार को कम करना है।

अगर स्व-सहायता समूहों को यह राशि मिलती है, तो इसमें अच्छे प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे सभी सूक्ष्म वित्त की राशि पर ब्याज दरें कम हुई हैं। यह 11 से 14 प्रतिशत के बीच है; यह इसको बनाए नहीं रख सकती है। जिस प्रकार फसल ऋण पर ब्याज दरों में कमी की गई है, उसी प्रकार महाराष्ट्र सरकार ने सभी स्व-सहायता समूहों के लिए एक काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इसे घटाकर चार प्रतिशत कर दिया है और अगले बजट में इसे घटाकर शून्य किए जाने की उम्मीद है। मैं इस अवसर का उपयोग माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करने के लिए करूंगी कि अगर हम महिलाओं का सशक्तीकरण करना चाहते हैं, तो इसके लिए स्व-सहायता समूह काफी अच्छा साधन है। इसी तरह, फसल ऋण के ब्याज को शून्य तक कम किया गया है, मैं समझती हूं कि यह मील का पत्थर साबित होगा और यह पूरी तरह से देश के लिए उत्साहवर्धक कदम है।

मैं अब शहरी सहकारी बैंक के बारे में उल्लेख करना चाहती हूं। यह लोगों का बैंक है। देश में आज 1700 शहरी सहकारी बैंक हैं। इन बैंकों में 10 करोड़ सदस्य हैं और 20 करोड़ जमाकर्ता हैं। सरकार इन शहरी सहकारी बैंकों को कोई सहायता नहीं देती है। लाइसेंस देने के अतिरिक्त, सरकार शहरी सहकारी बैंकों को कोई अन्य सहायता प्रदान नहीं करती है। ये बैंक समाज के सबसे निचले तबके को समर्थन दे रहे हैं। आज, कोई भी राष्ट्रीयकृत या वाणिज्यिक बैंक आपको 5,000 रु. का ऋण प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन शहरी सहकारी बैंक यह ऋण प्रदान करते हैं; यदि कोई निर्धन व्यक्ति 5,000 रु. का ऋण चाहता है तो उसे ऋण प्रदान किया जाता है। हमें इस संपूर्ण सहकारी प्रणाली को चलाने की आवश्यकता है, इसे बनाए रखने की आवश्यकता है क्योंकि यह अच्छा लाभ अर्जित कर रहे हैं और जो भी लाभ यह अर्जित करता है, राष्ट्रीयकृत या वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत इसे इस बैंक के सदस्यों में बांटा जाता है।

मैं समझती हूं सहकारी आंदोलन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण है। वैकुंठभाई जैसे लोगों ने इसे स्वाधीनता के दौरान शुरू किया था। मैं समझती हूं इसे बनाए रखने की आवश्यकता है क्योंकि इसका स्वामित्व पिरामिड के आधार, अर्थात् आम आदमी पर निर्भर करता है, जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं। अतः, मैं वित्त मंत्री से इन सभी बैंकों के बारे में भली-भांति विचार करने का आग्रह करती हूं क्योंकि साहूकारी, जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसके कारोबार में गिरावट आई है क्योंकि हमारे सभी सहकारी बैंकों ने भारी अंशदान किया है। हमारे बैंकों को बचाने का केवल एक उपाय कुल लाभ है। आज इन सभी बैंकों को लाभ में से 33% करों के रूप में भुगतान करना होता है जो इन बैंकों के लिए वहनीय नहीं है क्योंकि ये छोटे बैंक हैं जो अन्य सभी वाणिज्यिक बैंकों की तरह लाभ अर्जित नहीं करते हैं। अतः, मैं समझती हूं कि इसे शून्य किया जाना चाहिए। यदि इसे शून्य तक लाना संभव न हो तो हमें त्रि-स्तरीय कार्यनीति बनानी चाहिए कि जो बैंक 5 करोड़ रु. तक लाभ कमाते हैं उन्हें संभवतः 10%; जो बैंक 5.1 करोड़ रु. से 25 करोड़ रु. तक लाभ कमाते हैं उन्हें 20% और जो बैंक 25 करोड़ रु. से अधिक लाभ अर्जित करते हैं उन पर 30% कर लगाया जा सकता है। ऐसी अनेक अपेक्षाएं हैं जिन्हें वे चाहते हैं।

आज वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शाखाओं की औसत क्षतिग्रस्त आस्ति को कर से छूट प्राप्त है। यह छूट हमारी सभी शहरी शाखाओं को भी दी जानी चाहिए। यदि किसी शाखा ने बैंक के अवसंरचनात्मक विकास के लिए अपने लाभ में से कोई विशेष राशि रक्षित रखता है, तो कर आकलन के बाद उसे भी छूट दी जानी चाहिए। आर.बी.आई. दिशा निर्देशों के अनुसार, शहरी सहकारी बैंक मानक परिसंपत्ति पर 0.40 का प्रावधान कर रहे हैं। इस प्रावधान की राशि को आयकर से छूट दिए जाने की आवश्यकता है।

इसमें बहुत जटिल मुद्दे हैं। यह मेरा अन्तिम बिंदु है। वाणिज्यिक बैंक के जमाकर्ताओं को पांच वर्ष के लिए जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80 छ का लाभ मिलता है। ऐसी सुविधा शहरी सहकारी बैंकों को भी दी जानी चाहिए। वास्तव में, इन सभी लाभ अर्जित करने वाले बैंकों से अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। हम वाणिज्यिक बैंकों या इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन सहकारी क्षेत्र के बैंकों, जो आम आदमी के लिए हैं, को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अत: मैं इस अवसर पर वित्त मंत्रालय से इन सभी आम लोगों को हमारी सरकार की वरीयता में सर्वोच्च स्थान पर रखने का आग्रह करती हूं। यदि यह संप्रग सरकार उस कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्ध है जिसका हमने देश के आम आदमी से वायदा किया था, मैं समझती हूं इसके द्वारा उठाया गया यह कदम मील का पत्थर साबित होगा।

अन्य क्षेत्र जहां काफी काम किया गया है और जहां काफी काम किया गया और जहां अधिक काम करने की आवश्यकता है वह असंगठित क्षेत्र है। उन्होंने कौशल उन्नयन कार्यक्रम के बारे में बात की है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, जो यहां उपस्थित हैं, कार्यक्रम का भाग हैं। लेकिन हम यह नहीं देख रहे हैं कि कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए हमारे आई.टी.आई. (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) को देखिए; हमारे सभी आई.टी.आई. अच्छी गुणवत्तापरक प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं। हमारे आई.टी.आई. को काफी अधिक धन प्रदान किया जाता है, लेकिन इसमें संकाल, मशीनरी आदि की समस्याएं हैं। यहां तक कि हमने महाराष्ट्र में आई.टी.आई. का निजीकरण भी किया है लेकिन फिर भी हमें अच्छे परिणाम नहीं मिले हैं। मुझे स्मरण है, माननीय वित्त मंत्री ने अपने पिछले भाषण में कहा था कि युवा जनसंख्या को अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा और कौशल प्रदान करते हुए गत्यात्मक आर्थिक लाभ के रूप में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं उनसे आग्रह करती हूं कि उन्होंने जो प्रतिबद्धताएं हमसे की हैं, भविष्य में शिक्षा और कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं इस अवसर पर उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं के लिए किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन उनसे सबसे निचले तबके के लोगों को न भूलने और समावेशी विकास करने, जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री प्रत्येक भाषण में करते हैं, का आग्रह करती हूं। ये कुछ बातें हैं जिनका हमने उल्लेख किया है और मुझे आशा है कि बजट में और आगामी वर्षों में हम बदलाव देखेंगे।

सभापति महोदय: जो माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण देना चाहते हैं, वे कृपा करके उसे सभा पटल पर रख दें।

[अनुवाद]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): माननीय सभापति महोदय, मैं सामान्य बजट 2011-12 के बारे में अपने विचार व्यक्त करना और उसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

बजट में यह उल्लेख किया गया था कि जी.डी.पी. तेजी से बढ़ रहा है। सरकार यह कहकर हमारे लोगों को सम्मोहित कर रही है कि देश बहुत अच्छा कर रहा है। देश को विकासशील देश के रूप में दिखाया गया है लेकिन यहां उच्च मुद्रास्फीति है, जी.डी.पी. अनुपात में उच्च राजकोषीय घाटा है और वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जी.डी.पी. में वृद्धि का कारण सक्षम सरकारी नीतियां अथवा उत्पादन में वृद्धि करने वाली गतिविधियां नहीं हैं। इसका कारण अत्यधिक बजटीय घाटा, बढ़े हुए उधार तथा अल्पावधि वाले विदेशी निधियों का प्रवाह है।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक ऋणग्रस्त देशों में भारत विश्व में पांचवें स्थान पर है।

[हिन्दी]

इकोनॉमिक सर्वे में क्लीयर कट मैंशन किया गया है कि पूरे वर्ल्ड में हम डैट के मामले में पांचवें स्थान पर हैं। यह पूरा देश कर्जे पर जी रहा है।

[अनुवाद]

यह इस सरकार की स्थिति है।

आम आदमी अथवा मध्यवर्गीय लोगों के जीवनयापन के स्तर में पिछले कुछ वर्षों में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि देश के जी.डी.पी. में वृद्धि हो रही है, मूल्यों में स्थिरता और खुशहाली विकास के मूल मानक होने चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं और स्थिति यही है।

हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष 2010-11 हेतु वार्षिक कृषि विकास दर 5.4 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। तथापि, वर्ष 2009-10 के दौरान वार्षिक कृषि विकास दर मात्र 0.4 प्रतिशत थी। वर्ष 2008-09 में वार्षिक कृषि विकास दर 0.10 प्रतिशत नकारात्मक थी। यह विकास दर हाल ही में 2.77 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि से कम है। देश के समग्र जी.डी.पी. में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है।

[हिन्दी]

कंट्री की जी.डी.पी. ग्रोथ में एग्रीकल्चर का जो शेयर था, वह कम हो रहा है। इससे बिल्कुल साफ है कि एग्रीकल्चर सैक्टर की ग्रोथ जी.डी.पी. में नहीं आ रही है।

[अनुवाद]

राजग के समय में यह 23 प्रतिशत थी। अब जी.डी.पी. विकास दर में कृषि का प्रतिशत कम होकर 14.62% रह गया है। यह स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र की वृद्धि जी.डी.पी. में परिलक्षित नहीं हो रही है।

पिछले सात वर्षों के दौरान लगभग 1,20,000 किसानों ने आत्महत्या की है। वे मुख्यत: कांग्रेस शासित प्रदेशों महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के थे जिनका क्रमश: पहला और दूसरा स्थान है। यह सभी के लिए चिन्ता का कारण है। पिछले पांच वर्षों में मानसून अच्छा रहा है।

[हिन्दी]

कभी भी इतना अच्छा मानसून नहीं होता। पिछले पांच साल में अच्छा मानसून था।

[अनुवाद]

लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई है। ऐसा सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण था। इस संदर्भ में खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए हमें किसानों की चार प्रतिशत ब्याज दर से ऋण देकर पर्याप्त सहायता करनी होगी।

[हिन्दी]

ऐसा नहीं है कि हम सात प्रतिशत पर लोन दे देंगे। उसके बाद यदि टाइमली देंगे तो तीन परसेंट निकाल देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधा चार प्रतिशत ब्याज पर किसानों को लोन देना चाहिए।

[अनुवाद]

यह एक महत्वपूर्ण कारक है। इस सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद पिछले सात वर्षों में देश के समग्र जी.डी.पी. में समुदाय तथा सामाजिक और व्यक्तिगत सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है। कृषि क्षेत्र के बाद यह भी प्रमुख मुद्दा है। पिछले साल यह 14 प्रतिशत था। जो इस साल घटकर 13.21 प्रतिशत हो गया है।

[हिन्दी]

इससे जी.डी.पी. की ग्रोथ बहुत कम हो रही है।

[अनुवाद]

इस बजट में मानव संसाधन विकास का आवंटन मात्र 2.89 प्रतिशत है। यह स्थिति है। वास्तव में हमें ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रयास करना चाहिए। हमें युवा और सजग पीढ़ी के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास, उद्यमशीलता और समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें इस दिशा में बहुत कुछ करना है। सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। स्वतंत्र होने के बाद से अत्यधिक ऋण के संदर्भ में हमारा देश उच्च जोखिम वाला देश है। यह महत्वपूर्ण कारक है।

[हिन्दी]

वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 2004 तक, 57 वर्षों में देश का डेट 20,43,122 करोड़ रुपये था।

[अनुवाद]

लेकिन सात वर्षों में ही, कुल ऋण 39,44,598 करोड़ रु. हो गया।

[हिन्दी]

57 वर्षों का जितना डेट था, उतना डेट, लगभग 20 लाख करोड़ रुपये, इन्होंने केवल सात साल में ले लिया है। हम लोग आज पूरी तरह से डेट पर जी रहे हैं।

[अनुवाद]

यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके परिणामस्वरूप हम ब्याज के रूप में 2,67,986 करोड़ रु. का भुगतान कर रहे हैं, जो हमारी वार्षिक आय का 37 प्रतिशत है। यह स्थिति अत्यंत चिन्ताजनक है। सरकार इस स्थिति को नियंत्रित नहीं कर रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।

उपरोक्त चिरकालिक मुद्दों का समाधान करने के लिए मैं कुछ सुझाव देना और सिफारिशें करना चाहता हूं। पहला, कृषि के लिए पृथक बजट होना चाहिए, जो कृषि बजट होगा।

[हिन्दी]

इस देश में एग्रीकल्चर बजट की बहुत जरूरत है।

[अनुवाद]

यह इस चिरकालिक मुद्दों का दीर्घवधिक समाधान करने में सहायक होगा और उससे कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी।

[हिन्दी]

कम से कम 25 प्रतिशत एग्रीकल्चर सेक्टर से आना चाहिए, जब तक ओवर आल जी.डी.पी. ग्रोथ में इसका 25 प्रतिशत से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, तब तक इस देश की रियल ग्रोथ नहीं होगी।

[अनुवाद]

यह बहुत महत्वपूर्ण है।

दूसरा, पिछले सात वर्षों में सरकार ने 22,98,288 करोड़ रु. का राजस्व छोड़ा है।

[हिन्दी]

मैंने यू.पी.ए.-वन एंड टू दोनों का समय जोड़ दिया है। एक तरफ से रेवेन्यू फोरगॉन और दूसरी तरफ से डेट, ये दोनों बहुत इंर्पोटेंट फैक्टर्स हैं। लगभग 23 लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू फोरगॉन किया है। इसमें मेरा सुझाव है कि -

[अनुवाद]

इस वर्ष हमने 5,11,637 करोड़ रु. छोड़ा है - हमें इसे कम करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के प्रति गंभीर होना होगा।

[हिन्दी]

इसको कम से कम 50 प्रतिशत कम करना चाहिए।

[अनुवाद]

इसका उपयोग नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए किया जाना चाहिए। हमें इस धन का उपयोग अगले पांच वर्षों में नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए करना चाहिए। हमें छोड़े गए राजस्व को कम करना होगा और इसका उपयोग इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए करना चाहिए। नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना पूरी होने के बाद अनेक मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कृषि मुद्दे, पेयजल इत्यादि। इन सभी प्रयोजनों हेतु हम इस धनराशि का उपयोग कर सकते हैं।

तीसरा, वेल्थ माइग्रेशन टैक्स शुरू करना।

[हिन्दी]

वेल्थ माइग्रेशन टैक्स के बारे में अभी तक सरकार ने सोचा नहीं है।

[अनुवाद]

वेल्थ माइग्रेशन टैक्स का तात्पर्य है जब लोग अपने परिजनों को संचित सम्पत्ति का अंतरण करते हैं।

[हिन्दी]

उसमें से मिनिमम 30 प्रतिशत सरकार को लेना चाहिए।

[अनुवाद]

केवल तभी अमीर और गरीब के बीच अंतर कम होगा। अमीर और गरीब के बीच बहुत अन्तर है।

अंत में, मैं बी.पी.एल. परिवारों को प्रत्यक्ष नकद अंतरण राजसहायता योजना की दिशा में सरकार के प्रयास का स्वागत करता हूं। मुझे यह कहते हुए गर्व है। यह अनूठी और उदार आइडिया हमारे दल के अध्यक्ष नरा चन्द्रबाबू नायडू की है। इस योजना का तेलुगु नाम 'नगाथू बघाली पाथाकम' है, जिसे वर्ष 2009 के चुनावों के दौरान हमारे दल के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। यह जानना अत्यंत रोचक है कि उस समय कांग्रेसियों ने आंध्र प्रदेश राज्य में इस योजना का विरोध किया था। अब इस योजना की नकल करके अपने एजेंडे में शामिल कर पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। हमें खुशी है कि अब इस योजना से गरीब लोग लाभान्वित होंगे।

अंततः हमारे देश की 90 प्रतिशत सम्पत्ति 10 प्रतिशत लोगों के पास है; और शेष 10 प्रतिशत सम्पत्ति 90 प्रतिशत लोगों के पास है। इसमें वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हो रही है जिसके परिणामस्वरूप अमीर और गरीब के बीच अन्तर बढ़ रहा है। हमें इसके बारे में भी सोचना होगा। सरकार को घोटालों और काले धन पर सख्ती

से कार्यवाही करनी चाहिए, और हमें राजकोषीय नीतियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अमीर और गरीब के बीच अन्तर को चरणबद्ध रीति से कम किया जाए।

इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। लेकिन सरकार को अपनी दिशा बदलनी होगी। इसकी दिशा कृषि, मानव संसाधन और ज्ञान आधारित की ओर होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** (महेसाणा): यह नया बजट इस प्रकार कच्चा है जैसे अगरबत्ती का बांस, जैसे बेटे के जमाने में बाप के जमाने का बजट। क्रूड पाम् स्टीरियल, लैक्टोज, रौ सिल्क पर टैक्स...। वित्त मंत्री जी ने मानों पिछली सदी का बजट पेश किया है।

यह बजट हकीकत से दूर अस्त व्यस्त और उबाऊ है। राजनीति, आर्थिक संतुलन और सुधार तीनों ही मोर्चों पर बिखरा 2011-12 का बजट सरकार की बदहवासी का आंकड़ाशुदा निबंध है। इस महंगाई की आग में 11,300 करोड़ रुपये के नए अप्रत्यक्ष करों को पेट्रोल झोंकने वाले इस बजट से और क्या उम्मीद की जा सकती है।

सरकार के इस बजट ने महंगाई और सरकार में दोस्ती और गाढ़ी कर दी है। अगले वर्ष के लिए 11,300 करोड़ रुपये और पिछले बजट में 45,000 करोड़ रुपये के अप्रत्यक्ष करों के बाद तो मानों महंगाई अगर फाड खाए तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है।

बजट के तहत 130 नए उत्पादों को एक्साइज ड्यूटी के दायरे में लाया गया है उससे पैंसिल से लोकर मोमबत्ती तक दैनिक खपत वाली बहुत सी छोटी-छोटी चीजें महंगी हो जाएंगी।

वित्त मंत्री जी ने उत्पाद शुल्क की बुनियादी दर को 4 से 5 फीसदी करने की जो घोषणा दबी जवान में की है वह दवाइयों से लेकर खाद्य उत्पादों तक ढेर सारे सामानों में महंगाई की आग लगाएगा। कपड़े, मकान, इलाज, यात्रा में महंगाई देखने के काबिल होगी, क्योंकि नई सेवाओं पर कर लोगों की जेब काटेगा।

आज जब महंगाई हमारे खेल से निकलकर कारखानों तक पहुंच चुकी है तो यह बजट 'आ बैल मुझे मार' सा प्रतीत होता है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यह बजट अब तक का राजनीति के मोर्चे पर सबसे कन्फ्यूज बजट है। यह यू.पी.ए. एक और दो की आर्थिक सियासती सोच ही बदल देता है। इससे स्कीमों के बजट में कटौती अभूतपूर्व है। ओर तो ओर रोजगार गारंटी स्कीम पर इस बजट में एक पैसा नहीं बढ़ा है।

सर्व शिक्षा अभियान का बजट घट गया है, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इंदिरा गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार सभी का आबंटन कम दिया गया है। वित्त मंत्री जी ने स्कीमों का पूरा घोंसला ही उजाड़ दिया है।

अब तो यह कहना भी मुश्किल सा हो गया है कि यह सरकार सामाजिक स्कीमों पर खर्च घटाने की नीति पर चलेगी या बढ़ाने की नीति पर।

इस नए बजट से लोगों को केवल बिखरा हुआ बजट ही मिला है। बजट के प्रति सरकार की यह बदहवासी देख लोग यह कहने पर भजबूर हैं कि साहब 'बजट को भूलिए और काम पर चलिए।'

कृषि एवं खाद्य:

गुजरात में बे-मौसमी बारिश की वजह से कृषि को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के बारे में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

बैंकों से कर्ज लेने की बात में किसान आगे नहीं आते क्योंकि बैंकों का रवैया केवल फार्मिंग सिस्टम के किसानों के हित में ही ज्यादा है। छोटे किसान तो केवल आत्महत्या के लिए मजबूर दिखाई देते हैं।

केरोसीन, एल.पी.जी., उर्वरक पर सीधी सब्सिडी की बात 2012 से लागू करने की बात की प्रक्रिया में सामान्य प्रजा को मुश्किल में ही डाला है। इसमें बी.पी.एल. धारक को और अन्य मध्यम वर्ग को गैस सिलिंडर के दाम बढ़ने वाली बात फायदेमंद नहीं है।

बजट में कृषि की उपेक्षा:

देश की सारी चीजें इंतजार कर सकती हैं परंतु कृषि नहीं। नेहरूजी के कहे इन वचनों को लगता है आज उन्हीं की पार्टी भूल चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी तमाम दावों के बावजूद बजट में किसानों के हितों की घोर उपेक्षा की गई है।

एक ओर विश्व बैंक का कहना है कि दुनिया अब के सबसे बड़े खाद्य संकट के जाम में फंसती जा रही है वहीं सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजज कुछ करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है।

बजट में किसानों को दिए जाने वाले कर्ज को 3.75 लाख करोड़ से बढ़ाकर 4.75 लाख करोड़ कर दिया है लेकिन यह केवल कागजी बढ़ोत्तरी तक ही सीमित है।

सरकार के कृषि ऋण का फायदा केवल बड़े किसानों को ही नसीब हो पाता है क्योंकि देश के 90 से 95 फीसदी किसान छोटी जोत वाले हैं, जो सरकारी कर्ज के दायरे से बाहर हैं तथा वह कर्ज के लिए आज भी साहूकारों पर ही निर्भर हैं।

फसल बीमा के आबंटन को बढ़ाने के प्रति बजट आज भी खामोश है। फसल बीमा योजना केवल कुछ चुनिंदा जिलों और फसलों को ही कवर करता है।

मौसम की मार झेलते बदहाल राजस्थान, ओडीशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के किसानों को कोई बड़ी राहत बजट से नहीं मिली है।

विकास दर में ज्यादा योगदान करने वाले डेयरी क्षेत्र को भी बजट से निराशा ही हाथ लगी है। 2021-22 में दूध की मांग 18 करोड़ टन होने का अनुमान है। इस मांग को पूरा करने के लिए दूध उत्पादन 5.5 फीसदी की दर से बढ़ाने की जरूरत है।

लेकिन सरकार ने डेयरी उत्पादों के लिए महज 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो भविष्य में इस क्षेत्र के विकास के लिए अपर्याप्त है।

तिलहन और दलहन के लिए सिर्फ 300-300 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

पिछले 6 सालों में 2,16,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मगर सरकार ने किसानों के हित में कोई विशेष योजना लागू करने की जरूरत नहीं महसूस की।

पिछले बजट में बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम और हिमालयी क्षेत्रों में हरित क्रांति लाने का वादा किया गया था लेकिन सरकार केवल 400 करोड़ रुपये आबंटित करके पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने का दिवास्वप्न देख रही है।

सरकार की उपेक्षापूर्ण कृषि नीति के कारण ही जी.डी.पी. में कृषि का हिस्सा घटकर 17 फीसदी रह गया है। किसानों और ग्रामीणों की तस्वीर बदलने के नारे के साथ सत्ता में आई यू.पी.ए. सरकार ने कृषि के क्षेत्र को केवल उम्मीदों का झुनझुना थमाया और अपनी पीठ ठोंक ली।

कृषि क्षेत्र 60 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला अर्थव्यवस्था का असली विकास इंजन है लेकिन बजट तैयार करने से पहले सरकार सी.आई.आई., फिक्की और एसोचैम जैसे उद्योग संगठनों से तो चर्चा करती है मगर किसान संगठनों से बातचीत करने की जहमत नहीं उठाती।

रासायनिक उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल से मिट्टी के उपजाऊपन में आ रही कमी और जैविक खेती को बढ़ावा देने से ज्वलंत मुद्दों पर भी बजट में कोई दीर्घकालीन योजना पेश नहीं की गई है।

महंगाई एवं भ्रष्टाचारः

इस बजट में महंगाई और भ्रष्टाचार को रोकने के कोई खास उपाय नहीं, बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने के बजाय पीछे के रास्ते से कई नई सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगाकर मध्यम वर्ग को टेंशन में डाल दिया है।

सर्विस टैक्स का दायरा, छोटा कारोबार करने वाले होटलों, ए. सी. रेस्टोरेंट और 25 बैड से अधिक क्षमता वाले ए.सी. अस्पतालों की ओर निवेश के क्षेत्र में सेवा देने वाली बीमा कंपनियां सर्विस टैक्स के चुंगल में आ गई हैं।

उद्योगों के लिए प्रोत्साहन पैकेज वापसी का कोई फैसला नहीं किया है। उत्पाद एवं बीमा शुल्क की शीर्ष दरों में बदलाव नहीं किया और मंदी की मार झेलते हुए उद्योग को कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया। यह बजट आर्थिक चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है।

भ्रष्टाचार व काला धन इस समय सबके आक्रोश का बड़ा मुद्दा है। इसको 5 सूत्री कार्यक्रम और मंत्री परिषद समूह के हवाले करके सरकार ने अपने सिर से बात टाल दी है।

पेट्रो डीजल पर ड्यूटी घटने की उम्मीदें थीं लेकिन उसके बजाय अधिकतर उपभोक्ता वाली 130 वस्तुओं पर छूट खत्म करके, गरीब व मध्य वर्गीय जनता को महंगाई के मुंह में धकेल दिया है। भुखमरी के निर्मूलन के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिए गए।

बेरोजगारी और महंगाई घटाने की जरूरतों व उम्मीदों पर यह बजट खरा नहीं उतरा सिर्फ आंकड़ों की उलझन बनकर रह गया और युवा बेरोजगारों की उम्मीदें इससे पूरी नहीं हुई।

हवाई यात्रा महंगी साबित होगी और उसको सर्विस टैक्स के दायरे में लेने से एयरलाइन्स की टिकटों की कीमतों में बढ़ावा होगा उसके कारण मध्यम वर्ग जो डोमेस्टिक एयरलाइन्स में मुसाफिरी करते हैं उसमें कमी आएगी और रेल में सभी लोग प्रवास को मजबूर हो जाएंगे।

इस बजट में केवल कैपिटल मार्किट को खुश किया और खरीदारों को नाखुश ही किया है क्योंकि बजट में थोड़ी रियायत देके वित्त मंत्री जी के ही शब्दों में अपरोक्ष रूप से टैक्स के जरिए एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ से छीन लेते हैं की नीति लागू होती सी प्रतीत होती है।

इस बजट के तहत दीदी की तरह दादा ने भी अमीर और उद्योगपतियों को खुश किया और सामान्य जनता के लिए निराशाजनक बजट ही पेश किया।

शिक्षा:

शिक्षा के लिए आशाजनक तो साहित्य व संगीत जगत के निराशाजनक है यह बजट। क्योंकि रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जन्म तिथि के समारोह के अंतर्गत बजट में कटौती की गई। आयकर में 2060 का लाभ मिलता है लेकिन दी गई राहतों का यह आधा सच है। सर्विस टैक्स के जरिए उनका लाभ छीन लिया जाता है इसके साथ ही भेदभाव भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आई.ए. एम. को ज्यादा धनराशि का प्रावधान किया गया।

पांच राज्यों के चुनावों के तहत इस बजट में थोड़ा सुधार है लेकिन ज्यादातर सियासती है।

आयकर:

आयकर में महिलाओं को कोई विशेष प्रावधान न होने के कारण यह बजट महिला विरोधी साबित होगा। आज तक की महिलाओं को विशेष आयकर छूट की प्रणाली से विपरीत रवैया महिलाओं के लिए निराशाजनक है।

2012 तक 2000 से अधिक आबादी वाले हर गांव में बैंक की शाखा खोलने की बात किसी भी प्रक्रिया में आशापद नहीं दिखाई देती।

आयकर की छूट उम्मीद से कम है। क्योंकि सबको 2 लाख की सीमा तक आयकर में छूट की आशा थी लेकिन निराशा ही हाथ लगी। नक्सलवाद और आतंकवाद से जूझते आम आदमी की जगह वी.आई.पी. सुरक्षा पर इस बजट में जोर दिया गया क्योंकि एस.पी.जी. और एन.एस.जी. के लिए अच्छे बजटिए प्रावधान हुए हैं।

सहकारिता क्षेत्र जो ज्यादातर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों तथा निर्बल वर्ग की आर्थिक उन्नति का एक आधार है। उनको इन्कम टैक्स के दायरे में लेके उनका गला घोंटने की जो कुचेष्टा की जा रही है उसको शीघ्र ही बंद करने की केन्द्र सरकार कार्यवाही करे।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाया लेकिन यह वेतन भी गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में ही आता है और इस वेतन के बढ़ने के बाद भी गरीबी रेखा के नीचे ही रहने वाला है। यह बजट लोक लुभावना और अर्थव्यवस्था की बेहतरी अथवा आम आदमी की उम्मीदों के लिहाज से निराशाजनक है।

आंगनवाड़ी के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाना आर्थिक कम और राजनीतिक ज्यादा है।

दलहन, तिलहन, सब्जी व चारा विकास योजनाओं के लिए वित्त मंत्री ने थोड़ी राशि दी है लेकिन हमारा आर्थिक विकास दर 9.25 प्रतिशत है इस लिहाज से दी गई राशि पर्याप्त नहीं है।

कालेधन के संबंध में 5 सूत्री कार्यक्रम के तहत विदेशों में जमा काले धन डी.टी.ए. दोहरे धन पर समझौता करने की बात की गई है लेकिन ये काले धन का समझौता केवल कानूनन वैध और जानकारी में आए काले धन पर ही लागू होता है न कि अगन्यात काले धन पर। इस कारण सरकार की पांच सूत्रीय योजना अव्यवहारिक व दिखावटी ज्यादा है।

काला धन वापिस लाने की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार की भ्रष्टाचार से लड़ने की कोई इच्छाशक्ति दिखाई नहीं देती।

1991 में उदारीकरण की शुरूआत के बाद आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए कोई खास कदम इस बजट में उठाया नहीं दिखता है। इसलिए यह बजट निराशाजनक प्रतीत होता है। कई राजकीय और आर्थिक बावतों में केन्द्र की मुश्किलों का ठिकरा राज्यों के सिर पर फोड़ा जाता है। लेकिन गुजरात जैसे ज्यादा राजस्व उपलब्ध कराने वाले राज्य को कम राहतें-प्राधान देने वाली राजकीय प्रक्रिया राज्य के हित में नहीं है।

गुजरात की संजीवनी समान सरदार सरोवर-नर्मदा योजना को आज तक राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं किया गया है।

गुजरात में कपड़ा और ज्वेलरी उद्योग की घोर उपेक्षा की गई क्योंकि कॉटन कपड़े के सामने रेशमी कपड़ों की ड्यूटी में घटावा करने की मांग ठुकरा दी है।

टैक्सटाइल उद्योग के लिए आयात मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी पर कोई राहत नहीं दी गई।

देश को निर्यात के जरिए 80 हजार करोड़ रु. कमाने वाले ज्वेलरी उद्योग के लिए कोई राहत दिखाई नहीं देती।

सूरत को टैक्सटाइल मैगाकॉस्टम की मांग ठुकराई गई। जैम्स ज्वेलरी के निर्यात के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया गया। रत्न कर्मियों के शिक्षा, हाउसिंग, स्वास्थ्य बीमा के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। वित्त मंत्री नीति का दोहरापन सामने आया है।

इस बजट में वित्त मंत्री नई धनराशि लगाने को कहते हैं तो दूसरी तरफ 63 एस.ई.जेड. को कोई मान्यता है इसमें गुजरात सरकार के अच्छे प्रावधान थे लेकिन उन पर मिनिमम अल्टरनेटिव टेक्स के दायरे में लेने के कारण गुजरात में उद्योग शासिकता लगाने के लिए एस.ई.जेड. प्रक्रिया पर कुठाराघात पड़ा है। गुजरात के लिए धनराशि लगाने वाले इससे निराश हो जाएंगे तथा इससे इंटरप्राइजेज वाले गुजरात को चुप कराने का इरादा प्रतीत होता है।

आम आदमी से क्रूर मसकरी करने वाला यह बजट है क्योंकि मुद्रा स्फीति और महंगाई के दो पत्थरों की चक्की में पिसते आम आदमी की इच्छाओं का आटा बन जाएगा।

क्योंकि डीजल और पेट्रोल के भी दाम बढ़ते नजर आते हैं। आयकर के अंतर्गत फिक्स इन्कम वाले व्यक्तियों के लिए तथा ज्यादा तादात वाले मतदारों को प्रवासन, बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा खर्च के बत्थे पर आयकर मुक्ति 1997 से स्थगित की गई उनका स्लेब चेंज करने में एक शब्द भी वित्त मंत्री जी ने इस बजट में उच्चारित नहीं किया है।

वित्त मंत्री का यह बजट रंगहीन, सुगंधहीन और स्वादहीन है। इसमें नीति और नियत का भी अभाव दिखाई देता है।

यह बजट विधान सभा के चुनाव के अंतर्गत उठाया गया एक राजनीतिक कदम है।

यू.पी.ए. सरकार महिला सशक्तिकरण की बातें बढ़-चढ़कर करके करती है लेकिन महंगाई की ज्यादा मार झेलती महिलाओं को परिवार की खुशियों की खातिर नौकरी करनी पड़ती है। उनको आयकर में पहले रियायतें देने वाले प्रावधान थे उनको हटा के महिला सम्मान की भावना को माननीय प्रणव दा ने लुप्त कर दिया है।

देश में रोटी, कपड़ा, मकान जैसी प्राथमिक सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होती है। डी.टी.सी. का 2012 अप्रैल से प्रारंभ करने की बात और आयकर हटाने की बात 60 साल में पहली बार सरकार कर रही है। यह अमानवीय है और जनता को परेशानी में डालने वाली है।

बजट का प्रावधान पूरे देश के सभी राज्यों के समावेशी विकास के लिए होता है लेकिन बिहार, गुजरात जैसे और अन्य एन.डी.ए. वाले राज्यों की सरासर उपेक्षा हुई है। पंजाब और देश के अन्य राज्यों के किसान मायूस हैं क्योंकि माननीय वित्त मंत्री ने फर्टीलाइजर पर सब्सिडी का वादा निभाया नहीं है।

आमदनी अठन्नी-खर्चा रुपैया
खाओ पियो और सो जाओ

यह बजट इसको साबित करता है क्योंकि बजट में भारी भरकम योजनाओं के सिर्फ वादे ही हैं इरादे नहीं हैं।

भारत सरकार के सामने एक बड़ा मौका था - 200 योजनाएं जो राज्यों में चल रही हैं उन सबको मिला के शत-प्रतिशत केन्द्र पुरस्कृत अल्प सी योजनाएं केन्द्र मोनिटरिंग करती तो भारत निर्माण का सपना साकार हो जाता।

जी.एस.टी. के मामले में केन्द्र का रवैया ठीक नहीं है और उनकी विफलता का ठीकरा बी.जे.पी. और एन.डी.ए. सरकारों के सिर पर फोड़ा जाता है। इसके बारे में केन्द्र सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। सबको साथ लेके ही देश की प्रगति होती है। सिर्फ अपने कारण ही हो रही है यह बात खेदजनक है।

यू.पी.ए. सरकार ने आज तक एक साल में सिर्फ 20 हजार लोगों को ही रोजगार दिलवाया है। बेरोजगारी देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। आपको आर्थिक सर्वेक्षण में भी एडवाइजर ने रोजगारी के बारे में हाथ खड़े कर दिए हैं। ज्यादा रोजगार देने वाले लघु और मध्यम उद्योगों को आपने खत्म कर दिया है।

यू.पी.ए. सरकार ने ही देश की 14 बड़ी नदियों वाली पानी रसद योजनाओं का राष्ट्रीयकरण किया है। नर्मदा योजना देश की प्रमुख योजनाओं में से एक है लेकिन उन पर कार्यान्वित की जा रही सरदार सरोवर योजना को आज तक इसमें समाविष्ट न करके गुजरात के साथ सरासर अन्याय किया है।

[अनुवाद]

***श्री मोहम्मद असरारुल हक** (किशनगंज): मैं इस बजट को आम आदमी का बजट मानता हूं और इसके अपने माननीय वित्त मंत्री जी श्री प्रणव मुखर्जी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। इस बजट में मुल्क के तमाम कमजोर वर्गों की फलां व बहबूद का ख्याल रखा गया है। इस बजट में मुल्क के मुसलमानों और दूसरी अकलियतों के मसाइल को भी जहन में रखकर स्कीमों का ऐलान किया गया है। सच्ची बात तो यह है कि इस बजट से गांधी जी के फलसफे की झलक नजर आती है। इस बजट में सोनिया जी के इफकार, मनमोहन सिंह जी की बशीरत, प्रणव जी की दूर अंदेशी, बल्कि मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं कि कांग्रेस की कायदाना सलाहियत साफ नजर आती है। कुल मिलाकर यह बजट मुल्क की मजमूई तरक्की का अक्स जमील है।

---

* सभा पटल पर मूलतः उर्दू में रखे गए भाषण का हिन्दी अनुवाद।

मैडम, बिला शुबा हमारे मुल्क में पिछली एक दहाई में भारी तरक्की की है। हालांकि उस दहाई में एक तरफ जहां इंटरनेशनल लेवल पर हालात में बड़ा उतार चढ़ाव आया, वहीं महंगाई में भारी इजाफा और इकोनिमक्स क्राइसिस भी आया। इसके बावजूद हमारे मुलक ने इस क्राइसिस का जमकर मुकाबला किया। इसका सेहरा इस मुल्क के उस आदमी को जाता है, उस मेहनतकश और मजदूर तबके को जाता है, जिसका नाम तक कोई नहीं लेता। इसका सेहरा उस वर्ग को जाता है, जिसके दुख दर्द को कोई महसूस नहीं करता, फिर भी हमारी सरकार ने नेशनल लेवल की कई योजनाओं, खासतौर पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बनाकर एक बड़ा काम किया है और इसके माध्यम से देश के बेरोजगारों और गरीबों को मुख्यधारा से जोड़ा गया है।

"जिंदगी की कठिन वादियों में गर जवां हो इरादे, जुनूं भी हो कामिल,

तो हर गाम पर सर झुकाती है दुनिया, मुसाफिर को आवाज देती मंजिल।"

मैडम, प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की कयादत में हमारी इस दूसरी सरकार ने शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया है। मुफ्त लाजमी तालीम बिल पहले ही पास हो चुका है और उस पर अमल बरामद भी शुरू हो चुका है। इसका सेहरा भी प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और यू.पी.ए. चेयर पर्सन श्रीमती सोनिया गांधी को जाता है। यह कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि यू.पी.ए. सरकार की खास तवज्जो से इस मुल्क एक कदीम, मारूफ और बावाकार युनिवर्सिटी ए.एम.यू. के कई सेंटर देश के कई हिस्सों में स्थापित हो गए हैं। यकीनन इल्म व दानिस शिक्षा और ज्ञान की रोशनी महलों के साथ झोंपड़ों तक पहुंचाने के लिए यह एक इंकलाबी कदम है।

"कोई बज्म हो कि कोई अंजुमन, यह शोआर अपना कदीम है,

जहां रोशनी की कमी मिली वहां एक चिराग जला दिया।"

मैं बिहार के पिछड़े हुए इलाके, किशनगंज से आया हूं। मैं किशनगंज का दर्द जानता हूं। यह इलाका बिहार के इंतिहाई गरीब तरीन इलाकों में से एक है। यह इलाका तालीम, रोजगार और तिब्बी सहूलियतों के एतबार से बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। किशनगंज के आवाम की देरीना ख्वाहिश थी कि किशनगंज में ए.एम.यू. का सेंटर स्थापित हो जाये। खुशी की बात है कि किशनगंज में ए. एम.यू. का सेंटर के कायम का फैसला कर लिया गया है लेकिन अभी तक उसकी कयाम की कार्यवाही का आगाज नहीं हो पाया है। इस सेंटर के कयाम के सिलसिले में प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी ने पूरी तवज्जो दी है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। रियासती हुकूमत बिहार में भी किशनगंज में ए.एम.यू. के सेंटर के कयाम के लिए अभी हाल ही में दो सौ पचास एकड़ जमीन एक ही मुकाम पर देने का फैसला कर लिया है। उम्मीद है जल्द से जल्द इस फैसले पर अमल दरामद हो जायेगा। इस एकदाम के लिए मैं वजीरेआला, बिहार, नीतिश कुमार जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे अपील करता हूं कि इस फैसले को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाये।

केन्द्र सरकार और माननीय वित्त मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी से भी अपील है कि जिस तरह उन्होंने केरल और मगरीबी बंगाल में कायम ए.एम.यू. सेंटरों के लिए बजट में फंड एलोकेट करके इन दोनों सूबों को शिक्षा प्रेमी और इल्म दोस्त लोगों के दिलों को जीत लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि किशनगंज में कायम होने वाले ए.एम.यू. सेंटर के कयाम के शुरूआती कामों के लिए भी बजट 2011-12 में 50 करोड़ रुपया बतौर टोकन ग्रांट मंजूर करके सूबे बिहार की आवाम का भी दिल जीतने की कोशिश करेंगे।

यहां यह बात भी याद रखने की है कि किशनगंज के आवाम में उस वक्त टू नेशन थ्यौरी की जबरदस्त मुखालफत की थी, जब पूरे मुल्क में इस थ्यौरी ने भाई को भाई से जुदा कर दिया था। आजादी के 60 वर्षों में पूरे मुल्क में क्या नहीं हुआ, मगर यह इलाका नफरत और अदावत की आंधी से महफूज रहा। किशनगंज के आवाम में नफरत व अदावत की इन तूफानी हवाओं में राष्ट्रीय एकता और प्यार व मोहब्बत के चिराग को जलाये रखा और इस तरह पूरे देश को उसने यह पैगाम दिया कि-

"उठो और इन चिरागों को बुझा दो,

जिन चिरागों से नफरत का धुआं उठता है।"

लेकिन दुख के साथ मैं आज इस सदन के सामने अपना दर्द रखता हूं कि किशनगंज के जिन आवाम ने देशभक्ति और हुब्बुल वतनी की अजीमूशान मिशाल पेश की है, जिन्होंने अपने वतन की मिट्टी की खुशबू को अपने से जुदा नहीं किया। आज उनकी नई नस्लें जहालत के घटाघोप अंधेरों में भटक रही हैं। मेरी इस सदन से और अध्यक्षा जी के माध्यम से अपनी मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस इलाके के आवाम की उन भावनाओं का सम्मान किया जाये और उन्हें ए.एम.यू. सेंटर का यह इल्मी तोहफा जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, देकर उनकी कुर्बानियों की कदर की जाये और इस तरह वहां के घर-घर में इल्म की शमां रौशन करा दी जाये।

यू.पी.ए. सरकार ने गांव, पंचायतों, औरतों, नौजवानों और अकलियतों को ज्यादा बा-इख्तियार बनाने और हर वर्ग को, और खासकर औरतों को पढ़ा-लिख बनाने के लिए भी जो स्कीमें बनाई हैं, मुझे उम्मीद है उन पर अमल जरूर होगा। लेकिन इसी के साथ मैं एक बात जरूर रखना चाहूंगा कि सरकार ने जितनी मेहनत से स्कीमें तैयार की हैं, उतनी ही गहराइयों के साथ उनके इम्पलीमेंटेशन पर भी नजर रखना जरूरी है। इसी के साथ जब उन आम स्कीमों को नाफिज किया जाये तो उसमें आम शहरियों के साथ-साथ दलितों, कमजोरों, पसमांदाह तबकों और अकलियतों को फरामोश न किया जाये बल्कि उन्हें तरक्की की दौड़ में साथ लेने के लिए इन स्कीमों के निफाज में आगे-आगे रखा जाये।

इम्प्लीमेंटेशन की बात आई है तो यहां यह कहना जरूरी है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशात और औकात पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पर भी पूरी तरह अमल-दर-आमद करना जरूरी है। हुकूमत ने जिस तरह कर्ज के बोझ तले दबे हुए किसान भाइयों के कर्ज माफ किए हैं, उसी तरह बुनकरों के मसाइल का भी हल तलाश किया जाये।

सरकार ने शफाफ्यित पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने इस सिलसिले में बड़ा किरदार अदा किया है। लेकिन इस संबंध में हमें अपने इंफार्मेशन अफसरों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। खासतौर पर अकलियतों की स्कीमों के ताल्लुक से जब कोई मालूमत हासिल की जाती है तो उसमें ताखिर की जाती है, जो ठीक नहीं है। मैडम, आज मादियत के सैलाब में रूहानियत की कश्ती के डूबने का शदीद खतरा पैदा हो गया है। यही वजह है कि आज इंसानी समाज में करप्शन एक बड़ा इशू बनकर उभरा है। हम तरक्की के पहिये को उल्टा नहीं घुमा सकते। हमें इस लानत से मिलकर लड़ना होगा। सिर्फ सरकार और अपोजिशन को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी अपना रोल निभाना होगा। आखिर में एक शेर सदन की खिदमत में पेश करके अपनी बात पूरी करता हूं -

"खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली
न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का।"

बहुत-बहुत शुक्रिया। एक बार फिर जनरल बजट की पुरजोर हिमायत करता हूं और इसके लिए यू.पी.ए. सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं।

محمد اسرار الحق (کشن گنج): [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

*श्री पकौड़ी लाल (रॉबर्ट्सगंज): हमारे उत्तर प्रदेश विशेषकर हमारा क्षेत्र रॉबर्टसगंज जनपद सोनभद्र-चंदौली, नक्शल प्रभावित,

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जंगल पहाड़ में काम करते समय काफी संख्या में मजदूर पत्थर तोड़ाई के समय धूल धुआं धुंध से उपजे दमा, टी.वी. आदि विभिन्न बीमारियों का शिकार होकर मर जाते हैं और विकलांग हो जाते हैं। जो मृतक हो गये हैं उनके विधवा औरत बाल बच्चों के सहित जीवोकापार्जन में काफी कठिनाई झेल रही हैं। विधवा पेंशन व विकलांग पेंशन मात्र 350 रुपया महीना मिलता है जो पर्याप्त नहीं है।

अत: आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि विधवा व विकलांग पेंशन कम से कम एक हजार रुपया महीने किया जाए।

[अनुवाद]

श्री अबू हशीम खां चौधरी (मालदा दक्षिण): मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2011-12 के बजट प्रस्ताव का समर्थन और इसकी सराहना करता हूं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के सबसे कठिन समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत है। माननीय वित्त मंत्री की घोषणा से हम संतुष्ट हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्वापेक्षित विकास पथ पर आ गई है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता तथा हमारी संप्रग सरकार द्वारा किए गए समग्र मेक्रो और माइक्रो आर्थिक प्रबंधन का योगदान है। वर्ष 2010-11 में हमारी जी.डी.पी. में 8.6% की वास्तविक वृद्धि हुई।

चूंकि मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं, मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि ग्रामीण क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा क्षेत्र में 52,000 करोड़ रु. आबंटन यह दर्शाता है कि इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 24% की वृद्धि हुई और इसका अधिकतर हिस्सा प्राथमिक और सैकेण्डरी स्कूल खंड के लिए निर्दिष्ट होगा। साथ ही संस्थाओं का चयन करने के लिए विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में उत्कृष्टता को मान्यता देने हेतु विशेष अनुदान का स्वागत योग्य कदम है क्योंकि इससे अन्य संस्थाएं प्रेरित होंगी और उत्कृष्टता का मार्ग अपनाएंगी।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मजदूरी को 1500 रु. से बढ़ाकर 3000 रु. करने तथा इसके सहायकों की मजदूरी को 750 रु. से 1500 रु. बढ़ाना भी स्वागत योग्य कदम है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये कार्यकर्ता आई.सी.डी.एस. योजना की सफलता के मुख्य कारक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 22 लाख से अधिक महिला कार्यकर्ता इससे प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगी और इसके परिणामस्वरूप इससे इन कार्यकर्ताओं के कम से कम एक करोड़ परिवारों को मदद मिलेगी।

जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी 65% जनसंख्या कृषि क्रियाकलापों से जुड़ी है, माननीय वित्त मंत्री द्वारा सब्सिडी प्राप्त दरों पर किसानों के लिए ऋण प्रवाह को 3 लाख 75 हजार करोड़ रु. से बढ़ाकर 4 लाख 75 हजार किए जाने की घोषणा महत्वपूर्ण कदम है और यह किसानों और उनकी बेहतरी के प्रति संप्रग सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे हमारे किसानों को लाभ मिलेगा और वे सरकारी संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर पायेंगे तथा उन्हें महाजनों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते हैं जिसके कारण वे फलने फूलने से वंचित रह जाते हैं। कतिपय रिपोर्टों के अनुसार हमारे देश में अभी भी 7 मिलियन लोग बेकार हैं। जैसाकि हम जानते हैं कि हमारे देश में 250 से 300 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत विद्यमान आवास ऋण की 20 लाख की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का निर्णय एक बहुत अच्छा कदम है और इससे सभी व्यक्तियों विशेषकर निम्न मध्यम वर्ग को लाभ प्राप्त होगा।

हमारे देश के पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। हमारे देश के पश्चिम पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित पूर्वी भाग अपनी क्षमताओं को कृषि क्षेत्र में दिखाने का इंतजार कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त हमें प्रसन्नता है कि बुनियादी ढांचे के विकास में 25 प्रतिशत आबंटन की वृद्धि और इस क्षेत्र में पी.पी.पी. माडल को सुदृढ़ और विकसित करने हेतु एक व्यापक नीति तैयार करने का वादा किया गया है। जी.डी.पी. में निर्माण के हिस्से को 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य भी एक महत्वाकांक्षी कदम है।

वित्त मंत्री जी का अर्थव्यवस्था का विवेकपूर्ण प्रबंधन करने का निश्चय स्वागत योग्य कदम है। सकल घरेलू उत्पाद को वर्ष 2011-12 में 4.6 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार को आवश्यक राजकोषीय अनुशासन और क्रियान्वयन अपनाना होगा।

बजट में नकद राजसहायता प्रदान करने का घटक चरणबद्ध रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की ओर सीधे पहुंच रहा है। हमारे लिए यह बहुत अच्छा है कि हम राजसहायता प्राप्ति मिट्टी के तेल, रसोई गैस, उर्वरक इत्यादि उपलब्ध कराने के स्थान पर लोगों को सीधे ही लाभ पहुंचाएं क्योंकि हमें अपने अनुभव से ज्ञात है कि यह लाभ जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचता है और इसका व्यापक हिस्सा बिचौलियों द्वारा हड़प लिया जाता है।

यह स्वागत योग्य है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (100 दिन) में मजदूरी के भुगतान को अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आबंटन में वृद्धि और सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो गरीब और सीमांत श्रमिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराता है के लाभ को एम.जी.एल.आर.ई.जी.ए. के लाभ भोगियों, बीड़ी श्रमिकों और अन्य वर्गों को शामिल करने के साथ साथ खतरनाक क्षेत्र के खनन और संबद्ध उद्योगों में कार्य कर रहे असंगठित क्षेत्र के

श्रमिकों के लिए भी लागू कर दिया गया है और यह सं.प्र.ग. सरकार की गरीबी और आम व्यक्तियों के प्रति चिंता के अनुरूप एक स्वागत योग्य कदम है।

हाल के महीनों में मुद्रास्फीति और खाद्यान्न मूल्य आम व्यक्ति के लिए चिंता का एक बड़ा कारण रहा है। संप्रग की सरकार भी इससे चिंतित है और आम आदमी की दयनीय स्थिति तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में हो रही निरंतर वृद्धि के प्रति संवेदनशील है। उच्च मूल्य होने के कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऊंचे ही रहे हैं। हमारे वितरण और विपणन प्रणाली की त्रुटियों और बढ़ते हुए आय के स्तर से खाद्य वस्तुओं की बढ़ी हुई मांग भी मुद्रास्फीति का कारण बन रही है। सरकार द्वारा लिए गए आर्थिक नीतिगत उपायों से आगामी महीनों में मुद्रास्फीति में गिरावट होने की संभावना है। संप्रग अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में संप्रग सरकार का मुख्य प्रयास सर्वांगीण विकास रहा है। एम. जी.एन.आर.ई.जी.ए. जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक वर्ष में 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप से योगदान दिया है। संप्रग सरकार द्वारा की गई दो पहलों, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार भ्रष्टाचार और सामाजिक असंतुलन के विरुद्ध प्रभावी विकल्प हो रहे हैं।

मैं सरकार को यह बजट प्रस्तुत करने हेतु बधाई देता हूं जिससे हमें एक पारदर्शी, परिणामोन्मुख और सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में गति मिलती है। यह वास्तव में एक आम आदमी का बजट है और मुझे विश्वास है कि हम इस बजट का हमारी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक परिणाम आगामी महीनों में देख सकेंगे।

श्री शिवकुमार उदासी (हावेरी): मैं आपको इस बजट में बोलने का अवसर देने हेतु धन्यवाद देता हूं। इस सम्माननीय सदन में यह मेरा पहला भाषण है।

महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि बीते वर्षों से बजट ने भारतीयों को दो वर्गों में बांट दिया है - पहला आई.पी.एल. के लिए और दूसरा बी.पी.एल. के लिए। आई.पी.एल. शहरी भारत है और बी.पी.एल. ग्रामीण गरीब व्यक्तियों के लिए है। गरीब और अमीर के बीच का यह अंतर जैसाकि माननीय सदस्य अभी उल्लेख कर रहे थे बढ़ता ही जा रहा है हालांकि इस सर्वोच्च सदन में हर बार बजट प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

बजट की भाषा से यह भी पता चलता है कि भारत में समाज की सोच क्या है। धनी लोगों को दी जाने वाली रियायतों को 'प्रोत्साहन' कहा जाता है और गरीबों के लिए इसे 'राहत' कहा जाता है लेकिन जब यह बात मध्यम वर्ग के लिए आती है तो इसे सहायता (सोप्स) कहा जाता है। मैं सभा के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि गत वर्ष के बजट पत्र में एक दस्तावेज रखा गया था और यह इस वर्ष के बजट में भी है जिसे 'छोड़ दिए गए राजस्व संबंधी विवरण' कहा गया है। गत दो वर्षों में अमीर लोगों के लिए लगभग 9,16,399 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए हैं।

इस देश में हम सभी जानते हैं कि 12 करोड़ लोग कृषक हैं। सीमांत किसानों अर्थात एक हैक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों की संख्या जानकर आश्चर्य होगा क्योंकि यह लगभग 58 प्रतिशत है। उनका केवल 15 प्रतिशत क्षेत्र में स्वामित्व है जबकि लघु किसानों, जिनके पास 1-2 हैक्टेयर भूमि है की संख्या 19 प्रतिशत है। इन दोनों को मिलाकर 77-80 प्रतिशत किसान लघु और सीमांत वर्ग के हैं। इनके क्षेत्र को आपस में मिलाने से यह केवल 33 प्रतिशत होता है।

लघु और सीमांत कृषकों–घास की खेती करने वाले किसान द्वारा एक वर्ष में 31000 रुपए प्रति हैक्टेयर सकल आय प्राप्त करने की संभावना है जबकि एम.एच.आर.ई.जी.ए. परियोजना में कार्यरत होने वाले व्यक्ति श्रमिक परिवार को 25000 रुपए प्रति वर्ष की आय होती है।

अपराह्न 1.35 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

किसी किसान की सकल आय शहरों में सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में नियोजित मजदूर की तुलना में अत्यधिक कम है। यदि आप उसकी तुलना करें तो यह बहुत मामूली होगी।

सरकार ब्याज दर को माफ क्यों नहीं कर सकती है। इस वर्ष सरकार ने कृषि ऋण को 3.75 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 9.75 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे किसानों पर लागू ब्याज दर को माफ कर दें। इस प्रकार 40,000 करोड़ रुपए माफ किये जा सकते हैं जो इस देश के शीर्ष 2 प्रतिशत जनसंख्या हेतु माफ किए गए राजस्व की तुलना में मामूली रकम होगी।

राष्ट्रीय किसान आयोग ने अत्यधिक निम्न उत्पादकता, जिसे बढ़ाया जा सकता है, के लिए कृषि से संबंधित के अभाव को कारण माना है। इस त्रुटि के कारण देश के व्यापक हिस्सों में कृषि कार्य इष्टतम स्तर से नीचे है। मृदा की जांच, इष्टतम पोषण की आवश्यकता के निर्धारण हेतु शायद ही की जाती है। उर्वरकों का व्यापक रूप से असंतुलित उपयोग किया जा रहा है और नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का व्यापक उपयोग किए जाने से मृदा की उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। यह असंतुलन कुछ हद तक उर्वरकों पर दी जा रही अविवेकपूर्ण राजसहायता के कारण है जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों पर बल दिया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में जी. डी.पी. की प्रतिशतता के रूप में पूंजी निवेश बहाल के वर्षों में स्थिर रहा है। हालांकि कृषि में जी.डी.पी. की प्रतिशतता में कृषि व्यय में चालू पंचवर्षीय योजना में कुछ सुधार देखा गया है तथापि यह नोट किया जा सकता है कि कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद गत तीन वर्षों से स्थिर रहा है। कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश को मृदा की उर्वरता बढ़ाकर सुधारा जा सकता है। लगभग 9 मिलियन हैक्टेयर भूमि में सुधार किया जाना है जिसमें प्रति हैक्टेयर 10000

रुपए की लागत आयेगी। इस प्रकार कृषि क्षेत्र हेतु 80,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया जाना चाहिए। कई आम बातें हैं जिसे समय के साथ-साथ किया जा सकता है जो कि किसानों के लिए लाभकारी होगा।

मुद्रास्फीति के बारे में मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसा कि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी बताते हैं बाजार भावनाओं का फलन है। ये भावनाएं बाजार प्रतिभागियों के मिजाज के सामूहिक उतार-चढ़ाव द्वारा निदेशित होती हैं। स्वाभाविक तौर पर मीडिया बाजार प्रतिभागियों की भावनाओं को बनाने और बिगाड़ने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। लेकिन मीडिया के कतिपय भागों की भूमिका केवल इस कवायद तक ही सीमित नहीं है।

मैं विगत दो वर्षों के वास्तविक जीवन के कतिपय घटनाक्रम को विस्तारपूर्वक बताऊंगा। हाल में, निवेशकों का एक नया वर्ग सामने आया है। वित्तीय क्षेत्र द्वारा वस्तुओं में निवेश और आपूर्ति एवं मांग के बीच संबंध को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। विश्लेषकों को जो बात चिंतित कर रही है वह है इन प्रतिभागियों का बढ़ता प्रभाव, जो बाजार में पक्ष बदलते रहते हैं, जिससे मूल्यों पर असामान्य दबाव पड़ता है। परिणामस्वरूप इससे सट्टाकाटक बुलबुला बनने की स्थिति को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त इनकी गतिविधियां मुद्रा, शेयर और वस्तु बाजार में सम्नवित होती हैं। परिणामतः वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि और गिरावट का उस वस्तु विशेष की मांग और आपूर्ति से कोई लेना-देना नहीं है। इस प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था के आधारभूत कारकों का असर न्यून कर दिया गया है।

वर्ष 2006 के अंत में खाद मूल्यों में अचानक विश्वव्यापी वृद्धि शुरू हो गई और मैं इस वृद्धि को समतापमंडलीय कहूंगा। एक वर्ष के अंदर गेहूं के मूल्य में 8 प्रतिशत, मक्का के मूल्य में 90 प्रतिशत और चावल के मूल्य में 320 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। भूख के वैश्विक झटके में खाद्य 200 मिलियन लोगों, जिसमें अधिकांशतया बच्चे थे, की पहुंच से अब बाहर चला गया था और वे कुपोषण तथा भुखमरी में डूब गए थे। 30 से अधिक देशों में दंगे हुए और कम से कम एक सरकार हिंसा के द्वारा पलट दी गई थी। पुनः 2008 के वसंत में उसी तेजी से गिरकर अपने पूर्व के स्तर पर आ गए जितनी तेजी से इसमें वृद्धि हुई थी। मैं इसे "मौन सामूहिक हत्या" कहूंगा, जो कि पूरी तरह से मानव निर्मित कार्यों के कारण हुई थी।

हमने जो भी स्पष्टीकरण उस समय दिया था उनमें से अधिकांश गलत सिद्ध हुए। ऐसा न तो आपूर्ति में गिरावट और न ही मांग में कमी के कारण हुआ। वास्तव में मांग में तीन प्रतिशत की गिरावट आई। एक शताब्दी से अधिक समय से समृद्ध देशों में किसानों ने प्रक्रिया के माध्यम से एसी स्थिति बना ली है। जिसमें उन्हें जोखिमों के प्रति संरक्षण मिला हुआ है। जब इस प्रक्रिया का नियमन सख्तीपूर्वक किया गया और केवल कृषि में प्रत्यक्ष हित वाली कंपनियों को ही इसमें शामिल किया गया, यह प्रक्रिया सफल रही। इसके पश्चात् उन्नीस सौ नब्बे के दशक के दौरान गोल्डमैन सैफ और अन्य कंपनियों ने भारी पैरवी की और विनियमों को समाप्त कर दिया गया। अचानक इन प्रतिकार्यों को "व्युत्पादों" में बदल दिया गया जिन्हें वैसे व्यापारियों के बीच खरीदा और बेचा जा सकता था जिनका कृषि से कोई लेना-देना नहीं था। एक "खाद्य सट्टेबाजी" बाजार का जन्म हुआ।

अब मैं वर्ष 2009 में मानसून की विफलता को अधिक तूल दिए जाने के मुद्दे पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा। वर्ष 2009-10 के आर्थिक सर्वेक्षण में दोषपूर्ण मानसून के परिणामस्वरूप हुई खरीफ फसल की विफलता को अधिक तूल दिए जाने को रोकने में सरकार की विफलता की विशेष रूप से आलोचना की गई थी, जिसमें पर्याप्त खाद्य भंडार तथा रबी उत्पादन की संभावनाओं को शामिल नहीं किया गया है कि इससे मुद्रास्फीतिकारक प्रत्याशाओं में वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप जमाखोरी को बढ़ावा मिला और परिणामस्वरूप खाद्य मदों में अधिक मुद्रास्फीति हुई। इस बेतुकी बहस में जो बात सामने नहीं आई है वह यह है कि पहले तो सरकार ने इस प्रकार की सट्टेबाजी की अनुमति प्रदान की और उस समय खामोश रही जब प्रतिभागियों द्वारा मानसून की विफलता को तूल दिया जा रहा था।

अब मैं इस बजट के संबंध में एक दो सुझाव देना चाहूंगा। सरकार ने कच्चे रेशम पर आयात शुल्क में कमी की है जिससे रेशम किसान घबरा गये हैं। रेशम की कीमत 300 रुपए से गिरकर 100 रुपए रह गई है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आयात शुल्क में वृद्धि कर इसे न्यूनतम 30 प्रतिशत प्रति किलोग्राम कर दिया जाए। इस बजट में सभी ब्रांडेड वस्त्रों पर वैकल्पिक उत्पाद शुल्क में 10 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा से वस्त्र उद्योग को गंभीर झटका लगा है। मैं चाहता हूं कि इसे कम किया जाए।

इस बजट का सबसे खराब कदम स्वास्थ्य परिचर्या पर पांच प्रतिशत सेवा कर लगाना है, जिससे सस्ती चिकित्सा आम लोगों की पहुंच से और भी दूर हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि इसे कम किया जाए।

मैंने व्यक्तिगत तौर पर यह पाया है कि एमपीलैड पर्याप्त नहीं है। या तो आप इसे बढ़ाकर 8 करोड़ से 10 करोड़ कर दें अथवा इसे समाप्त कर दें। यह काफी अच्छा होगा यदि इसे पूरी तरह से समाप्त ही कर दिया जाए।

मैं आंगनवाड़ी कामगारों का पारिश्रमिक 1500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह करने से पूरी तरह से सहमत हूं और इसका समर्थन करता हूं।

मैं कौशल विकास पर विशेष बल देने तथा इसे शीर्ष प्राथमिकता देने के लिए भी सरकार को बधाई देता हूं। अब इसमें स्नातक पाठ्यक्रम को भी शामिल कर लिया गया है। इस देश में कुशल जनशक्ति की आवश्यकता है। मेरा यह दृढ़ मत है कि अनुपूरक बजट में राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद को आबंटित धनराशि में वृद्धिकर इसे दोगुना कर दिया जाना चाहिए। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसे सुनिश्चित करने पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मुझे बोलने का अवसर देने के लिए एक बार पुन: आपको धन्यवाद देता हूं।

***श्री रमेन डेका** (मंगलदोई): वर्ष 2011-2012 का केंद्रीय बजट असम के लोगों को निराश करने वाला है।

असम एक पिछड़ा राज्य है और यह एक बाढ़ प्रवण राज्य है। बाढ़ नियंत्रण के लिए बजटीय प्रावधान में वृद्धि नहीं की गई है। पगलदिया परियोजना का उल्लेख नहीं किया गया है और यह जानकारी नहीं है कि इसे पूरा किया जाएगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग (डोनटर) के 188 करोड़ रुपए के बजट का मामूली रूप से बढ़ाकर से 191 करोड़ रुपए किया गया है। पूर्वोत्तर के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए से कोई प्रयोजन पूरा नहीं होगा क्योंकि इसमें 8 राज्य शामिल हैं। आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इस आवंटन में वृद्धि करेंगे।

डिब्रूगढ़ स्थित पेट्रोकेमिकल्स गैस क्रैकट परियोजना खास समय में पूरी की जानी चाहिए और इसके लिए अपेक्षित निधि प्रदान की जानी चाहिए।

असम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की काफी गुंजाइश है, अत: मैं असम में एक मेगा फूड पार्क की मांग करता हूं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए संसाधनों के 800 करोड़ रुपए के केंद्रीय पूल में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

8 राज्यों अर्थात् पूर्वोत्तर क्षेत्र में शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए 110 करोड़ रुपए से कोई प्रयोजन पूरा नहीं होगा।

असम के लोगों को असम में हरित क्रांति के लिए एक विशेष निधि का आबंटन किए जाने की उम्मीद है।

सरकार को गंगा नदी की तरह ब्रह्मपुत्र नदी की सफाई करने पर भी ध्यान देना चाहिए।

असम काफी समय से विद्रोहग्रस्त राज्य है जिससे असम की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। चूंकि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रति जिला 30 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, अत: मैं असम के लिए भी इसी प्रकार के आबंटन की मांग करता हूं।

पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम के लिए आबंटन स्थित है। आशा है कि असम का तेजी से विकास करने के लिए माननीय वित्त मंत्री वित्तीय आबंटन में वृद्धि करेंगे।

माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने 1984 में बजट प्रस्तुत करते समय कौटिल्य को उद्धृत किया था कि उत्पादन में वृद्धि करके मूल्य वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है जिससे मुद्रा स्फीति को भी नियंत्रित किया जा सकता है। माननीय वित्त मंत्री ने पुन: 2010 में कौटिल्य को उद्धृत किया "इस प्रकार एक बुद्धिमान समाहर्ता राजस्व संग्रह का कार्य इस प्रकार करेगा ताकि उत्पादन और खपत पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े.... वित्तीय समृद्धि अन्य बातों के साथ-साथ लोगों की समृद्धि, उपज की प्रचुरता तथा वाणिज्य की समृद्धि पर निर्भर करती है।"

इसके विपरीत जन उपभोग की मदों पर अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि की गई है।

लेकिन माननीय वित्त मंत्री राजस्व संग्रह में "आम आदमी" को राहत देने में विफल रहे जिससे उत्पादन और खपत में संतुलन बिगड़ेगा। मुझे खेदपूर्वक यह कहना है कि इस बजट के अर्थशास्त्र से "आम उत्पादन" को नुकसान हुआ है, जैसा कि कौटिल्य कभी नहीं चाहते थे।

खाद्य मूल्यों में नियंत्रण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वृद्धि किए जाने की तत्काल एवं जोरदार अति आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गरीब लोगों को उचित मूल्य पर खाद्य मिल सके। लेकिन सरकार ऐसा करने में विफल रही।

आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इन बिन्दुओं पर ध्यान देंगे और कर प्रस्ताव का समाधान करेंगे तथा असम के लिए अनुदान में वृद्धि करेंगे।

[हिन्दी]

***श्री राम सिंह कस्वां** (चुरु): 2011-2012 के बजट ने सभी वर्गों को निराश करने का काम किया है। आम आदमी के नाम पर सत्ता में आई कांग्रेस यूपीए सरकार ने इस बजट में आम आदमी को धोखा दिया है। इसमें बेरोजगारी, महंगाई दूर करने के लिए कुछ नहीं कहा है। बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई ठोस निर्णायक कदम की ओर कोई संकेत नहीं है। बजट में महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी उन समस्याओं का कोई निदान नहीं है जिससे आम आदमी परेशान है, कालाधन वापस लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जनता को उम्मीद थी कि यथोचित प्रशासन में सुधार से भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश होगी लेकिन नहीं हुआ। यह उद्योगपतियों का बजट है जिसमें गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। मंत्री जी कहते हैं कि महंगाई प्रमुख चिंता का विषय है पर बजट में महंगाई रोकने के नहीं, बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। महंगाई के बोझ से दबे आम आदमी को आयकर सीमा में 20 हजार की छूट से बहुत राहत मिलने वाली नहीं है। शिक्षा स्वास्थ्य जैसे सामाजिक मुद्दों में आवंटन बढ़ाए गए हैं, पर इन क्षेत्र की चुनौतियों को देखते हुए यह अब भी कम है।

*सभा पटल पर रखे माने गये।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सरकार ने मार्च, 2012 के बाद लाभार्थियों को सीधी नकद सब्सिडी उपलब्ध कराने की बात कही है। सरकार तेल, गैस, उर्वरक और खाद्य जैसी आवश्यक वस्तुएं सस्ती कीमत पर उपलब्ध करने के लिए सब्सिडी देती है। यह सही है कि सब्सिडी का एक बड़ा भाग लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। सरकार ने नगर सब्सिडी उपलब्ध कराने का जो कदम उठाया है वह सराहनीय है। बीपीएल कार्डधारियों को नगद सब्सिडी के जरिए सस्ता सिलेंडर मिलेगा, वही मध्यम वर्ग को लगभग दो गुना कीमत देकर रसोई गैस खरीदना होगा, इन्हें भी राहत की आवश्यकता है।

वित्त मंत्री जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना व भारत निर्माण योजना के तहत फंडों के आवंटन में कंजूसी की है। मनरेगा के तहत आवंटन पिछले साल के मुकाबले में 100 करोड़ रुपये कम है। मनरेगा के तहत दी जाने वाली दिहाड़ी को मुद्रा स्फीति से जोड़ना एक अच्छी बात है। भारत निर्माण में 2012 तक प्रत्येक घर को विद्युतीकरण करने की बात कही गई थी, लेकिन घरों की बात को छोड़ए ढाणियों तक का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग खेतों में बसे हुए हैं, राज्य सरकार उनका विद्युतीकरण नहीं कर रही है ना ही सांसद कोष से उन्हें विद्युतीकरण करने की अनुमति है। खेतों में बसी इन ढाणियों का विद्युतीकरण किया जाए। हर बात की तरह इस बजट में भी कृषि विकास के तमाम दावों के बावजूद किसान के हितों की घोर उपेक्षा की गई है। अच्छा होता सरकार कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल बदलाव करने का साहस जुटाती। विश्व बैंक का कहना है कि दुनिया अब तक के सबसे बड़े खाद्य संकट के जाल में फंसती जा रही है। वहीं सरकार ने कृषि क्षेत्र को महज कुछ करोड़ रुपये की रेवड़िया बांटकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है। कृषि फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने की बात कही गई है लेकिन इसकी खामियों के लिए बजट खामोश है। फसल बीमा योजना चुनिंदा जिलों और फसलों को कवर करता है। इसका फायदा भी कुछ ही किसानों को मिलता है। इस बार मेरे क्षेत्र में ओलावृष्टि के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है, परन्तु बीमा कंपनी कहती है कि ओलावृष्टि बीमा में कवर नहीं है। सरकार ने डेयरी उत्पादों, खाद्य तेलों, दालों के लिए मात्र 300-300 करोड़ का आवंटन किया है। वर्तमान हालत में दूध की भारी कमी है। खाद्य तेल व दालों का आयात किया जाता है। इतनी कम राशि से समस्या का हल कैसे होगा, उत्पादन कैसे बढ़ेगा। मोटे अनाजों के लिए 300 करोड़ रुपया, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के लिए 400 करोड़ का आवंटन किया गया है। क्या इस राशि से हरित क्रांति आ सकती है। सिंचाई के लिए कोई विशेष आवंटन नहीं किया गया है। 1981 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सरकारों के मध्य पानी के बंटवारे में 8.60 एमएएफ पानी राजस्थान को आवंटन किया गया था, उक्त समझौते की पालन आज तक नहीं की जा रही है। 0.60 एमएएफ पानी का राजस्थान का हिस्सा है, आज भी नहीं दिया जा रहा है, इसे दिलवाया जावे। सिंधुमुख-नोहर सिंचाई प्रणाली में पानी का शेष हिस्सा 0.17 एम.ए.एफ. पानी आज भी हरियाणा राजस्थान का नहीं दे रहा है, उक्त प्रकरण केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है। यह पानी भी दिलवाया जावे।

सरकार की उपेक्षापूर्ण कृषि नीति के जी.डी.पी. में कृषि का हिस्सा घटकर 17 फीसदी रह गया है। आम बजट तैयार करने से पहले सरकार फिक्की, सी.आई.आई. और एसोचैम जैसे औद्योगिक संगठनों से तो चर्चा करती है लेकिन किसान संगठनों से बात करने की जहमत नहीं उठाई जाती, खेती में बढ़ती लागत व घटता मुनाफा, उपजाऊपन में आ रही कमी और जैविक खेती को बढ़ावा देने जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भी बजट में कोई दीर्घकालीन योजना पेश नहीं की गई है। अब समय आ गया है कि रेल बजट की तर्ज पर आम भारतीय के जन जीवन से जुड़े कृषि क्षेत्र के लिए अलग बजट लाने की शुरुआत की जावे।

बजट में किसानों को दिए जाने वाले कर्ज का एक लाख करोड़ बढ़ाया है, वित्त मंत्री जी ने 200 से ज्यादा आबादी के गांवों में बैंक सुविधा देने और ग्रामीण बैंकों को 500 करोड़ रुपये देने का ऐलान भी किया है। जाहिर है गांवों तक सरकारी बैंक ही पहुंचेंगे, लेकिन गांवों में सरकारी बैंकों की जो हालत है, किसानों के साथ क्या सलूक है किसी से छिपा नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है। कृषि ऋण पर ब्याज दर चार फीसदी कर उनको फंसाने का प्रलोभन जरूद दिया गया है। गरीब अनपढ़ चार फीसदी के लालच में कर्ज तो ले लेता है एक लाख रुपया, लेकिन अक्स बैंक अधिकारियों एवं एजेंटों की मिली भगत से अंगूठा लगता है डेढ़-दो लाख के कर्ज पर, बाद में मजबूर होता है खुदखुशी के लिए। कर्ज लेने वाले को कोई पता नहीं होता है कि कितने रुपयों पर उसने अंगूठा लगाया है। मेरी गृह तहसील राजगढ़ जिला चुरू राजस्थान में महलाना ग्राम के लगभग 20 कास्तकारों ने नवम्बर, 2008 से मई, 2009 के मध्य के.सी.सी. का लोन एक एजेंट के माध्यम से लिया था। कैशियर ने काउंटर पर उनके अंगूठे हस्ताक्षर करवाए, उन्हें पता नहीं कि उनसे कितने रुपयों पर हस्ताक्षर करवाए हैं। कैशियर ने मौके पर भुगतान नहीं किया, सायं बैंक बंद होने के पश्यात् एजेंट द्वारा भुगतान किया गया। किसी भी किसान को मौके पर पास बुक आदि नहीं दी गई। डेढ़ वर्ष तक वसूली कोई नोटिस नहीं दिया गया, किसान को कैसे पता चले कि कितना ऋण दिया गया है। काफी प्रयास के पश्चात् डेढ़ वर्ष बाद अप्रैल, 2010 में उन्हें पास बुक जारी की गई। पासबुक जारी करने के बाद पता चला कि लगभग सात लाख रुपया किसानों को कम भुगतान किया गया है। गांव का एक एस.सी. का कास्तकार जो रकम उसको नहीं

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दी गई व उसके ब्याज का भुगतान कैसे करेगा। मैंने इस प्रकरण को माननीय नमोनारायण जी मीणा वित्त राज्यमंत्री के समक्ष उठाया। उन्होंने जांच विजिलेंस जयपुर को दी, हद तो तब हो गई विजिलेंस ने भी बैंक अधिकारियों को निर्दोष साबित कर दिया। पुलिस ने भी केस में भी विजिलेंस जांच के आधार पर एफ.आर. लगाने का काम किया है। अब पुन: जांच पुलिस के उच्च अधिकारी कर रहे हैं, किसान किस के पास जावे, किसको कहे चारों तरफ भयंकर लूट हो रही है, यह तो एक उदाहरण है। जब तक बैंकों के भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा, माननीय वित्त मंत्री जी आपकी छूट कोई काम नहीं आएगी। किसान भी जमीन नीलाम होती जाएगी, किसान भूमिहीन होता जाएगा।

बजट में राजस्थान की घोर उपेक्षा की गई है। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा तो दूर, साधारण पैकेज की भी घोषणा भी नहीं की गई। राजस्थान रिफाइनरी स्थापना का जिक्र तक नहीं किया गया। राजस्थान में पेयजल का विकट संकट है, रज्य सरकार की मांग के बावजूद मानवीय पक्ष को भी दर-किनार कर मांग ठुकरा दी गई। ले-देकर जोधपुर को हस्तशिल्प कलस्टर के लिए चलन किया गया है। दिल्ली, बैंगलूर, चेन्नई, मुम्बई व कोलकाता में मेट्रों रेल में सहायता देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन जयपुर मेट्रों का जिक्र तक नहीं किया गया। अन्य राज्यों का आई.आई.टी. व आई.आई.एम. के लिए विशेष सहायता दी गई, लेकिन इस संबंध में राजस्थान को कुछ नहीं मिला।

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट की स्पोर्ट करने के लिए सदन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। बजट में तारीफ करने लायक बहुत सारी चीजें हैं। मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए मोटे तौर पर बताना चाहती हूं कि लम्बे समय से हमारी सरकार की या इससे पहले सरकारों की जो इक्नोमिक पालिसीज रही हैं, जैसे वर्ष 2007 से वर्ष 2009 तक इक्नोमिक डाउन टर्न आया था, उसमें सारी दुनिया की इक्नोमीज हिल गई थीं और उसका जो पीक समय था, वह समय आप मान लीजिए कि वर्ष 2008 का लास्ट क्वार्टर और वर्ष 2009 का पहला क्वार्टर, जिस समय इक्नोमिक डाउन टर्न अपने चर्म पर था।

उस समय जो हमारी सरकार को सप्लीमेंट देना पड़ा था, वह केवल 0.3 प्रतिशत था जबकि वह यू.एस. के अंदर जी.डी.पी. का 5.5 प्रतिशत था। चाइना में वह 6.9 प्रतिशत था। इसलिए जो अब तक इस सदन के अंदर होता रहा है कि हमारी इकॉनोमिक पॉलिसीज इतनी ठीक नहीं रही हैं, इतनी रॉबस्ट नहीं रही है। लेकिन सरकार सही डाइरेक्शन में काम कर रही है। समय को देखते हुए हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट बहुत अच्छा दिया है। कई चीजों में मैं अपनी तरफ से उसमें सुझाव देना चाहूंगी। मैं ज्यादा जोर उस पर देते हुए, परंतु पहला जो फंडामेंटल इश्यू आता है कि जी.डी.पी. से हम हमारी प्रोग्रेस को मैजर करें। क्या जी.डी.पी. हमारे देश की प्रॉसपैरिटी को मापने के लिए एक अच्छा पैमाना होगा? जी.डी.पी. में जॉन रॉस्किन ने उन्नीसवीं शताब्दी में एक राइटर हुए हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। सभी लोग कहते हैं कि दो भारत हैं। हमारा गरीब भारत अलग है, अमीर भारत अलग है, अर्बन भारत अलग है, रूरल अलग है। उसको एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी:-

[अनुवाद]

"अर्थव्यवस्था में गरीबी और समृद्धि दोनों का उत्पादन होता है, फिर भी परम्परागत उपाय दोनों का साथ होना है। क्या ऐसा हो सकता है कि ऊपरी तबका जिस जहाज के डेक पर ऊंचा उठता जा रहा था अथवा अभी भी जा रहा है जो कि धीरे-धीरे गरीबी के समुद्र में डूब रहा है और यह कि राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के संकेतक शायद ही इस तथ्य की ओर संकेत कर सकें?"

[हिन्दी]

मुझे लगता है कि आज जो हमारे देश की स्थिति है, वह काफी हद तक इसी बात से समझ में आ जाती है। जी.डी.पी. में साइमन कॉजनैट्स का जो कांसैप्ट था, उन्होंने खुद 1962 में इसको रिजेक्ट कर दिया था कि जब तक आप प्रौग्रेस या ग्रोथ को ऑफ व्हॉट एंड फॉर व्हॉट डिफाइन नहीं कर देते, तब तक वह एक अच्छा इकॉनोमिक इंडीकेटर नहीं हो सकता जबकि उनको बाद में 1971 में नॉबल प्राइज इसी चीज के लिए दिया गया था।

एक ऐसा इंडीकेटर जो अगर यह फर्क नहीं बता सकता कि अगर कारगिल से हमार युद्ध होता है तो हमारी जी.डी.पी. बढ़ती है। अगर हम वैलेन्टाइन डे पर और दीवाली तथा होली पर अगर हम एस.एम.एस. ज्यादा भेजते हैं तो उससे हमारी जी.डी.पी. बढ़ती है। इसलिए ऐसा इंडीकेटर क्या हम लोगों को हमारी प्रौग्रेस को नापने के लिए काम में लेना चाहिए या इससे किसी बेहतर इंडीकेटर की तरफ हमें बढ़ना चाहिए? एक बैलेंस शीट जिसमें आप सिर्फ ट्रांजैक्शन के अंदर ही खाते में जोड़े जाएं, कोई यह नहीं बताएं कि एसैट्स क्या हैं या लॉयबिलिटीज क्या हैं या यह कोई नहीं बताए कि इंकम क्या है या एक्सपेंडिचर क्या है? यह जी.डी.पी. उस तरीके का एक पैमाना है। मेरा सरकार से निवेदन है कि हमें जल्दी से इस पर कोई निर्णय लेकर अच्छा इकॉनोमिक इंडीकेटर लेना चाहिए जो इस देश की प्रॉसपैरिटी को एक्चुअल में मैजर करने में हमारी मदद कर सके।

दूसरे, मैं एग्रीकल्चर सैक्टर पर आना चाहूंगी। सरकार ने इस बजट में एक लाख करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया है

जो एग्रीकल्चर क्रैडिट के लिए किया है, उसका मैं स्वागत करती हूं कि इससे मार्जिनल और छोटे को बहुत मदद मिलेगी। जो किसान समय से अपना लोन वापस लौटा देंगे, उनको 4 प्रतिशत का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहती हूं। एग्रीकल्चर सैक्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात आ रही है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी अभी सदन से चले गये हैं, वह राजस्थान से ही हैं।...*(व्यवधान)* हमारी सरकार की मजबूरी मान लीजिए या जिसे ऐसा कहना चाहिए कि सरकार के सामने एक डिलेमा है कि जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, वे खर्चा उठाने के लिए और रिसर्च एंड डैवलपमेंट में पैसा लगाने के लिए प्रॉस्पर नहीं कर पा रही हैं और राज्य सरकारों के पास इतने साधन नहीं हैं। इसलिए मजबूरी में उन लोगों को एम.एन. सीज. के साथ एम.ओ.यू. साइन करने पड़ रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने भी ऐसे एम.ओ.यू. साइन किये हैं और भेड़चाल चलते हुए मेरा ख्याल है कि 5 ऐसी और सरकारें हैं जिन्होंने एम.ओ. यू. साइन किये हैं। हम लोग एफ.डी.आई. अलाउ नहीं करते हैं। एग्रीकल्चर सैक्टर के अंदर एफ.डी.आई. सिर्फ प्री-प्लांटेशन के अंदर 100 प्रतिशत अलाउड है। सर्विसेज सैक्टर के अंदर हम लोग बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। अब मुझे यह बताइए कि राज्य सरकार के साथ जो चीज एम.एन.सीज. को नहीं करने देना चाह रहे हैं, वह राज्य सरकार के साथ एग्रीमेंट करके और उन सभी चीजों में आगे जहां पर राज्य सरकार ही उनको जमीन खरीदकर देगी और वे अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज उनके हवाले कर देंगी, तनख्वाहें सरकार दे रही होगी। रिसर्च उनकी हो रही होगी और पेटेंट्स पता नहीं किसके नाम बन रहे होंगे। मेरा सरकार से निवेदन है कि जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, जितने एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग राज्य सरकारों को सपोर्ट कर सकते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए और मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि उसके लिए अलग से एलोकेशन करें ताकि हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, वे वापस एक बार फिर जिस दरिद्रता की स्थिति में वे आज हैं, उससे ऊपर उठ सकें।

एग्रीकल्चर सैक्टर में एफ.डी.आई. अलाऊ करना चाहते हैं, बिल्कुल करें और इन्फ्रास्टक्चर में में करें, आपको सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि फूड स्टोरेज और सीरियल्स के लिए ग्रेनरीज नहीं हैं। एफ.सी.आई. की एक पालिसी जिसमें रिसेंटली पी.पी.पी. मोड मोड में कहा था कि पी.पी.पी. मोड में ग्रेनरीज स्टाक बनाने की योजना बना लें। मैं स्वागत करती हूं कि सरकार ने वाएबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवीजन किया है जो पहले नहीं था। इसमें सबसे बड़ी कमी है कि पंजाब और हरियाणा में जमीन बहुत महंगी है इस कारण वाएबिलिटी गैप फंडिंग में जमीन की कॉस्ट इन्कलूड नहीं होती जिसके कारण हमें जितना फायदा चाहिए उतना नहीं मिल पाता। *25 लाख मीट्रिक टन का शार्टफाल है,* इसके लिए ग्रेनरीज प्रोड्यूज करने के लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि वाएबिलिटी गैप फंडिंग में लैंड की कॉस्ट इन्कलूट करके उसके ऊपर वाएबिलिटी गैप फंडिंग अलाऊ करें।

महोदय, एक अन्य मुद्दे के बारे में बताया गया है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर में फ्रेश प्रोड्यूज का 40 प्रतिशत वेस्टेज में जाता है। हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है क्योंकि फूड इन्फलेशन ज्यादा है। मैं मानती हूं कि हर आदमी की जेब को आज की तारीख में महंगाई अखर रही है। चाहे फ्रूट्स हों या वेजीटेबल्स हों, अगर 40 परसेंट वेस्ट जाता है तो आप इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इंटेन्सिव एप्रोच रखें, कोल्ड चेन को मेन्टेन कर सकें और कोल्ड चेन बना सकें और ऐसी जगह बनाएं जहां वास्तव में प्याज, टमाटर आदि रखने की जरूरत हो। वहां कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज बनानी चाहिए ताकि एक्सेसिबिलिटी बढ़ सके, इसके साथ एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर में एफ.डी.आई. को अलाऊ करें, इन्क्रेज करें। जहां तक बीज या सर्विसिस का मामला है, एम.एन.सीज. को किस तरह से डिसक्रेज किया जाए, इसके लिए सरकार को पालिसी बनानी चाहिए।

महोदय, एक और मुद्दा इन्फ्रास्ट्रक्चर का है। मैं भी बात करने में जी.डी.पी. का यूज करूंगी क्योंकि मापदंड ही एक है तो उसे ही काम में लेना पड़ेगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण अनुमान लगाते हैं कि एक से डेढ़ प्रतिशत ग्रोथ का इम्पेक्ट पड़ता है। मैं स्वागत करती हूं कि वित्त मंत्री जी ने 2.14 लाख करोड़ का पैकेज इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है। मेरा मानना है कि जो रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर, भारत निर्माण के लिए दिया है, मिसाल के तौर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बहुत अच्छी है, यह फार्म टू मार्किट एक्सेसिबिलिटी बढ़ाती है ताकि प्रोड्यूज मंडियों तक पहुंचा सकें लेकिन आज की तारीख में एलोकेशन 20,000 करोड़ रुपए का है। जब तक रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं पनपेगा तब तक रूरल माइग्रेशन होती रहेगी और गांवों में दरिद्रता की स्थिति बनी रहेगी। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एलोकेशन बढ़ाया जाए।

महोदय, एक और महत्त्वपूर्ण प्रोग्राम है हालांकि यह सिर्फ ऑगमेंट करने के लिए है, राज्य सरकारों की तरफ से नेशनल रूरल ड्रिकिंग वाटर प्रोग्राम में बजट लगता है। मेरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र नागौर है, यहां सबसे बड़ी दिक्कत पीने के पानी की है। हम आजादी के 63 साल बाद भी हम ऐसी चीजों के बारे में सदन में बात करते हैं कि पीने के पानी की दिक्कत है। सरकार बहुत मदद करना चाहती है। यहां फेस 2 का इंदिरा गांधी लिफ्ट केनाल प्रोजेक्ट है जिसके लिए लगभग 3000 करोड़ लागत आएगी। फंड वर्ल्ड बैंक या जइका से लेना पड़ेगा लेकिन फंड लेने की बोरोइंग कैपेसिटी नहीं है। राजस्थान का पोंटेंशल बहुत है। राजस्थान ऐसा

राज्य है जो बहुत आगे बढ़ सकता है लेकिन वहां पानी की समस्या है। मेरा निवेदन है कि सरकार कुछ ऐसा पैकेज दे जिससे राज्य सरकार की एक बार मदद हो जाए, पानी आ जाए तो मेरा मानना है कि राजस्थान पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखेगा।

महोदय, एफ.डी.आई. और पी.पी.पी., दो ऐसे एक्रोनियम्स हैं जिनका नाम सुनकर भारी रिएक्शन होता है, या तो लोग इसके फेवर में होते हैं या बहुत अगेंस्ट होते हैं। एफडीआई एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कहां रेगुलेट होना चाहिए और कहां नहीं होना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहती हूं कि आज तक सरकार फार्मा सैक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट मेंटैक्स कन्सेशन लगभग 150 प्रतिशत देती आई है। मान लीजिए अगर किसी फार्मा कंपनी ने इस साल दस करोड़ आर एंड डी के अंदर लगाए तो उन्हें टैक्स कन्सेशन 15 करोड़ रुपए के ऊपर देते हैं।

अब तक हुआ यह है कि उन सभी फार्मा कंपनीज ने आर एंड डी के नाम पर मैं यह एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य आपके सामने ला रही हूँ कि हिन्दुस्तान में आज तक एक भी ऐसा कैमिकल मोलेक्यूल नहीं बना, जिसे आप इंटरनेशनली मार्केट कर सके हों या जिसकी एक्सेप्टेबिलटी रही हो। कहने का मतलब यह है कि जो टैक्स कंसैशंस आपने आज तक दिये हैं, उनका नैट रिजल्ट आज की तारीख में जीरो है। टैक्स कंसैशंस के तौर पर कितना पैसा दिया गया है और फडीआई हमें फार्मा सैक्टर में क्यों रेग्यूलेट करनी चाहिए। अब इस बजट में टैक्स कंसैशंस को डेढ़ सौ परसैन्ट से बढ़ाकर दो सौ परसैन्ट कर दिया गया है। यदि आप दस करोड़ रुपये आर एंड डी में लगाते हैं तो आपको बीस करोड़ रुपये की छूट दी जायेगी और क्या गारंटी है कि आप कोई मोलेक्यूल निकालकर लायेंगे। उसके बाद ये कंपनीज अपने आपको जाकर बड़ी एमएनसीज को बेच देती हैं, बिकने के लिए तैयार हैं, इसलिए इन्हें आकर लोग खरीद लेते हैं। यह बहुत ही डेंजरस ट्रैन्ड हैं, इसमें आपको एफडीआई रेग्युलेट करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि एमएनसीज आकर आपकी सारी डोमैस्टिक प्रोडक्शन को कंट्रोल करने लग जायेगी तो जो ट्रिप्स के अंदर आपके पास एक फ्लैक्सिबिलिटी अवेलेबल है, आप कम्लसरी लाइसेंसिंग इश्यु कर सकते हैं, चाहे कैंसर की दवा हो, चाहे एड्स की दवा हो, अगर कोई नेशनल इमर्जेन्सी हो, तब आप वह भी नहीं कर पायेंगे, क्योंकि एमएनसीज आपकी मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल कर रही होंगी। यदि आप एफडीआई ग्रीन फील्ड के अंदर लेकर आना चाहते हैं तो लेकर आइये, परन्तु ब्राउन फील्ड के अंदर एफडीआई को 49 परसैन्ट पर रेग्युलेट करना चाहिए और जो उसके ओनरशिप और मैन्युफैक्चरिंग राइट्स हैं वे इंडिया में ही रहने चाहिए। यह मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि इसके बारे में जल्दी से ही पालिसी बनाई जाए, क्योंकि सात ऐसी कंपनियां ऑलरेडी एमएनसीज को बिक चुकी हैं। हम महंगी दवाइयों की बात करते रह जायेंगे, हम कम्पलसरी लाइसेंसिज की बात करते रह जायेंगे, लेकिन तब न तो कोई कम्पलसरी लाइसेंस मांगने वाला होगा और न कोई सस्ती दवा बनाने वाला इस देश में बाकी बचेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि एफडीआई रेग्युलेट की जाए। हम एयरलाइंस को सैंसिटिव सैक्टर मानते हैं और वहां एफडीआई रेग्युलेट करते हैं, परंतु हम फार्मा को सैंसिटिव सैक्टर नहीं मानते और वहां एफडीआई आज की तारीख में 100 परसैन्ट आटोमैटिक रूप से आती है।

मेरा अंतिम मुद्दा हैल्थ के बारे में है। एक हॉस्पिटल्स जो 25 बैड्स से ऊपर हैं और जो सैंट्रली एयरकंडीशंड हैं, उन सब पर यह लागू होगा। लेकिन हॉस्पिटल्स में गरीब लोग भी इलाज कराने के लिए जाते हैं। इसके इम्पलीकेशंस बहुत खराब होंगे। मेरी समझ में यह बात आती है कि जो बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके प्रोफिट मार्जिन्स से ऊपर आप कोई टैक्स लेना चाहे रहे हैं। लेकिन बड़े अस्पताल की कोई डेफिनिशन नहीं है। 25 बैड्स का बहुत छोटा सा अस्पताल होता है। इसके बाद आपका यह कहना है कि सैंट्रली एयरकंडीशंड हो। जयपुर जैसी जगह में जहां 52 डिग्री टैम्परेचर होता है, यदि वहां सैंट्रली एयरकंडीशंड नहीं होगा तो पेशेन्ट के लिए वहां जीना मुश्किल हो जायेगा। यदि आप इसे लिंग अप करना चाहते हैं तो टर्न ओवर के साथ कर लीजिए कि बड़े अस्पतालों में जिनका पचास करोड़ का टर्न ओवर या सौ करोड़ का टर्न ओवर हो, उन पर इसे लागू कीजिए। अगर आप टैक्स लेवी करना चाहते हैं तो जो मैडिकल टूरिज्म के नाम पर बाहर से लोग हमारे यहां आते हैं और हमारे देश में सस्ता इलाज कराकर चले जाते हैं और हमारे खुद के सिटीजंस इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पलीकेशन होगा। इसकी कीमत सबसे अधिक गरीब आदमी को चुकानी पड़ेगी। आप यह देखें कि एक छोटी सर्जरी में इसकी कीमत आठ हजार रुपये से बीस हजार रुपये के ऊपर आयेगी। परन्तु आप किडनी ट्रांसप्लान्ट, हार्ट ट्रांसप्लान्ट या बोन मैरो ट्रांसप्लान्ट कराते हैं तो एक से दो लाख रुपये का अतिरिक्त खर्चा सर्विस टैक्स की वजह से मरीज को उठाना पड़ेगा। यह कोई इनवैस्टिगेशन के ऊपर आप उन्हें टैक्स कर रहे हैं, आप इनवैस्टीगेशन प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि आपकी टर्शरी केयर कम हो जाए या आप इनवैस्टीगेशन के ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं कि आदमी इनवैस्टीगेशन न कराकर अपने डाइग्नोस्टिक न बढ़ाये। मैं सरकार से चाहूंगी कि इसके ऊपर दोबारा से विचार करें और पांच परसैन्ट सर्विस टैक्स को हटाया जाए।

मैं आखिरी बात कहना चाहती हूं कि बजट का सत्र चल रहा है और यह पब्लिक नॉलिज में है कि बजट सत्र चल रहा है। लेकिन सीईसी ने बीच में चुनाव एनाउंस कर दिये, जिसकी गाज बजट सत्र के ऊपर पड़ी और बजट सत्र की मियाद घटकर 25 मार्च तक के लिए हो गई। स्पीकर महोदया ने लोक सभा में एनाउंस कर दिया कि डिमांड्स फार ग्रांट्स कमेटीज को रेफर की

जायेंगी। राज्य सभा में पिछले से पिछले साल मेरी राज्य सभा की कमेटी है, उसके अंदर डिमांड्स फार ग्रांट्स रेफर नहीं की गई थीं। इसमें पहली डिस्क्रिपेन्सी यह रही थी कि दोनों सदनों के अंदर कभी तो डिमांड्स फार ग्रांट्स रेफर की गई और कभी नहीं की गई। ऐसी स्थिति में लोक सभा, जो सबसे बड़ी पंचायत है, आप लोग यहां बैठकर डिमांड्स फार ग्रांट्स डिस्कस करके और सबको अप्रूव करके, हां करके पास कर देंगे और उसके बाद उन डिमांड्स फार ग्रांट्स को हमारी कमेटियों के पास भेजना इस तरीके से हो जायेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और उसके बाद हम मुंसिफ अदालत के अंदर हम अपील दर्ज करवा रहे हैं।

अपराह्न 2.00 बजे

महोदय, मेरा कहना है कि यह चीज सभी को मालूम थी। सदन की, बजट सत्र की अपनी एक इम्पोर्टेंस को, सैंक्टिटी को मैंनटेन करते हुए इस चुनाव की डेट को और आगे रख सकते थे, आने वाले समय में भी इस पर ध्यान रखा जाये, क्योंकि दोबारा जब तक ये हमारे पास आएंगी, मान लीजिये हमने खानापूर्ति के तौर पर कर भी दिया, पर जब रिवाइज्ड एस्टीमेट्स का टाइम आयेगा तो वह टाइम भी ए.टी.आर. के अंदर निकल जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

डॉ. ज्योति मिर्धा: मैंने अपनी मोटी-मोटी बातें कह दी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

***श्री गणेश सिंह** (सतना): मैं केंद्र सरकार के आम बजट वर्ष 2011-2012 में अपने विचार रख रहा हूं, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहां जनता की सरकार है और सरकार का कार्य जनता के हितों के लिए होना चाहिए, मेरा जनता से आशय आम आदमी से है, जिसे सरकार के सहयोग की जरूरत पड़ती है, जो स्वयं सक्षम नहीं है, हर साल बजट पेश होता है, यह कह कि आम आदमी की जिन्दगी में बदलाव आयेगा, लेकिन वर्ष बीत जाता है, वह गरीब आदमी जहां का तहां खड़ा मिलता है।

यह कृषि प्रधान देश है, यहां की 60 प्रतिशत से आबादी खेती के कार्य पर निर्भर है, यह अलग बात है कि लगातार खेती में घाटा आने से राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान पहले की तुलना में लगातार घटता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें किसानों की गलती नहीं है, क्योंकि खेती के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है, वह अत्यंत अपर्याप्त है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि आजादी के 63 वर्षों के बीत जाने के बाद भी हमारे देश की खेती अभी भी प्रकृति पर निर्भर है, अब तक निजी एवं शासकीय संसाधनों से सिंचाई मात्र 40 प्रतिशत से भी कम है, वह भी वर्षो के अभाव में जलस्रोतों के सूख जाने से अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही है, देश में 40 प्रतिशत से अधिक किसानों ने खेती के बजाय अगर कोई अन्य विकल्प मिल जाये तो खेती का कार्य बंद करना चाहते हैं, छोटे किसान तो मजदूर हो गए, क्योंकि आबादी बढ़ गई, खेती बंट गई तथा मध्यम वर्ग के किसान लगातार खेती में घाटा उठाने के कारण कर्ज के बोझ से लदकर आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं, अब तक लाखों किसानों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश का अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा है लेकिन केन्द्र सरकार के बजट में सिर्फ उसे लालीपॉप के अलावा कुछ नहीं दिया गया।

मैंने लगातार सरकार को सुझाव दिया है कि यदि कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और किसानों को आत्महत्या से बचाना चाहते हैं तो सरकार मध्यम एवं लघु कृषकों के खेती के लिए सभी ऋणों को माफ कर दिया जाये एवं नई फसल बीमा योजना बनाकर जिसमें किसान के खेत को इकाई मानकर किसानों के हिस्से का प्रीमियम केन्द्र एवं राज्य सरकार स्वयं जमा करे, तभी किसानों को बचाया जा सकता है, प्रकृति में रोज बदलाव आ रहा है, अनिश्चितता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए प्राकृतिक साधनों विशेष रूप से सिंचाई के साधनों एवं पर्याप्त निःशुल्क बिजली किसानों को उपलब्ध कराना, इसके लिए बजट में चरणबद्ध कार्यक्रम सुनिश्चित करना चाहिए, जिसका बजट में सर्वथा अभाव दिखाई दे रहा है, अभी हाल में मध्य प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बेहद ठंड से दलहनी एवं फलों एवं सब्जियों को बेहद नुकसान हुआ है, अकेले मध्य प्रदेश के 36 जिलों की 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई हुई अरहर, मसूर चना की फसल नष्ट हो गई, 7642 करोड़ की फसल नष्ट हो गई, इस भीषण तबाही से किसानों को जो नुकसान हुआ, उसके बदले राहत के रूप में राज्य सरकार ने अपने खजाने से 650 करोड़ रुपए देने का काम किया, परन्तु जब केन्द्र सरकार से मांग किया गया, तो उन्होंने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि पाला राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा में नहीं आता, इससे बड़ा मजाक किसान के साथ कुछ और हो नहीं सकता, जबकि सरकार को अपनी राष्ट्रीय आपदा नीति में संशोधन करना चाहिए और फसलों को यदि किसी भी प्राकृतिक कारणों से नुकसान होता है तो राष्ट्रीय आपदा मानकर किसानों के नुकसान की भरपाई करने हेतु राहत राशि देना चाहिए।

एक तरफ उद्योगों को पिछले बजट में 10 लाख 54 हजार करोड़ की राहत दी गई, इस बजट में भी अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से विभिन्न उद्योगों के उत्पादनों में बेहद रियायत दी गई है, लेकिन किसानों की जो फसले नष्ट हो रही हैं इसके लिए केन्द्र सरकार

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के पास पैसा नहीं है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, देश का किसान लगातार हो रहे अन्याय को देख रहा है, उसके सब्र का बांध टूटने वाला है, सरकार ने अपने बजट में पूर्वोत्तर राज्यों में दूसरी हरित क्रांति लाने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया है, वह सिर्फ इसलिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए यदि हरित क्रांति दूसरी लानी ही है तो पूरे देश में लानी चाहिए और उसके लिए बजट में भारी प्रावधान किया जाना चाहिए। 400 करोड़ में हरित क्रांति तो नहीं आयेगी, उल्टा लूट क्रांति जरूर आ जायेगी।

आम आदमी भीषण महंगाई से त्रस्त है, इस बजट में लोगों को उम्मीद थी कि कुछ उपाय ऐसे होंगे, जिससे महंगाई कम होगी लेकिन वही हुआ, जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बजट में प्रावधान किया गया है कि दलहन का उत्पादन बढ़ाना है। इसलिए 300 करोड़ ऑयल पाम संवर्धन हेतु 300 करोड़ सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ मोटे पोशक अनाज, बाजरा, ज्वार, रागी के उत्पादन बढ़ाने के लिए, 300 करोड़ पशुचारा के लिए, 300 करोड़ प्रोटीन के लिए प्रावधान किया गया है, इन प्रावधानों से वित्त मंत्री जी महंगाई घटाना चाहते हैं, यह वही स्थिति है, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, यह बजट महंगाई बढ़ाने वाला है, मुद्रास्फीति इन्होंने कहा कि 9 प्रतिशत से अधिक नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि मुद्रास्फीति 16 प्रतिशत से अधिक है।

वित्त मंत्री जी ने अपना बजट घाटा कम करने के लिए जो एल.पी.जी. गैस, मिट्टी तेल एवं उर्वरकों में जो सब्सिडी दी जाती है, उसे कम किया है, अकेले उर्वरक पर 9 प्रतिशत यानी 4979 करोड़ कम कर दिया है। अब बजट में प्रावधान किया गया है कि जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार हैं उन्हें सीधे एल.पी.जी. गैस, मिट्टी तेल एवं उर्वरक की जो सब्सिडी पहले उत्पादक को दी जाती थी, अब सीधे उपभोक्ता को दी जायेगी, लेकिन यह निर्णय लेते वक्त शायद उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि उससे जो ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, उसे कैसे रोक पायेंगे, क्या उपभोक्ता को वास्तविक रूप से लाभ दिला पायेंगे, इससे एक बात अवश्य होने वाली है, वह यह कि शहरी क्षेत्रों में बी.पी.एल. में जिनके नाम हैं, उनके पास गैस कनैक्शन ही नहीं है, गांवों में जिनके नाम बी.पी.एल. में हैं, उनके पास गैस एजेन्सी नहीं है तो लाभ किसे मिलेगा। इससे आम उपभोक्ता जो वास्तविक रूप से महंगाई की मार झेल रहा है उसे 700 रुपए के एक एल.पी.जी. का सिलेंडर मिलने लगेगा।

इसी तरह मिट्टी तेल में भी व्यापक कालाबाजारी होगी और आम उपभोक्ता का 40 रुपए लीटर मिट्टी तेल मिलेगा, रहा सवाल उर्वरक का, तो जिन किसानों का नाम बी.पी.एल. में होगा, वह किसान हो ही नहीं सकता क्योंकि जो बी.पी.एल. के मापदंड हैं उसमें जमीन नहीं होनी चाहिए, तो खाद की सब्सिडी किसे दी जायेगी, जिन बी.पी.एल. परिवारों को सब्सिडी दी जाने वाली है, क्या वे खाद को खाने के काम लायेंगे, इस सरकार को इतना भी पता नहीं कि इसके दुष्परिणाम इतने खतरनाक होंगे कि आम किसानों को खाद डी.ए.पी. तथा यूरिया के दामों में बढ़ोत्तरी होकर प्रति क्विंटल 2500 रुपए के हिसाब से खरीदनी पड़ेगी, डीजल के दाम तो रोज बढ़ ही रहे हैं, खाद के दाम भी बढ़ जाने से किसान खेती का काम छोड़ने पर मजबूर हो जायेंगे। यह सरकार किसानों के तथा आम आदमी के वास्तविक दर्द को समझने को तैयार ही नहीं है।

केन्द्र सरकार का जल संसाधन मंत्रालय राज्यों की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने की योजना चला रही है, मध्य प्रदेश सरकार ने विगत वर्ष बरगी बांध की दांयी तट नहर को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजा था, इस परियोजना से जबलपुर, कटनी, सतना तथा रीवा जिले के 1450 गांवों की 245010 हेक्टेयर की सिंचाई होनी है, केन्द्रीय जल बोर्ड ने अपनी सहमति दे दी है, अब वित्त विभाग के इक्सपेंडिचर शाखा में विचाराधीन है, इसके बाद इसे कैबिनेट को निर्णय देना है, मेरी मांग है कि इस जीवनदायिनी योजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया जाये, इस मामले को हमने अनेकों बार लोक सभा में उठाया है।

केन्द्र सरकार पर्यावरण संतुलन एवं जन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी विकास मंत्रालय से यू.आई. डी.एस.एम.टी. योजना के पेयजल आपूर्ति एवं सीवर लाईनों के निर्माण हेतु कार्यक्रम चलाया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार ने विगत 24 जून, 2009 को एक प्रस्ताव 73 करोड़ का सतना शहर का शहरी विकास विकास मंत्रालय को भेजा है, वह मामला आज भी विभाग के पास विचाराधीन है, लेकिन आज तक उसे स्वीकृति नहीं दी गई, मैं मांग करता हूं कि सतना नगर निगम जिसकी आबादी 3-4 लाख से अधिक है, शहर के मात्र एक-चौथाई हिस्से में पेयजल आपूर्ति की जाती है, शेष हिस्सों में पाईपलाइनें नहीं हैं, यही हाल सीवर लाइनों का है, अतः उक्त योजना को स्वीकृति अत्यंत आवश्यक है, मैं स्वीकृति देने की मांग करता हूं।

इसी तरह केन्द्र सरकार पर्यावरण के संतुलन हेतु झीलों, तालाबों के संरक्षण के लिए भी योजना चलाती है, इसके तहत मैं अपने लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत सतना शहर के अंदर जगतदेव तालाब, नारायण तालाब, संतोषी माता मंदिर तालाब, बिरसिंहपुर के शंहर जी का तालाब, जमुना तालाब, मुकुन्दपुर तालाब, रामगढ़ तालाब, नादन तालाब, रिगरातालाब, अबेर का बड़ा तालाब, जसो

तालाब, अमकुई तालाब, कोंडर तालाब, गंगवरिया तालाब, सिंहपुर तालाब, खरमसेड़ा, भीषमपुर तालाब, लटागांव खम्हरिया, दुरेहा, रामस्थान सहित कई ऐसे तालाब हैं, जिनका संरक्षण आवश्यक है, उसके लिए मैं आवश्यक धनराशि की मांग करता हूं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना है, मध्य प्रदेश सरकार ने 500 से 999 आबादी वाले गांवों के सड़क निर्माण के प्रस्ताव भेजे हैं, उनकी स्वीकृति नहीं दी जा रही है, तत्काल स्वीकृति दी जाये तथा विगत 2 साल से पैसे नहीं दिये जा रहे हैं, आवंटन तत्काल दिया जाये, ताकि सड़क निर्माण का कार्य प्रभावित न होने पाये, देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जहां प्रधानमंत्री सड़क का बहुत अच्छा कार्य चल रहा है।

केन्द्र सरकार बी.पी.एल. परिवारों को रियायती खाद्यान्न देता है, परन्तु मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है, प्रदेश में 63 लाख परिवार बी.पी.एल. में हैं, जबकि केन्द्र सरकार मात्र 42 लाख परिवारों को खाद्यान्न दे रही है, शेष 21 लाख परिवारों को खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा, उनके लिये भी आवंटन की मांग करता हूं।

केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय में रेलवे के स्टेशनों मास्टरों के वेतन वृद्धि का एक मामला रेल बोर्ड ने स्वीकृति हेतु 3 जून, 2010 को पत्र क्र.पी.सी. को जी.पी. 2800 से बढ़ाकर 4200 करने के लिए भेजा है, 6 माह से अधिक हो गया, अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई, इसमें रेल मंत्रालय को ही खर्च वहन करना है, इसमें वित्त मंत्रालय से सिवाय सहमति के कुछ नहीं देना होगा, भारत सरकार का नागरिक उड्यन मंत्रालय विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां विदेशी पर्यटक आते हैं तथा जहां धार्मिक एवं एतिहासिक स्थल हैं, जहां लाखों लोगों का आना-लाना है, वहां पर हवाई सेवायें प्रारंभ करने की योजना है, सतना मेरा लोक सभा क्षेत्र है, जहां चित्रकुट एवं मैहर जैसे धार्मिक स्थल हैं, पन्ना एवं बांधवगढ़ ऐसे राष्ट्रीय वन क्षेत्र हैं जहां सफेद शेर पाये जाते हैं, इसके साथ इस क्षेत्र में सर्वाधिक सीमेन्ट और खाने हैं तथा इसी क्षेत्र से लगे सिंगरौली के कई पॉवर प्लांट लग रहे हैं और यह क्षेत्र हवाई सेवाओं से वंचित है, इसलिए सतना हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण कराया जाय, तथा हवाई सेवायें प्रारंभ करायी जाये।

अंत में, मैं वित्त मंत्री जी से राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 75 एवं 7 का 4 लेन बनाये जाने हेतु स्वीकृति दिलाये जाने एवं धन उपलब्ध कराये जाने की मांग करता हूं।

सतना शहर के बीचों-बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं 75 निकलता है, हर रोज सड़क दुर्घटनायें हो रही हैं, राज्य सरकार के द्वारा PPP योजना के तहत सतना बायपास सहित बेला तक 4 लेन सड़क निर्माण का प्रस्ताव भेजा है, भूतल परिवहन मंत्रालय में विचाराधीन है, कृपया तत्काल स्वीकृति दिलायी जाये, यह मांग करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पक्ष और प्रतिपक्ष के सम्मानित सदस्यों को मैं सुन रहा था, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि सत्ता पक्ष के भी सम्मानित सदस्य इस बजट से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने सरकार को बहुत सारी राय दी हैं। बजट को अगर ओवर ऑल देखा जाये तो यह बजट पूरी तरह से निराशाजनक रहा है। अकसर देखा गया है कि जब बजट का प्रारूप बनता है तो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों, उद्योगपतियों और अमीरों से राय ली जाती है। किसान, मजदूर, बुनकर ये ऐसे लोग हैं, जिनसे हिन्दुस्तान की इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, ऐसे लोगों को बहुत कम पूछा जाता है। और इन्हें बिठाकर बजट तैयार नहीं किया जाता है। अगर यह कहा जाये कि यह अमीरों का बजट है तो यह बात सत्य है। इस बजट में ज्ञान संबंधी छात्रवृत्ति की बात कही गयी है। एस.सी., एस.टी. के लिए अगर बजट में प्रावधान देखा जाये तो पूरे देश में आज भी उनके लिए व्यापक पैमाने पर कोई ऐसी आर्थिक व्यवस्था या कोई ऐसी परियोजना शुरू नहीं की गयी है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधर सके। ओ.बी.सी. का तो बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है। अल्पसंख्यकों की बात की जाये तो जो सलाना बजट उन्हें मिलता था, वही बजट उन्हें दिया गया है। अलग मंत्रालय बनने से जो हमारे अकलियत, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी स्थिति सुधर नहीं सकती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ आयोग की जो रिपोर्ट आयी है, उनके आधार पर देखना चाहिए कि इनकी माली हालत क्या है, इनका जीवन स्तर कैसा है? आज अल्पसंख्यकों की स्थिति दलितों से भी बदतर है। अगर अलग मंत्रालय बनाया गया है तो इसके लिए बजट का प्रावधान भी हमें अलग से देख स्तर पर अधिक करना पड़ेगा। एक बात जो प्रमुखता से सामने आयी है, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, महिलाओं को जो टैक्स में छूट मिलती है, उसका तो बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है। वृद्ध लोगों के लिए आयु को घटाकर 65 वर्ष से 60 वर्ष किया गया है, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात ग्रामीण स्तर पर जो हमारी महिलाएं हैं, वे सूती वस्त्र पहनती हैं, खादी के वस्त्र पहनती हैं, लेकिन सिल्क को सस्ता किया गया है। कॉटन से बनी हुई जो भी धोती है या कॉटन से बने जो भी कपड़े हैं, उन पर कोई छूट नहीं दी गयी है। बेरोजगारों के लिए कोई स्कीम नहीं है। जबकि इसी सदन में हमेशा डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि सबको रोजगार दो और अगर रोजगार नहीं दे सकते हो तो बेरोजगारी भत्ता दो। आज जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान इधर-उधर पूरे देश में घूम रहा है, उनके रोजगार की कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गयी है।

महोदय, दूसरी बात है कि इस बजट में राजीव गांधी आवास योजना, जो शहरों के लिए है, इसे पिछले बजट में भी रखा गया था और इस बार के बजट में भी इसका जिक्र है, लेकिन अभी तक शहरों कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर दिखाई नहीं पड़ा है कि राजीव गांधी आवास योजना पर कुछ काम शुरू हो पाया है। महंगाई को देखते हुए इंदिरा आवास में आज भी मैदानी क्षेत्रों में 45 हजार रुपये, पहाड़ी क्षेत्रों में 48 हजार रुपये दिये जाते हैं, जबकि महंगाई को देखते हुए, बालू, सीमेंट, सरिये आदि चीजों के दाम बढ़े हैं। मैं चाहूंगा कि इसे कम से 60-70 हजार रुपये किया जाये, तभी जाकर हमारी परिकल्पना पूरी हो सकती है और जो खुले आसमान के नीचे वास करने वाले लोग हैं, उन्हें सुविधा मिल सकती है। इस वक्त इतनी महंगाई है, किसान जो उत्पादन करता है, उसे अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। यह कहा गया है कि चार परसेंट कृषि ऋण, अगर वह पूरा भुगतान करेगा, अगर वह ऋण की माफी चाहता है, तो नॉमिनल स्तर पर तीन परसेंट, चार परसेंट पर उसे मिलेगा। आज किसान की स्थिति यह है कि उसके लिए समय पर बीज, खाद, पानी, सिंचाई आदि की कोई व्यवस्था नहीं है।

उसकी फसल पिछड़ जाती है। उसको आगे करने के लिए कोई ऐसा धन नहीं है, जिससे किसान कुछ कर सके। वह कैसे अपनी ऋण अदायगी कर सकता है? पिछली बार इसके पहले बजट में जो प्रावधान किया गया था। इस बार भी किसान आस लगाए बैठा था कि कुछ न कुछ हमारे लिए ऋण माफी की योजना सरकार लेकर आएगी। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

महोदय, भ्रष्टाचार की बात आज पूरे देश में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहर हो, प्रमुखता से गूंज रही है। इसके लिए पांच सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई है। मंत्री समूह बनाया जाएगा, वह कालेधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाएगा। मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार की नदी ऊपर से बहती है। ऊपर की व्यवस्था हमें ठीक करनी होगी। विदेशों में जमा काले धन को लाने की सरकार व्यवस्था करे। कोई ऐसी नीति तैयार की जाए, जिससे विदेशों में जमा कालाधन हमारे देश में लाया जा सके और उस धन को देश के विकास में लगाया जा सके। कृषि प्रधान देश होने की वजह से उस पैसे को कृषि के विकास के लिए देना चाहिए।

महोदय, भारत निर्माण की बात इसमें प्रमुखता से की गई। जिसमें छः घटक हैं, ग्रामीण आवास, सिंचाई क्षमता, पेयजल, ग्रामीण सड़क, विद्युतीकरण और ग्रामीण टेलीफोन। यदि आंकड़ों को देखा जाए तो यह बात सत्य है कि वर्ष 2004 में 1.20 लाख लोग ग्रामीण टेलीफोन का लाभ उठा रहे थे, वर्ष 2010 में इसकी संख्या 25 करोड़ हो गई है। आज जरूरत इस बात की है कि हमें ग्रामीण आवास में भी धन बढ़ाने की आवश्यकता है। सिंचाई की व्यवस्था किसानों के लिए किए जाने की आवश्यकता है। यदि किसान के पास ट्यूबवैल है, तो उसे बिजली में भी भरपूर तरीके से सब्सिडी दी जानी चाहिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना में बिजली के क्षेत्र 78 मेगावाट क्षमता बढ़ाने की बात कही गई थी। 21 दिसम्बर 2010 तक केवल 32032 मेगावाट का लक्ष्य ही हासिल कर पाए हैं। पेयजल के लिए जो व्यवस्था की गई है, वह बहुत कम है। ग्रामीण स्वच्छता और राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम के लिए 3950 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो कि पूरे देश के लिए बहुत कम हैं। सामाजिक क्षेत्र के लिए 160887 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि बहुत कम हैं। जिसमें से हथकरघा बुनकरों के लिए तीन हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। क्षेत्रीय ग्रामीण के लिए 500 करोड़ रुपए और ग्रामीण स्वच्छता के लिए 1650 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। देश के स्तर पर यह रकम बहुत कम है। भारत निर्माण के लिए 92 स्थानों के लिए रखा गया है। मनरेगा को वर्ष 2004 में पहले स्थान पर रखा गया था, लेकिन इस बार उसे 13वें पायदान पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए दो साल से बजट नहीं गया है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का भी बजट नहीं गया है। जब तक गांव विकास नहीं करेगा, तब तक देश विकास नहीं कर सकता है। जहां तक बी.पी.एल. की बात है, तेंदुलकर और एन.एस.एस.ओ. की रिपोर्ट को देखा जाए तो कोई कहता है, 27, कोई 37 और 50 प्रतिशत कहता है, कभी-कभी आंकड़े आते हैं कि 77 प्रतिशत, लेकिन हमें यह नहीं मालूम है कि गरीबी रेखा से जीवनयापन करने वालों की संख्या इस देश में कितनी है? उसके अनुसार बजट मुहैया कराकर, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बात इस बजट में नहीं की गई है।

महोदय, मनरेगा में सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक लाख करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन बजट में केवल 40 हजार 100 करोड़ रुपए का आवंटन करने की व्यवस्था की गई है। समय-समय पर सत्ता पक्ष और प्रति पक्ष के सम्मानित सदस्यों ने हमेशा आवाज उठाई है कि हम लोगों को एम.पी. लैड में विकास के नाम पर केवल दो करोड़ रुपए दिए जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह राशि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। मैं सदन में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि या तो इस राशि को वापिस ले लीजिए अन्यथा इस राशि को कम से कम दस करोड़ रुपए कर दीजिए। तब जा कर कहीं क्षेत्र का विकास कर सकता है।

हम भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, वहां के लोग हमसे कहते हैं कि हमें ये चाहिए। दूसरी मेडीकल फेसिलिटी की बात है। इतना बड़ा क्षेत्र होता है और वहां केवल 25-30 रोगियों को प्रधानमंत्री फंड से मेडीकल फेसिलिटी दिलाते हैं। इस फंड को बढ़ाने की

जरूरत है। इसमें कोई लिमिट न रखें। इसमें मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट जितनी भी सुंतुति करे, उसकी कम से कम संतुति के आधार पर इलाज की व्यवस्था कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आखिरी बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जहां तक किसानों की बात कही गई है, आज भी 20 किलोमीटर के दायरे में बैंक नहीं है। 20 गांवों के लिए एक बैंक की व्यवस्था की है। छः लाख गांवों में सिर्फ 30,000 बैंकों की शाखाएं हैं। आज वहां बैंकों को खोलने की बात कही गई है। अगर ये बैंक खुल जाएंगे तो मेरे ख्याल से किसान ऋण भी ले लेगा और साहूकार के पास नहीं जाएगा। ..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: उसका यह विकास के काम के लिए ठोस कदम उठाने का प्रयास होगा। वह उत्पादन भी करेगा और देश का विकास भी करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दारा सिंह चौहान।

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहूंगा। अभी-अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि हमारे समाजवादी पार्टी के डिप्टी लीडर कुंवर रेवती रमन सिंह जी को गिरफ्तार किया गया। उनकी पिटाई की गई है। यह बड़ी शर्म की बात है।... *(व्यवधान)* आज उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है।...*(व्यवधान)*।

उपाध्यक्ष महोदय: शैलेन्द्र जी, आपने अपनी बात कह दी है, अब आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन में हमारी मांग है कि उन्हें छोड़ा जाए ताकि वे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकें, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाएं।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए केवल थोड़ी सी बातें कहना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी जब बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो उस समय इस देश की जनता बड़ी आशा भरी निगाह से देख रही थी कि शायद यह चुनावी वर्ष है, कई स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए शायद वित्त मंत्री जी प्रदेशों को कुछ स्पेशल पैकेज राहत देकर, स्टेट्स में जो असंतुलन है, उसे खत्म करेंगे, उनके लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि बजट सुनने के बाद इस देश में रहने वाले करोड़ों जो गरीब, नौजवान, किसान और बुनकर बेरोजगार हैं, उन्हें काफी धक्का लगा है। इस बजट में बहुत सारी योजनाओं के बारे में वित्त मंत्री जी ने अपनी बात रखी है, लेकिन हमेशा से, आजादी से लेकर अब तक इस देश में कई बजट प्रस्तुत किए गए। इस देश में सबसे ज्यादा किसान, असंगठित मजदूर एवं बुनकर हैं, उनका वित्त मंत्री जी ने कोई ख्याल नहीं रखा, उनके लिए कोई राहत का काम नहीं किया। खासकर इस देश में जो महंगाई बढ़ रही है, उसे कम करने के लिए, उस महंगाई को कैसे खत्म किया जाएगा, इस पर सरकार का जरा भी ध्यान नहीं है, उसके लिए कोई उपाय नहीं किए गए बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल किसानों की कर्जा माफी को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही है कि हमने किसानों के 60 हजार करोड़ रुपए के ऋण माफ किए हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश में रहने वाले जो सीमांत और छोटे-छोटे किसान हैं उनमें से कितनों के ऋण माफ किए गए हैं? आपने चुनावी लाभ लेने के लिए कर्जमाफी की घोषणा की और बड़े-बड़े किसानों के ऋण माफ कर दिए। सबसे ज्यादा किसान जो गांवों में रहते हैं, जो सीमांत और छोटे किसान हैं, उनके ऋण माफ नहीं किए गए हैं। जो गरीब किसान थे और जो अपना लोग ईमानदारी से चुका रहे थे, उनके ऋण माफ नहीं किए गए। जो गरीब और छोटे किसान थे, जिन्होंने मान लिया 20 हजार रुपए का लोन लिया और उसमे से 10 हजार रुपए जमा करा दिए, उनके लोन माफ करने के लिए केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। इससे लगता है कि यह बजट गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है और बुनकर विरोधी है। बुनकरों के कर्ज को माफ करने के लिए बराबर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन बुनकरों का जो इतना बड़ा जो सैक्टर है, उनके लिए केवल 3 हजार करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बुनकरों के हित के लिए इस मद में बजट बढ़ाने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं निवेदन करता चाहता हूं कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। इसे दूर करने के लिए सदन मे बराबर चर्चा होती रही है कि क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त किया जाए, लेकिन वित्त मंत्री ने बजट में क्षेत्रीय असंतुलन को काम करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया

है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। वह देश का सबसे बड़ा सूबा है। वहां प्रदेश अपने सीमित संसाधनों में जनहित की तमाम योजनाएं लागू की जा रही हैं और हमारे प्रदेश का जो पैसा है, वह काफी समय से यहां से नहीं गया है, जिससे हम विकास की गति को तेजी से कर सकें। पी.एम.जी.एस.वाई. का पैसा है कई सालों से केन्द्र में पड़ा है। उत्तर प्रदेश को एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। बिजली के क्षेत्र में पिछले बीसों सालों से कोई पॉवर प्रोजैक्ट नहीं लग पाने के नाते प्रदेश के विकास की गति धीमी है। कई बार हमने और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने व्यक्तिगत रूप से मिलकर अनुरोध किया, लेकिन उसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

महोदय, उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां बेरोजगार बुनकर और किसान बड़ी संख्या में रहते हैं। उत्तर प्रदेश की बिजली की डिमांड और सप्लाई में ढाई-तीन हजार मैगावाट का जो अंतर है, उसे काम करने के लिए हमने अनुरोध किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह दुर्भाग्य है कि सेंट्रल पूल की जो बिजली उत्तर प्रदेश में पैदा होती है, वह उत्तर प्रदेश को न मिल कर जिन प्रदेशों में बिजली सरप्लस है, उन्हें दी जा रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसके लिए भी बजट में प्रावधान होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कल अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। सरकार महिलाओं के लिए कल इस अवसर पर काफी बात कर रही थी, लेकिन किनते दुख की बात है कि आयकर के नाम पर महिलाओं को जो थोड़ी-बहुत राहत मिलती थी, उसे भी वापस ले लेकर इस सरकार ने महिला विरोधी होने का प्रमाण दिया है। वित्त मंत्री जी द्वारा आयकर में जो 20 हजार रुपए की मामूली सी वृद्धि की है, उससे इस सरकार ने देश के छोटे-छोटे कर्मचारियों की आशाओं पर भी पानी फेर दिया है।

महोदय, भारत निर्माण की बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन भारत निर्माण के नाम पर केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। बी.पी.एल. की चर्चा पार्लियामेंट में कई बार हुई और इस देश में जो बिलो बॉवर्टी रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में कई समितियों ने अपनी रिपोर्ट दी है। तमाम प्रदेशों से इस बी.पी.एल. की सूची को बढ़ाए जाने की जरूरत पर जोर दिया गया है।

लेकिन केन्द्र की सरकार ने इस बजट में बी.पी.एल. के लिए प्रावधान नहीं किया है। अनाज गोदामों में सड़ रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। इस सरकार की जो गलत आर्थिक नीति है, गलत आयात-निर्यात नीति है, उसके नाते अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। इस देश में चन्द घराने के लोग हैं, जिनकी देख-रेख, संरक्षण और हित के लिए सारे प्रदेश का बजट बनता है। लेकिन देश में रहने वाले जो गरीब हैं, किसान हैं, बुनकर हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं होता है।

एक साल में 5-5, 6-6 बार पैट्रोल का दाम बढ़ाया जाता है, डीजल का दाम बढ़ाया जाता है, लेकिन उनके लिए सब्सिडी देने के लिए, बिजली पानी की सुविधा देने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के बार-बार आदेश के बाद कि इस देश जो करोड़ों नागरिक भोजन के अभाव में खाली पेट सो जाते हैं, उनको भोजन नहीं मिलता है, सरकार ने कुछ नहीं किया। दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बावजूद यू. पी.ए. सरकार ने उस सड़ रहे अनाज को गरीबों में बांटने का काम नहीं किया। इससे लगता है कि यह यू.पी.ए. सरकार और इनका जो बजट है, यह गरीब विरोधी है। ...*(व्यवधान)* आपके लिए पांच मिनट रखे हैं।

गांवों की दशा सुधारने के लिए इस बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी काम नहीं है। सेंसस की, जनगणना की बात हो रही थी। पिछले वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते समय समतामूलक समाज की बात बजट पढ़ते समय कही थी, लेकिन आज देश में जो गैर-बराबरी है, इस देश के अंदर समाज में उस गैर-बराबरी को खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है।

जनगणना की बात हो रही है। उसमें कहा गया कि जब सब की जनगणना हो रही है, हर जाति की हो रही है, हर चीज की हो रही है, पेड़-पौधे, घर-मकान की हो रही है, अगड़े-पिछड़ों की हो रही है, कुत्ते-बिल्ली की हो रही है तो अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना क्यों नहीं हो रही है। इस बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं है...*(व्यवधान)* ओ.बी.सी. की बात ही तो मैं कह रहा हूं। इस बजट में कुछ अक्लियत की बात, एस. सी., एस.टी. की कुछ बात कही गई है, लेकिन ओ.बी.सी. का तो नाम ही नहीं है। अन्य पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं, इनका तो नाम भी इस बजट में नहीं है। इससे लगता है कि यह सरकार केवल गरीब विरोधी ही नहीं, बल्कि पिछड़ा विरोधी भी है, यह मैं दावे से कह सकता हूं।

इस देश में कालेधन पर कई बार चर्चा हुई कि 280 लाख करोड़ रुपये जो स्विस बैंक में जमा है, उसको मैं समझता हूं कि दोनों पक्षों के लिए इसको वापस लाना चाहते हैं, लेकिन वित्त मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत करते समय इसका कोई संकेत नहीं दिया है। इसमें कहीं भी उस कालेधन को वापस लाने का उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया समाप्त करिये।

श्री दारा सिंह चौहानः मैं यह कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय असंतुलन को खत्म करने के लिए जो प्रयास करना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। यह सरकार महिलाओं की बात करती है। पिछली बार भी हमने सरकार ने कहा था कि आरक्षण लागू होने के बाद जो एस.सी., एस.टी. का कोटा पूरा होना चाहिए, उस कोटे को पूरा करने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

इसके विपरीत वह प्रदेश जो अपने प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने चाहे वह एससी-एसटी का कोटा हो, विकलांग का कोटा हो, ओबीसी का कोटा हो, जहां कोटा पूरा हो रहा है, जहां जनहित के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ऐसे प्रदेश को इंसेंटिव मिलना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट में उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से नकारा गया है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश जो आज तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है, देश का सबसे बड़ा सूबा है, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले बड़े-बड़े लोग जिस प्रदेश में पैदा हुए, उस प्रदेश को इस बजट में ज्यादा धन मुहैया कराने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***डॉ. भोला सिंह** (नवादा): 2011-12 भारत सरकार की वार्षिक बजट केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री भी प्रणब मुखर्जी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में उपस्थापित किया। बजट राष्ट्र का आयना होता है। इसमें विगत, वर्तमान, भविष्य एक साथ एक झलक में दिखाई जानी चाहिए। विगत की उपलब्धियों की आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्री ने इसके पूर्व चरण में उपस्थापित किया। मुझे याद है इतिहास के एक ऐसे बादशाह की कहानी जिसका बजट देश की खुशहाली का तानाबाना बुन रहा था, पर आम आदमी आंसुओं में डूबा हुआ था। वर्तमान सरकार का बजट प्रकाश का नहीं अंधकार का बजट है और लगता है माननीय वित्त मंत्री का नियंत्रण देश के आर्थिक प्रबंधन पर ढीला पड़ता जा रहा है।

माननीय वित्त मंत्री ने बजट पेश करते समय इंद्र देवता एवं महालक्ष्मी की आराधना करते हुए कहा कि हम पर दया करे। वर्षा से हमारी सिंचाई व्यवस्था की जो दुर्बलताएं हैं पूरा करें और हमारे खजाने लक्ष्मी भरा पूरा रखे। किसी देश के वित्त मंत्री का यह दृष्टिकोण उसकी हीनता-दीनता एवं अंधकार का सूचक है, भाषायी बहुलताएं, नस्लों की बहुलताएं, धर्मों की बहुलताएं, राष्ट्र की धमनियों को संघर्ष और समन्वय की दिशा में चलती है, आर्थिक प्रबंधन का इस पर ध्यान देना होगा।

राजनीति आर्थिक एवं सुधार तीनों की मोर्चों पर बिखरा 2011-12 का बजट सरकार की बदहवासी का आंकड़ा सुदा निबंध है। महंगाई की आग में 11,300 करोड़ रुपए के नए अप्रत्यक्ष करों का पेट्रोल झोंकने वाले इस बजट से क्या उम्मीद की जा सकती है। इस बजट ने आम आदमी पर खर्च का गला बुरी तरह घोंटकर वर्तमान सरकार के राजनीतिक, आर्थिक दर्शन को सर के बल खड़ा कर दिया।

हमारी चुनौतियां

(क) मुद्रास्फीति प्रबंधन संबंधी ढांचागत चिंताओं का समाधान बढ़ती घरेलू मांग के अनुसार कृषि संबंधी आपूर्ति बढ़ाकर क्या सुदृढ़ राजकोषीय समेकन के माध्यम से किया जायेगा।

(ख) क्रियान्वयन में अंतर, सार्वजनिक कार्यक्रमों से उत्पन्न अपव्यय और परिणामों में गुणवत्ता एक गंभीर चुनौती है।

(ग) सरकार में विपथन और सार्वजनिक जवाबदेही में कमी की छवि है। भ्रष्टाचार की समस्या का मिलकर मुकाबला करना होगा। सरकार को विनियामक मानदंडों और प्रशासनिक क्रियाओं में सुधार लाना होगा।

(घ) व्यापक राष्ट्रीय हित में सदन के दोनों पक्षों के सहयोगियों से जानकारी की आवश्यकता है।

(ङ) बजट 2011-12 को भारत में एक अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुखी आर्थिक प्रबंधन प्रणाली की दिशा में बढ़ते कदम के रूप में प्रयोग करना है।

(च) खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार आने के बावजूद उपभोक्ता की कीमतों की मौसमी गिरावट का फायदा नहीं मिला जिससे वितरण प्रणालियों का पता चलता है।

इन चुनौतियों के आलोक में यह कहना समीचीन होगा कि यह बजट राष्ट्रीय अस्मिता को बनाये रखने और राष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए जो अपेक्षा रखता था उसकी दिशा शून्य है। यह एक प्रकार से होल्डिंग बजट है जिसमे देश के सभी वर्गों एवं तबकों को खुश करने के अलावा आंकड़ों की बाजीगरी की गई है। देश में किसानों, कामगारों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच सरकार की छवि में जो गिरावट आ रही थी, उसे रोकने के लिए इस बजट में मशक्कत की गई है। जैसे आंगनवाड़ी सेविकाओं को 1500 रुपए मानदेय प्रतिमाह से 3000 रुपए प्रतिमाह मानदेय की व्यवस्था इस बजट में की गई। इसके बावजूद ये आंगनवाड़ी सेविकाएं गरीबी रेखा से नीचे रहने के लिए बाध्य है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बजट अंतरविरोधों से लहुलुहान है और वित्त मंत्री ने जल्दबाजी में यह कदम उठाया है क्योंकि देश में आसाम, पश्चिमी, बंगाल, तमिलनाडु, पांडिचेरी के चुनाव हैं, एवं इसका परिणाम कांग्रेस के भविष्य के लिए निर्णायक है। यदि इस चुनाव में कांग्रेस की नैया डूबती है तो केन्द्र की नैया भी डूब जायेगी। इसलिए श्री प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री ने भारत सरकार कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए इस बजट में भरसक प्रयास किया है।

जहां तक कृषि का सवाल है, इस बजट में कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश में पहले की अपेक्षा कमी की गई है। राष्ट्रीय किसान विकास योजना में 1000 करोड़ रुपए देने के अलावा किसानों के 4 लाख 75 हजार करोड़ कर्ज देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जहां इस बजट के माध्यम से 9.25 प्रतिशत विकास दर रखा गया है, इसको देखते हुए दी गई राशि बहुत कम है। बुनकरों एवं हथकरघा श्रमिकों के लिए बजट में जो प्रावधान किया गया है। वह उन तक 5 प्रतिशत भी नहीं पहुंच पाता और वह सारा पैसा बीच में ही हड़प लिया जाता है।

भ्रष्टाचार से देश का मानव अंधकार में है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह सारी योजनाओं की राशि को चट कर रहा है। भ्रष्टाचार की जड़ कितनी गहरी है, जिसका शिव के लिंग की तरह ओर-छोर का पता नहीं चलता। इसे भरने के लिए सरकार से जिस इच्छाशक्ति की उम्मीद की गई थी, वह रसातल में जाता दिखता है। वित्त मंत्री ने इससे लड़ने के लिए कोई ठोस उपाय की जगह मंत्री समूह के पास गिरवी रख दिया है। यह ऐसी ही है, जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली दी गई हो। इससे सरकार की मंशा साफ होती है। वित्त मंत्री ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जो उपाय बताये हैं, जिसमें नौकरशाहों, व्यापारियों द्वारा किए भ्रष्टाचार से लड़ने की बात नहीं कही गई है।

इस बजट ने महंगाई और सरकार में दोस्ती और गाढ़ी कर दिया है। अगले वर्ष के 11,300 करोड़ और पिछले बजट में 45 हजार करोड़ रुपए नए अप्रत्यक्ष करों से महंगाई अगर आसमों का स्पर्श करती है तो आश्चर्य क्या है। चतुर वित्त मंत्री ने महंगाई के नाखुनों को पैना करने का इंतजाम किया है। जिन 130 नए उत्पादों एक्साईज डयूटी में लाया गया है, उससे पेंसिल से मोमबत्ती दैनिक खपत की चीजें महंगी हो गयी हैं। वित्त मंत्री ने उस पर शुल्क की बुनियादी दर के 4 से 5 फीसदी करने की घोषणा दबी जुबान से किया है। वह दवाईयों से लेकर खाद्य उत्पादों तक ढेर सारे सामानों में महंगाई की आग लगायेगा। अब कपड़ें, मकान, इलाज, यात्रा से महंगाई देखने के काबिल होगी। क्योंकि नई सेवाओं पर लगाए गए कर से हमारी जेब काटेगी। बजट का बुनियादी गणित और प्रत्यक्ष करों को महंगाई का दोस्त मानती है क्योंकि उत्पादन बढ़े हुए कर पर तत्काल उपभोक्ता की जेब पर मढ़ देते हैं। इसलिए उत्पादन के बजाय आप पर कर लगाने की सलाह दी जाती है। खासकर जब महंगाई खेत से निकलकर कारखानों तक पहुंच चुकी हो तब यह नया कराधान सरासर आ बैल मुझे मार है। इस बजट के बाद बची कसर मुअम्मर गद्दाफी की कृपा से बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें पूरी कर देंगे। अब महंगाई से निकलती गेंद पूरी तरह भारतीय रिजर्व बैंक के पाले में है जो ब्याज दर बढ़ाकर अपना योगदान करेगा इस बजट की आर्थिक सोच बड़ी निर्मम है।

वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार का खर्च 19 फीसदी बढ़ा है। जब सब्सिडी बिल पौने दो लाख करोड़ का आंकड़ा छू रहा हो तो किसे भरोसा होगा कि अगले साल सब्सिडी बढ़कर 1,43,570 करोड़ रुपए रह जायेगी। वास्तव में इस बजट में वित्त मंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि घाटे पर नियंत्रण है लेकिन इसे लेकर वह हवा में उड़ गये हैं। बजट का राजकोषीय लक्ष्य कतई भरोसेमंद नहीं है जब देश में औद्योगिक उत्पाद लुढ़क रहा हो और मांग घटने लगी हो तो सरकार का राजस्व 18फीसदी की गति से बढ़ सकता है। यह भरोसा नहीं देता अगर तेल की कीमतें बढ़ी और महंगाई न थमी तो 9 फीसदी की ग्रोथ वाली गणित भी बिगड़ जायेगी। इस साल के शुरूआत में विनिवेश इसी पर ही निर्भर है। इस साल 3जी भी नहीं है। अकेले एक खाद्य सुरक्षा गारंटी स्कीम बाजार बजट का पूरी तरह राजकोषीय गणित बिगाड़ सकती है। आंकड़ों की सुराहना जमीन पर आना तय है।

राजनीति के मोर्चे पर यह अब तक का सबसे कन्फ्यूज्ड बजट है। यह तो सामाजिक योजनाओं के खर्च के पर कतरने में सोनिया जी की सहमति चली या नहीं तो वक्त बताएगा लेकिन सामाजिक योजनाओं के बजट में कटौती अभूतपूर्व है। सर्वशिक्षा अभियान का बजट घट गया है। रोजगार गारंटी स्कीम पर इस बजट में एक पैसा भी नहीं बढ़ा है। यहां तक कि इंदिरा गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना सभी का आवंटन कम कर दिया गया है। सोनिया गांधी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को वित्त मंत्री ने इन सामाजिक योजनाओं का पूरा घोसलां ही उजाड़ दिया है। सोनिया गांधी सब्सिडी बढ़ाना चाहती है और वित्त मंत्री परोक्ष सब्सिडी की तरफ बढ़ रहे हैं। यह कहना मुश्किल है कि यह सरकार सामाजिक योजनाओं पर चलेगी या कर बढ़ने की। इस बजट ने कांग्रेस को अंतरविरोधों से भर दिया है। यह बजट गवर्नेंस के क्षेत्र में अजीब शून्य भ्रष्टाचार के चलते प्रमुख क्षेत्रों में नीतियों में असंमजस, लागत और अर्थव्यवस्था में लागत बढ़ने के खतरों में बहुत संवेदनशील था। उद्योग वित्त मंत्री से कर छूट नहीं बल्कि सुधारों के चाहता था ताकि बदली हुई आदोहवा में खुद को तैयार कर सके। आम आदमी वित्त मंत्री से आयकर में हजार, दो हजार रुपए की रियायती खैरात नहीं बल्कि जरूरी चीजों की आपूर्ति बढ़ाने की सुलझा हुई रणनीति चाहता था ताकि उनकी गाढ़ी कमाई महंगाई न चाट जाए। पूरा

देश चाहता था कि बजट में सरकार साहस के साथ बोले कि व्यवस्था की खामियां विकास पर भारी नहीं पड़ेगी, लेकिन यह बजट तो एन्टीक्लाइमैक्स निकला। हम एक बहुत बड़ा मौका चूक गए हैं। हमें एक बदहवास सरकार से बिखरा हुआ बजट मिला है।

इस बजट से आम आदमी अपेक्षा करता था कि उनके सुनहरे दिन बहुरेंगे और खुशियों के फूल खिलेंगे पर इस बजट से आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा।

कहां तो तय था चिराग हरेक घर के लिए

कहां चिरागा मयस्सर नहीं शहर के लिए

यहां दरख्तों के छाये में घूप लगती है

चलों कहीं और चलें उम्र भर के लिए।

इस बजट में विदेशों के जो काला धान अरबों विदेशी बैंकों में जमा है उसे वापस लाने के लिए वित्त मंत्री ने साहस और अतिसाहस की जो आवश्यकता थी उसका घोर अभाव हैं। वित्त मंत्री ने सरसरी तौर से इस पर प्रकाश तो डाला है पर कदम उठाने के मामले में वे हकलाने लगते हैं। यदि वहीं इस काम को कर पाते तो प्रत्येक गांव को कम से कम 1800 करोड़ रुपए विकास के मद में खर्च करने के लिए निधि प्राप्त हो सकती थी पर वित्त मंत्री में साहस का घोर अभाव है।

वित्त मंत्री के बजट में बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है। वित्त मंत्री ने बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उसे विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले में उनमें प्रतिबद्धता नहीं है। बिहार समस्याओं का नहीं विशाल संभावनाओं का राज्य है। बिहार के विकास के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 5000 करोड़ रुपए बजट से अतिरिक्त निधि बिहार के विकास के लिए देने का जो संकल्प 1989 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में दिया था आज तक बिहार को वे रुपए नहीं मिले जो खेदजनक है। वित्त मंत्री ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री की घोषणा को कार्यान्वित करने को कोई संकल्प नहीं है।

2000 ईस्वी में बिहार को काटकर झारखंड राज्य की स्थापना की गई। बिहार का 46 फीसदी भू-भाग जिसमें देश का 47 फीसदी खनिज पदार्थ है, झारखंड में चला गया उस समय की केन्द्र सरकार ने बिहार को आश्वासन दिया था कि वे इस क्षति की भरपाई करेंगे। बिहार विधान सभा ने 140 करोड़ रुपए बिहार को इसके बदले में देने का जो प्रस्ताव पारित किया था उसे केन्द्र सरकार ने आज तक उसे कार्यान्वित करने का साहस नहीं किया।

बिहार के और विकास के लिए 90 हजार करोड़ रुपए की जो परियोजनाओं केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तावित है वित्त मंत्री का उन योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में उनके बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

बिहार में औद्योगिक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कोल लिंकेज के जो प्रस्ताव बिहार की आरे से प्रस्तावित है उसके कार्यान्वयन के लिए भी वित्त मंत्री के बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

बिहार में 30 चीनी मिलें जिसमें बारसलीगंज चीनी मिल भी शामिल है को पुन: चालू करने के लिए इथनौल की अनुमति देने के लिए बिहार सरकार के प्रस्ताव केन्द्र ने ठंडे बस्ते में रख छोड़ा है।

जब देश में तमाम राज्यों को प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की छूट दी गयी है। बिहार को उससे भी वंचित रखा गया है। बिहार थर्मल पॉवर स्टेशन के लिए गंगाजल का उपयोग अपने ही राज्य में अपने पानी का नहीं कर सकता है। हमारे पानी का बिना हमारी राय के बंगलादेश को दे दिया गया है। बिहार मरू भूमि बन कर रह गया है। वर्तमान बजट में वित्त मंत्री ने बिहार के प्राकृति संसाधनों का उपयोग करने का कोई आश्वासन नहीं दिया है।

बिहार में नवादा जिले में रजौली में आणविक विद्युत तापघर बनाने की योजना केन्द्र सरकार के स्तर से हुई थी। बिहार के मुख्यमंत्री ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पानी का उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र को आश्वासन दिया पर राष्ट्रीय विकास परिषद् में मुख्यमंत्री ने रजौली आणविक विद्युत तापघर की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह भी किया था पर आज तक यह अध्याय वित्त मंत्री के बजट में स्थान नहीं पा सका है।

कुल मिलाकर वित्त मंत्री का बजट जहां एक हाथ से दे रहा है वहीं दूसरे हाथ से अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर वे लौटा भी रहे हैं। कुल मिलाकर किसानों को भी एक से डेढ़ हजार रुपए से अधिक वार्षिक लाभ नहीं होने वाला है। अत: वित्त मंत्री का यह बजट बाह्य रूप से चमकता हुआ लगता है पर आंतरिक रूप से महंगाई के सड़ांध से वह प्रदूषित है। इस बजट में राष्ट्र की अस्मिता कहीं नहीं दिखाई पड़ती। इस बजट में आम आदमी की आकृति पल भर में दिखाई पड़ती है, फिर वह लुप्त हो जाती है। इस पर हम कहना चाहते हैं कि–

तू इधर-उधर की बात न कर

यह बता कि कारवां क्यों लुटा

राहजन से कोई गिला नहीं

तेरी रहबरी का सवाल है।

पंछी ये समझते हैं कि चमन बदला है

हंसते हैं सितारे कि गगन बदला है

पर आसमान की खामोशी कहती है कि

है लाश वहीं सिर्फ कफन बदला है।

***श्रीमती रमा देवी** (शिवहर): यू.पी.ए. सरकार के 2011 के बजट से लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। इस बजट से सरकार को जो काम देश में बढ़ रही महंगाई को कम करने का था। उसे इस बजट में कोई उपाय नहीं किया गया है। लगता है कि जब तक यू.पी.ए. सरकार रहेगी तब तक देश में महंगाई रहेगी, अनुभवी वित्त मंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अर्थशास्त्री भी है परन्तु महंगाई के आगे असहाय है हमारे देश में रोज नए-नए घपले हो रहे हैं, अवैध नियुक्ति हो रही है। इस साल का बजट एक घुमावदार है। एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया। भारत सरकार की आय 9 लाख 32 हजार करोड़ एवं खर्चा 12 लाख करोड़ इस बजट में है जिससे महंगाई आने वाले समय में और बढ़ेगी।

केन्द्र प्रयोजित योजनाएं एवं ग्रामीण विकास योजनाएं कमीशन खोरी का अड्डा बन गई है जिसमें बिचौलिया एवं दलालों के माध्यम से काम हो रहा है। इन सबके कारण गरीबों के लिए जो योजनाएं बनाई गई है वह गरीबों तक नहीं पहुंच रही हैं, केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पैसा, इन्दिरा आवास का बिहार सरकार को समय पर उपलब्ध नहीं करवाती जिसके कारण ये योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही है और गरीबों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। मनरेगा में कमीशन के आधार पर रोजगार दिया जाता है और दी जा रही मजदूरी में से कमीशन जबरदस्ती लिया जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर अंतर्गत शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण में केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत जो ऋण या धन दिया जाता है उसमें बैंक के अधिकारी बिचौलियों के माध्यम से पैसा देते हैं और बिचौलिया केन्द्र सरकार के इस धन में से मेरे संसदीय क्षेत्र में 25 प्रतिशत तक हिस्सा लेता है ऐसे मैंने कई मामले पकड़े और शिकायत भी की परन्तु आज तक दोषी बैंक अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं की गई।

भारत सरकार केवल आंकड़ों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन कार्य कर रही है। गरीब की आर्थिक एवं सामाजिक विकास की बातें केवल गुमराह करती हैं। बी.पी.एल. का परिवार निर्धारण में केवल 24 सौ कैलोरी द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने गरीबी निर्धारण में कपड़ा, घर एवं शिक्षा को कोई आधार नहीं बनाया है। तेन्दुलकर कमेटी ने जो रपट पेश की है उससे गरीबी की संख्या ज्यादा बताई है। इससे यह साफ होता है कि यू.पी.ए. सरकार गरीबों का कल्याण नहीं करना चाहती।

यह देश किसानों का देश है जिसमें 70 प्रतिशत जनसंख्या खेतीबाड़ी में लगी है और देश के लोगों के लिए अनाज पैदा कर रही है। सरकार ने उनको क्या दिया, 7 प्रतिशत के ब्याज पर ऋण दिलाने की बात कही जाती है। सही समय पर ऋण लौटाए तो 2 प्रतिशत की ब्याज में छूट जो बढ़ाकर इस बजट में 3 प्रतिशत की गई है पर सवाल यह है कि बैंकों से किसानों को ऋण कहां पर मिल रहा है। कुछ ही किसानों को सुविधा मिली है। जिनकी पहुंच है, सरकारी बैंक किसानों को ऋण देने में भेदभाव करते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में गत वर्ष 7 प्रतिशत पर कितने किसानों को ऋण दिया गया है। देश में खेतीबाड़ी करने वाले 70 प्रतिशत है उन पर खर्च 30 प्रतिशत किया जाता है और जो 15 प्रतिशत लोग है उन पर 70 प्रतिशत खर्च किया जाता है। यह बजट आम आदमी का नहीं है। आम आदमी तो यू.पी.ए. सरकार के बहीखाते में है ही नहीं । बजट से बाजार में खुशहाली आ गई है और खरीदार नाखुश हैं। सरकार के दिमाग में यह बात नहीं आती कि जब लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो कैसे लोग बाजार से समान खरीद पाएंगे। यह खुशहाली थोड़े समय के लिए है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी समय के साथ बढ़ रही है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन में सहायता हेतु बजट में ज्यादा राशि का प्रावधान किया जाता तो गांवों की बेरोजगारी को कम किया जा सकता है इससे डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और गांव के लोगों को कृषि के अतिरिक्त एक और रोजगार मिलेगा। सरकार ने लाई पर एक प्रतिशत एक्साईज बढ़ा दिया है जबकि लाई का उपयोग प्रसाद के रूप में भी करते हैं और ग्रामीण बच्चों का एक आहार भी है। सरकार इस बढ़ाए एक्साईज दर को वापस ले।

नदियों के जोड़ने का कार्य से बाढ़ एवं सुखी जैसी समस्या का निराकरण किया जा सकता है। इस कार्य को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। सिंचाई व्यवस्था खराब है जो खाद्यान्न के उत्पादन को कम कर रही है बाढ़ से हर साल खरबो रुपए की सम्पत्ति का नुकसान होता है और सैकड़ों जाने चली जाती हैं एवं हजारों मवेशी बह जाते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का हिस्सा हर साल बाढ़ की चपेट में आता है। इस बार तो पंजाब एवं हरियाणा भी बाढ़ चपेट में था। हर साल नेपाल से आने वाला

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पानी बिहार में बाढ़ की समस्या पैदा करता है अगर नेपाल सरकार से मिलकर बाढ़ को रोकने का कार्य किया जाए तो देश को एक ओर तो बिजली मिलेगी और दूसरी ओर बाढ़ से निजात भी।

बिहार एक अत्यंत पिछड़ा राज्य है और झारखंड कि अलग होने के बाद आय के स्रोत लगभग झारखंड में चले गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र, सामाजिक स्तर के क्षेत्र में गरीबी के क्षेत्र में, बुनियादी सेवा का उपलब्ध करवाने के कार्य में बिहार को धन के अभाव में समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर बिहार सरकार को केन्द्र सरकार आर्थिक सहायता का एक पैकेज दे जिससे बिहार भी अन्य राज्यों की तरह विकास कर सके और देश के विकसित होने में शामिल हो सके।

सरकार की नीतियों के कारण 64 साल की आजादी के बाद भी हम जरूरतमंद बिजली पैदा नहीं कर सके हैं जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे में केवल 12 घंटे ही बिजली मिलती है। बिजली न मिलने से कई उद्योग अपना उत्पादन कार्य भी अच्छी ढंग से नहीं कर पाते हैं। लोगों को रात में अपने खेत में पानी ट्यूबवेल से, नहर से देना पड़ते हैं। रात के समय जंगली जानवरों से खतरा रहता है और रात में काम करने से लोग बीमार भी हो जाते हैं। हमारे बिजली प्लांट कई सालों से बन रहे हैं, परन्तु अभी तक उनमें बिजली पैदा नहीं हुई है, उनकी उत्पादन लागत बढ़ रही है जबकि हमारे यहां पर जल आधारित बिजली पैदा करने की काफी संभावनाएं हैं। पनबिजली के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है और सौर ऊर्जा की काफी संभावनाएं हैं। इन पर धीरे-धीरे काम हो रहा है। इन सबसे लगता है कि सरकार का ध्यान देश का विकास के प्रति गम्भीर नहीं है।

इस बजट में जल जमाव की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है। बिहार, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं झारखंड जैसे राज्यों में जल जमाव की विकट समस्या है। इस जल जमाव की समस्या से लाखों हेक्टेयर भूमि पर किसान खेती बाडी नहीं कर पाते और जल जमाव के पानी में मछली पालन भी नहीं हो पाता है। सिंचाई के कार्यों के लिए पर्याप्त धन आवंटित नहीं हुआ है। इससे सिंचाई कार्यो की सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नहरों की ऊंचाई किया जाना एवं उनका सुदृढ़ीकरण किया जाना अति आवश्यक है। इस पर भी बजट निराश है।

देश में काला धन से अमीर और अमीर एवं गरीबी और गरीब हो रहे हैं। इस बजट में काला धन से देश में अवैध कार्य हो रहे हैं व महंगाई बढ़ रही है। काला धन का पता लगाने के लिए सरकार सार्थक प्रयास नहीं कर रही है और विदेशों से काला धन निकालने के सवाल पर केवल देश की जनता को गुमराह कर रही है। अमेरिका एवं इंग्लैंड जैसे देशों ने स्विट्जरलैंड में जमा काला धन की जानकारी ले ली है और भारत सरकार दिखावटी कार्य कर रही है जिससे लगता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। न्यायालय कहता है कि विदेशों में किनका काला धन जमा है उनके नाम बताइये। हमारे प्रधानमंत्री जी एवं वित्तमंत्री जी कहते हैं कि उनके नाम बताने से हमारे देश पर कोई दूसरा देश भरोसा नहीं करेगा। इसके विपरीत अगर कोई कार्यवाही के लिए कहता है या अभियान छेड़ता है तो अभियान चलाने वालों को सरकार परेशान करती है।

सरकार आए दिन कहती है कि महंगाई कम हो जाएगी परन्तु महंगाई कम होने के बजाए बढ़ रही है। सरकार के पास महंगाई को कम करने के लिए उपाय है, परन्तु इन उपायों का सरकार उपयोग नहीं करती और सरकार कहती है कि 11 से 15 प्रतिशत महंगाई बढ़ी है, कभी कहती है कि 17 से 21 प्रतिशत महंगाई बढ़ी है। बाजार में जाइऐ तो पता लगेगा कि महंगाई दुगनी हो गई है, सब्जी वाले को कहा जाता है कि वित्त मंत्री जी तो बता रहे हैं कि महंगाई तो केवल 15 प्रतिशत बढ़ी है तो क्यों दुगुना भाव बता रहे हो, तो सब्जी वाला कहता है कि वित्तमंत्री जी से जा कर सब्जी ले लीजिए। महंगाई का पता लगाने की जो सरकार की मशीनरी है वही ठीक नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में महंगाई को रोकने का उपाय सरकार क्या करेगी। हमारे देश के महान अर्थशास्त्री हमारे प्रधानमंत्री जी है उनके राज में इस महंगाई ने देश की जनता को झकझोर कर रख दिया है और यह महंगाई विश्व का एक रिकार्ड भी है। इतनी महंगाई पहले कभी नहीं हुई। सारी कमाई यह महंगाई डायन खा रही है। पहले लोग अपनी आय का 25 प्रतिशत खाद्यान्न पर खर्च करते हैं परन्तु खाद्यान्न पर यह खर्च आय का 75 प्रतिशत हो गया है, आमदनी का बड़ा हिस्सा यह महंगाई खाते जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोगों की आय बढ़ी है जिससे महंगाई बढ़ी है मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि अगर आय बढ़ी है तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? बेरोजगार क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। अपराध क्यों बढ़ रहे हैं?

सरकार के काम काज को जनता पसंद नहीं कर रही है। जब किसी गलत काम का विरोध किया जाता है तो उसे जानबूझकर किया जाता है। केन्द्रीय सर्तकता आयुक्त पद पर श्री थामस की नियुक्ति इसका उदाहरण है। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझसे गलती हुई। इतने दिनों बाद गलती का अहसास हुआ वो भी तब, जब न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। प्रधानमंत्री जी द्वारा चापलुसों का सेवा विस्तार किया जा रहा है। आज देश के ईमानदार प्रधानमंत्री भ्रष्ट अधिकारियों से घिरे हुए हैं एवं हरेक घोटाले में प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम आ रहा है। भ्रष्टाचार पर सरकार ने घड़ियाली आंसू बहा रही है परन्तु अन्दर से भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं

कर रही। कॉमनवेल्थ गेम में भ्रष्टाचार का पता खेल होने से पहले लगने के बावजूद कार्यवाही तीन महीने बाद की गई। इससे भ्रष्टाचार करने वालों ने सबूत मिटा दिए। 2जी स्पेक्ट्रम में जो कार्यवाही हो रही है वह केवल नाटक है। सी.बी.आई. इसको बुला रही है उसको बुला रही है उनकी रिमांड ले रही हैं परन्तु भ्रष्टाचार की असली जड़ को नहीं पकड़ पा रही है। सुखराम के मामले में क्या हुआ, क्या हासिल हुआ है कुछ नहीं। भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। देश को सभी लूट रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी घर में बैठे हैं। उनके घर में चोरी हो रही है पर प्रधानमंत्री जी को पता ही नहीं कि चोरी हो रही है, यह कैसे प्रधानमंत्री हैं और इस बजट में कुछ अच्छी बातें बताने का प्रयास किया गया है, परन्तु अन्दर से उसमें गोलमाल है। विधवा पेंशन जो 65 साल की विधवा को दी जाती है उसे बढ़ाकर 60 साल किया है। इस बढ़ती महंगाई में उनकी विधवा पेंशन को नहीं बढ़ाया गया है केवल 80 साल से अधिक की विधवा को 200 रुपए प्रति से 500 रुपए किया गया है। औसतन 80 साल तक विधवा जीवित ही नहीं रह पाती।

यह बजट देश के नागरिकों का कल्याण करने में नि:सहाय है एवं आम लोगों को महंगाई से नहीं बचा पाएगी जिसके कारण मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करती हूं।

***श्री गजानन ध. बाबर** (मावल): बजट पेश करते समय प्रत्येक भारतीय को लगा था कि शायद माननीय वित्त मंत्री जी आम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश करेंगे। परन्तु जब बजट पेश किया और लोगों से सुना तो उनके हाथ निराशा ही लगी। देश कि जनता सोच रही थी कि शायद पिछले कटु अनुभवों एवं जनता कि परेशानी को देखते हुए माननीय वित्त मंत्री उनके साथ न्याय करेंगे परन्तु मंत्री महोदय जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। भारी मुद्रास्फीति, महंगाई, घोटालों को रोकने जैसी कोई भी बात इस बजट में नजर नहीं आई।

पिछले एक साल से आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण, दवाईयां, कृषक उपकरण सब वस्तुओं के दामों में कई गुना बढोत्तरी हुई है परन्तु माननीय मंत्री जी इन बढ़ते दामों पर रोक लगाने हेतु कोई भी सख्त कदम उठाने की बात उस बजट में नहीं की।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से बजट 2011-12 के लिए कुछ सुझाव कराना चाहूंगा कि निम्नलिखित हैं:-

मौजूदा महंगाई को देखते हुए एवं जनता कि परेशानी को कम करने के लिए वेतनभोगियों कि आयकर में छूट कम से कम 3 लाख तक की जाने की आवश्यकता है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कृषि उपकरणों, बीज, उर्वरक एवं किसानों को दी जाने वाली छूट में भी कम से कम 5% और अधिक करने की आवश्यकता है।

पेट्रोल, डीजल और रसौई गैस पर और अधिक सब्सिडी करने की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री जी ने एयर कंडीशनिंग सुविधा वाले अस्पतालों पर भी टैक्स लगाने की बात की है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सरकारी अस्पताल में पूर्ण रूप से चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाती है वहां पर चिकित्सा उपकरणों एवं दवाईयों की कमी हमेशा बनी रहती है जिसके कारण मरीजों को निजी अस्पतालों की तरफ रूख करना पड़ता है जहां का खर्चा अत्यधिक बैठता है। अगर इन निजी अस्पतालों को भी टैक्स के दायरे में लाया जायेगा तो मरीजों को अपना इलाज कराना और अधिक कठिन होगा। अत: मेरा मानना है कि सरकार को अपने इस निर्णय पर एक बार फिर विचार करना चाहिए तथा इस हास्याप्रद निर्णय को वापस लेना चाहिए।

माननीय मंत्री जी ने बजट पेश करते हुए एक और हास्यापद बात कही जो है जीवन बीमा पर टैक्स, अध्यक्ष महोदया अगर जीवन बीमा को भी टैक्स के दायरे में लाया जायेगा तो लोग जीवन बीमा कराने में भी कतरायगें। वैसे भी अभी देश के लोगों को जीवन बीमा के लिए जागरूक करने की जरूरत है। परन्तु वित्त मंत्री जी ने यहां पर भी आम लोगों को नहीं बख्शा है।

मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार को कोयला, कच्चा तेल, स्टील पर आयात शुल्क कम करने कि आवश्यकता है ये सब वस्तुएं आवश्यक एवं आम जन के लिए उपयोगी है अगर इस पर आयात शुल्क कम किया जायेगा तो गरीब जनता को इसका लाभ अवश्य पहुंचेगा।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आशा करता हूं कि वे कोई ऐसी नीति जरूर बनायेंगे जिससे पैदावार, जलप्रबंध, कृषि उत्पादन को उचित बल मिलेगा एवं देश के कृषकों को हो रही परेशानी समाप्त होगी। अध्यक्ष महोदया, बहुत सी विकास योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों में चलाई जाती है परन्तु इन योजनाओं में स्थानीय सांसद की भागीदारी नहीं होने के कारण स्थानीय अधिकारी एवं राज्य के मंत्री सभी परियोजनाओं के लिए स्वयं निर्णय लेते हैं जो कि स्थानीय सांसद की घोर उपेक्षा है। मेरा मानना है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों में चलाई जा रही परियोजनाओं में स्थानीय सांसद की भी भागीदारी एवं सुझाव सुनिश्चित किये जाये और मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उन सब मंत्रालयों को निर्देश दे कि राज्यों में केंद्र के द्वारा चलाई जा रहे सभी विकाय कार्य स्थानीय सांसद को विश्वास में लेकर

किये जाये और स्थानीय सांसद से समुचित सुझाव भी प्राप्त करने को निर्देश दे।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक ऐसी योजना है जो दूरस्थ गांवों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। यह योजना काफी राज्यों में चल रही है परन्तु मेरे चुनाव क्षेत्र मावल कि जनता को इसका लाभ अभी तक नहीं मिला है मैंने कई बार डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी संबंधित मंत्रालय को सौंपी हैं। परन्तु अभी तब इस पर कोई भी कार्य योजना नहीं बरी है। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इन बातों को संज्ञान में लेकर मेरे चुनाव क्षेत्र मावल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का लाभ पहुंचाने हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

मैं आपका ध्यान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पर लाना चाहूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि फिलहाल इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में विकास हेतु प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए की धनराशि देने का प्रावधान है परन्तु 15-20 लाख आबादी वाले क्षेत्र में विकास हेतु यह धनराशि मामूली सी है। मैं वित्त मंत्री से आग्रह करुंगा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के धनराशि को बढ़ाकर 12-15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किए जाने का प्रावधान करे जिससे स्थानीय जनता को इस योजना का समुचित लाभ मिल सके तथा क्षेत्र का विकास हो सके।

मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान देश में बने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वसूले जा रहे टोल टैक्स की ओर दिलाना चाहूंगा। महोदया, वाहन मालिक जब वाहन खरीदते हैं तो उस समय ही वाहन मालिक से रोड़ टैक्स लिया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल पर भी उपकर (सैश) लगाया जाता है और बाद में इन सभी वाहन से टोल टैक्स भी वसूला जाता है। इस प्रकार एक आम आदमी से कई बार टैक्स वसूला जाता है। मेरा मानना है कि जब कोई विभाग पहले ही रोड़ टैक्स वसूल रहा है एवं केन्द्र सरकार उपकर (सैश) लगाती है तो इन सब सड़कों का निर्माण कार्य भी उन संबंधित विभाग कि जिम्मेदारी है जो पहले ही वाहन मालिकों से टैक्स वसूलते हैं। अत: मेरा मानना है कि एक बार रोड़ टैक्स देने एवं उपकर (सैश) देने के बाद वाहनों से टोल टैक्स लेने की नीति पर फिर से विचार किये जाने की आवश्यकता है। महोदया देश में कई जगहों पर अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा भी नहीं हुआ है परन्तु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने ठेकेदार को टोल वसूलने का अधिकार दे दिया है उसकी भी समुचित जांच करने की आवश्यकता है तथा प्रतिदिन एक ठेकेदार द्वारा कितना टोल टैक्स जमा किया जा रहा है। इसकी भी जांच की जाने की आवश्यकता है तथा टोल टैक्स हर साल उसे 5% बढ़ाया जाता है जो कि गरीब जनता के साथ खिलवाड़ है। मेरा मानना है कि यह प्रतिवर्ष 5% टोल टैक्स बढ़ाने का प्रावधान समाप्त होना चाहिए।

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी): उपाध्यक्ष जी, वर्ष 2011-12 के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और कुछ विषयों को सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। बजट का अभिप्राय यह कभी नहीं होता कि आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाए। एक अच्छा बजट वही होता है, जो वर्तमान को संभालता है और भविष्य को संवारने के लिए रणनीति तैयार करता है। इस बजट में माननीय मंत्री जी का जो भाषण हुआ है, उसमें जो व्यय उल्लेख किए हैं, मैं उन पर प्रकाश डालना चाहता हूं। वर्ष 2011-12 वित्तीय वर्ष में कुल व्यय का जो प्रावधान रखा गया, वह 12 लाख 57 हजार 729 करोड़ रुपए है। इस राशि को योजना व्यय और गैर-योजना व्यय में 4 लाख 41 हजार 547 करोड़ रुपए और गैर योजना मद में 8 लाख 16 हजार 182 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। इसका मतलब है कि इस देश के विकास में एक रुपया खर्च करने के लिए जो तंत्र है, उस पर दो रुपए खर्च करने का प्रावधान सरकार ने रखा है।

दूसरी बात, सरकार को जो राजस्व प्राप्ति की बात इस बजट भाषण में आयी है, वह 9 लाख 32 हजार 440 करोड़ रुपए है। 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करना है, जबकि राजस्व की प्राप्ति 9 लाख 32 हजार 440 करोड़ रुपए होना है। इसका मतलब यही हुआ कि सरकार को एक बार फिर से उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने चर्चा की कि सकल घरेलू उत्पाद का बजटीय घाटा 4.6 प्रतिशत है, जो पिछले साल 5.5 प्रतिशत था। मैं माननीय मंत्री जी और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक अच्छा आंकड़ा बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से गत साल की तुलना में प्रदर्शित करने का काम किया कि बजटीय घाटा कम हुआ है। आगे बढ़िए, आप ही का आंकड़ा बताता है, जब आप वर्ष 2004-05 में सरकार में आए, तब इस देश का बजटीय घाटा 3.9 प्रतिशत था, जो वर्ष 2009-10 में बढ़कर 6.4 प्रतिशत हो गया। वर्तमान में यह 4.6 प्रतिशत है। इसे राशि के रूप में आंके तो वर्ष 2004-05 में...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): यह 4.6 हुआ नहीं है, यह लक्ष्य है।...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राय: वर्ष 2009-10 में बजटीय घाटा 6.4 प्रतिशत हो गया और इनका लक्ष्य वर्ष 2010-11 में 4.6 का होगा। मैं वर्ष 2009-10 की बात कह रहा था। वर्ष 2004-05 में यह राशि के रूप में 1 लाख 25 हजार 774 करोड़ रुपए था और वर्ष 2011-12 में 4 लाख 12 हजार 817 करोड़ रुपए हो रहा है।

यह आपकी डिटेल है। मंत्री जी ने भाषण में बड़ी बारीकी से यह उदृत किया है कि हमारा बजटीय घाटा 4.6 प्रतिशत है।

मंत्री जी बजट में पारदर्शिता की बात करते हैं। हम इसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। मंत्री जी बहुत जानकार और अर्थशास्त्र के विद्वान हैं। बजटीय घाटा जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 प्रतिशत है, मंत्री जी जवाब देते समय बताएं कि बजटीय भाषण में आपने कहीं भी यह उद्‌त नहीं किया कि आपके सकल घरेलू उत्पाद की मात्रा क्या है। जब सकल घरेलू उत्पाद की मात्रा के संबंध में बजट भाषण में नहीं दिया गया है तब 4.6 प्रतिशत कैसे निकला, हम इस बात को जानना चाहेंगे। हम नए सदस्य हैं। हमने आपका बजट भाषण पढ़ा है। उसमें आपने कहीं भी सकल घरेलू उत्पाद की मात्रा की चर्चा नहीं की।

हम बजट की कसौटी के संबंध में जानना चाहते हैं। इस पर विचार करें कि वर्तमान में आम आदमी के सामने सबसे बड़ी समस्या खाद्य की मुद्रा स्फीति की है। इसे सरकार भी स्वीकार करती है। 22 जनवरी, 2011 को वित्त मंत्री जी ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत विकासशील देश है और इसमें मुद्रा स्फीति की दर बढ़नी आवश्यक है। मंत्री जी जानकार व्यक्ति हैं। इनका कहना है कि चूंकि देश विकास कर रहा है, इसकी इकोनॉकी ग्रो कर रही है, दुनिया की महाशक्ति बढ़ने की ओर है, तो निश्चित रूप से मुद्रा स्फीति होगी। मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मंत्री जी ने कहा कि मुद्रा स्फीति इस कदर नहीं होगी कि यहां के आम गरीब लोग ज्यादा प्रभावित हों।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश को आगे बढ़ाने के वित्त मंत्री जी के उस बयान को हम समझ सकते हैं कि महंगाई की दर मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में होनी चाहिए या खाद्य पदार्थों पर मुद्रा स्फीति का बोझ बढ़ाकर देश के गरीब किसानों पर बोझ बढ़ना चाहिए। अगर मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में लाभ होता है तो निश्चित रूप से उसके उत्पादन पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा और देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन खाद्य पदार्थ जो समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करते हैं, अगर उस पर मुद्रा स्फीति बढ़ती है तो इस देश के गरीब लोग भुखमरी के शिकार होंगे और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे।

सरकारी आंकड़े कहते हैं कि जनवरी, 2010 से जनवरी, 2011 तक खाद्य मुद्रा स्फीति 20.19 प्रतिशत से 15.65 प्रतिशत रही है। इस अवधि के दौरान खाद्य मुद्रा स्फीति 21.85 प्रतिशत तक ग्रो कर गई। दूसरी ओर मैनुफैक्चरिंग नान-फूड प्रोडक्ट के क्षेत्र में जनवरी, 2010 से जनवरी, 2011 तक इनकी मुद्रा स्फीति 5.92 से लेकर 2.09 प्रतिशत रही। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है।...*(व्यवधान)* फूड प्रोडक्ट पर मुद्रा स्फीति बहुत तेजी से बढ़ती है और मैनुफैक्चरिंग नान-फूड प्रोडक्ट पर इसका प्रतिशत बहुत कम होता है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की रीति और नीति में परिवर्तन करने की जरूरत है और देश के सीमान्त और कमजोर लोगों को इस महंगाई से बचाने की जरूरत है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष जी, हम नए सदस्य हैं, हमें बोलने का मौका कम मिलता है। मैं कुछ बोलना चाहता हूं, उसके लिए मुझे एक-दो मिनट और दे दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: समय सबके लिए बराबर है।

...*(व्यवधान)*...

श्री अर्जुन राय: भारत विकास की सीढ़ी पर तेजी से बढ़ रहा है। पूरे देश में चर्चा हो रही है। ओबामा साहब आए तो उन्होंने भारत को महाशक्ति कहा। भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। वर्ष 2008-09 में ग्रोथ रेट 6.8 प्रतिशत, 2009-10 में 8 प्रतिशत का दावा है। सरकार कह रही है। सरकार कह रही है कि जी.डी.पी. ग्रो कर रही है, लेकिन हम सरकार से जानना चाहते हैं कि होलसेल प्राइस इंडैक्स वर्ष 2008-09 में 8.4 प्रतिशत, 2009-10 में 14.60 प्रतिशत और 2010-11 के पहले नौ महीने में यानी दिसम्बर तक 12.07 प्रतिशत बढ़ता है।

आम लोगों को क्या लाभ होता है, इस पर आप विचार कीजिए। आपका जी.डी.पी. बढ़ रहा है और उससे ज्यादा होलसेल प्राइज इंडेक्स बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में आम लोगों को इस देश में कोई सहुलियत नहीं है। यहां का गरीब मजदूर किसान महंगाई की चपेट में फंसता जा रहा है। यही सरकार का वित्तीय प्रबंधन है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब आप समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*...

श्री अर्जुन राय: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। दूसरी ओर भारत सरकार पर जो देनदारी है, वह वर्ष 2005-06 में 22,07,145 करोड़ रुपये थी और वर्ष 2010-11 में 39,44,598 करोड़ रुपये हो गयी। विकास दर बढ़ेगी, तो क्या देनदारी भी बढ़ेगी?...*(व्यवधान)* विकास दर और देनदारी में संबंध नहीं होता है। जब विकास बढ़ता है, तो देनदारी घटती है और जिस परिवार का मुखिया...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राय: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अगर जिस परिवार का मुखिया कर्ज लेने की प्रवृत्ति पा लेता है...*(व्यवधान)* तो वह कर्जखोर कहलाता है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइये। आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राय: यह हमारे समाज में एक कलंक का विषय है।...*(व्यवधान)* देश के सकल घरेलू उत्पाद में जो उत्पादन हो रहा है, वह मात्र 30 प्रतिशत है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राय: कृषि 14 प्रतिशत और मैनुफैक्चरिंग में 16 प्रतिशत है। क्या कृषि के क्षेत्र में सरकार की...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राय: उपाध्यक्ष जी, आप हमें एक मिनट का समय दे दीजिए, हम बैठ जायेंगे।...*(व्यवधान)*

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): उपाध्यक्ष महोदय, आप इन्हें बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)* आम बजट है, इसलिए आम लोगों को बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नये और पुराने सदस्यों के लिए समय लंबा नहीं होता है। सबके लिए समय तो उतना ही है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती रमा देवी: उपाध्यक्ष महोदय, हम सबका भाषण ले करवा दिया गया है। आप इन्हें बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अच्छा है, जितना समय है, उतना ही बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राय: उपाध्यक्ष महोदय, कृषि की भागीदारी मात्र 14 प्रतिशत है, जबकि बजट भाषण में कहते हैं कि इनका सैंटर बिन्दु कृषि है। इनकी गरीबी क्या है?...*(व्यवधान)* विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट आती हैं जैसे अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 77 प्रतिशत लोगों की 20 रुपये से कम आमदनी है... *(व्यवधान)* सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 50 प्रतिशत से अधिक लोग गरीब हैं।...*(व्यवधान)* तेंदुलकर कमेटी 37 प्रतिशत. ..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राय: उपाध्यक्ष महोदय, खुद योजना आयोग कहता है कि 60 प्रतिशत से अधिक लोग गरीब हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अर्जुन राय की अब कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डॉ. काकोली घोष दस्तिदार (बारासात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु प्रस्तुत किए गए आम बजट के समर्थन में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपकी आभारी हूं।

लगभग 400 वर्ष पूर्व प्रभु ईसा मसीह कर अन्य हुआ था और अब प्रभु ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों को मानवता की सेवा करने हेतु प्रोत्साहित किया एक अन्य महान व्यक्ति ने सुशासन के मानदंडों और ऋणों का वर्णन करते हुए अपने राजा को निम्नवत कहा:

"प्रजा की प्रसन्नता में राजा की प्रसन्नता निहित है; और उनका कल्याण राजा का कल्याण है। उसे मात्र उन बातों को अच्छा नहीं मानना चाहिए जिससे उसे आनंद प्राप्त होता है बल्कि उसे प्रजा को प्रसन्नता पहुंचने वाली बातों को लाभकारी मानना चाहिए।"

उनका नाम चाणक्य कौटिल्य था।

महोदय, मैं समझती हूं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष हेतु आम बजट तैयार करते हुए चाणक्य कौटिल्य द्वारा कही गई इस बात की गूढ़ता को ध्यान में और मैं महसूस करती हूं यह बजट पूर्ण रूप से आसानी बजट और उन काई व्रजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिसकी कई वर्षों को उपेक्षा की जा रही थी हालांकि इस यूपीए हो सरकार से पूर्व भी रह सरकार सत्ता में की और जिसने देश के समग्र विकास हेतु एक कापर बैकर अपनाने की अनदेखी थी। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा इस बार केवल आम और कम लेखाओं को प्रस्तुत नहीं किया गया

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है बल्कि मानो इसमें वृद्धि अवसंरचनात्मक विकास को शामिल करते हुए देश को एक बल दिये पर पहुचाने की बात कही गई है। मैं वहां अध्यक्ष महोदया को उद्धत करती हूं।

[हिन्दी]

पंख भी हैं खुला आकाश भी है, फिर न उड़ पाने की मजबूरी क्यों है।

[अनुवाद]

यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि भारत में सभी आवश्यक और प्राकृतिक संसाधन सहित मानव शक्ति उपलब्ध हैं जिसके दम पर हम विश्व में आगे बढ़ सकते हैं और नई ऊंचाइयों को छूते हुए अत्यन्त शसक्त अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकते हैं लेकिन गत कुछ वर्षो के बजट में प्रत्येक व्यक्ति यहां तक कि अंतिम व्यक्ति गांवों की महिलाओं और बच्चों पर विचार नहीं किया गया और इसी कारण से हम पिछड़ गए हैं।

जहां तक इस बजट का प्रश्न है इसके आर्थिक और सांख्यिकीय जटिलता का उल्लेख किए बिना मैं बताना चाहूंगी कि अगर सारा देश शक्तिशाली बनना चाहता है, प्रत्येक नागरिक को बढ़िया खाना पोषाक खाद्यान्न प्राप्त होना चाहिए उन्हें पर्याप्त स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की सुविधाएं प्राप्त हो और इस देश में कृषि क्षेत्र में निश्चित रूप से अधिक विकास कार्य अनिष्ठ में कम उम्र वाले वाले नागरिकों की शिक्षा पर कृषि पशुपालन और उद्योग के विकास के साथ ध्यान दिया जाना चाहिए। अत: एक-एक करके यह हम इन बातों पर विचार करें, प्रथमत: हम देखते हैं कि लेपटाप, स्टोन, सुई लगाने सिरिंगों, शीताआर संबंधी उपकरणों के मूल्यों में गिरावट आती है। इसके साथ-साथ सीमेंट, लौह अयस्क जैसे अवसंरचनात्मक सुविधाओं के मूल्यों में भी गिरावट करनी है। हैंडफोन-बैटरियों, मोबाइल संपर्क, लेजर प्रिंटर्स और सौर उर्जा संबंधी उपकरणों के मूल्य में कमी करने से यह पता चलता है कि हमारे वित्त मंत्री जी इन आधुनिक इलेक्ट्रानिक उपकरणों को युवा पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं ताकि वे एक दूसरे से गांव से शहर और बड़े शहर और अन्य देशों में भी एक दूसरे से संपर्क बना सके। यह एक प्रशांसनीय प्रयास है।

लेकिन इस युवा पीढ़ी को शिक्षित भी किया जाना चाहिए लेकिन शिक्षा के लिए शिक्षकों पर ध्यान नहीं दिया गया है। जहां तक मेरे राज्य पश्चिम बंगाल का प्रश्न है मुझे मालूम है कि मरदसा के शिक्षकों के किसी प्रकार की वेतन वृद्धि नहीं दी गई है। उन्हें किसी मूल वेतन मान ढांचे में शामिल नहीं किया गया है? यही स्थिति प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की है।

हम सभी इस व्यवसाय का आदर करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश के शिक्षक ही राष्ट्र के पुरूष और महिलाओं के चरित्रका निर्माण करते हैं जो इमानदारीपूर्वक किसी विपरीत स्थिति, विदेशी आक्रमण का मुकाबला करने और देश के लिए लड़ने के लिए तैयार करते हैं। यदि हम शिक्षकों का और उनमें वेतनमानों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें भविष्य में इसके परिणाम भुगतने होंगे।

इसके साथ-साथ मैं यह उल्लेख करना चाहती हूं कि आज तक हमारे कई गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। विशेषकर पश्चिम बंगाल में जब हम विद्युतीकरण की मांग करते हैं, एक विधान सभा चुनाव के ठीक पूर्व, गांवों में बिजली के खंभे लाकर वायदा चुनाव के समाप्त होने के तुरंत बाद विद्युतीकरण करने का किया गया था। इसके लिए तार अगले विधानसभा चुनाव के समक्ष लाया जाता है और दस वर्षो के बाद भी विद्युतीकरण नहीं हो पाता है। इस समस्या का एक सकल समाधान है जिसे मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में किया है। जहां तक बिजली नहीं है हमने उन सभी गांवों से सौर ऊर्जा उपलब्ध करायी है। लेकिन मैं उल्लेख करना चाहती हूं कि सौर ऊर्जा उपलब्धता की कभी है और इस पर मिलने वाली राजसहायता में वृद्धि किए जाने के साथ ऊर्जा के वैकल्पिक तरीकों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि हम पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पन बिजली का दोहन कर सकें और गांवों में शाम के बाद पढ़ने वाले छात्रों के लिए विद्युत उपलब्ध कर सकें।

हमें प्रसन्नता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं की सहायता करते हुए उनके वेतन में वृद्धि की गई है। सहायककर्ता और सहायकों के वेतन में भी वृद्धि की गई है। लेकिन हम उल्लेख करना चाहते हैं कि इस वर्ष महिलाओं में आयकर में कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है और हम निश्चित रूप से देश के सभी कामकाजी महिलाओं के पक्ष में यह बात कहना चाहते हैं कि जहां तक हमारा प्रश्न है कर में कुछ और अधिक छूट दिए जाने पर विचार किया जाए।

मैं यह उल्लेख करना चाहती हूं कि छोटे बच्चों के टीकाकरण के लिए 100 करोड़ रुपए किया गया है। जो जटिल रोगी से प्रतिरक्षण के लिए है जिन्हें हम जानलेवा बीमारियों के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यहां मैं यह कहना चाहती हूं कि कतिपय ऐसे टीके हैं जो यदि इसे बचपन में महिलाओं को दिया जाए को इससे गर्भाशय के कैंसर से बचाव हो सकता है। मैं यह नहीं समझ पा रही हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस विक्षेप प्रकार के टीके को कभी नहीं जाहिर कर रहा है क्योंकि इस रोग से सर्वाधिक संख्या में ग्रसित महिलाएं भारत में हैं? दस और 45 वर्ष के बीच में महिलाएं गर्भाशय में होने वाले कैंसर के कारण अपने छोटे बच्चों को छोड़कर मर जाती हैं इस रोग को रोका जा सकता है और अब इसके लिए टीका उपलब्ध है। अत: इसका आवंटन महिलाओं

के लिए उनके युवा अवस्था में किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य विभाग विशेषकर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को मात्र 2500 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। मुझे विश्वास है कि इससे गांव और शहर के लोग स्वस्थ्य होंगे।

आगे गैर सरकारी क्षेत्र के अस्तपालों पर लगाया गया पांच प्रतिशत का कर वापिस लिया जाना चाहिए क्योंकि चाहे कोई भी रोग हो व्यक्ति अस्पताल ही जाता है। राजकीय अस्पतालों, विशेषकर हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में की हालत इस तरह हस्ताहरण है कि शर्ट अटैक से पीड़ित कोई व्यक्ति अथवा प्रसव पीड़ा की स्थिति वाली महिला यदि इस अस्पतालों में जाते हैं तो उन्हें दाखिला दिए जाने से मना कर दिया जाता है। अत: वे गैर सरकारी अस्पतालों में जाने को विवश हो जाते हैं। अत: यदि इस अस्पतालों द्वारा इस कर के माध्यम से 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है तो इससे रोगियों और इस प्रकार की महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अत: इसे वापिस लिया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य विभाग को दिए गए इस अतिरिक्त धन से मैं समझती हूं कि बीपीएल परिवारों के एक विशेष चला दिया का स्मार्ट हार्ड जारी किया जाना चाहिए ताकि वे जहां कहीं जाएं अथवो चाहें जहां कहीं भी जाने की आवश्यकता पड़ेगी अथवा जो जिस प्रकार के रोग से पीड़ित होंगे अथवा कोई दुर्घटना का मामला हो वे इसे कतिपय अस्पतालों में दिखाकर कई मामलों में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं, अस्पतालों द्वारा तत्काल 25000 रुपए की धनराशि जमा नहीं करने पर दाखिला नहीं दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति के पास हमेशा इसी अधिक धनराशि नहीं होती है।

जहां तक पशुपालन का प्रश्न है हम जानते हैं कि मांस और दूध के मूल्यों में वृद्धि हुई है। केरल के एक संस्थान के लिए 180 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि हो गई है लेकिन पशुपालन प्रभाग पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। वेतनरी सर्जनों को वंचित किया जा रहा है। वेटनरी सर्जन के पाठ्यक्रमों में महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। उनके मूल वेतन में वृद्धि नहीं हो रही है। वेटनरी सर्जनों के लिए अनुसंधान संबंधी कोई सुविधाएं नहीं हैं। विश्व भर में ऐसी आय है जो प्रतिदिन 40 लीटर दूध देती है। लेकिन इसकी कमी और दूध के बढ़ते हुए मूल्य को देखते हुए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के पश्चात् प्रशीतित भ्रूण को अंतरित कर सकते हैं। यदि हम वेटनरी सर्जनों के अनुसंधान पर अधिक ध्यान दें तो यह बेहतर होगा।

जहां तक आवास का प्रश्न है मुझे प्रसन्नता है कि विभिन्न श्रेणियों के लिए ऋण की बीमा में वृद्धि की जाती है। ऋण की अधिकतम सीमा में वृद्धि की गई है और ग्रामीण आवास निधि में भी वृद्धि की गई है। इसके आगे राजीव आवास योजना के अंतर मोर्गेज टिस्क गारंटी फंड में भी वृद्धि की गई है। यह वास्वत में प्रशंसनीय है क्योंकि इससे गरीब लोग लाभान्वित होंगे।

मैं समझती हूं कि जंगल के अधिकार जनजातीय लोगों को दिए जाने चाहिए और उन्हें आवास उपलब्ध कराने के लिए कतिपय उपाए भी किए जाने चाहिए। इसके साथ-साथ जनजातीय लोगों को उनके पारंपरिक कौशल में प्रशिक्षित करना चाहिए और उनमें उत्पादों का स्थानीय विपणन आयोजित किया जाना चाहिए ताकि बिचौलियों से बचा जा सके।

कृषि क्षेत्र में भी स्थानीय विपणन आयोजित किया जाना चाहिए क्योंकि किसान टमाटर और आलू का उत्पादन क्रमश: 4 रुपए और 1 रुपए प्रतिकिलो की दर से कर रहे हैं और पूरे बिचौलियों को बेच रहे हैं जो इस उत्पादों को उच्च मूल्य पर बेच रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं। अत: कुछ मोबाइल बाजार होने चाहिए जो किसानों से कृषि उत्पाद लेकर राज्य के स्वामित्व वाले मोबाइल बाजारों को दे सकें जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों ही लाभान्वित होंगे।

मैं उल्लेख करना चाहती हूँ कि खाद्यान्नों के भंडारण पर बेहतर निगरानी की जानी चाहिए क्योंकि वहाँ 40 प्रतिशत से अधिक उत्पादित गेहूँ और चावल कीट और खराब भंडारण के कारण बर्बाद हो जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

डॉ. काकोली घोष दस्तिदार: हमें सूखे अथवा कभी-कभी बाढ़ के कारण बर्बाद होने वाली फसलों के संबंध में किसानों के लिए फसल बीमा शुल्क करना चाहिए। हमें गरीब किसानों की सहायता करने हेतु फसल बीमा शुल्क करनी चाहिए और मैं समझती हूं कि इस योजनाओं से हमारा देश प्रगति करते हुए एक विशाल अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगी।

श्री पी. कुमार (तिरूचिरापल्ली): मैं इस सर्वोच्च सदन में मेरे दल एआईएडीएम के की ओर से आम बजट पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं केवल उन्हीं बातों पर अपना सुझाव दूंगा जिस पर सरकार द्वारा तत्काल और प्रभावी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

किसी रीति अथवा योजना को तैयार करने और इसके अग्रिम चरण तक व्यापक विकासात्मक आदानों के साथ क्रियान्वयन अप्रभावी हो सकते हैं यदि इन्हें इस देश की जनता की भलाई के लिए पूरे तरीके से क्रियान्वित नहीं किया जाए। माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2011-12 हेतु प्रस्तुत अपने बजट में कई आवंटनों और प्रस्तावों का उल्लेख किया है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

माननीय मंत्री जी ने नेशनल मिशन फार सस्टेनबल एग्रिकल्चर की घोषणा की है ताकि खाद्यान्नों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने हेतु अधिक से अधिक फसल की पैदावार प्राप्त की जा सके। यह भी उल्लेख किया गया है कि हर एक में मृदा की स्थिति में गिरावट आती है। यह सच है। बीते वर्षों में कीटनाशकों और उर्वरकों के निरंतर और अत्यधिक उपभोग होने के कारण मृदा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यह खेती योग्य नहीं रह गई है। अत: मैं आर्गेनिक कृषि के तरीकों को प्रोत्साहन देने के तरीकों आधुनिक तकनीकों और पारंपरिक कृषि के तरीकों जैसे हरी खाद्य जैव-कीट नियंत्रण और खड़ पतवार प्रबंधनों को मिलाने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

जहां तक कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों का प्रश्न है इस देश में कीटनाशकों का पहली बार उपयोग 1948 में किया गया था जब डीडीटी और बीए कसी का आयात मलेरिया और लोइस्ट नियंत्रण के लिए किया गया था। उन दिनों भारत में कीटनाशकों के उपयोग में व्यापक वृद्धि हुई है और 137 मिलियन हैक्टेयर में रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप लाखों जीव जो खेती में हमारी सहायता करते थे हमारी भूमि से लुप्त हो गए हैं।

इसके अतिरिक्त मेरे लिए यह एक सिंचाई का विषय है कि खेती में कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों की विषाक्तता और रसायनिक पदार्थों के अवशेष स्तर में वृद्धि हुई है। अत: कीटनाशकों का अधिक उपयोग किया जाने के कारण मृदा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ-साथ यह स्वास्थ्य की स्थिति परिस्थितिकीय और जल को भी प्रभावित कर रहा है।

मैं इस अवसर पर सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह देश में आर्गेनिक कृषि में तरीके को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्ताव पर कार्य करें।

वर्ष 2010-11 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह नोट किया गया है कि वर्ष 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित रूप से 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन वास्तविक रूप में कृषि में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि देने के साथ-साथ उपयोग और सेवाओं में क्रमश: 8.1 और 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका उल्लेख माननीय मंत्री जी के बजट भाषण में किया गया है।

लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है क्या विकास का लाभ देश के आम व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है नहीं। गत से पांच से दस वर्षों के दौरान अच्छी आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने और खाद्यान्नों को हजारों करोड़ रुपए की राजसहायता देने के साथ अन्य कई योजनाओं अन्य खाद्यान्नों और अन्य कार्यक्रमों के होने के बावजूद हमारे देश का स्थान पर देशों के ग्लोबल हेगर इंडेक्स 2010 में 67वां है। हमारे पड़ोसी श्री लंका और पाकिस्तान की स्थिति भी सबसे बेहतर है। खाद्य मुद्रा स्फीति की दर उच्च है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

हम यह जानकर आश्वस्त नहीं हो सके कि हमारे देश ने पर्याप्त वृद्धि प्राप्त कर ली है जैसाकि वर्ष 2010-11 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है। जब हम यह देखते हैं कि हमारे देश में खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 230 मिलियन लोग कुपोषित हैं। भारत में मरने वाले बच्चों की संख्या में से लगभग आधे की मृत्यु कुपोषण के कारण होती है ऐसे में इस कारण वृद्धि और कृषि और जीसीपी में इसके प्रभावी योगदान को नोट करना अत्यन्त चिंचित है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह सुनिश्चित करे कि योजना के प्रभाव देश के आम व्यक्ति तक पहुंचे। एकीकृत बाल विकास सेवाओं हेतु 10330 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव लागू किया जाना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे एक पोषाहार संबंधी कार्यक्रम शुरू करे जिसका कुपोषण का शिकर हुए बालकों को पोषाहार उपलब्ध कराना हो।

माननीय वित्त मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि इस सरकार ने काले धन के विरुद्ध विश्वव्यापी जंग में शामिल होने एक समुचित विधायी ढांचा तैयार करना अवैध रूप से निपटने के लिए संस्थान स्थापित करना कार्यान्वियन हेतु प्रणालियों विकसित करना और प्रभावी कार्यवाही हेतु जन शक्ति को कौशल का प्रदान करने के संबंध में एक पांच स्तरीय रणनीति तैयार की है। मैं इस से सहमत हूं कि इस कदम से कालेधन को वापिस करने में प्रभावी कोडबैक प्राप्त होगी।

लेकिन हाल में पड़ोसी देशों से हमारे देश में नकली नोटों का प्रवाह बढ़ गया है। यह काले धन के रूप में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए भारी खतरा है। अत: सरकार को काले धन पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही करने के अतिरिक्त इस देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए नकली नोटों के प्रवाह को रोकने के लिए निवारक उपाय करने चाहिए।

महोदय, चिन्ता का एक अन्य मुद्दा यह है कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई आवश्यक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर विपणन हो रहा है। विशेषकर गरीब आदमी के ईंधन केरोसीन जिस पर राज्यों को राजसहायता दी जाती है को अब मिलावटी डीजल में बदला जा रहा है। वर्ष 2005-06 में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की अंतरिक रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रतिवर्ष लगभग 4 से 5 मिलियन

किलोमीटर केरोसीन को मिलावट द्वारा बदला जा रहा है। यह अवैध कारोबार 21000 करोड़ रुपए का है। अंत में हमने देखा है कि जिस कर्मचारी ने इस अवैध कारोबार पर रोक लगाने का प्रयास किया, उसकी हाल ही में हत्या कर दी गई। कुछ अन्य राज्यों में इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध कराए गए चावल दाल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का विपणन किया गया और उन्हें खुले बाजार में बेचा गया।

अतः इसकी निगरानी और यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि ये आवश्यक वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाए अन्यथा विकास और सतत विकास के उद्देश्यों का योजना कार्यान्वयन अगले विकास के उद्देश्यों का योजना कार्यान्वयन अगले वित्तीय वर्ष में पुनः शुरुआती बिन्दु पर पहुंच जाएगा।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह अपना ध्यान भ्रष्टाचार मुक्त परियोजना कार्यान्वयन पर केन्द्रित करे ताकि सभी योजनाओं के सार्थक परिणाम प्राप्त हो सकें। संक्षेप में आर्गेनिक कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। देश में कुपोषण से निपटने बाल विकास कार्यक्रमों के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, काले धन और नकली नोटों पर रोक लगाने के लिए कठोर निवारक उपाय किए जाने चाहिए तथा आवश्यक वस्तुओं के लिए विपणन पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सख्त कार्यान्वयन प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लालजी टण्डन (लखनऊ): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को अगर यथास्थितिवादी नहीं बल्कि प्रतिगामी कहूं तो मेरी दृष्टि में यह अनुचित नहीं होगा। क्योंकि इसमें विकास की संभावना दूर-दूर दिखाई नहीं देती है। बजट किसी आर्थिक दर्शन के ऊपर होता है और उसमें हमारे माननीय मंत्री जी को कंफ्यूजन है क्योंकि कभी कौटिल्य का नाम लेकर मैकेवली की राजनीति करते हैं, कभी इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना कर देते हैं उस समय यह भूल जाते हैं कि इंद्र एक ऐसा देवता है जिसका सिंहासन हमेशा हिलता रहता है और वह जो कुछ भी करता है वह अपने सिंहासन को बचाने के लिए ही करता है। यानी यह सही बात है कि आज जो सरकार हिल रही है उस सरकार को कैसे बचाए रखा जाए, यह बजट उस बात के लिए है, यह बजट आम आदमी का इस बजट में ध्यान नहीं है।

मान्यवर, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं जनता के बीच से आता हूं और जनता की समस्याओं को आंखों से देखा है और इतने लम्बे राजनीति जीवन में जो कुछ अनुभव किया है, वह मैं बताना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं इसके क्रियान्वयन या अपने रास्ते में थोड़ा परिवर्तन करने की इच्छाशक्ति इस सरकार में नहीं है तो जो मैं कह रहा हूं वह रिकार्ड की बात बन जाएगी, लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं होगा।

मान्यवर, हमारे संतों ने एक आर्थिक दर्शन किया है। यह विद्वानों की सरकार है, यहां बड़े-बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी, सब नीति-निर्माता अर्थशास्त्री हैं। ये अर्थशास्त्री आंकड़ों में सब को ऐसा घुमाए हैं कि जिसका अर्थ यहां बैठे हम सब नहीं समझ पाते तो आम आदमी कैसे समझेगा कि उसके लिए बजट में क्या है? कुछ बेपढ़े-लिखे लोगों ने भी हमें रास्ता दिखाया है। महात्मा कबीर ने कहा है कि "तू कहता पुस्तक की लेखी और मैं कहता आंखों की देखी।" यह एक दर्शन है कि आंकड़े असलियत नहीं है, जो आंखों से देखकर सामने रखा जाएगा, वह असलियत है, उस असलियत की तरफ जाने की कोशिश कीजिए।

गुरुनानक देवजी ने व्यक्ति की न्यूनतम जरुरत के बारे में कहा था, ईश्वर से प्रार्थना की कि "साई उतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं मेरा अतिथि भी भूखा न जाए।" यह एक पूरा दर्शन है कि व्यक्ति की इतनी जरुरत पूरा कीजिए, चाहे ईश्वर के रूप में सरकार हो या राजा है। आप उस जरुरत को पूरा करे कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे। उसकी और उसके परिवार की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होती रहें और अगर उसके यहां कोई आ जाए तो वह भी भूखा न जाए। जिस दिन हम इस अवधारणा को समाज में लागू कर देंगे, मैं समझता हूं कि आर्थिक विषमता का अंत हो जाएगा। भूख के कारण आत्महत्या करते हुए लोगों का नाम नाम समाज में नजर नहीं आएगा। आजादी के बाद तीन बड़ी उपलब्धियां देश में हुई हैं। मैं यह बात किसी सरकार से जोड़कर नहीं कह रहा हूं, बल्कि इन उपलब्धियों को सारी दुनिया मानती है, सारा देश मानता है, आप भी कहते हैं और हम भी कहते हैं। पहली उपलब्धि संचार क्रांति है। दूसरी उपलब्धि आणुविक शक्ति का उदय और तीसरी उपलब्धि राजमार्गों का निर्माण है। ये तीन बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन इन तीनों की इस बजट में क्या दशा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्र सरकार के मंत्री कहते थे कि 20 किलोमीटर सड़क रोज बनेंगी। मैं पूछना चाहता कि सड़क बनाने का क्या औसत रहा है? छह किलोमीटर सड़क रोज बनने की औसत है। आप बताएं कि उस उद्घोषणा का इस बजट से कोई संबंध बनता है। क्या कोई लक्ष्य रखा गया है? सारी विकास योजनाओं में 15 से लेकिन 35 प्रतिशत तक की विभिन्न योजनाओं में बढ़ोतरी की गई है। कई योजनाओं में इनफ्लेशन के कारण मूल्य वृद्धि हुई। जो काम तीन साल पहले होने थे, इतनी रकम बढ़ाने के बावजूद भी वे कहीं के वहीं रहेंगे, उनके काम में कहीं बढ़ोतरी नहीं होगी, उसके के लिए कहीं संसाधन नहीं हैं।

मैं कर नीति के बारे में बोल रहा हूं। बहुत चौंकाने वाली बात है कि आय कर में पिछले साल की अपेक्षा काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आम आदमी को जो छूट दी गई है, उसके बारे में वित्त मंत्री जी बहुत शान से कह रहे थे कि 2400 रुपए की छूट साल के लिए दी है। जिस परिवार पर साल में 24 हजार रुपए महंगाई की मार पड़ी, उसे आप 2400 रुपए की राहत दे रहे हैं, आप उसे खैरात दे रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। मेरा अनुभव है कि अगर कर की दरें कम हों, अगर टैक्सा देने में फ्लैक्सीबिलिटी हो, तो आज टैक्स सरकार को मिल रहा है, इससे कहीं ज्यादा इनकट टैक्स सरकार को प्राप्त हो सकता है।

मैंने देखा कि पैदा होने वाले बच्चों के इस्तेमाल की चीजों को उत्पाद कर में जोड़ दिया गया। मैं हैरान हूं कि आयुर्वेदिक, होम्योपेथिक दवाओं के ऊपर उत्पाद कर लगा दिया। जिस देश में गाय कृषि का अभिन्न अंग है, हम गौ हत्या का विरोध करते हैं, तो यहां बैठे हुए लोगों के चश्मों में रंग दिखने लगता है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन देश से गाय समाप्त हो जाएंगी, देश तबाह हो जाएगा। गाय के बिना कृषि नहीं चल सकती है। कृषि के सुधार के लिए आप शोर मचा रहे हैं। जब मैंने यह पढ़ा कि बजाय इस उपाय के कि कैसे गौ हत्या रुके, कैसे गाय हमारे लिए आर्थिक बनें, उसके गोबर और बनने वाली जैविक खाद पर भी उत्पाद कर लगा दिया। यह बहुत खेदजनक बात है। आदमियों की बात छोड़िए, जानवरों को भी नहीं छोड़ा गया है। हम शेर को बचाने के लिए, उल्लुओं के बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, हजारों एकड़ जंगल उनके लिए रख रहे हैं, फिर भी उनकी संख्या कम होती जा रही है। यही स्थिति गाय के लिए भी होने जा रही है। जिस दिन गायों की यह स्थिति होगी, उस दिन इंसानों की भी यह स्थिति होगी। आप भविष्य पर नजर रखिए। पशु धन राष्ट्रीय सम्पदा है, जो विदेशों में जा कर लोगों के खाने में इस्तेमाल की जा रही है, इसे किसी कर के दायरे में नहीं लाया जाएगा।

अपराह्न 3.00 बजे

आचार्य विनोबा भावे, गांधी जी के बाद वही नाम था। इंदिरा गांधी जी से उन्होंने आग्रह किया कि गो-वध पर कानून बनाइए। उन्होंने नहीं बनाया। विनोबा भावे ने अन्न जल का त्याग कर दिया और उस संत ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इसलिए कि गाय की रक्षा करना आजादी के वक्त में कांग्रेस के एजेंडा में था। गांधी जी का स्लोगन था। आज जिस रफ्तार से गाय कट रही हैं, मैं समझता हूं कि वह दिन दूर नहीं है कि जैसे आज गाय का मांस निर्यात हो रहा है, कल मनुष्यों का मांस निर्यात होगा। अगर स्वाद के आधार पर मांस खाने के लिए पशुधन जा सकता है तो मानव धन क्यों नहीं जा सकता? जाएगा। वह दिन आएगा। आप समाज को किधर से रहे हैं? यह आपका बजट बता रहा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। हम हर बात में सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं लेकिन ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट फैसले भी रद्दी की टोकरी में डाल दिये जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: लालजी टंडन जी, आपकी पार्टी से और सदस्य भी बोलने वाले हैं।

श्री लालजी टण्डन: उपाध्यक्ष महोदय, हमसे पहले भी एक माननीय सदस्या बोलने वालीं थीं। मेरे कारण उन्होंने अपना भाषण यहां से कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय: आपके बाद भी आपके दल के बहुत से लोग यहां बोलने के लिए बाकी हैं।

श्री लाल जी टण्डन: उपाध्यक्ष महोदय, हम विदेशी सहायता की बात कर रहे हैं।

अपराह्न 3.02 बजे

[श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना **पीठासीन हुए**]

विदेशी सहायता पिछले साल 22,264 करोड़ रुपये थी। इस बार 14,500 करोड़ हमें मिलेगी। दुनिया में हमारी बड़ी धाक बन रही हैं। हम बड़े मालदार हो रहे हैं और हमें कोई सहायता करने को तैयार नहीं है। लेकिन यहां पर भी हमारी जो परम्परागत आर्थिक नीति है, वही काम आ रही है। ये आपके आंकड़े बता रहे हैं कि लघु बचत से पिछले साल 17,781 करोड़ रुपये आये थे और इस बार 24,182 करोड़ आए हैं। अगर हम इसे थोड़ा सा कर नीति से जोड़ दें तो अपार धन आ जाएगा जो विकास के काम में लगेगा और हमें विदेशी सहायता की जरुरत नहीं पड़ेगी बल्कि हम दूसरों को सहायता देने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। कहीं हम सुधार की दिशा नहीं देखते हैं। कहीं पर हमने किसी के लिए कुछ नहीं किया है। हर बार एक दो नई संस्थाएं बन जाती हैं। किसान के नाम पर जो पैसा जा रहा है, उसमें हर बार एक विचौलिये को पैदा कर दिया जाता है। एक ही काम के लिए कितनी एजेंसी काम कर रही हैं। एग्रीकल्चर मिशन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एन. जी.ओज. और कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं। आप अपने नेता राजीव गांधी को याद करिए कि तब उन्होंने कहा था कि एक रुपया जाता है तो 16 पैसे जमीन पर लगते हैं। आज अगर आप देखें तो वह भी नहीं लग रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए आप बिना सोचे-विचारे योजनाएं लगा देते हैं।

अनप्रोडक्टिव कामों में जो पैसा खर्च होता है उसका परिणाम है कि हमारी अर्थव्यवस्था को जिस तेजी के साथ आगे बढ़ना

चाहिए वह नहीं बढ़ रही है। आप कितनी ही अपनी पीठ ठोंक लें लेकिन एक दर्जन, दो दर्जन, एक सैंकड़ा, 200, 500 अरबपति बन जाने से सवा सौ करोड़ लोगों को भला नहीं होने वाला है। वह बजट जिसमें सवा सौ करोड़ लोगों का चिंतन न हो, उसके बारे में क्या कहें? यंगीस्तान, यूथ इंडिया, युवा भारत का इतना शोर मच रहा है कि जैसे यहां सब कुछ युवाओं के लिए हो रहा हो लेकिन हो क्या रहा है? माननीय मंत्री जी आप मेरी बात सुनिए नहीं तो मैं एक शेर सुना दूंगा। एक शायर ने कहा है – मैं अंधों की बस्ती में आइना बांटता हूं। उनका कहना है कि जो देख नहीं सकते मैं उन्हें आइना दिखा रहा हूं। आप मेरी स्थिति वह न बनाइए, आप कृपा करके सुनिए। अभी बरेली में घटना हुई जिसमें 200 पद के लिए 3,35,000 लोग इंटरव्यू के लिए पहुंचे। इनमें कितने ही लोग पुलिस की लाठी से घायल हुए, कितनगे लोग ट्रेन से गिरकर कटकर मर गए, कितने लोग आपस में कुचलकर मर गए। यह बेरोजगारी पढ़े लिखे लोगों में है। आप शिक्षा का विकास कर रहे हैं और मेरा कहना है कि शिक्षा उद्योग बड़ी तेजी से पल रहा है। देश के लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहले लोग सोचते थे कि उच्च व्यवसायिक शिक्षा लेने के बाद कहीं न कहीं रोजगार मिल जाएगा। अब मेरे पास ऐसे नौजवान आते हैं जिन्होंने एम.बी.ए. किया है, वे कहते हैं कि 5000 रुपए कि नौकरी दिलवा दो, आप सोचिए उनके ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ होगा। आपको उनकी चिंता नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। अन्य सदस्य भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री लालजी टण्डन: आप बताएं कि युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? इनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन सा उपाय बजट में बताया गया है? यह महिला वर्ष है। आपने तोहफा दिया कि महिलाओं के लिए 40,000 की ज्यादा छूट थी वह खत्म कर दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आपने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ नहीं किया और आज भी कुछ नहीं करना चाहते हैं, यह इस बात का प्रमाण है। युवाओं, किसानों और महिलाओं की ऐसी हालत हो गई है लेकिन कौन बचाए? क्यों हमारे लिए चंद पूंजीपति, उद्योगपति, सारा देश, अर्थव्यवस्था, बजट और सरकार इतने से में परिक्रमा करेगी? हमें कहीं नहीं अपनी आत्मा को जगाना होगा क्योंकि हमारी जिम्मेदारी सवा सौ करोड़ लोगों के लिए है सवा सौ लोगों के लिए नहीं। यह इस बजट में नहीं दिखता है। मैं बहुत तैयारी से आया था और बहुत कुछ कहना चाहता था। अगर आप समय दें तो मैं अपनी बात कह दूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य आप काफी कुछ कह चुके हैं। माननीय मंत्री महोदय को सोचना पड़ रहा है कि वह आपके प्रश्नों का उत्तर कैसे दें। कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री लालजी टण्डन: महिला उत्थान, अब स्लोगन बन कर रह गया है। हर चीज का इलाज आरक्षण ढूंढ लेते हैं। आरक्षण किसे मिलेगा? इस कमेटी ने इसे आरक्षण के लिए कह दिया और उस कमेटी ने उसे आरक्षण के लिए कह दिया। आज सारा रेलमार्ग आरक्षण के कारण जाम पड़ा हुआ है।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

***श्री पी.सी. मोहन (बंगलौर मध्य):** सरकार ने सदन में पेश किए बजट 2011-12 पर मुझे भाषण की अनुमति के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सरकार द्वारा हरदम आम आदमी की बात की जाती है, लेकिन आज महंगाई के कारण जो स्थिति बनी है, इससे आम आदमी ही अधिक परेशान हो रहा है। महंगाई पर नियंत्रण पाने में सरकार की असफलता के कारण आम आदमी का घरेलू बजट गड़बड़ा गया है। लेकिन सरकार ने उन्हें राहत देने के लिए कोई उपाय नहीं किए। बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में देश में गरीबी के बढ़ते आंकड़े को दर्शाया गया है। सरकार द्वारा गठित तेंदुलकर समिति ने देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 37 फीसदी होने की बात कहकर सरकार की गरीबी हितैषी होने की पोल खोली है। बढ़ती विकास दर का चश्मा लगाकर लोगों को मूर्ख बनाने का काम नहीं चलने वाला। देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब देश में आर्थिक विषमता लगातार बढ़ रही है। फोर्ब्स जैसे अंकों के द्वारा विश्वस्तर पर भारतीयों की सम्पत्ति बढ़ने और देश में करोड़पतियों की संख्या बढ़ने का बयान होता है और दूसरी और देश में गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की संख्या बढ़ना इस सरकार के आर्थिक क्षेत्र में असफलता की कहानी को दर्शाता है, इस सरकार के राज में आर्थिक विषमता बढ़ रही है। यह सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह विफल हो रही है, ऐसा मैं मानता हूं।

देश में सबसे बुरी हालत किसान तबके की हो रही है। आज सरकारी आंकड़ों के अनुसार किसान आत्महत्या प्रभावित 31 जिले

---
*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हैं। लेकिन देश के अन्य क्षेत्र के किसान की कोई अच्छे हालात में नहीं है। केंद्र सरकार ने किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 4 लाख 75 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है लेकिन किसानों की स्थिति को देखते हुए उसे कोई बैंक अपने दरवाजे पर फटकने नहीं देता। किसानों की दुर्दशा को देखते हुए, किसान को केवल ऋण की आवश्यकता नहीं है। उसे अच्छा बीज, उर्वरक, सिंचाई की सुविधा, पर्याप्त बिजली, डीजल और कृषि उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए। इसके साथ ही उसके उत्पाद को लागत के अनुपात में न्यूनतम आधार मूल्य पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। देश में किसानों के द्वारा किए जा रहे उत्पाद का सरकार द्वारा भंडारण की सुविधा के अभाव में सड़ने के मामले उजागर हुए हैं। ऐसे में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर इसे गरीबों में मुफ्त बांटने के निर्देश को सरकार द्वारा इंकार करने का देखते हुए हम कैसे कह सकते हैं कि यह गरीब और किसानों की हितैषी सरकार है। देश के उद्योग जगत द्वारा सीमेंट, लोहा तथा अन्य उत्पादों के जब दाम बढ़ाये जाते हैं तब सरकार कोई पहल नहीं करती लेकिन किसानों के उत्पाद के जैसे प्याज, टमाटर के दाम बढ़े तो सरकार तत्काल नियंत्रण करने के लिए आगे बढ़ती है। सरकार की यह दोहरी नीति नहीं चलेगी।

मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां की कर्नाटक सरकार ने गरीब किसानों की सुध ली है और प्रदेश में कृषि का स्वतंत्र बजट पेश किया, अनेक किसान हितैषी परियोजनाएं आरंभ की, वहां की सरकार ने 3 लाख रुपए तक के किसान ऋण केवल 1 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह ऐतिहासिक कार्य कर्नाटक के हित में ऐसा कदम उठा सकती है तो केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती।

मैं माननीय वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि देश के किसानों को लाभान्वित करने के लिए देश का केन्द्रीय कृषि बजट बनाने के लिए कदम उठाए।

सरकार ने बजट के अंतर्गत औद्योगिक विकास के लिए दिल्ली मुंबई औद्योगिक विकास निगम को अनुदान प्रदान करने के लिए 175 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। लेकिन बंगलूरु जो कि सायबर सिटी का एक विश्वस्तरीय केन्द्र है उसके विकास के लिए बजटीय प्रावधान की आवश्यकता है लेकिन किसी प्रकार का बजटीय प्रस्ताव नहीं किया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने रोजगार नीति के अंतर्गत रोजगार सृजन की चर्चा की है। लेकिन सरकार के प्रयासों के बावजूद देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। रोजगार पंजीयन कार्यालयों में दर्ज बेरोजगारों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन रोजगार सृजन के अभाव में बेरोजगार युवक असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार केवल घोषणा करने के बजाए उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के माध्यम से रोजगार सृजन के बृहत कार्यक्रम चलाए और इसको एक व्यापक अभियान बनाना चाहिए।

मैं अब देश में स्वास्थ्य क्षेत्र का उल्लेख करना चाहूंगा। सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के लिए 20 प्रतिशत का प्रावधान करने का उल्लेख किया है लेकिन आज स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति को देखते हुए इसका बहुत कम समझा जा सकता है। विश्व के अन्य देश अपनी जी.डी.पी. का 2 से 6 प्रतिशत तक स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं हम इन देशों के मुकाबले में भी नहीं आते लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के परीक्षण सेवाओं में हमने 5 प्रतिशत सेवाकर लगाकर इसे आम आदमी की पकड़ से दूर करने का प्रयास किया है। आज ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर, नर्स और विशेषज्ञों की भारी कमी है। हजारों की संख्या में रिक्तियां बनी हुई हैं। लेकिन इसमें भर्ती करने ग्रामीण क्षेत्र, छोटे शहरों में विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा तो दूर साधारण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में भी नाकाम हो रहे हैं। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पांच वर्षीय अभियान चलाया जो 2012 में खत्म हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसे लगातार चालू रखा जाए और इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को कारगर कराने का प्रयास करें। महोदया, माननीय वित्त मंत्री द्वारा सदन में रखे गए बजट 2011-12 में आयकर की मर्यादा में 1 लाख 60 हजार से 1 लाख 80 हजार किया गया लेकिन महिलाओं को कोई लाभ नहीं दिया गया, इसका आर्थिक सार्थक प्रयास नहीं कहा जा सकता क्योंकि वर्ष 2012 से डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होने के बाद आयकर सीमा 2 लाख होने जा रही है। यह देश की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा लाए गए बजट 2011-12 में किए गए विभागीय प्रावधानों से देश का आर्थिक ढांचे को कई गति नहीं मिल रही है। आर्थिक स्तर पर प्रगति का बखान करने वालों में केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपके नजरिये से आर्थिक व्यवस्था का हाल अच्छा होगा मगर देश के लोगों का नहीं। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

***श्री अशोक अर्गल (भिंड):** वर्ष 2011-12 के बजट ने आम आदमी को निराशा देने का काम किया है। धोखा देने का काम किया है। जब से यू.पी.ए. सरकार सत्ता में आई है तब से डीजल-पेट्रोल, रसोई गैस के बारे में बढ़ोत्तरी को कम नहीं किया गया है। जिससे महंगाई बढ़ी है। भ्रष्टाचार को दूर करने का कोई उपाय नहीं किया गया है जो विदेशों में कालाधन जमा है उसे वापस लाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया है। सरकार ध्यान

नहीं देना चाहती। देश में कामनवेल्थ घोटाले, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले उदाहरण है। मनेगा के अन्तर्गत पिछले बजट के बराबर राशि आवंटन की गई है, जबकि राज्यों को कामों की मांग के अनुरूप राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों के रोजगार मिल सकेगा, जिससे पलायन भी रूकेगा, भारत निर्माण के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, त्वरित सिंचाई योजना आदि अभी ग्रामीण क्षेत्रों के मांग के अनुसार काम नहीं हो पा रहा है। इसमें मेरा कहना है कि ये सभी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़ा मामला है। इसलिए इसकी राशि मांग के अनुसार हो तथा आवंटन में राज्यों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सर्वशिक्षा अभियान में विद्यालय भवनों के निर्माण के साथ, विद्यालयों में पानी, स्वास्थ्य बिजली एवं खेल के मैदान स्कूलों की बांड्रियों को प्राथमिकता तय किया जाए। जिससे बच्चों को पढ़ाई एवं खेल, सुरक्षा मिल सके। इसके अभाव में स्कूल एवं बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। उच्च शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा देने से गरीब छात्र/छात्राएं अच्छे कालेजों से वंचित रह जाएंगे। अत:शासकीय कालेजों को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। जब-जब बजट पेश किया जाता है। तब-तब सौच भारत को नहीं माना जाता है। पक्षपातपूर्ण तरीके से पेश किया जाता है। उद्योगों, सरकारी कारखानों, सड़कों, रेल लाइनों आदि के विकास के सीमित क्षेत्रों तक सीमित रहते हैं। आखिर यह कब तक चलता रहेगा।

मेरे संसदीय क्षेत्र भिण्ड जहां से गुना, ग्वालियर, भिण्ड, इटावा रेल परियोजना स्वीकृति मिली थी। बड़े दुख की बात है कि आज उक्त परियोजना 25 वर्षों में भी पूरी नहीं हो पाई है। यह योजना मंजूरी के समय कितनी थी और आज उसकी क्या स्थिति है। इसमें जनता को कितनी परेशानी हो रही है। लागत बढ़ने पर उन अधिकारियों, इंजीनियरों एवं व्यवस्था को दोषी मानना चाहिए, जिनके कारण उक्त परियोजना में देश का करोड़ों रुपया नुकसान हुआ है, इससे भविष्य में जब भी कहीं योजना इस तरह की स्वीकृति हो जिम्मेदारी तय की जाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र में चम्बल, क्वारी, सिन्ध नदियों का निकास है। आज करोड़ों एकड़ जमीन जो कृषि योग्य भूमि है जो बीहड़ों में है। ऐसी भूमि को सरकार समतलीकरण कराएं और चम्बल क्षेत्र के हजारों की संख्या में घूम रहे बेरोजगार युवाओं को आवंटित करें। आज युग बेरोजगारी के कारण मारा-मारा घूम रहा है। छोटी-छोटी बातों पर लोग गलत रास्तों पर चले जाते हैं। इसी कारण से चम्बल का क्षेत्र डाकुओं के नाम से मशहूर हो गया। आज इस क्षेत्र के हजारों युवा देश की सीमा की रक्षा में तैनात हैं, अर्धसैनिक बलों में है। लड़ाई के दौरान अपना जीवन दिया है, चाहे 1962 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई के दौरान शहीद हुए हैं। मेरी भारत सरकार से मांग है कि इस पिछड़े एवं डाकुग्रस्त क्षेत्र के विकास के लिए बुन्देलखंड पैकेज की तरह स्पेशल पैकेज दिया जाए। कुछ उद्योग स्थापित किए जाए।

***श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी):**

* आम बजट सभी वर्गों के लिए निराशाजनक है। भ्रष्टाचार, कालाधन, बेरोजगारी व मूल्य वृद्धि जैसे ज्वलंत समस्याओं से लड़ने के लिए बजट में कुछ ठोस नहीं है।

* बजट से छोटे कारोबारी निराश है।

* बजट में एक तरफ सीमा शुल्क में रियायत दी गई है वहीं दूसरी ओर अनेक वस्तुओं का उत्पाद शुल्क 4 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी करने के साथ ही कर मुक्त 130 उत्पादों को उत्पाद शुल्क के दायरे में ला दिया है। जिससे घरेलू उत्पाद महंगे हो जाएंगे।

* छोटे व मंझौले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट में कोई खास योजना नहीं बनाई है।

* आर्थिक वृद्धि की बढ़ती दर के साथ रोजगार के अवसर न बढ़ना एक चिंता का विषय है। बजट में कृषि व उद्योग को बढ़ावा देकर इस कमी को पूरा किया जा सकता था।

* महंगाई के बोझ के तले दबे आम आदमी को आयकर सीमा में 20 हजार की छूट न के बराबर है। इसे कम से कम 40 हजार किया जाना चाहिए।

सर्विस टैक्स का दायरा बढ़ाने से व टैक्स न घटाने से महंगाई बढ़ेगी। स्वास्थ्य सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगाने से आम जनता पर बोझ बढ़ेगा। सर्विस टैक्स को घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना चाहिए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सर्विस टैक्स 5 प्रतिशत से ऊपर न बढ़े। अस्पतालों में ए.सी. कमरों, जीवन बीमा पॉलिसी, होटल के कमरे और एम्बुलेंस सेवा अब महंगे हो जाएंगे।

आम बजट आम आदमी की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। उनकी रियायतें एक हाथ से देने व दूसरे हाथ से लेने जैसे हैं।

सरकारी खर्चे में कमी के कोई उपाय नहीं किए हैं दूसरी ओर करों द्वारा आसम जनता पर बोझ डाला गया है।

बजट में भ्रष्टाचार व काले धन के विरुद्ध कोई कारगर रणनीति नहीं बनाई गई है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लगभग 86 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। उनकी सामाजिक सुरक्षा हेतु बजट में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। महंगाई से उनकी वास्तविक आय में गिरावट आई है।

विदेशी निवेश के नियमों को उदार बनाने की सरकार की इच्छा को बजट में उजागर किया है। एफ.डी.आई. वे एफ.आई.आई. क्या काले धन को सफेद नहीं बनाते? सरकार कब तक काले धन का अध्ययन करेगी। कमल नयन काबरा कमेटी के बाद अब एक और कमेटी की स्थापना इसी ओर इंगित करती है।

कृषि गिरावट, उत्पादकता में ह्रास, कृषि के उपयोग में आने वाले अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से कृषि का अलाभकारी व होना चिंता का विषय है। कृषि पर एक श्वेत पत्र आवश्यक है।

शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे कुछ सामाजिक मदों में आवंटन तो बढ़ाया है किन्तु इन क्षेत्रों के समक्ष चुनौतियों को देखते यह वृद्धि कम है।

विश्व के बाजारों में खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि हो रहा है। अन्न की कम पैदावार के कारण कई देशों में खाद्यान्न का संकट आ सकता है। हमें इसको ध्यान में रखते हुए एक रणनीति बनानी चाहिए जिसमें अनाज के उत्पादन बढ़ाने के साथ उचित भंडारण का आवश्यक हो। बजट में इस प्रकार की रणनीति का अभाव है।

विश्व बाजार में तेल कीमतों में वृद्धि चिंता का विषय है। आज भी हम अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत कच्चा तेल बाहर से आयात कर रहे हैं। आयातित मुद्रास्फीति से हम नहीं बच सकते। हमें अपना उत्पादन बढ़ाना होगा जो तीन दशकों से स्थिर है। हमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा।

बजट में जितने भी अनुमान है वे नौ फीसदी विकास दर को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। अगर किसी वजह से अगले वर्ष हमारी विकास दर कम रह जाती है तो ये सारे अनुमान बढ़ जाएंगे। पेशेवर अर्थशास्त्रियों और पूर्वानुमान लगाने वालों के अनुसार अगले वित्त वर्ष में वृद्धि में कमी आने की आशंका है। यह आशंका कहां तक सच साबित होगी यह तो समय ही बताएगा।

बजट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) व संस्थागत निवेश (एफ.डी.आई.) को बढ़ावा देना एक गलत नीति को अपनाना है। सरकार बाह्य जोखिम को बढ़ावा दे रही है। सरकार को पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहिए।

बजट में भ्रष्टाचार व महंगाई जैसी समस्याओं का कोई हल प्रदान नहीं किया है। बजट से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

मैं बजट का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

***डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरूवल्लूर):** वर्ष 2011-12 हेतु मिश्रित सामान्य बजट पेश किया गया है। लेकिन नकारात्मक वृद्धि हेतु। इसमें कतिपय कदम उठाए गए हैं जैसे सर्वशिक्षा अभियान में 40% की वृद्धि, शिक्षा के क्षेत्र में 25% की वृद्धि, अवसंरचना क्षेत्र हेतु लगभग 23% की वृद्धि, कृषि उपकरणों पर सीमा शुल्क को 5% से कम करके 4.5% करना, जिनकी सराहना की जा सकती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु आवंटन को बढ़ाया गया है लेकिन इसमें वर्ष 2010-11 में 6,755 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2011-12 में 7,860 करोड़ रु. की नाममात्र वृद्धि की गई है। नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट, वेजीटेबल क्लसटर्स की शुरुआत आयकर प्रयोजनों हेतु वरिष्ठ नागरिकों की आयु सीमा को कम करके 60 वर्ष किया जाने जैसी पहलों की सराहना की जानी चाहिए। तथापि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन पहलों का आरक्षण कार्यान्वयन किया जाए।

तथापि डॉक्टरों पर सेवा कर लगाने और देश के प्रमुख क्षेत्रों की उपेक्षा करने का नकारात्मक प्रभाव होगा और यह आम आदमी को विभिन्न रीति से प्रभावित करेगा।

वस्त्र उद्योग देश के महत्त्वपूर्ण उद्योगों में से एक है। इसके महत्व की सामान्य बजट 2011-12 में उपेक्षा की गई है। कृषि उद्योग के बाद वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जो हमारे देश के विकास मं योगदान कर रहा है। भारत में तिरुपुर शहर सिले सिलाए वस्त्र विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं और यह इसका सबसे बड़ा केन्द्र भी है। तिरुपुर वस्त्र उद्योग का विदेशी मुद्रा अर्जन लगभग 10000 करोड़ रु. है। तथापि कपास के निर्यात और धागे की उच्च लागत के कारण यह उद्योग विदेशी कम्पनियों के कड़ी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पा रहा है।

सरकार ने कपास उत्पादक किसानों के लिए यह घोषणा की थी कि कपास का निर्यात अधिक आय अर्जन के लिए किया जाएगा। तथापि कपास का उत्पादन पूरा होने तथा इसके जमाखोरों के पास पहुंच जाने के बाद सरकार ने देश से कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे कपास की कीमतों में कृत्रिम वृद्धि हुई और अन्तत: जमाखोरों को इससे लाभ हुआ। यह कड़वी सच्चाई है कि कपास उत्पादक किसान भारी घाटे में हैं। सरकार ने कपास जमाखोरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जिसके कारण तिरुपुर के सिले सिलाए वस्त्र उद्योग और देश के समग्र वस्त्र उद्योग प्रतिकूलत: प्रभावित हुआ।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यहां यह उल्लेख करना महत्त्वपूर्ण है कि त्रिपुर में हजारों रंगाई इकाइयां चल रही हैं। यह रंगाई इकाइयों वस्त्र उद्योग की सहायक इकाइयां हैं। ये रंगाई इकाइयां वस्त्र उद्योग का आधार हैं। इन रंगाई इकाइयों के बिना वस्त्र उद्योग तरक्की नहीं बढ़ सकता। इनमें से चैन्नै उच्च न्यायालय द्वारा 700 रंगाई इकाइयों को बंद कर दिया गया है। इसका यह कारण बताया गया है कि इन इकाइयों द्वारा प्रवाहित प्रदूषित जल का शोधन किया जाना चाहिए और इसमें लवणता का प्रतिशत शून्य होना चाहिए।

औद्योगिक प्रदूषित जल का शून्य टी.टी.एस. लवणता तक शोधन करना व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं है। सामान्य पेयजल में भी लगभग 200 से 300 टी.टी.एस. लवणता होगी। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के अलावा देश के अन्य राज्यों में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों में शून्य टी.टी.एस. लवणता की कोई शर्त नहीं है। अत: मैं संघ सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और तमिलनाडु राज्य सरकार को निदेश दे कि वह यह मामला चैन्ने उच्च न्यायालय के साथ उठाए। राज्य सरकार न्यायालय को यह आश्वासन दे कि औद्योगिक प्रदूषित जल के पुर्नचक और इसमें न्यूनतम टी.टी.एस. लवणता स्तर बनाए रखने तथा इसे पाइपलाइनों के माध्यम से समुद्र में प्रवाहित करने के लिए परिकल्पित योजना की निगरानी करेगी और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। उपरोक्त कदमों को तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा तिरुपुर की 700 रंगाई इकाइयों को बचाने के लिए लिया जाना है। अत: मैं संघ सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तिरुपुर के समग्र वस्त्र उद्योग और इसके कामगारों को बचाए तथा किसानों की उर्वर भूमि का संरक्षण भूमि जल को प्रदूषण मुक्त करे।

केन्द्र सरकार ने तिरुपुर में जल शोधन संयंत्र हेतु निधियां उपलब्ध कराई हैं। इस योजना के संबंध में भारत सरकार के माननीय कपड़ा मंत्री तथा तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री द्वारा एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था। तथापि, अब तक निधियां का संवितरण नहीं किया गया है और यह अभी तक बैंकों में जमा है। यह निश्चित है कि आवंटित निधियों के संवितरण हेतु अपेक्षित गारंटी उपलब्ध है। यह निंदनीय है अत: मैं संघ सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तिरुपुर में जल शोधन संयंत्र की स्थापना हेतु आबंटित निधियों के शीघ्र संवितरण के लिए आवश्यक कदम उठाए।

समान्य बजट 2011-12 में सरकार ने अन्त: वस्त्रों जैसे सिले-सिलाए वस्त्रों पर 10 प्रतिशत केंद्रीय शुल्क की घोषणा की है। इससे कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई कपास तथा धागे की कीमतों तथा वहां बंद पड़ी रंगाई की इकाइयों के कारण विद्यमान स्थिति तिरुपुर के वस्त्र उद्योग पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।

खाद्य मुद्रास्फीति ने आम आदमी को काफी प्रभावित किया है। 1 रुपए प्रति किलोग्राम पर चावल किए जाने की योजना है। तथापि, नमक का मूल्य 9 रुपए प्रति किलोग्राम है। चीनी, दालों आदि की कीमतों में कई गुणा वृद्धि हुई है। क्या कोई व्यक्ति केवल चावल खाकर जीवित रह सकता है? पोषण संतुलित होना चाहिए। अत: केंद्र सरकार को तेजी से बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति तथा आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करना चाहिए।

आवास एक बुनियादी सुविधा है। पिछले वर्ष सीमेंट की कीमत 135 रुपए प्रति बोरी थी। अब सीमेंट की कीमतें लगभग दुगुनी होकर 290 रुपए प्रति बोरी है। देश में सीमेंट उत्पादक सिंडिकेट बना लेते हैं। वे सीमेंट की कृत्रिम कमी की स्थिति बनाते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं। आम आदमी देश के सीमेंट उत्पादकों के ऐसे सिंडिकेटों से काफी प्रभावित हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि सरकार इस पहलू की जांच क्यों नहीं करती है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करती है। सरकार को सीमेंट की बढ़ती कीमतों को भी नियंत्रित करना चाहिए।

सामान्य बजट 2011-12 में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी. लैड्स) के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। संसद सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। संसद सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं के साथ ही वहां के गांवों एवं शहरों में विद्यमान समस्याओं की जानकारी होती है। लोग पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सड़क, विद्यालय भवन, राशन की दुकान आदि जैसी अपनी बुनियादी एवं दैनंदिन समस्याओं के हल की मांग उसी संसद सदस्य से करते हैं जिनके लिए उन्होंने मतदान किया है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो जब कभी भी संसद सदस्य उनके गांवों का दौरा करते हैं वे अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आगामी चुनावों में वे उन्हें ठुकरा देते हैं।

संसद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को अधिकारियों से बेहतर समझते हैं। जब कभी कोई संसद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकारी अधिकारियों के पास जाते हैं, वे तत्काल आवश्यक कदम नहीं उठाते हैं। ये अधिकारी संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण के अंदर होते हैं और वे संसद सदस्यों की बात नहीं सुनते, इसलिए संसद सदस्यों के पास एकमात्र साधन एमपीलैड्स ही है। जब किसी संसद सदस्य द्वारा एमपीलैड्स के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाता है तो लोगों को कुछ संतोष होता है कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया गया और उन्हें पूरा किया गया है।

इन योजनाओं के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में विधायकों को 2 करोड़ रुपए का आबंटन किया जाता है। तथापि, 2 करोड़

रुपए की ही राशि संसद सदस्य को उसके निर्वाचन क्षेत्र के लिए आबंटित की जा रही है, जिसमें कि 6 विधान सभा क्षेत्र होते हैं। एमपीलैड्स के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए की इस अल्प राशि से संसद सदस्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस राशि को बढ़ाकर तत्काल 15 करोड़ रुपए किया जाए। मैं विभिन्न कार्यों के लिए एमपीलैड्स निधि के उपयोग/आबंटन में कुछ शर्तें भी लगाने का सुझाव देना चाहता हूं। संसद सदस्य को निधियों के लगभग 75 प्रतिशत का आबंटन इस प्रकार करने की अनुमति दी जा सकती है कि 25 प्रतिशत आबंटन सड़क परियोजनाओं के लिए, 10% आबंटन पेयजल के लिए, 10% विद्युत सुविधाओं के लिए, 10% विद्यालय भवनों के लिए तथा 10% आबंटन एस.सी./एस.टी. की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाए। संसद सदस्य को निधियों के शेष 25 प्रतिशत भाग का उपयोग किसी भी अन्य उपयुक्त परियोजना के लिए करने की अनुमति दी जाए, इससे लोगों को हर तरह से लाभ होगा। इससे लोगों तथा संसद में उनके प्रतिनिधि संसद सदस्य के बीच संबंध सुदृढ़ होगा। एमपीलैड्स में इतनी वृद्धि से सरकार को लगभग 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय करना पड़ सकता है। तथापि, यह देश के कुल बजट व्यय की तुलना में काफी कम होगा। इसलिए मैं पुनः सरकार से अनुरोध करता हूं कि एमपीलैड्स निधि को वर्तमान 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए कर दिया जाए तथा संसद सदस्यों को समर्थ बनाया जाए ताकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सकें।

केंद्र सरकार को लोगों को मतदान के लिए नकदी देने, अनुपयोगी मुफ्त योजनाओं की घोषणा तथा क्रियान्वयन आदि के लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विजय बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर विचार रखने का समय दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं टंडन जी का बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा यू.पी.ए. सरकार का सिंहासन हिल रहा है।

मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जिस आसन पर सिंह बैठता है, वह हिलता नहीं, बल्कि उस आसम का सम्मान बढ़ता है। डॉ. मनमोहन सिंह, जो हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं, आज वह यू. पी.ए. सरकार के सिंहासन पर बैठे हैं तो स्वयं प्रधानमंत्री की छवि इस देश और विदेश में बढ़ी है और इस देश का सम्मान विश्व में बढ़ा है, जिसका श्रेय हमारे प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी को जाता है। लड़खड़ाती और अनिश्चित जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है और जो आयात करने वाले वस्तुओं के दाम इस वक्त बढ़े हुए हैं, इसके बावजूद प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को इसका श्रेय देना चाहिए कि विकास दर बढ़ रही है वित्तीय घाटा कम हो रहा है। आज हमारे देश में कृषि का उत्पादन बढ़ा है, उद्योगों का उत्पादन बढ़ा है और हम जो निर्यात करते हैं, वह निर्यात आज 26 परसैन्ट बढ़ा है। यह सरकार की दूरदृष्टि है कि गांधी जी का सपना साकार करने के लिए गांव-गांव में स्वराज पहुंचाने के लिए आज इस बजट का जो फोकस है, वह किसान, कृषि और ग्रामीण विकास पर है। आज 3 लाख 75 हजार करोड़ के बजाय 4 लाख 75 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, ताकि हमारे विकास पर है। किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। आज जो किसान समय पर ऋण देते हैं, उन किसानों के लिए ब्याज की दर मात्र चार प्रतिशत तय की गई है। जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, उसके लिए 7,800 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है। नाबार्ड का कैपिटल पांच हजार करोड़ रुपये किया गया है। यह सब इस सरकार की दूरदृष्टि है और यह आम आदमी के लिए राहत देने वाली सरकार है।

महोदय, मैं सरकार की कुछ उपलब्धियों के बारे में कहना चाहूंगा। जो हमारे संसद सदस्य हैं, जो अपने-अपने लोक सभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। वह स्वीकार करेंगे कि अगर आज भारत के गांवों में विकास हो रहा है, कही प्रकाश है तो वह केवल केन्द्रीय योजनाओं की वजह से है, जो केन्द्र सरकार ने हमारे देश को दे रखी हैं। आज जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी स्कीम्स हैं, चाहे भारत निर्माण हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, नरेगा हो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो, इन सबमें बहुत धन आ रहा है। आज हमारी सोशल रिस्पांसिबिलिटी स्कीम्स में बजट का 38 परसैन्ट खर्च हो रहा है। साढ़े बारह लाख करोड़ के बजट में करीब 38 परसैन्ट हमारे इन क्षेत्रों के विकास के लिए जा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत यह है कि जो राज्य सरकारें हैं, मैं आपको अपने अनुभव से बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो केन्द्रीय योजनाएं हैं, उनका लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है। चाहे वह मनरेगा हो, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना आदि हो। हम लोग जब समीक्षा बैठक करते हैं तो देखकर खेद होता है कि राज्य सरकारें सैंट्रल फंड्स का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजती हैं, जिसकी वजह से उन्हें दूसरी किस्त नहीं मिलती हैं। मैं चाहूंगा कि जितनी भी सैंट्रली स्पांसर्ड स्कीम्स हैं, जिसमें जे.एन.एन.यू.आर.एम. भी आता है, उसकी समीक्षा बैठक बुलाने का अधिकार हर सांसद को होना चाहिए, सारी केन्द्रीय योजनाओं का और जे.एन.एन.यू.आर.एम. की समीक्षा का भी अधिकार सांसदों को होना चाहिए। हमने जब उत्तराखंड की सरकार को पत्र लिखा कि देहरादून में हो रहे जे. एन.एन.यू.आर.एम. के कार्यक्रमों की मैं समीक्षा बैठक करना चाहता

हूं तो उन्होंने कहा कि यह प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ऐसा प्रावधान करें कि जितनी भी ऐसी केन्द्रीय योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा बैठक बुलाने का अधिकार हमारे सांसदों को होना चाहिए। जनता तो गुमराह कर राज्य सरकारें केन्द्रीय योजनाओं को अपना बताकर नए नाम दे रही है।

इसके अलावा जो अनुसूचित जातियां हैं, उनका जो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का पैसा है, वह आज उत्तराखंड ने चालीस प्रतिशत भी खर्च नहीं हो रहा है, केन्द्र से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का पैसा जाता है। हम वित्त मंत्री जी को बधाई देंगे कि उन्होंने एस. सी. और एस.टी. सब-प्लान में 283 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हमारी आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता काम कर रही हैं, उनका वेतन बढ़ाया है। जितने हमारे कार्यक्रम हैं, उनकी देख-रेख में उत्तराखंड एक स्पेशल स्टेटस स्टेट है। हम प्रधान मंत्री जी को बधाई देंगे कि उन्होंने 5800 करोड़ रुपये स्पेशल स्टेट्स के लिए रखे हैं।

महोदय, उत्तराखंड के बारे में मैं इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं वहीं से आता हूं, वह पिछड़ा क्षेत्र है, वहां 70 प्रतिशत जंगल है। पूरे हिमालय राज्यों के प्रदेश पर्यावरण को बचाने के लिए आज जंगलों की रक्षा कर रहे हैं, उनका रख-रखाव कर रहे हैं। इसलिए केन्द्र सरकार को पर्वतीय राज्यों को जंगलों के रख-रखाव के लिए कुछ स्पेशल सहयोग देना चाहिए। क्योंकि यदि हम वनों के क्षेत्र में कार्य नहीं कर पायेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे उस राज्य का विकास अवरुद्ध होगा। जो पैसा केन्द्र सरकार आज राज्यों को स्पेशल स्टेटस में दे, वहां पर्यटन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड ऐसा राज्य है, जिसमें पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सभापति महोदय, हम आपको आमंत्रित करेंगे, आप टिहरी आइये और देखिये कि वहां 70 किलोमीटर लम्बी और हजार फीट गहरी झील है, जिसे वहां की राज्य सरकार ने पर्यटन ने पर्यटन से जोड़ने का कार्य नहीं किया।

इसके फलस्वरूप सारे प्रभावित क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ रही है और राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है। स्पेशल स्टेट्स की जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग होती है, टूरिज्म मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर को देखना चाहिए कि जिन राज्यों में टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है, वहां उनके साथ मिलकर प्लान बनायें और इस झील को विकास से जोड़ें ताकि लोगों का जीवन अच्छा हो सके। हमारे यहां चार एयरपोर्ट्स हैं, एक पिथौरागढ़ में है, एक पंतनगर में है, एक चिन्याली सौड़ में और एक गोचर में है। चारों एयरपोर्ट्स को राज्य सरकार बेहाल छोड़े हुए है। अगर केंद्र सरकार उसमें पहल करें, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी अगर ये हमारी चारों हवाई पट्टियां एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़ जायें तो निश्चित तौर पर पर्यटन बढ़ेगा। वहां टूरिस्ट जायेंगे और उस क्षेत्र की इकोनॉमी की विकास होगा।

महोदय, लोहाडी नागापाला पर्यटन के अलावा जल विद्युत परियोजना हमारे विकास की रीड की हड्डी है। जिन परियोजनाओं को पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति मिल गयी थी, जिन परियोजनाओं की सारी स्वीकृति हो गयी थी, जहां पब्लिक सेक्टर एन.टी.पी.सी. काम कर रहा था, वहां उनको विवाद में डालकर, क्षेत्रीय भावना, धार्मिक भावनाओं को भड़काकर रोका जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में जितनी भी नदियां बह रही हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका मान करते हैं, लेकिन अगर पर्वतीय क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं को विवाद में डालेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारे पर्वतीय राज्य हैं, वे सब विकास की दौड़ में बहुत पीछे हो जायेंगे। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे उत्तराखंड में इतनी भयंकर दैवीय आपदा आयी, जिसका कोई कोई भूतपूर्व उदाहरण नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 600 करोड़ रुपये राज्य सरकार को स्वीकृत किये, 600 रुपये की राहत तत्काल दी गयी। आज वास्तविक स्थिति यह है कि पहाड़ों में बाढ़ आती है तो खेत कट जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आती है तो खेत और उपजाऊ हो जाते हैं। जिनके खेत कट गये, फसलें कट गयीं, मकान तबाह हो गये, लेकिन आज तक उन्हें राज्य सरकार से मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को आपने 600 करोड़ रुपये उत्तराखंड को दिये हैं, उनकी मानीटरिंग कीजिए और वहां जाकर एक समीक्षा बैठक कीजिए। यदि राज्य सरकार को और धन की आवश्यकता हो तो राज्य सरकार को और सेंट्रल ऐड आप दीजिए ताकि कैलामिटी से वहां जो नुकसान हुआ है, उसे पूरा किया जा सके।

महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि जो हमारा लक्ष्य है, यू.पी.ए. सरकार का जो लक्ष्य है, कि एल.पी.जी. पर खाद पर, कैरोसीन पर जो सब्सिडी है इसे सीधा धारकों को पहुंचाया जाये। अगर यह कार्य हो जाता है, जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं तो एक बहुत व्यापक भ्रष्टाचार जो इस क्षेत्र में है, वह खत्म हो सकता है और लोगों को सही में राहत मिल सकती है। हम आशा कर रहे हैं कि यह सरकार फूड सिक्योरिटी बिल बिना विलंब के लायेगी। हम प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का स्वागत करते हैं, उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है कि अगले मानसून सत्र में हम फूड सिक्योरिटी बिल लायेंगे। हमारी सरकार, यू.पी.ए. की जो नेता हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारी कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, वह यह है कि अंतिम गांव में जो अंतिम आदमी रह रहा है, उस तक हम किस तरह विकास को पहुंचा सकते हैं? राज्य सरकारों के सहयोग की आवश्यकता है और बिना राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की मदद के इस देश का जो कायापलट होना है, वह संभव नहीं होगा।

मैं अपने वित्त मंत्री जी के कुछ अनुरोध जरूर करूंगा कि उन्होंने पैरा 186 में जो हॉस्पीटल्स पर टैक्स लगाया है कि जो

डायग्नोस्टिक सेंटर्स है और जो छोटे अस्पताल हैं, उन पर जो उन्होंने सर्विस टैक्स लगाया है, इसके लिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इससे आपने मिडिल क्लास को हिट किया है। जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, उनमें अभी इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं कि वहां पर इमरजेंसी में या परेशानी की हालत में लोगों का इलाज हो सके। इसलिए डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर आपने जो कर लगाया है, इस सर्विस टैक्स को आप हटा दीजिए। आपने जो वकीलों पर सर्विस कर लगाया है, मेरे मित्र विजय बहादुर सिंह जी भी वहां बैठे हैं, आपने वकीलों पर सर्विस टैक्स लगा दिया है कि जो वकील किसी फर्म को एडवाइज करेगा या जो वकील आर्बिट्रेशन में बहस करेगा, उसे सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। जो वकील कौम है, वह भी एक तरह से समाज सेवा में रहती है। आप देख रहे हैं कि कोर्ट और ज्यूडिशियरी आज वकीलों के जरिये हमारे प्रजातंत्र में गंदगी को कैसे दूर कर रहे हैं, इसलिए मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि जो वकीलों पर सर्विस टैक्स लगाया जाता है, इसे हटाया जाये। हाई कोर्ट की 289 वेकेंसीज हैं, ह एरियर्स की बात करते हैं, 289 हाई कोर्ट जजेज की वेकेंसीज हैं और हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था पर जो न्यायपालिका पर खर्च होता है, वह मात्र जी.डी.पी. का एक परसेंट है, जो विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है।

मैं प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जुडिशियल सिस्टम को और अधिक सक्रिय और जागरूक बनाया जाए ताकि केसेज जल्दी तय हो सकें और आसानी से लोगों को न्याय मिल सके। जुडिशियरी के बजट को बढ़ाए और ज्यादा जजेज की नियुक्ति मजिस्ट्रेट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में करें।

महोदय, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। यह जो हमारा बजट है वर्ष 2011-12 का, यह हमारे देश को आगे ले जाएगा जो हमारे नौजवानों के लिए प्रेरणा बनेगा।

महोदय, मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में जरूर एक बात मैं कहना चाहूंगा। कल महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, महिला साथी यहां पर बैठी हुई हैं। महिलाओं को इन्कम टैक्स में जरूर हमने ज्यादा छूट मिलनी चाहिए। और वह एक सम्मान होगा कि महिलाओं के लिए आप इन्कम टैक्स में छूट और बढ़ा दीजिए उनको ज्यादा छूट दीजिए। मैटरनिटी लीव को आप थोड़ा और बढ़ा दीजिए ताकि शिशुओं की बढ़िया देखभाल हो सके। मैं बजट का समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। इन्हीं के शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):** सामान्य बजट की ओर पूरे देश की जनता बड़ी उत्सुकता से देखती है। इसमें जहां एक ओर महंगाई कम होने की प्रतीक्षा करती, वहीं आयकर की सीमा बढ़ाए जाने की आशा भी करती है। स्वास्थ्य सुविधाएं कृषि एवं शिक्षा के क्षेत्र दी जाने वाली छूट के प्रति भी निगाहें लगी रहती हैं किन्तु इस बजट ने समाज के सभी वर्गों को घोर निराशा ही दी है। आम आदमी की नाराजगी बढ़ी है। छोटे कारोबारी निराश हुए हैं। गरीबों को कुछ भी नहीं किया गया। विशाल असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के सवाल को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। कृषि के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। किसान को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में नहीं सोचा गया बस ऋण लेने को प्रेरित किया है जो 5 प्रतिशत नहीं चुका सकते वह 3 प्रतिशत में कैसे चुका पाएंगे। कृषि क्षेत्र में पैदावार बढ़ाने की कोई योजना ही नहीं है। जब उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो मौजूदा महंगाई में कमी आसानी से नहीं आएगी। पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि से महंगाई बढ़ी है। बजट में पैट्रोल टैक्स कम करने को कुछ नहीं है। गतवर्ष सरकार ने पैट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर लोगों से एक लाख करोड़ की वसूली की है।

स्वास्थ्य सेवा के लिए आवंटन तो बढ़ाया किन्तु अस्पतालों में ए.सी. कमरों पर 10 प्रतिशत सेवा कर लगा दिया जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी। कई बीमारियों में मरीज को मजबूरी में एयरकंडीशन रूम में रखा जाता है। ऐसे में यह टैक्स न्यायोचित नहीं है। बी.पी.एल. कार्डधारियों को रसोई गैस डीजल, कैरोसीन पर मिलने वाली सब्सिडी खातों में ट्रांसफर होगी। ऐसे में नगद सब्सिडी लेकर दोगुना ज्यादा कीमत पर गैस सिलेन्डर बेच दिया जाएगा। इस विसंगति को नजरअंदाज कर दिया गया है।

सरकारी खर्चों में कमी लाने के कोई उपाय नहीं किए गए हैं। सब्सिडी में कटौती कर और राजस्व बढ़ाकर राजकोषीय घाटे में कमी तो दिखाई जा सकती है लेकिन वास्तव में लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का आश्वासन तो दिया लेकिन कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो केवल चिंता जता देने से क्या होने वाला है। जनता को आशा थी कि यथोचित प्रशासनिक सुधार से भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश होगी लेकिन सरकार ने तमाम योजनाओं में सिर्फ बजट आवंटन बढ़ाया है। बजट ईमानदारी से खर्च हो इसके लिए कुछ नहीं किया गया। काले धन की वापसी के लिए भी सरकार ने निराश ही किया है जबकि विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए सारे देश में जोरदार अपील उठ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं इस धन की वापसी से देश को विकास के मार्ग आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष में की गई आवंटित राशि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। एक ओर सरकार बच्चों के अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के मानकों को संशोधित करने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर इस अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए बजटीय आवंटन उपलब्ध नहीं करा रही। स्पष्ट कि सरकार का ध्यान न तो प्राथमिक शिक्षा की ओर न ही उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने पर।

मनरेगा के लिए आवंटन पिछले साल के बराबर 40,000 करोड़ पर ही बरकरार रखा है जबकि वास्तविकता यह है कि यह राशि बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा नहीं पहुंचने से काम नहीं हो रहे हैं तथा ग्रामीण जन रोजगार के अभाव में शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। अतः इस पर पुनर्विचार कर आवंटन कम से कम दुगना करना चाहिए।

मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ छतरपुर में पिछले 9-10 वर्षों से सूखे की स्थिति बनी हुई है। इस वर्ष भी बारिश बहुत कम होने से जहां सभी फसलें नष्ट हो गई हैं वहीं पेयजल का भी गंभीर संकट खड़ा हो गया है। अतः बुन्देलखंड पैकेज के अंतर्गत जहां लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का जाल बुन्देलखंड के इन दोनों जिलों में बिछाने की आवश्यकता है वहीं डेम की बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को बनाने की पहल करने की भी जरूरत है। इस तरह के कदम उठाने से ही किसान संकट के दौर से उबर सकेगा तथा जमीन का जल स्तर भी डेमों से पानी का भराव होने के कारण बढ़ जाएगा जिससे जहां एक ओर किसान आत्मनिर्भर बनेगा वहीं मजदूरों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे तथा पीने की समस्या भी खत्म हो सकेगी। नदियों को आपस में जोड़ने की योजनान्तर्गत केन बेतवा नदी को जोड़ने का कार्य प्रथम चरण में शामिल किया गया। अभी इसे बुदेलखंड पैकेज से कराने की स्वीकृति दी गई है तथा 90 प्रतिशत राशि भी बुन्देलखंड पैकेज से दी जाएगी किन्तु इस कार्य की समय सीमा निर्धारित करके केन बेतवा नदी जोड़ी अभियान को शीघ्र प्रारम्भ करके पूरा किया जाना चाहिए। यह योजना बुन्देलखंड की जीवनदायिनी योजना के रूप में जानी जाएगी।

केन्द्र सरकार प्रस्तावित केन्द्रीय कृषि विश्व विद्यालय के लिए मध्य प्रदेश सरकार छतरपुर जिले के नौगांव तथा टीकमबढ़ दोनों स्थलों पर जगह देने को तैयार है। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के नौगांव अथवा टीकमगढ़ इन स्थानों में से ही किसी एक जगह पर खोलने की स्वीकृति देना चाहिए। इससे बुन्देलखंड में शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा तथा कृषि के क्षेत्र में भी उन्नति होगी। लोगों की रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।

देश में अभी भी बहुत से स्थान शेष है जहां सेन्ट्रल स्कूल प्रारंभ नहीं हुए हैं। टीकमगढ़ भी ऐसा जिला है जहां पर जिला प्रशासन ने स्थान प्रस्तावित कर दिया है तथा अस्थायी रूप से प्रारम्भ करने डाइट का भवन एवं नगर पालिका का नया भवन बतलाया है। अतः केवल सेन्ट्रल के केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारियों को स्थल चयन की अंतिम स्वीकृति देकर तथा भवन मरम्मत को सेन्ट्रल फंड से राशि आवंटित कर शीघ्र ही नए सत्र से टीकमगढ़ में सेंट्रल स्कूल प्रारम्भ करना चाहिए ताकि वहां के छात्र भी इस स्कूल में अध्ययन की सुविधा का लाभ ले सकें।

जहां तक भारत निर्माण की बात है सरकार ने बजट में इस मद में 10,000 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी की है जोकि बहुत कम है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य बहुत ही अच्छा हुआ है, किन्तु लंबे समय से मांग के अनुरूप पैसा नहीं दिया जा रहा है। इस महत्वकांक्षी योजना को बगैर किसी राजनैतिक पूर्वाग्रह के राज्यों की मांग अनुरूप पैसा दिया जाना चाहिए। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जिस गतिशीलता से कार्य होना है वह आवंटन की कमी से पिछड़ रहा है। इंदिरा आवास योजना आज भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से अभी भी बहुत बड़ी संख्या में गांव छूटे हैं जो पहाड़ों एवं पहाड़ियों पर बढ़े हैं वहां से उतरकर दूर-दूर से पानी ला रहे हैं। अतः वहां विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है। त्वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम से अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। भारत निर्माण तभी सफल होगा जब देश क बेरोजगारों को रोजगार के असवर उपलब्ध होंगे। मरीज को दवा, छतविहीन गरीब को मकान, फटेहाल फुटपाथी को कपड़े, दूरस्थ स्थानों पर भी शिक्षा के समुचित अवसर मिलेंगे।

[अनुवाद]

***डा. मिर्जा महबूब बेग** (अनंतनाग): माननीय वित्त मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत सामान्य बजट की दोनों पक्षों द्वारा सराहना एवं आलोचना की गई। सच्चाई यह है कि इस बजट में कुछ काफी अच्छी बातें हैं और ये हैं 2.50 लाख रुपए की वार्षिक आय तक के लिए कोई कट नहीं तथा कर लाभों के लिए वरिष्ठ नागरिकों की आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी गई है और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एक विशेष खंड है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों को म्युचुअल फंड योजनाओं में निवेश करने की अनुमति दी गई है; सेवा तथा उत्पाद शुल्क 10% है; केरोसिन, उर्वरकों तथा एल.पी.जी. पर सीधे नकद राजसहायता

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

तथा किसानों को 30% ब्याज राजसहायता - ये बजट की कुछ बड़ी सकारात्मक बातें हैं।

मध्यपूर्व और उत्तरी अफ्रीका में विद्यमान संकट की स्थिति से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और हमारी आर्थिक प्रगति में बाधा पहुंच सकती है। लीबिया में हिंसा शुरू हो गई है जिसके कारण तेल की कीमतें 120 डालर प्रति बैरल पहुंच गई हैं। क्या इसको ध्यान में रखा गया है और क्या इस प्रकार की संकट की स्थिति का सामना करने के लिए आकस्मिकता संबंधी कोई योजना है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2011 में रेलवे, विद्युत तथा सड़कों की अवसंरचना परियोजनाओं में प्रगति की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। इसमें यह कहा गया है 559 केंद्रीय परियोजनाओं में से 293 परियोजनाएं विलंब से चल रही हैं, 117 परियोजनाएं लक्ष्य के अनुसार चल रही हैं और 14 परियोजनाएं समय अनुसूची से आगे चल रही हैं। यह एक खराब स्थिति को दर्शाता है।

वित्त मंत्री महोदय, आप इन तीन बड़ी बुराइयों का सामना किस प्रकार करेंगे जो मिलकर आपके इस अच्छे बजट के इष्ट लक्ष्यों को नष्ट कर देंगी। ये तीन बड़ी बुराइयां हैं दानवाकार भ्रष्टाचार, काला धन तथा खराब सेवा प्रदायगी प्रणाली। यदि आप इन बुराइयों का सीधे मुकाबला नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि आप वहां नहीं पहुंच सकेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं।

अगर लोकपाल विधेयक को अधिक प्रभावी बनाया जाए तथा पुलिस सुधारों को लागू किया जाए, तो क्या अधिक पारदर्शी तथा अधिक जिम्मेदार सरकार इसे पूरा कर सकती है। क्या आपका अनुभव, आपकी संकल्पशक्ति, आपकी क्षमता मिलकर भ्रष्टाचार नामक इस खतरे का मुकाबला कर सकती है? मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और यह देश उत्सुकतापूर्वक यह प्रतीक्षा कर रहा है कि यह बजट वास्तव में अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके।

[हिन्दी]

***श्री सतपाल महाराज** (गढ़वाल): बजट 2011-12 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है और आज सारे विश्व की नजर भारतीय अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित है। वैश्विक मंदी के दौर में जब सारे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं स्लो-डाउन के दौर से गुजर रही हैं ऐसे में माननीय यू.पी.ए. चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की दूरदर्शी, स्पष्ट, कुशल और सुविचारित नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था स्लो-डाउन के दौर में भी विकास कर रही है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया वह जनसाधारण, ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। मुझे आशा है कि हमारे देश की महिलाएं, बालक और हमारे देश का आधार हमारे किसान भाई इस बजट से लाभान्वित होंगे, उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, जिससे राष्ट्र का विकास होगा साथ ही सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ेगा।

भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित देश है और सरकार द्वारा देश के विकास के लिए बजट में जो नीतियां बनाई गईं हैं वह ग्रामीण परिवेश को ही दृष्टिगत रखकर बनाई गई हैं। हमारे गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल तथा रोजगार के अवसर मुहैया करवा दिए जाएंगे तो हमारे देश का विकास शीघ्रता से होगा।

मैं सरकार द्वारा आर्थिक संकट से जूझ रहे 3 लाख हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए नाबार्ड को बजट 2011-12 में 3 हजार करोड़ उपलब्ध करवाने, आवास क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए 1 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता की मौजूदा योजना को मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 25 लाख करने, दलहन ग्रामों को प्रोत्साहित करने के लिए 300 करोड़ का प्रस्ताव करने, मोटे अनाजों के अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनकी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के उन्नयन और उनसे स्वास्थ्य हो होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु 300 करोड़ के प्रावधान के लिए, दूध के सतत उत्पादन के लिए त्वरित चारा विकास कार्यक्रम के लिए 300 करोड़ मुहैया वाने तथा 2011-12 में 15 और मेगा फूड पार्कों की स्थापना के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

सरकार द्वारा कालेधन बनाने और उसके इस्तेमाल पर गंभीर चिंता व्यक्त करना सरकार की कालेधन के प्रति सोच का परिचायक है। इस समस्या के कारगर तरीके से निपटने के लिए सरकार द्वारा पांच सूत्री कार्य योजना लागू किया जाना एवं स्वापक औषधियों का अवैध व्यापार भी काले धन का एक बहुत बड़ा जरिया बताना तथा इस अवैध व्यापार और मनोचिकित्सीय पदार्थों के निवारण नियंत्रणों को कठोर बनाने के लिए, सरकार द्वारा निकट भविष्य में व्यापक राष्ट्रीय नीति घोषित करने का प्रस्ताव स्वागत योग्य कदम है।

सरकार द्वारा करीब 22 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों का मेहनताना बढ़ाकर क्रमशः 1500 रुपये से 3 हजार एवं 750 रुपये से 1 हजार पांच सौ रुपये करने के लिए मैं सरकार का आभार प्रकट करता हूं।

गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की स्मृति में विश्व-बंधुत्व के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये के अंतर्राष्ट्रीय

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पुरस्कार की स्थापना हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का परिचायक है। आज जब लगभग पूरा विश्व आतंकवाद का सामना कर रहा है, ऐसे में विश्व-बंधुत्व के मूल्यों की स्थापना संपूर्ण विश्व में प्रासंगिक हो गई है।

देशवासियों को बैंक खाते खोलने के लिए सूचित, शिक्षित एवं अभिप्रेरित करने हेतु मल्टी मीडिया "स्वाभिमान" शुरू करने, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के तहत व्यक्ति अर्हता 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने, वन संरक्षण तथा वनरोपण के लिए दस वर्षीय महत्वकांक्षी स्कीम भारत मिशन शुरू करने के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा विशेष राज्यों में विकास को बढ़ाने के लिए बजट में विशेष सहायता आबंटन 8 हजार करोड़ करने के लिए भी सरकार की पहल का मैं स्वागत करता हूं।

भ्रष्टाचार से निपटने के उपायों के लिए एक मंत्री समूह का गठन भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रति सरकार की कटिबद्धता का द्योतक है।

वैयक्तिक करदाताओं की सामान्य श्रेणी के लिए छूट सीमा 1 लाख 60 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार करने के लिए, वरिष्ठ नागरिक अर्हक आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने के लिए, 80 वर्ष की आयु वाले एवं उससे अधिक आयु वालों के लिए एक नई श्रेणी सृजित करने के लिए जिसमें उच्चतर कर छूट सीमा 5 लाख रखने के लिए, मैं सरकार को बधाई देता हूं।

मैं सरकार के सम्मुख अपने कुछ निम्न प्रस्ताव रख रहा हूं। आशा करता हूं सरकार इन पर गौर करेगी:

* पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तराखंड राज्य विकास दर में पिछड़े हैं, यहां विकास दर तीव्र करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम सुनिश्चित करने चाहिए।

* उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक अलग केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए।

* जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र जहां जम्मू एवं श्रीनगर, शिमला एवं धर्मशाला तथा मुम्बई एवं नागपुर में क्रमशः जिस प्रकार दो स्थानों पर विधान सभा के सत्र आहूत होते हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड राज्य में भी देहरादून के अतिरिक्त गैरसैंण में विधान सभा का ग्रीष्म कालीन सत्र आहूत होना चाहिए।

* पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तराखंड राज्य में मूलभूत ढांचे का अभाव है, पेयजल, स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है।

* उत्तराखंड राज्य में सड़कों का अभाव है, अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं साथ ही वहां वैकल्पिक मार्गों के निर्माण के लिए सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

* पर्वतीय राज्यों जैसे उत्तराखंड में सिंचाई व्यवस्था का अभाव है। वहां के पानी के स्त्रोत सूख रहे हैं, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

* उत्तराखंड राज्य में 68 प्रतिशत वन है, पर्यावरण की दृष्टि से वनों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार को विशेष आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

* पर्वतीय राज्यों में कृषि, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य, उद्योग, सिंचाई, पेयजल, दूरसंचार, सड़क के लिए मैदानी राज्यों की अपेक्षा अलग से योजना तैयार कर क्रियान्वित की जानी चाहिए।

* पर्वतीय राज्यों में शिक्षा का भी एक गंभीर विषय है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, तकनीकी, रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए।

* पर्वतीय राज्यों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं इनके विकास के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चमोली जिले के देवाल में स्थित लाटू देवता, टिहरी जिले के देवप्रयाग के लोस्तूपट्टी में घंटाकरण देवता, मां चन्द्रबदनी, पौड़ी जिले में डांडा नागराजा और ज्वालपा, रूद्रप्रयाग जिले में काली मठ एवं कार्तिकेय स्वामी आदि ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिन्हें धामों की तरह विकसित करने पर तीर्थ पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है।

* महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत जिस प्रकार चंडीगढ़ में 174 रुपये, हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में 150 रुपये तथा अंडमान निकोबार में 170 एवं 181 रुपये की दर से पारिश्रमिक का दैनिक भुगतान किया जाता है। उसी प्रकार विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड राज्य में भी महात्मा गांधी नरेगा के तहत भुगतान की दर बढ़ाकर 181 रुपये दैनिक की जानी चाहिए।

* उत्तराखंड राज्य के शिक्षामित्रों का नियमितीकरण होना चाहिए। देशभर में ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर रहे

देशभर के शिक्षामित्रों विशेषकर उत्तराखंड राज्य के शिक्षामित्रों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देहरादून में अपने नियमितिकरण की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में ये शिक्षामित्र 28 फरवरी, 2011 को शांतिपूर्वक धरना एवं प्रदर्शन कर रहे थे तो राज्य सरकार द्वारा इन पर जमकर लाठियां बरसवाई गईं एवं तेज पानी की बौछार करवाई गई, जो बेहद खेदजनक एवं निंदनीय है।

शिक्षामित्रों द्वारा गत 10 वर्षों से नियमितीकरण की मांग की जा रही है। इन शिक्षामित्रों को नियमित करने के लिए द्विवर्षीय बी.टी.सी. प्रशिक्षण का रास्ता निकाला गया था। परंतु अब एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी नई गाइडलाइन्स के तहत शिक्षामित्रों को वर्किंग टीचर मानते हुए सीधे नियमित करने की अनुमति दे दी गई है। इसलिए विभिन्न स्कूलों में कार्यरत शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालय में ही सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति मिलनी चाहिए।

आज जब उत्तराखंड के ये शिक्षामित्र अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने गए तो उत्तराखंड सरकार ने उन पर लाठियां भंजवाई, उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। अपने नियमितीकरण की मांग उनका अधिकार है, परंतु मांग पर लाठियां भंजवाना अन्याय है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तराखंड सरकार को निर्देशित करे कि वह राज्य में कार्यरत शिक्षामित्रों के नियमितीकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करे।

* उत्तराखंड राज्य के प्रशिक्षित एस.एस.बी. गुरिल्लाओं के समायोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को निर्देशित किया जाना चाहिए। पिछले लगभग 5 वर्षों से गुरिल्ला एस.एस.बी. में अपने समायोजन के लिए शांतिपूर्वक धरने, प्रदर्शन कर रहे हैं। परंतु उत्तराखंड के इन प्रशिक्षित गुरिल्लाओं का समायोजन अभी तक संभव नहीं हो पाया है जिससे इनके परिवार के भरण पोषण में कठिनाईयां आने लगी हैं तथा इनके बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय होता जा रहा है।

हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 4 अगस्त, 2010 को उत्तराखंड में एस.एस.बी. गुरिल्लाओं हेतु एक शासनादेश जारी किया था तथा उक्त शासनादेश से गुरिल्लाओं एवं उनके परिवार में खुशी का माहौल पैदा हुआ तथा इस पहल से गुरिल्लाओं में रोजगार की आशा भी जागी परंतु दुर्भाग्य से इन प्रशिक्षित गुरिल्लाओं के साथ उत्तराखंड सरकार ने छलावा ही किया। राज्य सरकार ने इन गुरिल्लाओं की नियुक्ति का अधिकार एक एजेंसी को दे दिया। गुरिल्लाओं ने अब रोजगार के लिए इस एजेंसी से संपर्क किया तो उन्होंने वही आदेश सुना दिया जिसके विरोध में ये प्रशिक्षित गुरिल्ला प्रदर्शन कर रहे हैं कि 18 से 55 वर्षों तक के गुरिल्लाओं को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। परंतु 55 वर्ष से ऊपर की आयु वाले प्रशिक्षित गुरिल्लाओं का क्या होगा? अगर 100 वेकेंसी उपनल को मिलती है तो उसमें गुरिल्लाओं का कोटा सिर्फ 6 प्रतिशत होगा बाकी प्राथमिकता पूर्व सैनिकों को होगी। वास्तविकता यह है कि 18 से 55 वर्ष के प्रशिक्षित गुरिल्लाओं की संख्या 7 हजार के लगभग है एवं इतने ही 55 वर्ष से ऊपर के एवं उनके मृतक आश्रित हैं।

आज जब उत्तराखंड के ये प्रशिक्षित गुरिल्ला अपने रोजगार की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने गए तो उत्तराखंड सरकार ने उन पर लाठियां भंजवाई, उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। रोजगार की मांग उनका अधिकार है, परंतु रोजगार की मांग पर लाठियां भंजवाना अन्याय है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तराखंड सरकार को निर्देशित करे कि वह अपने वायदे के अनुसार इन प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को रोजगार प्रदान करे।

* सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों के साथ-साथ अशासकीय विद्यालयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा यह अभियान सारे देश में व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को भारी धनाबंटन भी किया है। अभियान का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों के लिए आगे शिक्षा जारी रखने, 14-18 वर्ष के बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा, आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ी बालिकाओं, विकलांगों, ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा की सुलभता के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा की गई एक सराहनीय पहल है व जिसके लिए वह बधाई की पात्र है।

इस अभियान को केवल राजकीय विद्यालयों तक ही सीमित किया गया है। जिससे अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी इसके लाभ से वंचित हैं। महोदया, मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि देश के विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश विशेषकर उत्तराखंड राज्यों में सरकारी विद्यालयों की संख्या काफी कम है जबकि गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या काफी अधिक है। गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को इसमें सम्मिलित किए बिना इस योजना के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल होगा और इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के साथ यह अन्याय है।

यह समस्या सारे देश की है अत: समान शिक्षा व्यवस्था के लिए हमारी शिक्षा नीति में एकरूपता होनी चाहिए। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इतने उद्देश्यपूर्ण राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में राजकीय विद्यालयों के साथ-साथ अशासकीय विद्यालयों को भी सम्मिलित करे जिससे इसका लाभ संपूर्ण विद्यार्थियों तक समान रूप से सुनिश्चित हो सके।

देश की धड़कन कही जाने वाली एच.एम.टी. कंपनी की स्थापना राज्य के औद्योगिक विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने 1982 में नैनीताल जिले के काठगोदाम के रानीबाग में की थी। वर्तमान के पूंजीवाद और उदारीकरण के दौर में आज इस फैक्टरी की हालत काफी खराब है। पिछले कई सालों से इस फैक्टरी में उत्पादन नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपये की लागत से लगाई गई मशीनें भी बंद पड़ी हैं। जिससे इसकी माली हालत भी काफी खराब हो गई है। फैक्टरी में कार्यरत सैंकड़ों कर्मचारियों को पिछले 6 महीनों से वेतन का भुगतान भी नहीं हुआ है। जिससे उनके परिवार के सदस्यों के लिए दो वक्त की रोटी का प्रबंध भी मुश्किल हो गया है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह देश की धड़कन कही जाने वाली एच.एम.टी. को रिवाइवल लिस्ट में सम्मिलित कर इसका पुनर्उत्थान करे अथवा इन्हें डी.आर.डी.ओ./एच.ए.एल./बी.ई.एल. कम्पनियों में काम दिलवाकर इसको दोबारा स्थापित होने का मौका प्रदान किया जाए। प्रशिक्षित योग शिक्षकों को शैक्षणिक संस्थाओं में नियुक्ति दी जानी चाहिए, जिससे देश के स्वस्थ भविष्य का निर्माण हो सके।

* गढ़वाल एवं कुमाऊंनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर राष्ट्र भाषा का दर्जा प्रदान करना चाहिए।

* राष्ट्र सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए देश में बार्डर रोड्स का निर्माण शीघ्र करवाना चाहिए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्गत होने में काफी समय लगता है, ऐसे में बार्डर रोड्स के निर्माण को प्राथमिकता देकर शीघ्र करवाना चाहिए।

* मतदान में पोस्टल बैलेट व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें समय इतना कम होता है कि सीमा पर तैनात सिपाही तक मैनिफैस्टो ही नहीं मिल पाता है। इसमें पारदर्शिता का अभाव है। अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलेट प्रक्रिया में आवयक संशोधन कर इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करे।

* उत्तराखंड राज्य द्वारा विस्थापन एवं पुनर्वास की नीति की घोषणा के अभाव में जनता की परेशानी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने भीषण दैवीय आपदा का दंश झेला है। जिससे भारी संख्या में जान-माल का नुकसान हुआ। इस भारी दैवीय आपदा ने हजारों परिवारों को खानाबदोश जीवन जीने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में विस्थापन एवं पुनर्वास की नीति के अभाव में प्रभावित लोगों के लिए न रहने को घर रहे, न आजीविका के साधन।

* उत्तराखंड के थराली, देवाल, कुलसारी, रिंगवाड़ी, कमेडी, भैंसोड़ा, पल्ला, सिमलसैंण, पंजाड़ा एवं चुकूम आदि ऐसे गांव हैं जिनका पुनर्वास अति आवश्यक है। इन ग्रामों में नागरिक भय के माहौल में जीवन जीने को मजबूर है। पहाड़ों में दरार आ रही हैं, भूधसांव हो रहा है, लोगों के मकान पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं, इस सर्दी में वे खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हैं। गांवों में भय के कारण लोग सो नहीं पा रहे हैं। इन क्षेत्रों के नागरिकों का पुनर्वास शीघ्र किया जाना अत्यंत आवश्यक है परंतु उत्तराखंड सरकार द्वारा विस्थापन एवं पुनर्वास की स्पष्ट नीति सार्वजनिक न होने के कारण वहां की जनता त्रस्त है। अभी तक पुनर्वास के लिए भूमि को भी चिन्हित कर उसका सर्वेक्षण भी नहीं करवाया गया है।

उत्तराखंड राज्य की सीमाएं चीन व नेपाल के साथ लगती हैं और ऐसे में राज्य के डी.आर.डी.ए. कर्मचारियों

व पटवारियों की हड़ताल राष्ट्र सुरक्षा में चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने बिना संपूर्ण योजना के करोड़ों रुपये से पटवारी चौकियां तो बनवा दी। परंतु वहां पानी, बिजली की व्यवस्था नहीं है जिस कारण करोड़ों रुपये की संपत्ति बेकार पड़ी है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार को निर्देशित करें कि वह डी.आर.डी.ए. कर्मचारियों व पटवारियों की हड़ताल समाप्त करवाए तथा विस्थापन एवं पुनर्वास नीति को शीघ्र सार्वजनिक करे जिससे उत्तराखंड के भूकंपीय संवेदनशील क्षेत्रों का शीघ्र पुनर्वास सुनिश्चित हो सके।

* पर्वतीय राज्यों में हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापक योजना बनाकर कार्यान्वित की जानी चाहिए।

* सूरत के हीरा उद्योग में अपार संभावनाएं हैं जिसे विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त मदद से इन उद्योगों का उच्चीकरण सुनिश्चित हो सकेगा। जिस प्रकार कपड़ा उद्योग को केन्द्र सरकार से हर वर्ष आर्थिक सहायता मिलती है, इसी तरह हीरा उद्योगों को भी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

* सरकार द्वारा हीरा उद्योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विविध जनजागृति कार्यक्रम व योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।

* गुजरात के हीरा उद्योगों में वर्तमान में लगभग 10 लाख से भी अधिक लोग कार्यरत हैं, इसके बावजूद भी हीरा उद्योग में निपुण व प्रशिक्षित लोगों की कमी है, इसे दूर करने के लिए सरकार को हीरा उद्योग प्रशिक्षण संस्थान खोलने चाहिए।

* केन्द्र सरकार द्वारा हीरा उद्योग के वैश्विक प्रसार के लिए बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। विश्व बाजार में भारत के रत्न एवं आभूषण उद्योग का वर्चस्व कायम करने के लिए हाल ही में घोषित 1 प्रतिशत बिक्री कर को माफ कर देना चाहिए।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और पुन: एक बार फिर यू.पी.ए. अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी, वित्त मंत्री माननीय श्री प्रणव मुखर्जी जी एवं युवा सांसद श्री राहुल गांधी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जनसाधारण की भावनाओं का ख्याल रखते हुए इतना अच्छा आम बजट प्रस्तुत किया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

***श्री सी. शिवासामी** (तिरुपुर): मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2011-12 के सामान्य बजट पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

इस वर्ष के बजट में कृषक और कृषि क्षेत्र की स्थिति में सुधार करने हेतु किसी अर्थक्षम योजना की घोषणा नहीं की गई है। गरीबों की स्थिति में सुधार लाने हेतु किसी प्रभावी तरीके का उल्लेख नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्ग के बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की किसी घोषणा के साथ-साथ स्व:उद्यम स्थापित करने के लिए भी कोई घोषणा नहीं की है।

इस वर्ष का बजट ऐसा प्रतीत होता है कि पहले से ही सुविधाप्राप्त, समाज के धनी वर्ग और निगमित कंपनियों की स्थिति सुधारने न कि जरूरतमंद लोगों की जीवन दशा में सुधार लाने पर लक्षित है। मैं जोर देकर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि यह बजट कभी भी गरीबों की समस्या पर लक्षित नहीं रहा है और इससे उनके जीवन में कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती।

कृषि के बाद दूसरा सर्वाधिक बड़ा व्यवसाय वस्त्र क्षेत्र में बुनाई का कार्य है। मेरे संसदीय क्षेत्र का तिरुपुर शहर कई बुनाई इकाइयों के होने के कारण अत्यंत मशहूर है और यह एक बुनाई के शहर के रूप में उभर रहा है जिससे वस्त्र क्षेत्र के माध्यम से देश को प्रति वर्ष 10000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की आय हो रही है। मात्र इस शहर में ही तमिलनाडु में उपलब्ध रोजगार में से 10 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इस समय बुनाई उद्योग कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। धागे के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण यहां उत्पादन कार्य पर गंभीर रूप से प्रतिकूल असर पड़ा है। धागे के मूल्य में वृद्धि होने के क्या कारण हैं? यह मात्र हमारे द्वारा कपास के निर्यात की अनुमति देने की अविवेकपूर्ण नीति के कारण हुआ है। अभी हम धागे के मूल्य में हो रही व्यापक वृद्धि का सामना कर रहे हैं। जब हमने सरकार से यह जानना चाहा कि इसके द्वारा कपास के निर्यात की अनुमति क्यों दी गई उन्होंने इसका रटा रटाया उत्तर दिया कि इससे कपास उत्पादकों को लाभ पहुंचेगा। लेकिन स्थिति इसके ठीक विपरीत है। कपास उत्पादकों को लाभ क्या लाभकारी मूल्य भी प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही कपास की खरीद

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

और निजी व्यापारी इसका जमाखोरी करके मूल्य में वृद्धि कर रहे हैं। खरीदा गया कपास भंडारों में रखा रहता है जिससे बाजार में कमी बनी रहती है। तत्पश्चात् इसे अधिकांश मायनों में बढ़े हुए मूल्य पर निर्यात कर दिया जाता है जिससे वास्तव में कपास उत्पादकों को लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसमें केवल बिचौलिए और व्यापारी ही अधिक धन कमाते हैं और इसका लाभ वास्तव में बुनकरों और समग्र रूप से वस्त्र उद्योग को नहीं होता है। कपास उत्पादकों के स्थान पर कपास व्यापारियों द्वारा करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। इस बजट में कपास मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु किसी प्रभावी तंत्र का उल्लेख नहीं किया गया है। गत वर्ष धागे का मूल्य 135 रुपए प्रति किलोग्राम था। अब यह 260 रुपए प्रति किलोग्राम है। मूल्य में इस तरह की वृद्धि से हमें अपने प्रतिस्पर्द्धी देश जैसे पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के साथ प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्द्धा करने में दिक्कत हो रही है। वस्त्र उद्योग विशेषकर बुनकर इकाइयों में सभी पणधारक इसके कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है और हमारे वस्त्र उद्योग को बचाने के लिए कोई राहत उपाय नहीं की गई है।

केवल इतना ही नहीं वस्त्र उद्योग में पूरी तरह तैयार माल और सिले सिलाए वस्त्र हेतु आवश्यक रंगरोगन की इकाइयां भी हमारे तिरुपुर शहर में बंदी के कगार पर है। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रंगरोगन की लगभग 700 इकाइयां बंद हो चुकी हैं क्योंकि ये पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रही थीं। शून्य टी.टी.एफ. लवणता इन इकाइयों के निस्रण से सुनिश्चित नहीं की जा सकती है इसीलिए यह समस्या हुई है। पेयजल में भी 200 से 300 टी.टी.एफ. लवणता होती है। यह केवल तिरुपुर शहर में ही है कि रंगरोगन की इकाइयों को नि:स्रण को छोड़ने से पूर्व शोधित करना पड़ रहा है। न्यायपालिका का आदेश जारी होने के पश्चात केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इस जटिल समस्या को सुलझाने हेतु आगे नहीं आ रही है जिससे शीघ्र ही हमारे कामगार बेरोजगार हो सकते हैं। जब हमने सदन में इस मुद्दे को उठाकर इस समस्या का समाधान जानना चाहा तो यह घोषणा की गई कि केंद्र सरकार द्वारा नि:स्रण शोधन स्थापित करने हेतु 200 करोड़ रुपए की राजसहायता प्रदान की जायेगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री और तमिलनाडु के उपमुख्य मंत्री तिरुस्टेलिन ने उद्योगपतियों के साथ पूरे जोश खरोश के साथ इस राजसहायता को बांटने के लिए मुलाकात की। लेकिन यह धनराशि तक औद्योगिक इकाइयों तक नहीं पहुंची है क्योंकि यह बैंक में जमा है और इसका उपयोग नि:स्रण वेधना संयंत्र स्थापित करने के लिए नहीं किया जा रहा है। यह इन इकाइयों द्वारा समतुल्य धनराशि की बैंक गारंटी देने पर जोर देने के कारण है जो अव्यवहारिक है।

इतना ही नहीं, इस कठिनाई को और बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने ब्रांडेड तैयार सिले-सिलाए वस्त्र को लेबल लगाकर बाजार में भेजने हेतु 10 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगा दिया है। तिरुपुर शहर में निर्यात गुणवत्ता योग्य सिले-सिलाए वस्त्र उत्पादित किए जाते हैं। साथ ही साथ आम लोगों के उपयोग हेतु सिले-सिलाए वस्त्र जैसे बनियान, ट्रंक और जुराबें स्थानीय बाजार में बेचे जाते हैं। इस उत्पाद शुल्क से इस प्रकार की बुनाई इकाइयों पर देश भर में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका नकारात्मक प्रभाव अन्य बुनाई केंद्रों जैसे कोलकाता, लुधियाना, दिल्ली, कानपुर और बंगलुरु में भी महसूस होता है। तिरुपुर शहर जहां 2800 करोड़ रुपए के तैयार किए गए माल का उत्पादन होता है उत्पादन शुल्क लगाए जाने के कारण गंभीर समस्या का सामना कर रहा है क्योंकि लघु इकाइयों को बड़े व्यापारिक घरानों जो बड़े ब्रांड से माल तैयार करते हैं के बराबर माना जा रहा है। मैं केंद्र सरकार से न केवल तिरुपुर की बुनकर इकाइयों बल्कि देश भर की सभी बुनकर इकाइयों की तरफ से और कामगार श्रमिकों और उनपर आश्रित परिवारों की तरफ से इस उत्पाद शुल्क पर पुन: विचार करने का अनुरोध करता हूं।

आम व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों से गंभीर रूप से प्रभावित है। तमिलनाडु में पी.डी.एस. बिक्री केंद्रों पर चावल 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है। लेकिन माचिस की डिब्बी का मूल्य 2 रुपए और खाने का नमक 9 रुपए प्रति किलोग्राम है। व्यापक मूल्य वृद्धि से आम व्यक्ति का जीवन और जीविका प्रभावित होती है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह आम जनता द्वारा सामना की जा रही इन समस्याओं पर ध्यान दे।

सीमेंट का मूल्य कुछ महीने पूर्व 135 रुपए प्रति बैग था और अब यह दोगुना होकर 270 रुपए प्रति बैग हो गया है। क्या इस मूल्य वृद्धि का कोई औचित्य है। क्या यह कच्चे माल की लागत में वृद्धि अथवा उत्पादन लागत में वृद्धि अथवा सीमेंट निर्माता इकाइयों को विद्युत की कमी होने के कारण है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी सीमेंट के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है और अब यह समाज के निचले तबके के लोगों जो अपना घर बनाना चाहते हैं की पहुंच से बाहर हो गया है। सीमेंट सिंडिकेट के कार्टेल के परिणामस्वरूप यह मूल्य वृद्धि हुई है। यह सच है कि सीमेंट के मूल्य को नियंत्रित करने में केंद्र सरकार अथवा द्रविड़ मुनैत्र कषग के नेतृत्व वाली तमिलनाडु की सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

अब मैं एमपीएलएडीएस का उल्लेख करूंगा। प्रत्येक संसद सदस्य हेतु प्रतिवर्ष अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकासात्मक और अवसंरचनात्मक ढांचा निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपए निर्धारित किए

गए हैं। यहां तक कि पंचायत अध्यक्ष के पास अपने क्षेत्र में सड़क बनवाने अथवा पेयजल का प्रावधान करने अथवा स्ट्रीट लैंपों को लगवाने का अधिकार है। यहां तक कि विधायक को भी उसके पास उपलब्ध स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से कुछ ऐसी परियोजनाएं स्वीकृत करने का अधिकार है। लेकिन कोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें छह विधानसभा क्षेत्र होते हैं, के संसद सदस्य को प्रतिवर्ष मात्र दो करोड़ रुपए मिलता है जो कि किसी संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में सभी विधायकों को मिलने वाली निधि से काफी कम है।

जब आप किसी अस्पताल में जाते हैं तो वहां चिकित्सा के लिए नियमित वार्डों के अतिरिक्त लाए जाने वाले आपातिक एवं अत्यावश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपातकालीन वार्ड होता है। इसी प्रकार, किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोग पानी कनेक्शन, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था अथवा सड़क अथवा पुल जैसी जनोपयोगी आवश्यकताओं को तत्काल पूरा करने के लिए अपने संसद सदस्य से मिलते हैं। जब तक कि कोई संसद सदस्य अपने निर्वाचकों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं होता है, तब तक उसे अगली बार के लिए चुना नहीं जाता है। यह न केवल मेरे मामले में, बल्कि सभी मामलों में सही है, जिनमें इस महान सभा के पीठासीन सदस्य भी शामिल हैं। यहां तक कि पंचायत अध्यक्ष भी अपने क्षेत्र में सम्मान पाता है क्योंकि वह कुछ विकास कार्य कर सकता है, जो कि किसी संसद सदस्य के लिए लगभग असंभव है जिसे एम.पी.लैड्स निधि के रूप में अलग से काफी कम राशि मिलती है। अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस राशि को दो करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दिया जाए, तभी किसी बड़े लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कुछ सार्थक विकासात्मक कार्य किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो मेरे जैसे लोग इस सभा के लिए पुन: निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। अगली सभा में हमें केवल नए चेहरे देखने को मिलेंगे।

अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि एम.पी.लैड्स निधि की प्रमात्रा में वृद्धि करने पर विचार किया जाए। इसे मात्र इसलिए नहीं किया जाए क्योंकि हम सदस्य ऐसा चाहते हैं। बल्कि सार्वजनिक हित में ऐसा किया जाना चाहिए। अगर आप प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपए आबंटित करेंगे, केवल तभी हम विभिन्न शीर्षों यथा सड़क बनाने के लिए 30 प्रतिशत, शिक्षा के लिए 20 प्रतिशत, स्ट्रीट लाइट के लिए 10 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के आवासों के लिए 10 प्रतिशत तथा अन्य शीर्षों के लिए राशि अलग कर सकते हैं। सरकार स्वयं प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए योजना तैयार कर सकती है और हम उस तरीके का अनुसरण कर सकते हैं। हम इस 15 करोड़ रुपए की राशि को अपनी मर्जी से खर्च नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आपके द्वारा तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार करना चाहते हैं। हम आपके द्वारा नियत महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखेंगे। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसी संसद सदस्य के बढ़ी हुई निधि आबंटित नहीं किए जाने की स्थिति में एक समय ऐसा आ सकता है जबकि लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं तथा मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं रहने के कारण लोग हमसे दूर हो जाएं। किसी सदस्य विशेष के प्रति इस प्रकार का असम्मान इस संस्था के प्रति लोगों की उदासीनता के समान है और संसद का असम्मान है। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर सरकार एम.पी.लैड्स निधि में वृद्धि करने पर विचार कर सकती है।

अन्त में, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि लोगों की विशेषकर समाज के गरीब तबकों की बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए तथा इस देश के 120 करोड़ लोगों की स्थिति में सुधार के लिए साधन खोजे जाएं, जिनमें से 100 करोड़ से अधिक लोग वास्तव में खराब स्थिति में हैं तथा प्रभावी उपायों द्वारा जिनकी सहायता किए जाने की आवश्यकता है जिसे इस बजटीय कार्य तथा अनुवर्ती विकासात्मक कार्यों के द्वारा शुरू किया जा सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर (परभणी)*: मुझे वर्ष 2011-12 के बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैं आपका ध्यान कृषि क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। महोदय, मैंने आपके समक्ष कृषि के बारे में कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। मान लीजिए कि कोई छोटा सीमांत किसान प्रति एकड़ 20 क्विंटल संकर ज्वार की उपज प्राप्त करता है। तब उसे 14,000/- रुपए मिलेंगे।

मैं चाहता हूं कि उक्त उत्पादन के लिए निम्नांकित व्यय पर विचार किया जाए:

1. बीज	-	2500 रुपए
2. कीटनाशक	-	1000 रुपए
3. उर्वरक	-	2000 रुपए
4. बुआई	-	1500 रुपए
5. कटाई	-	2500 रुपए
6. मजदूरी पर व्यय	-	2500 रुपए
कुल		12,000/- रुपए

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अगर उक्त व्यय में न्यूनतम राशि पर विचार किया जाता है तो आप पाएंगे कि किसान को एक वर्ष में मात्र 2000 रुपए प्राप्त होंगे।

उक्त व्यय में प्राकृतिक आपदा यथा (सूखा अथवा भारी वर्षा) को ध्यान में नहीं रखा गया है।

इसलिए, किसानों को सभी फसलों के लिए पूरा बीमा देना आवश्यक है। अगर आप उसके परिवार, मजदूरी व्यय, विद्युत, बुआई तथा कटाई व्यय, बाजार ले जाने के लिए व्यय सहित बीमा की यह सुविधा दे सकते हैं, तो किसान को किसी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः, मैं मांग करता हूं कि सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए ताकि देश में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने से बचा जा सके। इस पहल में बीमा प्रीमियम का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

आजकल बाजार में बेतहाशा मूल्य वृद्धि हुई है। माननीय प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री एवं मंत्रालय मूल्य वृद्धि के बारे में अपनी चिंता कई बार व्यक्त करते रहे हैं। अगर सरकार ने फसल बीमा देकर अथवा उर्वरकों, कृमिनाशकों, कीटनाशकों, बिजली, सिंचाई प्रभारों, ईंधन प्रभारों की दरों में कमी करके उत्पादन लागत को कम किया होता, वैसी स्थिति में देश में कीमतें अपने-आप कम हो जाती। इससे निश्चित रूप से आम आदमी को लाभ मिलेगा तथा किसान अपना गुजारा कर सकेंगे तथा आत्महत्या नहीं करेंगे।

मराठवाड़ा क्षेत्र के किसानों की समृद्धि के लिए मैं मांग करता हूं कि मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाए। मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र (परभणी) में शीत भंडारण गृह का भी निर्माण किया जाना चाहिए।

मैं इस तथ्य पर जोर देता हूं कि कई बार खेत से मुख्य सड़क तक सड़क सम्पर्क नहीं होने के कारण किसानों की उपज नष्ट हो जाती है। ग्रामीण सड़कों की स्थिति काफी खराब है। अतः, खेतों तक जाने वाली सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए एक पायलट परियोजना प्राथमिकता के आधार पर शुरू की जानी चाहिए।

स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम के लिए सरकार को 5000 की अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले इन गांवों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करनी चाहिए।

इस बजट में सरकार ने अकुशल और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। देश में बेरोजगारी कम करने के लिए एक नया कार्यक्रम आरंभ किया जाना चाहिए।

सरकार को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जयकवाडी परियोजना, मजलगांव राइट बैंक कैनाल गंगाखेड लोअर दुधना के शेष भाग, सिंचाई परियोजना, लिफ्ट इरीगेशन परियोजना, विष्णुपुरी के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए।

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.

सरकार अब लोगों को स्वच्छ पेय जल प्रदान करने के लिए करोड़ों रुपए व्यय कर रही है। इसके लिए छोटे तथा मझोले शहरों के लिए शहरी अवसंरचना योजना शुरू की गई है। लेकिन इस योजना का नियंत्रण स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। अधिकांश मामलों में यह देखा जाता है कि कार्य की गुणवत्ता खराब है। इस योजना में संसद सदस्य को एक सलाहकारी निकाय माना जाता है।

श्री ए. सम्पत (अटिंगल): महोदय, मैं आपकी अनुमति से मलयालम में बोलना चाहूंगा। मलयालम को तमिल की छोटी बहन माना जाता है।

सभापति महोदय: आप शुरू करें।

श्री ए. सम्पत: लियो टोल्सटोय ने कहा था कि जीवन का एकमात्र अर्थ मानवता की सेवा करना है। मेरा मानना है कि इस बजट का एक मात्र उद्‌देश्य कारपोरेट घरानों की सेवा करना है। यह बजट कारपोरेट के लिए, कारपोरेट के द्वारा तथा कारपोरेटों का बजट है। मेरा ऐसा कहने का एक कारण है। जब सरकार कारपोरेट घरानों को कुछ देती है, तो इसे प्रोत्साहन कहा जाता है और जब सरकार गरीबों को कुछ देती है तो इसे राजसहायता कहा जाता है। उन्होंने कहा कि उनके पास राजसहायता के रूप में दोनों के लिए कोई धनराशि नहीं है।

* महोदय, मुझे पता है कि मेरे शब्दों से सत्ता पक्ष में बैठे अनेक सदस्य असहज महसूस करेंगे। यह मार्च का महीना है। अस्सी वर्ष पहले इसी महीने के दौरान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। मुझे निराशा होगी अगर यह बजट किसी ऐसी नीति का भाग बन जाता है जो इस देश के करोड़ों लोगों को भुखमरी से मरने के लिए मजबूर करता है। महोदय, इस सूची में काफी बड़ी राशि 'छोड़े गए राजस्व' के रूप में उल्लिखित है। केवल इसी वर्ष छोड़े गए राजस्व की राशि चार लाख साठ हजार नौ सौ बहत्तर करोड़ रुपए है। महोदय, यह राशि किसके लिए माफ की जाती

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के इस भाग के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

है? यह सरकारी घरानों के लिए की जाती है। इस राशि में कारपोरेट आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा रियायतें शामिल हैं।

'भुखमरी' चार अक्षरों का कोई शब्द मात्र नहीं है। अगर भूख से मर रहा व्यक्ति भोजन मांगता है, तो उसे भोजन देने के लिए कोई राशि नहीं है। किसी भूखे व्यक्ति का दर्द कोई भूखा व्यक्ति ही समझ सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह कोई मां ही प्रसव वेदना को समझ सकती है। पुरुष, जिनमें मैं भी शामिल हूं, यह समझ नहीं सकते कि प्रसव पीड़ा बर्दाश्त करना क्या होता है।

मेरे राज्य केरल द्वारा अनेक मांगें रखी गईं। मंत्रियों ने अनेक वादे किए। हमने एक आई.आई.टी. की स्थापना करने के लिए कहा। महोदय, यह क्या कोई गलत मांग थी? माननीय प्रधानमंत्री केरल आए और उन्होंने केरल प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा आयोजित सेमिनार का उद्घाटन किया और यह कहा कि केरल में एक आई.आई.टी. की स्थापना की जाएगी।

हमने कोचीन के लिए मैट्रो सेवा की भी मांग की थी। महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोचीन बड़ी तेजी से विकास कर रहा है। महोदय, गोवा की तरह केरल में भी तटीय क्षेत्र है और कोचीन काफी तेजी से विकसित हो रहा है जिससे ट्रैफिक जाम इस शहर के लिए खतरा बनता जा रहा है। फिर भी आप कोचीन के लिए मैट्रो सेवा शुरू करने की मंजूरी नहीं दे सकते। हम अन्य राज्यों में मैट्रो सेवा शुरू करने के विरुद्ध नहीं हैं। परंतु कृपया केरल को भी उसका हक दीजिए। केरल में मैट्रो शुरू करने का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

अब मैं अप्रवासी भारतीयों का उल्लेख करना चाहता हूं। यह एक ऐसा विषय है, जिसके संबंध में सत्ता पक्ष के लोग भी मुझसे सहमत होंगे।

महोदय, विदेशों में विशेषकर खाड़ी देशों में कार्य करने वाले सभी केरलवासी अप्रवासी भारतीय ही हैं। गत वर्ष केरल के अप्रवासी भारतीयों ने देश के लिए तीस हजार करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था। उस से पिछले वर्ष उन्होंने अट्ठाइस हजार करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था। उससे पिछले वर्ष उन्होंने चौबीस करोड़ रुपये का योगदान किया था। भारत वापस आने वाले अप्रवासी भारतीयों के पुनर्वास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है? जिन अप्रवासी भारतीयों की मृत्यु हो जाती है, उनके परिवारों की सहायता और बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है? ऐसा लगता है कि सरकार को केवल अप्रवासी भारतीय सम्प्रदाय का धन चाहिए। केवल एक दिन को 'प्रवासी भारतीय दिवस' के रूप में मनाकर विदेशों में कठिन परिश्रम कर रहे अप्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा नहीं होगी। आपको उनकी समस्याओं का अध्ययन करना होगा और उन्हें सुलझाना होगा। परंतु सरकार यह कार्य नहीं करना चाहती। उन्होंने विमान किराए बढ़ा दिए हैं। हमने अप्रवासी भारतीयों के मतदान अधिकारों के बारे में काफी सुना है। केरल सहित पांच राज्यों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। इस बार कितने अप्रवासी भारतीय मतदान कर पाएंगे?

तिरुवनन्तपुरम हवाई अड्डे का प्रयोग करने वालों को प्रयोक्ता शुल्क सहित 825 रु. का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। यह सबसे बुरी तरह का शोषण है। यह उच्च स्तर की डकैती है और ऐसा लग रहा है कि आप यात्रियों का गला पकड़ कर उन्हें लूट रहे हैं। यदि आप अप्रवासी भारतीयों का आवश्यकता से अधिक फायदा उठाएंगे तो अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। भारत सरकार को अप्रवासी भारतीयों को इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। महोदय केरल सरकार काफी समय से सरकारी स्वामित्व वाली एयरलाइन "एयर केरल" के गठन की मांग कर रही है। आप राज्य सरकार की तो वैधानिक मांग को भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। परंतु इस देश की निजी हवाई कंपनियों को खुल्लमखुल्ला और गुप्त रूप से प्रोत्साहन दे रहे हैं। आप उन्हें हर प्रकार की छूट देते हैं।

महोदय, मैं आपसे एक अन्य जानकारी लेना चाहता हूं। यह कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित है। माननीय श्रम मंत्री ने स्वयं कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर 9.5 प्रतिशत तक बढ़ाने, मूल्यों में वृद्धि को रोकने और असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों की पेंशन बढ़ाने का उल्लेख किया था। इस देश के सभी मजदूर संघ इस मांग को कई बार उठाने के बाद अब हड़ताल पर चले गए हैं। सत्ता पक्ष के अनेक लोगों ने इस सत्र के दौरान संसद के बाहर रैली करने वाले मजदूर संघों द्वारा की गई मांगों का समर्थन किया है।

महोदय, हालांकि हम अलग-अलग पार्टियों से हैं, परन्तु समस्याएं तो सब के लिए एक ही हैं, आप इस देश के मजदूर वर्ग की मतलभूत समस्याओं को क्यों नहीं सुलझाते? कुछ लोग विकास की बात कर रहे हैं। इस देश के गरीब लोगों को तो सिर्फ मूल्यों में वृद्धि की ही जानकारी है। उनके लिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। भुखमरी बढ़ती जा रही है। गरीब लोगों को खाद्य पदार्थ देने के केवल भाषण दिए जाते हैं। केवल भाषण देकर आप भुखमरी को नहीं मिटा सकते। मेरे केरल राज्य ने यह सुनिश्चित किया है कि गरीबों को राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर तेरह अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाए। महोदय, खाद्य मदों को केवल गेहूं और चावल तक ही सीमित न किया जाए। हमें दालों और मिट्टी के तेल को भी उचित मूल्य की दुकानों पर सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना चाहिए।

मुझे यकीन है कि मेरी कुछ बातों से वित्त मंत्री को तकलीफ हो सकती है। मैं यहां किसी को उकसाने के लिए नहीं खड़ा हूं। बल्कि कुछ तकलीफदेह सच्चाइयां बयान करना चाहता हूं। और यदि सच कड़वा है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं केवल सच्चाई बयान कर रहा हूं। यदि सच से किसी को तकलीफ हो रही है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लिंग जैसे मुद्दों को देखिए, जिन्हें सरकार खत्म करने के दावे करती है।

बजट में महिलाओं के लिए 6.2 प्रतिशत धनराशि निर्धारित की गई है। और आप लिंग भेद खत्म करने की बात करते हैं। तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के लिए नियत धनराशि भी बहुत कम है। यह पांच हजार छह सौ साठ करोड़ रुपये है। स्वास्थ्य क्षेत्र को तीस हजार चार सौ छप्पन करोड़ रुपये दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए मात्र आठ हजार चार सौ पंद्रह करोड़ रुपए की राशि नियत की गई है।

पूरे देश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए मात्र एक हजार चार सौ पचासी करोड़ रुपए मिलेगा। लेकिन कारपोरेट घरानों को चार लाख साठ हजार चार सौ बहत्तर करोड़ रुपए की छूट दी गई है। अगर आप पिछले छह वर्षों के दौरान कारपोरेट घरानों दी गई छूटों की गणना करें, तो यह इस राशि का पांच गुणा होगा।

क्या यह सरकार आम आदमी के लिए है? वे हमारी तीन-चौथाई जनसंख्या की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। वे उन लोगों के लिए नीतियां बना रहे हैं जो हमारी जनसंख्या का एक चौथाई भाग है। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो इससे पुन: काफी लोग असहज हो जाएंगे। जब यह सत्र शुरू हुआ, हमने आई.पी. एल. के बारे में सुना था, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, आदर्श घोटाला, टू.जी. स्पेक्ट्रम घोटाला, एस बैंड तथा अनेक ऐसे घोटाले। इससे पारदर्शिता और ईमानदारी प्रभावित हुई है। जब हम सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मांग करते हैं, हमें केवल भाषण सुनने को मिलता है। महोदय, मुझे शर्म आती है क्योंकि लगातार दो वर्षों से मैं भी खोखले भाषण सुन रहा हूं। सरकार ने सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को वास्तविकता का रूप देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं।

सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को विनियमन-मुक्त करना शुरू कर दिया है। सरकार कारपोरेट क्षेत्र के लिए अपने अधिकारों को छोड़ रही है।

महोदय, हम केरल के ऐसे किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चाय, काफी, सुपारी और रबड़ आदि का उत्पादन करते हैं, उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि नई गणना के अनुसार ये सभी उत्पाद वाणिज्यिक उत्पाद माने जाएंगे। अगर यह नीति जारी रखी जाती है, तो इससे किसानों की सूची से केरल के किसानों का नाम हट जाएगा। महोदय, जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं और जो विपक्ष में हैं, दोनों ने मिलकर सरकार के समक्ष ये प्रस्तुतीकरण किए हैं। कृपया हमारी वाजिद मांगों पर विचार करें। हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हम किसी की खुशामद नहीं कर रहे हैं। हम केवल वही मांग रहे हैं जो हमारे राज्य का वाजिब हक है। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं दो बातें कहना चाहता हूं। हमारे राज्य केरल का नाम केरा अथवा नारियल पेड़ों के आधार पर दिया गया है जो यहां बहुतायत में पाया जाता है। आपने पाम तेल के आयात के लिए राजसहायता दी है। केरल के नारियल किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या प्रोत्साहन दे रहे हैं?

मैं इस बजट का विरोध कर रहा हूं। यह बजट इस देश के संसाधनों को बेचने की नीति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अत:, मेरा मानना है कि यह मेरा नैतिक उत्तरदायित्व है कि मैं इस रेलगाड़ी को लाल झंडी दिखाऊं जो कि आगे बढ़ तो रही है लेकिन जिसका पटरी पर से उतरना निश्चित है।

यह मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं अपनी आवाज उठाकर आपको निर्धारित दिशा को परिवर्तित करने के लिए कहूं।

[हिन्दी]

***श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम** (जामनगर): मैं माननीय वित्त मंत्री को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वर्ष 2011-12 का आम आदमी बजट पेश किया है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने कृषि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को अधिक फंड दिया है। इससे आम आदमी एवं गरीब लोगों को फायदा होगा।

किसानों को और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वर्ष 2011-12 में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता देने का प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्री ने रखा है ये किसानों के लिए लाभकारी है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का कुल आवंटन वर्ष 2010-11 में 6,755 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2011-12 में 7,860 करोड़ रुपये किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसे बढ़ाकर 8,630 करोड़ रुपये किया जाए ताकि किसानों एवं उनसे संबंधित क्षेत्र का और अधिक विकास हो सके।

माननीय मंत्री जी ने शिक्षा के लिए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 24 प्रतिशत का अधिक बजट रखा है। मेरा अनुरोध है कि इस बजट को 35 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए ताकि और अधिक संख्या में एवं उच्च शिक्षा दी जा सके।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि 'माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायिकरण' नामक एक संशोधित केन्द्र प्रायोजित हमारे युवाओं में रोजगार की स्थिति में सुधार हेतु वर्ष 2011-12 से कार्यान्वित की जाएगी।

मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इस योजना को छोटे-छोटे शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में शुरू किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

गरीब और सीमांत मजदूरों को प्राथमिक स्वास्थ्य बीमा रक्षा आवरण मुहैया करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एक कारगर साधन बनकर उभरी है। वर्ष 2011-12 में जोखिम भरे खनन तथा इससे संबंधित उद्योगों में लाभ कर रहे उन संगठित क्षेत्र के कामगारों को भी इसके अंतर्गत लाने के लिए इस स्कीम का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है।

गरीब एवं सीमांत मजदूरों के लिए यह एक लाभकारी प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव का विस्तार होने के बाद गरीब मजदूरों को और अधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

भारत निर्माण के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, त्वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा ग्रामीण टेलिफोनी सम्मिलित है। इन सभी योजनाओं के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 10000 करोड़ रुपये का अधिक फंड दिया है।

मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इस फंड को बढ़ाकर 20000 करोड़ रुपये किया जाए ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का और अधिक विकास एवं आधुनिकरण हो सके।

माननीय वित्त मंत्री जी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं उनके सहायकों का मेहनताना बढ़ाकर क्रमशः 1500 रुपये से 3000 रुपये तथा 750 रुपये से 1500 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है जिससे पूरे देश में करीब 22 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायक इस वृद्धि से लाभांवित होंगे।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी के इस प्रस्ताव से संतुष्ट हूं लेकिन आज की महंगाई को ध्यान में रखकर देखा जाए तो ये मेहनताना काफी कम है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे बढ़ाकर 6000 रुपये तथा 3000 रुपये किया जाए।

माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2011-12 में करदाताओं की सामान्य श्रेणी के लिए छूट सीमा 1,60,000 रुपये से बढ़ाकर 1,80,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है और वरिष्ठ नागरिकों की आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष की है। ये काफी महत्वपूर्ण है जिससे करदाताओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। बहुत वरिष्ठ नागरिक 80 वर्ष एवं उससे अधिक की नई श्रेणी सृजित की है जो 5,00,000 रुपये की उच्चतर छूट सीमा की हकदार होगी।

बहुत वरिष्ठ नागरिकों के लिए अभी तक किसी वित्त मंत्री ने कभी ध्यान नहीं दिया था। वित्त मंत्री जी के द्वारा बहुत वरिष्ठ नागरिकों के हित में लाभकारी एवं हितकारी प्रस्ताव लाया गया है जिससे मुझे काफी प्रसन्नता हुई है।

लेकिन मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि 80 वर्ष की आयु को घटाकर 70 वर्ष किया जाए ताकि इस श्रेणी में और अधिक संख्या में बहुत वरिष्ठ नागरिक शामिल हो सकें।

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण): वर्ष 2011-12 का बजट प्रस्तुत करते हुए सबसे अन्त में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बात कही थी और वह बात थी कि हम सभी तहेदिल से ऐसे भारत का निर्माण करें, जो निकट भविष्य में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में प्रवेश करेगा। हम सब जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र विकसित तब होगा, जब वह सम्पन्न होगा और किसी भी राष्ट्र की सम्पन्नता की निशानी यह है या उसकी सम्पन्नता तब परिलक्षित होगी, जब उस राष्ट्र का हर नागरिक सम्पन्न होगा। ऐसी ही चर्चा उन्होंने पिछली बार बजट में भी की थी, लेकिन पूरी दुनिया जान रही है कि 2010 का जो वर्ष देश के लिए था, वह भ्रष्टाचार के वर्ष के रूप में जाना जाने लगा है।

पिछली बार बजट में भी कहा गया कि इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सब को सम्पन्न बनाना जरूरी है, लेकिन हुआ इसका उल्टा।

वर्ष 2010 भ्रष्टाचार का वर्ष घोषित हुआ। भ्रष्टाचार की ऐसी बाढ़ आ गयी, जिसकी चर्चा न सिर्फ इस देश में बल्कि विदेशों में भी हुयी। मैं मानता हूं वर्ष 2010 का वर्ष यदि भ्रष्टाचार का वर्ष था, तो वर्ष 2011 निश्चित रूप से इन भ्रष्टाचारियों के जेल जाने का वर्ष होगा, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार का नेतृत्व किया है। भ्रष्टाचार से भी बड़ी समस्या जो देश की है, जो अर्थव्यवस्था को चौपट कर रही है, वह कालाधन है। भ्रष्टाचार उस कालेधन का एक हिस्सा है, लेकिन दोनों साथ-साथ चलते हैं। यदि हमें अपने देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना है, तो हमें कालेधन को निश्चित रूप से सरकारी खजाने में लाना पड़ेगा। इस बार जो बजट रखा गया, इसमें कालेधन की समस्या से निपटने के लिए जिन पांच सूत्रों की चर्चा की गयी, उससे देश के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि कुछ कड़े कानून बनेंगे, कुछ ऐसे निर्णय होंगे,

जिससे इसका आभास झलकेगा कि अब कालाधन देश के खजाने में आएगा। लेकिन पांच सूत्रीय कार्यक्रम के अंदर एक बड़ा अंतर्विरोध है कि दोहरे कराधान का समझौता केवल कानूनन वैध और जानकारी में आए कालेधन पर ही लागू होता है, न कि अज्ञात कालेधन पर। इस कारण सरकार की पांच सूत्रीय योजना अव्यावहारिक और दिखावटी है। इसके अलावा उसमें इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि कालाधन कैसे वापस लाया जाएगा और इसकी प्रक्रिया कैसी होगी?

महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था की जितनी भी समस्यायें हैं, सभी कालेधन से जुड़ी हुयी हैं। इस सच्चाई को जानते हुए भी सरकार क्यों पीछे हट रही है? वह देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कह रही है और इस सच्चाई से अवगत होने के बाद कि जो पूंजी कालेधन के रूप में देश से बाहर जा रही है, उसके कारण पांच फीसदी विकास दर कम हो रही है। जितनी पूंजी बाहर गयी है, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो अनुमान है कि इससे पांच फीसदी विकास दर कम हो रही है। इस समय विकास दर यदि 7, 8 या 9 प्रतिशत है, यदि वह कालाधन अपने खजाने में होता, तो देश की विकास दर 12 से 13 फीसदी होती। आप चाहे कितनी ही नीतियां बनायें, लेकिन काली अर्थव्यवस्था के चलते हमारी नीतियां असफल हो रही हैं। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अभी तीन सौ अरब डालर के करीब है। अगर विदेशों में जमा कालाधन वापस आ जाए तो दो खरब डालर से ज्यादा हमारा विदेशी मुद्रा भंडार हो जाएगा। आज चीन जहां है, मात्र कालेधन को लाने के लिए यदि प्रयत्न करें, तो हम चीन की बराबरी में खड़े हो सकते हैं।

महोदय, पूरी दुनिया जानती है कि कालेधन की अर्थव्यवस्था के पीछे एक तिकड़ी है। जो तिकड़ी है, उसमें भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट व्यापारी और भ्रष्ट नौकरशाह शामिल हैं। जो तीन की तिकड़ी है, इससे लड़ने की सरकार की कितनी इच्छाशक्ति है, यह इसमें बहुत स्पष्ट दिखायी नहीं दे रही है। एक ओर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना भी हम देख रहे हैं, ये दोनों विरोधाभासी हैं। वर्ष 1955-56 में प्रोफेसर कैल्डोर इंग्लैंड से आए थे, जिन्होंने काली अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि कालाधन सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत है, वर्ष 1970 में बांचू कमेटी ने बताया कि यह 7 प्रतिशत है, वर्ष 1985 में एन.आई.बी.एफ.पी. के अध्ययन में 18 से 20 पर्सेंट इसे बताया गया और जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं आर्थिक अध्ययन योजना केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार जी के अनुसार वर्ष 1995-96 में यह 40 प्रतिशत और वर्ष 2005-06 में बढ़कर पचास प्रतिशत हो गया।...*(व्यवधान)* यह आकलन है, इसे किसी विरोधी दल ने नहीं दिया है। सरकार भी और बाबा रामदेव भी, दोनों कह रहे हैं कि कालेधन की मात्रा 1.4 खरब डालर तक हो सकती है। अरूण कुमार जी के अनुसार जो 1.4 खरब डालर धन है, यह एक अरब से अधिक आबादी वाले देश के मात्र 14 हजार लोगों का जमा है। एक अनुमान है कि 14 हजार लोगों ने इसे जमा किया हुआ है, फिर भी यह सरकार मौन क्यों बनी हुयी है? यह समझ से बाहर है। यदि देश को सचमुच शक्तिशाली व संपन्न बनाना है, विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा करना है, तो बिना किसी मोहमाया में पड़े हुए कि हमारी पार्टी के कोई बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, कोई बड़ा व्यापारी है, इस मोहमाया से ऊपर उठकर हमें विदेशी बैंकों में जमा एक-एक पाई को देश में लाने का पहला काम करना पड़ेगा। विदेशी बैंकों में जितनी राशि पड़ी हुयी है, अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि इससे हम पांच छह पंचवर्षीय योजनाएं बना सकते हैं।

आंकड़े बोल रहे हैं कि हम 14 करोड़ रुपये एक गांव में लगा सकते हैं। ये अनुमान आ रहे हैं। वैसी परिस्थिति में देश में कुछ नेता कुछ लोगों के विषय में बात कर रहे हैं कि बाबा रामदेव अपना एकाउंट दें, यह करें, वह करें। यह अच्छी बात है, वह भी हो। लेकिन ट्रांसपेरैंसी इंटरनेशनल संस्था के एक आकलन के मुताबिक कहा गया है कि 7 प्रतिशत काला धन घरेलू स्तर पर चोरी में फंसा हुआ है और 93 प्रतिशत धन गैर-कानूनी तरीके से विदेशों में जमा है। 7 प्रतिशत धन को निकालने की चिन्ता की जाए, बाबा रामदेव पर चिन्ता की जाए, किन्तु 93 प्रतिशत धन जो गैर-कानूनी तरीके से विदेशों में जमा है, उसके प्रति सरकार या सरकार चलाने वाले लोगों की उदारता समझ में नहीं आ रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अगर आपकी पार्टी के सभी अन्य सदस्य अनुमति दें तो मैं आपको और समय दे सकता हूं। भाजपा से बोलने वाले और भी बहुत से सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह: विदेशी पत्र-पत्रिकाओं में नाम छप रहे हैं। यदि देश में कोई नेता उसकी चर्चा करते हैं, कोई बाबा करते हैं, तो हम बाबा से भिड़ जाते हैं। भिड़िए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिनके नाम छपते हैं, उन्हें मोरारजी भाई से सबक लेना चाहिए। उनका नाम भी विदेश की एक पत्रिका में छपा था कि उनकी भारी धनराशि विदेश के बैंक में जमा है। उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया था और हर्ष नाम के एक व्यक्ति को माफी मांगनी पड़ी थी। जो लोग बाबा रामदेव के पीछे लगे हुए हैं, वे जरूर लगें, लेकिन अपने उन नेताओं से भी आग्रह करें, दबाव बनाएं कि यदि आपके नाम विदेश में छप रहे हैं तो मोरारजी भाई का अनुसरण कीजिए और मानहानि का मुकदमा कीजिए। यदि

ऐसा नहीं करते और बाबा रामदेव के पीछे लगे रहते हैं तो उन लोगों पर संदेह बढ़ेगा कि वे उनके पीछे लगे हुए हैं।

वित्त मंत्री जी का यह छटा बजट था। अर्थव्यवस्था की बेहतरी आम आदमी की उम्मीदों को नया आकाश नहीं दे सकी है। हमारे देश में एक से एक घोटाले और भ्रष्टाचार की करतूतें उजागर हो रही हैं, लेकिन उन पर कार्यवाही करने का जो लक्षण परिलक्षित होना चाहिए, वह इसमें दिखाई नहीं देता। मैं सारे घोटालों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आजादी के बाद से बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं, जैसे तेजा कांड, नागरवाला कांड, चुरहट लाटरी कांड, बोफोर्स आदि। मैंने पहले भी कहा कि घोटालों की बाढ़ आई हुई है। पिछले वर्ष कॉमनवैल्थ घोटाला हुआ।...*(व्यवधान)* देश की इज्जत दांव पर लग गई थी।...*(व्यवधान)* 70 हजार करोड़ रुपये के घोटाले हुए। आई.पी.एल. घोटाला हुआ।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं। अब आप समाप्त करें। श्री पी.एल. पुनिया।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंहः कारगिल शहीदों के नाम पर जो कुछ हुआ, मैं उसकी भी विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन 1,70,000 करोड़ रुपये का दूरसंचार घोटाला हुआ और उसके संबंध में जब जे.पी.सी. की मांग की गई तो सरकार जिस प्रकार भ्रष्टाचारियों के पक्ष में सीना तानकर खड़ी थी, उससे देश के आम लोगों का संदेह बढ़ता है कि सरकार को आम आदमी की चिन्ता नहीं है।...*(व्यवधान)* अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि देश में जो कुछ हो रहा है, मैं उसका श्रेय माननीय प्रधान मंत्री जी को देता हूं। मैं भी देता हूं। इसरो की जो एक व्यावसायिक संस्था है, देवास कम्पनी के साथ जो समझौता हुआ, देश के चार शीर्षस्थ अधिकारियों की जानकारी में हुआ।...*(व्यवधान)* उसे रद्द कर दिया गया।...*(व्यवधान)* लेकिन घोटाले की प्रवृत्ति को दंडित करने का कोई उपाय नहीं किया गया है। घोटाले और भ्रष्टाचार आतंकी सुरक्षा के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण विषय हो गए हैं। हसन अली के मामले में संबंध में पूरा देश सोच रहा है कि यह अकाट्य साक्ष्यों वाला मामला था, जिसके साक्ष्यों को कोई काट नहीं सकता, उसे इतने दिन तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उसे तब गिरफ्तार किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। गिरफ्तार भी किया गया तो उस पर उन धाराओं का उपयोग नहीं किया जिनका करना चाहिए। इससे सरकार की नीयत का पता लगता है।...*(व्यवधान)*

बजट में खाद्य सुरक्षा की बात की गई है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक हजार करोड़ रुपये के जन वितरण प्रणाली के घोटाले की जांच में वहां के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, एक पार्टी के बड़े नेता गिरफ्तार किए गए हैं।...*(व्यवधान)* पन्द्रह वर्षों तक बिहार में जो भ्रष्टाचार हुआ, उससे भी ज्यादा कांग्रेस शासित राज्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है। असम में जो हुआ, नेशनल इन्वैस्टिगेटिव एजेंसी... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

** **श्री हरिभाऊ जावले** (रावेर): आज हमें मुद्रास्फीति की दर, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी जैसी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आम आदमी चिंतित होकर हाल के वित्तीय बजट में सुधारात्मक उपायों तथा इन कठिनाइयों से पार पाने के लिए मार्ग की प्रतीक्षा कर रहा था और अंततः उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा।

सरकार कृषि विकास के लिए अपने प्रयासों के द्वारा तथा किसानों पर ध्यान केंद्रित करके कम से कम बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करके इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेगी। माननीय वित्त मंत्री देश में कृषि कार्यकलापों में वृद्धि करने के लिए किसानों को कुछ आकर्षक एवं प्रोत्साहनकारी पैकेज का प्रस्ताव करेंगे।

जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने सही कहा है कि कृषि में पुनरुत्थान देखने को मिला है और अर्थव्यवस्था संकट-पूर्व के वृद्धि के प्रक्षेप पथ पर वापस लौट रही है। यू.पी.ए. सरकार आने वाले वर्षों के लिए अपनी प्राथमिकताओं की योजना बना रही है, वर्ष 2011-12 के लिए मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने और विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के बढ़ते मूल्यों के प्रभाव से आम आदमी की रक्षा करने की योजना बना रही है।

माननीय मंत्री द्वारा इस बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार कृषि व्यय सकल प्राप्तियों का लगभग 2.46% है जबकि वर्ष 2010-11 में यह 2.86% था। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि सरकार कृषि विकास को प्रोत्साहन देने के नाम पर दिखावा करना चाहती है, पर वास्तविक रूप में इस प्रयोजनार्थ कुल प्राप्तियों में से कम धनराशि उपलब्ध/आरक्षित की गयी है। वर्तमान स्थिति में समग्र रूप से बढ़ती कीमतों के साथ कृषि विकास के लिए किस तरह इतनी कम धनराशि के प्रावधान पर विचार/कल्पना की गई है। बजट आंकड़ों से यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि सरकार कृषि विकास के प्रति इच्छुक नहीं है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जैसा कि सरकार वर्ष 2020 तक हमारे देश के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य बना रही है, तो ऐसे में कृषि विकास दर वर्तमान विकास दर की तुलना में निश्चित रूप से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। कृषि विकास दर में लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार को चाहिए कि वे गुजरात स्टेट मॉडल पैटर्न को अपनाएं/ अनुसरण करें। गुजरात राज्य ने कृषि के क्षेत्र में चमत्कार कर दिखाया है।

देश में कृषि विकास दर प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र के अवसंरचनात्मक विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए जैसे-खेत के समीप सड़कें बनाई जानी चाहिए। इससे किसान कम समय में अपनी कृषि उपज को बेहतर तरीके से संभालने के साथ-साथ तैयार फसल को बाजार में ले जाने के लिए शारीरिक श्रम के कारण लगाने वाले समय को भी बचाने में समर्थ होंगे।

खेतों में पानी देने के लिए उन्नत सिंचाई प्रणाली प्रदान करना। ड्रिप सिंचाई प्रणाली पर पांच वर्षों में एक बार राजसहायता प्रदान करना क्योंकि पी.वी.सी. से बने ट्यूब, माइक्रो ट्यूब और अन्य उपकरण खराब हो जाते हैं तथा समय-समय पर तापमान में आने वाले परिवर्तनों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाओं के परिणामस्वरूप तीन से चार फसलों के बाद इनमें रिसाव होना शुरू हो जाता है। प्रत्येक एकड़ कृषि भूमि पर पानी उपलब्ध कराना।

कृषि उपकरणों तथा मुख्यत: खेतों को पानी देने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी की ड्रिप सिंचाई हेतु उपयोग किए जाने वाले वाटर पंपों को चलाने के लिए विद्युत की 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति कराना।

जल में घुलनशील उर्वरकों पर राजसहायता प्रदान करना क्योंकि पानी देने की पारम्परिक प्रणाली को छोड़कर अब ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें 80 प्रतिशत उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इससे उन उर्वरकों पर प्रदान की जाने वाली राजसहायता को बचाया जा सकेगा जिनका प्रयोग किए जाने का औसत लगभग 22-35 प्रतिशत है।

कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से समर्पित भिन्न-भिन्न किस्मों के उच्च गुणवत्तापरक बीज उपलब्ध कराना।

कृषि क्षेत्र में किसानों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देना। इसके साथ ही विकास के इच्छुक किसानों को नवीनतम जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ उनका मार्गदर्शन करना।

आसपास के क्षेत्र में मूल्यवर्धन कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां प्रदान करना ताकि खराब न होने वाली वस्तुओं को अधिक समय तक प्रयोग किया जा सके और खराब होने वाली वस्तुओं को जब भी आवश्यकता हो उनके मूल रूप में उपयोग किया जा सके।

कृषि उत्पादों का भंडारण करने की सुविधा उपलब्ध कराना ताकि बाजार मांग के अनुसार बेहतर मूल्य वसूल किया जा सके। यदि किसानों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तो वह उन्हें पूरे वर्ष केवल अपनी भूमि पर अधिकाधिक खेती करने के प्रयास करेगा। उसके भण्डारण और बाजार में उसे बेचने की चिंता करेगा और जब उसे लगेगा कि बाजार बेहतर मूल्य के लिए स्थिर है तब वह उसे बेचकर लाभ अर्जित करेगा। इसके साथ ही उसे उत्पाद के सड़ने अथवा खराब होने की भी चिंता नहीं करनी होगी क्योंकि उसे अपेक्षित भण्डार सुविधा में रखा जाएगा जहां बेहतर मूल्य प्राप्त करने हेतु उसके जीवनकाल को बढ़ाया जा सकता है।

सरकारी गोदामों में जिन वस्तुओं का भंडारण किया गया है उनके लिए कम ब्याज पर वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराना और किसान द्वारा बाजार मूल्य प्राप्त किए जाने के बाद संवितरित की गई धनराशि समायोजित की जा सकती है। इससे किसानों को सहायता मिलेगी क्योंकि उसकी निधियां अवरुद्ध नहीं होंगी अथवा उसे वास्तविक मूल्यों का ध्यान किए बिना बाजार मूल्य की वसूली की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी।

अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान को उसकी कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रति आश्वस्त किया जाना।

मौसम आधारित बीमा योजना आरम्भ करना ताकि देश की समग्र अर्थव्यवस्था में सुधार करने हेतु किसानों का मनोबल बढ़ाया जा सके और वह अपने कृषि उपज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करें।

किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू की जानी चाहिए।

मेरा अनुरोध है कि कृषि क्षेत्र में यह बदलाव लाने के लिए वैसा ही पृथक बजट होना चाहिए जैसा कि हम रेलवे के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि उचित समय पर आवश्यक प्रावधान करके उपर्युक्त सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके। चूंकि सरकार ने इस बजट में कृषि क्षेत्र हेतु देश में प्राप्त होने वाले कुल राजस्व में से 2.46 प्रतिशत का प्रावधान किया है अत: इस बजट से कृषि क्षेत्र में आज से बेहतर स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती।

मैं अंतिम प्रयोक्ता अथवा उपभोक्ता को राजसहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत करता

हूं। जैसा कि सरकार ने घोषणा की है राजसहायता सीधे प्रयोक्ता अथवा उपभोक्ता को दी जाएगी। यह कार्य व्यक्तिगत पहचानपत्र द्वारा किया जा सकता है। सरकार ने घोषणा की है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का पहचान पत्र बनाया जाएगा और सबके लिए व्यक्तिगत पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।

यदि भारत के प्रत्येक नागरिक को एक बार व्यक्तिगत पहचान पत्र संख्या जारी कर दी जाती है, तो प्रयोक्ता को किसी भी स्तर पर सीधे राजसहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है और उसकी निगरानी सरलता से की जा सकती है।

आयकर स्लैब के मामले में आम आदमी ने सोचा कि आयकर से छूट की अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाएगा। जैसाकि सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इसलिए कर अदायगी के मामले में आयकर में समानुपातिक छूट की उम्मीद की गई थी। एक तरफ सरकार कहती है और प्रमाणित करती है कि 4.50 लाख से कम की आय अर्जित करने वाले क्रीमी लेयर में नहीं होंगे। कम-से-कम समाज के इस वर्ग के लोगों को किसी भी प्रकार की कर अदायगी से छूट दी जानी चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के लिए आयकर से छूट की सीमा नॉन-क्रीमी लेयर के लिए परिभाषित आय की ठीक आधी है। स्वयं सरकार के आकलन में ही विरोधाभास है। गत वर्ष के बजट भाषण में मैंने रेलवे के मामले में सरकार का ध्यान उनके ऐसे ही विरोधाभासों में से एक की ओर आकृष्ट कराया है जिसमें पुरुषों के मामले में वरिष्ठ नागरिक की उम्र सीमा 65 रखी गई थी और आयकर के मामले में यह सीमा 60 रखी गई थी। हालांकि पुरुषों के मामले में रेलवे और आयकर दोनों ही के लिए अब यह उम्र सीमा बदलकर एक ही कर दी गई है। चालू बजट में महिलाओं के मामले में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह फिर से सरकार का एक विरोधाभासी बयान है। महिलाओं के लिए आयकर से छूट की सीमा को इस स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके और समाज में आम महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके।

प्राइवेट ट्रेडरों और छोटे उद्यमियों के लिए कर अंकेक्षण की सीमा को नहीं बढ़ाया गया है जिससे कि इस वर्ग के छोटे-छोटे ट्रेडरों को कर अंकेक्षण की सभी औपचारिकताओं से छूट दी जा सके। इस सीमा को बढ़ाकर कम-से-कम 1.50 करोड़ किया जाना चाहिए, जबकि यह सीमा 60 लाख के कारोबार तक ही सीमित है।

इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं। इतना ही नहीं सेवा कर का प्रावधान करने के कारण निजी अस्पतालों में कमी आयी है जिसके कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्चों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए इस बजट में कोई ठोस और परिणामोन्मुखी कार्रवाई का प्रस्ताव नहीं किया गया है। बजट में आधारभूत संरचना के विकास की निरंतरता को बनाए रखने का प्रावधान किया गया है और देश में बेरोजगारी को कम करने का प्रस्ताव तक नहीं किया गया है। साथ ही, भ्रष्टाचार और घोटाले के मामले हैं जिनमें बड़ी धनराशि की संलिप्तता की असलियत उजागर होती है, किन्तु विचाराधीन बजट में ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रखने या शुरुआती स्तर पर ही इन्हें रोकने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं बनाया गया है या कोई कदम नहीं उठाया गया है।

अल्पसंख्यक समुदाय के मामले में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है। बजट के प्रस्तुतीकरण से यह प्रतीत होता है कि यह बड़े उद्योगपतियों के लिए बनाया गया है और छोटे-छोटे ट्रेडरों व निर्माताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

महिलाओं से संबंधित बढ़ रही समस्याओं को देखते हुए महिलाओं के जन्म से ही बेहतर स्वास्थ्य के रख-रखाव, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, रोजगार, सामाजिक दायित्व, शोषण आदि के क्षेत्र में कोई उत्साहजनक प्रावधान या अभियान नहीं सुझाया गया है।

वर्ष 2011-12 के बजट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यकलापों का कोई उल्लेख तक नहीं है। भारत में फलों और सब्जियों के कुल उत्पादन का तकरीबन 40.50% नष्ट होता जा रहा है, क्योंकि इन उत्पादों के समुचित भंडारण की सुविधा और इनके प्रसंस्करण का अभाव है। चूंकि कृषि उत्पाद ही वास्तविक उत्पादन है और अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा योगदान है, इस क्षेत्र में समुचित भंडारण सुविधा और प्रसंस्करण उद्योग न होने के कारण फलों और सब्जियों के उत्पादन में लगे समय, धन और ऊर्जा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को और नई योजनाएं शुरू करने की जरूरत है जिससे कि कृषि उत्पादों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सब्जियों/फसलों/फलों के खेत के निकट ही छोटी-छोटी यूनिटें स्थापित की जा सकें और इन्हें नष्ट होने देने के बजाय देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ऐसे और अधिक उत्पादों को शामिल किया जा सके।

हम एक तरफ शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। भवन, व्यक्तिगत सुविधाओं के प्रावधान,

पेय जल की सुविधा, समुचित फर्नीचर व खेलकूद की सामग्री आदि जैसी आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के विकास की कोई योजना नहीं है। एस.एस.ए. योजनाओं में इन्हें शामिल करने के लिए दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही, प्राइमरी और सेकण्डरी स्कूलों में उच्च शिक्षा और कम्प्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों की ओर से सहायता दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट की चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री पुनिया जी के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया: आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मैंने दो दिन से...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया: मैं दो दिन से बजट पर चल रही चर्चा को बड़े ध्यान से सुन रहा था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया: मुझे बड़ा आश्चर्य है कि हमारे विपक्षी सहयोगी दल...*(व्यवधान)* लगता है कि वे बजट पढ़कर नहीं आये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया उनके भाषण में व्यवधान मत डालिए। श्री पुनिया जी के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)..**

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपके पास पर्याप्त समय है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया: सभापति महोदय, वे उन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, जिनका बजट से कोई लेना-देना नहीं है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अगली बार आप कृपया समय का ध्यान रखिएगा। श्री पुनिया जी आप शुरू कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया: सभापति महोदय, आप हाउस को ऑर्डर में कीजिए।...*(व्यवधान)* महोदय, अभी सभा में शोर शराबा है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह मैं भी समझता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया: सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं।...*(व्यवधान)* आप माननीय सदस्यों को शांत रहने के लिए निर्देशित करें, ताकि मैं अपनी बात कह सकूं।...*(व्यवधान)* जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि पिछले दो-तीन दिनसे बजट के बारे में चर्चा हो रही है।...*(व्यवधान)* मैंने विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों के भी विचार ध्यान से सुने।...*(व्यवधान)* हमारे सहयोगी सांसदगण के भी विचार सुनें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपने सहयोगी को अपने मुद्दों की जानकारी दे दीजिए। आप पहले ही समाप्त कर चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया: मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस तरफ बैठे हुए हमारे सहयोगी सांसदगण, लगता है कि उन्होंने बजट को पढ़ा नहीं है...*(व्यवधान)* उन्होंने बजट को सुना भी नहीं है।..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया था।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री पुनिया, आप अपना भाषण पुन: शुरू कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया: आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो भाषण दिया था, लगता है कि उन्हें उस बारे में कोई जानकारी नहीं है।...*(व्यवधान)* मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था।...*(व्यवधान)* उसमें विपक्ष की तरफ से कहा गया कि कोई भी वर्ग इस बजट से प्रसन्न नहीं है।...*(व्यवधान)* मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस बजट में बुनकर भाइयों का तीन हजार करोड़ रुपया बैंक लोन माफ कर दिया। क्या यह ठीक कदम नहीं है?...*(व्यवधान)* क्या आप उससे सहमत नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): इस संबंध में फाइनेंस मिनिस्टर जवाब देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री पन्ना लाल पुनिया: नाबार्ड के माध्यम से...*(व्यवधान)* मैं जो बोलूंगा, आप उसकी समीक्षा नहीं कर सकते।...*(व्यवधान)* आप कृपया ध्यान से सुनिये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मेरा यह अनुरोध है कि हमें चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। सभी प्रश्नों का उत्तर बाद में उत्तर के दौरान दे दिया जाएगा।...*(व्यवधान)* हम पहले ही बहुत समय गंवा चुके हैं। अत: मेरा अनुरोध यह है कि हमें और समय व्यर्थ न करके चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया: सभापति महोदय, मैंने यह कहा कि नाबार्ड से तीन हजार करोड़ रुपया...*(व्यवधान)* इस बजट में नाबार्ड को प्रदान किया गया।...*(व्यवधान)* नाबार्ड को वह रुपया दिया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री पुनिया जी के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया: मैंने पहले ही कहा कि हमारे विपक्षी सहयोगी लोग न बजट पढ़ते हैं और न ही उन्होंने वित्त मंत्री जी का भाषण सुना है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ भी आपत्तिजनक होने पर उसे रिकार्ड से हटा दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.00 बजे

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया: नाबार्ड को 3000 करोड़ रुपये बुनकरों का लोन माफ करने के लिए दिए गए हैं।...*(व्यवधान)* मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सिल्क यार्न के इम्पोर्ट पर जो 30 प्रतिशत ड्यूटी थी, उसे घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है, उससे भी आप सहमत नहीं हैं।...*(व्यवधान)* यह बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया पीठ को सम्बोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री पुनिया जी कृपया पीठ को सम्बोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, पहले ही बहुत सी बातों पर संसद का बहुत समय जाया हो चुका है। आपस में फैसला हुआ था, एक दूसरे की बात सुनने का थोड़ा धैर्य रखें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री पुनिया जी के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: एक दूसरे को सुनने की थोड़ी सी सहनशीलता रखें।...*(व्यवधान)* बाद में आपके सदस्य भी बोलेंगे। आपके सदस्य भी इसमें हिस्सा लेंगे, आपको समय मिलेगा।...*(व्यवधान)*

श्री पन्ना लाल पुनिया: महोदय, अगर मेरी किसी बात से माननीय सदस्यों को तकलीफ पहुंची हो, तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। कृपया शांति बनाकर मेरी बात को शांतिपूर्वक सुनें।..*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: अगर किसी माननीय सदस्य के एक-एक वाक्य पर एतराज करना शुरू हो गया, तो संसद कैसे चलेगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री पुनिया जी की बात के अलावा कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)... *

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: आप लोग हाउस को चलने दीजिए। कोई रोक नहीं रहा है। आप अपनी बारी में बोलते हुए कह दीजिए जो कुछ आप बोलना चाहेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया आपस में बात मत कीजिए।

(व्यवधान)... *

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण कृपया आपस में बात मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा)**:** महोदय, यह बजट की कॉपी है। इसे पढ़िए इसमें क्या लिखा है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री निशिकांत दुबे जी, जब आप बोल रहे थे तो किसी ने भी आपके भाषण में व्यवधान नहीं डाला।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री पुनिया जी आप बोलते रहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनियाः महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम माननीय सदस्य ने इसी बहाने वित्त मंत्री जी के भाषण की कॉपी निकालकर देख ली।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री पुनिया जी के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनियाः महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि सिल्क यार्न के इम्पोर्ट पर 30 प्रतिशत ड्यूटी थी, वह घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गयी है, क्या यह उचित नहीं है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया शांत रहिए। कृपया उनके भाषण में व्यवधान मत डालिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनियाः महोदय, स्पेशल कंपोनेंट का पैसा सामान्य रूप से चला जाता था, अब इस बजट के माध्यम से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि इसका अलग से बजट हेड रखा जाएगा और वे योजनाएं बनेंगी, जिनसे पूरी तरह अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लोगों को ही लाभ होगा। क्या यह सही कदम नहीं है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः पुनिया जी, कृपया पीठ को सम्बोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनियाः महोदय, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए अब तक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं थी, उसे अब लागू किया गया है। 40 लाख अनुसूचित जाति के छात्र एवं 20 लाख अनुसूचित जनजाति के छात्रों को इससे लाभ होगा। क्या इससे आप प्रसन्न नहीं हैं। वीमेन सेल्फ हेल्फ ग्रुप को 500 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है। इसके माध्यम से हमारी माताओं-बहनों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। किसानों के लिए 4,75,000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि 4,75,000 करोड़ रुपये क्रॉप लोन दिया जाएगा। क्या यह सही कदम नहीं हैं?

इफेक्टिव रेट आफ इंटरेस्ट, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि अगले साल फसली ऋण में चार प्रतिशत के रीजिम में ले आएंगे, उन्होंने इस बजट भाषण में अपना वादा पूरा किया और क्राप लोन का इफेक्टिव रेट आफ इंटरेस्ट चार प्रतिशत करने का प्रावधान किया है। क्या यह एक महत्वपूर्ण निर्णय नहीं है?

विपक्ष की मांग रही है कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार होता है इसलिए बदले में सब्सिडी वह सीधे गरीबों को मिलनी चाहिए। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि सरकार नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी और वह वर्कआउट करेगी कि सब्सिडी लोगों तक पहुंचने में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे उसे खत्म करके सीधे गरीबों को दी जाए। यह एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घोषणा है। हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए।

विपक्ष की तरफ से यह भी कहा गया है कि युवाओं के लिए बजट में कुछ नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि प्री मैट्रिक की तो स्कालरशिप अनुसूचित जाति व जनजाति को दी गई है, साथ ही वोकेशनल एजुकेशन को भी जोड़ा गया है और उसके लिए पहली बार पैसे का प्रावधान किया गया है। आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चे बी.ए., एम.ए. की डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। इसलिए ऐसी शिक्षा सही नहीं है जो

रोजगार न दे सके। इसलिए वित्त मंत्री जी ने शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने का काम इस बजट के माध्यम से किया है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं।

वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में वरिष्ठ नागरिकों की आयु सीमा 65 से घटाकर 60 वर्ष करने का काम किया है और एक अति वरिष्ठ नागरिक की नई श्रेणी का प्रावधान किया है। इसके लिए अलग से घोषणा की गई है। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को भी इस बात के लिए वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करनी चाहिए। इसी तरह शिक्षा, चिकित्सा के लिए अलग से बढ़ाकर प्रावधान किया गया है। शिक्षा के लिए 24 प्रतिशत और हैल्थ के लिए 30 प्रतिशत बजट आबंटित करना कोई मामूली बात नहीं है। मैं इसके लिए भी वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा।

वित्त मंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं होने का प्रमुख कारण इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि वहां रोड नहीं है, शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं संतोषजनक नहीं हैं और रेलवे की सुविधा पर्याप्त नहीं है। इसलिए वित्त मंत्री जी ने इन पर ध्यान दिया है। यह आंकलन है कि अगर 12 प्रतिशत ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं होगी, तो हम जी.डी.पी. की ग्रोथ रेट नौ प्रतिशत नहीं पा सकते। आज वैश्विक मंदी है, दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, कई बैंक फेल हो गए हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में हायर रेट आफ ग्रोथ और फिस्कल डेफिसिट को भी कम किया जा रहा है। इसकी हमें भूरि-भूरि प्रशंसा करनी चाहिए। आज 2,14,000 करोड़ रुपए अवस्थापना पर खर्च किए जा रहे हैं यानि पूरे बजट का 48.5 प्रतिशत अर्थात करीब-करीब आधे बजट की राशि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रही है, इसकी तारीफ होनी ही चाहिए। हमारी सरकार की इन नीतियों और कामों की वजह से ही आज दुनिया में भारत की चर्चा है। आज अमेरिका में ग्रोथ रेट 2.8 प्रतिशत, चीन में 8.7 प्रतिशत, जापान में 1.8 प्रतिशत, पाकिस्तान में 2.6 प्रतिशत और भारत में 8.6 प्रतिशत है। आज देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है और इसी वास्ते देश विकास के रास्ते पर जा रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा यहां आकर अपने देश के लिए 50,000 नौकरियां चाहते हैं। संसद भवन में सेंट्रल हाल में उन्होंने अपना भाषण भी दिया था और हिन्दुस्तान की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। इसी तरह से चीन के प्रधान मंत्री हमारे देश में आए। वह अपने साथ 250 से ज्यादा सी.ई.ओज और विभिन्न उद्योगपतियों को लेकर आए थे। रूस और फ्रांस के शासनाध्यक्ष भी आए और उन्होंने भी अपने-अपने देशों के साथ सम्बन्ध बढ़ाने की पेशकश की। इस तरह से ये सब चीजें हमारे सामने हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है और हमें इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए।

मैं समझता हूं इस बजट के माध्यम से, पी.पी.पी. मोड के माध्यम से, निजी निवेश और एफ.डी.आई. के माध्यम से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पहले 20 बिलियन यू.एस. डालर्स का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर 25 बिलियन यू.एस. डालर्स कर दिया गया है। हमने हर व्यवस्था की है और इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष रूप से तरजीह मिले और इसे बढ़ावा दिया जाए जिससे समग्र रूप से हमारा विकास होने में हमें सहायता मिले। हमें इसका स्वागत करना चाहिए।

भारत निर्माण योजना में 58 हजार करोड़ रुपया दिया गया है। कहा गया कि नरेगा में हमने प्रावधान कम कर दिया लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि 10 हजार करोड़ रुपया राज्य सरकारों के पास पहले से मौजूद है और उसे ध्यान में रखते हुए नरेगा योजना के अंदर जो व्यवस्था है वह एक नीड-बेस योजना है, उसमें जितनी भी धनराशि की आवश्यकता होगी, केन्द्र सरकार उसे देने के लिए बाध्य है। इस तरह की बातों को लेकर जो छोटे-छोटे मामले उठाए जाते हैं वे सही नहीं हैं।

प्रधान मंत्री सड़क योजना में 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना केवल गांवों के लिए है। किसान अपनी फसल को शहर तक पहुंचाने के लिए सुविधा महसूस करे, उसके लिए यह योजना है। लगभग चार वर्ष पहले जब हम अपने क्षेत्र में जाते थे तो कच्ची सड़कें हुआ करती थीं, आज पक्की सड़कें हैं। आज किसानों को बड़ी सुविधा हो रही है। मैं समझता हूं कि इन सबके लिए हमारी प्रशंसा होनी चाहिए।

इंदिरा आवास ग्रामीण पेय जल की योजना है। साथ ही जो पूरे हिंदुस्तान में ढाई लाख पंचायतें हैं उन सभी ग्राम पंचायतों पर ब्रॉड-बैंड कनैक्टिविटी तीन साल में उपलब्ध कराई जाएगी। इस बजट में उसका प्रावधान नहीं है लेकिन उसमें बताया गया है कि 10 हजार करोड़ रुपया इसमें तीन साल में पूरा लगाया जाएगा, यह क्या मामूली बात है। जगह-जगह जहां रुपयों की आवश्यकता पड़ी है हमने दिया है। सड़कों, राजमार्गों के लिए 10343 करोड़ रुपया, राज्य और सीमावर्ती मार्गों के लिए 2930 करोड़ रुपया, पूर्वोत्तर राज्य सड़क परियोजना के लिए 68 करोड़ रुपया और प्रधान मंत्री सड़क योजना के लिए 20000 करोड़ रुपया, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के लिए 6000 करोड़ रुपया इसमें दिया गया है। जल विद्युत के लिए 813 करोड़ रुपया, परमाणु विद्युत के लिए 4807 करोड़ रुपया, ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए 2340 करोड़ रुपये का प्रावधान है। ऊर्जा हमारी आधुनिक सभ्यता का प्रतीक है।

11वीं पंचवर्षीय योजना में हमने पहले 78 हजार मेगावाट अतिरिक्त कैपेसिटी जेनरेट करने का लक्ष्य रखा, उसे पुनरीक्षित करके 68 हजार मेगावाट किया है और मैं समझता हूं कि 11वीं

पंचवर्षीय योजना में 48 हजार मेगावाट अतिरिक्त क्षमता हम हासिल करेंगे, यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। पिछले पंचवर्षीय योजना में 21 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता में वृद्धि की थी लेकिन अब हम दुगुने से ज्यादा केपेसिटी जेनरेट कर पायेंगे। मैं समझता हूं कि बिजली, रेल, बंदरगाह, हाउसिंग के लिए 30 हजार करोड़ रुपया के टैक्स फ्री बांड जारी करने का प्रावधान है जिसमें 10 हजार करोड़ रुपये रेल के लिए, 10 हजार करोड़ राजमार्गों के लिए, 5 हजार करोड़ रुपया बंदरगाहों के लिए, पांच हजार हाउसिंग के लिए दिया है। मैं समझता हूं कि रुरल गोदाम की एडीशनल कैपेसिटी बढ़ाकर 24 लाख टन का प्रावधान किया है।

मैं सिर्फ दो बिंदुओं पर और बोलूंगा जो मेरे संसदीय क्षेत्र से संबद्ध रखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज-7 और फेज-8 में 104 सड़कों के प्रस्तावों को काफी दिनों से प्रश्यू किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इन रोड्स का महत्वपूर्ण रोल है और इन्हें शीघ्रता से कराने का प्रयास करें। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो होस्टल्स हैं, केन्द्र की सहायता जहां ली जाती है, उनकी हालत बहुत खस्ता है। छात्रों को डायनिंग सुविधा एक भी होस्टल में नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसके लिए केन्द्र सरकार से पहल होनी चाहिए और यह व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

केन्द्र सरकार के धन से बना इलाहाबाद में पंत होस्पिटल है, वहां भी यही स्थिति है जो कोचिंग सेंटर के लिए बना है केंद्र सरकार द्वारा एक दल भेज कर वहां की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए, बल्कि ऐसा पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, ताकि दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति से संबंधित जितने छात्र हैं, वे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। ट्यूशन फीस तथा छात्रवृत्ति की भी यही समस्या है।

मैं एक महत्वपूर्ण बिंदू की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि संविधान में संशोधन के बावजूद, जिसमें एस.सी., एस.टी. जाति के अधिकारी और कर्मचारी को प्रमोशन में भी आरक्षण मिलता था, लेकिन एम. नागराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बंदिश लगाई है। मैं समझता हूं कि काफी समय से अनुसूचित जाति से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। इस विषय में संविधान संशोधन करके उनके अधिकारों को सुरक्षित और सुनिश्चित किया जाए।

स्पेशल कम्पोनेंट प्लानका जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने स्पेशल बजट हैड बनाया है, इसी प्रकार से सभी राज्य सरकारों को भी करना चाहिए। मैंने जगह-जगह भ्रमण किया है। मैंने यह पाया है कि ज्यादातर राज्यों में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का पैसा सामान्य योजनाओं में खर्च कर दिया जाता है और उसका लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को नहीं मिलता है। मेरा निवेदन है कि इस बारे में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। माइनोरिटी, अल्प संख्यक लोगों के लिए चार इंटर कालेज स्वीकृत कराए थे। जैदपुर, अहमदपुर, शाहपुर, बिल्लौर, सिर्फ छात्राओं के लिए मैंने होस्टल और इंटर कालेज मांगे थे। वह पैसा स्वीकृत हो कर प्रदेश में जा चुका है, लेकिन राज्य सरकार के माध्यम से जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जिलों में पैसे का ट्रांसफर नहीं किया है। कृपया मोनिटरिंग करके सुनिश्चित करें कि हिंदुस्तान में जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, उनका पैसा सही ढंग से प्रयोग किया जाए और योजनाओं पर समयबद्ध तरीके से काम हो। मेरे क्षेत्र में हसनपुर टांडा है, किन्तूर है, लालपुर करोता, हैदरगढ़, सुबया है, बांसा, बयारा है, ये माइनोरिटी के प्रमुख गांव हैं, इनमें भी लड़कियों के लिए इंटर कालेट की बहुत आवश्यकता है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बजट विकासशील बजट है, यह ऐतिहासिक बजट है और इसका स्वागत करना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

* **डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी** (भुवनेश्वर): मैं सामान्य बजट 2011-12 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। वर्ष 2011 की विशेषताओं, प्रतिक्रियाओं और विश्लेषण तथा मुख्य विशेषता तीव्र और व्यापक पैमाने पर आधारित विकास ने अर्थव्यवस्था को पुन: संकटपूर्व विकास दर पर पहुंचा दिया है। इसका समेकन करने पर यह कभी कभी अत्यन्त प्रभावी प्रतीत होता है और कभी कभी नकारात्मक सिद्ध होता है। इसमें महत्वपूर्ण संस्थागत सुधारों में विशिष्ट प्रगति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तनशीलता और शहरी क्षेत्रों में संसाधनों के प्रवाह को उजागर किया जाना चाहिए था। काले धन का विश्लेषण केवल इसी आधार पर किया जाना चाहिए कि काला धन किस प्रकार ईमानदारी से कमाए धन को भी बाजार से बाहर ले जाता है। आप चाहे जितने भी धन का आबंटन करें जब तक आप भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार और काले धन के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं करेंगे तब तक बजट से कुछ नहीं होने वाला। संविधान के अनुसार जितना भी धन दिया जाए यदि उसका उचित उपयोग नहीं होगा तो शीघ्र ही आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा जैसा कि राष्ट्र में हो रहा है पूंजीवादी देश की अर्थव्यवस्था को हथियाते जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आर्थिक आपदा कंगाली के महासागर में भंवर पैदा कर दे। आज हम ऐसे राजनैतिक परिदृश्य का सामना कर रहे हैं जहां काले धन के सृजन और परिचालन की समस्या से निपटने के लिए पांच स्तरीय कार्य नीति अपनाई जाएगी। मनी लान्डरिंग विरोधी कार्य में शामिल विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

एजेन्सियों की निगरानी करना। वित्त मंत्री ने देश के भीतर और बाहर बेहिसाब आय और सम्पत्ति रखने वालों के संबंध में अध्ययन शुरू किया है। मैंने स्विस बैंक में पार्टी पर ध्यान दिए बिना राजनीतिज्ञों के काले धन संबंधी यही मुद्दा तीन वर्ष पहले उड़ीसा विधान सभा में उठाया था। स्विट्जरलैंड केवल अपनी बैंकिंग नीति के कारण फल-फूल रहा है। और हमारे देश के अधिकांश राजनीतिज्ञ अपना काला धन स्विस बैंकों में जमा कर रहे हैं। केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं अपितु नौकरशाह भी अपना धन स्विस बैंकों में जमा करवा रहे हैं। धन हथियाने वालों, जिन्हें मैं धन पासु कहता हूं, द्वारा देश का सारा काला धन जमा किया जा रहा है परंतु किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और मेरी बात को नजरअन्दाज किया। तीस वर्ष बाद संसद में वही सब दोहराया जा रहा है। यही कारण है कि देश में अत्यधिक आर्थिक असन्तुलन है और देश आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हो पा रहा है। मैं मंत्री जी का तहेदिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने विदेशों में जमा काले धन की जांच करवाने की घोषणा की। हमारा राज्य गरीबी रेखा से नीचे है।

श्री नवीन पटनायक के मुख्यमंत्री बनने से पहले पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपने राजनैतिक कार्यकाल में 18000 करोड़ रु. से अधिक ऋण लेकर कुछ भी नहीं किया। वर्तमान में मुख्यमंत्री ने पद ग्रहण करने के पश्चात् ऋण लौटाया और उनके उत्कृष्ट नेतृत्व में उड़ीसा राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत आय में बढ़ोत्तरी हुई। मैं देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि वे हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री के पदचिन्हों पर चलें जिस प्रकार वह हमारे राज्य को धीरे-धीरे उत्कृष्ट बना रहे हैं और देश में सर्वोत्तम राज्य बना रहे हैं उसी प्रकार वह भी उनका अनुसरण करें। सत्ता में आने के कुछ समय के भीतर ही उन्होंने पार्टी के घोषणापत्र द्वारा राज्य के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है।

परंतु मैं हाथ जोड़कर यह विरोध दर्ज करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार हमारे राज्य को पूर्णत: नजरअन्दाज करके हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं संसद में कई बार यह आग्रह कर चुका हूं कि हमारे राज्य के लिए और अधिक धन आबंटित किया जाए। हमारा राज्य रेल क्षेत्र में केन्द्र को प्रतिवर्ष लगभग 8000 करोड़ रु. ही मिल रहे हैं। यह केवल एक विभाग का विश्लेषण है। आप अन्य विभागों का भी विश्लेषण कर सकते हैं। आजादी के 60 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी हमारा राज्य केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णत: नजरअन्दाज किए जाने के कारण पीछे रह गया है। हमारे यहां खाण्डागिरि, फेयर स्टेशन क्रासिंग, बनीविहार, आचार्य विहार, रसूलगढ़ में पांच फ्लाई ओवर बनाने की आवश्यकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनके निर्माण में इतना अधिक विलम्ब क्यों हो रहा है। इसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग क्रासिंग पर यातायात बढ़ने से वहां रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। भुवनेश्वर मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। इसी प्रकार मेरे निर्वाचन क्षेत्र के खुदरा जिले में सरल सिंह गेट से वलूगांव होकर बरकुल गेट तक तुरंत एक उपमार्ग बनाया जाए। बढ़ते यातायात से बचने के लिए उपमार्ग बनाने की मांग को भी पूर्णत: नजरअन्दाज किया गया है। मैं खुदरा, भुवनेश्वर और कटक को जोड़ने के लिए वहां मैट्रो चलाने की कब से मांग कर रहा हूं। इस मांग को भी पूरा नहीं किया गया है।

हमारे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन के विकास हेतु बेहतर बजटीय प्रावधान किए जाएं क्योंकि उड़ीसा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने हेतु देश का सर्वोत्तम स्थान है। भुवनेश्वर को शीघ्र अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा के रूप में घोषित करने और बैंकॉक, सिंगापुर, पोर्टब्लेयर, से शीघ्र विमान सेवा शुरू करने के लिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जो शायद संभव है। वर्तमान हवाईअड्डा घरेलू हवाई अड्डा के रूप में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है और राज्य की पूर्ण राजधानी खुर्दा के निकट शीघ्र अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा बनाया जाना चाहिए। दूसरा हवाईअड्डा झारसुगुडा है जिसका शीघ्र उन्नयन किया जाना चाहिए और चिल्का झील से जुड़े द्वीप में कुछ नए हवाई अड्डे बनाए जाने चाहिए और पर्यटकों की सुविधा के लिए कोनार्क में एक तथा कोरापुट और केन्दुझार में भी हवाईअड्डे बनाए जाने चाहिए।

पर्यटन मार्गों के विकास के लिए धन के आवंटन के संबंध में मैंने एक प्रस्ताव दिया था जो लम्बे समय से लंबित है। इसका आवंटन इस बजट में किया जाना चाहिए जिससे कि मंगलाजोड़ी से कालीजाई तक कार्यों को युद्ध स्तर पर अंजाम दिया जा सके। इससे अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों का ध्यानाकर्षण हो सकता है। ठंड के महीने में चिल्का झील में अमूमन 400 से भी अधिक प्रकार के पक्षी आते हैं। आपको कहीं भी इतने रंग-बिरंगे पक्षी देखने को नहीं मिल सकते। मेरे संसदीय क्षेत्र में खुर्दा जिलान्तर्गत राज्य के सबसे बड़े गांव भुसंदपुर के विकास के लिए कृपया धन स्वीकृत किया जाए। वहां लोग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं और उनका जीवनयापन मत्स्यपालन पर आधारित है। वे बहुत ही गरीब और सर्वहारा वर्ग के लोग हैं। सुन्दरपुर और तांगी होते हुए भुसंदपुर से बलुगान तक के तटीय क्षेत्र के विकास के लिए एक मैरीन ड्राइव चलाया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत सुन्दर पेड़ लगाए जाने चाहिए जिससे चक्रवात से निकटवर्ती गांवों की सुरक्षा हो सकेगी और पर्यटन से धनोपार्जन हो सकेगा।

हमारे राज्य को आर्थिक संकट से उबारने और उसके विकास के लिए केन्द्र सरकार को चाहिए कि वे इस बजट में अधिक से अधिक धन का आवंटन करें। चूंकि यह क्षेत्र केन्द्र सरकार के सौतेले व्यवहार का शिकार रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस राज्य को स्वायत्तता दी जाए और विशेष राज्य का दर्जा देकर इसे विशेष सहायता प्रदान की जाए जैसाकि आपने जम्मू और कश्मीर

की विकास जरूरतों के लिए 8000 करोड़ की धनराशि प्रदान की है। ठीक उसी तरह मेरे राज्य को भी अधिक-से-अधिक धन प्रदान किया जाना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा प्रदान कर शीघ्र धन का आवंटन किया जाना चाहिए। इसकी मांग पूर्व मुख्य मंत्री भी बीजू पटनायक के समय ही की गई थी। पर, कुछ भी नहीं हुआ। मैं अपने राज्य में दो और केन्द्रीय विद्यालयों की मांग करता हूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार उड़ीसा में 30 से भी अधिक विश्वविद्यालय होने चाहिए।

शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मौलिक संस्थागत सुधार होने चाहिए; संसाधनों के प्रवाह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और साथ ही, ग्रामीण तथा शहरी अर्थव्यवस्था की विकास दर प्रभावित होगी।

आवासीय ऋण की मौजूदा सीमा को बढ़ाने के लिए हम अधिक से अधिक धन आवंटन की मांग करते हैं। ग्रामीण आवास कोष और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक आवंटन किया जाना चाहिए। वर्षा आधारित क्षेत्रों में गांवों में दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अधिक धन का आवंटन किया जाना चाहिए। गांवों में किसानों के फायदे के लिए हम त्वरित चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक आवंटन की मांग करते हैं।

मैं अपने राज्य में नक्सल प्रभावित पिछड़े और जनजातीय जिलों के विकास के लिए अधिक धनराशि के आवंटन की मांग करता हूं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एशिया के सबसे बड़े झील चिल्का झील के विकास हेतु शीघ्र आवंटन का अनुरोध करता हूं।

मैं अपने राज्य में कृषि आधारित और उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि वहां अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। गरीब किसानों का शोषण कर आलीशान भवन और अपार्टमेंट बना रहे भू-माफियाओं के कब्जे से कृषि भूमि को बचाने के लिए एक नया कानून बनाने का मैं अनुरोध करता हूं। उड़ीसा को कुछ और कृषि विश्वविद्यालय और के.आई.आई.टी. जैसे आदिवासी आवासीय विश्वविद्यालय की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वे वहां के एक मात्र संस्थान के.आई.आई.टी. को और अधिक धन आवंटित करे क्योंकि उस संस्थान के छात्रावासों में 10,000 से अधिक गरीब आदिवासी और गिरिजन छात्र रह रहे हैं जिन्हें भोजन, वस्त्र और आवास के साथ-साथ हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। महान सामाजिक कार्यकर्ता, विद्वान और इस विश्वविद्यालय के संस्थापक डा. अचुता सामंत को इनाम दिया जाना चाहिए था। मैं इस लोक कल्याणकारी संस्थान से लम्बे समय से जुड़ा रहा हूं और अपने संसदीय क्षेत्र में भलुंकी पहाड़ के अन्तर्गत एक दूसरे शिक्षाविद् प्रो. मिनानकेतन का कई क्षेत्रों में उत्साहवर्द्धन करता रहा हूं जिससे वहां लोगों द्वारा अधिक से अधिक धन का आवंटन कर उसी प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। महिलाओं में जागृति लाने के लिए केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह वहां के लिए एक महिला विश्वविद्यालय स्वीकृत करे जिसमें महिलाओं के लिए छात्रावास की भी सुविधा हो। मेरे राज्य में एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय पहले से ही स्थापित है जिसकी घोर उपेक्षा की जाती है। मेरे राज्य की महान सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण रखने के लिए इस प्रकार के अनुसंधान आधारित विश्वविद्यालय को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और इसके लिए बजट में अधिक-से-अधिक धन आवंटन का प्रावधान किया जाना चाहिए।

अंत में मैं माननीय वित्त मंत्री से विनम्र अनुरोध करता हूं कि मेरे राज्य के विशेष विकास और वहां के विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष पैकेज प्रदान करें और संविधान के दिशानिर्देशों के अनुसार उसे स्वायत्तता प्रदान करने की साहसपूर्ण घोषणा करें।

[हिन्दी]

***श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला** (वडोदरा): मैं बजट पर विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इस बार वित्त मंत्री श्री प्रणव दा ने जो आम आदमी का बजट कह कर इस सदन के सामने जो प्रस्ताव रखा है, वो सर्वथा आम आदमी के खिलाफ है।

बेरोजगारी दूर करने के लिए बजट में कोई प्रावधान न किए जाने से नौजवान निराश हुए हैं। आयकर सीमा में मात्र 20 हजार रुपये की छूट बढ़ाना महंगाई से जूझ रहे वेतनभोगियों के साथ भद्दा मजाक है।

वेतनभोगियों का बचत का असली नजारा तो अब मिलता है, जब उनकी कुल बचत वार्षिक 2030 रु. है, इसका मतलब यह है कि जिनकी बजत 5.48 रु. जितनी है, और हम सभी जानते हैं कि इसमें चाय का एक कप भी एक दिन नसीब नहीं हो पाएगा।

हम सभी जानते हैं, कि पिछले 10 वर्ष में आयकर करीब-करीब पांच गुना हुआ है, और वेतनकर्मियों को ट्रांसपोर्ट एलाउंस जो 10 वर्ष पहले 800 रु. और चाईल्ड एज्युकेशन 100 रु. प्रतिमाह मिलता था, वही बरकरार है। इससे वित्त मंत्री की वेतनकर्मियों के लिए नजर अंदाजी का एक और विशेष प्रमाण मिलता है।

इसी सप्ताह में हमने पूरे देश में और संसद में पूरे जोर-शोर से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और नारी सम्मान को फिर

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

से उजागर किया। परंतु वित्त मंत्री जी ने महिलाओं को मिल रही राहत की विशेष सुविधा वापस लेकर अपनी महिला विरोधी मंशा उजागर की है।

महिलाओं के लिए किसी भी तरह की कोई ठोस घोषणा नहीं की गई है। हालांकि सामाजिक क्षेत्र में बजट को 17% बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया कि यह बजट महिलाओं को किस तरह से फायदा पहुंचाएगा।

शिक्षा बजट में 24% बढ़ोत्तरी की गई है लेकिन इसमें से बालिका शिक्षा पर कितना खर्च होगा उसका कोई ब्यौरा नहीं है। इससे लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर लगातार बढ़ती रहेगी क्योंकि उनको शिक्षा देने व स्कूल न छोड़ने की विवशता से बचाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है।

महिला पर हिंसा रोकने के लिए बने कानून पर अमल करने के लिए बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। महिला स्वास्थ्य के लिए अलग से कोई योजना नहीं है।

शहरी गरीब एक बड़ा तबका है, जो देश की 20% आबादी है। इस बजट में उन्हें दरकिनार कर दिया गया।

सरकार की, प्राईवेट होस्पीटलों में इलाज के लिए व्यक्तिगत, बीमा कंपनियों के कंपनी द्वारा किए जाने वाले भुगतान पर 5% सर्विस टैक्स की दलील को, आम आदमी के जीवन को बरबाद करने वाली बात मालूम होती है।

वित्त मंत्री ने बताया कि, "पिछले साल हेल्थ चेक-अप अथवा ईलाज पर लगाया गया सर्विस टैक्स के परिणाम देखते हुए, जो खुद भुगतान कर सके ऐसा व्यक्ति और अन्य, की जिनके द्वारा भुगतान किया गया वो बीमा कंपनी या तो उद्योग कंपनी के बीच में इलाज के लिए काफी फर्क पड़ता था, इसलिए उसमें तब्दिली करके 25 या उससे अधिक बेड और सेंट्रल एयर कंडीशन युक्त हॉस्पीटलों द्वारा दिए जाने वाले हर एक सर्विस पर सर्विस टेक्स की दरखास्त करता हूं।" उन्होंने यह भी कहा कि, 'यह वसूली और कमी हर एक निदान के टेस्ट पर लागू होगा।'

आम तौर पर ईलाज का खर्चा लोग अपनी जेब से ही देते हैं, सिर्फ 14% लोगों के पास ही बीमा है।

सर्विस टेक्स का सीधा असर ग्राहक और दर्दीओं पर जाने वाला है, परंतु विलक्षणता यह है कि ग्राहक को छोटी-छोटी गलियों की लेब्स की तुलना में सरकार मान्य और गुणवत्तायुक्त लेब्स सबसे ज्यादा महंगी लगेगी।

इस बजट में उन कदमों की घोषणा नहीं होने को जिम्मेदार ठहराती है जिसके जरिए रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से राहत मिल सके। इन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क कम करने के बजाय वित्त मंत्री ने महंगे खाद्य पदार्थों पर उत्पाद शुल्क में कटौती की है।

इस साल 130 वेसी वस्तुओं को उत्पाद कर के दायरे में शामिल किया गया जिन पर पहले यह नहीं लगता था। इनमें कॉफी, चाय, सॉस, केचअप, सूप, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों और फ्लैवर्ड दूध शामिल है। जबकि दूसरी तरफ नैपकिंस और डायपर्स पर उत्पाद शुल्क को मौजूदा 10% के स्तर से घटाकर 1% कर दिया गया है। ब्रांडेड कपड़ों पर 10% सेवा कर लगाने की घोषणा की है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि कुल किराये के आधे पर ही यह कर लगेगा।

अभी इस पर 100 रुपये का सेवा कर चुकाना पड़ता है। अब यह बढ़कर 150 रुपये हो जाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर ईकोनमी क्लास की टिकटों पर लगने वाले सेवा कर को 500 रुपये के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया है। अगर आप प्रीमियम क्लास में घरेलू विमान यात्रा करते हैं तो आपको यह जानकर झटका लग सकता है कि इस पर लगने वाले सेवा कर को 100 रुपये प्रति टिकट से बढ़ाकर सीधे 10.3% कर दिया गया है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को इस बजट से जबरदस्त चोट पहुंची है। इस क्षेत्र पर वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने 18.5% को न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगाया है। अगर इसमें अधिभार और शिक्षा उपकर को भी जोड़ दें तो कुल कर तकरीबन 20% होगा। 1 जून के बाद बांटे गए लाभांश पर सेज डेवलपरों को 16.23% की दर से कर चुकाना होगा। हालांकि आयकर कानून की धारा 115 बी के तहत कर मुक्त क्षेत्र में अब तक सेज डेवलपरों और ईकाइयों को मैट से मुक्त रखा गया था। अब तक स्वीकृति बोर्ड 581 सेज परियोजनाओं को हरी झंडी दिखा चुका है जबकि 154 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। करीब 130 सेज परियोजनाओं में परिचालन शुरू हो चुका है। सेज से निर्यात जहां वर्ष 2003-04 में 13,284 करोड़ रुपये था जो 2009-10 में बढ़कर 2,20,711.39 करोड़ रुपये हो गया है।

मैं एक ऐसे राज्य-गुजरात से आ रहा हूं, जो पिछले छः (6) वर्षों से लगातार देश का अर्थतंत्र मजबूत करने में सफल रहा है। हमारे लिए अभिमान की बात है कि एक ऐसा राज्य जिसमें स्थापित सेज उद्योगों के कारण जो देश का कुल निर्यात हो रहा है, उसमें से 45% अकेले गुजरात में से हो रहा है।

इन उद्योगों ने कुल मिलाकर 99,481 करोड़ रु. के निर्यात 2009-10 दरम्यान किए। जबकि पूरे देश का निर्यात 2,20,711 करोड़ रु. था। अप्रैल-जुलाई, 2010 में जो निर्यात 46,179 करोड़ रु. था, जोकि 216% ज्यादा था।

वित्त मंत्री द्वारा सेज के ऊपर 18.5% और सरचार्ज मिलाकर कुल 20% टैक्स लगाया है, उससे न सिर्फ गुजरात की, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष की निर्यात एवं उद्योगों के ऊपर कुठारघात हो रहा है।

सेज क्षेत्र पर अतिरिक्त कर लगाने का मतलब अपने पिछले वादे से मुकरने जैसा है। इससे सेज से होने वाले निर्यात पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही विदेशी निवेशकों के विश्वास में भी भारी कमी आएगी।

यही वजह है, कि मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी इस प्रस्ताव पर दोबारा से विचार करेंगे।

सेज पर मैट लगाने का मतलब है कि सेज डेवलपरों को उन फायदों से वंचित करना जो दूसरे वाणिज्यिक रियल एस्टेट डेवलपरों की जगह पर उन्हें दी जाती रही है। सेज डेवलेपरों और ईकाइयों पर मैट लगाना ठीक उसी तरह है जिस तरह उन निवेशों से होने वाली आय पर कर लगाना है जिनके लिए पहले से कर में छूट का वायदा किया गया होता है।

सेज और सेज में शामिल दूसरी औद्योगिक ईकाइयों को अब तक दी जा रही कर छूट का उद्देश्य पूंजी उत्पाद को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और निर्यात को बढ़ावा देना था, जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पहले ये छूट दी जा रही थीं, क्यों उन्हें पूरा कर लिया गया है? सरकार को इस पर गौर करना चाहिए था।

गुजरात एक ऐसा सीमावर्ती राज्य है जिसमें 1600 किमी. लंबी तटवर्ती सीमा है, जो पाकिस्तान से लगती है। इसी के कारण समूचे भारत के रक्षा की दृष्टि से गुजरात सबसे अहम राज्य है। पिछले चंद सालों के औद्योगिक विकास में गुजरात के कच्छ और जामनगर जिले में सेज और दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी होने के कारण गुजरात भारतवर्ष के सबसे संवेदनशील राज्य का दर्जा चाहता है। गुजरात राज्य ने 2005 में रक्षा हेतु 392.47 करोड़ रु. के प्रावधान की दरखास्त केन्द्र सरकार के पास रखी है, जिसके तहत आज तक सिर्फ 58.42 करोड़ रु. ही मिला है। मैं वित्त मंत्री जी से इस रकम का आवंटन करने की दरखास्त करता हूं।

सी.एस.टी. निकालने के समय केन्द्र सरकार ने राज्यों को कहा था कि सी.एस.टी. निकालने के कारण जो घाटा होगा केन्द्र सरकार उसकी पूर्ति करेगा। 2007-08 से जून, 2010 तक गुजरात राज्य का केन्द्र सरकार के पास 3,905.04 करोड़ रु. की पूर्ति के लिए मांग रखी गई है, जिसके तहत सिर्फ 1,556.27 करोड़ रु. ही दिया गया है और 2,348.77 करोड़ रु. अभी भी बाकी है, मैं वित्त मंत्री से इस रकम का आवंटन करने की दरखास्त करता हूं।

इसके अलावा वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद (उनका राजनीतिक गृह जिला) और मल्लापुरम में खुल रहे अलीगढ़ विश्वविद्यालयों के केन्द्रों के लिए 50-50 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के कोलकाता केन्द्र की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की घोषणा की गई हैं। वहीं आई.आई.टी. खड़गपुर के लिए 200 करोड़ रुपये का अनुदान तमिलनाडु के श्रीपेरूबुदुर में राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट आफ यूथ डेवलोपमेंट के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आई.आई.एम. कोलकाता के लिए 20 करोड़ रुपये और मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

वित्त मंत्री ने शैक्षणिक स्तर को ऊंचा लाने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनको सराहते हुए मैं दरखास्त करता हूं कि गुजरात देश का सबसे विकसित राज्य होने के साथ-साथ शैक्षणिक सुधारों में भी बहुत ज्यादा प्रगति कर रहा है तो जिस गुजरात यूनिवर्सिटी के निर्माण में महात्मा गांधी, सरदार पटेल हमारे पहले लोक सभा अध्यक्ष दादा मावलंकरजी ने जो विचारों की नींव रखी और आज पूरे देश में गुजरात यूनिवर्सिटी का नाम रोशन है तो उन्हें भी 50 करोड़ की आवंटित करने की मैं दरखास्त करता हूं।

इसी के साथ-साथ आई.आई.एम.-अहमदाबाद के लिए भी 100 करोड़ आवंटित करने की दरखास्त करता हूं।

वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जब बहुत से सुझाव दिए हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी से एक दरखास्त करता हूं कि पिछले लोक सभा चुनाव के पहले हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री श्री प्रफुल पटेल ने संसदीय मत विस्तार-वड़ोदरा, जो कि एक बहुत ही विकसित शहर है और जिसे भारत सरकार ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सराहा है, उसी वड़ोदरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की घोषणा की थी और नींव रखी थी और दिसम्बर, 2010 में नया इंटरनेशनल हवाई अड्डा राष्ट्र को समर्पित करने की घोषणा की थी, जिस विषय में आज तक एक ईंट भी नहीं रखी गई है तो इसके लिए 200 करोड़ आवंटित करने की मैं मांग करता हूं।

***श्री ए.टी. नाना पाटील** (जलगांव): माननीय वित्त मंत्री जी ने इस 2011-12 के आम बजट को पेश करते हुए सभी विभागों को ज्यादा धनराशि का आवंटन किया है जैसे कि कृषि, आवास,

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कृषि ऋण या शिक्षा है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि केवल धनराशि में बढ़ोत्तरी करने से देश में सभी विभागों का सुधार हो रहा है? नहीं उस धनराशि का उपयोग कैसे करें और कब करें इसको भी सुनिश्चित करना होगा। अभी इस सरकार का तो एक फंडा है खाओ और खाने दो। कितना भी भ्रष्टाचार बढ़े कोई बात नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2009 में आपकी सरकार ने 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ। वह लाभ केवल वहां के बैंकों को हुआ है।

हमारे देश में हम केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच आज तक सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए हैं। इसे स्थापित करने की सख्त जरूरत है। हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों और हमले लगातार जारी हैं। हमारी सरकार उन्हें रोकने में और देश के नागरिकों को सुरक्षित जीवन देने में असफल रही है। आज हमारे देश का आम आदमी बढ़ती हुई महंगाई से पीड़ित है। सरकार उसे इस महंगाई से राहत देने में एकदम असफल रही है। रोज हमारे मंत्री नए-नए बयान देते हैं और आम आदमी के रोज नए वायदे भी करते हैं तथा एक-दूसरे पर इस विषय में अपना दोष थोपते रहते हैं।

आम आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं है कि इस बढ़ती हुई महंगाई के लिए दोषी कौन है? इसे तो बस बढ़ती हुई महंगाई से जल्द से जल्द राहत चाहिए जोकि हम पहुंचाने में विफल रहे हैं और उसे मजबूर होकर बढ़ी हुई कीमतों पर सामान खरीदना पड़ रहा है। आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के बजाय उन पर पेट्रोल, सी.एन.जी. के बढ़ते दामों के साथ छोड़ दिया गया है। लगभग एक साल में पेट्रोल एवं सी.एन.जी. के दामों में लगभग दस रुपये से ज्यादा की बढ़ोत्तरी हुई है। यह किस पर बोझ बढ़ रहा है। यह वही आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा है। क्यों नहीं पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स किया जा रहा है। जब एन.डी.ए. गवर्नमेंट ने 10 प्रतिशत तक इथनॉल मिक्स करने का निर्णय लिया था यदि इस विषय को आपकी यू.पी.ए. सरकार भी आम आदमी को ध्यान में रखकर इस पर काम करती तो आज की स्थिति में 50 प्रतिशत इथेनॉल मिक्स कर सकते थे। यू.पी.ए. की कई ऐसी नीतियां हैं जिससे आम आदमी को भुगतान पड़ रहा है।

मैं कृषि के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। सरकार ने इस बजट में फलों, सब्जियों, दूध और मछली आदि उत्पादन व संवितरण में बाधाओं को हटाने पर विशेष जोर देगी? कैसे देगी? हमारे महाराष्ट्र में बिजली की इतनी कमी है कि सरकार हर दिन 15-18 घंटों तक लोड शेडिंग देती है। इसका मतलब 24 घंटों में से 18 घंटे बिजली गुल रहेगी तो बाकी बचे 6 घंटे वह भी कभी दिन में तो कभी रात में बिजली रहती है। ऐसी स्थिति में कैसे आप किसानों को राहत देने की बात करते हैं। महाराष्ट्र में तो किसान भूखा मरने लगा है। इस लोड शेडिंग का दुष्प्रभाव देश का भविष्य कहलाने वाले बच्चों पर भी पड़ रहा है। क्योंकि बिजली नहीं रहने से पढ़ाई नहीं होती है और बच्चे फेल हो रहे या कम मार्क लेते हैं। इससे उनका भविष्य भी अंधेरे में डाल रही है यह सरकार। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र को कम से कम 12 घंटे तो बिजली देने का काम करे और एक विशेष निवेदन है कि आपसे मंत्री जी महाराष्ट्र में जो किसानों को आपने खेतों को जाने के लिए एन.डी.ए. सरकार ने खेतों से गांव तक रास्ता जोड़ो योजना चलाई थी जिससे किसानों को उनके खेत को जाने के लिए दिक्कत नहीं होती थी लेकिन अभी ऐसी योजना बंद कर देने से हमारे किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है और मेरे क्षेत्र जलगांव से ऐसा प्रोपोजल भी भारत सरकार के पास भेजा गया है। मैं माननीय ग्रामीण मंत्री जी से भी मिला था इस विषय में। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि हमारे देश का किसान है जो हमारा और आपका पेट भरता है इसलिए उन्हें तकलीफ देना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए इस मांग को तत्काल पूरा कर किसानों को राहत देने का काम करें।

मैं अब हमारे देश के शिक्षा के विषय में बात करना चाहता हूं कि जब से हमारे माननीय मानव संसाधन मंत्री श्री कपिल सिब्बल जी आए हैं तब से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार हो रहा है। यह सही भी तो सकता है क्योंकि रोज कुछ न कुछ नया करने में लगे हैं हमारे मंत्री जी। लेकिन आज भी हमारे शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले मैंने एक सर्वे देखा था जिसमें लिखा था भारत की चौथी और पांचवीं कक्षा के छात्र को किताब पढ़ता तो दूर गणित का जमा करना और घटाना तक नहीं आता है और विशेषकर हमारे महाराष्ट्र में जहां स्कूल हैं वहां टीचर नहीं है, जहां टीचर है, वहां स्कूल की बिल्डिंग नहीं। स्कूलों में बुनियादी सुविधा तक नहीं है। शौचालयों की सुविधा नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन ग्रामीण भाग की ओर आपका ध्यान देना आवश्यक है, जिससे ग्रामीण भाग को भी कुछ सुविधा मिल सके और गांव में भी शिक्षा का स्तर बढ़ सके। अभी गांवों में शिक्षकों की कितनी कमी है, उसे कब पूरा किया जाएगा।

देश में काले धन पर मीडिया तथा अन्य माध्यमों के द्वारा लंबी बहस छिड़ी हुई है। 2006 में घोड़े के व्यापारी हसन अली के विदेश में करीब 4000 हजार करोड़ रुपये के काले धन और इसके अलावा सौदे में संलिप्तता उजागर हो गई है। तभी से देश

में विदेश में जमा काले धन को देश में लाने की मांग लगातार उठ रही है। लेकिन काले धन को विदेश से देश में लाने के लिए सरकार द्वारा अपनाया गया ढुलमुल रवैया काले धन के देश में वापसी में बाधक बना हुआ है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार जर्मनी, फ्रांस तथा अन्य कई देशों द्वारा विदेशों में उनके देशवासियों के जमा काले धन को वापस लाने के लिए उन देशों के साथ धन वापसी के अंतर्राष्ट्रीय करार किए और विदेशी धन जमा बैंकों से संपर्क कर उन्होंने जमा काले धन को वापस लाने में सफलता प्राप्त की। इसे देखते हुए भारत सरकार द्वारा काले धन को देश में वापस लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों ने स्पष्टता का अभाव दिखाई दे रहा है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद सरकार के पास उपलब्ध काले धन वाले लोगों की सूची को घोषित नहीं करने से सरकार की इस मामले में मंशा पर सवाल खड़े करता हूं। हाल ही में माननीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखे गए बजट 2011-12 में एक पांच सूत्रीय परियोजना का जिक्र किया गया है और काले धन को वापस लाने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों की सदस्यता प्राप्त करने हेतु प्रयास करने की बात कही गई है। इसके लिए सरकार ने ठोस कार्यवाही के लिए अप्रैल, 2011 के बाद की अवधि सुनिश्चित की है। काले धन वापस लाने में सरकार की उपेक्षा और कार्यवाही में हो रहे लगातार विलंब से विदेश में जमा काले धन रखने वाले लोगों को उनके धन निकासी के लिए उपयुक्त समय मिल रहा है और जब तक सरकार इस बारे में कोई कानून विनियम बनाकर सक्रिय नहीं होगी तब तक विदेशों में जमा काले धन की पूरी तरह निकासी होने का अंदेशा है। इससे यह संदेश जा सकता है कि सरकार ने जानबूझकर सक्रियता दिखाने में विलंब कर काले धन की निकासी कराने में सहायता की है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को काले धन की वापसी कराने में हो रहे विलंब और सक्रियता से कदम उठाने में की जा रही उपेक्षा का जवाब देना होगा। काले धन पर एक गैर-सरकारी संस्था के अध्ययन के अनुसार विदेश में भारतीयों के द्वारा जमा काले धन से दो पंचवर्षीय योजना हो सकती हैं। इतनी बड़ी राशि को देश में लाकर हम देश का विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। सरकार हर दम जिस आम आदमी का नाम लेती रहती है और उसके लिए कुछ करती नहीं ऐसे आम आदमी के विकास और देश में अवसंरचना ढांचे के विकास में यह राशि हम खर्च कर सकते हैं। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने यह बड़ा अवसर खो दिया है। इसमें सरकार इसे मात्र जमाखोरी के दायरे में रखकर हर्जाना लगाकर आयकर विभाग के माध्यम से उन्हें प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रही है।

मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सरकार अभी तुरंत कोई ऐसा निर्णय ले। विदेशी बैंक के साथ जो काला धन अभी से अप्रैल तक जो भी धन वहां से कोई निकाल रहा है, इसकी जानकारी सरकार को तुरंत मिल जानी चाहिए। ऐसा कोई करार किया जाए, जिससे काला धन किसका है, इसकी भी जानकारी मिल जाए और उन पर कार्यवाही भी कर सकते हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को 2011-12 का जो बजट पेश किया है, उसके अंदर आम आदमी किसानों के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं और साथ-साथ हमारे पूरे देश के सांसद के ऊपर बड़ा अन्याय हो रहा है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में सदस्य बने उनके ऊपर भी सरकार का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। आज हमारे सांसद को एम.पी. लैड से साल में दो करोड़ दिया जाता है। महंगाई के जमाने में और अपना विस्तरित क्षेत्र में दो करोड़ में हम जनता को कुछ भी न्याय नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से सभी सांसदों की ओर से मांग करता हूं और सुझाव भी देना चाहता हूं कि सांसद को अपने क्षेत्र में काम करने के लिए जनता को न्याय देने के लिए कम से कम एम.पी. लैड से साल में 10 करोड़ तक मिलना चाहिए। हमारे वित्त मंत्री जी बड़े अर्थशास्त्री और समझदार नेतृत्व वाले हैं। हम उनसे आशा व्यक्त करते हैं कि वे जरूर हमारी मांगों पर फिर विचार करें और सांसदों को न्याय देंगे। इसी के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी ने 2011-12 का जो बजट पेश किया है, इसका पूरी तरह से असमर्थन करके अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्रीमती ज्योति धुर्वे** (बेतूल): भारत एक संपन्न देश है। यह एक वास्तविकता है, जिससे इंकार नहीं किया जा सकता और आज जिस उत्तरदायित्व की चुनौतियों को स्वीकार किया गया है वह पूरे देश की आबादी और उसके जीवन मूल्यों को प्रभावित करता है।

मैं बहुत ही विनम्रता से आग्रह रूप में, चुनौती के रूप में, आत्मविश्वास से कहना चाहूंगी कि देश की करोड़ों आबादी वाले जनसमुदायों के आवश्यक मूल्यों एवं नैतिक मूल्यों को हमें बड़ी दृढ़ता एवं पूरी ईमानदारी एवं हितैषी रूप से उन्हें स्वीकारना होगा।

इसी में देश के हितों की रक्षा करने में हम सफल होंगे, हमें आज सत्ता के लालच में सिद्धान्तों का सौदा नहीं करना है चाहे कितनी विपत्तियां क्यों न आये, वरदान की झोली नहीं फैलायेंगे। हमें डटकर सामना करना क्यों न पड़े।

"नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं,

सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं।

किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं,

दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं।"

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यदि सबसे पहले हम आय-व्यय पर ध्यान दें -

9/10		10/11
369398.93	-	421897.00
	(52499.93)	
10/11		11/12
437943	00	
	--	524516-00
	(16046)	(865.3)

वित्तीय प्रबंधन को बनाने के माननीय मंत्री जी ने 1.2% से बढ़ाकर साढ़े चार प्रतिशत, साढ़े पांच प्रतिशत तक लाने की बात कही है। मुझे ऐसा नहीं लगता, इससे हमें काफी हद तक लाभ मिलेगा जबकि इसका उल्टा हमें कुछ नहीं भी न मिले।

ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ

9/10	10/11	10/11	11/12
86069-98-73561.26	8	1809.64	72445.57
	(12508.72)	(8248.38) ·	(9364.07)
पावर	9/10	10/11	10/1111/12
1883.05	2742.77	2510.86	269314
	(859.72)	(2319.91)	(182.28)

कर संग्रहण

9/10	10/11	10/11	11/12
6433.42	6506.28	6641.51	7157.6
	(72.86)	(135.23)	(515.55)

बाजार	स्थिरीकरण योजना	और लघुबचत अथवा	बाजार ऋण
9/10	10/11	10/11	10/12
14558.00	14558.00	19083.14	25484.94
	(4525.14)	-	(6401.8)
9/10	10/11	10/11	11/12
451000	457143.06	447000.00	417128.00
	(6143.06)	(10143.06)	(29872)

इन सभी पर नजर डालें तो यह आंकड़ों की बाजीगिरी नजर आती है, इसमें देश हित एवं आम जनता के हितों की रक्षा कहीं नहीं है और यह जादूई आंकड़ों से देश का विकास और भारत का निर्माण नहीं हो सकता।

माननीय मंत्री जी ने राजकोषीय घाटा को कम किया है और सकल घरेलू उत्पाद का 5.1 फीसदी लाने में कामयाबी होगी जबकि बजट अनुमान में इसके 5.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र को विकास में जोड़ा है लेकिन विकास होने का कहीं नजर नहीं आता है। आज भी सुदूर ग्राम में न बिजली है न शिक्षा अच्छी है। न ही पीने का स्वच्छ पानी है। क्या यही ग्रामीण विकास योजना है। क्या यही वह भारत निर्माण का भाग है जहां आज भी इस सभी सुविधा से मरहूम वह आम व्यक्ति रहता है।

मेरा मानना है कि जी.एस.टी. का काउंसिल बने और उसके अध्यक्ष माननीय वित्त मंत्री बनें।

किसानों के लिए ब्याज दर 4% की गई है, परंतु क्या इससे किसान कितने प्रतिशत लाभान्वित होंगे। किसान बर्बाद एक जगह नहीं होता है वह भिन्न भिन्न आपदा हो, पाला हो या ग्लोमिंग इम्पेक्ट हो, किसान एक तरफा मार से नहीं मरता अनेक मार से मरता है। मुझे लगता है यह मात्र 4% किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है।

सरकार द्वारा बनाई हुई 200 योजनाओं पर कहीं भी कोई अच्छी मानिटरिंग की व्यवस्था ही नहीं है। देश की आधी आबादी में बदला युवा नौजवान आज शिक्षा की डिग्री तो हासिल कर लिया है परंतु आज भी वह रोजगार से वंचित है, इसका कारण यदि देखें तो इनके लिए कोई ठोस नीति बनी या कोई ठोस निर्णय लिया गया हो केवल सपनों में देश का युवा नौजवान आज भटक रहा है और इसका सीधा सरकार को जाता है इस पूरे बजट में देश के स्तंभ नौजवानों को अछूता रखा है और उनके रोजगार को कोई अच्छी संभावनायें भी नहीं बनाई।

खाद्य वस्तुओं की कीमतों में निरंतर बढ़ोत्तरी मुख्य चिंता का विषय है "खाद्य वस्तु अधिनियम बिल विधेयक" लाने की बात इस बजट में रखी गई है यही यह सफल होता है तो शायद यह सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि होगी क्या यह सच होगा शायद सपने में सिमट कर न रह जाये।

कृषि का क्षेत्र जो आज काफी पिछड़ने लगा है। किसान कृषि से दूर भागने लगा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्यों

के जिलेवार, जिले की अनुकूलता को ध्यान में रखकर इस योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल करें और उस रूप से योजना को लाभांवित करें।

शिक्षा एक तरफ सरकार भारत निर्माण का सपना दिखाते हैं और वही निर्माता की नींव शिक्षा पर मात्र 24% का अंशदान वृद्धि कर सपने पर पानी फेरते हैं। आज भी स्कूल के निर्माण एवं संसाधन की शिक्षा में अत्यधिक कमियां हैं, उसे पूरा करने में यह अंशदान ऊंट के मुंह में जीरा के समान है।

पर्यटन के विकास में मध्य प्रदेश के अन्य जिले को सम्मिलित किया जाय। बैतूल, महाराष्ट्र से लगा भाग है अथवा यहां का काफी भाग फारेस्ट एवं हिल स्टेशनों से भरा पड़ा है अथवा इसे पर्यटक स्थल रूप से जोड़े शायद मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के पर्यटकों को इसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा।

महिलाओं को करों में छूट देने में सरकार ने कंजूसी जो दिखाई है, शायद यह इतिहास का पहला बजट है, जिसमें महिलाओं को कोई स्थान नहीं मिला।

कुल मिलाकर यह बजट को देखा जाये तो यह पूरा का पूरा आंकड़ों के जोड़तोड़ एवं जादुई छड़ी घुमाने वाले बजट हैं, जो केवल पांच राज्यों के चुनावी रणभूमि को तैयार करने वाला बजट है, जिसमें केवल देश के उच्च्च वर्ग एवं भ्रष्ट वर्ग को संरक्षण देने वाला बजट है, जिसमें आम मध्यम वर्ग एवं गरीब जनता को बिल्कुल एक तरफ खड़ा कर दिया है। जैसे कि वह भारत का रहवासी न हो जैसे शायद वहां अप्रवासी की तरह सरकार की नीति जो केवल चुनावी रणनीति को व्याप्त करती है। आदिवासी, दलितों को भी सरकार ने उनके लिए कोई रोजगार मूल नीतियां नहीं बनाई। (275)। की राशि यदि सरकार इसे आदिवासियों के लिए रोजगार मूलक रोजगार देने वाला बनाती है तो शायद यह राशि का सही सफल स्वरूप दिखाई देगा। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इसे (275)। को रोजगार आदिवासियों का समूह तैयार कर उस समूह को शासन की रोजगार मूलक बनाने का प्रयास करें।

अंत में मेरा यही मानना है,

"मेरा भारत महान", "हम न थकेंगे कभी,

न थमेंगे कभी, न मुड़ेंगे कभी,

लेते हैं हम शपथ।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौडा (हजन): सभापति महोदय, मुझे आम बजट पर बोलने के लिए यह अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं।

बजट को विकासोन्मुख हो, इसके लिए माननीय मंत्री जी ने अनेक कदम उठाये हैं। साथ ही ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर हमें अधिक ध्यान देना है। केवल विकासोन्मुख प्रवृत्ति से इस देश की विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी दूर नहीं होगी।

कृषि क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ क्षेत्र है। मैं सभी मुद्दों पर नहीं जाना चाहता हूं। स्वयं एक कृषक होने के नाते और ग्रामीण पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी जानकारी के कारण मैं कृषि पर घंटों बोल सकता हूं। लेकिन मैं समयाभाव से वाकिफ हूं। मैं इस सभा का महत्वपूर्ण समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि अन्य मित्रगण भी बोलना चाहते हैं। मैं उनके अवसर में कटौती नहीं करना चाहता हूं।

जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर दिया तो मैं बहुत ध्यान से देख रहा था।

उन्होंने कहा कि काला धन नशीले पदार्थों और मानवीय तस्करी से पैदा होता है। वे दो-तीन क्षेत्रों में काला धन में वृद्धि के बारे में अपनी चिंता जता रहे थे और मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं जानता हूं कि काला धन कैसे मेरे अपने देश में ही सृजित होता है। कई मित्र विभिन्न बैंकों से काला धन लाने के बारे में बात कर रहे थे जिसकी उन्होंने जांच की है। वे राजनेता हों, नौकरशाह हों या व्यवसायी हों, मैं भेदभाव नहीं करने जा रहा हूं। लेकिन काला धन जो हम यहां सृजित कर रहे हैं, मेरी विनम्र राय में वही अकल्पनीय है। हमें अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि ऐसा क्यों है।

हमारे पास ऐसे लोगों से निपटने के कई उपाय हैं जो कर अपवंचक हैं। मेरे पूर्व सहयोगी श्री श्रीकांत जेना यहां बैठे हैं। उस समय मैंने एक स्वैच्छिक प्रकलन योजना चलाई थी। उस पर बड़ी चर्चा हुई थी। मेरे पूर्व वित्त मंत्री जो अब गृह मंत्री हैं, उस पर सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जो वास्तविक करदाता हैं, हमें गाली दे रहे हैं, मैं उस गाली को स्वीकार नहीं करूंगा। वास्तविक करदाता परेशानी क्यों उठायें? मंत्रिमंडल में यह तक किया गया था। मैंने कहा कि मैं राष्ट्रीय राजनीति में दो महीने पहले आया हूं और मैं इस काले धन के लिए जिम्मेदार नहीं हूं।

कर्नाटक में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मैंने वांचू समिति के प्रतिवेदन को पढ़ा था जिसमें 1972 में लगभग 7000 करोड़ रुपए का काला धन बताया था। आज भारत में जितना काला धन सृजित हुआ है, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक व्यक्ति जिस व्यक्ति के पास आठ दस वर्ष पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था, वह आज अपनी आय 5000 करोड़ रुपए से 10000 करोड़ रुपए के बीच बताता है। यह उनकी आय कर की उद्‌घोषणा है हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं?

वित्त मंत्री एक ईमानदार व्यक्ति है। वे एक सर्वाधिक वरिष्ठ नेता हैं और मैं उनकी बहुत अधिक इज्जत और सम्मान करता हूं। हमारी मशीनरी सही ढंग से काम क्यों नहीं कर रही है? भाजपा के जब एक बड़े नेता बोल रहे थे तो उन्होंने उल्लेख किया कि धनराशि को विभिन्न देशों में जमा कर दिया गया है। वे उन देशों का नाम भी बता रहे थे। आप वहां जायें और धनराशि ले, उससे पहले आप यहां चीजों को ठीक कर लें। मैं उस धनराशि को वापस लाने के विरोध में नहीं हूं चाहे किसी भी बैंक में जमा किया गया हो। आप अपना प्रयास करें। लेकिन प्रश्न यह है कि जिसे यहां सृजित कालाधन क्या राष्ट्रीय कोष वापस आ रहा है? यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं इस मुद्दे पर लगातार घंटों बोल सकता हूं।

जमीन घोटाला आज एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां काला धन सृजित किया जा रहा है। मैं भू अधिग्रहण कानून के बारे में एक अनुच्छेद पढ़ रहा हूं। उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा भू अधिग्रहण नीति की परीक्षा करने के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कहा है। कोई अवसंरचनात्मक परियोजना जिसकी हम स्वीकृति प्रदान करते हैं का पूर्ण उद्देश्य बुनियादी ढांचा सृजित करना होता है जो निवेश के लिए, चाहे वह रेलवे परियोजना हो या राजमार्ग परियोजना, एक बुनियादी अनिवार्यता है। हम सभी यह जानते हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। लेकिन गरीब लोगों की भूमि लेते समय क्या हम ईमानदारी बरतते हैं? क्या कोई भूमि पेरवा परीक्षा होती है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हरियाणा भूमि अधिग्रहण नीति की लेखा परीक्षा करेगा।

महोदय, जब मैं मुख्य मंत्री बना, स्वर्गीय पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधान मंत्री थे। उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और श्री पी. चिदम्बरम वाणिज्य मंत्री थे। श्री राव ने मुझसे कहा कि मैं कांग्रेसी मुख्य मंत्री हूं और उन्होंने मुझसे डावोस शिखर-सम्मेलन जाने के लिए कहा। मैंने कहा कि मैं उनकी उदारीकरण नीति का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसके विरोधा में था। मैंने कहा कि मैं इसका विरोध इसलिए भी करता हूं क्योंकि कृषि क्षेत्र उनके आर्थिक सुधारों के कारण सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक था। मैंने वर्ष 1994 में यह बात कही थी। अब क्या चल रहा है? सरकार ने किसानों का 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया है और ऋण की सीमा भी एक लाख रुपए बढ़ाई है।

सभी संसद सदस्यों को केन्द्रीय अनुदान की समीक्षा करने के लिए प्राधिकृत किया है क्योंकि सभापति महोदय मेरे गृह जिले में उच्च अनुभव से जब मैंने बैंकिंग क्षेत्र के अधिकारियों को कुछ आंकड़े देने के लिए कहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि अग्रणी बैंक मुझे वे आंकड़े देंगे। मैं इस माननीय सभा के विचारार्थ यह बताना चाहता हूं कि लगभग 48000 परिवारों ने आलू उगाया था। जब मैंने अग्रणी बैंक के एक अधिकारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पास सही आंकड़े नहीं थे। तब मैंने डी.जी. और अन्य अधिकारियों से आंकड़ा संग्रहित करने के लिए कहा और उनसे अगले 15 दिनों में मुझे जानकारी देने के लिए कहा और हम एक और बैठक करेंगे। 48,000 परिवारों में वे केवल 6500 परिवार ऐसे थे जिनका बीमा किया गया और उन्हें ऋण दिया गया। जिन लोगों ने ऋण लिया था, उनका बीमा किया गया था, इससे कितने लोगों को लाभ प्राप्त होगा? हमारे वित्त मंत्री ने छोटे और सीमांत किसानों पर ध्यान दिया है। यदि वे फसल ऋण का समय पर पुनर्भुगतान करते हैं तो उन्हें तीन प्रतिशत की राजसहायता प्राप्त होगी। मैं वित्त मंत्री के इस कदम की प्रशंसा करता हूं। मैं उनसे केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे सर्वेक्षण करा सकते हैं कि कितने लोग बैंक से ऋण प्राप्त करने जा रहे हैं।

महोदय, आपके अग्रणी बैंक के अधिकारी मुझे आंकड़ा प्रदान करने में सक्षम नहीं थे। मैं वहां संसद सदस्य के रूप में जा रहा हूं। मैं यह दावा नहीं करने जा रहा हूं कि मैं पूर्व प्रधान मंत्री हूं। यह स्थिति है और यह मैंने पाया है। मैं कोई शिकायत नहीं करना चाहता हूं। मैं किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत करने के लिए इस मंच का प्रयोग नहीं करना चाहता।

मैं केवल भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में उल्लेख कर रहा था। आज वे बुनियादी ढांचे के विकास के नाम पर भूमि लेने जा रहे हैं। जब श्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने मुझे डावोस शिखर सम्मेलन जाने को कहा तो मैंने देखा कि कर्नाटक में किसी परियोजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई क्योंकि स्वर्गीय देवराज ने इतना कठोर और समग्र मूल्य सुधार अधिनियम लाये थे कि हम गैर कृषि प्रयोजन हेतु एक एकड़ भूमि का भी प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसा कानून था। मैंने इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया। उसी कदम के कारण जब तक हम विनिर्माण क्षेत्र को जमीन नहीं देते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस उद्देश्य हेतु मैंने अनिवार्य संशोधन किया। आज मैं बहुत नाखुश हूं। भूमि बहुत ही मूल्यवान वस्तु थी, हीरे और सोने से भी कीमती और वे लोग आज बहुत संकट में हैं। वे एक एकड़ भूमि के लिए 50,000-60,000 रुपये पर दो लाख रुपये तक देते हैं। किस वर्ष यह अधिसूचना जारी की गई थी?

यह 1997 या 1998 का वर्ष था। आज पंचार उसी दर से पारित किया जाता है।

आज सम्पत्ति की कीमत 2 करोड़ रुपये या 3 करोड़ रुपये है। मैं बहुत-से उदाहरण दे सकता हूं। इसलिए मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए भूमि का लेखा परीक्षण किया जाए कि कौन सी भूमि जरूरी है, रोजगार सृजन कितना हो रहा है, कितनी विद्युत की वास्तव में जरूरत है और कोई भी अवसंरचना संबंधी परियोजना की अनुमति देने से पूर्व इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। वे 100 एकड़ या 200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करते हैं, लेकिन वे भवन निर्माण के लिए चार या पांच एकड़ भूमि का उपयोग करते हैं। शेष भूमि का क्या होता है? जमीन की कीमत संकर फसल की तरह तेजी से बढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 5-6 वर्ष पूर्व जो जमीन बंगलोर में खरीद गई थी आज वह 2 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़ या 10 करोड़ रुपये का है।

आज हम प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं। हम उन विषयों को यहां नहीं उठाना चाहता। यह काला धन सृजन के संबंध में एक बड़ा मुद्दा है और आप या मैं इसे नहीं रोक सकते। प्रत्येक भूमि घोटाला की राज्य कोष या राष्ट्रीय कोष को धोखा देने या लूटने से संबंधित पृष्ठभूमि है। मैं समझता हूं कि पिछली बार आपने एक नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाने के लिए आश्वासन दिया था जिसमें सभी आवश्यक संशोधन करने और उसमें मौजूद सभी खामियों को दूर किया जाना था। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हरियाणा की भूमि अधिग्रहण नीति का लेखा-परीक्षा कर रहा है लेकिन इस संबंध में एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए।

बहुत से मुद्दे हैं लेकिन समय का ध्यान रख रहा हूं, जिसके बारे में मुझे पहले ही बताया जा चुका है। दो और अन्य मुद्दे हैं जिन्हें मैं यहां उठाना चाहता हूं। मैं बहुत से स्थानों पर गया हूं। आपके दिल में किसानों के प्रति दया है। आप अपने गांव में गये थे और मैंने टी.वी. पर देखा कि आप ईश्वर से कितना डरते हैं।...*(व्यवधान)* अपने भाषण में भी आपने देवी लक्ष्मी और इन्द्र देव का उल्लेख किया है।...*(व्यवधान)*

वह अपने गांव में गये और एक बड़े महोत्सव का आयोजन किया। मैंने इसे टी.वी. पर देखा था और यही कारण है कि इसके प्रति मैं आश्वस्त हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं एक गरीब किसान के दस एकड़ के आम के बगीचे को आपको दिखाऊंगा। इसमें फल आ रहे हैं। मैं इसे सभापटल पर नहीं रखने जा रहा हूं।

सभापति महोदय: वास्तव में, आपको इसे रखना चाहिए क्योंकि आपने इसे दिखाया है। आपको इसे नहीं दिखाना चाहिए था लेकिन अब आपको इसे सभा पटल पर रखना होगा।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैं सिर्फ आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कैसे निर्दयतापूर्वक वे लोग 10 एकड़ के आम के बगीचे को काटने जा रहे हैं। वह एक गरीब किसान है, उसके परिवार में 60 सदस्य हैं। उस 10 एकड़ के आम के बगीचे से जो आमदनी होती है, उसी से उसके परिवार का गुजर-बसर होता है। यह एक उदाहरण है, जो मैंने आपके समक्ष रखा है।

मैं दूसरे विषय की बात करना चाहूंगा। आपने कुछ निर्णय लिए हैं।

सभापति महोदय: आपको कितना समय लगेगा?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मुझे और 10 मिनट का समय चाहिए।

सभापति महोदय: आप 5-7 मिनट ले सकते हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: जहां तक रेशम का संबंध है, आपने आयात शुल्क कम कर दिया है। 40 प्रतिशत से अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है, लेकिन वहां लोग लगभग आत्महत्या करने के कगार पर पहुंच गए हैं। उन्होंने मैसूर से बंगलोर के बीच यातायात को पूरे एक दिन के लिए बंद कर दिया था।

मैं आपसे इस विषय पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। वे लोग आत्महत्या करने वाले हैं। कृपया पूरे विषय पर पुनः विचार कीजिए। रेशम उत्पादक किसान और हर आदमी आज वहां रो रहा है। उन्होंने जो ज्ञापन मेरे को दिया है उसकी हर बात यहां पढ़ना नहीं चाहता। ज्ञापन में जो कहा गया है मैं यहां पढ़कर सुनाना नहीं चाहता क्योंकि इसमें सभा का समय बर्बाद होगा। आपको स्वयं रेशम-उत्पादक किसानों की मदद के लिए आगे आना होगा। आपने एक बागवानी मिशन की स्थापना की है। अतः हम ऐ रेशम मिशन की स्थापना क्यों नहीं कर सकते? रेशम सात या आठ राज्यों में प्रमुख फसल है। रेशम के उत्पादन के लिए केन्द्र सरकार ने आयात शुल्क कम कर दिया है। मैं उन सारी बातों में नहीं जाना चाहता। बागवानी मिशन के मामले में आपने ऐसा किया है। संभव हो तो क्या हम एक रेशम मिशन शुरू कर सकते हैं? आप उनकी जो भी मदद करना चाहते हैं, उस पर विचार कीजिए।

दूसरा मुद्दा सुपारी से संबंधित है। केन्द्रीय दल आया था और उसने अपनी सिफारिशें दी थीं। 1999 में पीत-पत्र बीमारी से सुपारी की खेती प्रभावित हुई थी। यह 1999 की घटना है और अब 2011 है। केन्द्रीय दल वहां आया और उसने वहां हुई क्षति के संबंध

में अपनी रिपोर्ट दी थी। हमारे माननीय कृषि मंत्री यहां नहीं हैं। हम क्या कर सकते हैं? चीनी उद्योग और अन्य सारी वार्ता के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप वित्त मंत्री हैं और यह हमारा सौभाग्य है। आप किसी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। मैं जानता हूं कि आप जो भी कदम उठायेंगे वह दृढ़ निश्चय के साथ ही उठायेंगे। मैं आपकी सोच से परिचित हूं। आप कभी भी बुराई से समझौता नहीं करते, यह मैं जानता हूं। लेकिन इस मामले में 1999 में केन्द्रीय दल ने सिफारिश कर दी थी लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं हुआ।

वे सभी सुपारी उत्पादक, खासकर तटीय क्षेत्र - मंगलौर, उत्तर-कनारा, शियोगा और चिकमंगलूर - में लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है। मैं यह नहीं कहने जा रहा हूं कि सुपारी केवल कर्नाटक में ही उगाई जाती है। सात या आठ ऐसे राज्य हैं जहां सुपारी पैदा की जाती है और मैं उन सभी राज्यों का नाम पढ़कर सुना सकता हूं जहां के सुपारी उत्पादक संकट में हैं।

इसी प्रकार मेरे चुनाव क्षेत्र, जिसमें रामनगरम, चन्नपटना, मलावल्ली, मंडया, मैसूर और हसन सम्मिलित हैं - के रेशम उत्पादक संकट में हैं। इसलिए, कृपया इस पर विचार कीजिए। मेरा यह विनम्र निवेदन है।

यदि आप कृषि संबंधी जनगणना करा लें, मैं उनसे यह नहीं कह रहा हूं कि वे यह सही-सही बताएं कि कौन व्यक्ति कौन-सी फसल उगा रहा है, लेकिन यह जानकारी हो कि कितने लोग छोटे किसान के दायरे में आते हैं, क्योंकि मैं विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए आंकड़े को स्वीकार नहीं करता। जब 1991 में मैं इस सभा में आया, उस समय मेरे पास जो आंकड़े थे उसके अनुसार, 78 प्रतिशत खेत एक हेक्टेयर से छोटे श्रेणी के थे। मुझे जानकारी है कि कितने लोगों के पास एक हेक्टेयर जमीन है। बहुत से कार्यों जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, व्यापार और विभाजित परिवारों के लिए जमीन ली गई है।

महोदय, आप इन खामियों के बदले आप किसानों, छोटे और मझोले किसानों को नकद राशि दे रहे हैं।

मैं उर्वरक समिति में था, जिसका गठन पूर्व कृषि मंत्री डा. बलराम जाखड़ द्वारा किया गया था। मैंने उनसे इस सभा में बहस की थी। आपने कुछ कदम उठाए हैं। यह एक बुद्धिमतापूर्ण निर्णय था। लेकिन इसके साथ ही, जहां तक छोटे और मध्यम किसानों का संबंध है, आप जो सोच रहे हैं वह तथ्यात्मक आंकड़ों पर आधारित नहीं है। आप इसका पुनः आकलन अवश्य कराइए। अन्यथा, इससे कुछ ही लोगों को लाभ होगा। यह बहुत ही कठिन है। एक मुद्दा यह भी है कि क्या आप 2012 में उस योजना के माध्यम से मदद करने जा रहे हैं। आपने यही कहा है। चाहे उर्वरक हो, या मिट्टी का तेल, आप कृपया इस पर सोचकर कार्रवाई करें। यह बहुत बड़ा कार्य होगा, मैं इसे समझ सकता हूं। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि यदि किसानों की उपेक्षा की जाती है, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं बच पाएगी। आज सरकार की रीढ़-चाहे वह संप्रग हो, राजग या कोई भी पार्टी हो-किसान ही है। प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि कृषि क्षेत्र की उपेक्षा हुई है। आपने विनिर्माण क्षेत्र ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया है। मुझे विकास दर का पता है। विकास दर भी समरूप से वितरित नहीं है। आप अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं।

आपने बहुत से कार्यक्रम शुरू किये हैं। मैं उन सभी बातों को नहीं पढ़ रहा हूं। आप जितनी भी परिसम्पत्ति सृजन कर रहे हैं, उसके समरूप वितरण के लिए आप भरसक प्रयास कर रहे हैं। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र में विभिन्न शीर्षों के तहत आपने जो आवंटन किया है, मेरे विचार में वह पर्याप्त नहीं है।

आप नदियों को जोड़ने की बात भूल गए हैं। के.एल. राव एक महान इंजीनियर हैं...*(व्यवधान)* मैं जानता हूं। मैं स्वयं भी एक इंजीनियर हूं।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): राजनेता या इंजीनियर? या दोनों?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैं राजनेता-सह-इंजीनियर और एक किसान हूं।

कुछ माननीय सदस्य: वह राजनीतिक इंजीनियर हैं।

एक माननीय सदस्य: यह एक जबर्दस्त सम्मिश्रण है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: ठीक है, मैं ठेकेदार हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं पेशे से कृषि ठेकेदार हूं। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।...*(व्यवधान)*

बिहार के वरिष्ठ नेता श्री लालू प्रसाद इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण नुकसान कैसे होता है और हम कितनी धनराशि दे रहे हैं, यह बर्बाद कैसे हो रही हैं, नदी के तटों का क्षरण कैसे हो रहा है और गांव कैसे बह रहे हैं। मैं उन्हें पीछे बैठ कर देख रहा था। मैं पीछे बैठना पसंद करता हूं। कल, मैंने उनका भाषण सुना। मैं यह पूछना चाहूंगा कि नदियों को जोड़ने के मामले का क्या हुआ। बजट में इसका उल्लेख नहीं है। कृपया, इनमें से कुछ मुद्दों पर पुनर्विचार कीजिए। इन्हीं शब्दों

के साथ मैं माननीय अध्यक्ष पीठ का विनम्रतापूर्वक धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री रतन सिंह** (भरतपुर): ऊंची आर्थिक वृद्धि सामाजिक-आर्थिक संकटग्रस्त स्थितियों में समाधान की महत्वपूर्ण शर्त मानी गई है। भारत द्वारा 2010-11 में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि न केवल काबिले तारीफ है, वरन एक उल्लेखनीय सबक है। हमारी नीतियों के कारण ही भारत दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। बेशक वो दिन दूर नहीं जब हम चीन से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेंगे।

दबाव के बावजूद बजट में उत्पाद शुल्क का बढ़ाना, सरचार्ज को कम करना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को उदार बनाना, आयकर की सीमा को बढ़ाना, सरकार की सकारात्मक मंशा को बताता है।

विकास दर को ऊंचा करने के साथ-साथ उसके आधार को बढ़ाना भी जरूरत है, तभी समावेशी विकास पूर्ण हो पाएगा।

वर्ष 2011-12 के बजट को भारत में पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख आर्थिक प्रबंधन प्रणाली की दिशा में बढ़ते कदम के रूप में महसूस किया है।

यह जानकर अत्यन्त खुशी है कि सकल कर राजस्व प्राप्तियां 9,32,440 करोड़ रुपया होने का अनुमान है। यह 2010-11 के बजट अनुमानों से 24.9 प्रतिशत अधिक है। राज्यों को अंतरित किए जाने के बाद 2010-11 में केन्द्र का निवल कर 6,64,457 करोड़ रुपया है। वर्ष 2011-12 के लिए कर भिन्न राजस्व प्राप्तियां 1,25,435 करोड़ रुपया अनुमानित है।

वर्ष 2011-12 के लिए कुल व्यय 12,57,729 करोड़ रुपए हैं। यह वर्ष 2010-11 के बजट अनुमानों से 13.4 प्रतिशत अधिक है। ब.अ. 2010-11 की तुलना में आयोजना व्यय 18.3 प्रतिशत की वृद्धि दिखाते हुए 4,41,547 करोड़ रुपया तथा आयोजना व्यय 10.9 प्रतिशत की वृद्धि दिखाते हुए 8,16,182 करोड़ रुपये है। वर्ष 2011-12 ग्यारहवीं योजना अवधि का आखिरी वर्ष है। हमें खुशी है कि ग्यारहवीं योजना व्यय सामान्यत: इस योजना अवधि के लिए प्रत्याशित व्यय के 100 प्रतिशत से भी अधिक है। प्रस्तुत जन कल्याणकारी एवं आम आदमी के बजट में देश के सर्वांगीण विकास एवं आमजन के विकास का पूरा ध्यान रखा गया है।

रक्षा सेवाएं महत्वपूर्ण हैं उनके लिए 1,64,415 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सभी को न्याय शीघ्र मिले इसके लिए न्याय विभाग के 2011-12 के आयोजना प्रावधान में तिगुनी वृद्धि करके 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।

बजट में सामाजिक क्षेत्र पर 17 प्रतिशत वृद्धि से साफ जाहिर होता है कि सरकार का यह मानना है कि आर्थिक वृद्धि बिना सामाजिक विकास के निरर्थक तथा दर्दनाक हो सकती है। हाल में कुछ देशों में चल रहे आन्दोलन इसका जीता-जागता उदाहरण है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर 24 प्रतिशत, शिक्षा पर 12 प्रतिशत वृद्धि के साथ-साथ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों पर ध्यान प्रशंसनीय है।

वर्ष 2011-12 के लिए भारत निर्माण के तहत 58000 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। यह मौजूदा वर्ष से 10000 करोड़ रु. अधिक है। देश के लिए 250000 पंचायतों को तीन वर्ष में ब्राड बैन्ड कनैक्टिविटी मुहैया कराने की योजना को अंतिम रूप दिया गया है।

एम.जी. नरेगा की वास्तविक दैनिक मजदूरी 100 रु. की गई है। बच्चों के नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार को लागू करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान ने मौजूदा संचालन मानकों को संशोधित किया गया है। वर्ष 2011-12 में 52000 करोड़ रु. का आवंटन है। जो 2010-11 के प्रावधान से 40 प्रतिशत अधिक है।

किसानों को वर्ष 2011-12 में 475000 करोड़ रु. के ऋण का प्रावधान किया गया है। जिससे किसानों को कम ब्याज पर कृषि विकास हेतु पर्याप्त ऋण मिल सकेगा।

माइक्रो तथा लघु उद्यम साम्य तथा समावेशी विकास के लिए सिडनी को/बैंकों को 5000 करोड़ रु. का प्रावधान रखा है। हथकरघा विकास के लिए सोसायटी को 3000 करोड़ रु. की सहायता का प्रावधान रखा है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 1500 रु. से बढ़ाकर 3000 रु. एवं सहायकों का 750 से बढ़ाकर 1500 रु. किया गया है। महिला सहायता समूहों को 500 करोड़ रु. का प्रावधान है।

ग्रामीण विकास की फ्लेगशिप योजनाओं को समावेशी विकास के लिए आवश्यक वरीयता दी गई है। भारत निर्माण के तहत पी. एम.जी.एस.वाई., कृषि, त्वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, रेलवे, सड़क परिवहन, ग्रामीण एवं टेलीफोन सम्मिलित हैं।

पर्यावरण संतुलन हेतु नदियों/झीलों की सफाई हेतु 200 करोड़ रु. का आवंटन रखा गया है। मैं ऐसे जन कल्याणकारी सर्व स्वीकार्य

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। साथ में सादर निवेदन करता हूं कि राजस्थान एक पिछड़ा राज्य है। राजस्थान निवासियों को सभी को स्वच्छ/शुद्ध पेयजल पर्याप्त मिले इसके लिए 50000 करोड़ रु. का एक विशेष सहायता पैकेज दिया जाए। भरतपुर के बृज मेवात श्रम में भरतपुर से कोसी कला वाया डीग, वाया रेलवे लाइन का कार्य शीघ्र पूरा कराने की कृपा करें।

मैं ऐसे उत्कृष्ट बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अनुमोदन करने का सादर निवेदन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री रूद्रमाधव राय** (कंधमाल): माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट में असाधारण रूप से कुछ भी उत्साहजनक बात नहीं है। वर्ष 2010-11 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने इस बारे में बड़ी टिप्पणी की थी कि यह बजट आम आदमी का बजट है। परंतु एक वर्ष बाद हमें महसूस हो रहा है कि आम आदमी कैसे लाभान्वित हुए हैं। आम जनता की इच्छाएं किस हद तक पूरी हुई हैं। आवश्यक वस्तुओं, ईंधन, रसोई गैस आदि के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि भारत की गरीब जनता का अपेक्षाकृत अधिक शोषण ही हुआ है।

भारत कृषि आधारित देश है। कृषि उत्पादन की अपार संभावना है और सरकार को कृषि उपज में वृद्धि करने हेतु सभी संभव कदम उठाने चाहिए। गत वर्ष से भारत सरकार ने पूर्वी राज्यों में हरित क्रांति हेतु कदम उठाने शुरू किए थे। इसके अच्छे परिणाम आने शुरू हुए थे परंतु 400 करोड़ रुपये के आवंटन से प्रत्याशित परिणाम हासिल नहीं किए जा सकते। वित्त मंत्री आबंटन राशि को दोगुना करने पर विचार करें।

इसी प्रकार, भारत सरकार ने देश में दलहन का उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए 6000 गांवों को लक्षित किया है परंतु महोदया, मुझे यह कहते हुए खेद है कि उड़ीसा राज्य जिसमें दलहन उत्पादन की पर्याप्त संभावना है उसे सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। मुझे आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री सहानुभूतिपूर्वक उड़ीसा को सम्मिलित करेंगे।

पर्याप्त खुदरा क्षमता के अभाव के कारण सब्जियों और फलों को उगाने में वृद्धि का बाजार उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ता हैं इस प्रकार उत्पादित फलों और सब्जियों का बड़ा भाग नष्ट हो जाता है और इसके कारण किसानों को भारी हानि होती है। किसानों के लिए पर्याप्त शीतगार, गोदाम और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। फूड पार्कों की स्थापना का विचार काफी हद तक इस समस्या का समाधान करेगा। यद्यपि सरकार ने इस बजट में फूड पार्कों में वृद्धि का प्रस्ताव किया है, मैं सरकार के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि उड़ीसा सबसे अधिक फल और सब्जियां उगाने वाले राज्यों में से एक है। इस वर्ष कम से कम 2 फूड पार्क एक तटीय उड़ीसा और अन्य फूड पार्क जनजातीय क्षेत्र में स्थापित किया जाए।

सिंचाई खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने का प्रमुख पहलू है। वर्तमान बजट ने सिंचाई पर अधिक जोर नहीं दिया गया है। इसलिए, मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सिंचाई हेतु आवंटन में वृद्धि की जानी चाहिए।

बजट 2011-12 में वामपंथी अतिवादी बहुल जिलों में विकास परियोजनाओं के संबंध में वित्त मंत्री द्वारा उठाए गए कदम स्वागत योग्य हैं। इस क्षेत्र में आबंटन को 80 जिलों हेतु प्रत्येक जिले को 30 करोड़ रुपये के एकमुश्त अनुदान देकर 100 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। उड़ीसा के माननीय मुख्य मंत्री 4 और जिलों अर्थात नयागढ़, ढेकानल, गंजम और जयपुर को सम्मिलित करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि इन जिलों के वामपंथी उग्रवाद से खतरा है और वर्ष 2009 में नयागढ़ जिले में, शस्त्राकार और विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर बड़ा हमला हुआ था, जिसके कारण 8 पुलिस कर्मियों और एक आम व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। अत: वित्त मंत्री से आग्रह है कि उड़ीसा के उन 4 जिलों को जिन्हें माओवादी उग्रवाद के खतरे वाले जिलों की सूची से बाहर रखा गया था उन्हें इस सूची में सम्मिलित किया जाए और इन जिलों तक समेकित कार्य योजना पहुंचाई जानी चाहिए।

सामाजिक क्षेत्र के आबंटन को 17 प्रतिशत बढ़ाकर अर्थात् 1,60,887 करोड़ रुपये किया जाना वित्त मंत्री का कदम स्वागत योग्य है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन दोगुणा कर दिया गया है। परंतु मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि लगभग 80% आंगनवाड़ी केंद्र बिना अपने भवनों के चल रहे हैं। विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में जहां आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन नहीं हैं और इस प्रकार खाद्य पदार्थ के भंडारण और बच्चों के विद्यालय पूर्व शिक्षक पर बहुत असर पड़ता है। न तो राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार इस संबंध में प्राथमिकता देती है। अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों का निर्माण करने हेतु योजना शुरू करने के लिए कदम उठाए ताकि इन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

***श्री पी. लिंगम** (तेनकासी): सभापति महोदय, अभी हम माननीय वित्त मंत्री द्वारा इस सभा में प्रस्तुत किए गए वर्ष 2011-12

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश हेतु मौजूदा वर्ष के बजट में 12,57,729 करोड़ रुपए के व्यय की परिकल्पना की गई है। इस स्थिति में मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह बजट किसके लिए है। मैं इस बात की ओर इंगित करना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री ने ऐसे समय में बड़े-बड़े व्यावसायिक घरानों को भारी लाभ पहुंचाया है जबकि हमारे आम आदमी गरीबी में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वर्ष 2008 में ऐसे समय में जब वैश्विक मंदी बड़े पैमाने पर थी उसे कारण बताते हुए हमारी कार्पोरेट कंपनियों को काफी रियायत दी गई और उन्होंने 7,12,000 करोड़ रुपए का लाभ अर्जन किया। उस वर्ष से कार्पोरेट कंपनियां इस सरकार से लगातार रियायत और सहायता प्राप्त कर रही हैं जिसने हमारी अर्थव्यवस्था उनके लिए समर्पित कर दी है।

यह बजट कर में कटौती करके, करों में छूट प्रदान करके तथा उन पर कर नहीं लगाकर कार्पोरेट कंपनियों के पक्ष में है। 45,52,000 करोड़ रुपए हमारा ऋण बोझ है। हमारी वार्षिक ऋण प्रतिबद्धता 2,13,000 करोड़ रुपए की है। हमारा राष्ट्र बड़ी मुश्किलों से भुगतान कर रहा है। इस स्थिति में बड़े-बड़े औद्योगिक घराने और कार्पोरेट निकाय इस सरकार से भारी समर्थन प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें निरंतर रियायत दी गई है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर कार्रवाई करने हेतु विचार करे और अपने आप से पूछे कि हमें कार्पोरेट कंपनियों को लगातार रियायत क्यों देनी चाहिए।

हमारा सकल घरेलू उत्पाद 69,59,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 78,79,000 करोड़ रुपए हो गया है। हमारा कृषि उत्पादन कम हो गया है और हमारा बागवानी उत्पादन भी घट कया है और चाय उत्पादन जैसे बागान उत्पादन में भी काफी कमी आई है। कृषि क्षेत्र अब भारी संकट का सामना कर रहा है। वस्त्र उद्योग विशेषकर हथकरघा उद्योग भारी पैमाने पर प्रभावित हुआ है। हम कृषि और औद्योगिक संकट दोनों का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में सकल घरेलू उत्पादन में बड़ी उछाल कैसे संभव है। हमारे गर्वीले और बड़े-बड़े दावे मुद्रास्फीति को देखते हुए सटीक नहीं बैठते हैं। मुद्रास्फीति के कारण अनुमान की गणना भी वस्तुओं और पण्यों के बढ़े हुए मूल्यों के आधार पर की जाती है लेकिन इसके लिए सकल घरेलू उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मैं इस बात की ओर इंगित करना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने आपन्न खतरों से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाया है।

जब हम इस सरकार से कर्मचारी भविष्य निधि के लिए जाने वाले ब्याज दर को बढ़ाने के लिए कहते हैं तो वे कहते हैं कि

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

यह धनराशि स्टाक बाजार में उपयोग में लाई जाएगी ताकि इससे प्राप्त लाभ कार्पोरेट कंपनियों को रियायत देने तथा तुष्ट करने की यह मनोवृत्ति हमें भविष्य में मुश्किल में डालेगी।

ऊर्जा उत्पादन औद्योगिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में जब विद्युत का उत्पादन अधिक से अधिक किया जाना चाहिए तथा औद्योगिक एककों को वितरित किया जाना चाहिए, इसका ठीक उल्टा हो रहा है। ऊर्जा क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है और छोटे एककों को वितरित किए जाने के लिए अधिक विद्युत उत्पादन करने हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है जो बुरी तरह प्रभावित है। वे अपने प्रचालन को जारी रखने तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास में योगदान देने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे हैं।

ऐसे में जब हम बहुत बड़ा औद्योगिक संकट का सामना कर रहे हैं तो बुनाई उद्योग में लघु उद्योग जैसे छोटे एककों जो आम आदमी के लिए अनिवार्य अंतःवस्त्र तथा गंजी, ट्रंक, मौजे और दस्ताने बना रहे हैं, को चलाना आसान नहीं है। बड़ी और मशहूर कंपनियां वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाने के नाम पर जिन्हें कंबल के साथ बेचा जाता है बुनाई उद्योग के छोटे एककों द्वारा निर्मित वस्तुओं पर 10 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाए जाने की मांग की गयी है। इससे औद्योगिक विकास और अधिक अवरुद्ध हो जाएगा।

यहां तक कि आम आदमी और गरीब आदमी को चिकित्सा सेवा देने वाले छोटे औषधालयों, अस्पतालों को भी सेवा कर देने से नहीं छोड़ा गया है। 100 बिस्तर या इससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों को भारी कर राहत दी जाती है जबकि छोटे अस्पतालों पर कर बोझ डाल दिया गया है जो केवल इस बात की ओर इंगित करता है कि कार्पोरेट अस्पतालों को येन केन प्रकरेण तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी क्षेत्रों में औद्योगिक कार्यकलापों को बड़े घरानों को उनके हित साधन को बढ़ावा देने के लिए रियायतें दी जाती हैं। इससे 25 बिस्तर या इससे अधिक बिस्तर वाले छोटे अस्पतालों के अस्तित्व पर खतरा है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि से आम आदमी पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि इसका घातक प्रभाव आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि के रूप में देखने को मिला है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकारी नियंत्रण हटा लिया गया है और पेट्रोल की कीमतों में बार-बार वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल और महंगा हो गया है और इसका प्रभाव हर जगह देखने को मिलता है। हम मूल्यों को नियंत्रित करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं यदि हम निजी क्षेत्रों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को बढ़ाने की इस प्रवृत्ति को नहीं रोक सकते?

हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली अभी एक बड़े सवाल के घेरे में है। यदि महंगाई को नियंत्रित करना है तो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिसे पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा है और जिसे महत्व देने की आवश्यकता है। चूंकि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोग सर्वाधिक प्रभावित हैं इसलिए हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सभी आवश्यक खाद्य सामग्रियों के वितरण का तरीका ढूंढना चाहिए। गरीब भी विद्युत की कमी से अछूते नहीं हैं। इसलिए विद्युत उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए और यह वितरण सरकार के पास होना चाहिए।

जब तमिलनाडु में हमारे मछुआरों की दशा की बात आती है तो कोई भी यह प्रश्न पूछ सकता है कि क्या भारत सरकार उन्हें अपना नागरिक मानती है या नहीं। यह हमारी सरकार का उदासीन रवैया है जो अधिक रोष पैदा करता है। हमारे मछुआरों पर बार-बार श्रीलंकाई नौसैनिकों द्वारा हमला किया जाता है और अब तक उनके 25000 करोड़ रुपए मूल्य की नौका और पोतों सहित उनकी मत्स्य संबंधी सामग्री नष्ट हो गई है जिससे उनके अस्तित्व और आजीविका पर भारी खतरा है। हजारों-हजार लोग और परिवार जो इस मत्स्य संबंधी कार्यकलाप पर निर्भर हैं, को भारी क्षति पहुंची है और इस वर्ष केन्द्रीय बजट हमारे अपने लोगों को कोई सहायता या मुआवजा प्रदान नहीं करता है जो बुरी तरह परेशान हैं। इस वर्ष के बजट में श्रीलंका में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुनर्वास हेतु निधियों के आबंटन किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। हमारे देश के पड़ोस में सीमापार भारतीय मूल के तमिल लोगों को हमारी अपनी सुरक्षा और प्रादेशिक अखण्डता के हित में शीघ्र पुन: बसाया जाना चाहिए।

इस देश के कृषि श्रमिक न केवल भूमिहीन हैं बल्कि उनके पास घर भी नहीं है। आवासीय एकक बनाने हेतु उन्हें कम से कम भूमि पट्टा प्रदान किया जाना चाहिए लेकिन इस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उचित भूमि सुधार शुरू किया जाना चाहिए ताकि अतिरिक्त भूमि की पहचान हो और गरीबों को कम से कम उनके रहने के लिए जमीन दी जाए। विगत में भूमि सुधार आंदोलन के अंतर्गत अधिगृहीत भूमि को अभी भी जरूरतमंद गरीबों को वितरित नहीं किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह भूमि सुधार अपनाए तथा गरीबों को अपने घर के लिए जमीन का पट्टा प्रदान करे। यहां तक कि 40 वर्ष के बाद भी अर्जित की गयी अधिशेष भूमि गरीबों को नहीं बांटी गयी है।

जब कृषि हमारे देश का आधार और हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है तो हम गरीब कृषि श्रमिकों की उपेक्षा नहीं कर सकते जो छोटे आवास एककों जैसी आधारभूत सुविधाओं के बिना पड़े हुए हैं। चूंकि कृषि तथा इसकी आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया, कृषि को एक कम महत्व वाला व्यवसाय माना जाता है। कृषि श्रमिकों को ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वे इस क्षेत्र को छोड़ रहे हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे देश के लिए शुभ संकेत नहीं हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वे गरीबों की सहायता करने तथा उनके कष्टों को दूर करने के लिए एक नया रोडमैप बनाएं जिससे विकास और समृद्धि को नयी दिशा मिल सके।

मैं इस सरकार पर कार्पोरेट कंपनियों का जरूरत से ज्यादा पक्ष लेने और गरीबों की उपेक्षा करने का आरोप लगाता हूं जिससे कि अमीरों और गरीबों के बीच बहुत बड़ी खाई पैदा हो गयी है जिसे कम करने की जरूरत है। चूंकि यह अमीरों के लिए बजट है, इसलिए हमारे दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मैं इस वर्ष के केन्द्रीय बजट का विरोध करता हूं।

***श्री सी.आर. पाटिल** (नवसारी): मैं दक्षिण गुजरात का प्रतिनिधित्व करता हूं जो वस्त्र और हीरा उद्योग के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा निर्माण और व्यापार केन्द्र है। तथापि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के मामले में इस क्षेत्र की भारत सरकार द्वारा अनदेखी की जाती रही है। बजट से मुझे बड़ी आशा थी कि उपर्युक्त क्षेत्रों का ध्यान रखा जाएगा। परन्तु मुझे यह कहते हुए दुख है कि कोई भी आशा पूरी नहीं की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात हीरे के मामले में भारत के सर्वाधिक उन्नत राज्यों में से एक है और हीरे के कारीगरों ने इस प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हीरा उद्योग ने उच्च आर्थिक विकास को 12% एस.जी.डी.पी. के लगभग अनुमानित है, में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। सूरत में लगभग 10 लाख कामगार हीरा उद्योग में नियोजित हैं। गुजरात में 43 बिलियन यू.एस. डॉलर के मूल्य के 'रफ' और 'कट' हीरे एंटवर्प से आयात किए जाते हैं। इन्हें सूरत में आकार दिया जाता है और पॉलिश की जाती है तथा यू.एस.ए. और अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है। यह क्षेत्र सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला क्षेत्र है।

हीरा उद्योग की समस्याओं के बारे में एक कार्य दल जिसमें डा. डी. सुब्बा राव, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक भी शामिल थे, ने एक अध्ययन किया था, पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि सरकार इस कार्य दल के प्रतिवेदन में दिए गए सुझावों पर विचार करेगी और हीरा उद्योग की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हीरा उद्योग के कामगारों को वित्तीय सहायता

वर्तमान बजट में सरकार ने हीरा उद्योग के कामगारों के लिए किसी वित्तीय सहायता का प्रावधान नहीं किया है। तथापि मैं आश्वस्त हूं कि हीरा उद्योग के कामगारों को वैकल्पिक रोजगार/पेशा अपनाने के लिए तत्काल पर्याप्त सहायता दी जाएगी। हीरा उद्योग के कामगार जो एक ही छत के नीचे कार्य करते थे उन्हें अस्तित्व को बचाने के लिए वैकल्पिक रोजगार के लिए जाना पड़ेगा। जैसी कि चर्चा की जा चुकी है, शिक्षा के कम स्तर तथा कौशल की कमी के कारण उनके लिए समुचित रोजगार मिलना मुश्किल हो रहा है।

वस्त्र उद्योग

सूरत भारत में सिंथेटिक वस्त्र निर्माण का सबसे बड़ा केन्द्र है। यहां रोज लगभग 3 करोड़ मीटर कपड़ा बुना जाता है, संसाधित किया जाता है और उसका व्यापार किया जाता है। यह उद्योग विकेन्द्रित तरीके से कार्य करता है। मूलत: यह चार भागों में विभाजित है:

(i) सूत का निर्माण: कताई, टेक्सट्यूराइपिंग और ट्विस्टिंग 125 एकक

(ii) बुनाई 2500 एकक

(iii) प्रोसेसिंग-रंगाई/छपाई 400 एकक

(iv) व्यापार 70000 थोक बिक्री की दुकानें

ये सभी एकक स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इस उद्योग ने लगभग 15-20 लाख लोगों को रोजगार दिया है जिसमें स्थानीय के अतिरिक्त महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लोग भी शामिल हैं। परंतु फिर भी इस बजट में इस उद्योग को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है।

ब्रांडेड सिले-सिलाए वस्त्रों तथा परिधानों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाया गया है। इससे बहुत सारी प्रक्रियात्मक समस्याएं पैदा होंगी। वर्ष 2002-03 में सम्पूर्ण वस्त्र उद्योग पर सेनवैट लगाया गया। इससे एक बड़ा घोटाला हुआ और इसमें कई सारे निर्दोष निर्यातकों का भी विभाग द्वारा उत्पीड़न किया गया। प्रक्रियात्मक समस्याओं को देखते हुए इसे वर्ष 2005 में समाप्त कर दिया गया। अब पुन: इसे सिले-सिलाए वस्त्र तथा परिधान (ब्रांडेड) पर लगा दिया गया है। यह इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्याओं को जन्म देगा।

इस बजट में सरकार ने चीनी, वस्त्र और वस्त्र संबंधी मदों को अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव किया है जो 'वैट' के बदले लगाया जाता था। इस प्रावधान के साथ हजारों बुनकर और व्यापारी 'वैट' के दायरे में आ जाएंगे जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाएगा। सूरत में ये दो क्षेत्र बिखरे हुए और असंगठित हैं। वहां पर छोटे-छोटे बुनकर और व्यापारी हैं, जो प्रक्रियात्मक पहलुओं के बारे में नहीं जानते हैं। इस कदम से उक्त क्षेत्रों में अफरा-तफरी मच जाएगी जिससे श्रमिकों में असंतोष पैदा हो जाएगा।

सूरत का वस्त्र उद्योग एक असंगठित क्षेत्र है। यहां बहुत सारे श्रमिक कार्य करते हैं। यद्यपि उन्हें बहुत अधिक वेतन दिया जाता है तथापि वे यहां पर स्थायी रूप से काम नहीं करना चाहते हैं। सरकार को वस्त्र उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा देते हुए कुछ प्रोत्साहनों की घोषणा करनी चाहिए। इस वर्ग के लोगों में शिक्षा का स्तर बहुत कम है। यहां कामगार 120 कि.मी. की दूरी तय करके काम करने आते हैं।

सूरत सिंथेटिक वस्त्र के निर्यात का सबसे बड़ा केन्द्र है जो पूरे विश्व भर में 45 देशों की जरूरतों को पूरा करता है। परंतु यह दु:खद है कि यद्यपि वहां पर एक आधुनिक विमानपत्तन है, फिर भी यहां से अपराह्न में केवल एक उड़ान ही दिल्ली-सूरत-दिल्ली के लिए प्रचालन में है। समुचित विमान सम्पर्क का अभाव निर्यात संवर्धन में एक बड़ी बाधा है। विदेशी खरीददार सूरत के लिए रेल यात्रा करने में अनिच्छुक रहते हैं।

इस बजट में विशेष आर्थिक क्षेत्र के अधीन प्रचालित एककों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एन.ए.टी.) लगा दिया गया है। इससे एक बार फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

इस आशा के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे सूरत के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ताकि हीरा और वस्त्र का यह विश्व प्रसिद्ध नगर विश्व के अन्य देशों के साथ हीरा और वस्त्र के प्रगतिशील निर्यात/आयात व्यवसाय के माध्यम से देश को सुदृढ़ कर सके।

[हिन्दी]

श्री शरीफुद्दीन शारिक (बारामुला): सभापति महोदय, मैं जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बहुत ही मुतवाजिन बजट पेश करने के लिए दिली मुबारकबाद देता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप हिंदी अथवा अंग्रेजी में बोल सकते हैं क्योंकि भाषा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप हिन्दी में बोलिए।

[हिन्दी]

श्री शरीफुद्दीन शारिक: हमारा चलेगा, ये हिन्दुस्तानी है, इसमें सब लोग सुनते हैं। हिन्दी के बाद उर्दू सुनने वाले हिन्दुस्तान में जो हैं, सबसे ज्यादा तादाद इनकी है। लिहाजा इसमें कोई ट्रांसलेशन की दिक्कत भी नहीं है।

मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने एक मुतवाजिन और एक मुनासिब बजट कौम को दिया है। मौजुदा हालात में, जब कि बैनल अकवामी सतह पर पैट्रोलियम की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इसके बावजूद भी फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस अकलमंदी और दूरअंदेशी का अपने बजट में सबूत दिया है, मैं इनको और इनके साथ वाबिस्ता, इनके महकमों के जो ऑफिसर हैं, जिन्होंने सारी चीज की प्रेक्टिस की है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और काबलियत की तारीफ भी करता हूं। जैसे हमारे देश में बुनकरों की खासी तादाद है, उनकी इकतिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए 3000 करोड़ के उन पर जो कर्जेजात लादे गए हैं, उन्हें माफ करने की जो तजवीज है।

अपराह्न 4.53 बजे

[श्रीमती सुमित्रा महाजन **पीठासीन हुईं**]

इसी तरह 47 लाख तालिबे-इलमो के वजाइफ की तरफ और रुकुमात बराहे-रास्त गरीब लोगों तक पहुंचाने और बीच में दरमियानदारी को खत्म करने के लिए जो इनके बजट के खदखाल हैं, वे काबिलेतारीफ हैं। इसी तरह मैट्रिक से पहले प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की इन्होंने बढ़ोतरी की है और साथ ही में सीनियर सिटिजंस की उम्र 65 साल से नीचे लाकर 60 साल की है। भगवान न करे कि उनकी उम्र भगवान भी पांच साल कम कर ले, ऐसा न हो। इन्होंने 65 साल से 60 साल करके लाखों बुजुर्गों को फायदे की रेखा में लाया है और सेहते-आमा की तरफ, लोगों की सेहत की तरफ, हैल्थ केयर की तरफ रूकुमात, जो इसके लिए मुशखस थी, मुकर्रर थी, उसमें उन्होंने 20 फीसदी बढ़ोतरी की है, जोकि एक काबिले कदर कदम है और कम जमीन मार्जिनल फार्मर्स के टाइप के जो किसान हैं, उनकी आमदनी को, कम आमदनी को नजर रख कर बजट में उन्होंने खातिरखाह इंतजाम रखा है।

चेयरमैन साहिबा, 20 लाख करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे के लिए फराहम करना हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तरक्की याफ्ता मुल्कों के बुनियादी ढांचे में बहुत पीछे हैं। लिहाजा जब तक हमारे पास एक मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक हम तरक्की की शाहरा आसानी और कामयाबी के साथ तय नहीं कर सकेंगे।

चेयरमैन साहिबा, इसी तरह हमारे देश की सड़क योजना है। उसकी तरफ फायनेंस मिनिस्टर ने तवज्जोह दी है। इनका हर कदम काबिले तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं है। इन हालात में इससे बेहतर बजट कोई नहीं दे सकता था।

मैं, इस अवसर पर फायनेंस मिनिस्टर और मरकजी सरकार की तवज्जोह अपनी रियासत, जो बहुत ही परमांदा रियासत जम्मू-कश्मीर है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। जब से आजादी मिली है, यानी 60 साल से अब तक हम अपने एरिए को रेल के जरिए मुल्क से नहीं जोड़ सके हैं। मैं देवेगौड़ा साहब और जनाब गुजराल साहब का जाती तौर पर जम्मू-कश्मीर के अवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि जब इनकी सरकार थी, तब इन्होंने संगे बुनियाद का पत्थर वहां रखा और तब से आज तक वह रेल मुकम्मल नहीं हो रही है। मैं फायनेंस मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे इस तरफ खुसूसी तवज्जोह दें और जितनी भी मुनासिब रकूमात है वह रिलीज करें, क्योंकि आज के जमाने में लोग 20-20 साल तक इंतजार नहीं करेंगे। जमाना इतना तेज गुजर रहा है। इसलिए हमें इसकी बहुत ही जरूरत है।

चेयरमैन साहिबा, आपके थ्रू मैं फायनेंस मिनिस्टर साहब की खिदमत में यह भी गुजारिश करूंगा कि जो सड़क हमें अपने देश से यानी जम्मू से मिलाती है, वह नामुख्फी है। वह साल भर से चार और कभी-कभी छ: महीने में बर्फबारी से बन्द रहती है। इसके कारण हमारा वहां दम घुट जाता है। हमें आज मुतबादिल सड़क नहीं मिली है। हमें आज तक लद्दाख और कारगिल के लिए टनल नहीं मिली है, ताकि हमारे रास्ते साल भर खुले रहें। मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी रियासत जम्मू-कश्मीर की होने के बावजूद वहां जितने भी मरकजी सरकार के महकमे हैं, उनमें मुसलमानों की भर्ती न होने के बराबर है। इसे भी हमें देखना पड़ेगा। मैं जनाब फायनेंस मिनिस्टर साहब की इस तरफ तवज्जोह दिलाना चाहता हूं।

चेयरमैन साहिबा, मैं फायनेंस मिनिस्टर साहब की तवज्जोह इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे कश्मीरी पंडितों को नागुजीर हालात की वजह से अपनी ही रियासत में माइग्रेंट होना पड़ा, उनके हालात खराब हैं। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उनके बच्चों के रोजगार के लिए और उनके इलाज और मुआवजे के लिए और उनकी दूसरी जरूरियात को पूरी करने के लिए कोशिश करें और उन्हें जो रिलीफ मिल रही है, उसमें इजाफा करें। मैं इसके लिए पूरी कूवत के साथ मुतालवा कर रहा हूं। उनका ध्यान रखा जाए, ताकि हालात ऐसे बन सकें कि वे वापस अपने-अपने घरों को आ सकें और कश्मीर एक बार फिर सैकुलरिज्म और इंसानी दोस्ती गहवारा बन सके।

جناب شریف الدین شارق (بارہمولہ): چیرمین صاحب، میں جناب فائننس منسٹر صاحب کو بہت ہی متوازن بجٹ پیش کرنے کے لئے دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ ہماری چلے گا، یہ ہندوستانی ہے، اس میں سب لوگ سنتے ہیں۔ ہندی کے بعد اردو سننے والے ہندوستان میں جو ہیں سب سے زیادہ تعداد ان کی ہے۔لہذا اس میں ہمیں کوئی ٹرانسلیشن کی دقت بھی نہیں ہے۔

میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں انہوں نے ایک متوازن اور مناسب بجٹ قوم کو دیا ہے۔ موجودہ حالات میں جب کہ بین الاقوامی سطح پر پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کے باوجود بھی فائننس منسٹر نے جس عقلمندی اور دوراندیشی کا اپنے بجٹ میں ثبوت دیا ہے میں ان کو اور ان کے ساتھ وابستہ ان کے محکموں سے جو افسران ہیں جنہوں نے ساری چیز کی پریکٹس کی ہے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور قابلیت کی تعریف بھی کرتا ہوں۔ جیسے ہمارے ملک میں بنکروں کی اچھی خاصی تعداد ہے، ان کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے لئے 3000 کروڑ روپئے کے ان پر جو قرضے لادے گئے ہیں انہیں معاف کرنے کی جو تجویز ہے۔ اسی طرح 47 لاکھ طالب علموں کے وضائف کی طرف اور رقومات براہ راست غریب لوگوں تک پہنچانے اور بیچ میں درمیان داری کو ختم کرنے کے لئے جو ان کے بجٹ کے خدوخال ہیں، وہ قابلِ تعریف ہیں۔ اسی طرح میٹرک سے پہلے پری۔میٹرک اسکالرشپ کی انہوں نے بڑھوتری کی ہے۔ اور ساتھ ہی میں سینئر سٹزن کی عمر 65 سال سے گھٹا کر 60 سال کی ہے۔ بھگوان نہ کرے کی ان کی عمر پانچ سال کم ہو جائے۔ انہوں نے 65 سال سے 60 سال کر کے لاکھوں بزرگوں کو فائدے کی ریکھا میں لایا ہے۔ اور صحتِ عامہ کی طرف، لوگوں کی صحت کی طرف، ہیلتھ کیر کی طرف رقومات جو ان کے لئے مقرر تھی، اس میں انہوں نے 20 فیصدی بڑھوتری کی ہے، جو کہ ایک قابلِ قدر قدم ہے۔ اور کم زمین مارجنل فارمرس ٹائپ کے جو کسان ہیں ان کی آمدنی کو، کم آمدنی کو نظر رکھ کر بجٹ میں انہوں نے خاطر خواہ انتظام رکھا ہے۔

چیرمین صاحب، 20 لاکھ کروڑ روپئے بنیادی ڈھانچے کے لئے فراہم کرنا ہمارے دیش کے لئے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم ترقی یافتہ ملکوں کے مقابلے میں بنیادی ڈھانچے میں بہت پیچھے ہیں۔ لہذا جب تک ہمارے پاس ایک مضبوط انفراسٹرکچر نہیں ہوگا، تب تک ہم ترقی کی شاہراہیں آسانی اور کامیابی کے ساتھ طے نہیں کر سکیں گے۔

چیرمین صاحب، اسی طرح ہمارے ملک کی سڑک یوجنا ہے، اس کی طرف فائننس منسٹر نے توجہ دی ہے۔ ان کا ہر قدم قابلِ تعریف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان حالات میں اس سے بہتر بجٹ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔

میں اس موقع پر فائننس منسٹر اور مرکزی سرکار کی توجہ اپنی ریاست جو بہت ہی پسماندہ ریاست جموں و کشمیر ہے، اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ جب سے آزادی ملی ہے، یعنی 60 سال سے اب تک ہمیں ریل سے نہیں جوڑا گیا ملک کے ساتھ۔ میں دیوے گوڈا صاحب اور گجرال صاحب کا ذاتی طور پر جموں و کشمیر کے عوام کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جب ان کی سرکار تھی تب انہوں نے سنگِ بنیاد کا پتھر وہاں رکھا لیکن تب سے آج تک وہ ریل مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ میں فائننس منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس طرف خصوصی طور پر توجہ دیں اور جتنی بھی مناسب رقم ہو وہ ریلیز کریں، کیونکہ آج کے زمانے میں لوگ 20-20 سال تک انتظار نہیں کریں گے۔ زمانہ اتنا تیز گزر رہا ہے، اس لئے ہمیں اس کی بہت ہی ضرورت ہے۔

چیرمین صاحب، آپ کے تھرو میں فائننس منسٹر صاحب کی خدمت میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو بھی سڑک ہمیں اپنے دیش سے یعنی جموں سے ملاتی ہے وہ ناکافی ہے۔ وہ سال بھر میں چار اور کبھی کبھی چھ مہینے برف باری سے بند رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا وہاں دم گھٹ جاتا ہے۔ ہمیں آج تک متبادل سڑک نہیں ملی ہے۔ ہمیں آج تک لداخ اور کارگل کے لئے ٹنل نہیں ملی ہے، تاکہ ہمارے راستے سال بھر کھلے رہیں۔ مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست جموں و کشمیر کی ہونے کے باوجود جتنے بھی مرکزی سرکار کے محکمے ہیں ان میں مسلمانوں کی بھرتی نہ کے برابر ہے، اسے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ میں جناب فائننس منسٹر صاحب کی توجہ اس طرف بھی دلانا چاہتا ہوں۔

چیرمین صاحب، میں فائننس منسٹر صاحب کی توجہ اس طرف بھی دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کشمیری پنڈتوں کو ناگزیر حالات کی وجہ سے اپنی ہی ریاست میں مائگرینٹ ہونا پڑا، ان کے حالات بہت خراب ہیں۔ اس لئے میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کے بچوں کے روزگار کے لئے اور ان کے علاج و معالجے کے لئے، ان کی دوسری ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کوشش کریں، اور انہیں جو ریلیف مل رہی ہے اس میں اضافہ کریں۔ میں اس کے لئے پوری قوت کے ساتھ مطالبہ کر رہا ہوں۔ ان کا دھیان رکھا جائے تاکہ حالات ایسے بن سکیں کہ وہ واپس اپنے اپنے گھروں کو آسکیں۔ اور کشمیر ایک بار پھر سیکولرزم اور انسانی دوستی کو گہوارہ بن سکے۔

میڈم، ہماری ریاست میں بجلی کی زبردست کمی ہے۔ جب پورا ملک روشن ہوتا ہے تو ہم اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، اس وقت ہمارے اوپر انگلی اٹھتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اتنے لوگ ہیں اتنی آمدنی ہے اور اتنا بڑا ملک ہے۔ لیکن شرم کی بات ہے کہ 60 سال گزرنے کے بعد بھی ہم بجلی کے لئے ترستے ہیں۔ اس طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔

میں آپ سے یہ گزارش بھی کر رہا ہوں کہ یہاں کہا گیا تھا کہ ایم۔پی۔لیڈ اسکیم کے ذریعے جو رقم آپ ممبر آف پارلیمنٹ کے دوارا کلکٹر کو دیتے ہیں یعنی جو رقم ممبر آف پارلیمنٹ کے ڈسپوزل پر چھوڑتے ہیں، اسے بڑھایا جائے۔ 10 کروڑ تک کا مطالبہ کیا گیا تھا اور میمورنڈم بھی دیا گیا تھا، لیکن بجٹ میں اس کی کوئی تجویز نظر نہیں آتی ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ یہی پیسے براہِ راست کام کے لئے جاتے ہیں اور یہی کام ممبر آف پارلیمنٹ کی نگرانی میں صحیح و درست ہوتے ہیں، لیکن اس کی طرف آپ کی نظر نہیں گئی ہے۔ میں پرنب بابو آپ سے یہ مطالبہ دوہرانا چاہوں گا کہ ایم۔ پیز کا آپ کو میمورنڈم بھی ملا تھا کہ اس اسکیم میں آپ خاطر خواہ اضافہ کر لیں تاکہ یہ فنڈ براہِ راست وہاں چلیں جایا کریں۔

میڈم، اسی طرح جناب، آج ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لئے نقلی کرنسی کی جو وبا ملک میں پھیل رہی ہے فائننس منسٹر صاحب کو اور سرکار کو اس کی طرف توجہ دینی چاہئے کہ ہماری اقتصادیات کو خراب و برباد و کمزور کرنے کے لئے نقلی کرنسی مختلف ملکوں سے یہاں لائی جا رہی ہے۔ نقلی ڈالر آرہے ہیں نقلی پیسہ آرہا ہے اس سے میں تو ماہرِ اقتصادیات نہیں ہوں، مجھے یہ نہیں معلوم لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس سے ہمارے ملک کے حالات کمزور ہو جائیں گے اور ہم عدم استحکام کا شکار ہو جائیں گے۔ میں جناب فائننس منسٹر صاحب کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا۔

ساتھ میں میں، آپ کی وساطت سے حکومت سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ریاستِ جموں و کشمیر میں ایک ائرپورٹ ہے جس کو انٹرنیشنل ائرپورٹ کا نام دیا گیا ہے، دو تین ہفتہ وہاں سے دبئی کے لئے فلائٹ چلائی گئی لیکن وہ فلائٹ دو ہفتے کے بعد بیٹھ گئی اور آج تک وہاں صرف انٹرنیشنل ائرپورٹ لکھا ہوا ہے، وہاں سے کوئی انٹرنیشنل فلائٹ جاتی ہی نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے ہم لوگ آتے جاتے ہیں اور کوئی نہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہاں سے وہ فلائٹ دبئی کے لئے اور گلف کنٹریز کے لئے شروع کی جائے تاکہ واقعی طور پر ہمیں اس سے کچھ فائدہ ملے۔

ٹورزم ہماری جموں کشمیر کی ریاست کے لئے آمدنی کا سب سے بڑا زریعہ ہے، لیکن ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے لئے ہمارے پاس رقم نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس سہولیات نہیں ہے۔ میں فائننس منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس بات کو زیرِ نظر رکھ کر ابھی کچھ کروڑ روپیہ ہمیں ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے لئے دے دیں۔ جو غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، اب ایک فیشن سا بن گیا ہے، میں ختم کر رہا ہوں، اب لوگ پرائیوٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، لیکن غریب لوگوں کے بچے ابھی بھی مرکزی مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ میں فائننس منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے لئے پروویزن کر لیں، کیونکہ ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ میں آپ کے احترام اور کرسی کے حکم کے مطابق اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔

میں جناب فائننس منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ کشمیر کی خصوصی پسماندگی کو زیرِ نظر رکھتے ہوئے ایک خصوصی پیکج دے دیں تاکہ ہم بھی ملک کے دوسرے حصوں کے برابر ہو سکیں۔ حال ہی میں نارتھ۔ایسٹرن اسٹیٹس کا دورہ کرنے کے بعد آپ نے کچھ امداد دی ہے، ہمارے بھی وہی حالات ہیں جو نارتھ ایسٹ کے ہیں ہمارے یہاں بھی سڑکوں کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے، بجلی کی کمی ہے، روزگار کی کمی ہے، ہمارے یہاں لاکھوں بچے بے روزگار بیٹھے ہیں۔ آپ سے پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام باتوں پر خصوصی توجہ دیں۔۔۔شکریہ

मैडम, हमारी रियासत में बिजली की जबर्दस्त कमी है। जब पूरा मुल्क रौशन होता है, तो हम अंधेरे में डूब जाते हैं। उस वक्त हमारे ऊपर उंगली उठती है और लोग कहते हैं कि इस मुल्क में इतने लोग हैं, इतनी आमदनी है और इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन शर्म की बात है कि 60 साल गुजरने के बाद भी हम बिजली के लिए तरसते हैं। इसकी तरफ मैं आपकी तवज्जोह दिलाना चाहता हूं।

मैं आपसे यह गुजारिश भी कर रहा हूं कि यहां कहा गया था कि एम.पी.एल.ए.डी. स्कीम के जरिए जो रुकूम आप मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा कलैक्टर को देते हैं यानी जो रकम मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्पोजल पर छोड़ते हैं, उसे बढ़ाया जाए। 10 करोड़ तक का मुताबला किया गया था और मैमोरेंडम दिया गया था, लेकिन बजट में उसकी कोई तजवीज नजर नहीं आती है। हमारा यकीन है कि यही पैसे बराहेरास्त काम के लिए जाते हैं और यही काम मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट की निगरानी में दुरुस्त और सही होते हैं, लेकिन इसकी तरफ आपकी नजर नहीं गई है। मैं प्रणब बाबू आपसे यह मुताबला दोहराना चाहूंगा कि एम.पीज. का आपको मैमोरेंडम भी मिला था कि इस स्कीम में आप खातिरख्वाह इजाफा कर लें, ताकि ये फंड बराहेरास्त वहां चले जाया करें।

मैडम, इसी तरह जनाब, आज मुल्क को अदम इस्तहकाम का शिकार करने के लिए नकली करेंसी की जो बया मुल्क में फैल रही है, फायनेंस मिनिस्टर साहब को और सरकार को इसकी तरफ तवज्जोह देनी चाहिए कि हमारी इक्तिसादियात को खराब और बर्बाद और कमजोर करने के लिए नकली करेंसी मुख्तलिफ मुल्कों से यहां लाई जा रही है।

अपराह्न 5.00 बजे

फाइनेंस मिनिस्टर साहब को और सरकार को इस की तरफ तवज्जह देनी चाहिए कि हमारी इक्तिसादियात को खराब और बर्बाद करने के लिए, कमजोर करने के लिए नकली करंसी मुख्तलिफ मुल्कों से यहां लाई जा रही है। नकली डॉलर आ रहे हैं, नकली पैसा आ रहा है, इससे मैं तो माहिरे इख्तिसादियात नहीं हूं, मुझे यह नहीं मालूम, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे हमारे मुल्क के हालात कमजोर हो जाएंगे और हम अदमे इस्तेहकाम का शिकार हो जाएंगे। मैं जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तवज्जह इसकी तरफ दिलाना चाहूंगा।

साथ में मैं आपकी वसादत से हुकूमत से यह भी गुजारिश करूंगा कि रियासते जम्मू-कश्मीर में एक एयरपोर्ट है, जिसको इण्टरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया। दो-तीन हफ्ते वहां से दुबई के लिए फ्लाइट चलाई गई, लेकिन वह फ्लाइट दो हफ्ते के बाद बैठ गई और आज तक वहां सिर्फ इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिखा हुआ है, वहां से कोई इण्टरनेशनल फ्लाइट जाती ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम लोग शायद आते-जाते हैं और कोई नहीं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वहां से वह फ्लाइट दुबई के लिए और गल्फ कंट्रीज के लिए शुरू की जाये, ताकि वाकई तौर पर उससे हमें कुछ फायदा मिले।

टूरिज्म हमारी जम्मू-कश्मीर की रियासत के लिए आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास रकम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास सुविधा नहीं है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि इस बात को जेरे नजर रखकर अभी कुछ करोड़ रुपया हमें टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दे दें और...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब कन्क्लूड करिये।

श्री शरीफुद्दीन शारिकः जो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अब एक फैशन सा बन गया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब कन्क्लूड करिये।

श्री शरीफुद्दीन शारिकः मैं खत्म कर रहा हूं। अब लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ाते हैं, लेकिन गरीब लोगों के बच्चे अभी भी केन्द्रीय मदरसों में पढ़ते हैं। हमारे यहां केन्द्रीय स्कूलों की कमी है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि इसके लिए वे प्रोवीजन कर लें, क्योंकि हमारी इस बारे में जरूरत है।... *(व्यवधान)* मैं आपके एहतराम और कुर्सी के हुक्म के मुताबिक अपनी बात खत्म कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

मैं जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि कश्मीर की खुसूसी पसमंदगी को जेरे नजर रखते हुए एक खुसूसी पैकेज दे दें, ताकि हम भी मुल्क के दूसरे हिस्सों के बराबर हो सकें। हाल ही में नोर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का दौरा करने के बाद आपने कुछ इमदाद दी है। हमारे भी वही हालात हैं, जो नोर्थ ईस्ट के हैं। हमारे यहां भी सड़कों की कमी है, पानी की कमी है, बिजली की कमी है, रोजगार की कमी है। हमारे यहां लाखों बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब आप बैठिये, आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

(व्यवधान)...*

श्री शरीफुद्दीन शारिकः खुदा हाफिज।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

***श्री जे.एम. आरुन रशीद** (थेनी): कमोबेश बजट की स्थिति ज्ञात थी। संसद के संयुक्त सत्र को माननीय राष्ट्रपति के संबोधन और आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 के जारी होने के साथ बजट की रूपरेखा स्पष्ट हो गई थी। इसके अतिरिक्त, माननीय वित्त मंत्री ने जनवरी-फरवरी-2011 के दौरान सभी पक्ष-धारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया था।

बजट का आम आदमी पर काफी प्रभाव पड़ता है परंतु कारपोरेट क्षेत्र ने मिली-जुली भावनाएं व्यक्त की हैं। वरिष्ठ नागरिकों को कुछ प्रोत्साहनों को छोड़कर कर ढांचे में अधिक परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया गया है। शायद सरकार अपेक्षाकृत अधिक उचित अवसर हेतु सावधानी एवं सतर्कतापूर्वक चलना चाहती थी जब अगले वित्तीय वर्ष नई प्रत्यक्ष कर संहिता और साथ ही वस्तु एवं सेवा कर लागू हो जाएं। ये दोनों प्रयास कारपोरेट क्षेत्र को स्पष्ट दिशा प्रदान करेंगे और कर भी बढ़ाएंगे। माननीय वित्त मंत्री ने अनुत्पादक व्यय को कम करने के लिए बहुत कार्य किया है जिसकी सफलता से सामाजिक क्षेत्रों सहित अत्यंत अवरुद्ध क्षेत्रों हेतु काफी बचत हुई है। तेजी से बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे को रोकने हेतु सरकार ने विनिवेश के अपने एजेंडे को प्रस्तुत किया है और रक्षा हेतु बजट आबंटन भी घटाया है। एफ.डी.आई. प्रवाह में पर्याप्त वृद्धि की भी सरकार को आशा है जो कि पिछले राजकोषीय वर्ष में अनुमानों के अनुरूप मूर्त रूप नहीं ले सकी। हम सभी जानते हैं कि विकास के पक्षधरों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के बीच चल रही रस्सा-कसी विदेशी निवेश में बाधा डाल रही है।

जी.डी.पी. 8.6% पर निर्धारित की गई है और मुझे यकीन है कि इसे प्राप्त कर लिया जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में, हम अपने आपको वैश्विक राजकोषीय अस्थिरता से नहीं बचा सकते हैं-विशेषकर लीबिया और अरब देशों में घटनाक्रमों के मद्देनजर कच्चे तेल के बढ़ते हुए मूल्यों से नहीं बचा सकते। इसके साथ यूरोपीय समुदाय से बढ़ता कर्ज का भार भी हमें बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। आम आदमी को कुछ आशा बंधाते हुए खाद्यान्न उत्पादन का रिकार्ड स्तर पर अनुमान लगाया गया है। इसलिए, यह आवश्यक है कि सरकार को कम से कम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने तक अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए। दूध और सब्जियों के मूल्य अपेक्षाकृत अधिक हैं परंतु किसानों को अपनी उपज का कम मूल्य मिलता है और बिचौलिया मुनाफा कमा रहे हैं।

कृषि क्षेत्र के लिए कुछ अच्छी खबर है। कृषि ऋणों का अब निम्न ब्याज दरों पर आसान निर्धारण किया गया है। केवल निम्न ब्याज दरों से ही किसान को राहत नहीं मिलेगी। पिछले बजट में सिंचाई क्षेत्र में करोड़ों रुपये लगाए जाने के बावजूद हमारी कृषि भूमि का 60% हिस्सा वर्षा-सिंचित बना हुआ है। जल स्त्रोत से खेत तक पाइपलाइन बिछाने हेतु किसान की सहायता कर लास्ट माइल कनेक्टिविटी का अभाव है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र मुख्यत: कृषि प्रधान क्षेत्र है और किसान के कल्याण के प्रति मैं चिंतित हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र एक हरित क्षेत्र है जहां कृषि हेतु उपलब्ध लाखों एकड़ भूमि पर धान उगाई जाती है। तथापि, गत कई वर्षों में कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश कम ही रहा है। मैंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र जिसमें कृषि, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, सिंचाई और ग्रामीण एवं लघु उद्योग सम्मिलित हैं उस क्षेत्र पर केंद्र सरकार का कुल व्यय वर्ष 2010-11 में जी.डी.पी. के 3.3% से वर्ष 2011-12 के चालू बजट में घटकर जी.डी.पी. का 2.3% रह गया है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र कृषि पर आधारित है। यहां विश्व में मसालों की सर्वोत्तम किस्में उगाई जाती हैं। इस क्षमता को दोहन करने हेतु अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्पाइसिज पार्क की स्वीकृति दी जाए जिससे कि न केवल कृषि को बढ़ावा मिलेगा बल्कि जिले में रोजगार का सृजन भी होगा।

शिक्षा ऋण क्षेत्र में कतिपय समस्याएं हैं। छात्रों को बैंकों से ऋण लेने में कठिनाइयां होती हैं। प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए और सभी छात्रों को बिना किसी परेशानी अथवा देरी के ऋण मिलना चाहिए।

भारत में कृषि का विकास और उसकी सततता काफी हद तक इस क्षेत्र में सरकारी निवेश पर निर्भर करती है, कृषि उत्पादों की मांग और पूर्ति के बीच असमानता के कारण बढ़ते खाद्य मूल्यों के संदर्भ में आशा थी कि वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट में गत वर्षों की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। तथापि इस क्षेत्र हेतु छोटे और सीमांत किसानों की आशाओं की अपेक्षा आबंटन कम रहा है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए कृषि ऋणों पर ब्याज दर घटा कर 3.00% करने को छोड़कर किसानों को प्रसन्न करने हेतु कोई महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणाएं नहीं हैं। 4,75,000 करोड़ रुपये के ग्रामीण ऋण के उच्च लक्ष्य को निर्धारित करने से किसान समुदाय को लाभ होना चाहिए परंतु कृषि क्षेत्र को सरकारी निवेश के बड़े सहारे की अब भी आवश्यकता है। अगले महीने मेरे तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में मुझे आशा थी कि बजट में वास्तव में कुछ सकारात्मक संदेश होंगे। मुझे अब भी आशा है कि माननीय मंत्री कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश के इस पहलू

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पर विचार करेगी और बजट पारित होने से पूर्व सुधारात्मक उपाय करेगी।

पूरा विश्व गंभीर आर्थिक मंदी की स्थिति से गुजरा है और विकसित देशों सहित अनेक देश अब भी मंदी से गुजर रहे हैं। परंतु महोदया सोनिया गांधी और प्रधान मंत्री के प्रगतिशील नेतृत्व में हमारी संप्रग सरकार के सतत प्रयासों से हम निश्चित रूप से कई विकसित देशों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में हैं।

मेरे कुछ सुझाव हैं। स्वास्थ्य परिचर्या पर प्रस्तावित सेवा कर की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। कई निजी अस्पताल जनता से मनमाने शुल्क वसूल रहे हैं। यदि सेवाकर लगाया जाता है तो जनता को और अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे। चूंकि हमारे देश में अधिक सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या व्यवस्था नहीं है इसलिए जनता को निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर निर्भर रहना पड़ता है और इससे उन्हें नुकसान होगा। मेरा अनुरोध है कि इस सेवा कर को वापस किया जाए। इस क्षेत्र और अधिक सरकारी निवेश की आवश्यकता है।

अन्य महत्वपूर्ण पहलू बैंकिंग क्षेत्र है। आज जिस प्रकार महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरी राशि बैंक खातों में जमा कराई जाती है ऐसे में हमारे गांवों को अधिकाधिक सरकारी बैंकों की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में और बैंक खोलें।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह डीलरों द्वारा धान, अनाज जैसी आवश्यक वस्तुओं और अन्य वस्तुओं की जमाखोरी के विरुद्ध कदम उठाए। देश में विशेषकर तमिलनाडु में इसे रोका जाना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि की निगरानी हेतु तमिलनाडु राज्य में जिला स्तर पर समितियां गठित की जानी चाहिए।

इस सरकार के सतत प्रयासों से भारी लाभ पहुंचा है और जी.डी.पी. का राजकोषीय द्वारा 5.5% से घटकर 5% प्रतिशत हुआ है।

मानसून विफल होने के कारण कम कृषि उत्पादन, कच्चे तेल के बढ़ते मूल्य और पूरे विश्व में छाई आर्थिक मंदी के दौर में हमारे वित्त मंत्री ने बहुत अच्छा कार्य किया है और हम सभी को उनके प्रयासों का समर्थन करना चाहिए।

भारत और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में आए उतार-चढ़ाव के मद्देनजर आज देश जिस वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, मैं इससे अवगत हूं। मैं यह मानता हूं कि माननीय मंत्री जी ने आम आदमी को जो राहत मिलनी चाहिए वह राहत प्रदान करने के लिए समिति संसाधनों को तर्कसंगत रूप से इष्टतम उपयोग किया है।

लोग सरकार के विशेष कार्य क्षेत्र के कार्यक्रमों से प्रसन्न है। यही कारण है कि उन्होंने दूसरी बार संप्रग को दूसरा निर्णायक जनादेश दिया है। अच्छी फसल तथा बढ़ा हुआ खाद्यान्न उत्पादन तथा आगामी अच्छा मानसून निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगा।

मैं बजट और व्याप्त आर्थिक परिदृश्य के इस दौर में जनसाधारण को यथासंभव बेहतरीन साधन मुहैया कराने के सरकार के ईमानदारीपूर्वक किए गए प्रयास के समर्थन के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री नरहरि महतो (पुरुलिया): सभापति महोदया, मुझे वर्ष 2011-12 के आय बजट पर चर्चा में भाग लेने हेतु यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कृषि और अन्य वस्तुओं पर कम कर लगाने का प्रयास सराहनीय है। लेकिन हमें इस वित्तीय वर्ष में बजट के लक्ष्य और प्रभाव, जिसके लिए यह बजट तैयार किया गया है, पर विस्तार से विचार करना है। मेरे अनुसार यह बजट कार्पोरेट घरानों के लिए है। जिस प्रकार से बजट प्रस्तुत किया गया है, वह निराशाजनक है। पूरा देश महंगाई और बढ़ती मुद्रास्फीति जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। इन्हें रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है। सरकार मुद्रास्फीति को रोकने में असफल रही है। कच्चे तेल का मूल्य तेजी से बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बताया है कि वित्तीय प्रबंधन और विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई उपाय नजर नहीं आ रहा जिसके चलते देश विकास जारी रख पाएगा अथवा मुद्रास्फीति नियंत्रित कर पाएगा।

महोदया, इस बजट में सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक लाने के अपने इरादे पर विचार कर रही है लेकिन इसके लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं है। आजादी के अनेक वर्षों के बाद भी किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। किसानों को बीज समय पर नहीं मिल रहा है और उन्हें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

आप पूरा देश कालाधन और महंगाई के बारे में चिंतित है। भारी काली धनराशि सरकार के गलत कानूनों और नीतियों के कारण इतनी अधिक मात्रा में कालेधन का सृजन हुआ है।

यह बजट किसान की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है। सरकार ने सभा में पहले रखी गई किसान संबंधी नीतियों की घोर उपेक्षा की है और इससे कृषक समुदाय को सुनिश्चित

आय प्राप्त नहीं होती। इस देश का युवा कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाने का इच्छुक नहीं है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से सरकार की नीति तैयार करने के लिए अनुरोध करता हूं ताकि हमारे किसान ऋण मुक्त हो सकें और ग्रामीण युवकों को रोजगार मिले। तभी हम एक भुखमरी से मुक्त और समृद्ध भारत की उम्मीद कर सकते हैं। इस प्रकार, यह बजट गरीब विरोधी है और यह अमीर और गरीब के बीच की दूरी को और बढ़ाएगा। यह बजट रोजगार विरोधी भी है।

इसलिए मैं बजट का विरोध करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूं।

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): महोदया, सर्वप्रथम मैं अपनी अत्यधिक निराशा प्रकट करना चाहता हूं और यह इस सरकार के लिए निराशाजनक बात है। अल्पसंख्यकों की आशाओं पर कुठाराघात हुआ है क्योंकि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाया नहीं गया है। पिछले वर्ष यह 2514 करोड़ रुपए था और 100 करोड़ रुपए पिछले वर्ष व्यय नहीं किया गया। 300 करोड़ रुपए की मामूली वृद्धि की गई है और अब यह 2860 करोड़ रुपए है। 89 लाख करोड़ रुपए बजट में 2860 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं हैं। कम से कम दस प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए थी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को कम से कम 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाना चाहिए था।

सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं निश्चित रूप से यह इंगित करना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रवासी भारतीयों हेतु शैक्षिक ऋण हेतु ब्याज राजसहायता दी गई है। भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संवर्धनात्मक कार्यकलापों हेतु कोई आवंटन नहीं किया गया है।

वक्फ हेतु सहायता अनुदान के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है। वक्फ की करोड़ों रुपए की संपत्ति है। सरकार इस बात की कैसे उम्मीद कर रही है कि 1.19 करोड़ रुपए के आवंटन से केन्द्रीय वक्फ परिषद वक्फ की लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति विकसित करने में सक्षम हो पाएगी।

महोदया, इस 2866 करोड़ रुपए में से ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जो हम मैट्रीक-पूर्व मैट्रीक-पश्चात् और एम.एस.डी.पी. नामक योजनाओं के लिए लगभग 2022 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। मैट्रिक-पूर्व आवंटन 533 करोड़ रुपए का है और मैट्रिक पश्चात् आंकड़ा 405 करोड़ रुपए का है। यह कैसे पर्याप्त है? 19 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए है। यह बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। हम इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि मैट्रीक-पूर्व के लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपए तथा मैट्रीक पश्चात् योजनाओं हेतु 1000 करोड़ रुपए और एम.एस.डी.पी. आवंटन को बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ है।

सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधान मंत्री एक राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद के प्रभारी हैं जिनके अनुसार 607 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वर्ष 2022 तक 50 करोड़ दक्ष कामगार तैयार होंगे। अभी वर्ष 2009-10 में दो परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। 35.67 करोड़ रुपए की लागत से दस लाख दक्ष कामगार तैयार होंगे। यहां कोई अल्पसंख्यक नहीं है। यदि सरकार 13 सूत्री कार्यक्रम के बारे में गर्व से बात करती है तो प्रधान मंत्री के अंतर्गत इस राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद का क्या होगा? पर्याप्त बजटीय आवंटन के बिना यह बेकार है। पर्याप्त बजटीय आबंटन के अभाव में यह मात्र सदाश्यता ही रह जाती है परंतु असली तस्वीर तभी उभरकर सामने आती है जबकि वास्तविक व्यय की समीक्षा की जाती है।

आप मुझे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पढ़ने की अनुमति दें। यह सूचना मैंने अपराह्न लगभग 1 बजे डाउनलोड की है। हम 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में हों। अल्पसंख्यकों के लिए कुल 7000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है और हम मंत्रालय की वेबसाइड के अनुसार 30/12/2010 तक 1470 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।

यहां क्या हो रहा है? हम 11वीं पंचवर्षीय योजना के आखिरी वर्ष में हों। 7000 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गयी है। क्या आप हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो? आपके अपने आंकड़े ही बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो; मंत्रालय किस प्रकार कार्य कर रहा है, सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रही है।

अग्रेतर, मैं बहु-क्षेत्रीय विकास योजना की बात करना चाहता हूं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 2750 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गयी है। इस पंचवर्षीय योजना के आखिरी वर्ष में केवल 1815 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र सरकार वह राशि दर्शा रही है जो राज्य सरकार को व्यय के रूप में हस्तांतरित किया गया है। जो कुछ मैं कह रहा हूं, उसकी पुष्टि कर सकता हूं।

उत्तर प्रदेश में, जहां कांग्रेस पार्टी की अगले वर्ष होने वाले चुनाव में भारी राजनीति दावेदारी है, बहु-क्षेत्रीय विकास योजना और इंदिरा आवास योजना के अधीन 80,398 गृहों का निर्माण किया जाना है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाईड के अनुसार केवल 17,231 गृहों का निर्माण किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश में निर्मित की जाने वाली विद्यालयों की इमारतों का ही उदाहरण

लें तो वहां 53 विद्यालय इमारतों का निर्माण किया जाना था परंतु वहां कोई निर्माण नहीं किया गया। 513 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जाना था परंतु एक का भी निर्माण नहीं किया गया; 19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण किया जाना था पर किसी का भी निर्माण नहीं हो पाया। मैं आपको ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं। जवाबदेही कहां है? यह क्या हो रहा है? इसका सबसे हास्यास्पद हिस्सा यह है। यदि आप उत्तर प्रदेश के लिए वित्तीय आबंटन को देखें, यह कहा गया है कि लगभग 2,200 करोड़ खर्च किए गए हैं। यह धनराशि कहां खर्च की गई है? इस एम.एन. डी. कार्यक्रम के अधीन जो धनराशि वास्तव में दी गई है और जो वास्तविक परिसम्पत्तियां, सृजित की गयी है उसमें भारी असमानता है। इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि 90 एम.सी.डी. में से केवल 30 प्रतिशत मुस्लिमों को लाभ हो रहा है।

मेरा दूसरा मुद्दा योजना आयोग के आकलन और निगरानी प्राधिकरण के बारे में है। जब उस प्राधिकरण के एक सदस्य ने कहा कि विभिन्न योजनाओं, उदाहरण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और सर्व शिक्षा अभियान के अधीन अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी की गणना की जानी चाहिए, योजना आयोग ने तत्काल कहा-"नहीं"। आप निगरानी क्यों नहीं रख सकते? आप अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही सभी कल्याण योजनाओं का मूल्यांकन क्यों नहीं कर सकते? ऐसा नहीं किया जा रहा है। बजटीय आवंटन के रूप में इन सभी सद्इच्छाओं की अभिव्यक्ति हुई है।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जाति आधार पर जनगणना के बारे में है। जाति आधारित जनगणना की जा रही है। परंतु सबसे बड़ी समस्या मुस्लिमों के लिए होगी। इस सरकार ने रंगनाथ मिश्र आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग ने सिफारिश की कि मुस्लिमों, मुस्लिम दलितों और ईसाई दलितों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। अभी चल रही जाति आधारित जनगणना में यदि मुस्लिमों की उपेक्षा की गयी तो यह भेदभाव हमेशा जारी रहेगा।

मंडल आयोग एक गलत निष्कर्ष पर पहुंचा था। यह एक असंगति है जिसे दूर किया जाना चाहिए। मंडल आयोग के अनुसार 50 प्रतिशत मुस्लिम ऊंची जाति के हैं। यह बिल्कुल ही गलत है। अस्सी प्रतिशत मुसलमान पिछड़े वर्ग के हैं न कि अगड़ी जाति के। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अनुसूचित जातियों के मुस्लिमों की गणना नहीं की गयी है। हमारे आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन की गणना नहीं की जा रही है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि यह जाति आधारित जनगणना जिसके बारे में माननीय वित्त मंत्री ने उल्लेख किया - जैसा कि अबूसालेह शरीफ ने भी बताया- मुस्लिमों के बड़े वर्गों के सामाजिक अगड़ेपन या पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए अपवर्जन की सूची बनायी जानी चाहिए ताकि एक मुस्लिम पिछड़ा वर्ग सृजित किया जा सके। अन्यथा रंगनाथ मिश्र आयोग का क्या लाभ है? राजेन्द्र सच्चर समिति का क्या फायदा है?

मेरा अगला मुद्दा अल्पसंख्यकों की भर्ती के बारे में है। पंद्रह सूत्री कार्यक्रम के अधीन विशिष्ट दिशानिर्देश दिए गए हैं। एक बार फिर, मैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइड से उच्छृल कर रहा है। 2009-10 में 159 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और 68 मंत्रालयों में 1,45,594 लोगों की भर्ती की गयी। इसमें अल्पसंख्यकों का हिस्सा कितना है? यह केवल 10,571 है। यह 6.50 प्रतिशत भी नहीं है। निगरानी कहां है? 40,786 भर्तियों में से अल्पसंख्यकों की संख्या केवल 2,930 है। कौन इन चीजों की निगरानी कर रहा है? मेरा विश्वास कीजिए यह बहुत बड़ा धोखा है। आप किसी की आंखों पर बहुत दिनों तक परदा नहीं डाल सकते। आप जानते हैं कि मुस्लिमों के समर्थन के बिना आप सत्ता में नहीं आ सकते।

यह जाति आधारित जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। 2014 तक रंगनाथन आयोग का प्रतिवेदन एक चुनावी मुद्दा बनने वाला है। ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली बनाने के लिए काफी जोर-शोर से मांग की जा रही है। सच्चर समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। डा. रघुराम राजन की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र सुधार संबंधी योजना अयोग की समिति ने कहा है कि यह व्यवहार्य है और भारत में ब्याज मुक्त बैंकिंग की संभावना है। या, कम से कम सरकार को ब्रिटेन के एफ.एस.ए. की तर्ज पर विशेषज्ञों की एक समिति बनानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अंत में, मैं एक बार फिर अपनी मांग दोहराता हूं कि हज सब्सिडी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अल्पसंख्यक बालिकाओं को छात्रवृत्ति के लिए 600 करोड़ रु. उपलब्ध कराएं। हज सब्सिडी का कोई मतलब नहीं है, बल्कि आप यह एयर इंडिया को और सऊदी एयरलाइन्स को दे रहे हो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सब्सिडी समाप्त कर दी जाए। मैं यह कह रहा हूं कि इसका अच्छे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हज पर जाने वाला गुडविल डेलीगेशन व्यर्थ का डेलीगेशन है। आप इस पर प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। महोदया, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक गुडविल सदस्य पर 12 दिनों के लिए 18 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। इससे भारत का गुडविल हो रहा है? जो लोग नमाज भी पढ़ना नहीं जानते उन्हें सरकार भेज रही है। इसलिए मुझे आशा है कि सरकार इन सभी मांगों पर विचार करेगी।

***श्री प्रहलाद जोशी** (धारवाड़): धन्यवाद सभापति महोदय, मैं अपनी मातृभाषा कन्नड़ में बोलना चाहूंगा। हम इस समय

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कर्नाटक में अपने पड़ोसी जिले बेलगावी में वर्ल्ड कन्नड़ का कांफ्रेंस अर्थात विश्व कन्नड़ सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। अतः मुझे कन्नड़ भाषा में बोलते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है।

महोदया, मैं बजट के बारे में कोई तकनीकी मुद्दा नहीं उठाना चाहता। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान अपने देश की आम जनता से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर आकर्षित करता हूं। यह बड़ी चिंता की बात है कि हमारे देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बहुत तेजी से बड़ रहे हैं। पहले लोग थोड़ी सी धनराशि खर्च करके थैले भरकर खाद्यान्न लाया करते थे। परंतु आजकल थोड़ा सा खाद्यान्न खरीदने के लिए थैले भरकर रकम खर्च करनी पड़ती है। हमारे देश में ऐसी ही दयनीय स्थिति बनी हुई है।

कल, मैंने चावल खरीदे। उनकी कीमत 40 रुपये प्रतिकिलो थी। इसी प्रकार खाद्य तेल 90 रुपये प्रति किलो है। महंगाई से आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। परंतु दूसरी तरफ सरकार यह कहकर बचाव कर रही है कि उसने आर्थिक विकास की उच्च दर हासिल कर ली है। भारत की तुलना में चीन ने अधिक आर्थिक विकास दर को हासिल किया है। वहां पर खाद्य मुद्रास्फीति और सामान्य मुद्रास्फीति काफी कम है। इसलिए सरकार को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु सख्त उपाय करने चाहिए। सरकार को ईमानदारी से ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे कि आम जनता सुखद और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसकी उपेक्षा की गई है।

केंद्र सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए।

मेरा दूसरा मुद्दा कृषि के बारे में है। महोदया, सरकार यह दावा करती रही है कि कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। परंतु यह बड़ी चिंता की बात है कि हरित क्रांति के पश्चात प्रति हेक्टेयर औसत उपज अमरीका जैसे विकसित देशों, चीन जैसे विकासशील देशों और बांग्लादेश जैसे अल्पविकसित देशों की तुलना में घट रही है। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जमीनी हकीकत चिंताजनक है। परंतु सरकार दावा कर रही है कि उसने कृषि क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है। वास्तव में इसने कुछ नहीं किया है। उदाहरण के लिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जहां तक कृषि का संबंध है तो पंजाब अग्रणी राज्य है। परंतु इस राज्य के 40 प्रतिशत किसान खेती छोड़ने के लिए तैयार हैं। पंजाब के किसान और कोई कार्य करने को तैयार है। ऐसा क्यों हो रहा है? खेती बाड़ी की लागत बढ़ती जा रही है और किसानों को भारी घाटे का सामना करना पड़ रहा है।

उदाहरण के लिए, दिसंबर, 2010 में जब संसद सत्र चल रहा था तो उस समय प्याज के मूल्य में वृद्धि एक ज्वलंत मुद्दा था। उस समय बहुत सी बातों पर विचार किया जा रहा था। प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने आदि के सुझाव दिए गए थे। उसी सप्ताह, जब मैं कर्नाटक स्थित अपने निर्वाचन क्षेत्र धारवाड़-हुबली गया था तो उस समय किसानों ने सड़कों पर प्याज फेंकी थीं और "धरना" दिया था क्योंकि प्याज के लाभकारी मूल्य नहीं मिलते थे। एक तरफ क्षेत्र में लोगों को प्याज के उचित मूल्य नहीं मिल रहे थे। दूसरी तरफ दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में लोग प्याज के मूल्य बढ़ने के कारण इसके निर्यात पर प्रतिबंध की मांग कर रहे थे। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार प्याज की मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाने हेतु समुचित तंत्र लाने में विफल रही है। इसी कारण हमारे किसान समूह 'घ' श्रेणी की नौकरी करने के लिए भी तैयार हैं। किसान कस्बों और शहरी क्षेत्रों में कुली बनने में संकोच नहीं कर रहे हैं परंतु वे यह नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसान बनें क्योंकि उन्हें दो-जून की रोटी जुटाने में कठिनाई होती है।

मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि संप्रग सरकार खुशी से यह दावा कर रही है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र हेतु कुल 21,068 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था? ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आबंटन 50,926 करोड़ रुपये था। परंतु स्वयं सरकार द्वारा की गई मध्यावधि समीक्षा में यह दावा किया गया है कि व्यय ने कुल योजना व्यय के 2.4% की गत वर्ष की सीमा को पार नहीं किया है। अतः मैं सुझाव देना चाहूंगा कि कृषि अवसंरचना का सृजन करने हेतु ईमानदारीपूर्वक प्रयास किए जाने चाहिए। दूसरी बात, सरकार यह दावा कर रही है कि इसने किसानों को अधिक ऋण देने हेतु ऋण प्रवाह में वृद्धि की है।

मैं सरकार और सभा में उपस्थित वित्त राज्य मंत्री का ध्यान दिसंबर, 2010 के अंत में अपने मित्र माननीय सांसद श्री हुक्मदेव नारायण जी द्वारा उठाए गए प्रश्न के दिए गए उत्तर के बारे में आकर्षित करना चाहूंगा कि किसानों को प्रदान की गई कुल ऋण राशि 5,82,106 करोड़ रुपये थी। इसमें से केवल 65,000 करोड़ रुपये माफ किए गए थे। इसी अवधि के लिए उद्योगों को 10,54,390 करोड़ रुपये मिले थे। गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में से और अशोध्य 2,13,352 करोड़ रुपये थे। यह अशोधनीय राशि और गैर-निष्पादनकारी आस्तियां हैं। हमारे देश में 70 प्रतिशत व्यक्ति कृषि और केवल 5% व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भर हैं। परंतु यह अति दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार कृषि की अपेक्षा उद्योगों

पर अधिक धनराशि खर्च कर रही है। कृषि के लिए सिर्फ 65000 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया जबकि उद्योगों के लिए 2,13,352 करोड़ रुपये माफ किए गए थे।

जहां तक कृषि ऋण का संबंध है, अतारांकित प्रश्न के दिए गए उत्तर के अनुसार लगभग 80% किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध है। सरकार दावा करती है कि उसने ऋण सुविधाएं बढ़ाई हैं। परंतु सरकार किसानों को ऋण देने में असफल रही है। यह सिद्ध करता है कि सरकार ने ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु ठोस उपाय नहीं किए हैं। अभी तक किसानों को कृषि ऋण लेने हेतु इधर-उधर भटकना पड़ता है। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है।

मेरा अगला मुद्दा फसल बीमा योजना के बारे में है। महोदया हमारे माननीय सदस्य श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी यहां बैठे हैं। उन्होंने इस माननीय सभा में अनेकों बार इस मुद्दे को उठाया है। फसल बीमा योजना को सरल बनाइए और सभी फसलें इस योजना में सम्मिलित की जानी चाहिए। हमने पंचायत इकाई गठित करने के लिए अभ्यावेदन दिया है। हमारे बारंबार अनुरोध के बावजूद सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है।

मेरा अगला मुद्दा समावेशी विकास के बारे में है। सरकार हमेशा समावेशी विकास की बात करती है। महोदया, शीर्ष 20% जनसंख्या की परिसंपत्ति सकल घरेलू उत्पाद के 52% के करीब है। ऐसे में समाज के निचले तबके की लगभग 20% जनसंख्या की परिसंपत्ति सकल घरेलू उत्पाद 5.2% के करीब है। यह समाज में हमारी जनता की संपत्ति में असमानता को दर्शाता है। मेरे माननीय नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने एक बार इस सम्मानीय सभा में कहा कि इस देश में तीस व्यक्तियों की आय 30 करोड़ व्यक्तियों के बराबर है। इसलिए समावेशी विकास की बात करना वास्तविकता से परे है।

मैं कर्नाटक में रेशम कीट पालन से जुड़े किसानों के बारे में भी कुछ शब्द बोलना चाहता हूं। इस मुद्दे को इस सभा में पूर्व प्रधान मंत्री, माननीय सदस्य श्री एच.डी. देवेगौड़ा पहले ही उठा चुके हैं। कर्नाटक में रेशमकीट पालन से जुड़े किसान चीन के कच्चे रेशम पर आयात शुल्क में कटौती के कारण काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कर्नाटक में देश के कुल रेशम उत्पादन का साठ प्रतिशत उत्पादन होता है। लोग धरना दे रहे हैं क्योंकि कपास का मूल्य 400-450 रुपए प्रति किलो से घटकर 100/-125/- रुपए हो गया है। रेशन कीट पालन से जुड़े किसानों ने केन्द्र सरकार के इस रवैये का विरोध करने हेतु प्रदर्शन आयोजित किया है। एक परिवार के पति और पत्नि ने पिछले सप्ताह आत्महत्या कर ली है। आयात शुल्क में कमी से केवल चीनी किसानों को मदद मिलेगी और हमारे घरेलू किसान मारे जाएंगे तथा रेशम उद्योग समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले पर ध्यान दें और शीघ्रताशीघ्र रेशम कीट पालन से जुड़े किसानों के हित में कदम उठाएं।

अंत में, मेरे पास भारतीय जीवन बीमा निगम का जोनल कार्यालय स्थापित करने के संबंध में एक विशेष अनुरोध है। आप कर्नाटक में एक नए जोनल कार्यालय स्थापित कर रहे हैं। बंगलोर में कोई जगह नहीं है। बंगलोर में एक छोटा कमरा हासिल करना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले पर ध्यान दें और हुबली-धारवाड़, गलबर्ग-बीजापुर, बागलकोट आदि कुछ अन्य स्थानों पर इसे स्थापित करें। इन जिलों में आप पर्याप्त स्थान और बेहतर संपर्क पाएंगे। कृपया इस पर ध्यान दें। बंगलोर में बहुत भीड़-भाड़ है, वहां जगह नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री जय प्रकाश अग्रवाल** (उत्तर पूर्व दिल्ली):

1. रेडीमेड गारमेन्ट्स पर 10 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी पूर्ण रूप से हटाई जाये।

2. यह उद्योग देश की आम जनता से जुड़ा हुआ उद्योग है जो देश में छोटी-छोटी इकाई द्वारा रेडीमेड का उत्पादन घटता है। इसकी जटिलता यह उद्योग सह नहीं पायेगा।

3. पिछले एक साल के कपड़ा के रेट भी दुगना हो गया है। अब 10 प्रतिशत एक्साइज रेडीमेड उद्योग को बन्द के द्वार पर पहुंच जायेगा।

4. इस लघु उद्योग में जो व्यक्ति लगे हुए हैं वह कम पढ़े-लिखे तथा छोटी पूंजी वाले लोग हैं जो देश छोटे-छोटे गांव शहरों में अपना घरेलू रूप से अपना कारोबार चला रहे हैं।

5. गारमेन्ट्स उद्योग ने देश के करोड़ों लोगों को रोजगार दे रखा है। एक्साइज लगने से उनके कारोबार पर असर पड़ेगा।

6. देश की गरीब तबके की महिलायें भी इस उद्योग से 50 प्रतिशत की संख्या में जुड़ी हैं।

7. जबकि अगले पूरे देश में जी.एस.टी. लगाने की योजना है इसलिए एक साल के लिए एक्साइज लगाना उचित नहीं है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

8. गारमेन्ट्स के निर्माण में बहुत से और उद्योग जुड़े हुए हैं जैसे-बटन, धागा, बटन रिबर कढ़ाई, प्रेस, भेली इत्यादि के रूप में करोड़ों कारीगर लगे हुए हैं।

हमारा गारमेंट्स उद्योग देश में कृषि के बाद दूसरे नम्बर पर रोजगार देता है।

[अनुवाद]

***श्रीमती प्रिया दत्त** (मुंबई उत्तर-मध्य): मैं वर्ष 2011-12 के सामान्य बजट के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं। मैं अपना भाषण शुरू करने से पूर्व माननीय वित्त मंत्री जी को अत्यधिक संतुलित बजट प्रस्तुत करने हेतु बधाई देना चाहती हूं, जो न केवल गरीबों और पद दलितों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करता है बल्कि यह विकासोन्मुख है। जैसाकि माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वयं यह बताया है कि हमारा उद्देश्य पारदर्शिता तथा परिणामोन्मुखी आर्थिक प्रबंधन पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना है। बजट में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने, बर्बादी को कम करने, भंडारण सुविधाओं में सुधार करने तथा किसानों को ऋण प्रदान करने हेतु योजनाएं हैं। कृषि क्षेत्र को इस वर्ष बड़ा प्रोत्साहन मिला है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान महिलाओं से जुड़ी कुछ समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। इस वर्ष सरकार ने व्यक्तिगत पुरुष करदाताओं की आयकर छूट सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.8 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। तथापि कामकाजी महिलाओं के लिए यह सीमा 1.9 लाख रुपए ही रखी गई है। मेरा अनुरोध यह है कि कामकाजी महिलाओं को भी 20000 रुपए का लाभ प्रदान किया जाए। महिला करदाताओं के लिए छूट सीमा को बढ़ाकर 2.10 लाख करना चाहिए। महोदया, कामकाजी महिलाओं को अनेक कार्य करने होते हैं। उसे रोजगार स्थल पर कार्य के अलावा अपने घर और अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है। पिछले कई वर्षों से सरकार कामकाजी महिलाओं को 40,000 रुपए की विशेष छूट दे रही है। मैं आशा करती हूं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को आंगनवाड़ी कामगारों का पारिश्रमिक प्रतिमाह 1500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करने और आंगनवाड़ी सहायकों का पारिश्रमिक को 750 से 1500 रुपए करने के लिए धन्यवाद देती हूं। महिलाओं को सशक्त करने तथा सहायता-समूहों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए नियत किया गया है। यह बहुत बड़ा कदम है।

वरिष्ठ नागरिक भारतीय आबादी का लगभग 9% है। इस वर्ष माननीय वित्त मंत्रीजी ने वरिष्ठ नागरिकों को दो समूहों अर्थात वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक में वर्गीकृत किया है। यह एक नया कदम है। मैं सरकार से उनके बेहतर जीवन के लिए निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए अनुरोध करूंगी। पहली बात हमारे यहां सभी मंत्रालयों और विभागों में वरिष्ठ नागरिकों के वर्गीकरण हेतु 60 वर्ष की आयु निर्धारित होनी चाहिए। विगत वर्षों में निम्न लागत अर्थव्यवस्था वरिष्ठ नागरिकों पर, जबकि मौजूदा स्तर की तुलना में उनकी आय और बचत कम थी, विपरीत प्रभाव पड़ा है। सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उपक्रमों और निजी क्षेत्र में पेंशन योजना नहीं थी। केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने पेंशनभोगी उन्हें मिल रही अपर्याप्त पेंशन के कारण मुश्किल में जी रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना इस समय ब्याज की दर 9% है जो मौजूदा मुद्रास्फीति को देखते हुए बहुत ही कम है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज को बढ़ाकर 11 प्रतिशत करना चाहिए और इसे सावधि जमा दरों जो सदैव 2% अधिक होना चाहिए। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना को बढ़ाकर 200 रुपए से 500 रुपए किया गया है। मौजूदा जीवनयापन लागत परिदृश्य के मद्देनजर इसे बढ़ाकर न्यूनतम 1000 रुपए किया जाना चाहिए और वृद्धाश्रमों में रह रहे लोगों सहित 80 वर्ष से अधिक सभी वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों हेतु आयकर की छूट सीमा को बढ़ाकर वार्षिक न्यूनतम उत्पादन करना चाहिए।

सरकार ने 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का कार्य शुरू किया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकारी स्कूलों में 4 वर्ष पढ़ने के बाद भी अनेक बच्चे सत्य वाक्य नहीं पढ़ पा रहे हैं और न ही वे सत्य जोड़ या घटा कर पाते हैं। यह चिंता का विषय है। हमें न केवल शिक्षा का प्रसार करना है बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ानी है। हमने शिक्षा के परिणाम पर ध्यान देना है। हजारों सरकारी शिक्षकों को नियमित तौर पर गैर अध्यापन कार्यकलापों के लिए नियुक्त किया जाता है। गैर शिक्षेतर कार्य हेतु शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षण कार्यकलाप को हतोत्साहित करनी है और शिक्षकों का उनके प्राथमिक दायित्व से ध्यान हट जाता है। सरकार इस कार्य के लिए रोजगार नियंत्रण कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार युवकों को नियुक्त कर सकती है। ऐसे विशेष शिक्षकों की भारी कमी है जो निःशक्त बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक है। इसके अतिरिक्त विशेष शिक्षक छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन नहीं पा रहे हैं। मैं अनुरोध करती हूं कि आवश्यक आदेश जारी किए जाएं ताकि विशेष शिक्षकों को छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिले।

उच्च शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न विषयों के लिए उत्कृष्टता केन्द्र सृजित करने की अविलम्ब आवश्यकता है। उच्च शिक्षा के हमारे संस्थानों में योग्य शिक्षकों की बड़ी भारी कमी है। यहां तक कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षकों के 20 से 30 प्रतिशत पद रिक्त हैं। योग्य शिक्षकों और प्रोफेसरों का एक पूल बनाए जाने

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

की अविलंब जरूरत है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क तथा राष्ट्रीय नवोन्मेषण परिषद् का गठन जैसा कि वित्त मंत्री के बजट भाषण में उल्लेख किया गया है, सही दिशा में उठाया गया कदम है।

यूनिसेफ का '2011 के दौरान विश्व के बच्चों की स्थिति' संबंधी रिपोर्ट भारत के लिए चिंताजनक वास्तविकता के रूप में सामने आयी है। भारत में विश्व की सर्वाधिक किशोर लड़कियां हैं। इनमें से 56 प्रतिशत रक्ताल्पता से पीड़ित हैं जबकि 45% कुपोषण की शिकार हैं। गरीब परिवारों की महिलाएं दोहरी पीड़ा से गुजरती हैं - एक तो गरीब होने की और दूसरी महिला होने की। लड़कियों के साथ जीवन के हरेक पहलू में भेदभाव होता है विशेष रूप से शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच के संबंध में। स्कूल जाने वाले सभी किशोर बच्चों को विशेष आहार भत्ता दिया जाना चाहिए। वर्तमान में सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत किशोर छात्रों (कक्षा 6 से 8) को मध्याह्न भोजन के लिए 3.50 रुपए दे रही है जो उनकी बढ़ती पोषाहार मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है। इस दैनिक भत्ते को तत्काल दुगुना करने की जरूरत है।

चिकित्सा परिव्यय हमारे जी.डी.पी. के 1% से थोड़ा अधिक है। समाज के गरीब और वंचित वर्ग के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच कठिन और महंगी होती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण शहरी क्षेत्रों में अस्पतालों पर भारी दबाव है। सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय को दुगुना करने के लिए भी सोचना चाहिए। सरकार ने ए.सी. की सुविधा वाले 25 शया वाले नैदानिक केन्द्रों और अस्पतालों पर सेवा-कर लगाने का निर्णय लिया है। मैं सरकार से इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करती हूं। सेवा कर का भार अंततः रोगियों पर ही आएगा और इसका परिणाम यह होगा कि स्वास्थ्य परिचर्या आम लोगों के लिए और अधिक महंगी हो जाएगी।

मैं सरकार से सेनिटरी नैपकिन्स पर उत्पाद शुल्क घटाने की मांग करती हूं। महोदया, सेनिटरी नैपकिन्स एक विलासिता की नहीं बल्कि आवश्यक वस्तु है। समुचित स्वच्छ सेनिटरी नैपकिन्स के अभाव के कारण किशोर लड़कियां और महिलाएं विभिन्न बीमारियों विशेषकर सरवाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं। मैं अनुरोध करती हूं कि सेनिटरी नैपकिन्स पर उत्पाद शुल्क घटाकर शून्य प्रतिशत किया जाए।

मुझे घरेलू परिधान विसमताओं में ब्रांडेड परिधानों पर 10% उत्पाद शुल्क लगाए जाने के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। महोदय चूंकि माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के अनुसार 2012 से जी.एस.टी. लागू किया ही जाना है, 10 प्रतिशत उत्पाद शुल्क एक वर्ष के लिए केवल पेपर वर्क बढ़ाएगा और इंस्पेक्टर राज लाएगा जिसमें व्यापारियों का उत्पीड़न होगा।

अंत में मैं लोगों की मांग पर माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए एम.पी. लैड निधि जो वर्तमान में 2 करोड़ रुपए ही है उसे बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया जाए। 2 करोड़ रुपये समुद्र में एक बूंद के समान है और हमारे निर्वाचन क्षेत्रों की बढ़ती हुई मांग और अपेक्षाओं को देखते हुए 2 करोड़ एक बहुत छोटी और अपर्याप्त राशि है और इस कारण हम अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने में असहय हो जाते हैं।

एक बार पुनः मैं वित्त मंत्री को बधाई देती हूं और तहेदिल से बजट का समर्थन करती हूं।

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): सभापति महोदया, आरंभ में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं बजट प्रस्तावों का जोरदार समर्थन करता हूं क्योंकि यदि हम बजट प्रभावों को देखेंगे तो हम नतीजे पर पहुंचेंगे कि बजट प्रस्ताव नवोन्मेषणों, विजन और मिशन से भरपूर है। मैं इस बात से भी उत्साहित हूं कि मैं ऐसे बजट की चर्चा में भाग ले रहा हूं जहां कुल व्यय 12,57,729 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे साफ तौर पर पता लगता है कि हम अपने संसाधनों को बढ़ाने में सफल रहे हैं। इस बजट का उद्देश्य समष्टि आर्थिक वातावरण को सुदृढ़ कर उच्च विकास को प्रोत्साहित करना है।

महोदया, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों के बारे में बता सकूं। तथापि, मैं एक मुद्दे के बारे में बताना चाहता हूं जो पूर्वी भारत के लोगों से संबंधित है। वर्ष 1948 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा दामोदर घाटी निगम (डी.वी.सी.) का गठन किया गया था। डी.वी.सी. का उद्देश्य सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना, ताप और जल विद्युत दोनों क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण करना था और सहायक उद्देश्य के रूप में यह दामोदर घाटी तथा इसके प्रचालन क्षेत्र में मृदा संरक्षण, नेविगेशन, औद्योगिक, आर्थिक और सामान्य रूप से बेहतर स्थिति के लिए स्थापित की गयी थी। यह संगठन 11,000 कर्मचारियों, 14,000 पेंशनरों, दामोदर घाटी निगम और इसके आसपास कार्यरत संबद्ध आपूर्तिकर्ताओं तथा ठेकेदारों और अनुषंगी एककों जो डी.वी.सी. पर आश्रित हो, सहित 10 लाख लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। परंतु वास्तविकता यह है कि डी.वी.सी. के लिए जिस स्वायत्तता की परिकल्पना की गयी थी वह केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियम के द्वारा समाप्त हो गयी।

महोदया, दामोदर घाटी निगम एक ऐसी परियोजना थी जिसकी अवधारणा जवाहरलाल नेहरु ने की थी और वे संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी को दोहराना चाहते थे। इसलिए इसे स्वायत्तता देते हुए मानित दर्जा दिया गया और बिजली के मूल्य निर्धारित करना और अन्य मामलों में स्वायत्तता दी गयी।

परंतु जब सी.ई.आर.सी. अधिनियमित किया गया, डी.वी.सी. से टैरिफ तय करने का अधिकार छीन लिया गया जिससे डी.वी.सी. द्वारा सृजित संसाधनों का क्षरण शुरू हो गया। यही कारण है कि मैं यह यह कहना चाहता हूं कि विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा दामोदर घाटी निगम के विशेष दर्जे की उपेक्षा की गयी है क्योंकि सी.ई.आर.सी. ने डी.वी.सी. के मानित दर्जे को अपने दायरे में ला दिया है।

महोदया, हम सभी जानते हैं कि हमार देश बिजली की कमी से जूझ रहा है और हम पूर्ववर्ती पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे हैं। परंतु डी.वी.सी. को अपने संसाधन, अपना राजस्व जुटाने की स्वायत्तता दी गई थी। डी.वी.सी. एक्ट की धारा 30 के अनुसार प्रतिभागी सरकारों की शुरू की गई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु पूंजी उपलब्ध करानी पड़ती है। परंतु प्रतिभागी सरकारें, जो पणधारी हैं, उन्होंने वर्ष 1969-70 के बाद से डी.वी.सी. परियोजना को अपनी पूंजी का हिस्सा देना बंद कर दिया है। ऐसे में, केवल 215 करोड़ रुपये की पूंजी अंशदान किया गया था, और तब से पणधारियों द्वारा पूंजी का हिस्सा नहीं दिया गया है। इसीलिए डी.वी.सी. का अस्तित्व खतरे में है।

महोदया, मैं अति संक्षेप में एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि डी.वी.सी. ने 2010-11 के संशोधित अनुमान में 6,821.49 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 2011-12 में 5,890.59 करोड़ रुपये के व्यय हेतु अपना बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया था परंतु अब बजट अभिलेखों की संवीक्षा से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत सरकार ने बजट अनुमान 2010-11 में केवल 4,311.49 करोड़ रुपये के व्यय पर विचार किया है।

सभापति महोदया: कृपया अब समाप्त कीजिए। आप दस मिनट से अधिक ले चुके हैं।

श्री अधीर चौधरी: महोदया, कृपया मुझे कुछ शब्द कहने का अवसर दीजिए क्योंकि यह झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से संबंधित है।

अतएव, डी.वी.सी. के लिए पूंजी अंशदान पर विचार नहीं किया गया है जिसके कारण इस अवस्था में परिव्यय में कमी की गई है जहां डी.वी.सी. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के क्षमता वर्धक कार्यक्रम के अनुपालन में चालू परियोजनाओं को पूरा करने हेतु पहले ही ऐसे व्यय कर चुका है। दामोदर घाटी निगम पहले ही इस आशा के साथ परियोजनाओं के हित में अंतर को पूरा करने हेतु 2500 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण ले चुका है कि पूंजी अंशदान मिलने वाला है। प्रत्याशा में वे विस्तार कार्य कर चुके हैं। अब, डी.वी.सी. अपना ऋण नहीं चुका पाएगा।

सभापति महोदया: कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरी: कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। पुनः बजट अनुदान 2011-12 के मामले में भारत सरकार ने तदनुरूपी वित्तपोषण के लिए डी.वी.सी. हेतु 5,890.59 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया है। इस पर केवल आंतरिक और बाह्य बजट सहायता से विचार किया गया है जो कि डी.वी.सी. हेतु संभव नहीं है। इस प्रकार, डी.वी.सी. के भारत सरकार के पूंजी अनुदान के रूप में 1,874 करोड़ रुपये के दावे की उपेक्षा की गई है जो डी.वी.सी. को ग्यारहवीं योजना में शुरू होने के लिए निर्धारित चालू परियोजनाओं को पूरा नहीं करने देगा। तदनुसार, राष्ट्रीय योजना खतरे में पड़ जाएगी। बजट प्रस्तावों में डी.वी.सी. द्वारा जिन आंतरिक संसाधनों पर विचार किया गया है वे भी प्राप्त नहीं किए जा सकते जब तक कि डी.वी.सी. प्रशुल्क पर सी.ई.आर.सी. में अनुकूलतापूर्वक विचार नहीं किया जाता है।

मैं सरकार से प्रस्ताव करूंगा कि डी.सी.सी. को परमाणु ऊर्जा उपयोग और अन्य आयोगों की तरह सी.ई.आर.सी. की परिधि से बाहर रखा जाए।

इसके अतिरिक्त, पूंजी अनुदान हेतु किए गए दावे की उपेक्षा कर भारत सरकार द्वारा अपनाए गये आई.ई.बी.आर. वित्त पोषण से डी.वी.सी. को प्रशुल्क निर्धारण हेतु सी.ई.आर.सी. द्वारा स्वीकृत 70:30 ऋण इक्विटी अनुपात के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त धनराशि का सहारा लेने के लिए बाध्य करेगा। डी.वी.सी. पहले ही विवेकाधीन ऋण लेने की सीमा को पार कर चुका है और अतिरिक्त ऋण लेने से वह केवल ऋण के जाल में फंसेगा और इसके गंभीर परिणाम होंगे तथा इसके कारण यह बंद हो जाएगा।

सभापति महोदया: अब श्री हसन खान...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: अत: वर्ष 2012 तक सभी के लिए विद्युत के अनुपालन में राष्ट्र हित की दिशा में अभी चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए डी.वी.सी. को पूंजी अनुदान नितांत आवश्यक है। परियोजनाओं को पूरा करने से डी.वी.सी. को राजस्व प्रवाह का मार्ग खोलने और इस प्रकार अब तक परियोजनाओं को पूरा करने हेतु लिए गये सभी ऋणों को चुकाने में मदद मिलेगी।

महोदया, यदि सरकार डी.वी.सी. पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती है तो डी.वी.सी. ऋण के जाल में फंस जाएगा। नापाक सांठगांठ पूरी तरह से स्पष्ट है। विभिन्न बेईमान निवेशक अपने किसी लाभ हेतु डी.वी.सी. का विध्वंस करने का प्रयास कर रहे हैं। अत:, डी. वी.सी. को बचाने के लिए सरकार को आवश्यक निधि लगानी चाहिए। सरकार से मेरा केवल यही निवेदन है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदया: मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहती हूं कि जो भी विस्तृत भाषण देना चाहते हैं, कृपया वे सभापटल पर लिखित भाषण रख सकते हैं और जो माननीय सदस्य अपना भाषण बोलना चाहते हैं, वे कृपया पांच मिनट से ज्यादा का समय न लें।

***श्री चंदूलाल साहू** (महासमंद): वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी से देश को बहुत उम्मीद थी कि प्रस्तुत बजट में आम आदमी को बहुत राहत मिलेगा, किन्तु इस बजट में आम आदमी को छला गया और यह नारा कि "कांग्रेस का हाथ-आम आदमी के साथ" खोखला साबित हुआ। कांग्रेस 50 सालों से ये नारा देती आ रही है लेकिन कभी भी देश को गरीबी से छुटकारा दिलाने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया और प्रस्तुत बजट भी उसी के अनुरूप है।

आज देश की आम जनता आसमान छूती महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी से सर्वाधिक त्रस्त है ऐसे में सरकार से इन समस्याओं से काबू पाने के लिए ठोस प्रावधान करने की अपेक्षा थी लेकिन बजट ने केवल खानापूर्ति के लिए चिन्ता व्यक्त की गई है। काले धन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ने चिन्ता व्यक्त की है। किंतु बजट में इस दिशा पर सरकारी अध्ययन कराने का बहाना किया गया, पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है जिससे सामानों की कीमतों में वृद्धि होने लगी है।

यू.पी.ए. सरकार की पहली पारी से कृषि नीतियों से हताश किसानों की आत्महत्या की खबरें सुर्खियों में रही। इस बजट में भी खेती एवं किसानों से फिर धोखा किया गया है हालांकि कृषि क्षेत्र का बजटीय आवंटन 37.500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 47.500 करोड़ किया गया है किंतु उसमें किसानों के न तो ब्याज दर में कमी की गई है न ही कृषि उत्पाद पर लाभकारी मूल्य देने के लिए कोई नीति निर्धारित की गई है। कृषि क्षेत्र में बढ़ाया गया बजट का लाभ किसानों को न होकर कृषि क्षेत्र में उद्योग लगाने वालों को होगा। किसानों को ऋण का ब्याज दर यथावत 7 प्रतिशत ही रखा गया है।

इसी तरह बजट में गांवों के विकास को लेकर सरकार उदासीन रही। ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट में पिछले साल की तुलना में कटौती की गई है। ग्रामीण आवास और पेयजल ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या है किंतु यहां पर भी केन्द्र सरकार उदासीन दिख रही है। वित्त मंत्री ने इलाह महंगा कर दिया है 25 से अधिक बिस्तर वाले वातानुकूलित निजी अस्पतालों में उपचार के लिए मा कंपनियां व्यापारी घरानों तथा आम लोगों के भुगतानों को सेवा कर के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। किसी भी तरह के पैथालॉजिकल टेस्ट कराने पर रोगियों को 5 प्रतिशत सेवा कर का भुगतान करना पड़ेगा।

शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया गया है। जबकि शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन की आवश्यकता है। आज भी हमारे देश में लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति की छाप है, संस्कार, नैतिकता, सद्विचार एवं शिष्टाचार को किनारे कर दिया गया है। परिणामस्वरूप और नैतिक अवमूल्यन लगातार जारी है। पूर्व के पाठ्यक्रम में भारत मिलाप, पंच परमेश्वर, गांव अच्छा या शहर अच्छा, आदि पढ़ाए जाने के कारण लोगों में सद्विचार एवं सद्ज्ञान आता था, इस पर विचार क्यों नहीं किया जाता? सर्वशिक्षा अभियान एवं मध्याह्न भोजन आदि योजनाओं को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही है जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 40 हजार करोड़ रुपयों की आवश्यकता है, किंतु इस मद में केवल 21 हजार करोड़ रुपया आवंटित किया गया है।

वनांचल क्षेत्र में आदिवासी अभी भी अत्यंत पिछड़ा एवं निरक्षर है तथा यातायात एवं अन्य सुविधाओं से अभी भी मोहताज है। इसके विकास के लिए योजना क्यों नहीं बनाया गया। योजना निचली सीमा तक रहने वाले लोगों तक पहुंचे इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। योजना की राशि का बंदरवाट न हो, सही तरीके से आदिवासियों तक पहुंचे, इसके लिए कोई नियम-कानून का निर्धारण नहीं किया गया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक ऐसी योजना रही है जिसके द्वारा गांवों के मुख्य सड़क को जोड़ना था, जिससे गांव भी विकास की यात्रा में शामिल हो सके, किंतु वर्तमान बजट में भी कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं की गयी।

वर्तमान में हम सब ग्लोबल वार्मिंग और गिरते जल स्तर से चिंतित हैं, सरकार ने जल स्तर सुधारने एवं जल स्तर बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। एन.डी.ए. सरकार के समय प्रमुख

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

नदियों को जोड़ने की योजना बनी थी, यू.पी.ए. सरकार ने उसे कचरे की टोकरी में डाल दिया। योजना किसी भी सरकार की हो, यदि उपयोगी है तो उसे लागू किया जाना चाहिए। आज देश सूखे, अकाल एवं बाढ़ का सामना करता रहता है, इसके समाधान के लिए जरूरी है कि प्रमुख नदियों को जोड़कर जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है तथा सूखे, अकाल एवं बाढ़ से राहत दिलाया जा सकता है।

इस प्रकार से केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार ने चुनावी नफा-नुकसान को ज्यादा ध्यान में रखकर बजट प्रस्तुत किया है। आम बजट एवं रेल बजट सरकार की निगाह में चुनावी हथकण्डा ही रही। रेल मंत्री ममता बनर्जी का बजट पश्चिम बंगाल पर केन्द्रित रही। कुल मिलाकर रेल बजट और आम बजट से देश की आम जनता को निराशा ही हाथ लगी।

मेरा मांग है कि देश के समग्र विकास के लिए "सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय" वाली बजट बने तथा देश को शक्तिशाली और प्रगतिशील बनाया जा सके।

[अनुवाद]

***श्री चार्ल्स डिएस** (नामनिर्देशित): हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट ने न केवल उन अनेक क्षेत्रों को राहत देने पर विचार किया है जो अब तक अछूते रहे हैं बल्कि यह औद्योगिक विकास, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों तथा खादी एवं ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने में भी मददगार है तथा प्रत्यक्ष कर संहिता (डी.टी.सी.) और वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के लागू होने से कानूनों का सरलीकरण होगा।

सरकारी उपक्रमों के विनिवेश से सरकार को न केवल 40,000 करोड़ रुपये मिलेंगे बल्कि जनता को औद्योगिकीकरण के प्रयास में भागीदारी करने तथा जनता की भागीदारी द्वारा सरकारी उपक्रमों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने का भी पुनः अवसर मिलेगा।

सूक्ष्म वित्त संस्था, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष आदि को बढ़ावा देकर लघु उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.वी.के.वाई.) हेतु वर्ष 2011-12 में आबंटन को बढ़ाकर 7860 करोड़ रुपये करने से सब्जियों, कुक्कुट पालन, दूध, गेहूं और मछली आदि के उत्पादन और वितरण में गतिरोध दूर किए गए हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन द्वारा सरकार का कृषि को बढ़ावा देने का विचार है।

वर्ष 2011-12 में कृषि ऋण प्रवाह को बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ रुपये करके किसानों को पर्याप्त वित्त पोषण का लाभ मिलेगा।

रेलवे, आवास और राजमार्ग विकास में अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने के लिए 30,000 करोड़ रुपये के करमुक्त ब्रांड का प्रस्ताव एक उचित कदम है।

वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित कर लगाने तथा काले धन को वापस लाने के सुझाव देना।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक में 100% वृद्धि करना गरीबों की प्राथमिक शिक्षा हेतु सरकार की चिंता को दर्शाता है।

हरित भारत मिशन हेतु 200 करोड़ रुपये का आवंटन पर्यावरण की रक्षा हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय रुपए के चिह्न की शुरूआत एक ऐतिहासिक कदम है। आय कर स्लैब के पुनर्गठन से वेतनभोगी वर्ग को थोड़ी राहत मिली है।

कृषि मशीनरी, माइक्रो सिंचाई उपस्कर, हरित उद्योगों के उपयोग के लिए गाड़ियों को हाइब्रिड गाड़ियों में बदलने हेतु कन्वर्जन किट्स, सौर लालटेन आदि के लिए रियायती उत्पाद शुल्क निश्चित रूप में एक स्वागत योग्य कदम है।

मुझे संदेह है कि स्वास्थ्य जांच तथा विमान यात्रा पर सेवा कर सही दिशा में उठाया गया कदम है। चूंकि आजकल लोग बीमारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य-जांच कराते हैं अतः इस पर सेवा कर की समीक्षा की जानी चाहिए। इसी प्रकार विमान यात्रा को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इस पर लगाए गए सेवा कर की समीक्षा की जानी चाहिए।

समग्र रूप में यह एक संतुलित बजट है और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री रमेश बैस** (रायपुर): वित्त मंत्री लोक सभा में वित्तीय बजट पेश कर रहे थे, तब पूरे देश की जनता की नजर मंत्री जी के बजट भाषण पर थी। देश की जनता को आशा थी कि इस बजट में गरीब व मध्यम वर्ग को सरकार राहत देगी, महंगाई, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएगी। देश की जनता को निराशा ही हाथ लगी।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लोकसभा में बजट पेश होने के बाद मीडिया द्वारा आम जनता से बजट पर प्रतिक्रिया लिया जा रही थी। प्रतिक्रिया में उद्योग-जगत के लोगों ने इस बजट को अच्छा कहा लेकिन महिला व आम जनता ने इसे निराशाजनक कहा।

घर का बजट महिलाओं को रखना पड़ता है। इस बजट में गृहिणी महिला व नौकरी महिला दोनों के लिए कोई लाभ नही मिला। पूरे बजट में महंगाई कम करने के बारे में कोई बात नहीं की गई। मंत्री जी के पूरे भाषण में बेरोजगारी कम करने या बेरोजगारों को रोजगार दिलाने बाबत कोई बात नहीं की। देश का पैसा विदेश में जमा है, उसे वापस लाने के बारे में एक शब्द नहीं कहा। बजट में कुछ मदों में थोड़ा-बहुत लाभ दिया लेकिन अन्य मदों में टैक्स के रूप में उससे ज्यादा वसूल लिया, इसे एक हाथ दिया और दूसरे हाथ लिया कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

इस बजट से गरीब और गरीब होंगे, अमीर और अमीर होंगे। अमीरी और गरीबी की खाई पटेगी नहीं बल्कि और गहरी होगी।

किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार किसानों की कोई चिंता नहीं कर रही है। आज खेती घाटे का धंधा हो गया है। जब तक खेती को उद्योग का दर्जा नहीं देंगे खेती लाभप्रद नहीं हो सकेगी। किसानों को बैंक से समय पर कर्ज न मिलने के कारण उन्हें सेठ-साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज के कारण किसान को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाता, किसान परेशान होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। अभी तक किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में मर जाता है। कृषि प्रधान देश में किसानों की आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी भगवान ही जानें। वित्त मंत्री को अपने व अपनी सरकार पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वित्त मंत्री को भी वरुण देव पर आश्रित होना पड़ रहा है।

कृषि पर विशेष ध्यान देना चाहिए व कृषि कैसे लाभकारी हो, किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधारें, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

बजट में हरी खाद, जैविक खाद को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मात्र 25000 ग्रामों के लिए देश में 2 लाख से ऊपर गाँव हैं, जो ग्रामों की संख्या दी गई है, ऊंट के मुंह में जीरा-जैसी है।

देश में पशुधन कम हो रहा है गांवों में चरागन का रकबा कम हो रहा जिसके कारण खेती का चक्रक्रम असंतुलित हो रहा है।

देश में आज ईलाज कराना महंगा हो गया है। निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के लोगों को ईलाज कराने के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ती है। उसके बावजूद वर्तमान बजट में नर्सिंग होम को प्रोफेशनल्स टैक्स की परिधि में लाने से ईलाज और महंगा हो जाएगा। सरकारी अस्पतालों में न डॉक्टर है और न दवाई है। मजबूर होकर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना पड़ता है, चिकित्सा क्षेत्र में अब सेवा-भाव नहीं रहा, वह एक व्यवसाय हो गया है। जिसके कारण अकारण मरीजों को महंगी इलाज करानी पड़ती है। सरकार से आग्रह है कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त दवाई की व्यवस्था करें। उपयोगी मशीनों की व्यवस्था करें। जब देश जनता स्वस्थ होगी तभी देश मजबूत होगा।

सरकार मनरेगा के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रही है। मजदूरों को 100 दिन मजदूरी नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मनरेगा के नाम पर अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन गांव में कोई कार्य नहीं दिखता। मनरेगा में भी कार्ययोजना होनी चाहिए जिससे स्थाई कार्य हो सके जिसका स्थाई लाभ ग्रामीणों को मिल सके।

मैं पुनः कहना चाहूंगा कि वर्तमान बजट आम आदमी, गांव, गरीबों का न होकर, अमीर, उद्योगपति का है इसलिए इस बजट का मैं विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री हसन खान (लद्दाख): सभापति महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता और मैं उन सभी मुद्दों को दोहराना नहीं चाहता जो पहले उठाए जा चुके हैं। मैं अपनी बात को अपने निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित रखूंगा।

मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट का समर्थन करने और लद्दाख क्षेत्र के अवसंरचनात्मक विकास हेतु कार्यदल की सिफारिश के आधार पर वर्तमान बजट में इस क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाने के लिए आभार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों का अगस्त, 2010 के दौरान अचानक आई बाढ़ के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान करने हेतु भी धन्यवाद करते हैं। मैं विभिन्न राज्य सरकारों, संसद सदस्यों और देश-भर के गैर-सरकारी संगठनों की तत्काल प्रतिक्रिया और पीड़ितों की वित्तीय तथा सामग्री संबंधी सहायता के लिए भी धन्यवाद करता हूं। पिछले वर्ष आई अभूतपूर्व बाढ़ के दौरान तत्काल प्रतिक्रिया और पीड़ितों के बचाव और पुनर्वास में मदद के लिए लद्दाख के लोग हमेशा की तरह सशस्त्र बलों, अर्द्ध-सैनिक बलों, सीमा सड़क संगठन के अत्यन्त आभारी हैं।

मैं इस सम्माननीय सदन का ध्यान जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। लद्दाख क्षेत्र पूरे वर्ष में छह महीने से अधिक समय तक भारी

हिमपात और कड़ाके की ठंड के कारण देश के शेष हिस्सों से कट जाता है। इस अवधि के दौरान सभी आर्थिक गतिविधियां ठहर जाती हैं। यहां तक की क्षेत्र में आन्तरिक आवाजाही भी असंभव हो जाती है। सभी विकासात्मक गतिविधियां, जिसमें महत्वाकांक्षी एम.एन.ई.आर.जी.ए. योजना शामिल है, छह महीने बाद शुरू करने के लिए बीच में ही रोक दी जाती है। इन योजनाओं में संलग्न लोग बिना रोजगार के रह जाते हैं। पर्यटन व्यापार थम जाता है और होटल, गेस्ट हाउस तथा टूरिज्म कैम्प छह महीने के लिए बंद हो जाते हैं। बड़े और छोटे ट्रांसपोर्टर, जो पर्यटकों की आवाजाही में संलग्न होते हैं, वे भी अपनी गाड़ियां आगामी छह महीने के लिए बंद कर देते हैं। परंतु होटल मालिक; सार्वजनिक परिवहन के मालिक और अन्य व्यापारी जिन्होंने अपना व्यवसाय बैंक लोन पर शुरू किया है, उन्हें वर्ष के आधे समय कुछ अर्जित किए बिना ऋण की किस्त और ब्याज का नियमित रूप से भुगतान करना पड़ता है। बेरोजगार युवक जो ऋण लेकर छोटा व्यवसाय शुरू करते हैं, वे इन परिस्थितियों में सबसे अधिक नुकसान में रहते हैं। स्वयं सहायता और अन्य रोजगार सृजन करने वाली योजनाएं शायद ही उनके उद्देश्य को पूरा करती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि बेरोजगार युवक इन स्कीमों की ओर आकर्षित नहीं होते हैं।

जो लोग इन स्कीमों में शामिल होते हैं, वे अंततः बैंक का कर्जा चुकाने में असमर्थ रहते हैं। इन महीनों के दौरान जीवनयापन संबंधी खर्च सामान्य दिनों के मुकाबले बहुत अधिक हो जाता है। लोगों को अधिक खर्च करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, अधिक भंडारण करना पड़ता है और मार्ग बंद होने तथा आपूर्ति की कमी के कारण अधिक खर्च करना पड़ता है। उन्हें अपना जीवन चलाने के लिए बहुत कठिनाई से अपना खर्च चलाना पड़ता है। मुख्य शहरों में रहने वाले कुछ लोगों को छोड़कर 50,000 किलोमीटर तक फैले हुए क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन अत्यंत कष्टप्रद हो जाता है।

इन परिस्थितियों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों से मेरा निवेदन यह है कि हमारे आर्थिक योजना-निर्माताओं से इन समस्याओं तथा कठिनाइयों, जो देश के किसी अन्य हिस्से में नहीं हैं, को दूर करने के लिए कुछ युक्तियां और उपाय ढूंढने के लिए कहना चाहिए।

मैं सरकार से यह अपील भी करता हूं कि वह एक विशेष आर्थिक सर्वेक्षण तथा कार्यनीति संबंधी अध्ययन के साथ-साथ एक लघु जनजातीय जनगणना करे ताकि इस क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा एक जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जा सके। इस क्षेत्र को सालों भर मुख्य-भूमि से जोड़े जाने के लिए बड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जैसा कि सीमा पार चीन और पाकिस्तान अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं।

[हिन्दी]

*श्री के.सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल-उधमसिंह नगर): सर्वप्रथम मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की अध्यक्षा माननीया सोनिया गांधी जी को तथा माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं जिनके कुशल मार्गदर्शन द्वारा माननीय वित्त मंत्री महोदय जी के अथक प्रयासों से आज हमारा देश आर्थिक प्रगति पर है। माननीय मंत्री महोदय ने आर्थिक विकास की ऊंची वृद्धि-दर तथा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही, मुद्रास्फीति में नरमी लाने के लिए कृषि-उत्पादन को बढ़ावा व प्रोत्साहन देने पर भी ध्यान दिया है। एक अच्छा और संतुलित बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री जी की सराहना करनी चाहिए, जो कि समावेशी विकास को बढ़ावा देगा। नकद आधारित सब्सिडी योजना एक क्रांतिकारी कदम हैं जिससे आम आदमी को काफी फायदा होगा। कृषि क्षेत्र को अधिक आवंटन ग्रामीण विकास एवं आंगनबाड़ी महिलाओं का मानदेय बढ़ाया जाना महत्वपूर्ण है। काले धन से निपटने के लिए पांच सूत्री कार्य-योजना की घोषणा, वृद्धावस्था पेंशन में दुगनी बढ़ोत्तरी के साथ-साथ शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए 24 प्रतिशत निधि की बढ़ोत्तरी की गई है। खेती में जान डालने की कोशिश की है। समय पर अदायगी करने वाले किसानों को ऋण चुकाने पर 3 प्रतिशत राहत की घोषणा। 60 वर्ष की आयु वाले माने जाएंगे सीनियर सिटीजन। हेल्थ सेक्टर के लिए 20 फीसद की बढ़ोत्तरी एक सराहनीय कार्य है। बुनकरों को 300 करोड़ रुपयों की आर्थिक सहायता की घोषणा। विश्वबंधुत्व के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की स्मृति में एक करोड़ का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया है। पर्यावरण संबंधी ऐसे उत्पाद के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की मांग की जाती है जिनसे जल एवं खेत को नुकसान कम हो। पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति लाना, सब्जी-समूल संबंधी कार्यक्रम, पोषक-अनाज, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सतत कृषि उत्पादन मिशन, मेगा फूड पार्क, भंडारण क्षमता एवं कोल्ड स्टोरेज श्रृंखलाएं, कृषि उपज विपणन अधिनियम की घोषणा सराहनीय है।

सर्वप्रथम हमें देश के औद्योगीकरण के साथ-साथ कृषि-क्षेत्र को भी विश्वस्तरीय बनाने के लिए और अधिक कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे ग्रामीण नवयुवकों के लिए ग्राम में ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। कृषि क्षेत्र में कई योजनाएं बनी हैं। इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए देश के हर गांव तथा प्रत्येक परिवार को योजना का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने के लिए पारदर्शिता के साथ-साथ जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

देश को निर्धारित समय सीमा में विकसित देश की श्रेणी में पहुंचाने के लिए मानव संसाधन विकास की योजनाओं के लिए

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सामाजिक अवसंरचना के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। अवसंरचना किसी देश के आर्थिक विकास की बुनियाद होती हैं। यह हम भली-भांति जानते हैं कि बुनियाद की मजबूती पर ही उस पर बनी इमारत की मजबूती को आंक सकते हैं, चाहे वह बुनियाद किसी भी क्षेत्र में हो। मुख्यत: हम आर्थिक अवसंरचना के सेवाओं में परिवहन, विद्युत, संचार, जलापूर्ति इत्यादि से जुड़ी सेवाएं तथा सामाजिक अवसंरचना में शिक्षा स्वास्थ्य तथा अन्य मानव विकास संबंधी सेवाओं को रख सकते हैं। मानव विकास संबंधी सेवाओं को विश्वस्तरीय बनाने की ओर हमें और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। विश्वस्तरीय सेवाओं के लिए हमें अवसंरचना के प्रावधान हेतु खास तौर पर बहुत लम्बी निर्माणवधि के साथ पर्याप्त पूंजी निवेश की जरूरत होती है। इस दिशा में एक ऐसा प्रेरक नीतिगत माहौल सृजित करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाने की आवश्यकता है जो घरेलू और विदेशी दोनों को बड़े पैमाने पर निवेश-प्रवाहों के लिए रास्ते खोले और उपयुक्त प्रौद्योगिकी तथा सर्वोत्तम प्रबंधन व्यवहारों की उपलब्धता में सुधार लाकर निवेशों की कार्यक्षमता और प्रभावकारिता को बेहतर बनाए।

सरकारी तंत्र की दक्षता में सुधार लाने के लिए कारगर कदम उठाए जाने की और अधिक आवश्यकता है। विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने पर विचार, सड़क और पत्तन क्षेत्रों में सरकारी-निजी भागीदारी को बढ़ाने के साथ-साथ अन्य भौतिक आधारभूत परियोजनाओं पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.वी.) के द्वारा औद्योगिक संगठन सीधे ही पूंजी बाजार से निधि जुटाने के लिए पूंजी बाजार को और अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता है। देश के सभी मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों को सुनिश्चित करना होगा कि वर्ष भर में किए गए व्यय से देश के विकास के लिए हमारी क्या भागीदारी रही है यानि हमने क्या हासिल किया है। ग्रामीण विकास, शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि योजनाओं को जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्रामीण स्तर पर बनाने की आवश्यकता है जिससे योजनाओं के सुचारू रूप से कार्य करने की जवाबदेही निर्धारित करने में कठिनाई ना हो और इस तरह योजना की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता रहेगी। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि परिणामों को न केवल सृजित किया जा सकता है बल्कि वे वास्तव में हकदार लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसे प्राप्त करने के लिए जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लाना होगा। हमारा लक्ष्य आज प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार समाप्त करना, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए और प्रशासनों को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए हमें और अधिक गंभीरता से विचार करना होगा जिससे गरीबी, बेरोजगारी, असमानता को समाप्त करना तथा लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त हो सके।

नवोदित राज्य उत्तराखण्ड की आवश्यकताओं के निमित्त मानव विकास सुविधाओं की वृद्धि एवं प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं एवं अवस्थापनाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। आप उत्तराखण्ड के भौगोलिक स्थिति से अवगत होंगे, उत्तराखण्ड प्रदेश 65 प्रतिशत पहाड़ों से घिरा वनाच्छादित क्षेत्र तथा 35 प्रतिशत भू-भाग है।

उत्तराखण्ड एक पर्यटक, वनाच्छादित एवं आयुर्वेदिक औषधि बहुलता वाला प्रदेश है लेकिन प्रदेश आर्थिक अवसंरचना के अभाव में इन क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास में प्रगति नहीं हो पायी है। उत्तराखण्ड के पर्यटन को विश्वस्तरीय बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता अपेक्षित है। उत्तराखण्ड में पर्यटन को विश्वस्तरीय बनाने पर विदेशी पूंजी का सृजन होगा जिससे उत्तराखण्ड भी देश को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा।

उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तराखण्ड दो डिवीजनों को मिलाकर बना है। एक कुमाऊं डिवीजन और दूसरा गढ़वाल डिवीजन। दोनों डिवीजनों में भौगोलिक विषमता है और दूरदराज क्षेत्रों की लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तक है। गढ़वाल के हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है। यह विश्वविद्यालय सारे मानक पूरे करता है जिससे गढ़वाल क्षेत्र के साथ-साथ कुमाऊं क्षेत्र क्वालिटी एजुकेशन से वंचित नहीं रहेगा। मेरा अनुरोध है कि कुमाऊं में एक अलग केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता है।

उत्तराखण्ड एक पर्यटक तथा आयुर्वेदिक औषधि बहुलता वाला प्रदेश है। लेकिन आर्थिक अवसंरचना के अभाव में इसमें तीव्र प्रगति नहीं हो पायी है। उत्तराखण्ड प्रदेश में पर्यटन तथा आयुर्वेदिक औषधि और वन के विकास तथा इन्हें विश्वस्तरीय बनाने के लिए और अधिक निधि का आवंटन करने की आवश्यकता है। जिससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा हमारे देश को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए प्रदेश अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। उत्तराखण्ड प्रदेश के लिए बजट सूचना प्रौद्योगिकी में विशेष छूट तथा प्रदेश में नए उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखण्ड में स्थापित होने वाले उद्योगों को वर्ष 2020 तक करों में छूट दिए जाए। वर्तमान में प्रस्तावित एक लाख अस्सी हजार कर में छूट को तीन लाख रुपये तक कर छूट की सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है।

उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है कि यहां स्थापित लघु एवं मध्यम उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिए बजट में विशेष अनुदान प्रस्तावित किए जाएं। इसके अतिरिक्त, राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली कर छूट वर्ष 2020 तक बढ़ाए जाने पर वित्त मंत्री विचार करें। इससे न केवल राज्य का औद्योगिक विकास रफ्तार पकड़ेगा बल्कि राज्य की बेरोजगारी की समस्या से निपटने में कारगर उपाय साबित होगा। साथ ही ग्रामीण नवयुवकों को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण सुविधा देकर स्थानीय उद्यम को बढ़ावा दिया जा सकता है।

उत्तराखण्ड में अपार जल संपदा का भण्डार है। इस जल संपदा का उपयोग सिंचाई, पेय या बिजली उत्पादन के लिए किया जाए तो जल परियोजनाओं से प्रदेश के विकास होने के साथ देश के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकता है। यदि जल का सही उपयोग नहीं किया जाता है तो वहीं जल मानसून में बाढ़ के रूप में अपना कहर बरसाता है जिससे जानमाल का अत्यधिक नुकसान होता है और विकास की गति में अवरोध आ जाता है। उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा काल में भूस्खलन होता रहता है तथा मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप देखने में आता है। भूस्खलन एवं बाढ़ के प्रकोप से बचने के लिए बांध की आवश्यकता है जिससे लाभ के साथ-साथ जानमाल की हानि से बचा जा सकता है। मेरा अनुरोध है कि उत्तराखण्ड में पर्वतीय क्षेत्रों में पेय जल एवं सिंचाई के लिए चैक डैम बनाने पर सरकार विचार करे।

बाढ़ और पर्यावरण को बचाने के लिए नदियों का ड्रेजिंग और डिसिल्टिंग कर भूमि कटाव को रोकने के लिए बजट में निधि आवंटित की जाए। ड्रेजिंग और डिसिल्टिंग द्वारा भविष्य में भूमि की तथा पर्यावरण की रक्षा के साथ जान-माल की रक्षा भी सुनिश्चित हो सकती है।

वर्तमान में उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था अत्यधिक रूप से पर्यटन पर निर्भर है। राज्य के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास के लिए ग्रामीण अवसंरचना की अत्यधिक आवश्यकता है जैसे ग्रामीण बाजार, सूचना प्रौद्योगिकी, सड़क और रेल यातायात, पानी, विद्युत, उद्योग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि मेगा पार्क का निर्माण आदि। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण नवयुवकों को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त कर सुविधा दिए जाने की आवश्यकता है। पर्यटक स्थलों और धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण एवं विश्वस्तरीय बनाने के लिए बजट में निधि का प्रावधान किया जाए।

विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के संबंध में उपजाऊ भूमि को अधिगृहीत करने के बजाय बंजर भूमि, ऊसर भूमि तथा जल भराव वाली जमीन का अधिग्रहण करने का राज्य सरकार को केन्द्र द्वारा निर्देश देने की आवश्यकता। रूग्ण चीनी मिलों एवं एच.एम.टी. घड़ी कारखाने की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए और कारखाने में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अन्य उद्योग में समायोजन किया जाए।

मैं सरकार से पुन: अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे सुझावों एवं प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर वर्ष 2011-12 के बजट में समाहित करने के साथ समुचित निधि का आवंटन करने की कृपा करें। जिससे उत्तराखण्ड का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित होने के साथ-साथ देश की प्रगति में उत्तराखण्ड अपनी भूमिका निभा सके।

वर्ष 2011-12 के लोकोन्मुख बजट का मैं समर्थन करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

***श्री पी.टी. थॉमस** (इदुक्की): भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर अनिश्चितता का सामना कर रही थी। फिर भी, आर्थिक सर्वेक्षण दर्शाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था आठ वर्ष पूर्व की अर्थव्यवस्था से बेहतर स्थिति में है। यह सच है कि भारत ने आर्थिक संकट का भली भांति सामना किया और किसी अन्य देश के मुकाबले तेजी से वैश्विक मंदी से बाहर निकला।

सरकार के सामने आर्थिक विकास को और समावेशी बनाने के लिए उपयोग करना एक चुनौती है। अर्थव्यवस्था को स्थिर करते हुए, सरकार अब गरीब वर्गों की करने और उन्हें सेवाएं प्रदान करने पर अधिक ध्यान दे रही है। बजट प्रस्ताव हमारे उद्देश्य का उदाहरण देते हैं। खाद्य सुरक्षा विधेयक जिसे पुर:स्थापित किया जा रहा है वह गरीबी, कुपोषण आदि का उन्मूलन करने हेतु स्वागत योग्य कदम है। तथापि, सरकार को अपने सार्वजनिक परिदान प्रणाली में कमजोरी को दूर करने हेतु काफी कार्य करना है। मूल्य वृद्धि से सचेत रहने के अतिरिक्त और इसे नियंत्रित करने हेतु कदम उठाने के अतिरिक्त सरकार अनियमित मानसून और सूखे जैसी स्थितियों पर ध्यान देकर जो हमारे गरीब गांवों और आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहने डेयरी किसानों और साधारण किसानों को सम्मिलित करने हेतु नरेगा क्षेत्र का विस्तार करने से करोड़ों लोगों को अपनी आजीविका बनाये रखने तथा कृषि उत्पादन में अंशदान करने में सफलता मिल सकती है।

इस बजट का कृषि क्षेत्र और हमारे कृषक समुदाय के कल्याण से बहुत कुछ संबंध है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्रोत्साहन के रूप

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

में, इस बजट में किसानों हेतु ऋण प्रवाह को 3,75,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,75,000 करोड़ रुपये किया गया है।

अपने ऋण को समय पर चुकाने वाले किसानों को फसल ऋणों पर ब्याज की दरों में 3% की कमी सुनिश्चित करने के सरकार के निर्णय से हजारों किसानों को लाभ होगा। इस मामले में, सरकार क्रांतिकारी रूप से ब्याज दर 4% पर निर्धारित कर रही है।

इसी प्रकार, सरकार ने वर्ष 2011-12 हेतु नाबार्ड के अल्पकालीन ग्रामीण ऋण कोष को अंशदान के लिए 10,000 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं।

शिक्षा समाज का आधार है जो देश के भविष्य का निर्णय करती है। मैं शिक्षा क्षेत्र में अपने व्यय को लगभग चौथाई बढ़ाकर 52,700 तक करने की सरकार की योजनाओं की सराहना करता है। प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय को 11% तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। माध्यमिक शिक्षा को 20% की अधिक वृद्धि मिली है। हमें प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ करने और माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा परक बनाने की आवश्यकता है। सरकार, सर्वशिक्षा अभियान में 21000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके अतिरिक्त, छात्रों को 10+2 परीक्षाओं के बाद रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने में मदद मिलेगी। तेज विकास के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए कुशल कर्मचारी जुटाने हेतु माध्यमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण और कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना आवश्यक है। भारत के बढ़ते विकास के लिए एक प्रमुख चुनौती कौशल की अत्यधिक कमी है जिसमें, सभी स्तरों पर, प्रबंधन से फ्रंटलाइन आयरेशंस और सभी क्षेत्रों, आई.टी. से फास्टफूड तक सम्मिलित हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि हमारे देश में केवल लगभग 5% छात्रों को ही व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलता है। हम वर्ष 2022 से दो वर्ष पूर्व 15 करोड़ कुशल कामगार जुटाने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एन.एस.डी.सी.) के घोषित मिशन के बारे में जानते हैं।

अब कक्षा 10वीं और 9वीं में अध्ययनरत जरूरतमंद अ.जा. /अ.ज.जा. छात्रों हेतु मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना लागू की जाती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सीमांत वर्गों के शोध छात्रों को अधिक संख्या में राजीव गांधी अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

किसानों को 7% की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये के मूल्यधन के फसल ऋण मिल रहे थे। वर्ष 2009-10 में सरकार ने उन किसानों को 1% अतिरिक्त ब्याज सहायता दी थी जिन्होंने अपने अल्पकालीन ऋणों को निर्धारित समयसीमा में चुकाया था। सरकार ने फसल ऋणों के समय पर भुगतान हेतु इस सहायता को बढ़ाकर वर्ष 2010-11 से 1% से बढ़ाकर 2% किया था और इस वर्ष के बजट में अब यह 3% है। इसका अर्थ है कि आज किसानों को 4% की ब्याज दर पर फसल ऋण मिल रहे हैं जिसका उल्लेख स्वामीनाथन आयोग ने किया था।

यह हमारे गरीब किसानों की बेहतरी हेतु वास्तव में उल्लेखनीय योगदान है परंतु कुछ निजी साहूकार इस प्रावधान का दुरूपयोग कर रहे हैं। महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि वह इसके बारे में निस्तृत जांच का आदेश दें। महोदय साहूकार सोना गिरवी रखकर 4% वाले इस ऋण को ले रहे हैं। गोल्ड लोन कृषि ऋण समझा जा रहा है। कुल परिणाम यह है कि ये साहूकार 4% के साथ ब्याज सहायता का उपयोग कर रहे हैं और वे इस राशि को 20 से 30% ब्याज दर पर उधार दे रहे हैं। ये साहूकार हमारे कृषि ऋणों को लूट रहे हैं।

जब कभी हम एन.सी.डी. अनुपात की जांच करते हैं तो इस गोल्ड लोन को भी कृषि ऋण में सम्मिलित किया जाता है। पूर्व कृषि ऋण को जोड़ें व उसमें से गोल्डलोन घटा देने पर हम भली भांति देख सकते हैं कि कृषि ऋण की राशि जिसे अब बैंकों द्वारा दर्शाया जाता है वह वास्तविक नहीं है। महोदय, कृषि ऋण के नाम पर लगभग सभी बैंक गलत राशि दिखा रहे हैं और प्रतिशत का अनुमान लगा रहे हैं।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा वह शिक्षा ऋणों के बारे में है। महोदय, यद्यपि सरकार ने भारत में चार लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋणों और भारत के बाहर 7.5 प्रतिशत के ब्याज पर ऋण की घोषणा की थी। महोदय, जब कभी जरूरतमंद छात्र बैंक कर्मचारियों के पास जाते हैं तो वे उनके साथ सभ्यतापूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं। छात्र ऋण लेने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे बैंकरों को सख्त अनुदेश दें।

मैं माननीय वित्त मंत्री से यह भी अनुरोध कर रहा हूं कि शिक्षा ऋणों पर ब्याज दर को वर्ष 2001 के भूतलक्षी प्रभाव से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया जाए। उस दिन माननीय सदस्य ने पश्चिम बंगाल और केरल स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर हेतु निर्धारित धनराशि के बारे में आलोचना की। माननीय सदस्य जोशी जी ने आरोप लगाया कि ऐसा आगामी चुनावों के कारण किया जा रहा है। यह अति दुर्भाग्य की बात है।

हमारी सरकार इस महान देश के अल्पसंख्यक वर्ग के लिए प्रतिबद्ध है। कोई हमारे माननीय वित्त मंत्री की आलोचना नहीं कर

सकता क्योंकि वह इस तरह से हमारे वित्तीय क्षेत्र का प्रबंधन कर रहे हैं।

ऐसा उनकी दूरदृष्टि के कारण है कि हमारा देश वैश्विक मंदी से बच सका। आज हर कोई इस बात को स्वीकार करता है कि भारत महाशक्ति बनने के मार्ग पर अग्रसर है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

***डा. संजीव गणेश नाईक** (ठाणे): सबसे पहले मैं आम बजट पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं निम्नलिखित के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा:

1. वरिष्ठ नागरिकों के लिए चालू वित्त वर्ष से अधिकतम उम्र 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी गई है और 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई श्रेणी बनाकर जिसकी आय कर सीमा 5 लाख रुपये की गई।

2. केरोसीन, गैस और उर्वरक में प्रत्यक्ष नगद सब्सिडी देने का प्रावधान करने की पहल की गई है जिससे जरूरतमंद व्यक्तियों को सीधा लाभ मिल सके।

3. लघु किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलता रहेगा।

4. महिला स्वयं सहायता समूह के विकास हेतु एक नया कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया है जिससे 500 करोड़ रुपये सरकार देगी जिससे महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा।

5. ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए 18,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

6. छोटे और मध्यम उद्यमों को 5,000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए जिसका फायदा विशेषकर हथकरघा बुनकरों को होगा।

7. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत धन का आबंटन 7860 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है।

8. किसानों के लिए क्रेडिट प्रवाह को 7,75,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है और बैंकों को निर्देश दिया गया है कि इसके तहत छोटे तथा सीमान्त किसानों को ऋण सीधे उपलब्ध कराया जाए। इसके अतिरिक्त सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण ऋण निधि के लिए दिए हैं।

9. सन् 2025 तक 70 प्रतिशत भारतीयों की उम्र काम करने की होगी। इसके लिए शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है जिसके लिए सरकार ने 52,057 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है।

10. काले धन के संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने 5 तरफा रणनीति तैयार की है जिससे कि भविष्य में इस पर लगाम रखी जा सके।

11. माननीय मंत्री जी ने 58,000 करोड़ रुपये भारत निर्माण के लिए आबंटित किए हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम और ग्रामीण टेलीफोनिक पर खर्च होगा।

12. न्यायिक बुनियादी ढांचे और ई-कोड के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं जिसकी मैंने मांग की थी। इसके लिए मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं।

13. बांस पर मूल कस्टम ड्यूटी को 30 प्रतिशत से 10 प्रतिशत किया गया है।

14. सौर लालटेन पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा रहा है, इसकी मदद से गांव भी हरी प्रौद्योगिकी के विकास का हिस्सा बनेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान महाराष्ट्र राज्य के कुछ जरूरी मांगों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो निम्नलिखित हैं:

1. महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार से 91वे परियोजना को मंजूरी देने की मांग की थी जिसमें से 19 परियोजनायें अभी भी धन के अभाव में लंबित हैं। लघु और मझौले शहरों के लिए बुनियादी ढांचा विकास योजना के तहत 102.95 करोड़ रुपये 17 शहरों में विकास हेतु भारत सरकार ने प्रदान किए।

2. मीठी नदी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता के तहत धन उपलब्ध कराया जाए जिससे मुम्बई सिवरेज पानी के निकास के लिए कार्य किया जा सके।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

3. महाराष्ट्र सरकार ने जवाहर लाल नेहरु शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत 135 योजनाओं को मंजूरी देने की मांग की थी जिसमें से 93 योजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी जिसके तहत 5,055 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। बाकी बची योजनाओं के लिए राशि उपलब्ध कराने के लिए योजना आयोग ने सिफारिश की है।

4. वैद्यनाथन पैकेज के तहत 935 करोड़ रुपये आबंटित करने की जरूरत है जिससे कि अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना का पुनर्गठन हो सके।

5. केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के तहत सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के 17 शहरों के स्थानीय निकायों के लिए 32 करोड़ रुपये आबंटित किए थे। इसके लिए 85 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराये जाएं।

6. महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 14.47 करोड़ रुपये की मांग आई.सी.टी. योजना के तहत मांगे हैं जिससे सेटैलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनलों की स्थापना की जा सके।

7. महाराष्ट्र सरकार ने ओ.सी.सी. छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 1555.76 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की मांग की है।

8. महाराष्ट्र सरकार ने दसवें चरण के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत एक प्रस्ताव भेजा है, इसके लिए जल्द से जल्द वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

9. रेडीमेड कपड़ों पर वर्तमान बजट में टैक्स को 10 प्रतिशत किया गया है। छोटे व्यावसायियों के हितों की रक्षा के लिए इसको घटाने की जरूरत है।

10. वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना बनाने की जरूरत है।

11. स्वास्थ्य सेवाओं पर कर में वृद्धि की गई है जिसे घटाने की आवश्यकता है।

12. महिलाओं के लिए आयकर छूट की सीमा को इस बार नहीं बढ़ाया गया। इसको भी बढ़ाने की जरूरत है।

13. रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट, सच्चर कमिटी रिपोर्ट - बहस जरूरी है।

14. एम.पी.लेड. - 10 करोड़

महाराष्ट्र में - 1.5 करोड़

***श्री घनश्याम अनुरागी** (जालौन):

* आम बजट सभी वर्गों के लिए निराशाजनक है। भ्रष्टाचार, कालाधन, बेरोजगारी व मूल्य वृद्धि जैसे ज्वलंत समस्याओं से लड़ने के लिए बजट में कुछ ठोस नहीं है।

* बजट से छोटे कारोबारी निराश हैं।

* बजट में एक तरफ सीमा शुल्क में रियायत दी गई है वहीं दूसरी ओर अनेक वस्तुओं का उत्पाद शुल्क 4 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी करने के साथ ही कर मुक्त 130 उत्पादों को उत्पाद शुल्क के दायरे में ला दिया है। जिससे घरेलू उत्पाद महंगे हो जाएंगे।

* छोटे व मझौले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट में कोई खास योजना नहीं बनाई है।

* आर्थिक वृद्धि की बढ़ती दर के साथ रोजगार के अवसर न बढ़ना एक चिंता का विषय है। बजट में कृषि व उद्योग को बढ़ावा देकर इस कमी को पूरा किया जा सकता था।

* महंगाई के बोझ के तले दबे आम आदमी को आयकर सीमा में 20 हजार की छूट न के बराबर है। इसे कम से कम 40 हजार किया जाना चाहिए।

यह दुखद है कि देश के कुछ लोगों की गिनती विश्व के प्रमुख धनवान लोगों में हो रही है, किन्तु एक बड़ी आबादी आज भी भूख, साफ पानी एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित है, देश के संसाधनों का इस्तेमाल समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए होना चाहिए तभी विकास दिखाई देगा।

फसल के उत्पादन का सीधा फायदा भारत के किसानों को नहीं मिल रहा है। जिस दाम में वो फसल सरकार को बेच रहा है उससे कई गुना दामों में आम आदमी को मिल रहा है। किसानों को अगर अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो इसका सीधा असर देश की उत्पादकता पर पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। महंगाई रोकनी है तो फसल का सही दाम किसानों को मिलना चाहिए, बिचौलियों पर नियंत्रण होना चाहिए। खाद्य पर सब्सिडी स्वागत योग्य है लेकिन किसानों को शिक्षा स्वास्थ्य एवं भोजन की सीधी सुविधा मिलनी चाहिए।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पूरी जी.डी.पी. का 1.2 प्रतिशत स्वास्थ्य के प्रावधान देश की गरीब जनता के साथ मजाक है। सरकारी अस्पतालों की खराब व्यवस्था एवं प्राईवेट अस्पतालों पर सर्विस टैक्स का सीधा बोझ आम जनता पर पड़ेगा। गरीब किसान अपनी जमीन बेचकर एवं कर्ज लेकर इलाज कराने आता है। इस तरह के टैक्स का बोझ गांव एवं शहर की दूरियां बढ़ाएगी जिसका सीधा असर देश के सामाजिक ताने-बाने पर पड़ेगा।

पिछले बजट में बुन्देलखण्ड में 1500 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया था वह नहीं पहुंचा है। जो पैकेज अभी दिया गया है वह भी निराशाजनक है। पाले और ओले से फसल नष्ट हो गई है। पहले किसान सूखे की मार झेलता रहा। लेकिन भारत सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया है और प्रदेश सरकार इस विषय में संवेदनशील नहीं है मौजूदा प्रदेश सरकार जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा मूर्तियों और पत्थरों में खर्च कर रही है। नौजवानों और किसानों की विरोधी सरकार है। पूर्व समाजवादी सरकार ने जो योजनाएं जनता के विकास के लिए चलाई थीं वह सब मौजूदा सरकार ने बंद कर दी हैं। जैसे कन्या विद्या धन, बेरोजगारी भत्ता व क्षेत्र में ढेर सारा चहुंमुखी विकास हो रहा था वह पैसा केवल पार्कों एवं मूर्तियों के निर्माण में ही सिमट कर रह गया है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह बदहाली के कगार पर पहुंच गया है। अनाचार, अत्याचार, नारी शोषण, भय, भूख और भ्रष्टाचार में पूर्णतया लिप्त है। कानून व्यवस्था खत्म है देश की सरकार घोटालों में लिप्त है तो प्रदेश सरकार इससे कहीं कम पीछे नहीं है। जनता पूरी तरह निराश है। बुनकर भूख से मर रहे हैं रोजगार का कोई साधन नहीं है। परिवारों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। रहने के लिए मकान और खाने के लिए अन्न नहीं है। सरकार एकदम संवेदनहीन हो चुकी है। जिस बुनकर ने मानव के तन को ढकने का काम किया आज वही बुनकर बिना पकड़े, खाना, मकान के अभाव में जीवन जी रहा है। बुनकर समाज की मानव की सभ्यता का प्रतीक रहा है।

हमारे संसदीय क्षेत्र जालौन के अंतर्गत भोगनीपुर क्षेत्र पूरी तरह बुन्देलखण्ड से लगा हुआ है और बुन्देलखण्ड से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। बिजली पूरे संसदीय क्षेत्र में चार-पांच घंटे से ज्यादा नहीं मिलती है। किसानों के जो निजी ट्यूब वेल थे जिन्होंने गेहूं बोया था, बिजली न मिलने के कारण फसलें सूख रही हैं। पूरे भोगनीपुर विधान सभा व झांसी विधान सभा जनपद जालौन की तो स्थिति गंभीर है ही लेकिन मैं समझता हूं कि पूरे बुन्देलखण्ड और उत्तर प्रदेश की भी स्थिति इसी प्रकार की है। केवल कुछ जनपदों को बिजली मुहैया कराई जाती है जैसे मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री एवं प्रभावशाली मंत्रियों के गृह जनपदों को बिजली मुहैया कराई जाती है। मैं मांग करूंगा कि सिंचाई बिजली दी जाए। बांधों में नहरों में पानी नहीं है कि चूंकि पहले ही अधिकारी व सरकार की मिलीभगत से बांधों से पानी बहा दिया गया। अब फसलों के लिए नहरें बंद कर दी गई हैं। फसलें सूख रही हैं।

सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां पानी की व्यवस्था कराएं या दूसरे प्रदेशों से पानी खरीद कर सिंचाई की व्यवस्था कराई जाए। हमारे क्षेत्र में करीब चार सौ मझरे और गांव हैं जहां पर आज तक बिजली नहीं है। दूर-दूर तक स्कूल नहीं है। अस्पताल नहीं है कहीं स्कूल हैं तो मास्टर नहीं है। कहीं अस्पताल है तो डाक्टर नहीं है और यदि डाक्टर है तो दवाई नहीं है। जिन गांवों में बिजली है, खम्भे लगे हैं लेकिन तार नहीं हैं। यदि तार लगे हैं तो ट्रांसफार्मर नहीं हैं और यदि ट्रांसफार्मर हैं तो बिजली आती नहीं है। एक तरफ भारत प्रगति कर रहा है तो दूसरी तरफ ऐसे लग रहा है कि यह आदिमकाल में जी रहे हैं।

जो पैसा केन्द्र सरकार से गया है उसकी भी जांच कराई जाए कि वह पैसा कहां और कैसे आबंटित किया गया है। जिन-जिन योजनाओं का पैसा केन्द्र सरकार से मिलता है वह उन्हीं योजनाओं में लगे। क्षेत्र की जनता को लाभ मिले। बुन्देलखण्ड के विकास के लिए तथा अपने संसदीय क्षेत्र भोगनीपुर जालौन गरौठा के लिए अलग से पैसा दिया जाए तथा भोगनीपुर क्षेत्र को भी बुन्देलखण्ड के साथ जोड़ा जाए तथा वहां से जो लगा हुआ क्षेत्र है 50 किलोमीटर की परिधि में, उस पूरे क्षेत्र को बुन्देलखण्ड जैसी ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इटावा औरैया कानपुर देहात-नगर, फतेहपुर, इलाहाबाद आदि का क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों में अलग से पैकेज देकर इन क्षेत्रों का विकास कराया जाए। उपरोक्त क्षेत्र के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की मांग करता हूं।

पूरे देश में सरकार नौजवानों को रोजगार दे, अस्वस्थ लोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए, अशिक्षितों को शिक्षा दे तथा महिलाओं के सशक्तीकरण का पुरजोर प्रयास करे। दवा पढ़ाई शिक्षा एवं मकान, भोजन इत्यादि मुफ्त हो। पिछड़े और अल्पसंख्यकों को अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अवसर देकर उनकी सर्वांगीण विकास के लिए अवसर प्रदान कराए। देश में रहने वाले सभी वर्गों के कमजोर लोगों को सारी सुविधाएं देकर उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए।

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): सभापति महोदया, मैं महात्मा गांधी के शब्दों को पुन: स्मरण कराना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि: "राजनीतिक स्वतंत्रता का ऐसे लाखों लोगों

के लिए कोई अर्थ नहीं है यदि उन्हें यह पता नहीं है कि अपने विवशता भरे आलस्य का कैसे उपयोग करें।"

वर्ष 1997 से 2007 तक दशकों से हमारे गांवों और शहरों में लाखों लोग थे जो बेरोजगार थे तथा जो काम की तलाश कर रहे थे। उस अवधि के दौरान लोग पलायन कर विभिन्न स्थानों पर चले जाते थे क्योंकि उन्हें अपने गांवों में प्रतिदिन 30 रुपए के पारिश्रमिक भी नहीं मिल सकता था। मेरे राज्य आंध्र प्रदेश में भी आदिलाबाद, महबूबनगर, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, अनंतपुर और प्रकाशम जैसे जिलों में लाखों लोग 30 रुपए प्रतिदिन के मामूली पारिश्रमिक के अभाव में विभिन्न स्थानों को चले जाते थे।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि संप्रग अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारे माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह, हमारे वित्त मंत्री और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री भी सब साथ आए और काम के अधिकार के बारे में इस सभा में विधान लाये। न केवल हमने काम के अधिकार को अधिनियम बनाया बल्कि हमने इसे जमीनी स्तर पर भी कार्यान्वित किया। प्रत्येक वर्ष हम इस प्रयोजनार्थ करोड़ों रुपए आवंटित कर रहे हैं। पिछले वर्ष और इस वर्ष बजट में हमने काम के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करने हेतु 40,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किये थे।

महोदया, इस अधिनियम और भारी भरकम आवंटन के कारण अब प्रत्येक गांव में काम है, लोगों को कोई और जगह नहीं जाना पड़ता है तथा कोई और पलायन नहीं हुआ है। लोग जो 30 रुपए प्रतिदिन की मामूली धनराशि के लिए कार्य ढूंढते थे अब वे इस बजट में पारिश्रमिक की वृद्धि के बाद 121 रुपए प्रति दिन प्राप्त कर रहे हैं और वह भी 125 दिनों के लिये। चार महीने के लिए वे इस कार्यक्रम के माध्यम से काम प्राप्त कर रहे हैं। अब उनका पारिश्रमिक बढ़ रहा है। मेरे राज्य में मैंने यह देखा है कि उनका पारिश्रमिक ढांचा अब लगभग 200 रुपए या 300 रुपए प्रति दिन है। खेतिहर श्रमिकों को कभी भी पहले 30 रुपए प्रतिदिन नहीं मिलता था। इसलिए मैं सरकार की हमारी आजादी के 60 वर्षों के बाद महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए प्रशंसा करता हूं। सरकार हर व्यक्ति को रोजगार देने का प्रयास कर रही है ताकि लोग पलायन न करें।

संप्रग सरकार ऐसे किसानों के बचाव में आई जो दो वर्ष पहले ऋण जाल में फंसे थे और 72,000 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ किया। केवल मेरे राज्य में ही 12000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ कर दिये गये हैं। केवल यही नहीं संप्रग सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व वर्ष 2005-09 में केवल 80,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के कृषि ऋण राजग शासन के दौरान दिये गये। इस वर्ष के बजट में हमारे वित्त मंत्रीजी ने इस बात की घोषणा की है कि 4,87,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण 4 प्रतिशत के ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

वर्ष 2003-04 में राजग शासन के दौरान यह नौ प्रतिशत था। अब कृषि ऋण चार प्रतिशत तक हो गया है। आंध्र प्रदेश में कृषि ऋण गत दो-तीन वर्षों के दौरान तीन प्रतिशत पर उपलब्ध था। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से भी इस बात पर ध्यान देने के लिए अनुरोध करूंगा कि क्या हम इसे आंध्र प्रदेश की भांति और कम करके तीन प्रतिशत तक ला सकते हैं।

महोदया, आज किसान क्या चाहता है। लाभकारी मूल्यों के अलावा वे प्रति एकड़ भूमि के लिए पानी चाहते हैं। यह सुनिश्चित करने का अब हमारा कर्तव्य है कि एक-एक इंच की भूमि की सही सिंचाई की जाए और बाढ़ के माध्यम से सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की जाए। हम गंगा-कावेरी को जोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। निःसंदेह यह एक बड़ी योजना है। यदि यह संभव हो जाता है तो मुझे बेहद खुशी होगी क्योंकि इस योजना की परिकल्पना डा. के.एच. द्वारा 30-40 वर्ष पहले की गई थी जो विजयवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे और अब सौभाग्यवश मैं उसी विजयवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। उन दिनों उनकी योजना गंगा और कावेरी और अन्य सभी नदियों को जोड़ने की थी। आंध्र प्रदेश में हमने पोलावरम बांध का निर्माण करके गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने वाली एक परियोजना शुरू की थी। आंध्र प्रदेश के लोग 60 वर्षों से इस परियोजना के बारे में कल्पना कर रहे थे जिसकी लागत आज 16,000 करोड़ रुपए होगी। यह दायीं और बायीं नहरों के साथ 7 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करेगी। इससे गोदावरी, कृष्णा डेल्टा की मौजूदा रूपरेखा में स्थिरता आएगी जो 23 लाख एकड़ से अधिक है और 960 मे.वा. से अधिक बिजली इस परियोजना से बनायी जायेगी। हम भारत सरकार से इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का अनुरोध कर रहे हैं और हम इस बात से प्रसन्न हैं कि भारत सरकार ने इस पर विचार किया है और स्वीकृति प्रदान करने पर सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन कर दिया है। हम इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त होगा क्योंकि यह न केवल आंध्र प्रदेश के लिये बल्कि पूरे भारत के लिये भी लाभकारी होगा। यह देश की खाद्य आवश्यकता को पूरी करेगी। संप्रग सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी लाने जा रही है। इस परियोजना के द्वारा मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि खाद्य सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा।

ग्रामीण विकास पर इस सरकार ने 87,800 करोड़ रुपए आबंटित किये हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से भी इस बात पर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा कि वे अपने उत्तर में इस बजट

में ही पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषणा करेंगे। यह राष्ट्र हित में है। मैं केवल आंध्र प्रदेश की ही बात नहीं कर रहा हूं। यह परियोजना पूरे राष्ट्र के हित में है।

सभापति महोदया: अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री एल. राजगोपाल: महोदया, मुझे अब शिक्षा पर बोलने दीजिए क्योंकि यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है।

सभापति महोदया: आपने अच्छा बोला है। अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री एल. राजगोपाल: मैं केवल दो बातें - ग्रामीण विकास और शिक्षा पर बोल रहा हूं। मुझे शिक्षा पर भी कुछ बोलने दीजिए।

इस सरकार ने शिक्षा पर 52,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि आवंटित की है। उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया है। इसके अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान को ही 16,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने बजट में 9600 करोड़ रुपए भी आवंटित नहीं किये थे। जबकि इस सरकार ने मानव संसाधन विकास हेतु 52000 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।

महोदया, आंध्र प्रदेश में हमारे पास एक योजना है जहां 30 लाख से अधिक छात्रों को न केवल प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, हाई स्कूल स्तर पर बल्कि स्नातक स्तर पर भी अभियांत्रिकी और चिकित्सा शिक्षा सहित नि:शुल्क शिक्षा मिल रही है। राज्य सरकार इन छात्रों को 35,000 रुपए, 55,000 रुपए, 7500 रुपए की प्रतिपूर्ति कर रही है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे आंध्र प्रदेश के बचाव में और उनकी सहायता के लिए सामने आएं जिसमें वे इन योजनाओं में भी अंशदान दें। ये योजनाएं पददलित और गरीब लोगों के लिए हैं।

अंत में मैं महात्मा गांधी के शब्दों को उद्धृत करता हूं जो सदैव 'सर्वोदय' और 'अंत्योदय' की बात कहते थे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे भारत के लोगों के कल्याण के लिए ऐसी सभी स्कीमों को प्रभावी रूप से लागू करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. तरुण मंडल (जयनगर): महोदया, सामान्य बजट पर बोलने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद। हमारे माननीय वित्त मंत्री ने दावा किया है कि वर्तमान वर्ष एक महत्वपूर्ण वित्त वर्ष बन गया है। यह कार्पोरेट क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण वर्ष हो सकता है। लेकिन मैं सोचता हूं कि आम लोगों, किसानों और निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए यह बहुत ही कठिन और कष्टदायक वित्त वर्ष रहा है।

इस बजट में माननीय वित्त मंत्री ने निचले दबके के लोगों, आम लोगों को कोई वास्तविक राहत नहीं पहुंचाई है। बल्कि उन्होंने इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की संकटपूर्ण स्थिति को छुपाने के लिए केवल शब्दों और आंकड़ों की जादूगरी का प्रयोग किया है। लोग अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। उनकी वास्तविक आय बहुत घट गई है।

वे और दरिद्र बन गए हैं। सरकार ने इसे रोकने के लिए इस बजट में किसी भी उपाय का प्रस्ताव नहीं किया है। जब ऐसा दावा किया गया है कि यह बजट निवेश को बढ़ावा देने वाला बजट है तो मैं जानता हूं कि वास्तव में इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रणाली में इस निवेश से रोजगार पैदा नहीं होगा। हमें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ है कि धोखाधड़ी करने वाले और घोटाला करने वालों के विरुद्ध किसी भी सख्त कदम का प्रस्ताव नहीं किया गया है जो लाखों और करोड़ों रुपये के सार्वजनिक धन की चोरी कर रहे हैं। उनका वक्तव्य भी इसी प्रकार का था।

पिछले कुछ महीनों में कतिपय ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे ऐसी छवि बनी है कि शासन में एक बदलाव आया है तथा सार्वजनिक जवाबदेही में अंतर आया है। ऐसी छवि को गलत ढंग से पेश किया गया है।

इससे कर अपवंचकों, घोटाला करने वालों और शक्तियों का दुरूपयोग करने वालों तथा ऐसे ही गलत कार्यों में लगे रहने वालों को बढ़ावा मिलेगा। इससे उनको और शक्ति प्राप्त होगी। जब वह कहता था, भ्रष्टाचार एक समस्या है और हमें सामूहिक रूप से इसका सामना करना चाहिए।" इसका मतलब है कि सरकार एक सामान्य मूकदर्शक बनी रहेगी और धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध वास्तव में कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा।

महोदया, कालाधन के मामले में इस धन का पता लगाने के लिए राष्ट्र के समक्ष कोई ठोस कदम नहीं आया है। खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा के जीवन में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को कम करने के लिए कोई वास्तविक कदम नहीं उठाया गया है। वे एक शिक्षाविद् की तरह आंकड़े देते हैं कि फरवरी, 2010 और जनवरी, 2011 के बीच खाद्य पदार्थों के मूल्य में मुद्रास्फीति 20.2 प्रतिशत से घटकर 9.3 प्रतिशत हो गई है। लेकिन बाजार में आम आदमी को इस कमी से कोई लाभ मिलता नहीं दिखाई दे रहा है।

ग्रामीण विकास क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में बजटीय आवंटन में कमी, ईंधन में 15000 करोड़ रुपये, उर्वरक में 5000 करोड़ रुपये और खाद्यान्न में 7000 करोड़ रुपये की राजसहायता में कटौती से हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक कमजोर और अव्यवस्थित हो जाएगी।

सभापति महोदयाः कृपया समाप्त कीजिए।

डा. तरुण मंडलः महोदया, मुझे दो और बिंदुओं को आपके समक्ष रखना है।

सभापति महोदयाः कृपया इन दो मुद्दों को एक मिनट के भीतर रखें।

डा. तरुण मंडलः महोदया, हमारी सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से इस बजट के अनुसार 27 प्रतिशत कर्ज लिया हुआ है। मैं माननीय वित्त मंत्री के समय में से केवल दो मिनट मांगता हूं। कृपया मुझे इसकी अनुमति दीजिए।

गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को किरोसीन, रसोई गैस और उर्वरक पर नकद राजसहायता देने का उनका प्रस्ताव सफल नहीं होगा क्योंकि नरेगा के मामले में हमने देखा है कि यह असफल रहा है। इसको कोई सफलता नहीं मिली है। उन्होंने जनगणना का उल्लेख किया है जिसमें जाति का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मैं इसका विरोध करता हूं। इससे राष्ट्र में और बंटवारा होगा और सहिष्णुता बढ़ेगी और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इससे कोई विकास नहीं होगा।

उनके बजट में पी.पी.पी. सार्वजनिक-निजी भागीदारी, तथा हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश को बढ़ावा देना है। रक्षा क्षेत्र के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपये के अनुत्पादन बजट का प्रावधान है। आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं के लिए वेतनवृद्धि भी बहुत कम है और यह सरकार द्वारा घोषित दैनिक मजदूरी से भी कम है। इसलिए, आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए यह कम से कम 6000 रुपये तथा उनके सहायकों के लिए 3000 रुपये होना चाहिए।

मेरा अंतिम मुद्दा प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। प्रत्यक्ष कर में 13,500 करोड़ रुपये तक की कमी हुई है। मैं अपने वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि कर से मुक्त राशि को 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाए और बचत छूट कम से कम 2 लाख रुपये किया जाए।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने बजटीय आवंटन को राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रमों जैसे क्षय रोग, मलेरिया, नेत्रहीनता के लिये बजटीय आवंटन में कमी की है। जब तक इसको बढ़ाया नहीं जाता हमारे टीकाकरण कार्यक्रम अलाभप्रद हो जाएंगे। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात का ध्यान रखें कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा कर को हटा दिया जाए और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए उचित बजट बनाया जाए।

इसी के साथ ही मैं इस जन-विरोधी बजट का समर्थन नहीं कर सकता। मैं सुन्दरवन के लिए एक और पैकेज की उम्मीद करता हूं जिसे राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा वंचित कर दिया गया है यद्यपि यह विश्वस्तरीय धरोहर स्थल है। यह मेरे चुनाव क्षेत्र में आता है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे सुन्दरवन के अवसंरचना विकास के लिए एक विशेष पैकेज जारी करें।

[हिन्दी]

***श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण** (साबरकांठा): ये जो आम बजट पेश हुआ है मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि उसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं रखा है। बस केवल कॉरपोरेट सेक्टर को ध्यान में रखा गया है। देश के किसान दुःखी हैं उसके दिनों को नजरअंदाज किया गया है।

यू.पी.ए. सरकार के बजट 2011-2012 में व्याप्त समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। देश के गरीब-आदिवासियों, महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के विकास की अनदेखी यह बजट करता है। महंगाई, जो बड़ी समस्या उभरकर सामने आई है उसे कम करने का कोई उपाय या प्रावधान नहीं किए हैं। देश के लघु एवं कुटीर उद्योग देश के घरेलू उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और रोजगार भी अन्य उद्योगों की अपेक्षा ज्यादा उपलब्ध करवाते हैं और निर्यात द्वारा काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा कर लाते हैं। इस बजट में इनकी उपेक्षा हुई है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसे दूर करने के प्रयास नहीं किए हैं। हालांकि बजट में 3 लाख से ज्यादा का घाटा दिखाया गया है। इससे एक ओर तो महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने से आय के मूल्य में कमी होगी और व्यय लागतों से बढ़ने से देश के विकास पर कोई असर नहीं होगा।

आज किसान खास करके छोटे किसान दुःखी हैं, किसानों को उनकी उत्पादन लागत सही नहीं मिल पाती है, जैसा कि कॉटन का मूल्य किसानों को 800 से 900 प्रति 20 किलोग्राम मिले जबकि बाजार में जाने के बाद उसका मूल्य 1200 से 1300 प्रति रु. किलोग्राम हुए, जो व्यापारियों के लिए लाभदायी हुआ, वैसे प्याज 70 रु. प्रति किलो एवं 7 रु. प्रति किलो भी बेची गई। पहले उपभोक्ता के आंखों से पानी बहाया तो बाद में उत्पादनकर्ता को रुलाया। ये कैसी नीति है? किसान को समय पर बीज, खाद, सिंचाई

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

की सुविधा मिले एवं कृषि फसल बीमा योजना का समय पर भुगतान मिले, जो नहीं हो रहा है। खाद की आपूर्ति के लिए किसान पूरे दिन कतार में खड़ा रहता है और हमें उर्वरक मंत्री के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

इस बजट में इधर से दिया उधर से लिया जाने वाले सिद्धांत अपनाये हैं। खाद्यान्न का उत्पादन कम हो रहा है। 20 करोड़ एवं उससे भी ज्यादा लागत वाली परियोजनाएं देश में अपने निर्धारित समय पर पूरी नहीं हो रही हैं। देश में 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार 1005 परियोजनाओं में से 978 परियोजनाएं देरी से चल रही है। इसके लिए सरकार ने किसी भी अधिकारी को आज तक जिम्मेदार नहीं ठहराया है। सरकार को इसके लिए जिम्मेदारी निश्चित करके सजा दी जानी चाहिए।

इस बजट में आदिवासियों के साथ न्याय नहीं हुआ है। आदिवासी हर दृष्टि से कमजोर है। आधुनिक सुविधा से वंचित है। मेरे संसदीय क्षेत्र में चार तहसील - भिलोड़ा, मेघरज, विजयनगर और खडब्रह्मा आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, जहां पर केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं से लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। वे लोग सिंचाई एवं सड़क से वंचित हैं। वन कानूनों की वजह से हैरान-परेशान है। बुनियादी सेवा से वंचित है। वनों में रहने वाले आदिवासी को सुविधाएं दिए जाने के संबंध में जो एन.जी.ओ. काम कर रही है उसकी सच्ची समीक्षा होनी चाहिए और उनकी समीक्षा में सांसदों की भूमिका भी होनी चाहिए और भ्रष्टाचार एवं धन बर्बादी के मामलों में स्थानीय सांसदों की राय ली जानी चाहिए।

बजट में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता नहीं दी है, जबकि मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा में 70 प्रतिशत से ज्यादा भूमि पर सिंचाई की सुविधा नहीं है। कई क्षेत्रों में डार्कजोन घोषित किए हैं, जिसके कारण किसान अपने क्षेत्र में ट्यूबवैल नहीं लगा सकते। मेरी मांग है कि डार्कजोन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा के लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरा संसदीय क्षेत्र औद्योगिक रूप से अत्यंत पिछड़ा हुआ है, यहां पर कोई उद्योग धंधे नहीं हैं। लोग सिर्फ कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। लोग दयनीय दशा में जी रहे हैं। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से कितना पैसा मेरे क्षेत्र को मिल रहा है उसका भी पता नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सिंचाई एवं उद्योग उपलब्ध कराए जाएं।

मेरे संसदीय क्षेत्र में किसानों के खेत में जंगली पशु आकर उनकी तैयार फसल को खराब कर देते हैं। इस नुकसान का कोई मुआवजा नहीं मिलता है। उनकी कमाई मिट्टी में मिल जाती है। जीव-जंतु कानूनों के कारण इन पशुओं को मार भी नहीं सकते। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और वन विभाग को जरूरी तार की बाढ़ लगाने का आदेश देना चाहिए, जिससे फसल बर्बाद न हो और खाद्यान्न का उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो सके।

मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा में पहले से बुनियादी सेवाओं का अभाव है और विकास संबंधी सुविधाओं से महरूम है। मेरे संसदीय क्षेत्र में हिम्मतनगर से अम्बाजी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग कई सालों से की जा रही है, परंतु इसकी स्वीकृति आज तक नहीं दी है। सरकार से अनुरोध है कि इस मार्ग को शीघ्र ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए।

इस बजट से देश के विकास को गति नहीं मिलेगी और न ही महंगाई से निजात मिलेगी इसलिए बजट का घोर विरोध करता हूं।

***श्रीमती दर्शना जरदोश** (सूरत): देश के वित्त मंत्री जी द्वारा बजट पेश किया गया। लेकिन जिस आम आदमी की बात करके केन्द्र सरकार ने सत्ता हासिल की है उस आम आदमी का किसी जगह ध्यान नहीं रखा गया है। वित्त मंत्री जी के बजट में से आम आदमी ही गायब है।

इस सरकार की सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्री अपने-अपने राज्य की ही सोचते हैं लेकिन प्रणव दा के बजट में देश में आर्थिक सुधार की गति को बढ़ाने की बजाय कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। वर्तमान सरकार के पदभार ग्रहण करने के साथ देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी विरासत में मिली है। आम आदमी की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब वो न तो ठीक से घर चला सकता है ना ही इस महंगाई के चलते पूरे परिवार को अच्छा खाना दे सकता है। शिक्षण भी महंगा हुआ है वो अपने बच्चे को ना तो अच्छे स्कूल या कॉलेज में शिक्षण दिला सकता हैं। सोना महंगा हुआ है अपनी बच्ची की शादी भी अब वो अच्छी तरह कर नहीं सकता और तो और यदि उसके बूढ़े मां-बाप हृदय या अन्य ऐसी व्याधि से बीमार हुए या परिवार के किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो वह भी उसके लिए स्वप्न सा बन गया है। और हमारे गुजरात के लोग तो उस मुद्दे पर भी कमनसीब हैं क्योंकि प्रधानमंत्री राहत कोष में जहां से आम आदमी को हार्ट सर्जरी जैसे वक्त सहायता की उम्मीद रहती है। उसमें बार-बार विनती करने पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे गुजरात में एक ही अस्पताल को मान्यता दिए हुए हैं तो अस्पतालों में जो खर्च बढ़ा है उससे गुजरात के लोगों को तो दोहरी चोट इस सरकार ने दी है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इस बजट को देखते हुए मेरी आपके माध्यम से मांग है कि:

1. काम करने वाली महिलाओं की एक्झा पेंशन लिमिट 1,60,000 से बढ़ाकर 2,50,000 की जाए।

2. जो महिलाएं कॉल सेंटर या रात्री ड्यूटी करती हों ऐसी जगह काम करती हों उनको स्टेन्डर्ड डीडक्शन 20,000 दिया जाए।

3. टी.डी.एस. की टेक्स डीडक्शन सीमा बढ़ाई जाए।

4. नौकरीपेशा महिलाओं को उनकी कोई भी आय पर रिटर्न भरने से मुक्ति मिले।

5. नया सुगम रिटर्न जो लाया गया है उसमें 44 ए.डी. में उनकी अन्य आय को भी समाविष्ट किया जाए।

6. स्वास्थ्य एवं डायगनॉस्टिक सर्विसिस को सर्विस टैक्स से मुक्ति दी जाए।

7. विधवा, त्यक्ता, रिटायर, पेंशनर्स ऐसी महिलाओं को बैंक में जीरो बेलेंस एकाउंट खोलने की व्यवस्था हो।

मैं हीरे की नगरी सूरत का प्रतिनिधित्व करती हूं। हीरा जैम एंड ज्वैलरी उद्योग में 3.4 मिलियन लोगों को आज रोजगार मिल रहा है। जैम एंड ज्वैलरी उद्योग आज 18 प्रतिशत की दर पर विकास कर रहा है। आज विश्व में कट या पोलिश होने वाले 12 में से 11 हीरे सूरत या भारत में तैयार होते है। मेरी मांग है कि

1. जैम एंड ज्वैलरी में हमारी विश्व के जिन देशों से स्पर्धा है उन देशों की तर्ज पर हम उनसे टेक्स सिस्टम की जानी चाहिए ताकि हम उनके बराबरी में खड़े रह सके और हम उनसे सभी क्षेत्रों में स्पर्धा कर सके।

2. ईजरायल, बेल्जियम के तर्ज पर देश में कच्चे हीरे की कन्साइन्मेंट है पोर्ट की छूट दी जाए।

3. पिछले 4 सालों में कच्चे हीरे की कीमत 74 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है। नए उत्पाद केन्द्रों के बढ़ने से परंपरागत खनन कंपनियों के हिस्से में कमी आई है। आज गुजरात में करीब दस लाख आदमियों की आजीविका इस पर टिकी है। दिन ब दिन कच्चे हीरे की उपलब्धता में गिरावट आने लगी है। इसके कारण वह प्रशिक्षित कारीगर दूसरे उद्योग की ओर भाग रहा है। उसे हीरा-जेम ज्वेलरी उद्योग में आजीविका की स्थिरता के लिए कच्चे हीरे की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में योजना बनानी चाहिए। उन माइनिंग कंपनियों से डायरेक्ट सरकार बातचीत करके स्थिति में बदलाव लाने हेतु प्रयास करे।

4. सूरत में इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होते हुए भी जैम एंड ज्वैलरी जैसे क्षेत्र के उद्योजकों को सूरत या गुजरात में किसी भी बड़े राष्ट्रीयकृत बैंकों की रिजनल ऑफिसीस न होने की वजह से उनको लोन लेने हेतु मुंबई तक लंबा होना पड़ता है। उस पर विचार किया जाए और सूरत में रिजनल ब्रांचीस खाली जाए जिससे कि छोटा बड़ा लोन लेने में सुविधा हो।

5. हीरा जैम ज्वैलरी के उद्योजकों को अपने विदेशी कन्साइन्मेंट को भेजने हेतु मुंबई या अन्य राज्यों में बने एयरपोर्टों की सहायता लेनी पड़ती है। जिससे खर्च भी बढ़ा है। मेरी मांग यह है कि सूरत के एयरपोर्ट को विकसित करके वहां के उद्योजक वहीं से अपना सामान दूसरे देशों में भेज सके।

6. आज हीरा उद्योग प्रशिक्षित कारीगर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। यह उद्योग कुशलता पर आधारित होने की वजह से मेरी आप से मांग है कि जो परंपरागत तकनीक से काम करने वाले कारीगर या रत्नकलाकार हैं उन्हें मार्डन तकनीक लाने हेतु आर्थिक मदद की व्यवस्था की जाए। मार्डन तकनीक को उद्योग में लाने हेतु केन्द्र सरकार ज्यादा ध्यान दें।

इन शब्दों से मैं आम बजट में इन सुझावों को सम्मिलित करने की मांग करती हूं।

श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव): महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं बहुत कम शब्दों में और जल्दी से अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगी। मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं और अपने माननीय वित्त मंत्री जी, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और खासकर यू.पी.ए. की चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने एक बैलेंस्ड और हर सेक्टर को कवर करने वाला बजट प्रस्तुत किया है। अपोजिशन हो या जनता सब चाहते हैं कि पॉपुलेस्ट बजट हो और सीधा फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। वित्त मंत्री जी चाहे कुछ भी कर लें, अपोजिशन का काम अपोजिशन को करना है और हम लोगों को उसका स्वागत करना पड़ता है। मैं महिला होने के नाते सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ सकती कि महिलाओं के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए जो किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं इसमें एक बात यह कहना चाहती हूं कि जैसे आई.सी.डी.एस. में आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं, उसी तरह

से एन.आर.एच.एम. की आशा बहुओं के बारे में भी सोचा जाये, क्योंकि उनके काम करीब-करीब एक जैसे हैं और रोल एंड रिस्पांसिबिल्टीज में कनवर्जेंस भी नहीं है। इसके बारे में सोचकर अगर उनके मानदेय के बारे में भी सोचा जाये तो बहुत अच्छा होगा। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जो सेल्फ हैल्प ग्रुप्स के लिए अलग से पांच सौ करोड़ रुपये की बात की गयी है, उसका मैं स्वागत करती हूं और धन्यवाद देती हूं। वृद्धा पेंशन का दायरा 65 साल से घटाकर 60 साल कर देना बहुत अच्छी बात है। लोगों को वृद्धा पेंशन भी मिलती है, बेवा पेंशन भी मिल जाती है, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहती हूं कि कई ऐसी बेसहारा महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए भी अगर कोई पेंशन की बात की जाये तो बहुत अच्छा होगा। किसान भाईयों के लिए बहुत सारी बातें हमारे कई माननीय सदस्यों ने कही हैं। मैं ज्यादा नहीं करना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि यू.पी.ए. की सरकार में जो पहले किसान भाईयों का ऋण माफ हुआ था, वह एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा था। आज यह है कि जब आप समय पर ऋण चुका देते हैं तो उसे चार परसेंट पर जो लाकर खड़ा किया है, मैंने पिछले साल भी गुजारिश की थी और मैं आज भी गुजारिश करूंगी कि इसे कम से कम तीन परसेंट कर दिया जाये।

महोदया, अपनी बात समाप्त करने के पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसने मेरे दिल को छुआ है, वह मैं कहना चाहती हूं। मैं अपनी माननीय सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने इसमें हमारी बहुत मदद की है, यह जो बुनकर भाईयों का तीन हजार करोड़ रुपये का बजट नाबार्ड को आबंटित हुआ है ताकि उनके ऋण आदि माफ हो सकें, उसकी मोडालटीज वर्क आउट हो सकें, इससे सीधे तीन लाख बुनकरों का फायदा हुआ है और 15 हजार कॉपरेटिव सोसायटीज को फायदा हुआ है। इसके लिए मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहती हूं कि कई बुनकर ऐसे हैं जो लोन लेते ही नहीं हैं, इसलिए उनका लोन माफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उनके साथ दुखद स्थिति यह है कि वे बिजली का बिल तक पे नहीं कर पाते हैं। उनके जो बिजली के बिल हैं, मैं मानती हूं कि यह राज्य सरकार का मामला है, लेकिन अगर इसके बारे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार को कुछ मदद करके इन गरीब बुनकर भाईयों के बिजली के बिल माफ कराने में मदद करे तो बहुत अच्छा होगा। इन्हीं बुनकरों के बारे में कहते हुए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की बनारस सिल्क इंडस्ट्री को बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लिया है। बनारस सिल्क इंडस्ट्री में पहले यह होता था कि सिल्क जो चाइना से आती थी, उस पर तीस परसेंट ड्यूटी होती थी, लेकिन जो कपड़ा आता था, उसमें मात्र पांच परसेंट ड्यूटी होती थी। इसलिए बुनकर भाईयों को कम्पीट करने में बहुत तकलीफ होती थी। आज रेशम के धागे की इम्पोर्ट ड्यूटी तीस परसेंट से पांच परसेंट कर दी गयी है, लेकिन इसी में मैं गुजारिश करना चाहती हूं कि इसे और बेहतर बनाने के लिए जो रेशम का कपड़ा आ रहा है, उस पर ड्यूटी बढ़ा दी जाये तो चाइना के साथ कम्पीट करना हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जायेगा।

महोदया, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं, उन्नाव मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, उन्नाव के लिए तो मुझे बहुत कुछ चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इस बहुत कुछ में जो भारत निर्माण की योजनाएं हैं, वे बहुत अच्छी योजनाएं हैं और उनमें बजट भी एक्सट्रा आबंटित किया गया है, लेकिन पता नहीं मैं यह बात किससे जाकर कहूं कि अगर इन योजनाओं का राज्य सरकार सिर्फ सही तरीके से क्रियान्वयन कर ले तो भी हमें बहुत कुछ मिल जायेगा। क्योंकि उनका क्रियान्वयन राज्य सरकारें सही ढंग से नहीं करती हैं, इसीलिए रूरल सेक्टर में हम लोगों के हालात सही तरीके से नहीं सुधर पा रहे हैं। बजट की बहुत सारी खूबियां हैं, मैं अपने आप को अपने बाकी मेंबर्स के साथ सम्बद्ध करती हूं और एक बार फिर से धन्यवाद देकर अपनी वाणी को विराम देती हूं।

[अनुवाद]

***श्री एस.एस. रामासुब्बू** (तिरुनेलवेली): मैं वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगें (सामान्य) पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा और मैं इसका समर्थन करता हूं।

हमारे माननीय अति वरिष्ठ सदस्य और योग्य वित्त मंत्री ने संतुलित बजट प्रस्तुत करने और प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बावजूद सभी वर्गों के व्यक्तियों को प्रसन्न करने का प्रयास किया है।

हमारी जी.डी.पी. विकास दर संतोषजनक स्तर पर पहुंच गई है। तथापि, हमें विकास दर के वर्तमान स्तर में सुधार करने हेतु कड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता है और हमारी अर्थव्यवस्था 9% की विकास दर पर पहुंचने के लिए तैयार है। खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में निरंतर वृद्धि चिंता का बड़ा कारण है। गत वर्ष देश के विभिन्न भागों में अनियमित वर्षा, बाढ़ और सूखे के कारण कृषि उत्पादन में कमी आई है और फलों तथा सब्जियों सहित अनेक खाद्य वस्तुओं के मूल्य तेजी से बढ़े थे। हमारी सरकार ने

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बार-बार इस मामले में हस्तक्षेप किया और जमाखोरों तथा कालाबाजारियों पर कार्रवाई की कतिपय खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया और इस संकट से निपटने के लिए आयात में सुधार किया।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे किसानों को ऋण उपलब्ध कराते हैं और वे उनके तात्कालिक संकटमोचक हैं। तथापि, किसानों को ग्रामीण बैंकों से अपने ऋण प्राप्त करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से कई वित्तीय रूप से कमजोर हैं। वे अपनी खेती को बचाने तथा उसकी रक्षा करने/बढ़ावा देने हेतु ऋण के लिए बैंक जाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को किसानों को लंबी औपचारिकताओं के बिना उदार ऋण प्रदान करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। लगभग 2000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र में बैंक की शाखा खोलना एक स्वागतयोग्य निर्णय है।

हमारी सरकार आवास क्षेत्र को और महत्व दे रही है और वह देश में बड़ी संख्या में मकान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को पूरा करने हेतु रियलएस्टेट को आवश्यक सहायता और ग्रामीण आवास कोष के अंतर्गत 3000 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ प्रावधान देश में आवास की कमी को पूरा करने में काफी सहायक होगा। एक ही अचल संपत्ति पर कई बार उधार देने के संबंध में धोखाधड़ी को रोकने हेतु केंद्रीय इलेक्ट्रानिकी रजिस्ट्री का प्रचालन आवास क्षेत्र को प्रोत्साहन देगा।

कृषि ने वर्ष 2011-12 में हमारे देश के विकास ऋण प्रवाह को 3,75,000 से 4,75,000 करोड़ रुपये करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग कृषि पर निर्भर है और हम कृषि उत्पादन में अग्रणी बने हुए हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में भारी निवेश किया गया और हरित क्रांति शुरू की गई और हमने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। परंतु गत कुछ वर्षों में हमारा कृषि उत्पादन जनसंख्या विस्फोट के समानुपात में नहीं रहा है और विवरण में गतिरोध है। फलों और सब्जियों, दूध, मांस, कुक्कुट पालन तथा मछली जैसी वस्तुओं हेतु उत्पादन एवं वितरण के गतिरोध पर अधिक जोर देना होगा। गत कुछ वर्षों में देश में दालों के उत्पादन में भारी गिरावट हुई है और हमें आयात का सहारा लेना पड़ा है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 दाल ग्रामों को बढ़ावा देने की सरकार की पहल से मांग और पूर्ति का अंतर समाप्त होगा। पाल्म ऑयल पौधारोपण, किसानों को किफायती दर पर ऋण, चने के उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकार की पहल से कृषि क्षेत्र को काफी सहायता मिलेगी।

मैं एस.एस.ए. के अंतर्गत आबंटन राशि को 15000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 21,000 करोड़ करने के लिए माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं और विद्यालयों में सकल प्रवेश अनुपात में 13% से 31% तक सुधार करने की सरकार की पहल से देश में स्वक्षरता दर में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

मेरे क्षेत्र में मछुआरा समुदाय प्रभावित है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में समुद्र तट क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित है। समुद्र तट क्षेत्र समुद्रक्षरण के कारण धीरे-धीरे प्रभावित हुए हैं।

हमारी सरकार ने शिक्षा को अधिक महत्व दिया है। शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान के लिए 24% अधिक आबंटन निरक्षरता को समाप्त करने और समाज के वंचित वर्गों को किफायती शिक्षा प्रदान करने के लिए जरूरी है। देश में उच्च शिक्षा अधिक महंगी है। देश में उच्च शिक्षा का विकल्प चुनने वाले छात्रों की संख्या कम है और उनमें से कई विदेश जा रहे हैं और वहां बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सरकार को उच्च शिक्षा हेतु आबंटन राशि में पर्याप्त वृद्धि करनी चाहिए और उच्च शिक्षा हेतु छात्रों की विदेश जाने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में उच्च शिक्षा की और संस्थाएं स्थापित करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कवरेज के प्रस्तावित विस्तार, बी.पी.एल. लाभार्थियों हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन हेतु पात्रता आयु को 65 वर्ष से घटाकर 60 करने तथा 80 वर्षों से ऊपर के वृद्धों हेतु पेंशन को 200 रुपए से बढ़ाकर 500 करने से अति वरिष्ठ नागरिकों का आत्म विश्वास और मनोबल बढ़ेगा।

गंगा के अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण झीलों और नदियों को साफ करने का 200 करोड़ रुपये के विशेष आबंटन हेतु हमारी सरकार की पहल स्वागतयोग्य कदम है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि तमिरबरमी नदी समुद्र तट से 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढलानों से निकलकर दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तिरूनेलवेली जिले से होकर बहती है। इसकी अनेक सहायक नदियां और चैनल हैं। एक महत्वपूर्ण चैनल तिरूनेलवेली चैनल है जिसकी लंबाई लगभग 6 कि.मी. है। यह चैनल पीने के लिए और सिंचाई हेतु 4500 एकड़ कृषि भूमि के लिए जलापूर्ति करते हुए तिरूनेलवेली कस्बे के मध्य से गुजरती है और मागुर खंड के 23 बाहरी पोखरों को भी भरता है। गत कुछ वर्षों से उसमें पौधों की भारी संख्या और कंक्रीट लाइनिंग के क्षतिग्रस्त होने के कारण किसानों को जलापूर्ति के प्रवाह में अवरोध है। इस वजह से चैनल से जल प्राप्त होने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, आंवले के पौधों को हटाने, कंक्रीट लाइनिंग और तटों को मजबूत करने को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रों के अंत तक जल का आसानी से प्रवाह हो सके।

मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इस परियोजना के अंतर्गत तमिरबरानी नदी के तिरूनेलवेली चैनल को सम्मिलित करें और उसका जीर्णोद्धार करे तथा इस परियोजना हेतु पर्याप्त धनराशि आबंटित करें।

मनरेगा हमारी संप्रग सरकार द्वारा पिछले कार्यकाल में शुरू की गई सफल परियोजनाओं में से एक है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को रोजगार की गारंटी देती है और इस योजना के अन्तर्गत कामगारों के वेतन को कृषि श्रमिक हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ना समय की मांग है तथापि, मनरेगा शुरू करने से कृषि श्रमिक धीरे-धीरे इससे जुड़े हैं और मजदूरी में वृद्धि से उन्हें काफी मदद मिली है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में श्रमिकों को मनरेगा के अंतर्गत 119 रुपये मिल रहे हैं।

छोटे किसान इस स्थिति में नहीं हैं कि वह इतनी राशि श्रमिकों को दे सकें और वे उनको अपने पास रखने में असमर्थ हैं। इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए सरकार मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को कृषि में लगाने पर विचार कर सकती है। उनके लिए छोटे किसानों के अंशदान के रूप में 50 रुपए मनरेगा के तहत तय की गयी राशि से अधिक दिए जाएं। इससे कृषि श्रमिकों और अन्य लोगों के कृषि क्षेत्र में लौटने का रास्ता साफ होगा और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गयी है।

यदि यह प्रस्ताव लागू किया जाता है:

(एक) छोटे किसान अपनी भू-धारिता को बचा सकते हैं और अपने खाद्य उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। निर्यात बढ़ाया जा सकता है और आयात पर्याप्त रूप से घटाया जा सकता है।

(दो) खाद्य उत्पादों की कमी और मूल्य में वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

(तीन) वाणिज्यिक और सम्पत्ति के व्यापार के लिए कृषि भूमि के अंतरण को रोका जा सकेगा। श्रमिकों को नियमित रूप से रोजगार मिल सकेगा। कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है।

हमारी सरकार ने देश में वेजिटेबल क्लस्टर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया है। मेरे तिरूनेलवेली जिले में फल और सब्जियां बड़ी मात्रा में पैदा की जाती हैं और देश के विभिन्न हिस्सों को भेजी जाती हैं। अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं के कारण किसानों को बहुत भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। किसानों के भंडारण सुविधाओं के अभाव को दूर करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय उद्यान मिशन और वेजिटेबल क्लस्टर के अधीन तिरूनेलवेली जिले में मेगा फूड पार्क की शीघ्र स्थापना और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा शीघ्र प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

पिछले कुछ वर्षों में कई बार भंडागारों में अपर्याप्त भंडारण सुविधा के कारण गेहूं, दाल की बड़ी मात्रा में सड़ने की घटनाएं हुई हैं और राजकोष को भारी नुकसान हुआ है। भंडारण की समस्या को दूर करने के लिए निजी कंपनियां सरकारी एजेंसियों को सहायता देने के लिए 15% की सरकारी राजसहायता के साथ सामने आ रही हैं। वे जायलो परियोजनाओं की स्थापना के लिए राजसहायता बढ़ाने की मांग कर रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे उनकी सही मांग पर विचार करें और उन्हें दी जा रही राजसहायता में वृद्धि करें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अपने वेतन में बढ़ोत्तरी की मांग लंबे समय से लंबित है और यह एक वाजिब मांग है। सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के वेतन को दुगुना करने के कदम से उनके जीवन-यापन के स्तर में सुधार आएगा।

हमारी सरकार ने ऋण के बोझ से दबे बुनकरों के लिए एक विशेष 3,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है। वस्त्र क्षेत्र सर्वाधिक बड़ा उद्योग क्षेत्र है जो कृषि के बाद देश में सबसे अधिक रोजगार अवसर प्रदान करता है और विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रमुख स्त्रोत है। तथापि पिछले कुछ वर्षों में किसानों की तरह बुनकर भी विपत्ति में है। वर्तमान में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के 3,400 करोड़ रुपए उनके ऊपर कर्ज है। प्रस्तावित राहत पैकेज से देश में 3 लाख बुनकरों को लाभ होने की उम्मीद है।

रक्षा बजट में 12 प्रतिशत की वृद्धि एक स्वागत योग्य कदम है। सशस्त्र सेना में कार्मिकों की बड़ी कमी है और उनकी बड़ी संख्या तनाव में है। वे अधिक ऊंचाई वाले स्थलों पर और अपने परिवार को अकेला छोड़कर उनसे बहुत दूर रहते हैं। निचले स्तर के सैन्य कर्मियों की बात बहुधा नहीं सुनी जाती है और कई अवसरों पर उनका उत्पीड़न किया जाता है। जो अधिक ऊंचाई वाले स्थलों पर नियुक्त होते हैं उन्हें अच्छा यूनिफॉर्म, गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ, बचाव सामग्री, समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं, उनकी इच्छानुसार छुट्टी आदि सुविधाएं नहीं मिलती हैं। यह उनमें हताशा पैदा करती है और आत्महत्या के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसलिए महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि सशस्त्र सेनाओं में कार्मिकों की संख्या बढ़ायी जाए और उनकी उचित शिकायतों पर गौर किया जाए।

मेट्रो रेल परियोजनाओं में, दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना अधिक लोकप्रिय और सफल रही है और इसका काफी विस्तार हुआ है।

इस परियोजना की आम जनता तथा विदेशों से आने वाले गणमान्य व्यक्तियों द्वारा व्यापक रूप से स्वागत व प्रशंसा की गयी है। तथापि, मुम्बई, बंगलौर, कोलकाता और चेनई में निर्माणाधीन मेट्रो का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। इन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध धनराशि पर्याप्त नहीं है और उनके कार्य में तेजी लाने के लिए और अधिक राशि उपलब्ध करानी होगी।

देश में ब्रॉडबैंड कनैक्टिविटी का उपयोग वैश्विक औसत की तुलना में काफी कम है और कई परिवार ब्रॉडबैंड का उपयोग करने की हैसियत में नहीं हैं। साथ ही, देश में बड़ी संख्या में गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा नहीं गया है। हमारी सरकार का तीन वर्ष के अंदर सभी पंचायतों में ग्रामीण ब्रॉडबैंड सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास एक स्वागत योग्य कदम है। इसके अतिरिक्त घरेलू उपयोग के लिए ब्रॉडबैंड का शुल्क काफी कम कर दिया जाना चाहिए ताकि आम लोग इसका खर्च उठा सकें।

खेल क्षेत्र के लिए आवंटन बहुत कम है अर्थात् पिछले वर्ष के कोटे का एक तिहाई है। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल विकास निधि के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है। युवा और उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। उनके प्रशिक्षण के लिए निधियों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ही वे विदेशों में अपने प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्द्धा कर पाएंगे और वे इतना आत्मविश्वास अर्जित कर पाएंगे कि देश उन पर गर्व कर सके।

न्यायपालिका के लिए आवंटन को दुगुना करना स्वागत योग्य है। न्याय में देरी न्याय नहीं मिलने के बराबर है। ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाने और उसे संचालित किए जाने के लिए राज्य सरकारों को हर संभव सहायता दी जानी चाहिए। गरीबों को मुफ्त में कानूनी सहायता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। देश के सभी हिस्सों में परिवार न्यायालय स्थापित किया जाना चाहिए और मुफ्त परामर्श के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि परिवार संबंधी विवादों को कम किया जा सके और एक शान्तिपूर्ण समाधान पर पहुंचा जा सके। न्यायपालिका के सभी रिक्त पदों को भरे जाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए और न्याय सुपुर्दगी प्रणाली में तेजी लायी जानी चाहिए।

हाईब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के विनिर्माताओं को सीमा-शुल्क में कमी कर राहत दिए जाने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा और पेट्रोल/डीजल पर निर्भरता में कमी आएगी। हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक गाड़ियों से संबंधित प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने के लिए वैकल्पिक ईंधन आधारित गाड़ियों के विनिर्माण और बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।

हमारी वर्तमान कर प्रणाली में सुधार लाने के लिए, हमारी सरकार ने 1 अप्रैल 2012 से प्रत्यक्ष कर संहिता लागू करने का प्रस्ताव किया है। प्रत्यक्ष कर संहिता वेतनभोगी वर्ग के लिए लाभदायक होगी। उन्हें पांच लाख रुपए तक की आय के लिए आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने 2011-12 में विनिवेश के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव किया है। घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रम राजकोष पर भार बने हुए हैं और उन्हें अधिक वित्त प्रदान कर पुर्नजीवित करने की आवश्यकता है। तथापि, विनिवेश के मामले में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में कर्मचारियों के हित का संरक्षण किया जाना चाहिए। उनकी छंटनी नहीं की जानी चाहिए और उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता पिछले कई वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी और इसके परिणामस्वरूप तेल कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है जो राजसहायता लक्षित लाभार्थियों के लिए है उसका बड़े पैमाने पर विपथन हो रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार मिट्टी के तेल, रसोई गैस और उर्वरक के लिए सीधे नकद राजसहायता हस्तांतरित करेगी जिसका अच्छा परिणाम आयेगा और राजसहायता बिल में भारी कमी आएगी तथा तेल कंपनियों की स्थिति में सुधार होगा।

सामान्य श्रेणी के लिए 20,000 रुपए की आय छूट में वृद्धि से वैयक्तिक करदाता इन दिनों मुद्रास्फीति की उच्च दर के बारे में बहुत कम विचार कर रहा है। वेतनभोगी तबके के लिए यह बड़ी निराशा की बात है। आय कर छूट सीमा को इस बजट में की गई घोषणा के अनुसार 1,80,000 के रुपए के बजाए 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख किया जाना चाहिए था।

देश में काले धन का भारी मात्रा में प्रसार बड़ी चिंता का विषय है और इसने हमारे आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। सरकार को देश में काले धन के प्रसार पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

हमारी सरकार ने उद्योगों को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया है। घरेलू कंपनियों पर अधिभार को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया है जो घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहित करेगा।

सांसद निधि को निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों में सुधार हेतु कम से कम 6 करोड़ अर्थात् प्रति विधान सभा क्षेत्र हेतु 1 करोड़ रुपए करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों पर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर): जनरल बजट 2011-12 के संबंध में निम्नांकित कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं:

1. बजट में काले धन को वापिस देश में लाने के लिए कोई ठोस योजना प्रस्तुत नहीं की गई है। काले धन को लेकर पूरे देश में एक जन आंदोलन सा हो रहा है। सरकार को पांच सूत्रीय कार्यक्रम बनाने के बजाय अतिशीघ्र काला धन वापिस देश में लाने का ठोस प्रयास बजट में उल्लेखित होना चाहिए क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो काला धन जमा कराने वाले लोगों द्वारा अन्य देशों की बैंकों से काला धन निकाल लिया जाएगा एवं देश के नागरिकों को पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं प्राप्त होगा।

2. 3जी स्पैक्ट्रम की नीलामी से सरकार को आय के रूप में काफी राशि प्राप्त हुई है लेकिन सांसद क्षेत्र विकास निधि योजना, जो हाल ही के माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार देश के आधारभूत संरचना निर्मित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ऐसी योजना की राशि नहीं बढ़ाना देश के आधारभूत संरचना की अनदेखी करना है। अत: सांसद निधि की राशि संसद की स्थाई समिति की सिफारिश के अनुसार 10 करोड़ रुपये किया जावें।

3. 25 बैडेड से अधिक के अस्पताल से ईलाज कराने पर बजट में सर्विस टैक्स लगाना सरासर गलत है। वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाईजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत आई.एम.आर., एम.एम.आर., सी.एम.आर. जो किसी भी देश के स्वास्थ्य जांचने के महत्वपूर्ण घटक है, के क्षेत्रों में संसार के निम्नतम देशों में शुमार होता है। अत: इस सर्विस टैक्स को अविलंब वापस लेने की घोषणा की जावे।

4. महंगाई को कम करने के लिए बजट में कोई ठोस कार्ययोजना नहीं पेश किया गया है। आश्चर्य की बात तो तब है जब भारत सरकार ने महंगाई को रोकने के सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्रियों के एक दल के गठन की घोषणा की थी और गुजरात के मुख्यमंत्री उस दल के अध्यक्ष थे और सभी दलों के मुख्यमंत्री उसमें सदस्य थे पूर्ण जांच पड़ताल के पश्चात वायदा कारोबार को बंद करने की उस कार्य दल द्वारा सिफारिश की गई है। अत: वित्त मंत्री को अविलंब प्रभाव से खाद्य पदार्थों के लिए वायदा कारोबार को बंद करना चाहिए।

5. आयकर छूट में महिलाओं के लिए पृथक से आयकर स्लैब हुआ करता था जो इस बजट में नदारद है। महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का शताब्दी वर्ष मना रही है और भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा महिलाओं के आयकर स्लैब को खत्म करना महिलाओं के साथ क्रूरतापूर्वक मजाक है। अत: महिलाओं के लिए आयकर छूट में बढ़ोत्तरी की जावे एवं स्लैब को पूर्व की भांति यथावत रखा जाये।

6. बेरोजगारी में भारत संकट की स्थिति से गुजर रहा है फिर भी बजट में युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए इस बजट में ठोस उपायों का अभाव है। इससे बेरोजगार युवा परेशान हैं और दिग्भ्रमित हैं। अत: सरकार को बेरोजगारी दूर करने के लिए किसी खास कार्ययोजना की घोषणा बजट में की जानी चाहिए।

7. देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या 40 प्रतिशत के आसपास है, लेकिन पूरे बजट में अन्य पिछड़ा वर्ग का जिक्र तक नहीं करना पूरे पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय है अत: पिछड़ा वर्ग के लिए भी किसी योजना की घोषणा की जानी चाहिए।

8. मेगा फूड पार्क बीकानेर (राज.) को आबंटित किया जावे क्योंकि बीकानेर फूड पार्क के लिए पात्रता रखता है।

सायं 6.00 बजे

श्री ओम प्रकाश यादव (सिवान): सभापति महोदया, सदन के नेता एवं वित्त मंत्री आदरणीय प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2011-12 के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदया, पिछले वर्षो में जब पूरा विश्व आर्थिक तंगी से तबाह हो रहा था तो इनकी आर्थिक नीति और दूरदर्शिता के कारण भारत की विकास दर 8 प्रतिशत के आसपास रही। मनरेगा यू.पी.ए. सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना से लाखों मजदूरों को उनके घर में और उनकी थाली में भोजन मिलता है। बजट में मजदूरों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया गया है, जिससे मूल्य वृद्धि के साथ उनकी मजदूरी में भी वृद्धि होगी, यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सभापति महोदया: सदन की अनुमति से बजट पर चर्चा साढ़े छः बजे तक बढ़ायी जाती है, उसके बाद शून्य काल लिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): महोदया, छः बज चुके हैं और बहस समाप्त हो चुकी है, यदि इसके पश्चात भी मौका दिया जाता है तो हमारे एक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उनको भी बोलने का मौका दिया जाए।...*(व्यवधान)*

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदया, हमने भी बजट भाषण पर बोलने के लिए अपना नाम दिया हुआ है, हमें भी अनुमति दी जाए।...*(व्यवधान)*

श्री वी. नारायणसामी: महोदया, मेरा निवेदन है कि साढ़े छः बजे तक बजट बहस समाप्त करके, जीरो ऑवर लिया जाए।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदया: जिन पार्टियों का समय समाप्त हो गया है, उन्हें मौका नहीं मिलेगा, केवल इन्डीपेंडेंट मैम्बर्स एवं अन्य को ही साढ़े छः बजे तक बोलने का समय दिया जाएगा। उसके बाद साढ़े छः बजे जीरो ऑवर लिया जाएगा। जिनकी स्पीच नहीं हुई है, वे माननीय सदस्य अपनी स्पीच ले कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): महोदया, मैं भी बोलना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आपको भी समय मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री ओम प्रकाश यादव: महोदया, बजट में आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय मे जो वृद्धि की गई है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं और वित्त मंत्री जी का तहेदिल से स्वागत करते हैं। चूंकि गरीब घर की महिलाएं इस कार्य को करती हैं और पहले उन्हें मात्र पन्द्रह सौ रुपए और फिर साढ़े सात सौ रुपए दिए जाते थे। इस बजट में तीन हजार रुपए और फिर पन्द्रह सौ रुपए बढ़ाया गया है, यह कदम स्वागत योग्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को इस वर्ष सदन में प्रस्तुत करने की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में रखी है। यह एक सराहनीय कदम है। वर्ष 2011-12 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। यह कुल योजना आवंटन का 36.4 प्रतिशत है। इससे सामाजिक क्षेत्र में विकास को तीव्र गति मिलेगी। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन को 24 प्रतिशत बढ़ाया गया है। यह कदम भी सराहनीय है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आवंटन को 20 प्रतिशत बढ़ाया गया है। मैं स्वास्थ्य के लिए यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में एक मॉडल अस्पताल का निर्माण करवाया जाए, ताकि सुदूर देहातों के लोग कहीं दूसरी जगह न जाकर अपने जिले में ही उचित चिकित्सा की व्यवस्था कर सकें।

महोदया, मैं बिहार राज्य से आता हूं। बिहार सूखा और बाढ़ से हमेशा जूझता रहता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि बिहार को विशेष पैकेज देकर, बिहार के गौरवमयी इतिहास को पुनः पदस्थापित किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***प्रो. रामशंकर** (आगरा): वर्ष 2011-12 का जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है इस बजट से जहां उनके एक लंबे अनुभव की चतुराई दिखाई देती है वहीं दूसरी ओर पूरे देश में बढ़ती हुई महंगाई से त्रस्त आम आदमी के लिए कोई भी रियायत न देना बाजीगर की तरह बाजीगरी करने के अलावा कुछ नहीं मिला है। पूरे देश में महंगाई की मार से देश की जनता इस बजट से अपने को राहत की आशा लगाए बैठी थी उसे निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला है। सेवाओं में जहां नाममात्र की आयकर छूट दी गई है। वहीं पीछे के रास्ते से नई सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगाकर मध्यम वर्ग को निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला है।

कृषि के क्षेत्र में जहां कर्ज का लक्ष्य बढ़ा दिया हो वहीं दूसरी ओर समय पर भुगतान करने की शर्त पर ब्याज पर छूट देने की जो नाटकीय घोषणा हुई है वह व्यवहारिक रूप से किसानों को और संकट में डालने वाला सिद्ध होगा। देश के सीधे-सादे किसानों को वित्त मंत्री जी ने आंकड़ों के मकड़ जाल में उलझाने के अलावा कोई छूट नहीं दी है। किसानों के सामने एक तरफ प्राकृतिक चुनौती है तो दूसरी ओर किसान विरोधी सरकार की नीतियां हैं जिसके कारण किसान को खाद्य, बीज, डीजल, पेट्रोल का समय पर न मिलना। इसके अलावा खाद्य, बीज कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

वित्त मंत्री जी व्यापार के क्षेत्र में ब्रांडेड गहने, चांदी द्वारा आम गरीब की शोभा के रूप में छोटे-छोटे गहनें, रेडीमेड वस्त्र, अस्पतालों में इलाज, सीमेंट के महंगा होने से आम आदमी बुरी तरह प्रभावित होगा। आगरा व मथुरा में चांदी से छोटे-छोटे गहने बनाने का काम लाखों परिवार में होता है। ब्रांडेड होने के कारण

एक्साईज ड्यूटी बढ़ाने से चांदी उद्योग से जुड़े सभी कारीगर चिंतित हैं तथा आगरा में लाखों गरीब परिवार प्रभावित होंगे। व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ेगा।

माननीय वित्त मंत्री जी ने काले धन पर जो पांच सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है इसमें कालाधन पर कोई ठोस पहल नहीं की है और ना ही इससे कोई निजात पाने की कोई उम्मीद दिखाई देती है।

पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों से देश की जनता परेशान है। गैस के सिलेंडर की जो कीमत बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है उससे पूरा देश चिंतित है। महंगाई को ना रोक पाने में यह सरकार पूरी तरह विफल सिद्ध हुई है। गरीब, मजदूर एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए कोई राहत इस बजट में नहीं दिखाई देती है। मिलावटखोरी कालाबाजारी और भ्रष्टाचार से पूरा देश आक्रोशित हो रहा है और इस भ्रष्टाचार के सवाल पर वित्त मंत्री ने मंत्रियों के गठन पर विचार करने की बात कहकर मानों भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है।

होशियार बजट मंत्री ने सीधे-सादे और गरीब जनता को झुनझुना पकड़ाने में भी संकोच नहीं किया और मिट्टी के तेल, खाना पकाने और गैस और सब्सिडी को अगले साल मार्च पर छोड़ दिया है। हमारे लोक सभा क्षेत्र आगरा में आलू सर्वाधिक पैदा होता है किंतु समय पर बीज, पानी, खाद न मिलने से किसान परेशान है। क्या गरीब, किसान, मजदूर बीमार होगा तो क्या आई.सी.यू. , ए.सी. अस्पताल में नहीं जाएगा? यहां तक कि अस्पतालों में सर्विस टैक्स लगाकर गरीब लोगों के ईलाज को और महंगा कर उन्हें लाईलाज रहने पर मजबूर कर दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने भारत निर्माण के लिए बजट में कोई वृद्धि नहीं की है।

देश के युवा बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया है। जिससे रोजगार की आशा लगाए बैठे नौजवानों को निराशा ही हाथ लगी है। सांसद निधि को बढ़ाया जाए या समाप्त किया जाए।

महिलाओं के लिए इस बजट में आयकर छूट की सीमा को नहीं बढ़ाया गया है। इसे पूर्व की भांति रखा गया है।

इस देश का किसान भगवान है, अन्नदाता है। देश का किसान, गांव गली का नौजवान जितना मजबूत होगा देश उतना मजबूत होगा।

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश वर्ष 2011-12 का बजट कई मायनों में ऐतिहासिक महत्व का है। यू.पी.ए. सरकार के चिन्तन का केन्द्र हिन्दुस्तान का आम आदमी है और उसी आम आदमी के साथ खड़े रह कर उसकी परेशानियों के निदान की जमीनी और दीर्घकालीन सोच व संवेदना इस बजट में दिखाई देती है। वर्ष 2008 में देशभर के किसानों की बदहाली और परेशानी को देखते हुए यू.पी.ए. सरकार ने 72000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी का जो ऐतिहासिक कदम उठाया था, उससे खेती किसानी को तरक्की देने को मदद मिली और बदहाल किसानों को सहारा मिला। उसी समय हमने निवेदन किया था कि तमाम परेशानियों के बावजूद जो अन्नदाता किसान समय पर कर्ज अदायगी कर रहे हैं, उन्हें सरकार प्रोत्साहित करे।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में माननीय वित्त मंत्री जी को पुन: कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं कि समय पर कृषि ऋण अदायगी करने वाले किसानों के लिए छूट को बढ़ाते हुए तीन प्रतिशत ब्याज की छूट का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इससे कर्जों की अदायगी का सकारात्मक और स्वस्थ माहौल बनेगा, यह मेरी आशा है। इस बजट में दो हजार की आबादी वाले गांवों में बैंक की शाखाएं खोलने का निर्णय देश की बहुत बड़ी आबादी को साहूकारों व ब्याजखोरों के शिकंजे से मुक्त करेगा, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही साथ मनरेगा में मजदूरों को भुगतान में जो विलम्ब होता है, उसमें भी यह कदम निश्चित ही सहायक सिद्ध होगा।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, मेरा मत है कि कृषि की सेहत के लिए भविष्य में यह मील का पत्थर साबित होगा। इसमें मिट्टी की खराब होती सेहत, सूखे इलाके की फसलों और चारे पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का आवंटन बढ़ा कर 7860 करोड़ रुपए किया गया है व देश के पूर्वी हिस्से में हरित क्रांति के लिए 400 करोड़ रुपए व 60,000 दलहन ग्रामों के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार की कृषि विकास के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। ग्रामों में आर्थिक प्रगति के साथ निर्माण गतिविधियों में तेजी लाना भी इस बजट की मुख्य विशेषता है, जिससे गांवों का विकास चौतरफा होगा। ग्रामीण आवास निधि में 1000 करोड़ रुपए की अभिवृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। देश के किसानों और गांवों को आधुनिक भारत से जोड़ने के लिए देश भर की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को आने वाले तीन वर्षों में ग्रामीण ब्राडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ते हुए गांव-गांव में इंटरनेट की सुविधा दिया जाना आधुनिक भारत के साथ गांव के कदमताल का बहुत बेहतर प्रयास है। मैं एक किसान पुत्र होने के नाते इस बजट का कार्पोरेट क्षेत्र पर प्रभाव की बजाय ग्रामीण भारत और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा। भारत निर्माण योजना

के लिए दस हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन से अधोसंरचना मजबूत होगी और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार तथा तरक्की के नये अवसर बनेंगे। यू.पी.ए. सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उसी से ताल करता हुआ यह बजट भी है। इसमें इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, पेयजल की उपलब्धता के लिए समुचित राशि का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में यह भी कहना चाहता हूं कि गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों और सामान्य मध्यम वर्ग के लिए अत्यंत हितकारी निर्णय लेते हुए खाद, रसोई गैस और केरोसीन सब्सिडी की राशि नकद दिए जाने का जो प्रावधान इस बजट में है, वह व्यावहारिक कदम है, क्योंकि सरकार की तमाम सदेच्छाओं के बावजूद राज सहायता का बड़ा अंश पात्र गरीबों और आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता।

सभापति महोदया, नकद राशि देने से रसोई गैस और केरोसीन की कालाबाजारी करने वालों पर अंकुश लगेगा। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदया: श्री नारायण सिंह अमलाबे जी, बस समाप्त कीजिए।

श्री नारायण सिंह अमलाबे: सभापति मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

महोदया, वर्ष 2011-12 का वार्षिक बजट ग्रामीण भारत और नगरीय भारत के बीच संतुलन बनाते हुए जहां एक ओर देश के आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने का सार्थक प्रयास है वहीं यह बजट समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता की खाई को दूर करने वाला भी साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बजट की आलोचना करने वालों से मैं अनुरोध करूंगा कि वह गहराई से अध्ययन करें, तो पाएंगे कि बजट में विकास के हर पहलू पर इस मान्यता के साथ ध्यान दिया गया है कि 70 प्रतिशत ग्रामीण जनता के विकास के बिना बाकी आबादी की तरक्की अधूरी है। यह बजट पुनीत संकल्पों का ऐसा दस्तावेज है जो देश के वंचित तबके को प्रगति के समान अवसर देने की ईमानदार कोशिश है। देश के आम आदमी को केन्द्र में रखते हुए तैयार किए गए इस बजट के लिए मैं यू.पी.ए. की मार्गदर्शक और चेयरपर्सन माननीय सोनिया जी, माननीय संवेदनशील प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी और उदारमान वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी साहब को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

***श्री कमल किशोर 'कमांडो'** (बहराइच): मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। यह बहुत ही जनोपयोगी तथा विकासोन्मुखी बजट है। खासतौर से इस बजट में गरीबों के लिए अनेक कल्याणकारी प्रावधान किया गया है। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बहराइच अत्यंत पिछड़ा है। इस इलाके में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आती है जिससे बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में ब्रॉड गैज न होने से इस क्षेत्र का जुड़ाव देश के अन्य भागों से सीधा नहीं है। इस इलाके के लोग गरीब, अशिक्षित तथा सामाजिक दृष्टिकोण से काफी पिछड़े हैं। अत: आपसे अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में निम्न विकास कार्यों के लिए धन की स्वीकृति देने की कृपा करें:

1 बहराइच से नानपारा होते हुए नेपालगंज रोड़ तक के रेल मार्ग का आमान परिवर्तन करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में धन आवंटित करने की कृपा करें।

2. गोण्डा से बहराइच तक का आमान परिवर्तन कार्य प्रगति पर है, इसके लिए विशेष धन दे करके इस कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाए।

3. जरवल से बहराइच तक का रेल मार्ग निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य हुआ है। उक्त रेल लाइन के निर्माण के लिए धन आवंटित किया जाए।

4. बहराइच-रिसिया ओबरब्रिज हेतु धन दिया जाये।

5. गेरूआ नदी से होने वाले जल प्लावन को रोकने के लिए सरयू ड्रेनेज खण्ड प्रथम बहराइच द्वारा एक परियोजना जनपद-बहराइच में गेरूआ नदी के बायें तट पर स्थित ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा हेतु परियोजना लागत हेतु 5385.62 लाख की तैयार की गई थी जो तकनीकी सलाहकार समिति की 168वीं बैठक दिनांक 7.12.2010 तथा स्थायी संचालन समिति की 40वीं बैठक दिनांक 3.1.2011 में स्वीकृत हो चुकी है। बहराइच में बाढ़ की समस्या को देखते हुए नेपाल की ओर से आने वाली नदियों के किनारे पक्के तटबंध बनाने तथा उक्त योजना के लिए धन की स्वीकृति दी जाये।

6. प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से पेयजल प्रदूषित हो जाता है। यहां के जल में आरसेनिकोसिस नामक हानिकारक तत्व अधिक मात्रा में विद्यमान है, इससे इस इलाके के लोगों को अनेक प्रकार की जल जनित बीमारियां होती हैं। अत: इस इलाके में कम से कम दो हजार

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इण्डिया मार्का-2 हैण्डपंप तथा पेयजल योजना (पानी की टंकी) का निर्माण करा कर शुद्ध पेयजल हेतु वित्तीय स्वीकृति दी जाए।

7. मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित जिला अस्पताल का उन्नयन करने हेतु धन की स्वीकृति दी जाए।

8. बहराइच अत्यंत पिछड़ा एवं अविकसित क्षेत्र है। यहां पर शिक्षा की अच्छी व्यवस्था न होने से इस क्षेत्र के युवा वर्ग को शिक्षा नहीं मिल पाती है। अत: जनपद बहराइच में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने हेतु धन दिया जाए।

9. जनपद बहराइच भारत-नेपाल का सीमावर्ती जिला है। इस इलाके में काफी गांव में विद्युत की सुविधा नहीं है। अत: जनपद बहराइच में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जिन गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है, उन गांवों में विद्युतीकरण कराने के लिए धन मुहैया कराया जाए।

10. जनपद बहराइच के विकास खण्ड नवाबगंज एवं विकासखण्ड मिहीपुरवा को बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत पक्की सड़क, पुल, बिजली, पेयजल, स्कूल, कॉलेज, चिकित्सा आदि की सुविधा हेतु धन उपलब्ध कराया जाए।

11. जनपद बहराइच के मेहिपुरवा ब्लॉक में एकलव्य कालेज की स्वीकृति भारत सरकार, ट्राइवल मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसे अविलंब धन आवंटित कराकर बनाया जाए। यह कालेज नेपाल बार्डर से कुछ दूरी पर है जहां थारू लोग निवास करते हैं।

12. पी.एम.जी.एस.वाई. योजना अंतर्गत स्वीकृति, सभी योजनाओं को अविलंब बनाने का कष्ट करें।

***श्री नारनभाई कछाड़िया** (अमरेली): इस बार वित्तीय बजट पेश किया गया उसमें गुजरात समेत अन्य राज्यों के किसानों के साथ सीधा रूखा व्यवहार किया है।

मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि हमारा देश जिसके नाम से प्रसिद्ध है, जिसने हमारे देश की शान को बनाए रखा है, जिस पर हमारे देश की तीन-चौथाई जनता को रोजी रोटी चलती है, उसी को नजरअंदाज किया जाना या बेदखल किया जाना यह देश के हित के विरुद्ध में है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यदि इस तरह से ऐसा चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि किसान धीरे-धीरे खेती को छोड़कर शहर की ओर पलायन करेंगे और जब शहर की ओर पलायन करेंगे तो देश में अनाज की उत्पादन क्षमता कम होगी और शहरों में भी गरीबी की स्थिति होगी और जब लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, जब देश में लोग भूखे मरेंगे तो उस समय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित होगा और उस समय सरकार का बजट का अधिकांश भाग अनाज को आयात करने में लगाना पड़ेगा।

मैं इस बजट का विरोध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार नीति जन विरोधी है, किसान विरोधी है। शायद सरकार यह नहीं चाहती कि हमारा देश निर्यातित देश बने। यही कारण है कि एन.डी.ए. की सरकार जाने के बाद हमारे देश में खाद्य भंडारण में भारी मात्रा में कमी आई है जिसका खामियाजा सारे देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है और महंगाई की आग में लोग जल रहे हैं। महोदया, जिस रफ्तार से चीनी, दाल एवं अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हो रही है उससे साफ साबित हो रहा है हमारे देश का उत्पादन यहां की जरूरत को पूरी कर नहीं पा रहा है। महोदया, देश में कृषि के विकास के लिए गंभीरता से सोचना होगा और जिस प्रकार रेलवे का बजट अलग से पेश किया जाता है ठीक उसी प्रकार कृषि के हर विभाग को ध्यान में रखकर कृषि के लिए अलग से बजट बनाना होगा तभी इसका विकास संभव है नहीं तो इस लिपापोती से काम नहीं चलने वाला है। महोदया, प्रत्येक वर्ष सरकार किसान के प्रति एक रूखा व्यवहार अपना रही है और बजट से किसानों में कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है और बदले में किसानों की वस्तुएं जैसे - यूरिया, किरोसीन, डीजल, पेट्रोल इत्यादि वस्तुएं दिन-प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। यानी सरकार की इस जनविरोधी, किसान विरोधी नीति से यह साफ स्पष्ट होता है कि हमारे छोटे-छोटे किसान भाईयों की भागीदारी को सरकार ने छीन लिया है और सरकार उन मंत्रालयों के पीछे ज्यादा धन आवंटित कर रही है जहां से वोट बैंक को सुरक्षित किया जा सके।

यदि हम शिक्षा की बात करें जिनके माध्यम से देश को आगे ले जाना है उसमें भी देश के विद्यार्थियों को निराशा की ही झलक दिखाई दे रही है। हमारे देश में पढ़ाई तो पहले से इतनी महंगी है और अब विद्यार्थियों को मिलने वाला कर्ज भी महंगी है। आज हमारे देश की शिक्षा पद्धति इतनी गिर गयी है कि जो बच्चा अपने 15 साल का बहुमूल्य समय पढ़ाई में देता है पर उसे एक किरानी क्लर्क की नौकरी तक नहीं मिलती है और आज जो बच्चों का फीस स्कूलों में निश्चित किया गया है वह इतना अधिक है कि

आम आदमी का बच्चा सामान्य निजी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं कर सकता और सरकार ने कभी आम आदमी के बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए कोई रियायत सब्सिडी सीधा-सीधा उन नन्हें बच्चों की शिक्षा में दी जाने वाली फीस पर क्यों नहीं देती है?

शिक्षा पद्धति में आज के जरूरत के अनुसार से तकनीकी शिक्षा अथवा हमारी जरूरत के अनुसार बदलाव की आवश्यकता है। हर विद्यार्थी को कम से कम एक वर्ष की तकनीकी शिक्षा अथवा मैनेजमेंट से जुड़ा प्रशिक्षण मुहैया कराया जाए।

***श्री रामसिंह राठवा** (छोटा उदयपुर): माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह आम आदमी का बजट नहीं है। मैं एक आदिवासी क्षेत्र से आता हूं और हमारे यहां आदिवासियों की बहुत सी समस्याएं हैं। हमारे संविधान में आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आर्टिकल 46 के तहत खास रियायतें दी गई हैं। हमारे फाउन्डिंग फादर्स इन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काफी चिंतित थे। लेकिन यू.पी.ए. सरकार ने इन पिछड़े वर्गों के बारे में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। यहां तक कि रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसेटलमेंट बिल, 2007 जो कि लोक सभा से पास हो चुका था। वह अब लेप्स हो चुका है और आपकी सरकार ने उसको दुबारा लाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया है। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी ट्राइबल कम्यूनिटी की शिक्षा, स्वास्थ्य और निवास नि:शुल्क देने का प्रावधान इस बजट में करें।

भारत की कुल आबादी में लगभग आठ करोड़ 82 लाख (8.2 फीसदी) आदिवासी हैं जिनके सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य व मानव विकास से संबंधित तमाम सूचक बेहद ही चिंताजनक हैं।

सरकार ने आदिवासी समुदायों के सवालों पर अनदेखी किया है। आदिवासी का अर्थ है मूल निवासी। राष्ट्रपिता बापू ने आदिवासियों को गिरिजन कहकर संबोधित किया था। वन अधिकार कानून का लाभ अब भी देश के वनवासियों को नहीं मिल पा रहा है। कानून बने चारसाल होने को हैं फिर भी मूल निवासी आदिवासी आज जमीन की तलाश में दर-दर भटक रहा है। आज वनवासी अपने ही घर में बेगाने बन गए हैं। आज आदिवासियों का चौतरफा दोहन हो रहा है। इनका जल, जंगल, और जमीन को लेकर शोषण किया जा रहा है। देश में जबरन धर्म परिवर्तन के शिकार आदिवासी बन रहे हैं। वनाधिकार कानून 2006 में साफ लिखा है कि अनुसूचित जनजाति के जो परिवार 13 दिसम्बर, 2005 से पहले तक जिस जमीन पर खेती करते रहे हैं या रहते आ रहे हैं उस भूमि का उन्हें पट्टा दिया जाएगा। लेकिन ऐसे परिवारों से इसके दस्तावेजी सबूत मांगे जा रहे हैं जो ज्यादातर के पास नहीं हैं। सरकार ने भी ऐसे सबूत उन्हें मुहैया नहीं कराए हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सरकार की नौकरशाही व उनकी मशीनरी ने कानूनी नुक्तों का ऐसा पच्चड़ हर कहीं फंसाया कि आदिवासियों को न तो भूमि अधिकार हासिल हुए और न सामुदायिक वनाधिकार ही अमल में आ सके।

जनजातीय कार्यालय का गठन सन् 1999 में हुआ। इस मंत्रालय को अब लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं। संविधान 46 के अंतर्गत आदिवासी और अनुसूचित जनजातियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इस संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए हर प्रकार की सुविधा देना और उनकी सुरक्षा में वृद्धि करना अनुच्छेद 5 और 6 में मुख्य प्रावधान किया गया है। माननीय इस सबके पश्चात सरकार आदिवासियों की सुविधा और रक्षा के लिए अभी तक कोई भी दृढ़ कदम नहीं उठा पाई है। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं।

[हिन्दी]

14वीं लोक सभा में सरकार ने कई विधेयक लोकसभा में पेश किए जिसमें आदिवासियों को कई प्रकार की सुविधाएं देने का प्रावधान था। कुछ के नाम इस प्रकार हैं:

[अनुवाद]

1. प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2008
2. पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2007
3. भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007
4. संविधान छठीं अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2007
5. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (पद और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2008

[हिन्दी]

14वीं लोक सभा के भंग हो जाने से ये 5 विधेयक लेप्स हो गए और अभी तक दुबारा लोक सभा में पेश नहीं किए गए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगर सरकार आदिवासियों की भलाई के लिए गंभीर है तो ये पांचों विधेयक लोक सभा में जितना जल्दी हो सके पास कराएं।

सन् 2004 में एन.डी.ए. ने नेशनल ट्राइबल पॉलिसी का गठन किया लेकिन इस पॉलिसी को सरकार की मान्यता नहीं मिल पाई। सन् 2006 में नेशनल ट्राइबल पॉलिसी को दुबारा ड्राफ्ट किया गया। इस ड्राफ्ट पॉलिसी को केबिनेट को भेजा गया और केबिनेट ने इस पॉलिसी को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को सौंप दिया। अभी इसकी क्या स्थिति है यह कहना मुश्किल है। इस पॉलिसी का स्वागत है। लेकिन

जानकारों के अनुसार इसमें कोई भी ऐक्सन प्वाइंट नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पॉलिसी डाकूमेंट को जनजातीय कार्य संबंधी स्थायी समिति के सामने रखें ताकि इस पर विस्तार से चर्चा हो सके।

4 नवम्बर, 2009 को राज्य जनजातीय कार्य मंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने आदिवासियों की सुरक्षा के लिए राज्यों से निवेदन किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नक्सलवाद और माओवादियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का जिक्र भी किया था। नक्सलवाद और माओवादियों के अतिरिक्त इस देश में कुछ बाहर के देशों की कुछ संस्थाएं जनजातीय क्षेत्र में काम कर रही है इनके नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल सरवाइवल इंटरनेशनल और एक्शन एड हैं। यह संस्थाएं आदिवासियों के क्षेत्र में कोई भी विकास का कार्य नहीं होने देते जिससे आदिवासी पिछड़े के पिछड़े रह जाते हैं। यह बाहर की संस्थाएं गैर-कानूनी ढंग से अपना कार्य करती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह इन तीन संस्थाओं का पूरा ब्यौरा गृह और वित्त मंत्री जी से मांगे ताकि यह पता चल सके कि सरकार ने इन संस्थाओं को सुरक्षा संबंधी स्वीकृति दी है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जाए कि क्या ये संस्थाएं हमारे देश में पंजीकृत हैं या नहीं। कुछ समय पहले दांतेवाड़ा में माओवादियों द्वारा हमारे सुरक्षा कर्मचारियों पर हमले के बाद इन संस्थाओं का ब्यौरा लेना बहुत आवश्यक हो गया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान पिछले 40 वर्षों से एच आरडी मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रही है। यह संस्था जनजातीय भाषाओं की शिक्षा शिक्षकों को दे रही है। इसमें कुछ खास सुधार नहीं हो पा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह संस्था जनजातीय कार्य मंत्रालय को सौंप दी जाए इससे जनजातीय कार्य मंत्रालय गंभीरता से आदिवासी शिक्षकों को जनजातीय भाषा में प्रशिक्षण दे सके।

अंत में मैं इन शब्दों के साथ अपने विचार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

यदि आप मोटरवाहन चलाते हैं तो मैं सड़क पर कर लगा दूंगा।

यदि आप बैठने की कोशिश करते हैं तो मैं सीट पर कर लगा दूंगा।

यदि आपको ज्यादा ठंड लगती है तो मैं गर्मी पर कर लगा दूंगा।

यदि आप टहलते हैं, तो मैं आपके पैरों पर कर लगा दूंगा।

[हिन्दी]

***श्री वीरेन्द्र कश्यप** (शिमला): मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2011-12 के बजट पर अपने विचार व्यक्त करता हूं। हालांकि बजट में जिस प्रकार से आंकड़ों का जाल बिछाया गया है और आम आदमी को उसमें उलझाने का प्रयास किया गया है, उसके कारण बजट की दिशा और दशा ही बदल गई है। हालांकि हमारे वित्त मंत्री एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होने के साथ-साथ एक कुशल प्रशासक भी हैं, परंतु देश के लोगों को उनसे इस वर्ष बजट में जो उम्मीद थी कि इस वर्ष का उनके द्वारा प्रस्तुत बजट अवश्य ही आम आदमी के लिए होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ।

आज देश में भ्रष्टाचार जिस प्रकार से दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है और भ्रष्टाचार के कारण जितनी अधिक मात्रा में काला धन, देश और विदेशों में संग्रहित हुआ है, उसके आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन जब से इस बारे में मीडिया में आंकड़े आए हैं, वे एक भयावह स्थिति को उजागर करते हैं, जिसके कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इस काले धन को बाहर जाने से रोकने के लिए जो कदम इस बजट में उठाए जाने चाहिए थे वे नहीं उठाए गए हैं। ऐसा लगता है कि मौजूदा यू.पी.ए.-टू सरकार काले धन को देश में बढ़ाने से रोकने की भारत का जो धन छुपाकर विदेशों में ले जाया गया है, उसे देश में लाने के लिए कतई गंभीर नहीं है।

देश में आम आदमी व कर्मचारियों को इस बार इन्कम टैक्स की छूट में वृद्धि का भी काफी इंतजार था, परंतु मात्र 20 हजार रुपये की छूट देकर वित्त मंत्री जी ने आम आदमी और सरकारी कर्मचारियों को निराश किया है। आयकर की छूट की सीमा कम से कम 2 लाख रुपये रखनी चाहिए थी, क्योंकि इतनी तो महंगाई और मुद्रास्फीति बढ़ गई है। इस मद में वित्त मंत्री जी ने आम लोगों और विशेष रूप से कर्मचारियों को कोई राहत नहीं दी है। महिलाओं को भी आयकर में ज्यादा छूट की उम्मीद थी, लेकिन वे भी निराश हुई हैं।

आने वाले दिनों में, मौजूदा बजट से अवश्य ही महंगाई बढ़ेगी और रसोई गैस आदि के लिए आम लोगों को परेशान होना पड़ेगा। बजट में बहुत सी मदों पर सर्विस टैक्स लगाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने पर सर्विस टैक्स लगाया गया है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हिन्दुस्तान

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

में मध्यम और गरीब वर्ग के लोग भी अपना इलाज निजी अस्पतालों में कराते हैं, क्योंकि यह सुविधा हमारे सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण, किसान व मध्यम वर्ग के लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कराना पड़ता है, परंतु निजी अस्पतालों में इलाज कराने पर वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित सर्विस टैक्स के अनुसार जहां एक ओर इलाज महंगा पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को इस सुविधा से वंचित रहना पड़ सकता है, जो उनकी मौत का कारण बनेगा।

सरकार ने देश के भीतर हवाई सफर में 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक सर्विस टैक्स के इलाफे का प्रस्ताव किया है। वहीं इकनौमी क्लास से विदेश का सफर करने पर 250 से 750 रुपये तक सर्विस टैक्स बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव है। इससे आम लोगों को सस्ते हवाई सफर पर जाना और कठिन हो जाएगा।

देश में प्रति दिन हजारों लाखों मकानों का क्रय-विक्रय और रजिस्ट्री की जाती है जिससे लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का काला धन पैदा हो रहा है। इसे रोकने का सरकार ने अब तक कोई इंतजाम नहीं किया है।

[अनुवाद]

विशेष घटक योजना और जनजातीय उप योजना

लक्षित तरीके से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करके उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए क्रमशः 1980 और 1974 में विशेष घटक योजना या कहें अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय उप-योजना नीति के अनुसार यह कम से कम उनकी आबादी की प्रतिशतता के अनुरूप योजना बजट का आवंटन है। लेकिन इसके गठित किए जाने से लेकर अब तक खराब स्थिति रही है। सरकार योजना बजट बनाते समय विशेष घटक योजना (एस.सी.पी.) और जनजातीय उप-योजना (टी.एस.पी.) के मार्ग-निर्देशों की अनदेखी करती रही है और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इसे संस्थागत रूप से देने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यह आवंटन अनुसूचित जाति हेतु 16.2% और अनुसूचित जनजाति हेतु 8.2% के अपेक्षित स्तर से काफी कम रहा है। इस वर्ष भी एस.सी.पी. के अंतर्गत केन्द्रीय बजट 2011-12 में आवंटन 8.98% तथा टी. एस.पी. के अंतर्गत 5.11% है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु सरकार को क्रमशः 55121 करोड़ रुपए तथा 254.30 करोड़ रुपए आवंटित करने चाहिए थे। लेकिन सरकार ने अनुसूचित जातियों हेतु 30551 करोड़ रुपए तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु 17371 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

पुनः सी.पी. के अंतर्गत 104 विभागों में से केवल 24 विभागों ने आवंटन किया है और 26 विभागों ने टी.एस.पी. के अंतर्गत आवंटन किया है। बुनियादी ढांचा, उद्योग, खान, कोयला, इस्पात, परमाणु ऊर्जा आदि व्यापक तौर पर आर्थिक विकास से जुड़े हुए क्षेत्र इससे बाहर रह जाते हैं।

इंदिरा आवास योजना में परेशानी उत्पन्न करने वाले कुछ कारकों में एक उसके लिए आवंटन 6000 करोड़ रुपए से घटाकर 3530 करोड़ रुपए करना है। सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय ने ऋण सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन घटाकर 80 करोड़ रुपए कर दिये हैं और केवल 6 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं। इसी तरह युवा कार्य मंत्रालय ने एस.सी.पी. संबंधी अपने बजट को 32% तक घटा दिया है।

मैं यह सुनिश्चित करने के लिए आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह अपील करता हूं कि

1. एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के अंतर्गत आवंटन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी प्रतिशतता के अनुरूप होना चाहिए।
2. ऊर्जा, विद्युत, सड़क और पुल, कोयला, पेट्रोलियम, खान, उद्योग आदि सहित सभी विभागों को एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के अंतर्गत आवंटन करना चाहिए।
3. स्पष्ट योजनाएं और कार्यक्रम जिनका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु उपयोगिता महत्व है, उनमें एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के अंतर्गत नयापन लाने की आवश्यकता है।

एक बार फिर संप्रग ने वर्ष 2011-12 के कुल बजट में से (अर्थात 1257728.83 करोड़ रुपए में से) अनुसूचित जाति योजना हेतु 24,570 करोड़ रुपए तथा जनजाति उप-योजना में अनुसूचित जनजातियों हेतु 10,530 करोड़ रुपए देने से इंकार किया है।

आज प्रस्तुत किए गए बजट में योजनागत और गैर-योजनागत बजट में देश की कुल आबादी 24.4% हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों हेतु व्यय कुल बजट का केवल 4.03% है जो दर्शाता है कि संप्रग सरकार इस तबके के बारे में गंभीर नहीं है।

मैं आपका ध्यान कुछ स्कीमों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिनसे आवंटन घटाया गया है:

1. राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति में आवंटन 159 करोड़ रुपए से घटाकर 123 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

2. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना में आवंटन 388 करोड़ रुपए से घटाकर 97 करोड़ कर दिया गया है।

3. प्रतिरक्षण कार्यक्रम हेतु आवंटन 245 करोड़ रुपए से घटाकर 188 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

4. प्रौढ़ शिक्षा और दक्षता विकास योजनाओं हेतु 189 करोड़ रुपए से घटाकर 97 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

5. सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय ऋण सहायता कार्यक्रम को 86 करोड़ रुपए से घटाकर 6 करोड़ रुपए कर दिया है।

6. ग्रामीण विकास स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना हेतु 1492 करोड़ रुपए से घटाकर 845 करोड़ रुपए कर दिया है।

7. इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत राशि 6000 करोड़ रुपये से घटाकर 3530 करोड़ रुपये कर दी गई है।

8. नेहरु युवा केन्द्र संस्थान के अंतर्गत राशि घटाकर 57.40 करोड़ रुपये से 18.10 करोड़ रुपये कर दी गई है।

9. राष्ट्रीय युवा सेवा योजना के अंतर्गत राशि को 53.20 करोड़ रुपये से घटाकर 15.36 करोड़ रुपये कर दी गई है।

10. राष्ट्रीय युवा कोर के अंतर्गत राशि 36.58 करोड़ रुपये से घटाकर 9.40 करोड़ रुपये कर दी गई है।

11. राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राशि 15.58 करोड़ रुपये से घटाकर 4.05 करोड़ रुपये कर दी गई है।

12. समन्वित हथकरघा योजनाओं के अंतर्गत राशि घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई है। समन्वित बाल विकास योजनाओं के अंतर्गत राशि 2349 करोड़ रुपये से घटाकर 2300 करोड़ रुपये कर दी गई है।

[हिन्दी]

उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित कुछ योजनाओं में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बजट कम कर दिया गया है:

1. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में वर्ष 2010-11 में 1492 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। इस वर्ष केवल 845.06 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

2. ऋण सहायता कार्यक्रम में वर्ष गत वर्ष 86 करोड़ रुपये दिए गए थे और इस वर्ष केवल 6 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

3. ऊन की गुणवत्ता बढ़ाने एवं उसके विकास के लिए पूर्व की वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रावधान शून्य कर दिया गया है।

4. हथकरघा बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए गत वर्ष के बजट में 20.8 करोड़ रुपये रखे गए थे। इस वर्ष कम कर के केवल 20 करोड़ रुपये कर दिए गए हैं। इससे देश के लाखों बुनकरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

5. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के वर्ष 2011-12 के आयोजना व्यय को शून्य कर दिया गया है जबकि इसके लिए वर्ष 2010-11 में 142.44 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। (मांग संख्या 89 के अंतर्गत)

निम्नलिखित योजनाओं हेतु बजट शून्य कर दिया गया है-

दीन दयाल उपाध्याय विकलांग पुनर्वास स्कीम के अंतर्गत अंध, मंदबुद्धि एवं अस्थि विकलांग संस्थान तथा वृद्ध आश्रम, मद्य निषेध, नशीली दवाओं की रोकथाम आदि-आदि हेतु कार्यक्रम चलाए जाते थे, लेकिन इस वर्ष इन योजनाओं हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अत: मेरी मांग है कि इसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

एम.पी.लैड कोष को दो करोड़ से 10 करोड़ किया जाए।

हिमाचल प्रदेश के संबंध में

1. तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कारण हि.प्र. की विषम परिस्थितियां

[अनुवाद]

13वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति के संबंध में निम्नलिखित उन लक्ष्यों को मैं सामने रखना चाहता हूं जिसके कारण सामान्य तौर पर प्रदेश की वित्तीय स्थिति विसंगतिपूर्ण हो गई है। राज्य सरकार के ऊपर देयताओं के बोझ ने राज्य की वित्तीय स्थिति को वास्तव में बहुत खतरनाक बना दिया है। इस स्थिति में हम अपने 2011-12 की वार्षिक योजना के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। राज्य की वित्त संबंधी चिंताओं से संबंधित मुख्य मुद्दे निम्नलिखित हैं:

(क) 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों का राज्य के व्यय पर प्रतिकूल असर हुआ है क्योंकि आयोग ने 12वें वित्त आयोग की तुलना में इस वर्ष सभी राज्यों के मामले में कुल व्यय के 126 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की है जबकि हिमाचल प्रदेश के मामले में केवल 50% है जो देश में सबसे न्यूनतम है।

(ख) 13वें वित्त आयोग ने राज्य के परिव्यय को गैर-योजना मद में, विशेषकर वेतन, ब्याज और पेंशन के भुगतान संबंधी देयता को कम करके आंका है। केवल 2011-12 के लिए यह आकलन 1478 करोड़ रुपये कम है।

(ग) 13वें वित्त आयोग ने 2014-15 की अवधि के दौरान वेतन मद के परिव्यय में मात्र 2% की औसत वृद्धि का आश्वासन दिया है। आयोग ने सामान्य तौर पर प्रयुक्त कदम का सहारा लिया है और वेतन परिव्यय के संदर्भ में 'सब-एक-समान' (वन-साइज-फिट-ऑल) के सिद्धांत को अपनाया है तथा हमारे राज्य के लिए एक कठिन स्थिति पैदा कर दी है। वेतन मद में सलाना औसत 2% की वृद्धि सच्चाई में बहुत परे है क्योंकि चालू वर्ष के लिए महंगाई भत्ता की स्थिति ही 18% है और आने वाले वर्षों में प्रतिवर्ष इनमें 10% वृद्धि होने की संभावना है।

(घ) 13वें वित्त आयोग की सिफारिश का उद्देश्य राज्य सरकार के वित्तीय घाटे को 2010-11 में जी.एस.डी.बी. का 3.5 प्रतिशत रखने का है और वाद की अवधि में 2014-15 तक इसे 3% रखने का लक्ष्य है। 13वें वित्त आयोग ने राज्य विशिष्ट अनुदानों को जारी किए जाने को राज्यों द्वारा उनके वित्तीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने में जोड़ दिया गया है।

उपर्युक्त मामले को ध्यान में रखते हुए राज्य के मुख्य मंत्री, प्रो. पी.के. धूमल ने लगातार इस विषय को माननीय प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री के समक्ष भी रखा है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं निम्नलिखित मांगों के संबंध में हमारे विषय पर विचार करें:

1. चालू वित्त वर्ष में 1500 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता,

2. वर्ष 2011-12 के लिए हमारे राज्य की विशेष योजना सहायता को कम से कम 1500 करोड़ रुपये बढ़ाया जाए ताकि हम बड़ी योजना शुरू कर सकें।

3. हिमाचल प्रदेश के लिए 13वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई राज्य विशिष्ट अनुदान वित्तीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने संबंधी शर्त से जोड़े बिना जारी किये जाएं।

मुझे पूर्ण विश्वास है और तत्काल जैसा कि ऊपर मांग की गई है, तत्काल और आवश्यक कार्रवाई करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा जिससे कि राज्य के विकास के मामले में कोई वित्तीय संकट न पैदा हो।

[हिन्दी]

2. नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को दिए गए स्पेशल इंसेंटिव पैकेज को न केवल वर्ष 2013 तक, बल्कि वर्ष 2020 तक जारी रखने के संबंध में -

जैसा कि आपको विदित ही है, हिमाचल प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां अत्यंत ही न्यून हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हिमाचल की ऊंची एवं कठिन पहाड़ियों में बसा एक पहाड़ी प्रदेश है। पहाड़ी तथा औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में औद्योगिक विकास की गति को तीव्रता प्रदान करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने 7 जनवरी, 2003 को हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में नए उद्योगों की स्थापना पर तथा पूर्व स्थापित उद्योगों के सारभूत विस्तार पर विशेष औद्योगिक पैकेज दिए जाने की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत पात्र उद्योगों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन तथा उनकी समयावधि का विवरण इस प्रकार है:

(क) केन्द्रीय निवेश उपदान - प्लांट तथा मशीनरी पर 15 प्रतिशत केन्द्रीय निवेश उपदान (सब्सिडी) जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई 30 लाख रुपये है। यह प्रोत्साहन 6 जनवरी, 2013 तक उत्पादन में आने वाले पात्र उद्योगों को उपलब्ध है।

(ख) आयकर में छूट - 5 वर्ष तक आयकर में शत-प्रतिशत छूट, तदुपरांत आगामी 5 वर्ष के लिए कंपनियों को 30 प्रतिशत और अन्य को 25 प्रतिशत की छूट। यह प्रोत्साहन दिनांक 31 मार्च, 2012 तक उत्पादन में आने वाले पात्र उद्योगों को उपलब्ध है।

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी) में 10 वर्ष तक शत-प्रतिशत छूट। यह प्रोत्साहन 31 मार्च, 2010 तक उत्पादन में आने वाले पात्र उद्योगों को उपलब्ध है।

पैकेज का प्रभाव तथा इसे पुन:स्थापित करने का औचित्य-

दिनांक 7 जनवरी, 2003 को दिए गए पैकेज से दिनांक 30 नवम्बर, 2009 तक नए उद्योगों की स्थापना के 12,649 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें लगभग 40,130 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश तथा 4.56 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने थे, परंतु अभी तक केवल 6091 उद्योगों की ही स्थापना हो पाई है, जिनमें करीब 6231 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश तथा 79,639 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इनमें से मध्यम एवं बड़े दर्जे के अनुमोदित 995 उद्योगों में लगभग 29,234 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश तथा 1. 63 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रस्ताव हैं। इनमें से अभी तक केवल 238 उद्योग ही स्थापित हो सके हैं, जिनमें 3253 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ है तथा 20,111 लोगों को रोजगार मिला है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि जहां उद्योग जगत इस पैकेज के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में पूंजी निवेश हेतु अत्यंत उत्साहित है। वास्तविक स्थिति यह है कि जो उद्योग अब तक लग पाए हैं उनकी संख्या अधिक नहीं है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन की अवधि में बदलाव लाने से पूंजी निवेशकों के मन में अस्थिरता की भावना पैदा हो गई है। इसलिए वे प्रदेश में उद्योग लगाने से मुंह मोड़ने लगे हैं। अत: यह नितांत आवश्यक है कि केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक पैकेज की अवधि वर्ष 2020 तक करे। और यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में यह संभव न हो सके, तो कम से कम पूर्वोत्तर राज्यों की तरह औद्योगिक पैकेज की अवधि हिमाचल प्रदेश के लिए कम से कम वर्ष 2017 नियत करे, ताकि इस अवधि में हिमाचल प्रदेश में लगने वाले उद्योगों को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित वित्तीय सहायता 15 प्रतिशत केन्द्रीय निवेश सब्सिडी, आयकर में छूट एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट प्राप्त हो सके।

हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के कारण आधारभूत ढ़ांचा विकसित करना कठिन -

हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है तथा यहां आधारभूत ढांचे को विकसित करना एक कठिन कार्य है तथा इसमें अधिक समय लगता है। अत: प्रारंभ में उद्योगों को स्थापित करने की गति संतोषजनक थी, परंतु प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा आधारभूत ढांचे को और विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर समुचित प्रयास और निवेश करना पड़ा। अब आधारभूत ढांचा काफी सीमा तक सुधार लिया गया है तथा प्रदेश अब और अधिक उद्योगों को स्थापित किए जाने, बिजली की आपूर्ति, सड़कों की सुविधा, भूमि की उपलब्धता तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम हो गया है तथा औद्योगीकरण हेतु अपेक्षाकृत उचित वातावरण काफी हद तक तैयार हो गया है। उद्योगों की जरूरत के अनुरूप ही स्थानीय वासियों को भी तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा रहा है, जिसमें समय लगना भी स्वाभाविक है, परंतु उत्पादन शुल्क की छूट को 2010 तक तथा आयकर में छूट को 31.03.2012 तक स्थापित होने वाले उद्योगों तक सीमित किए जाने के कारण निवेशकों का निवेश में रूझान कम हो गया है तथा कई निवेशकों ने अपने प्रस्तावित उद्योगों को स्थापित करने पर पुनर्विचार करना भी शुरू कर दिया है।

प्रदेश की मांग है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वर्ष 2020 तक दी जाए -

प्रदेश का मत है कि यदि उत्पाद शुल्क में छूट वर्ष 2020 तक स्थापित होने वाले उद्योगों को दी जाए, तो ऐसे बहुत से निवेशक हैं जिनके परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं और जो अब हिचकिचा रहे हैं, वे भी निवेश की ओर अग्रसर होंगे तथा इस समयावधि में और नए उद्योग प्रस्ताव भी प्राप्त होंगे, क्योंकि मध्यम एवं बड़े उद्योगों की स्थापना में लगभग 2 से 5 वर्ष तक का समय लग जाता है। अत: 31.03.2010 तक बाकी बचा समय बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त न होने के कारण और बड़े उद्योग नहीं लग पा रहे हैं।

उत्पाद शुल्क तथा आयकर छूट भी वर्ष 2020 तक लगने वाले उद्योगों को मिले -

यहां मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि अन्य वित्तीय प्रोत्साहन अर्थात् पूंजी निवेश पर केन्द्रीय उपदान तथा आयकर में 10 वर्ष की छूट भी तभी प्रासंगिक होगी जब उत्पाद शुल्क तथा आयकर में भी छूट वर्ष 2020 तक लगने वाले उद्योगों को मिले। अब तक अनुमोदित पूंजी निवेश तथा वास्तव में हुए पूंजी निवेश के अंतर को देखते हुए इस पैकेज के मूल उद्देश्य अर्थात प्रदेश में अधिक से अधिक पूंजी निवेश का समावेश और लोगों को रोजगार के अवसर तभी सार्थक होंगे, जब उत्पाद शुल्क तथा आयकर में छूट की समयावधि वर्ष 2020 तक बढ़ाई जाए।

जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों को दिए गए पैकेज के अनुसार वहां 2017 तक लगने वाले उद्योगों को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं -

मैं सदन और देश को अवगत कराना चाहूंगा कि इस प्रकार का औद्योगिक पैकेज केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर तथा

उत्तर पूर्वी राज्यों को भी दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक पैकेज में किसी प्रकार की समय सीमा नहीं बांधी गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष 2017 तक लगने वाले सभी उद्योगों को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। मैं किसी भी प्रदेश को औद्योगिक पैकेज दिए जाने के विरोध में नहीं हूं, लेकिन जब जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों की ही तरह हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी कठिन परिस्थितियां हैं, हिमाचल प्रदेश को दिए गए पैकेज की अवधि को क्यों कम किया गया है?

हिमाचल प्रदेश आधारभूत ढांचे के विकास की दृष्टि सड़क, रेल एवं वायु यातायात के मामले केन्द्र सरकार पर आश्रित है। प्रचुर मात्रा में भूमि एवं विद्युत उपलब्धता के मामले में प्रदेश ने अपनी ओर से अच्छी प्रगति की है, लेकिन नेशनल हाइवे, रेल एवं एयरोड्रम के विकास के लिए केन्द्र सरकार पर निर्भरता होने के कारण इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अत्यंत धीमी गति से विकास हुआ है। रेल मंत्रालय ने तो विगत कई वर्षों के बजटों में हिमाचल प्रदेश की पूरी तरह से अनदेखी कर रखी है। इस वर्ष भी हिमाचल प्रदेश की घोर उपेक्षा की गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश के लोगों में बहुत आक्रोश है। इसलिए केन्द्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

3. हिमाचल प्रदेश को जलविद्युत परियोजनाओं से बनने वाली विद्युत पर 10 पैसे प्रति यूनिट का जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति प्रदान की जाए -

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश पर्वतीय एवं सीमावर्ती प्रान्त है। इसमें मुख्य रूप से जल विद्युत और वन सम्पदा ही मिनरल के रूप में उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं में पैदा होने वाली विद्युत पर 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति प्रदान करने का प्रकरण अनेक बार प्रदेश सरकार की ओर से प्रेषित किया गया है। इस संबंध में रंगराजन कमेटी ने भी हिमाचल प्रदेश को जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति दिए जाने की अनुशंसा की थी।

[अनुवाद]

4. इंदिरा आवास योजना -

मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मई, 2009 में गैर-सरकारी सदस्यों के मेरे संकल्प पर लोक सभा में चर्चा के दौरान, जो देश में पहाड़ी क्षेत्रों में शीघ्र विकास के लिए मानकों में बदलाव से संबंधित था, मैंने इंदिरा आवास योजना में राशि को बढ़ाने संबंधी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था जिसके तहत देश में बी.पी.एस. /आई.आर.डी.पी. परिवारों को एक कमरा के निर्माण के लिए 38,500 रुपये दिया जाता था। लोक सभा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के दौरान मेरे भाषण में सरकार पर इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने के लिए तथा पहाड़ी क्षेत्र के लिए 26% की अतिरिक्त राशि के लिए मैंने जोर दिया था। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण लागत तथा परिवहन पर अतिरिक्त खर्च होता है। इस संबंध में 2009-10 का बजट प्रस्तुत करते समय संप्रग सरकार ने उक्त राशि को 38,500 से बढ़ाकर 48,500 रुपया किया था और पहाड़ी क्षेत्र के लिए, 5500 रुपये अतिरिक्त इसमें जोड़ा था। यद्यपि यह वृद्धि बहुत अल्प थी।

वर्तमान परिदृश्य में सीमेंट की कीमत 300 रुपये प्रति बोरी हो गई है, और अन्य सामानों की कीमत भी उसी अनुपात में बढ़ गई है, जिसने बी.पी.एल. परिवारों को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि एक पक्का कमरा, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में 48,500 रुपये में नहीं बनाया जा सकता।

[हिन्दी]

पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन को समतल (लैवल) करने में अधिक व्यय होता है। इसी प्रकार वहां सड़कें कम होती हैं और निर्माण सामग्री अधिकांशत पिट्ठू पर लादकर या कुलियों द्वारा ढोकर निर्माण स्थल तक पहुंचाई जाती हैं। अत: निर्माण में अतिरिक्त धन का व्यय करना पड़ता है। अत: हिमाचल प्रदेश एवं अन्य पहाड़ी राज्यों में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मैदानी भागों की तुलना में कम से कम 25 प्रतिशत अधिक धनराशि दी जाए, ताकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपने मकान बनाने में राहत मिल सके।

[अनुवाद]

इस संबंध में मैं आपसे इस राशि को समतल क्षेत्र के लिए 1 लाख रुपये तथा पहाड़ी क्षेत्र के लिए 1.25 लाख रुपये करने का अनुरोध करता हूं जिससे इन बी.पी.एल. परिवारों को रहने के लिए पक्का घर उपलब्ध कराने में मदद कर सकें अन्यथा इन परिवारों पर यह एक बोझ ही रहेगा।

[हिन्दी]

5. हिमाचल प्रदेश के किसानों की फसलों तथा बागवानी की उपज की बंदरों एवं अन्य जंगली जानवरों से रक्षा करना नितांत आवश्यक -

मैं माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में गत कुछ वर्षों से बंदर एवं अन्य जंगली जानवरों की संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है और अब वह कंट्रोल

के बाहर हो गई है। प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद इनकी वृद्धि पर कोई कारगर पाबंदी नहीं लग पा रही है और बंदर एवं जंगली जानवरों के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। इस डर के कारण किसानों ने अपने खेतों में फसल बोना ही बंद कर दिया है। यह एक गंभीर एवं चिंतनीय स्थिति है।

जैसाकि आप जानते ही हैं, पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में किसानों के पास खेती योग्य जमीन बहुत कम है। एक ओर तो वहां किसानों के पास खेती और बागवानी योग्य जमीन कम है और दूसरी ओर जब वे फसल बोते हैं या बाग-बगीचे लगाते हैं तो उनकी खून-पसीने की मेहनत को बंदर एवं अन्य जंगली जानवर नष्ट कर देते हैं, इससे बदतर स्थिति किसी किसान के लिए और कोई नहीं हो सकती है। गत दिनों प्रदेश सरकार ने जब किसानों को अपनी फसलों व अन्य नुकसानों से बचने हेतु जंगली जानवरों को मारने की अनुमति दी, तो कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओज.) ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पी.आई.एल.) दायर कर इसे रुकवाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्य जीवों को नहीं मारा जा सकता है। इसके कारण हिमाचल प्रदेश में आज स्थिति यह बन गई है कि किसानों एवं बागवानों को दो समय की रोटी पैदा करना बहुत मुश्किल हो गया है। आने वाले दिनों में यह स्थिति और बदतर होने जा रही है, क्योंकि देश के अन्य किसानों की तरह समस्याओं के अंबार को देखकर वे खुदकुशी करने की सोच सकते हैं।

एक सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल 3243 पंचायतों में से लगभग 2300 पंचायतों में जंगली जानवरों का आतंक है। हर वर्ष वहां 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की फसलों का नुकसान किसानों को झेलना पड़ता है। यदि मैं अकेले बंदरों की बात करूं, तो वर्ष 2004 की बंदरों की गणना के अनुसार प्रदेश में इनकी संख्या लगभग 3.20 लाख हो गई है। फसलों को तबाह करने के अलावा इन जंगली जानवरों ने सैकड़ों लोगों को या तो अपना शिकार बना लिया है या उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया है। जंगली जानवरों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखकर केन्द्र सरकार को इस कानून को बदलने या इसमें संशोधन करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि -

(अ) मनरेगा के अंदर रखवाले नियुक्त किए जाएं -

महोदय, उपर्युक्त विषय में, मैंने कुछ सुझाव श्री जयराम रमेश, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली को दिए थे, जिनमें बंदरों पर लगे निर्यात को हटाने तथा बंदरों एवं अन्य जंगली जानवरों से किसानों की फसलों का प्रबंध 'महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पलॉयमेंट गारंटी स्कीम' के अंतर्गत स्थानीय किसानों के परिवारों से एक-एक परिवार को फसलों की रखवाली के लिए 'रखवाले' नियुक्त करने के संबंध में, दिए थे। इससे एक तरफ उनकी फसलों की रक्षा होगी और दूसरी तरफ गांवों के बेरोजगार गरीब किसानों को अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए साधन उपलब्ध हो जाएंगे। मैंने इस संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री से मामला उठाया था। उन्होंने मुझे इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने का आश्वासन दिया है। अत: मुझे पूर्ण विश्वास है कि केन्द्र सरकार इस ओर विशेष ध्यान देकर हिमाचल प्रदेश के लाखों किसानों व बागवानों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस निर्णय लेगी।

हिमाचल प्रदेश में जहां जंगलों को बचाया जा रहा है वहीं पर्यावरण की दृष्टि से बहुत से कानून लागू किए गए हैं। गर्मियों में अधिकांशत: आग लगने से जड़ी-बूटियां, जंगल व जीवन-जंतु जलकर राख हो जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए कोई ठोस तंत्र उपलब्ध नहीं है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि 'महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पलॉयमेंट गारंटी स्कीम' के अंतर्गत फायर वॉचर नियुक्त किए जाने की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि अरबों रुपये की वनसम्पदा को बर्बाद होने से रोका जा सके और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

6. हिमाचल प्रदेश के नौजवानों की सेना में कम भर्ती से उत्पन्न समस्या -

मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश से सबसे ज्यादा नौजवान सेनाओं में जाकर देश की रक्षा करने में अपना गौरव अनुभव करते हैं। विगत कुछ वर्षों तक हिमाचल प्रदेश से सेनाओं में जो भर्ती होती थी, उसमें कुछ वर्षों से जनसंख्या के आधार पर प्रदेशों में भर्ती किए जाने की प्रणाली के कारण नौजवान हिमाचल प्रदेश से कम भर्ती किए जा रहे हैं। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से अनेक बार भारत सरकार को अवगत कराया जा चुका है कि सेना में भर्ती का आधार जनसंख्या न रखा जाए, बल्कि बहादुरी का जज्बा माना जाए।

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी एवं छोटा प्रदेश है, लेकिन सेनाओं में सबसे ज्यादा भर्ती हिमाचल प्रदेश के नौजवानों की जाती रही थी, जो अब बंद कर दी है। यह भी उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान एवं चीन से अब तक हुए चार युद्धों में सबसे ज्यादा कुर्बानियां हिमाचल प्रदेश के नौजवानों ने दी हैं और अपने देश की सीमाओं पर आंच नहीं आने दी। यही कारण है कि प्रदेश की जनसंख्या का आकार छोटा होते हुए भी हिमाचल प्रदेश को सबसे विशिष्ट परमवीर चक्र, वीर चक्र एवं देश की रक्षा सेनाओं से संबंधित सर्वोच्च पदों से नवाजा गया है।

अत: मेरी आपके माध्यम से मांग है कि हिमाचल प्रदेश से पूर्व की भांति सेना में ज्यादा नौजवानों की भर्ती की जाए, ताकि प्रदेश के लोगों की देश पर न्यौछावर होने की भावना का सम्मान किया जा सके। यही नहीं, कारगिल युद्ध में चार परमवीर चक्रों में से दो हिमाचल प्रदेश के वीर सुपुत्रों को प्रदान किए गए हैं।

7. हिमाचल प्रदेश को केरोसीन तेल का कोटा बढ़ाया जाए -

जैसाकि आप जानती हैं हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एवं उत्तुंग हिमालय की श्रृंखलाओं में बसा अत्यंत कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और विषम परिस्थितियों वाला प्रदेश है जहां अधिकतर वन एवं पहाड़ हैं। यदि भारत सरकार वनों की रक्षा करना चाहती है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान करना चाहती है, तो न केवल हिमाचल प्रदेश अपितु सभी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रयोग हेतु मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाया जाए।

8. देश में स्वास्थ्य सेवाओं, मूलभूत ढांचा विकास एवं अन्य क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश का प्रथम स्थान, लेकिन यू.पी.ए. सरकार द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही है -

मैं आपके माध्यम से सदन और देश के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश का अधिकांश भूभाग भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत कठिन होने के बावजूद वहां के मुख्य मंत्री के अथक प्रयासों के कारण देश में आधारभूत ढांचे के विकास में, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में, महिला सशक्तिकरण आदि अनेक क्षेत्रों में प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है, लेकिन केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार उसकी प्रगति एवं उसके द्वारा किए गए कार्यों की अनदेखी कर रही है और हिमाचल प्रदेश के साथ वर्तमान केन्द्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है।

9. वनों की कटाई पर रोक के कारण हिमाचल प्रदेश को विशेष सहायता दी जाए -

हिमाचल प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां वनों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की वन सम्पदा है। इसकी कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध होने के कारण हिमाचल प्रदेश सरकार को हर वर्ष करोड़ों रुपये की हानि उठानी पड़ रही है, जिससे प्रदेश का विकास बाधित हो रहा है। यदि प्रदेश इन वनों की कटाई पर रोक नहीं लगाता, तो हिमाचल प्रदेश को करोड़ रुपये की आय प्रति वर्ष होती, लेकिन प्रदेश ने देश में विश्व के प्रति पर्यावरण को बचाने के दायित्व का निर्वाह करते हुए प्रदेश में वनों पर रोक लगा दी, लेकिन केन्द्र सरकार की ओर से उसे कोई विशेष राहत प्रदान नहीं की जा रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वनों की कटाई पर रोक के कारण प्रदेश को जो हानि उठानी पड़ रही है, उसकी भरपाई हेतु विशेष राहत प्रदान की जाए, ताकि प्रदेश अपने विकास को त्वरित गति से कर सके।

अन्य प्रदेशों में खनिज संपदा होती है और उसके दोहन हेतु प्रदेशों को रायल्टी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में वन और जल प्राकृति संपदा है। इसलिए वनों की कटाई पर रोक के कारण हिमाचल प्रदेश को रायल्टी प्रदान की जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश अपना समग्र, संतुलित एवं ठीक प्रकार से विकास कर सके।

10. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश को 10 हैवी ड्यूटी एवं 10 स्मॉल ड्यूटी क्रेनें सप्लाई करने के संबंध में लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दी जाए -

मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में केन्द्र शासित क्षेत्रों में सड़क परिवहन एवं राजमार्गों के रखरखाव, सुधार एवं उन्नयन हेतु अनेक योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी क्रम में नेशनल हाइवेज एक्सीडेंट रिलीफ सर्विस स्कीम के अंतर्गत राज्यों से उनकी आवश्यकताओं को जानकर उनके संबंध में केन्द्र सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं और तद्नुसार उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती है और धन निर्गत किया जाता है।

इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं के समय तत्काल राहत और पुनर्वास कार्य चलाने हेतु 10 हैवी ड्यूटी एवं 10 स्मॉल रिकवरी क्रेन प्रदाय किए जाने का अनुरोध अपने पत्र दिनांक 27 सितम्बर, 2010 द्वारा मंत्रालय से किया था।

केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने की इसी योजना के क्रम में हिमाचल प्रदेश में एक ड्राइविंग एवं ट्रेनिंग तथा रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने रु. 24.50 करोड़ का एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2010 को भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रेषित किया था।

उक्त दोनों प्रस्ताव अभी तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में लंबित हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि हिमाचल प्रदेश में रेलों का विस्तार आजादी से आज तक नहीं हुआ है और रेलों के नाम पर केवल दो-तीन रेल लाइनें ही हैं। प्रदेश में सड़कें ही वहां की जीवन रेखाएं हैं। सारा आवागमन सड़कों के ही माध्यम से होता है। अत: वे उक्त दोनों प्रस्तावों पर सहानुभूतिर्पूक विचार करें और तत्काल स्वीकृति प्रदान करते हुए वांछित धनराशि निर्गत करने की कृपा करें।

उपरोक्त के अलावा मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों की निम्नलिखित योजना अथवा प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में काफी लंबे समय से

लंबित हैं, उन्हें शीघ्र स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल वांछित धन निर्गत किया जाए -

1. हिमाचल क्षेत्र की आजीविका को जीवंत बनाए रखने के लिए हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन व्यवस्था परियोजना हेतु रु. 120 करोड़ की विश्व बैंक की सहायता उपलब्ध कराई जाए।

2. देशी मत्स्य एवं जलचरों के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत रु. 4.83 लाख निर्गत किए जाएं।

3. मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को केन्द्र सरकार अपने हिस्से के रु. 2,67,18,750/- निर्गत करे।

4. राज्यस्तरीय उत्सव, शिमला समर फेस्टीवल-2010 पर हुए व्यय के भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय पर बकाया रु. 5 लाख उपलब्ध कराए जाएं।

5. भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला, चम्बा एवं कांगड़ा के कुछ विभागों के कंप्यूटरीकरण करने हेतु प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक धन उपलब्ध कराया जाए।

6. जिला सोलन में बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में निर्माणधीन इनलैंड कंटेनर डिपों की एप्रोच रोड़ चौड़ा करने के लिए केन्द्रीय सहायता के रु. 288.93 लाख दिए जाएं।

7. भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में सैनिक विश्राम गृह के निर्माण हेतु रु. 19.00 लाख दिए जाएं।

8. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बेरोजगार युवकों द्वारा अपना उद्योग प्रारंभ करने हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की योजना के अंतर्गत ब्याज सहायता एवं पूंजी सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में पूर्व में भेजे एवं जमा धन रु. 138.65 लाख में ब्याज सहायता उपलब्ध कराई जाने की अनुमति प्रदान की जाए।

9. भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के ऐलोपैथिक इंस्टीट्यूशन्स में आयुष स्पेश्यलिटी क्लीनिक्स की स्थापना करने हेतु प्रदेश सरकार को रु. 5163.23 लाख उपलब्ध कराए जाएं।

10. भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण करने की योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के भूकर मानचित्रों के डिजीटाइजेशन हेतु प्रदेश सरकार को रु. 506.15 लाख स्वीकृत किए जाएं।

उपरोक्त प्रकरणों के अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से प्रेषित भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से संबंधित कुछ निम्नलिखित प्रकरण भी लंबित हैं। मैं चाहूंगा कि उन्हें भी शीघ्र मंजूर किया जाए -

1. हिमाचल प्रदेश के सात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सत्कार पाठ्यक्रम चलाने के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय को रु. 1400.00 लाख स्वीकृत किए जाएं।

2. पर्यटकों को तुरंत सूचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से क्योस्क्स स्थापित करने हेतु रु. 17.10 लाख स्वीकृत किए जाएं।

3. पर्यटकों को ऑनलाइन आरक्षण देने हेतु पर्यटकों को वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन निगम को 30.59 लाख दिए जाएं।

4. यमुनानगर-पांवटा साहिब मैगा सर्किट हेतु रु. 600.00 लाख दिए जाएं।

5. जुब्बरहट्टी-अर्कीनालागढ़ सर्किट हेतु रु. 800.00 लाख दिए जाएं।

6. हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु रु. 800 लाख दिए जाएं।

***श्री गोरखनाथ पाण्डेय** (भदोही): बजट 2011-12 के संदर्भ में, कुछ बातों की तरफ सरकार का एवं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदया, भारत गांवों का देश है जहां की 70% से अधिक आबादी गांवों में कृषि पर आधारित है। गांवों में बेरोजगारी है, गांवों में गरीबी है, गांवों में अशिक्षा का प्रतिशत ज्यादा है। जरूरत है इन गांवों में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य को ठीक करना जहां सरकार का ध्यान कम गया है। देश में काले धन को विदेशों से वापस लाने पर कड़ा कानून बने। हमारा क्षेत्र भदोही लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल गांवों में बसा है। वहां की कालीन विश्व प्रसिद्ध है। हजारों करोड़ रुपये का व्यवसाय होता है। यह मन्दी तथा सरकार की नीति से प्रभावित

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हुआ है। सरकार को बुनकरों की स्थिति ठीक करने हेतु व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है।

भदोही जनपद ही नहीं, पूर्वांचल के अनेक जनपद जैसे इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र में कालीन गांवों में बुना जाता है, बुनकरों की समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है तथा कालीन व्यवसाय को उठाने के लिए खादी ग्रामोद्योग के आधार पर सस्ते ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना चाहिए।

हमारे संसदीय क्षेत्र भदोही ही में गंगा नदी के कटान से सैकड़ों एकड़ जमीन प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होकर नष्ट हो जाती है तथा गंगा के कटान से प्रति वर्ष सैकड़ों एकड़ जमीन गंगा नदी में विलीन होते जा रही है। वहां तटबन्ध की जरूरत है। भदोही संसदीय क्षेत्र हंडिया, प्रतापपुर, ज्ञानपुर, भदोही, औराई विधानसभा क्षेत्र में सर्वे कराकर कटान को रोकने की व्यवस्था कराई जाए। क्षेत्र में अनुसूचित जाति की संख्या अधिक है। पूरे देश की गरीब जनता को विशेष सुविधा व्यवस्था की योजना बना कर गरीबों की स्थिति ठीक करने की जरूरत है।

महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार बड़े घरानों, उद्योगपतियों पर मेहरबान हो रही है, गरीब और गरीब हो रहा है, धनी घरानों की संख्या बढ़ रही है। "भारत धनी देश है, यहां गरीब निवास करते हैं।" यह कहावत चरितार्थ हो रही है। यहां प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन होना चाहिए। उनका लाभ गांवों में किसानों को मिलना चाहिए। सरकार बजट में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रावधान करे।

कराधान के नियमों में सुधार करने की जरूरत है, इन्हें कराघात न बनाया जाए। क्षेत्र में पेयजल की समस्या है। प्रत्येक क्षेत्र में 500 नग हैण्ड पम्प तथा 100 किलोमीटर सड़क सांसदों के प्रस्ताव पर कार्य करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है। वहां के विकास हेतु 80 हजार करोड़ रुपये की मांग प्रदेश सरकार ने किया है, इस पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। महोदया, हमारे संसदीय क्षेत्र भदोही में सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए तथा वाराणसी, इलाहाबाद, विन्ध्यांचल सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी, इलाहाबाद को एक कॉरीडोर बनाकर पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए। इन स्थलों को पर्यटन क्षेत्र बनाकर उत्तर प्रदेश में विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक होगा। बजट में गरीबों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गांव की तस्वीर बदलने की आवश्यकता है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): मैडम, मेरी एक विनती है कि मैं ओरल स्पीच के रूप में सिर्फ दो-तीन मिनट बोलूंगा। उसके बाद जितनी भी मेरी मांगें हैं, उन्हें मैं लिखित रूप में सदन के पटल पर रख दूंगा।

सभापति महोदया: आप या तो बोल लीजिए या लिखकर सदन के पटल पर रख दीजिए, लेकिन दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: मैडम, मेरी आप से एक विनती है कि मुझे आप अपने दिल की बात कहने के लिए सिर्फ एक मिनट का समय दीजिए उसके बाद जितनी भी मेरी मांगें हैं, मैं उन्हें टेबल पर लिखित रूप में ले कर दूंगा।

सभापति महोदया: यदि आप ले करना चाहते हैं, तो अपना भाषण ले कर दीजिए। दोनों बातें नहीं हो सकती हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: मैडम, मैं एक सैंटेंस में अपने दिल की बात बताना चाहता हूं। इसलिए प्लीज मुझे एक मिनट के लिए बोलने का मौका दे दें। बाकी स्पीच मैं ले कर दूंगा।

सभापति महोदया: अभी आप अपनी स्पीच ले कर दें, बाद में बोल दीजिएगा।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: यदि मैं केवल अपनी स्पीच ले कर दूंगा, तो हाउस के लोगों को मालूम नहीं होगा कि मेरे दिल में क्या बात है। इसलिए कृपया मुझे एक सैंटेंस बोलने की अनुमति दे दीजिए। मैं सिर्फ एक ही बात को अपने मुंह से बताऊंगा।

सभापति महोदया: अगर आपको अपनी स्पीच ले करनी हो, तो ले करिए, नहीं तो श्री मिनिट्स में अपनी बात रखिए। प्लीज सदन का समय खराब मत कीजिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: महोदया, मैं अपने दिल की बात एक सैंटेंस में पूरी करूंगा। बाकी बातों को मैं लिखित रूप में दाखिल करूंगा।

सभापति महोदया: फिर मुझे सभी को एलाऊ करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक के लिए ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज आप अपनी बात कह लीजिए या स्पीच ले कर दीजिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: मैं अपने मुंह से सिर्फ एक बात बताऊंगा। क्या एलाऊ हुआ?

आदरणीय चेयर पर्सन ही, मैं अपने दिल और 30 लाख बोडो लैंड निवासियों की ओर से एक अफसोस की बात बताना चाहता हूं। वर्ष 2004 साल से हमारे बोडो लैंड एरिया के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक साल के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाते थे। 2008 वर्ष तक पांच साल में 500 करोड़ रुपए दिए गए। बोडो समझौते में एक प्रावधान था कि पांच साल बीत जाने के बाद उसे रिव्यू किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश और प्रदेश के बजट हर साल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बड़े ताज्जुब और बड़ी तकलीफ की बात है कि हमारे बोडो लैंड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो धनराशि आबंटन है, वह वर्ष 2009 में 100 करोड़ की बजाय 50 करोड़ रुपए कर दिया गया और अब वर्ष 2011-12 के लिए भी 50 करोड़ रुपए किए गए हैं। यह बहुत दुख की बात हो गई। बाकी सारी मांगों को मैं लिखित रूप में सदन के पटल पर रखता हूं। मैं आपके जरिए बड़ी जबर्दस्त विनती के साथ मैं अपनी मांगों को सरकार के सामने पेश करता हूं।

सभापति महोदया: आप मंत्री जी को दे देना। आपको इस बारे में पत्र मिल जाएगा।

[अनुवाद]

श्रीमती श्रुति चौधरी (भिवानी-महेन्द्रगढ़): आदरणीय सभापति महोदया, संघ सरकार के बजट 2011-12 पर अपने विचारों को रखने का जो अवसर आपने मुझे प्रदान किया है उसके लिए मैं आपकी अत्यंत आभारी हूं।

महोदया, चूंकि यह साल ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम साल है, माननीय वित्त मंत्री ने उन क्षेत्रों का प्राथमिकता क्रम बहुत ही सही तय किया है जिन पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्कयता है। यह वास्तव में एक सुखद बात है कि कृषि उन क्षेत्रों में से एक है जिन पर इस बजट में समुचित महत्व दिया गया है।

विगत कुछ वर्षों में कृषि विकास में गिरावट की प्रवृत्ति शोचनीय रही है। यह किसानों का कठिन श्रम और उनकी दृढ़ता ही है जिसने इस प्रवृत्ति को बदला है। और इस चालू वर्ष के दौरान इस कृषि क्षेत्र में हमारी विकास दर पांच प्रतिशत सकारात्मक होनी चाहिए। इसलिए, यदि एक ओर कृषक समुदाय को उनके अथक प्रयासों के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए तो दूसरी ओर सरकार भी इन योजनाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रशंसा की पात्र है।

इस पुनरुद्धार के चरण में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ने बड़ी भूमिका अदा की है। भारत में कृषि योग्य भूमि का 40 प्रतिशत सिंचित है जबकि 60 प्रतिशत असिंचित है। इस योजना के लिए धन आवंटित किया जाना आवश्यक हैं किसानों को नकदी फसल जैसी-दलहन और तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है जिससे हमें इनका आयात न करना पड़े और इसके बदले में कीमतें भी कम होंगी तथा हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे।

यह देखकर कष्ट होता है कि इस योजना के लिए विगत वर्ष का आवंटन जो 6755 करोड़ रुपये था, की तुलना में इस वर्ष का आवंटन 7860 करोड़ रुपये है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस योजना से राज्य सरकार को राज्य विशिष्ट योजनाएं बनाने के लिए जो मदद की गई है वह किसानों को आवश्यक और सही सहयोग प्रदान करने में काफी हद तक मददगार साबित होगी।

सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में से विगत वर्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम पूर्वी भारत में दूसरी हरित क्रांति लाने की योजना के लिये उठाया गया था जिसके माध्यम से 400 करोड़ रुपये वर्ष 2010-11 के दौरान योजना हेतु नियोजित किए गए थे। और इस बजट में भी इतनी धन राशि का प्रावधान किया गया है।

महोदया, पिछले वर्ष भी निराशा की स्थिति थी कि योजना के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं की गयी। क्योंकि इस योजना में काफी संभावनाएं हैं और यदि सही राशि आवंटित नहीं की जाती है तो यह योजना अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं कि इस योजना के लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएं जिससे कि हम दूसरी हरित क्रांति का कार्य शुरू कर सकें जिससे हम यह उम्मीद करें कि यह एक सदाबहार हरित क्रांति के रूप में बदल जाए और यह हमारे देश को आगे ले जाने में मदद करे।

महोदया, इस समय यदि मैं उन किसानों की कठिनाइयों और मुश्किलों का उल्लेख नहीं करूंगी जिनके प्रयासों और मेहनत से भारत में प्रथम हरित क्रांति आयी थी तो यह उनके साथ घोर अन्याय होगा। वर्ष 2009 में दक्षिण-पश्चिम मानसून के नहीं आने के बाद भी किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत, दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ प्रतिज्ञता से यह सुनिश्चित किया कि हमारे देश की खाद्य सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करना पड़े। महोदया, मैं यह हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेहनती किसानों के बारे में बात कर रही हूं। भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के दशकों बाद भी हमें भोजन देने वाले और अब भी भोजन दे रहे इन हाथों को आज हमारी मदद की जरूरत है। उत्पादकता का न बढ़ना, जल का खारापन, जल की समस्या, कृषि-सामग्री की लागत में

भारी वृद्धि, सबने मिलकर उनकी मुश्किलों को काफी बढ़ा दिया है। यदि यह प्रकृति जारी रही तो इस बात की काफी संभावना है कि इस राज्य के लोग कृषि कार्य छोड़ देंगे और यह हमारे देश के लिए एक बहुत ही भयावह तस्वीर होगी। इस समय मैं माननीय वित्त मंत्री को मेरे चुनाव क्षेत्र में एक विशेष क्षेत्र के उत्थान और विकास के लिए नाबार्ड से 127 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिये धन्यवाद देता हूं जो कि जल की भीषण कमी का सामना करता है। जैसा कि आप जानते हैं किसानों के खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटे हैं और भूजल स्तर 1200-1500 फीट नीचे चला गया है और यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है कि ये किसान एक साथ मिलकर बोरिंग मशीन किराये पर लेने के लिये धन इकट्ठा करते हैं। वे जमीन में 1000-1500 फीट गहरे कुंये खोदते हैं। लेकिन वे पाते हैं कि पानी क्षारीय है और यह उनके लिए लगभग खतरे की घंटी है।

इसलिए, महोदया मैं माननीय वित्त मंत्री से आपके माध्यम से अनुरोध करती हूं कि इन किसानों के लिए कम से कम भूजल का परीक्षण नि:शुल्क कर दिया जाए। यह उनके लिए बड़ी राहत होगी।

अब मैं भूमि अधिग्रहण नीति के बारे में, जिसके बारे में मेरे कई वरिष्ठ सहयोगी उल्लेख कर चुके हैं, के बारे में बात करना चाहता हूं। भूमि अधिग्रहण नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि कृषि योग्य भूमि अन्य कार्यों के लिए नहीं अधिग्रहित की जाए। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में इसका अधिग्रहण किया जाता है तो किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए जिससे कि वे एक सम्मानजनक आजीविका कमा सकें।

इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं कि तत्काल इन राज्यों में स्थिति की जानकारी के लिए इसकी समीक्षा करें तथा इन राज्यों में हरित क्रांति को पुन: शुरू करने हेतु पर्याप्त मात्रा में आसान शर्तों पर आवंटित करें। तथा यह सुनिश्चित करें कि पहले की भांति ये राज्य हमारे देश को हरा-भरा बनाये रखें।

इस बजट में ऋण के समय पर भुगतान के लिए सात प्रतिशत के ब्याज दर पर 3 प्रतिशत की छूट देने का भी प्रावधान किया गया है। इसलिए प्रभावी दर को कम करके केवल 4 प्रतिशत कर दिया गया है। कृषि क्षेत्र में लागत जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, मुद्रास्फीति से अछूता नहीं रहा है।

उर्वरकों पर दी जानेवाली नई पोषण आधारित राजसहायता व्यवस्था ने भी लागत में वृद्धि की है। इसके अलावा हमारे पूरे देश में सर्वत्र इन्द्र देवता की कृपा भी समान रूप से नहीं है। और यदि कोई किसान अपनी फसल से पर्याप्त आमदनी नहीं कर पाता है तो उस ऋण को समय पर भुगतान करने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं बचता क्योंकि सदैव ही यहां कभी अनावृद्धि और कभी अतिवृष्टि, सूखा या अकाल, शीतलहर या बर्फबारी की समस्या होती रहती है। ऐसी परिस्थितियों से किसान रोज ही जूझते रहते हैं।

हाल के मीडिया रिपोर्टों में भुगतान में विलम्ब की ओर इशारा किया गया है जो इस क्षेत्र में मौजूद है।

सभापति महोदया: कृपया समाप्त कीजिए।

श्रीमती श्रुति चौधरी: महोदया, यह मेरा प्रथम भाषण है।

सभापति महोदया: मुझे पता है। इसीलिए मैंने आपको 10 मिनट से अधिक का समय दिया है। कृपया समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

श्रीमती श्रुति चौधरी: कृपया मुझे कुछ समय दीजिये। महोदया, इस सभा में यह बताना मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खाद्य उत्पादन की एक बड़ी मात्रा फल और सब्जियां उनके उत्पादन के बाद भंडारण की प्रौद्योगिकी नहीं होने के कारण बर्बाद हो जाती है। इसके कारण 55000 करोड़ रुपये की हानि हुई है। यह संरक्षणवादी आंकड़े हैं तथा मैं इनको उद्धृत कर रही हूं, और यह पूर्णत: बर्बाद हो जाता है क्योंकि यहां उत्पादन के बाद भंडारण की प्रौद्योगिकी का पूर्णत: अभाव है इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से इस बजट में इसके लिए पर्याप्त आवंटन करने का अनुरोध करती हूं। मैं यह अवश्य कहूंगी कि उन्होंने कृषि उत्पादों हेतु भण्डारण और भाण्डागार सुविधाओं के लिये अति आवश्यक प्रोत्साहन दिये हैं तथा प्रशीतन उपस्करों को उत्पाद शुल्क में पूरी तरह छूट प्रदान करके और कनवेयर बेल्ट सहित शीतागार बुनियादी ढांचा हेतु आवश्यक प्रशीतन और शीतागारों, मंडियों एवं भांडागारों में प्रयोग किए जाने वाले सभी उपस्करों को पूरी तरह उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की है। यह छूट कृषि उत्पादों हेतु अच्छे भंडारण और भांडागारण सुविधा मुहैया कराने हेतु आवश्यक रूप से प्रोत्साहित करेगा।

महोदया, कल ही हम सभी महिला दिवस का आयोजन कर रहे थे। मैं इस तथ्य की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी बढ़ रही है। अधिक से अधिक महिलाएं हमारे खेतों में कार्य कर रही हैं क्योंकि पुरुष अपनी नौकरियों हेतु नगर चले जाते हैं। पिछले वर्ष वित्त मंत्री जी ने महिला किसान सशक्तिकरण योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की है क्योंकि उन्होंने इस तथ्य को मान्यता प्रदान की है कि महिलाएं खेतों में जा रही हैं। इस वर्ष मैं काफी हतोत्साहित थी क्योंकि मुझे कम से कम इस बात की उम्मीद थी कि वे इसे इस वर्ष दोगुना करके 200 करोड़ रुपए कर देंगे लेकिन

इस वर्ष इस योजना का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया गया। इसलिए मैं उनसे इस योजना को पुन: लाने के लिए अनुरोध करूंगी ताकि इन महिलाओं को सहायता मिले।

अब मैं संक्षेप में कहूंगी। मैं हरियाणा राज्य से आती हूं जिसे वर्ष 1966 में पंजाब राज्य से अलग किया गया। जब इसे अलग किया गया तो इसे 'पंजाब का मरुस्थल' कहा गया। यह तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की दृष्टि थी और तत्कालीन मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जिन्होंने इस राज्य को लिफ्ट सिंचाई प्रणाली दी। मैं इस राज्य के किसानों को सलाम करती हूं जिन्होंने हमारे महान देश के लिए इस मरुस्थल को हरा-भरा बनाने के लिए दिन-रात कार्य किया।

महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मुझे समय देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। मैं बजट का समर्थन करती हूं।

* **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी** (विजयनगरम): मैं विकासोन्मुख सामान्य बजट 2011-12 पर अपना विचार व्यक्त करना चाहती हूं।

मैं माननीय प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी, संप्रग अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी जी और माननीय वित्त मंत्री, श्री प्रणब मुखर्जी को आम आदमी के हित में एक संतुलित बजट प्रस्तुत करने हेतु धन्यवाद देती हूं। सभी मुश्किलों, मुद्रास्फीति और वैश्विक मंदी के बावजूद सरकार ने अनेक कदम उठाकर आम आदमी के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। बजट के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी ने आने वाले कुछ वर्षों में दहाई के अंक में विकास हेतु राष्ट्र को आशा की एक किरण दिखाई है।

वित्त मंत्री जी ने ऐसे महत्वपूर्ण समय में बजट प्रस्तुत किया है जब भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के उच्च दर की ओर बढ़ रही है जबकि बढ़ी हुई मुद्रास्फीति, उच्च करेंट एकाउण्ट डेफीसिट और औद्योगिक उत्पादन की धीमी गति जैसी कतिपय चुनौतियां हाल के दिनों में सामने आई हैं। मौजूदा परिस्थिति में मुद्रास्फीति के मामले को सुलझाने, विकास की गति को बनाए रखने की बजट की आवश्यकता थी जबकि वित्तीय समेकन पर ध्यान देने तथा सुधार एजेंडे को आगे जारी रखना है। बुनियादी ढांचा की परियोजनाओं के लिए योजनाबद्ध संसाधनों के बढ़े हुए आवंटन के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निधि के प्रस्तावों और बुनियादी ढांचा के क्षेत्र के निजी बचत क्षेत्र की विकास को संभावना के द्वार खोलेगा।

मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा उल्लिखित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए आभार प्रकट करती हूं। मैं वित्त मंत्री जी को सभी आंगनवाड़ी कामगारों हेतु पारिश्रमिक में 100 प्रतिशत वृद्धि करने हेतु धन्यवाद देती हूं। समाज के कमजोर तबकों हेतु बजट में कई सकारात्मक बातें हैं। आंगनवाड़ी कामगारों और सहायकों के पारिश्रमिक को दुगुना करना, एवं सहायता समूहों के पलायन का सुदृढ़ीकरण करना, वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की पहुंच में वृद्धि करना, मुद्रास्फीति के मुताबिक मनरेगा के पारिश्रमिक की इण्डेक्सिंग तय करना, ज्वार तथा अन्य पोषक दलहनों के उत्पादन और खपत को प्रोत्साहित करना, प्राथमिक शिक्षा के लिये आवंटन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि करना, पिछड़ा तथा आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवंटन में वृद्धि करना और एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के माध्यम से भूख और कुपोषण से निपटने हेतु प्रतिबद्धता जैसी बातें शामिल हैं। समग्र विकास के लिए हमारी संप्रग सरकार ऐसे सभी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

मैं कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा तथा ग्रामीण भारत पर जोर देने के लिए उन्हें बधाई देती हूं। पोषकता आधारित राजसहायता (एन.बी.एस.) ने उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार किया है तथा मैं सरकार को यूरिया को भी शामिल करने हेतु एन.बी.एस. व्यवस्था को बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार करने हेतु भी बधाई देती हूं।

सरकार मिट्टी के तेल, रसोई गैस और उर्वरकों की बेहतर आपूर्ति हेतु चरणबद्ध रूप से गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को नकद राजसहायता के सीधे हस्तांतरण के सरकार के कदम पर सावधानी से समीक्षा करने की आवश्यकता है। आशा करती हूं कि प्रस्तावित प्रणाली हेतु कार्य-विधियां तैयार करने के लिए गठित कृतक बल एक पारदर्शी प्रणाली लाएगा ताकि राजसहायता लक्षित लोगों तक पहुंचे। जबकि वर्ष 2011-12 में विनिवेश के माध्यम 40,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। मैं सरकार का इस बात के लिए स्वागत करती हूं कि सरकार कम से कम 51 प्रतिशत स्वामित्व बनाए रखने तथा केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों पर प्रबंधन नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है। यह निजी क्षेत्र को उचित ढंग से नियंत्रित करने में मदद करेगा।

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार कम से कम 9 प्रतिशत के सी.आर.ए.आर. को बनाए रखने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सक्षम बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान एक स्वागत योग्य कदम है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समेकित करने तथा ग्रामीण लोगों के लिए उनकी सेवा स्तर में वृद्धि करने में मदद करेगा।

मैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ सृजित होने वाले 100 करोड़ रुपए के "इंडिया माइक्रोफाइनेंस इक्विटी फंड" तथा कम राशि के ऋण प्राप्तकर्ता के हितों की रक्षा हेतु उचित विनियामक ढांचा तैयार करने का स्वागत करती हूं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं 500 करोड़ रुपए के वाली "महिला स्व-सहायता समूह की विकास निधि" के सृजन का भी स्वागत करती हूं। हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करने के लिए नाबार्ड को 3,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान आर्थिक संकट से जूझ रहे उन हथकरघा बुनकरों जो ऋण की पुन:अदायगी न कर पाने के कारण वित्तीय रूप से अलाभप्रद हो गए हैं। इससे हथकरघा बुनकरों और उनके समाज को भी सहायता मिलेगी। महात्मा गांधी ने कहा था कि "खादी भारत का प्रतीक है।" हमें इस क्षेत्र की किसी भी कीमत पर रक्षा करनी चाहिए।

60,000 दाल उत्पादक गांवों के विकास और 60,000 हेक्टेयर में पाम फसल के उत्पादन को प्रोत्साहन हेतु प्रत्येक के लिए 300 करोड़ रुपये के आवंटन से अगले पांच वर्षों में निश्चित रूप से इनकी उपलब्धता में काफी फर्क पड़ेगा।

वर्ष 2011-12 में किसानों हेतु 3,75,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,75,000 करोड़ रुपये का ऋण प्रवाह स्वागत योग्य कदम है।

हमें मीडिया से पता चला कि खाद्य भंडारण की समुचित सुविधाओं के अभाव के कारण अनाज और सब्जियां नष्ट हो रही हैं और ये बातें माननीय उच्चतम न्यायालय के ध्यान में भी लाई गई हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक भंडारण क्षमता के सृजन में पूंजी निवेश का बजट प्रावधान वित्त मंत्रालय के अर्थक्षम वित्त पोषण में कमी को दूर करने हेतु स्वागत योग्य कदम है। इससे निजी क्षेत्र के अनेक व्यक्तियों को भारत में विभिन्न स्थानों पर भंडारण सुविधाओं का निर्माण करने हेतु आगे आने में मदद मिलेगी।

आवास मूलभूत आवश्यकता है। बजट के निम्नलिखित प्रावधान जनता द्वारा अपने मकान बनाने हेतु संप्रग सरकार द्वारा दिए गए महत्त्व को रेखांकित करते हैं:

आवास ऋण पर 1 प्रतिशत की ब्याज राहत की मौजूदा योजना को और उदार किया गया;

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत आवास इकाइयों हेतु मौजूदा आवास ऋण सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया;

ग्रामीण आवास निधि के अंतर्गत प्रावधान को बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपये किया गया;

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और एल.आई.जी. परिवारों की ऋण संबंधी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए राजीव आवास योजना के अंतर्गत बंधक जोखिम गारन्टी कोष का सृजन किया जाना है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस योजना का विजियानगरम नगरपालिका तक विस्तार किया जाए।

भवन सामग्रियों में लागत वृद्धि के कारण राजीव आवास योजना के अंतर्गत इकाई की लागत बढ़कर दोगुनी हो गई है। इसे बढ़ाकर 90,000 रुपये किया जाना चाहिए। मजदूरी लागत में भी वृद्धि हुई है। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इन दरों में संशोधन करेंगे।

मैं भारत निर्माण के लिए आवंटन को 10,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। इससे आधारभूत स्तर पर सतत विकास में सहायता मिलेगी।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के बारे में यह है कि इसे 30 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देती हूं। इससे क्षेत्रों में असंतुलन में कमी आएगी। मैं वित्त मंत्री से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में श्रीकाकुलम जैसे कुछ और पिछड़े जिलों को इसमें सम्मिलित करने का विनम्र अनुरोध करती हूं।

वैयक्तिक कराधान के बारे में छूट सीमा को 1.6 लाख की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 1.8 लाख रुपये किया गया है और वरिष्ठ नागरिकों हेतु इसे 2.5 लाख रुपये किया गया है। इसे जनता द्वारा बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया है यद्यपि वृद्धि थोड़ी रही है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि ये वृद्धि किसी मुद्रास्फीति से जुड़े सूचकांक पर आधारित होनी चाहिए। यह नई बात नहीं है। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के मामले में इसका पालन किया जा रहा है। पूंजीगत लाभ जो सामान्यत: धनी वर्गों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, उन्हें प्रति वर्ष मुद्रास्फीति हेतु समायोजित किया जाता है जबकि वेतन अर्जित करने वालों के लिए इन छोटी रियायतों का महत्व होता है। मैं थोड़ा सा इस बात से अप्रसन्न हूं कि महिलाओं को कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी गई थी, शायद प्रत्यक्ष कर *संहिता* जो अगले साल से कार्यान्वित होने जा रही है वह लिंग आधारित कर छूट को समाप्त करने जा रही है।

माननीय रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी के उदाहरण का अनुसरण करते हुए वरिष्ठ नागरिकों की परिभाषा में माननीय वित्त मंत्री ने प्रमुख परिवर्तन किया है। अब, कर संबंधी कानून 65 की बजाय 60 वर्ष के व्यक्ति को वृद्ध मानेंगे। मैं "अति वरिष्ठ नागरिक" श्रेणी बनाने हेतु भी वित्त मंत्री को धन्यवाद करता हूं। 80 की उम्र में कर का दर्द कम हो जाता है। 80 अथवा उससे अधिक वर्ष की आयु वाले व्यक्ति 5 लाख रुपये तक की वार्षिक कर योग्य आय पर कर छूट का लाभ उठाएंगे। मैं सरकार से आशा करता हूं कि वह भविष्य में "सुपर सीनियर" नागरिक और "अल्ट्रा सीनियर" नागरिक की श्रेणी बनाएंगे। मेरे विचार से 100 वर्ष और

120 वर्ष इन नई श्रेणियों हेतु समुचित आयु सीमा होगी। राजस्व पर इसका असर न्यूनतम होगा।

मैं इन उपायों हेतु माननीय वित्त मंत्री को बधाई देती हूं।

शिक्षा: चालू वर्ष से शिक्षा हेतु बढ़े हुए आबंटन का बजटीय प्रावधान; एस.एस.ए. हेतु 40% वृद्धि, कक्षा नौ एवं दस में अध्ययनरत अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों हेतु मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना शुरू किया जाना। आप्टिकल फाइबर बैंक बोन के माध्यम से सभी 1500 उच्च अधिगम एवं अनुसंधान संस्थाओं को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से मार्च, 2012 तक जोड़े जाने का प्रावधान, सभी स्वागत योग्य कदम हैं।

राष्ट्रों के वर्ग में आगे बढ़ने और नेतृत्व करने हेतु नवाचार भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राष्ट्रीय नवाचार परिषद की स्थापना और उत्कृष्टता को मान्यता देने हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं को प्रदत्त विशेष अनुदान केंद्र सरकार द्वारा घोषित नवाचार का दशक के साथ संयोग कर रहा है और यह वर्ष 2020 तक भारत को नवाचार देश बनाने में काफी काम आएगा।

मैं राष्ट्रीय कौशल विकास कोष हेतु प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित 500 करोड़ रुपये और गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने के एक भाग के रूप में सर्वव्यापी भाईचारे के मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु शुरू किए जा रहे एक करोड़ की पुरस्कार राशि वाले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की वास्तव में सराहना करती हूं।

स्वास्थ्य: मैं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आबंटन में 20% वृद्धि और इसके क्षेत्र को बढ़ाने हेतु विस्तारित किए जाने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के क्षेत्र की वृद्धि की सराहना करती हूं। मैं विकास के साथ हरित और स्वच्छ पर्यावरण हेतु उपाय का भी स्वागत करती हूं। मैं काले धन का पता लगाने हेतु उपायों का स्वागत करती हूं।

मैं विजयानगरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह अभिघात परिचर्या केंद्र स्थापित करने, लंबे तट क्षेत्र को देखते हुए तटवर्ती अपराधों को नियंत्रित करने हेतु घाटों की स्थापना के लिए और पेयजल आपूर्ति तथा भूमिगत जल निकासी व्यवस्था में सुधार करने हेतु कुछ धनराशि प्रदान करें।

मैं अच्छा कार्य करने हेतु वित्त मंत्री को पुन: बधाई देती हूं। यह मेरा तार्किक आंकलन है। वित्त मंत्री को पूरा विश्वास है कि विकास जारी रहेगा और विकास दर दो अंकों में भी पहुंचेगी। भारत में तीव्र परिवर्तन नहीं रुकेगा।

जैसाकि माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि मैं देवी लक्ष्मी से सामान्य बजट की सफलता की प्रार्थना करता हूं, इस प्रार्थना में मैं भी उनके साथ हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सामान्य बजट 2011-12 का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): सभापति महोदया, एक लम्बे अंतराल और बड़े ही अल्प समय में मुझे अपनी बातें संक्षेप में रखनी हैं। आपने मुझे इसका अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका और पीठ का आभारी हूं।...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से बजट का समर्थन करते हुए यू.पी.ए. चेयरपर्सन माननीय सोनिया गांधी, डा. मनमोहन सिंह जी और इस सदन के भीष्म पितामह वित्त मंत्री आदरणीय दादा को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने वास्तव में महात्मा गांधी के स्वराज की स्थापना एवं भारत निर्माण को ध्यान में रखते हुए जो आम जन का बजट पेश किया है, वह एक सराहनीय कदम है। इसमें कृषि, बुनकर, पशुपालन और असंगठित क्षेत्रों पर थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से उस ओर इनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। रेडिमेड कपड़ों पर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, उस पर पुन: विचार करने के बारे में मैं प्रार्थना करता हूं।

मैं कुलीन ब्राह्मण परिवार का हूं, इसलिए मांगना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं सदन के भीष्म पितामह आदरणीय दादा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मैं श्रावस्ती क्षेत्र से आता हूं जो तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल है और बुद्धिस्ट क्रंट्रीज उसके इन्फ्रास्ट्रक्चरल डैवलपमेंट के लिए तमाम अनुदान देने के लिए तैयार हैं। वह रेल पथ से नहीं जुड़ा है। रेल पथ का कार्य हो, एन. एच. का कार्य हो, उस क्षेत्र में पी.जी.आई. स्तर के अस्पताल की आवश्यकता है। टूरिज्म, फॉरेस्ट्री और वाइल्डलाइफ को विकसित करने से यह विदेशी मुद्रा की आय में इजाफा करने में बहुत सहायक होगा। जायका तथा तमाम अन्य ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनसे भारत सरकार पर कोई अर्थ बोझ नहीं आएगा। अगर उन प्रोजैक्ट्स की संस्तुति कर दी जाए तो हमारे क्षेत्र का विकास ही नहीं होगा बल्कि इंडोनेपाल बार्डर सीमा का भी विकास होगा। यह सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

मैं उत्तर प्रदेश से भी आता हूं। अभी हमारे पूर्व वक्ता मल्टी सैक्टोरियल डैवलपमेंट योजना को लेकर उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की बात कर रहे थे।

मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि भारत सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं, जिनका पैसा राज्यों को भेज दिया जाता है। लेकिन राज्य उस पैसे का पूरा सदुपयोग निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नहीं कर पाते और वे पैसे पड़े रह जाते हैं।

आदरणीय महोदया, हमारे तमाम सदस्य एम.पी.लैड फंड की बात करते रहते हैं। मेरा आपके माध्यम से इतना निवेदन है कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, उनमें 25 प्रतिशत का प्रस्ताव माननीय सांसदों को दे दिया जाये। उनकी मौनीटरिंग की भी व्यवस्था कर दी जाये, जिससे उनकी व्यवस्था भी हो जायेगी। वह सुदृढ़ भी हो जायेगी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: अब आप अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय: माननीय महोदया, मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि आपकी बायीं तरफ बैठे हुए बैंचिस से तमाम बातें आती रहती हैं। अभी इसी सत्र में जब माननीय राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे, तो मैं उन्हें बहुत ध्यान से सुन रहा था।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदया: विनय पाण्डेय जी, आपका समय समाप्त हो रहा है। अब आप कन्क्लूड कीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय: मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब 72 छेदों वाली छलनी बोलने लगती है, तो बड़ा कष्ट होता है। मैं आपका ध्यान राजनाथ सिंह जी की बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वे गठबंधन धर्म की बात कर रहे थे।...*(व्यवधान)* आज एन.डी.ए. के गठबंधन की स्थिति क्या है? यह बिल्कुल एक्सटिंक्ट होती जा रही है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: अब आपकी बात समाप्त हो गयी है। धन्यवाद।

...*(व्यवधान)*

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय: पार्टियों का यह गठबंधन समाप्त प्रायः है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

सभापति महोदया: कृपया आप बैठ जाइये। इसके बाद जीरो ऑवर स्टार्ट होगा, इसलिए आप बैठ जाइये।

****श्री राजाराम पाल** (अकबरपुर): 1. भारत के संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था कि आजाद भारत में प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी जरूरतें जैसे हर हाथ को काम मिलेगा, हर खेत को पानी मिलेगा, हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इसी उद्देश्य से हमारे कवियों ने 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन पूरे भारत के लोग एक लाइन इस भारत के स्वरूप को दर्शाने के लिए कहा था-सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा। इस दिशा में इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, लेकिन फिर भी इस देश में लगभग 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि घुमंतू और अर्द्धघुमंतू कौमों के लोग हैं जो 63 वर्ष गणतंत्र के बाद भी उन तमाम बुनियादी सुविधाओं के जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा आवास जैसी सुविधाओं से वंचित हैं जो पूरे देश में खुले आसमान में सड़क किनारे खेतों, जंगलों में भेड़-बकरी चराते हैं, बंदर और भालू चराते हैं, रंग और हींग बेचते हैं, सांप दिखाते हैं, रस्सी पर चढ़ते हैं, किंतु आज भी उन तमाम सुविधाओं से वंचित हैं, उन्हें चिन्हित करके, उनकी गणना कराकर उनके लिए रहने के लिए आवास, तथा दुकानों की व्यवस्था करके देश की मुख्यधारा में जोड़े जाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा कांग्रेस का नारा कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ साकार हो सकती है।

2. भारत सरकार से चलने वाली योजनाओं की सही मानिटरिंग करने के लिए क्षेत्रीय सांसदों की भागीदारी 25 प्रतिशत प्रस्ताव लेकर तथा मानिटरिंग का अधिकार दिया जाए ताकि योजनाओं का समुचित लाभ सही व्यक्तियों को मिल सके।

3. आजादी के इतने वर्षों के बाद भी इस कृषि प्रधान देश के किसानों को अब तक उनकी जमीन का

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मालिकाना हक नहीं दिया गया है, उन्हें भूमिधर, सीरदार जीवन-1, जीवन-2 आदि का अधिकार दिया गया है तथा शहरों की बढ़ती आबादी विकास के नाम पर उनकी भूमि कोड़ियों के भाव लेकर बिना उनकी मर्जी के बड़े-बड़े पूंजीपति घरानों को विकास के नाम पर कोड़ियों के भाव दिया जाता है। जिससे कृषि भूमि घट रही है तथा किसान भूखमरी के कगार पर है।

4. आज सर्वशिक्षा अभियान के चलते जो गांवों में प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों में सुख सुविधा बढ़ाए जाने के कारण प्रधानाचार्यों द्वारा जो अब तक गरीब किसान मजदूरों के पुत्रियों के शादी के लिए विद्यालय खोले जाते हैं बंद कर दिए गए हैं। प्रत्येक गांव सभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति आबादी में बड़ा बारातशाला/मिलन केन्द्र जैसे बनाए जाने का इस बजट में प्रावधान किया जाए।

5. भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी मनरेगा योजना बहुत ही लाभकारी योजना है किंतु इस योजना के इंपलीटेंशन में 60:40 का अनुपात होने के कारण इसका दुरूपयोग हो रहा है। अत: इसे 80:20 यानी 80 पक्का 20 कच्चा किया जाए ताकि उस पैसे का दुरूपयोग रोका जा सके। पूरे देश में भारत सरकार द्वारा किसान मित्रों का चयन किया गया है किंतु उनका प्रदेश सरकारों द्वारा समुचित मानदेय न मिलने के कारण पूरे देश के किसान मित्र आंदोलित हैं। अत: भारत सरकार बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए किसान मित्रों का प्रत्येक ग्राम सभा में अनिवार्य गठन कर तथा न्यूनतम वेज पर नियुक्ति नियमित किए जाने का प्रावधान करे ताकि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके तथा किसानों को भारत सरकार से चलने वाली योजनाओं की सही जानकारी मिले ताकि वह लाभ ले सके।

6. मेरे क्षेत्र में बिठूर ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थल है। उसको पर्यटक स्थल घोषित कर उसे मंधना से बिठुर के लिए रेलवे लाइन चौड़ी कर रेलगाड़ी चलाया जाना सुनिश्चित करें ताकि क्षेत्रीय लोगों को सुविधा हो सके।

अत: आपसे निवेदन है कि उपरोक्त सुझावों को इस समान बजट में शामिल करने की कृपा करें।

***श्री जितेन्द्र सिंह मलिक** (सोनीपत):

1. मैं 2011-12 के संतुलित व प्रगतिशील आम बजट का स्वागत करता हूं तथा देश की आर्थिक प्रगति बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। वित्त मंत्री ने बजट में आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखने और महंगाई दर को काबू में रखने के बीच संतुलन साधा है। बजट में यह बात साफ है कि वित्त मंत्री का जोर कृषि पर है। नाबार्ड के इक्विटी कैपिटल में 3000 करोड़ रुपये बढ़ोत्तरी की गई है। इसके शार्ट टर्म क्रेडिट फंड में 10,000 करोड़ रुपये का योगदान किया गया है और किसानों की कृषि लोन पर 3 फीसदी की सब्सिडी दी गई है। ये सभी इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। वित्त मंत्री ने कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देकर कृषि उपज की बर्बादी रोकने पर जोर दिया गया है। एग्रीकल्चर में बूस्ट करके वेयरहाउसिंग की बात की है। वर्ष 2007 में इस देश में केवल 1.7 लाख टन की वेयरहाउसिंग की कैपेसिटी थी और तब एक लाख सात हजार टन के करीब हमारे एफ.सी.आई. के गोदामों में खाद्य जाता था। आज वह चार लाख 70 हजार टन के करीब है। इससे जी.डी.पी. में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा। भ्रष्टाचार पर रोकथाम और गवर्नेंस की खामियों को दूर करने के लिए यूरिया और मिट्टी के तेल पर सीधी सब्सिडी देने जैसे कदम उठाए हैं। यह एक ऐसा बजट है जो निश्चित तौर पर विकासशील देश की ग्रोथ के लिए जरूरी है। विकास की गाड़ी को रफ्तार मिलेगी। आयकर छूट की सीमा बढ़ने से अब लोगों का पैसा टैक्स में कम जाएगा जिससे लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। इससे आम लोगों के साथ-साथ कंपनियों को भी फायदा होगा। कृषि क्षेत्र के साथ-साथ इस बजट का मुख्य फोकस गांव के विकास पर भी है। इसके लिए कई प्रावधान है। खासतौर पर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए जो किया गया है। मनरेगा के तहत दी जाने वाली दिहाड़ी को मुद्रास्फीति के सूचकांक से जोड़ना एक बहुत अच्छा कदम है सामाजिक क्षेत्र के लिए प्रावधान में जो 17 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है उसका एक बढ़ा हिस्सा गांवों में ही पहुंचेगा। खासतौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किए गए प्रावधानों का इन दोनों का देश के गांव व देहात में बहुत जरूरत है।

2. बजट में भारत निर्माण के आवंटन में भी 10,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। वहीं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए भी ज्यादा आवंटन करने के साथ आंगनवाड़ी सदस्यों के वेतन में भी 100 फीसदी बढ़ोत्तरी की गई है। हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण के इस महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाते हुए अपनी तरफ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों को

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

क्रमशः 2000 और 1000 रुपये की बढ़ोत्तरी की है जिससे आंगनवाड़ी कार्य में लगी महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। मेरा यह निवेदन है कि अन्य राज्य सरकारें भी इसका अनुसरण करें। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए भी उप-योजना में विशेष आवंटन किए गए हैं साथ ही शिक्षा क्षेत्र के लिए होने वाले खर्चे में 24 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है। स्वास्थ्य के लिए आयोजना आवंटन में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार का दायरा बढ़ा है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए उपायों पर विचार करने हेतु मंत्रियों के समूह का गठन किया जाएगा। सभी ग्रामीण आवासों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने हेतु राज्य के प्रयासों को पूरा करने हेतु 9350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इंदिरा आवास योजना के तहत ग्रामीण गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को अपने मकान निर्माण एवं कच्चे घरों को पक्का बनाने के लिए सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया है।

आयकर रिटर्न को लेकर परेशान रहने वाले नौकरीपेशा लोगों को भी बजट ने एक बड़े झंझट से मुक्ति दिला दी है।

मैं अपने कुछ निवेदन वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं:

एक. किसानों को दी जाने वाली ऋण फीसदी ब्याज दर केवल फसल ऋण के लिए ना होकर, यह किसानों को सभी प्रकार के ऋणों पर लागू हो।

दो. किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दिए जाने वाले ऋण की भुगतान की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर कम से कम 3 या 5 वर्ष किया जाए ताकि किसानों को डिफालटर घोषित ना किया जाए और उनसे ऊंची दर से ब्याज ना वसूला जाए।

तीन. भक्त फूले सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत को 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाए ताकि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण के कार्य में सहायता मिल सके तथा महिलाओं को क्वालिटी शिक्षा प्रदान की जा सके।

चार. पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति विशेषकर चावल आधारित फसल प्रणाली में सुधार के लिए 400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सरकार ने समय-समय पर विभिन्न खाद्यों वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्रांतियों की शुरुआत की है इस कड़ी में मेरा निवेदन है कि एक सब्जी उपज क्रांति की तरफ भी ध्यान दिया जाए तथा क्षेत्रवार और मौसम अनुसार सब्जी उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए तथा सब्जी अनुसंधान पर ध्यान दिया जाए।

पांच. दिल्ली से नजदीकता तथा कृषि आधारित संरचना के चलते सोनीपत में भी एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाए।

मैं एक बार फिर से वित्त मंत्री जी को उनके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को एक विश्व आर्थिक शक्ति के तरफ अग्रसर करने के प्रयत्नों का समर्थन करता हूं।

***श्री विजय बहादुर सिंह** (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश): नेता सदन एवं माननीय वित्त मंत्री जी ने 28.02.2011 जो बजट संसद में रखा उसको मैंने भली-भांति निष्पक्ष होकर और राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की।

बजट 2011-2012, पैराग्राफ-197 में लिखा गया है और एक अधिवक्ता होने के नाते मैंने इसका गहन अध्ययन किया। सबसे पहले बजट में 3 बातें प्रमुख होती हैं।

1. उद्देश्य

2. समस्या का आकलन

3. समस्या का निदान

सवाल है कि सामाजिक जरूरतें या आर्थिक जरूरतों में कैसे तालमेल लाया जाए। शेयर बाजार जब उछलता है तो मुम्बई, कोलकाता में और औद्योगिक घरों में खुशी की लहर दौड़ती है। क्या विकास उसको कहते हैं जिससे रुपये से रुपया बनता है या वह विकास है जो जीवनोपयोगी जैसे-अनाज उत्पादन के विकास में होता है। पूंजी दोनों में बनती है, परंतु दोनों के विकास में जमीन-आसमान का अंतर है। आज जरूरत है खेतों में पानी, गांव में स्कूल, सड़क और अस्पताल न कि मेट्रो शहरों में सात सितारा अस्पताल। शायद वित्त मंत्री जी की बजट बनाने वाली टीम इण्डिया को इस बात का आकलन नहीं है कि गांवों में 40-40 किलोमीटर के दायरे में छोटे-छोटे अस्पताल भी नहीं हैं। 90 प्रतिशत प्रसूत डिलेवरी गांव में अशिक्षित दाई ही कराती है।

अतः मेरा नम्र निवेदन है कि वित्त मंत्री जी को सबसे पहले शहरी विकास और ग्राम विकास के दो रास्तों में चुनाव और

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सामंजस्य करना पड़ेगा और इसके बाद पिछले 63 वर्ष के आजादी के बाद जो सफरनामा अभी तक किया है उससे भी सबक लेना होगा।

संक्षेप में शेयर बाजार की उछल-कूद भारतवासियों ने बहुत देख ली है। जिस देश में आज 31 करोड़ से ज्यादा लोग बी.पी.एल. की सूची में रह रहे हैं, जिनकी आमदनी 20-22 रुपये प्रतिदिन से कम है तो माननीय वित्त मंत्री जी ये भारतवासी अब जी.डी.पी. में उछाल सर्विस टैक्स में 9.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी जो पैराग्राफ-11 में अनुमानित किया है उसको सुनने को तैयार नहीं है।

सवाल इस चीज का है कि आज जो दो सबसे बड़ी समस्याएं हमारे देश में हैं वह हैं:

1. बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार

2. बढ़ती हुई महंगाई

क्या इस बजट में इन दो जटिल महामारी को थामने की कोई पहल की है तो मैं बड़ी श्रद्धा से कहना चाहता हूं कि इसका कोई भी सुलभ निदान इस लंबे-चौड़े 197 पैराग्राफ के बजट में नजर नहीं आता है।

साथ ही सर्वशिक्षा अभियान जिसकी चर्चा पैराग्राफ-97 में किया गया है यह बहुत अच्छी बात है। 2011 और 2012 में 21 हजार करोड़ जो धन आवंटित किया गया है और पिछले वर्ष से 40 प्रतिशत ज्यादा आवंटित करना अनुभवी वित्त मंत्री का बहुत अच्छा और काबिलेतारीफ का कदम है। साथ ही जो पिछड़े दलित, शोषित वर्ग को छात्रवृत्ति में वृद्धि की गई है जिसमें 40 लाख बच्चों को लाभ पहुंचेगा। सी-पैराग्राफ-98 भी बहुत अच्छा एक सामाजिक पहल है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क के अंतर्गत जो 190 संस्थाएं खोलने का विचार है यह भी बहुत ऐतिहासिक कदम है।

मैं वित्त मंत्री को मुबारकबाद देता हूं कि पैराग्राफ-101 में बहुत से विश्वविद्यालय को स्पेशल विशेष एक्सीलेंस ग्राण्ट जो दी गई है वह भी साहसी कदम है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से सांसद होने के नाते कहना चाहता हूं कि शायद वित्त मंत्री जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो उत्तरी भारत का आक्सफोर्ड कहा जाता है, लखनऊ विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को शायद भूल गए हैं या बजट बनाने की मोहन बगान टीम में उत्तरी भारत का प्रतिनिधित्व कम दिखाई पड़ता है।

यदि इन 3 बातों को देखकर 2011-2012 के बजट का आकलन किया गया तो इन तीनों का इसमें अभाव है। उद्देश्य यदि आम आदमी के हितों को प्राप्त करने के लिए यह बजट बना है यह बजट आम आदमी के लिए नहीं है। आज 65 प्रतिशत भारतवासी गांव में रहते हैं और कृषि से जुड़े हुए हैं। पिछले बजट में कृषि/फसल ऋण 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 4.75 करोड़ कर दिया गया, परंतु क्या वित्त मंत्री ने इसका भी ध्यान दिया है कि पिछले 2 साल में कितनी रकम किसानों को ऋण में मद में बांटी है और इसमें क्या छोटे किसानों या बड़े किसानों को लाभ पहुंचा है। क्या ऋण बांटकर आर्थिक संकट से बचा जा सकता है।

क्या इसका ध्यान है कि मौसम जिसे माननीय वित्त मंत्री इन्द्र देवता कहते हैं, यदि साथ न दिया तो क्या इस बजट में कोई प्रावधान है कि सिंचाई की सुविधा बढ़ी है जिससे किसान मौसम की मार को झेल सकेंगे।

यह बात बहुत अच्छी है जो किसान समय पर ऋण वापस कर देंगे उनको 3 प्रतिशत छूट मिलेगी, परंतु क्या इसका भी कोई आकलन किया गया है कि वह 3 प्रतिशत छूट पाने वाले भाग्यशाली किसान कितने हैं जो समय के अंदर ऋण वापस करते हैं उनकी खेती की जोत कितनी है। वे किसान हैं जिन्हें बड़ा किसान कहा जाए या जो खेती का व्यापार करते हैं वे किसान हैं तो 3 फीसदी छूट हैसियतदार किसान को मिल रही है या गरीब किसान को।

बजट में कहीं भी इसका ध्यान नहीं दिया गया कि जब दाल, प्याज का दाम आसमान छूने लगा और अनाज, सब्जी, प्याज के दाम सोना, चांदी के दाम की तरह बढ़ रहे थे तो ये बढ़े हुए दाम की रकम किसके जेब में गई। क्या इस बढ़े हुए दाम का फायदा किसानों को मिला, या कोई ऐसी ताकत है जो दाम की बढ़ती हुई गंगा को रोक लेता है और किसान आज भी भूखा रहता है।

मेरा तो कहना यह है कि इस बजट के पहले तरक्की के रास्ते का चुनाव करना होगा। एक रास्ता बड़े-बड़े शहरों मेट्रो शहर की ओर जाता है और दूसरा रास्ता ग्रामीण भारत की ओर जाता है।

मेरा निवेदन है कि माननीय वित्त मंत्री को और उनकी भारी-भरकम टीम जो सचिवालय के वातानुकूलित डिफ्यूज लाइट में और लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स और विदेशी आर्थिक के विषय की किताबें पढ़ता है भारत के बजट की नींव डालते हैं उनकी मानसिकता और सोच में सुधार आना चाहिए। आज भारत में 2 हित प्रमुख रूप से सामने आते हैं वो निम्न हैं:

1. शहरी भारत

2. ग्रामीण भारत

पिछले 63 वर्षों में बजट में शहरी भारत का रास्ता चुना गया उसकी नतीजा सामने यह आया कि दिल्ली में करीब 70-80 लाख गाड़ियों से भर गई, परंतु प्याज, दाल और सब्जी की मंडियां खाली रहीं। आज यह तय करना है कि प्राथमिकता क्या है। भारतीय नागरिक को खाद्यान्न, सब्जी और जीवन स्तर को सुधारने की प्राथमिकता है या विदेशी कारों, मॉल, कल्चर की आवश्यकता है।

पैराग्राफ-11 में वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जी.डी.पी. में 8.6 प्रतिशत की बढ़त 2011-2012 में होने का अंदाजा है और साथ में कृषि में 5.4 प्रतिशत की बढ़त होने की आशा है। परंतु बजट के आकलन करने से हो सकता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जी.डी.पी. में बढ़त हासिल हो जाए तो एक बड़ी भारी भविष्यवाणी होगी, परंतु कृषि में 5.4 प्रतिशत की बढ़त एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी लग रही है इससे वास्तविकता को कोई लेना-देना नहीं है।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र की सरकार का बजट दिशाहीन एवं निराशाजनक इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं - महंगाई, बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए कोई कार्यक्रम नहीं। शिक्षा की बदहाल स्थिति के लिए केवल बजट बढ़ाने से नहीं इसके लिए नीति बनाने से सुधार होगा। देश में फैली व्यापक बेरोजगारी के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया। आयकर में महिलाओं को मिल रही राहत की विशेष सुविधा को केन्द्र सरकार ने वापस लेकर साबित कर दिया है कि वह महिला विरोधी भी है। भारत निर्माण के नाम पर देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है। केन्द्र सरकार बताए कि इसके लिए कितनी धनराशि की जरूरत है और कितनी धनराशि का प्रावधान बजट में किया गया है। क्या सदियों तक देश के ग्रामों को इसी तरह बदहाल रखने की मंशा यू.पी.ए. सरकार की है। गरीब आदमी को बजट में कुछ नहीं मिला वह अपने को ठगा महसूस कर रहा है।

एक बार क्रिकेट में बड़े भारी-भरकम खिलाड़ी जो रिटायर होने के बाद क्रिकेट के कमेन्टेटर हो गए थे तो उनसे किसी ने पूछा कि भारत के जीतने की क्रिकेट में क्या आशा है तो उन्होंने कहा कि गेंदबाज सीधी लाइन और लेन्थ से गेंद फेंकेंगे और फील्डर चुस्ती से सब कैच लेते रहेंगे और बल्लेबाज जमकर बल्लेबाजी करेंगे तो भारत अवश्य जीतेगा। उसी तरह हमारे बुजुर्ग अनुभवी माननीय वित्त मंत्री जी की बात कि इन्द्र देवता मेहरबान हो जाए, लक्ष्मी भी आशीर्वाद दे दें तो हम उनसे सहमत हैं कि 8.6 प्रतिशत से ज्यादा जी.डी.पी. बढ़ेगी और 5.4 प्रतिशत से ज्यादा कृषि में विस्तार होगा।

जहां तक मैं समझता हूं कि औद्योगिक वृद्धि और कृषि वृद्धि की जरूरतों में सामंजस्य लाना होगा और विकास का फोकस कृषि और गांव की ओर मोड़ना होगा नहीं तो पिछले 63 वर्ष का सफर एक गवाह है कि भारत में हर वर्ष गरीबों और गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और आज 31 करोड़ से ज्यादा लोग बी.पी.एल. कार्ड की सूची में हैं, परंतु एक कीर्तिमान रिकार्ड बना है कि भारत के उस औद्योगिक घरानों का फोर्ब मैग्जीन में सबसे धनाढ्य सूची में नाम आ गया है।

आज कल गांवों में स्वास्थ्य, सुरक्षा ज्यादा झोलाछाप डाक्टरों पर निर्भर होती है और ज्यादातर किसान आसपास के जो बड़े शहर हैं वहीं से अपनी दवाई आदि का इंतजाम करते हैं। वित्त मंत्री ने 5 प्रतिशत हेल्थकेयर में जो सर्विस टैक्स लगा दिया है इससे जो गरीब तबका है उसको बहुत परेशानी होने वाली है।

भारत की जी.डी.पी. का 1 प्रतिशत ही हेल्थकेयर में खर्च होता है इसमें बढ़ोत्तरी के अपेक्षा यह 5 प्रतिशत हेल्थकेयर में सर्विस टैक्स लगाकर अब गरीब किसानों को दवाई की सुविधा बहुत ही महंगी होने वाली है।

वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार करीब 24-25 मिलियन प्रति वर्ष भारत में गरीब हेल्थकेयर खर्चे के कारण गरीब बन रहे हैं। 1 लाख जनता को 90 बेड आज उपलब्ध हो रहे हैं, जबकि संसार का अवसत 270 बेड का है। यह सबको मालूम है कि पूरे भारत में सरकारी अस्पताल की हालत खस्ता है और जनता प्राइवेट हेल्थकेयर के भरोसे है। यदि 5 प्रतिशत हेल्थकेयर में सर्विस टैक्स लगे रहा है तो सबसे ज्यादा परेशानी और मार गरीबों पर पड़ेगी और मेरा निवेदन है कि हेल्थकेयर को इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए और तभी गरीबों तक सुविधा पहुंच सकेगी।

2011-2012 के बजट में 11 हजार 3 सौ करोड़ रुपया अप्रत्यक्ष कर लगाया गया। पिछले वर्ष 45 हजार करोड़ के अप्रत्यक्ष कर के बाद भी महंगाई बढ़ी थी। 130 नए उत्पादों को एक्साइज ड्यूटी के दायरे में लाया गया है जिससे बच्चों की कॉपी, किताब, मोमबत्ती के दाम बढ़ेंगे और उत्पाद शुल्क को 4 से 5 फीसदी बढ़ाने से दवा से लेकर खाद के उत्पादों के दाम बढ़ेंगे। कपड़ा, मकान, दवा महंगी हो जाएगी। अब महंगाई इस बजट से बढ़ेगी और इस पर काबू कर पाना मुश्किल होगा।

इस बात को पूरी जनता समझती है कि जब भी उत्पादन शुल्क बढ़ता है तो उत्पादक बढ़े हुए टैक्स को उपभोक्ताओं पर लाद देते हैं। शायद वित्त मंत्री हुस्नीमुबारक ईजीप्ट, गदाफी, और लीबिया कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को भूल गए हैं और आगे का भविष्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। बजट में सरकारी खर्च की कटौती का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। 2010-2011 में

करीब 19 फीसदी सरकारी खर्च बढ़ा है और 2011-2012 में इससे भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है।

हालांकि वित्त मंत्री जी ने इस बजट में सबसे चमत्कारी कार्य घाटे पर नियंत्रण का कार्य किया है। सब्सिडी का बिल पहले 1 लाख 75 हजार करोड़ से घटकर 1 लाख 73 हजार करोड़ आने की संभावना है। और यदि जैसा आसार नजर आता है कि तेल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई नहीं रुकेगी और यह 8-9 प्रतिशत ग्रोथ का आंकड़ा प्राप्त करना भी कठिन हो जाएगा।

बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे खाद्य सुरक्षा गारंटी स्कीम, रोजगार गारंटी स्कीम, सर्वशिक्षा अभियान की बजट में घटाने से वित्त मंत्री की घबड़ाहट प्रतीत होती है और सस्ता अनाज बांटने की सुरक्षा की स्कीम भी खतरे में पड़ सकती है।

निष्पक्ष आकलन से इन हालात को देखते हुए और विशेषकर तेल की कीमतों में निरंतर उछाल का ध्यान देते हुए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद और मुबारकवाद देना चाहूंगा और उनके अनुभव और राष्ट्रहित के समर्पण को स्वीकार करता हूं। बजट को पढ़ने में यह साफ है कि कुल टोटल 66 घोषणाएं पिछले बजट में 2010-2011 में की गई थी उसमें 50 घोषणाओं में कार्यवाही करीब-करीब पूरी हो चुकी है और 10 घोषणाओं में काम शुरू हो चुका है।

यह बहुत व्यावहारिक और वित्त मंत्री जी तारीफ करने लायक कदम है, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा जिसमें कहा गया था कि 2 हजार से ज्यादा आबादी वाले गांव जो कि भारत में 72 हजार से ज्यादा गांव हैं उनमें 31 मार्च, 2011 तक बैंकिंग सुविधा होगी। मैं चाहता हूं कि इस योजना को अमलीजामा पहनाया जाए जिसमें उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भी बैंकिंग सेवा का शुभारंभ होगा। मैं चाहता हूं कि अनाज और सब्जी के कोल्ड स्टोरेज बनाने में गति लाई जाएगी अन्यथा उपभोक्ता और गरीब किसानों को बहुत नुकसान होगा और आज की महंगाई के पीछे अनाज के भंडारण की सुविधा न होना भी एक मुख्य कारण है, अन्यथा चीनी, प्याज और दाल के दाम को बढ़ने से रोक पाना बहुत कठिन हो जाएगा।

मैं अंत में चाहूंगा कि वित्त मंत्री ने जो अपने बजट में विशेषकर पैराग्राफ-21 में एक प्रार्थना की है कि जिसके द्वारा इन्द्रदेव और लक्ष्मी जी की पूजा किया है तो इसमें भी कुछ बजट निर्धारित कर दिया जाए और नेता सदन जो प्रणवदा है उनकी अगुवाई में हम सब बैठकर पूजा-पाठ और हवन करें तो शायद भारत की गरीब जनता का कल्याण हो सकेगा। भारत का किसान और गरीब जी.डी.पी. 8.6% कृषि 5.4 उद्योग 8.1% और सर्विसेज 9.6% के आंकड़े से मतलब नहीं है उसका जीवन स्तर का सुधार करे।

अंत में भ्रष्टाचार में लगाम लगाने और महंगाई को रोकने का अभियान जो इस बजट में दिखाई पड़ रहा है उसके लिए मैं अपने दिल से वित्त मंत्री जी को गुड विसेज और बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं।

***श्री कपिल मुनि करवारिया** (फूलपुर): बजट 2011-2012 में बेरोजगारों व किसानों की उपेक्षा करके उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। किसानों को सात प्रतिशत ब्याज की दर से रियायती अल्पावधिक ऋण उपलब्ध कराने व समय से ऋण को वापस करने पर 3 प्रतिशत सहायता की बात कही गई है। मेरा मानना है कि उक्त अल्पावधिक ऋण से छोटे किसानों को लाभ नहीं मिल पाएगा। छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ऋण वापसी की समय सीमा बढ़ाई जाए और फसल गारंटी के लिए नि:शुल्क बीमा योजना लागू की जाए जिसका कोई प्राविधान बजट में नहीं किया गया है।

एल.पी.जी., खाद एवं केरोसीन पर नगर सब्सिडी की बात कही गई है लेकिन गरीब परिवारों की पहचान करके उन्हें बी.पी.एल. में शामिल करने तथा बी.पी.एल. परिवारों की संख्या में वृद्धि करके सभी वास्तविक गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ दिलाने हेतु बी.पी.एल. कोटा बढ़ाने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

युवा बेरोजगार जो कार्य न मिलने से हताश व निराश हैं तथा जीविकोपार्जन के लिए संघर्षरत है को जीवन यापन हेतु बेरोजगारी भत्ते का बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। देश में बेरोजगार युवाओं की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है इसके साथ ही आउटसोर्सिंग के कारण भी अन्य देशों में कार्यरत तकनीकी दक्ष भारतीय युवा बेरोजगार हो रहे हैं उनकी मेधा व क्षमता के उपयोग के लिए बजट में कोई कार्ययोजना नहीं है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुए पांच वर्ष से अधिक समय हो गया है लेकिन आधारभूत सुविधाओं यथा छात्रावासों की व्यवस्था व उच्चीकरण तथा चिकित्सा विभाग के लिए मेडिकल कालेज की स्थापना सहित इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय के विकास हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले माघ मेले व अर्द्धकुम्भ तथा महाकुम्भ के अवसर पर प्रतिदिन लाखों लोग संगम स्नान व अन्य प्रशासनिक कार्यों से इलाहाबाद आते जाते हैं जिसके कारण इलाहाबाद में जाम की समस्या बनी रहती है। इलाहाबाद में जाम की समस्या से निजात हेतु मैट्रो परियोजना के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इलाहाबाद प्रयाग में जनवरी, 2013 में लगने वाले महाकुम्भ को देखते हुए तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों व श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने हेतु संगम तट सहित गंगा नदी के दारागंज व रसूलाबाद घाटों पर पक्के स्नान घाटों का निर्माण कराने तथा इलाहाबाद शहर को जाम से राहत हेतु आई.ई.आर.टी., तेलियरगंज एवं कालिन्दीपुरम में फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इलाहाबाद के आसपास के ऐतिहासिक व पौराणिक स्थलों श्रगवेरपुर धाम, पंड़िला महादेव, महर्षि दुर्वासा आश्रम व ऐन्द्रिय धाम आदि के विकास के लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

गंगा एवं यमुना हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन तो किया गया है लेकिन बी.ओ.डी. व जल प्रबंधन की सुचारू व्यवस्था हेतु बजट का आवंटन नहीं किया गया है।

इलाहाबाद का गंगापार क्षेत्र उत्तर प्रदेश का अग्रणी सब्जी उत्पादन केन्द्र है। यहां बड़ी मात्रा में लघु सीमान्त कृषक सब्जी उत्पादन के कार्य में लगे हैं लेकिन स्टोरेज की समस्या के कारण किसान फसल का समुचित मूल्य नहीं प्राप्त कर पाते जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है परंतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनांतर्गत परियोजना में शामिल करने हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

देश में बड़ी संख्या में हथकरघा व बीड़ी उद्योग में मजदूर लगे हैं जिसके कारण वे विभिन्न गंभीर बीमारियों से ग्रसित होकर असमय जान गवां बैठते हैं। हथकरघा व बीड़ी उद्योग में लगे श्रमिकों के पुनर्वास व विकास के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

नेशनल स्पोर्टस एकेडमी खेलगांव झलवा इलाहाबाद के जिम्नास्टिक प्रशिक्षुओं ने सीमित संसाधनों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं राष्ट्रमंडल एवं एशियन गेम्स में पदक प्राप्त कर विदेश में देश का नाम रोशन किया है लेकिन इन खिलाड़ियों के समुचित प्रशिक्षण हेतु वातानुकूलित प्रशिक्षण हाल सहित अन्य सुविधाओं के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

विश्व की पहली हवाई डाक सेवा के संचालन का श्रेय इलाहाबाद को प्राप्त है और इसके सौ वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में फरवरी, 2011 में समारोह आयोजित किया गया लेन इसके विकास के लिए इलाहाबाद में नागर विमानन संग्रहालय और नागर विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

देश का हजारों करोड़ काला धन दूसरे देशों में जमा है। इस काले धन को जिसे देश के विकास में लगाकर हजारों नौजवानों के रोजी रोटी की व्यवस्था की जा सकती है परंतु इस काले धन को भारत में वापस लाने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। दूसरे देशों में जमा काला धन जिसकी वापसी होने तक इसकी निकासी पर रोक के प्रावधान किए जाने थे लेकिन इस काले धन को देश में वापस लाने तक इसकी निकासी पर रोक हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

चिकित्सा एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को सेवा कर के दायरे में लाकर उपचार व शिक्षा को और खर्चीला बना दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर सीमा में तो छूट बढ़ा दी गई है लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को इलाज हेतु सेवा कर के दायरे में रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों को इलाज हेतु सेवा कर से छूट दी जानी थी जिसका बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इस बजट में किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों, हथकरघा व बीड़ी श्रमिकों व खिलाड़ियों की उपेक्षा की गई है। अत: मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

***डा. थोकचोम मैन्या** (आंतरिक मणिपुर): मैं पिछले महीने की 28 तारीख को माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट (सामान्य) 2011-12 का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बजट कुल मिलाकर एक अच्छा बजट है। विभिन्न कठिनाओं के बावजूद, वित्त मंत्री इस वर्ष के बजट को विशिष्टता के साथ लाए हैं। मैं वित्त मंत्री और नि:संदेह संप्रग अध्यक्षा तथा माननीय प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई देता हूं जिनके मार्गदर्शन में ऐसा अच्छा कार्य हो रहा है। इतने बड़े और इतनी अधिक जनसंख्या वाले देश में काफी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मेरा कहना है कि संप्रग-1 अच्छा कार्य कर रही है।

इस वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय हमारे वित्त मंत्री अपने सीधे-सीधे और स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि वह निरंतरता की अति स्पष्ट अवधारणा बनाए रखकर बजट तैयार करने का प्रयास करते हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वित्त मंत्री सक्षम सरकार की बात करते हैं। बहुत खूब! अब, हम अपने संविधान की संरचना और उसके कार्यकरण पर दृष्टिपात करते हैं। इस महान देश में 'विविधता में एकता' वास्तविकता है। कोई भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों की भूमिकाएं पूरे देश के अनेकों मुद्दों का निपटारा करने में एक समान महत्वपूर्ण है। संभवत: आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि, देश की आंतरिक सुरक्षा, अलगाववादी आंदोलन, नक्सल गतिविधियां, माओवादी गतिविधियां, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम का विरसन, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के मुद्दे के मामले।

मेरी विनम्र राय के अनुसार इन सभी मुद्दों पर सरकार को जनता के बीच जागरूकता उत्पन्न करने हेतु तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। जागरूकता कार्यक्रम को वास्तव में सफल बनाने हेतु जनता को समुचित रूप से शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता है। मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ऐसा ही एक सफल कारक है। देश में संपन्न मानव संसाधन हैं और इस संसाधन के समुचित विकास, मैं दोहराता हूं कि मानव संसाधन का समुचित विकास सामान्य जागरूकता कार्यक्रमों की वास्तविक कुंजी है।

अत:, शिक्षा हेतु 52.057 के योजना आबंटन के लिए मैं वित्त मंत्री के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं जो कि चालू वर्ष में 24% वृद्धि है। तथापि, मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह माध्यमिक और उच्च शिक्षा दोनों के क्षेत्रों में और अधिक धनराशि प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

आधारभूत विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास हेतु अधिक धनराशि निर्धारित की जा सकती है जो कि प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों हेतु सबसे अच्छे क्षेत्र हैं। महोदया यह हमारे वैज्ञानिक मूल्यों और वैज्ञानिक स्वभाव की सुस्थापित परंपराओं को बनाए रखने में बहुत काम आएगा। इससे जलवायु परिवर्तन, देश की ऊर्जा सुरक्षा, अंधविश्वासों की रोकथाम आदि मुद्दों का अच्छी तरह समाधान किया जा सकता है। आइए हम शिक्षा हेतु न्यूनतम 6% जी.डी.पी. आबंटित करने की दिशा में कार्य करें।

ग्रामीण विकास हेतु आबंटित धनराशि निसंदेह पर्याप्त है। अब भी मेरा आग्रह है कि इस क्षेत्र को और धनराशि उपलब्ध कराई जा सकती है। क्योंकि, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार भारत गांवों में बसता है जोकि सर्वमान्य सत्य है इन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति हर तरह से उपेक्षित हैं। उनकी स्थिति में सुधार करना ईश्वर की सेवा के समान है।

इन ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का पूर्णत: अभाव है। वहां पर वास्तव में स्वच्छ पेयजल, विद्युत, मूलभूत स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं, अच्छे विद्यालय, अच्छी सड़कों की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। हमें इन क्षेत्रों में अनेक कार्य करने हैं और इसका अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों हेतु और धनराशि की आवश्यकता है।

अंतर्राष्ट्रीय सीमा की समस्याओं की बात करें तो मैं मणिपुर राज्य से आता हूं। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के हमारे साथी राज्यों के साथ मणिपुर की नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे पांच देशों के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यहां, मैं इस सम्माननीय सभा को इस तथ्य की सूचना देना चाहूंगा कि लगभग इन सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर एक जैसे लोग रहते हैं। उनके बच्चों की अन्य के बच्चों के साथ विवाह किया जाता है।

उनके पास भी तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर कृषि भूमि है। यह सचमुच वहां बहुत ही दिलचस्प और विचित्र स्थिति है। यदि कोई समस्या वहां आती है तो वहां एक स्थायी सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए एक सही मानवीय दृष्टिकोण की हमेशा आवश्यकता होती है।

अब मैं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी. लैड्स) मामले के बारे में बहुत अधिक चर्चा हो चुके एक दूसरे मामले पर विचार करूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी आज कृपया उस दिन को याद करें। यह पहली बार बने संसद सदस्यों के लिए गत 14वीं लोक सभा का प्रशिक्षण सत्र था जब आपने हमें यह कहकर संबोधित किया था कि आप संसद के सबसे पुराने सदस्यों में से एक हैं और साथ ही लोक सभा का पहली बार सदस्य बने हैं। विचार-विमर्श सत्र के दौरान हमने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को समाप्त करने के मामले को उठाया। एक बार फिर मैं कुछ दिलचस्प समस्याओं को साझा करने के लिए यहां उपस्थित सदस्यों का ध्यान चाहता हूं।

अब हमारी यह मांग है कि: या तो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.लैड्स) को समाप्त करें या इसे कुछ यथोचित राशि बढ़ाकर 10 करोड़ तक करें।

संप्रग दो में अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी है। हम वैश्विक आर्थिक मंदी के अवांछित प्रभाव से धीरे-धीरे बाहर निकल आए हैं।

सबसे उत्साहवर्धक बात यह है कि सकल घरेलू उत्पाद विकास दर में वृद्धि हो रही है और यह उम्मीद है कि विकास दर और बढ़ेगी तथापि हम आत्म संतोष करके नहीं रह सकते। हमें हमारी अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत तथा उदीयमान बनाने के लिए बेहतर करना है। नि:संदेह भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है।

मैं दृढ़ता से महसूस करता हूं तथा मुझे यह विश्वास है कि यदि संप्रग सरकार सत्ता में बनी रहती है तो भारत अगले 2 से 3 दशकों में आर्थिक महाशक्ति बनेगा। यह मेरा या हमारा अनुमान नहीं है। इस प्रकार का अनुमान विदेशों के जनसंचार माध्यमों में पाया जाता है।

मुद्रास्फीति को प्रभावी ढंग से रोका जा रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ही अच्छी स्थिति में है। हाल ही में हमने काफी सोना/बुनियन खरीदा है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने को हर कोई स्वीकार कर रहा है। अमेरिका और जापान जैसी विश्व की महा आर्थिक शक्ति भी हमारी क्षमता को स्वीकार करते हैं। हर किसी को इस पर गर्व करना चाहिए।

जी हां, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, किसानों की दशा आदि जैसे चिंता के कुछ विषय हैं, संप्रग सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रही है।

ऋण को माफ करने की हमारी नीति के कारण किसानों की आत्महत्या की संख्या में काफी कमी आई है। मनरेगा ने हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है।

हमें माननीय वित्त मंत्री के नेतृत्व में विश्वास है। वे मंजे हुए अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ हैं और वे किसी भी स्थिति और आपदा से निपट सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में आवश्यक वस्तुओं का मूल्य स्थिर हो गया है।

आवश्यक वस्तुओं की महंगाई तथा किसानों की आत्महत्या को भी रोकने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि जैसी संप्रग के अग्रणी कार्यक्रमों हेतु किसी भी तरह धनराशि की कमी नहीं होनी चाहिए।

साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम को गंभीरता तथा न्यायसंगत ढंग से लागू करना चाहिए।

हमें सभी राज्यों या क्षेत्रों का समान विकास करना है। हमें क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग की ओर से एक नए दृष्टिकोण, एक नई नीति की आवश्यकता है। यदि कोई राज्य या क्षेत्र विकास की क्षेत्र में पीछे रहा तो मुझे आशंका है कि असंतोष और विद्रोह पैदा होगा।

इसलिए हमें हमारी आर्थिक योजना और वित्तीय प्रबंधन के लिए एक नई सोच और एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पिछड़े क्षेत्रों या राज्यों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। समाज के गरीब तबकों और वंचित तबकों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं पूर्वोत्तर में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में अपने उत्तर के दौरान हमारे प्रधान मंत्री ने जो कहा था, को उद्धृत करता हूं। उन्होंने यह उल्लेख किया है कि असम और मणिपुर में स्थिति अभी भी चिंताजनक है।

उन्होंने आगे बताया है कि एक प्रमुख संगठन ने हिंसा त्याग दी है और बातचीत करने पर सहमत हो गया है तथा उन्होंने उनको बधाई दी है।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने मणिपुर में स्थिति की विस्तार से चर्चा नहीं की है। यहां मैं इस तथ्य की ओर इस सम्माननीय सभा का ध्यान चाहता हूं कि मेरे राज्य मणिपुर में भी कुछ संगठनों ने हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए हस्ताक्षर किये हैं और सरकार के साथ वार्ता जारी है। यह सचमुच उत्साहवर्धक है।

इसी तरह मैं यह सुझाव देता हूं कि इन संगठनों को वार्ता स्तर तक आने के लिए राजी करना चाहिए तथा इसके स्थायी और सम्मानजनक हल के लिए प्रयास करना चाहिए।

इसके लिए निश्चित रूप से थोड़ा-बहुत समझौता करने की आवश्यकता होगी। 'क्षमा करो और भूल जाओ' का सिद्धांत एक मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है।

सभी समस्याओं का समाधान विचार-विमर्श के माध्यम से हो सकता है। हमारे मामले में समाधान राजनीतिक होना चाहिए। हमें इस तकलीफदेह समस्या के राजनीतिक समाधान हेतु ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। उपर्युक्त समाधन के लिए हमारे बच्चों की उचित शिक्षा और निरंतर आर्थिक विकास ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां केन्द्र सरकार राज्यों की सहायता कर सकती है। उचित शिक्षा एक बेहतर भविष्य बना सकती है और अंततः महोदया, संप्रग-दो समग्र विकास, आय तथा सभी राज्यों के समान विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

सोनिया गांधी महोदया, श्री मनमोहन सिंह और श्री प्रणव मुखर्जी के सक्षम नेतृत्व में हम आश्वस्त हैं कि हम सभी वित्तीय समस्याओं को दूर करने तथा आर्थिक महाशक्ति बनने में सक्षम होंगे।

एक बार फिर मैं सामान्य बजट 2011-12 का पूर्णतः और हार्दिक समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री हंसराज गं. अहीर** (चन्द्रपुर): बजट जब आया तब मुझसे एक पत्रकार ने पूछा था कि देश की अर्थव्यवस्था का हाल तो अच्छा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, मैंने कहा कि आपकी बात ठीक है, अर्थव्यवस्था का हाल तो अच्छा है पर लोगों का नहीं। वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए बजट पर भी यही बात लागू होती है। 12 लाख 57 हजार 729 करोड़ अनुमानित खर्च का यह बजट लोगों की अपेक्षाएं पूरी करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो गया है। आज देश में आम आदमी लगातार बढ़ती महंगाई के कारण परेशान है। सरकार से उसने जो अपेक्षाएं लगा रखी वे पूरी तरह विफल साबित हो गई हैं। महंगाई नियंत्रित करने में सरकार की असफलता से लोगों के थाली से दाल, फल आदि पोषक चीजें गायब हो रही हैं। देश में कुपोषण और रक्ताल्पता से पीड़ित लोगों की संख्या इससे और बढ़ेगी। हमें सशक्त भारत का निर्माण केवल विकास दर बढ़ाकर नहीं करना है, लोग निरामय, स्वस्थ रहें तो ही हम सशक्त देश कहला सकते हैं।

सरकार ने इस बार स्वास्थ्य बजट 20 प्रतिशत बढ़ाकर 26,760 करोड़ रुपये किया, लेकिन देश में आज स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव को देखते हुए यह प्रावधान नाकाफी है। विश्व के गरीब देश भी अपने जी.डी.पी. का 2 से 6 प्रतिशत स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करते हैं। फिर हम क्यों नहीं कर रहे। आज विश्व में दूसरी नंबर की बढ़ती अर्थव्यवस्था का हम बखान करते हैं, यह सही भी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक के अनुसार हम इस क्षेत्र में विश्व में 119वें नंबर पर हैं। क्या यह हमारे विकास का परिचायक कहलाता है। देश में 1 लाख जनसंख्या के लिए अस्पताल में केवल 90 बेड हैं, विश्वस्तर पर यह 270 है, देश में 1 लाख जनसंख्या के लिए 60 डाक्टर और 130 नर्स उपलब्ध हैं, विश्व में यह 140 और 280 है आज भी देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हजारों की तादाद में रिक्तियां हैं, हमें ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डाक्टर, प्रशिक्षित नर्स और विशेषज्ञ बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराने होंगे। सरकार इस मामले में उपेक्षा बरत रही है, और इसका उदाहरण है सरकार ने शहरी क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं को आयकर के दायरे में लाकर स्वास्थ्य परीक्षण सुविधाएं जो आजकल आम और जरूरी हो गई उसे महंगी करने का काम किया है, सरकार को इसका पुनर्विचार करना होगा। इसी तरह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एन.आर.एच.एम. जोकि 2012 में खत्म होने जा रहा है उसे आगे बढ़ाने और इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्र में कारगर सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास करने की भी आवश्यकता है।

देश में सर्वाधिक खराब स्थिति हमारे किसानों की हो रही है। नेशनल सैम्पल सर्वे के अनुसार एक किसान परिवार की औसत आमदनी 2115 रुपये है, इसका मतलब देश में करीब 60 करोड़ किसान गरीबी रेखा के नीचे हैं। फिर भी हम विकास का श्रेय ले रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। देश में लगातार हो रहे भूमि अधिग्रहण के कारण कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल घट रहा है। अब देश में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र 182.39 मिलियन हैक्टेयर रह गया है। अपनी खाद्य सुरक्षा को कायम रखना व बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में हम उसे बढ़ाना चाहते हैं तो कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगनी चाहिए। सरकार ने 2007 में खाद्य सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय किसान नीति बनाई। इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा। कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग को रोकने के लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। भूमि अधिग्रहण में भी किसानों को कोड़ियों के दाम दिए जा रहे, इसको लेकर देश के किसानों में असंतोष निर्माण हुआ है। अंग्रेजों के राज में 1894 में बना भूमि अधिग्रहण कानून की उपयोगिता की समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसे कालसंगत बनाकर किसान हितैषी बनाने के लिए सरकार को संशोधन लेकर आना होगा। भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में हमारे यहां के गोसी खुर्द सिंचाई परियोजना के विस्थापित किसानों के मुकदमें में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये की छूट दे सकती है फिर विस्थापित किसानों को सहायता और नौकरी देने में परहेज क्या है। यह अब आम किसान का सवाल बन गया है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक चिंता का विषय है इसके जी.डी.पी. में कम हो रहा प्रतिशत। 2004-05 में यह 19 प्रतिशत, 2008-09 में 15.7 और अब 14.2 प्रतिशत हो गया है। इसका मतलब कृषि क्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्र के मुकाबले घट रहा है जबकि देश में कृषि क्षेत्र की निर्भरता 58 फीसदी है। रोजगार सृजन में भी इसका भारी योगदान है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्धता 3 लाख 75 हजार करोड़ रु. से बढ़ाकर 4 लाख 75 हजार करोड़ रु. की, लेकिन इसका लाभ किसानों को मिलने के लिए बैंकों को अपने नियमों में बदलाव करने के दिशानिर्देश जारी करने होंगे। अभी भाजपा शासित कर्नाटक और मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को 3 लाख रुपये तक के ऋण 1 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया इसका केन्द्र सरकार द्वारा अनुकरण किया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र के नाम से दिया जा रहा अधिकतर ऋण, बीज, ट्रैक्टर, उर्वरक, कीटनाशक कंपनियों को जाता है। सरकार द्वारा किए गए उपायों का किसानों को लाभ मिलने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए तो ही यह राशि किसानों को फायदा पहुंचा सकती है। सरकार ने बजट के पहले दिए डी.ओ.पी. जैसे उर्वरकों पर प्रति टन 1.5 सौ से 6 हजार तक मूल्यवृद्धि कर दी है, इससे

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

किसानों की लागत बढ़ेगी, महंगाई की तुलना में न्यूनतम मूल्य में भी बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता है। किसानों को समय पर खाद वह भी सस्ते में उपलब्ध कराने के लिए भी उचित कदम उठाने की मांग करता हूं।

सरकार ने बजट में आंगनवाड़ी कर्मचारी और सहायिका के वेतन में दोगुनी बढ़ोत्तरी की लेकिन मानदेय आधार पर हम मांग कर रहे हैं कि सरकार आंगनवाड़ी सहायिकों को कर्मचारी का दर्जा देकर उनकी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करें। इस मामले में मैंने निजी विधेयक भी पुरस्थापित किया हुआ है। सरकार ने आयकर सीमा में 20 हजार की बढ़ोत्तरी की लेकिन महिलाओं को कोई लाभ नहीं पहुंचाया। अगले वर्ष डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होने वाला है। तब इस बढ़ोत्तरी का क्या औचित्य रहा, सोचने की बात है। आयकर की सीमा में बढ़ोत्तरी की जाने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री जी इस पर ध्यान दें। हम सभी कहते हैं कि भारत 2012 में विश्व का सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन हमने हमारे युवाओं पर लक्ष्य केन्द्रित नहीं किया है। युवाओं को उच्च शिक्षा, रोजगार के साधन दिलाने में हम असफल साबित हो रहे हैं। देशभर में रोजगार पंजीयन कार्यालयों में करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार के नाम दर्ज हो रहे हैं। देश में खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति से रोजगार की संभावनाएं घटने की बुरी खबर को देखते हुए हम युवाओं को रोजगार के साधन दिलाने के बारे में सोचना होगा। सरकार ने उसके लिए एक विशेष नीति बनाकर एक अभियान चलाना चाहिए। देश में 8.6 फीसदी बेरोजगारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए देश में तत्काल रोजगार सृजन हेतु कदम उठाने की मैं मांग करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने 52 हजार करोड़ का प्रावधान किया। लेकिन इसमें लगभग 40 फीसदी तो प्राथमिक शिक्षा के लिए है। देश में उच्च शिक्षित बेरोजगारों को रोजगारक्षम बनाने का बजट में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के द्वारा सरकार रोजगार सृजन का प्रावधान करे। सरकार ने अवसंरचना क्षेत्र के लिए 2 लाख 14 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण पर अधिक व्यय होना है। पिछले बजट में सरकार ने प्रतिदिन 20 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बनाने की घोषणा की थी। इसका क्या हुआ। सरकार को यह बताना होगा। केवल घोषणा से काम नहीं चलेगा। किए गए वादे भी पूरे करने होंगे। लेकिन यह सरकार इसमें असफल साबित हो गई है। सरकार ने पी.पी.पी. के अनुसार सड़क निर्माण में निजीकरण किया। इससे जनता पर टोल टैक्स का बोझा बढ़ गया। सड़कों की खस्ता हालत के बावजूद टोल टैक्स वसूला जाता है। सरकार वाहनों से रोड़ टैक्स वसूलती लेकिन इसका कितना प्रतिशत इस मद में खर्च किया जा रहा है। इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। यह सरकार प्रत्येक क्षेत्र में असफल साबित हो रही है। इसलिए सरकार को आम आदमी की सरकार कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इसे घोर निराशा वाला बजट मानता हूं।

***श्री भूदेव चौधरी** (जमुई): इस सत्र के दौरान इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया, जिसमें पूज्य बापू महात्मा गांधी के साथ-साथ अमर सेनानी सरदार भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरू, गुरुदत्त, अश्फाक उल्लख खां आदि वीर सपूतों की चर्चा हुई।

प्रजातंत्र के संसदीय प्रणाली में विपक्ष भी सरकार के ही अंग होते हैं। किंतु विगत दिनों से लेकर अभी तक की कार्य प्रणाली से मुझे जो अनुभूति हुई है, ऐसा लगता है कि अगर उन महान सपूतों की आत्मा जीवित होगी और इस सदन की ओर निहारती होगी तो उन्हें खुशी नहीं होती होगी बल्कि उनकी आंखों से आंसू निकलती होगी। उन्हें दर्द होता होगा कि नाहक हमने अपनी जवानी इस देश की जंगे आजादी की लड़ाई में गंवाई।

यह देश हम लोगों का नहीं बल्कि जिन लोगों ने इस देश को आजादी दिलवाने में अपने लाल-लाल खून बहाये, जेल की सलाखों के अंदर सांसे ली, पीठ पर लाठियां और कोड़े खाये, उन्हीं का यह देश है।

यह जो बजट प्रस्तुत हुआ है, मुझे लगता है कि महात्मा गांधी का सपना कि आजादी के बाद ग्राम स्वराज्य की स्थापना होगी, वह निरर्थक साबित होता है। इस बजट में ना तो सुदूर गांव की चर्चा है और न ही गांव में रहने वाले किसान, मजदूर और बेरोजगारों की चर्चा है। जिस देश में आजादी के बाद भी आधी से अधिक आबादी को दो जून की रोटी नसीब नहीं है उस देश को हम कैसे समृद्ध और शक्तिशाली मान सकते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आज की तारीख में लगभग 18 करोड़ नौजवान बेरोजगार दर-दर की ठोकर खा रहा है। जिस बूढ़े बाप को और जिस बूढ़ी मां को अपने बेटे के प्रति विश्वास था कि जब मैं बूढ़ा और बेसहारा हो जाऊंगा तो उस समय मेरा जवान बेटा मुझको सहारा देगा।

किंतु मैं भारी मन से यह कहना चाहता हूं कि उसके अरमान और सपने साकार नहीं हो रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि आजादी के 63 सालों के बाद भी इस देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 44 हजार बच्चे लापता हो जाते हैं, जिसमें 11 हजार ऐसे बच्चे हैं जो लौट करके कभी घर नहीं आते। मुझे यह कहने में भी काफी दुख होता है कि सिर्फ दिल्ली में 6 से 14 साल के बच्चे लगभग 52 हजार बच्चों की आंखों की रोशनी गायब हो चुकी है। आखिर इस बजट से किसानों को और युवा बेरोजगारों को क्या प्राप्त होना है। लगभग

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

80 से 85 प्रतिशत गांव में रहने वाले किसान मजदूर इस बजट से हताश और निराश हो चुके हैं। कुछेक चंद लोग को लाभ एवं फायदे होने वाले हैं। यह चंद लोग कौन हैं? ये चंद लोग वे हैं जो अंग्रेजी अखबारों के ऐडोटेरियल को लिखकर देश में एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। जिनको इस देश की लड़ाई की कुर्बानियों का इजहार और एहसास ही नहीं है। ये चंद लोग वे हैं जिनका बाकी लोगों की जिन्दगी से कोई मतलब नहीं है। उनको गरीब की परेशानियों का कोई एहसास नहीं है। और यह बजट मात्र 15 से 20 प्रतिशत के लोगों के इर्द-गिर्द ही बनाया गया है। इस बजट में लोगों की परेशानी दूर करने के लिए कोई काम नहीं किया गया है। लोगों को कैसे रोजगार मिले इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

यह बजट सौभाग्य से एक अनुभवी और लोकप्रिय नेता माननीय प्रणब मुखर्जी द्वारा पेश हुआ और सदन के माध्यम से देश की जनता आशा भरी निगाह से बजट को देख रही है। एक तरफ वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास की बातें करते हैं और दूसरी तरफ उर्वरक एवं डीजल पर से सब्सिडी हटा कर किसानों को आत्महत्या की तरफ ढकेल रहे हैं। कृषि ऋण माफी के नाम पर भी खासकर बिहार के किसानों के साथ धोखा हुआ है। बिहार में आज भी सम्मिलित परिवार की परंपरा बरकरार है। और परिवार के मुखिया के नाम में सम्मिलित जमीन होती है। ऐसे में सरकार द्वारा घोषित सभी किसानों के 50 हजार तक ऋण माफ कर देना चाहिए। चूंकि 50 हजार तक के ऋण धारक किसान लघु किसान ही हैं। सामूहिक संपत्ति के कारण लघु किसान को भी सीमांत किसान मान लिया गया है, जो सर्वथा अपर्याप्त है।

अत: मैं सरकार से यह भी मांग करता हूं कि प्रत्येक किसान के 50 हजार तक का ऋण माफ किया जाए।

पूरे देश में बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। खासकर बिहार के ग्रामीण इलाके में बिजली का घोर अभाव है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत इलाकों में महज एक फेज बिजली की तार और दस केवी का ट्रांसफार्मर देकर बिजली की खानापूर्ति की जा रही है। परंतु उस ट्रांसफार्मर में विद्युत की आपूर्ति कहां से होगी, इस बात पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने विद्युत उत्पादन हेतु निजी कंपनियों को विद्युत उत्पादन के लिए आमंत्रित किया है। जिसमें कई कंपनियों ने अपनी सहमति दी है। अगर केन्द्र सरकार के माध्यम से कोल लिंकेज उपलब्ध करा दिया जाए तो बिहार विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकता है।

बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या लगभग एक करोड़ पचास लाख है। किंतु केन्द्र सरकार मात्र 64 लाख मान रही है तो आप अंदाज कर सकते हैं कि बिहार के गरीब के घरों में बिजली कैसे पहुंचेगी। इस बजट में बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। बहुत दिनों से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के साथ-साथ जन प्रतिनिधियों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। किंतु केन्द्र सरकार के सौतेलेपन के चलते इस पर आपत्ति जता रहे हैं और मैं नि:संकोच पूर्वक कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री विकास की तरफ जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ठीक इसके विपरीत केन्द्र सरकार बिहार के प्रति ईर्ष्या दिखा रही है।

आज बिहार में लगभग 17 जिले में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है लोग त्राहि माम, त्राहि माम कर रहे हैं।

मैं मांग करता हूं कि बिहार के इन जिलों में तुरंत पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करें।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र जुमई की चर्चा करना चाहूंगा। जुमई लोक सभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति काफी अच्छी है। अगर इस क्षेत्र की तुलना शिमला से की जाए तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। किंतु यह क्षेत्र विकास के अभाव में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की गिनती में आती है। अतएव इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा इस क्षेत्र को पर्यटक उद्योग के रूप में विकसित करने, इस क्षेत्र में थर्मल पावर की स्थापना करने, जुमई में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करने तथा एक राष्ट्रीय स्तर का इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की मांग करता हूं।

बिहार एक तरफ विगत वर्ष से आई कोशी की बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ सुखाड़ के दंस भी झेल रहा है। किसान दर्द से मर्माहत है, परंतु बजट में कोसी बाढ़ से प्रभावित लोगों के उत्थान के लिए कोई चर्चा नहीं की गई है। नेपाल डेम के लिए बातें नहीं करना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अत: सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कोसी बाढ़ पीड़ितों के लिए विशेष पैकेज के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण के लिए नेपाल सरकार के साथ बातचीत कर स्थाई हल निकाला जाए।

एन.डी.ए. के शासनकाल में माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सभी नदियों को जोड़ने का एक बहुत ही सुखद नीति की चर्चा की थी। वर्तमान सरकार को इस दिशा में ठोस नीति बनानी चाहिए ताकि इस दिशा में बाढ़ से निजात मिल सके।

मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। भारत की तकदीर संभालने का काम भारत की धरती पर, भारत की मिट्टी पर और भारत के लोगों द्वारा ही किया जा सकता है। जिसमें बिहार के दस करोड़ लोगों की भागीदारी आवश्यक है।

अब बिहार जाग चुका है और बिहार सम्मान की तलाश में आपकी तरफ मुखातिब हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि -

"छोड़ने से मूक भी बाचाल हो जाता है

टूटने पर शीशा भी काल हो जाता है

इस तरह बिहार के लोगों को मत छेड़ो

वरना जलने से कोयला भी लाल हो जाता है।"

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब हम 'शून्यकाल' की कार्यवाही शुरू करेंगे।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदया: किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...*(व्यवधान)**

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति महोदया, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर बोलने के लिए खड़ा हूं। मुझे इसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ा। आज हमें जीरो ऑवर ने बहुत तंग किया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: बजट पर डिसकशन समाप्त हो गयी है और रिप्लाई कल होगा। अभी हम जीरो ऑवर ले रहे हैं।

श्री शरद यादव: सभापति महोदया, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। प्रणव दादा सदन से उठकर जा रहे हैं। प्रणव दा, आप हमारी बात सुनकर जाते, तो ज्यादा अच्छा होता।..*(व्यवधान)* अगर आपको कोई काम है, तो जाइये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): यदि आप 'शून्यकाल' में मंत्री की उपस्थिति पर जोर देंगे तो यह खराब परंपरा बन जाएगी।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: मैं सिर्फ आपको अपनी बात सुनने के लिए कह रहा था।...*(व्यवधान)* मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी को बधाई देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एंटरटेनमैंट चैनल्स के बारे में बोलना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि बाजार का विस्तार आज से नहीं, सदियों से हो रहा है। लेकिन बाजार के विस्तार में संस्कृति हिन्दुस्तान की हो या बाहर की हो, उनमें मेल होना चाहिए। चाहे संगीत हो, तहजीब व तमदुन हो या संस्कृति हो। आप खुद मेरे से ज्यादा जानती हैं-बिग बॉस, जोर का झटका धीरे से, झलक दिखला जा, शादी तीन करोड़ की, गिनीज बुक ऑफ रिकार्ड्स तो सुना था, अब चैनल वाले गिनीज बुक हिन्दुस्तान में ले आये हैं। चक धूम-धूम, स्वयंवर...*(व्यवधान)* जो देखते हैं, उनसे लिखवा कर लाया हूं।

मैं अम्बिका सोनी जी को बधाई देना चाहता हूं कि कलर टीवी पर जो बिग बॉस वाला जो तमाशा चल रहा था, जिसमें इस देश के और पाकिस्तान से बाजू में, जिस तरह से महिला की जो सीमा है, उसे लांघकर जीवन जीने वाली जो महिलाएं हैं, उनका क्या तमाशा हुआ, लोगों ने बताया, उसका मैं बयान नहीं कर सकता हूं। देश में सेंसरशिप लगी हुई है। सेंसरशिप हर चैनल पर लगी है, हर सिनेमा पर होती है। क्या सेंसरशिप की कमेटी सो रही है? क्या कर रही है? नंगा नाच चला हुआ है। देश की सभ्यता डांस, आपको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने बंद कर दिए. ..*(व्यवधान)* बार डांस बंद कर दिए बंबई में...*(व्यवधान)* और जो सर्कस होते थे, वे इस देश की धरोहर थे, सिर्फ जानवर के नाम पर सर्कस बंद कर दिए। अब सर्कस जैसे काम लोग वहां स्टेज पर कर रहे हैं। डांस नहीं कर रहे हैं। हिन्दुस्तान का नृत्य दुनिया का बेजोड़ नृत्य है। स्वरों पर शरीर चलता है, घुंघरू से स्वर मिलते हैं, लेकिन आज जो फूहड़ और नई सभ्यता है, उसमें सिर्फ शरीर हिलाते हैं और शरीर हिलाने में पुरुषों को छोड़ दीजिए, महिलाओं का ऐसा दृश्य भरा हुआ है कि शीला वाला कोई गाना बना है. ..*(व्यवधान)* शीला बदनाम हो गयी...*(व्यवधान)* मुन्नी बदनाम हो गयी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: ये चीजें सभी को मालूम हैं, आप अपनी बात कहिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शरद यादवः हां, जी। सही बात है, सभी को मालूम है, मुझे नहीं मालूम है।...*(व्यवधान)* लेकिन आपने भी वक्त की सीमा में मुझे बांध दिया है, मेरी विनती है कि मेरी बात सुन लीजिए।...*(व्यवधान)* जो सेंसर बोर्ड है, प्रणब बाबू उसका चेयरमैन कौन है? वह क्या कर रहा है?...*(व्यवधान)* ये जो चैनल्स चल रहे हैं, आप तो देखते नहीं, मैं भी देखता नहीं हूं, हम दिन भर काम में लगे रहते हैं, आज घरों में बच्चों के साथ टीवी देखना गुनाह हो गया है। अगर टीवी समाचार के लिए रखेंगे, तो उसको आप देख नहीं सकते हैं और जो मां है, हमारी महतारी है, जो हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, सारे चैनलों में सिर्फ महिलाओं की कलह दिखाई जा रही है। जितना महिलाओं का चरित्र हनन इस देश में इस दौर में हुआ है पैसे कमाने के लिए, नकली शादी कर रहे हैं, उस शादी में एक औरत, जिसका नाम मैं नहीं जानता हूं, ऐसी बेशर्मी का खेल हो रहा है। मैं नहीं कहता कि बाजार को कोई रोक नहीं सकता है, बाजार तो आएंगे। इसी देश में बाजार एक इलाके से दूसरे इलाके में गया है। बाजार से संस्कृति, तहजीब, भाषा, बोली आदि सभी का मेल होता है, आज दुनिया भर की सभ्यताएं इकट्ठा हो रही हैं, मेल होगा, लेकिन हमारे पास जो अच्छा है, उस सबको पानी में डाल दें, सबको कुचल दें हम और इस तरह के चैनल्स को हम बंद न करें? मैंने जब अम्बिका सोनी जी को बधाई दी कि आपने अच्छा काम किया, वह बोलीं कि शरद जी मैं तो तंग हो गयी हूं। बिग बॉस को बंद करने का फैसला किया अम्बिका सोनी जी ने लेकिन मुंबई के कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार, जो करोड़ों वोटों से बनी हुई है, वह नहीं कर सकती है। लोगों को सीमाएं देखनी चाहिए। यह कोर्ट इन चैनल्स को देख नहीं रही हैं? इस तरह के फैसले से मुझे बहुत तकलीफ हुई है। इस देश में तमाशा मचा हुआ है। सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? क्यों इनको ऐसी अनुमति दे रहा है? क्यों इस तरह से कर रहा है ? आज लोक सभा का चैनल है, मैं आपको बताऊं कि देश भर में यह फैल रहा है। देखने को नहीं मिलता है, आजकल लोग सबसे ज्यादा इस चैनल को देख रहे हैं। क्यों नहीं इसका प्रचार होता है? शाम के वक्त इतना बढ़िया बोलने वाले सांसद हैं कि मैं जब एक दिन घर पर बैठकर इस चैनल को देख रहा था, उत्तराखण्ड के सांसद को बोलते हुए देख रहा था। उसने उत्तराखण्ड का बहुत अच्छा चित्र खींचा, उत्तराखण्ड में मैं ज्यादा नहीं गया, मैं वहां के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने उत्तराखण्ड के बारे में बहुत बेहतरीन भाषण दिया।

वह किस पार्टी के थे, मुझे मालूम नहीं है। इस देश में अच्छाई को हम पूरी तरह से कुचल देंगे, सदियों से हमारे यहां जो मर्यादाएं हैं, मां की, बहन की, पत्नी की जो मर्यादाएं हैं, उन्हें इस तरह से दिखाया जा रहा है कि जैसे औरतों से ज्यादा गंदा और षडयंत्रकारी कोई है ही नहीं। नंगेपन के बारे में तो सबको मालूम है। कुछ औरतें हैं, जिन्होंने फिल्मीस्तान में जाकर लगता है अपनी पूरी इज्जत उतारकर रख दी है। इस देश में सैक्स के बारे में अजीब हालत है। लोग सबसे ज्यादा इसे देखते हैं। दुनिया में भी देखते हैं। मैं समाचारों के दौरान टीवी पर एक विज्ञापन देख रहा था। उसमें बिल्कुल नग्न एक जवान औरत पेड़ के पीछे से निकल कर आती है। यह क्या दिखा रहे हैं, क्या हो रहा है और कौन देख रहा है! अम्बिका सोनी जी ने जब ऐसी चीजों पर रोक लगाने की बात कही, तो लोग अदालत में चले गए और उनके फैसले को ताक पर रख दिया गया।

सभापति महोदयाः सारा सदन आपके साथ है।

श्री शरद यादवः यह देश को लूटने के लिए चैनल्स बने हुए हैं। ऐसे चैनल्स देश को बर्बाद कर रहे हैं। इनका क्या इंतजाम करना चाहिए, आपकी तरफ से प्रोटेक्शन होना चाहिए। हम चाहते हैं कि मौजूदा सेंसर बोर्ड को भंग करके नया सेंसर बोर्ड बनाया जाए। उस सेंसर बोर्ड में सांसदों को लिया जाना चाहिए, फिर देखिए कैसे ठीक तरीके से काम होता है। आजकल हमारे देश में इस तरह के कई चैनल्स गंदगी फैला रहे हैं, वल्गैरिटी दिखा रहे हैं। ऐसे वल्गर शो हो रहे हैं, एक तमाशा बना हुआ है। जिस तरह से अम्बिका सोनी जी ने कदम उठाया था, उसी तरह का कदम सरकार उठाकर इन चैनल्स को रास्ता दिखाए और कहे कि ठीक बता दिखाई जानी चाहिए। हमारे देश की हजारों वर्ष की सभ्यता है, उसके अनुसार चैनल्स चलने चाहिए। उससे बाहर चलेंगे तो देश बर्बाद होगा। हमारे देश की सदियों से जो संस्कृति बनी हुई है, वह मिट जाएगी और हम वह मिटने नहीं देंगे।

सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

सभापति महोदयाः शरद यादव जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री हंसराज जी. अहीर और श्री वीरेन्दर कश्यप अपने को सम्बद्ध करते हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदया, मुझे बहुत पीड़ा के साथ इस विषय को सदन में उठाना पड़ रहा है। देश के किसानों को सरकार की तरफ से अनुदान में बोरिंग पम्पिंग सेट्स दिए जाते हैं। लेकिन अनुदान में दिए गए इन बोरिंग पम्पिंग सेट्स में किस तरह किसानों का शोषण हुआ है, उसका एक उदाहरण मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं। मैं 1982 में इस संसद में आया और राज्य सभा का सदस्य बना। तब से लेकर आज तक मैं इस मामले को लेकर लड़ता रहा हूं। सन् 1980 से लेकर 2000 के बीच बिहार में बोरिंग पम्पिंग सेट्स को 1500 करोड़ रुपए से लेकर 2000 करोड़ रुपए तक का घोटाला हुआ था। नाबार्ड से, बैंकिंग विभाग से सी.बी.आई. द्वारा जांच के

बाद, सी.बी.आई. के प्रतिवेदन पर आठ बैंकों के अधिकारियों को बर्खास्त किया गया तथा 33 डीलर्स के खिलाफ सी.बी.आई. के कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई और मुकदमा चला। बोरिंग पम्पिंग सेट्स घोटाले पर राज्य सभा में प्रश्नों के उत्तर में सरकार ने छः आरोपों को पूर्णतः सत्य पाया। पाइपस्टेनर, पम्प सेट बाजार में जिस दर पर मिलता था, उससे ज्यादा कीमत डीलर्स ने ली। इन बोरिंग पम्पसेट्स पर 3000 रुपए से 3500 रुपए तक अनुदान दिया जाता था। बाजार में जो पम्प सेट्स और पाइप स्टेनर्स की कीमत थी, उससे अधिक अनुदान वाले लेते थे, 4000-4500 रुपए ज्यादा लेते थे। अनुदान मिलता था 3000 रुपए और बाजार से वही सेट उन्हें 4000-4500 रुपए में मिलता था। अभी भी ग्रामीण विकास, सी.बी.आई. इस भयंकर घोटाले को दबा रहा है। लगभग 1500 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपया किसानों का लूट लिया गया, उनके घर उजड़ गए, बोरिंग पम्पिंग सेट्स में उन्हें लूट लिया गया। उन किसानों को पैसा वापस मिलना चाहिए। इन प्रश्नों को जब भी उठाया जाता है तो सी.बी.आई. ने इस मामले की जांच क्यों रोक दी, किसके आदेश से रोकी इसलिए कि यह भ्रष्टाचार चाहे बैंक वाले हों या भूमि विकास बैंक वाले हों, आपूर्तिकर्ता हों, सबने मिलकर देश के किसानों को लूटा था, इन सबको बचाने के लिए सी.बी.आई. ने उन केसेज को रोक दिया है, बंद कर दिया है।

मैं मांग करता हूं कि सी.बी.आई. उस केस को पुनः ले, जांच करे। माननीय प्रधान मंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, क्वेश्चयन किया, जवाब आता है कि इस संबंध में सरकार को कुछ मालूम नहीं है। यह इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतना बड़ा अन्याय हुआ है, इस पर सी.बी.आई. जांच करे, उन लोगों को पकड़े, जेल में बंद करे और जो रुपया किसानों से ज्यादा लिया गया है, उसे किसानों को वापस करे।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से देखने को मिला है कि देश की आन-बान और शान के प्रतीक हमारे राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान हो रहा है या फिर आस्था के साथ सीधा-सीधा खिलवाड़ हो रहा है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत असहमति को भी लोकतंत्र में जगह होती है। इसके लिए हर व्यक्ति को मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार दिये गये हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जब उस स्वतंत्रता का दुरूपयोग होकर उसे उच्छृखंलता का स्वरूप दिया जाने लगता है, तो कभी-कभी वह स्वतंत्रता के लिए भी खतरा पैदा कर लेता है और यही वर्तमान में हो रहा है। कश्मीर में पी.डी.पी. के द्वारा जो कुछ भी राष्ट्र की एकता के साथ किया जा रहा है वह किसी से छिपा नहीं है।

इस देश में कुछ लोगों के द्वारा अपनी कलाकृति के नाम पर हिंदू दैवी-देवताओं के जिस प्रकार के नग्न चित्र बनाए जाते हैं और उसे कला का स्वरूप दिया जाता है, उस शर्मनाक स्थिति को भी सबने देखा है। अभी परसों की स्थिति है और चार महीने पहले भी ऐसा दिल्ली में हुआ था। एक महिला...* जो अपने को आधुनिक कहती है, उसका कोई कार्यक्रम जे.एन.यू. में था।

सभापति महोदया: आप बिना नाम के बोलें। मैं आपकी भावना समझ गयी हूं।

योगी आदित्यनाथ: उस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को जूते के तले के नीचे बनाया गया था, जोकि अत्यंत शर्मनाक है, राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान है, राष्ट्र के प्रतीकों का अपमान है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना, आस्था के प्रतीकों पर किसी प्रकार का प्रहार होना।...*(व्यवधान)* सरकार इसका संज्ञान ले और इस प्रकार की किसी भी दुष्प्रवृत्ति पर सख्ती से रोक लगाएं। आपने मौका दिया, धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में नाम सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया: आप अपना नाम संलग्न कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। इस पर सभी का बोलना आवश्यक नहीं है। आप लिखकर दे दें, आपका नाम एसोसिएट कर लिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्री जगदम्बिका पाल जी, श्री अर्जुन मेघवाल जी का नाम योगी आदित्य नाथ जी के विषय के साथ एसोसिएट किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री एंटो एंटोनी (पथनमथीट्टा): सभापति महोदया, मैं इस अवसर का लाभ उठाकर सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह देश में महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना (एम.पी.के.वी.वाई.) के अंतर्गत महिला प्रधान एजेंटों (एम.पी.ए.) की समस्याओं का

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

समाधान करे। एम.पी.के.वी.वाई. एक नवीन योजना है जिसकी शुरूआत भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 में बड़ी दूरदर्शिता के साथ की थी। इस योजना का उद्देश्य बचत को बढ़ावा देना तथा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था और इस संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

आज एम.पी.के.बी.वाई. का राष्ट्रीय कोष में करोड़ों रुपये का योगदान है। महिला प्रधान एजेंट्स या राष्ट्रीय बचत एजेंट्स जो एम. पी.के.बी.वाई. योजना की रीढ़ हैं, बिल्कुल निचले तबके के वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

इस देश में इस योजना को शुरू करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे उन महिलाओं में सशक्तिकरण के लिए एक प्रभावी उपाय के रूप में देखा था जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर थी। रिपोर्ट के अनुसार, तीन लाख महिला प्रधान एजेंट्स परिवारों से एकत्रित राशि से प्राप्त कमीशन से अपनी आजीविका कमा रही है।

आजकल महिला प्रधान एजेंटों के समक्ष बहुत सी चुनौतियां हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदया: आप अपनी बात थोड़े में रखिये। *[अनुवाद]* केवल मुद्दे रखिये।

...*(व्यवधान)*

श्री एंटो एंटोनी: इसका एक कारण लघु बचत योजनाओं में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी जा रही ब्याज दर की तुलना में ब्याज दर का कम होना है। परिणामत:, आम लोग लघु बचत योजनाओं में निवेश में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया सारी बातों को मत पढ़िये। आप कृपया केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखें।

श्री एंटो एंटोनी: जी हां, मैं अपनी बात पर आ रहा हूं।

सभापति महोदया: 'शून्यकाल' के दौरान आपको दस्तावेजों को पढ़ना नहीं चाहिए।

श्री एंटो एंटोनी: मुख्य मुद्दा यह है कि सरकार ने संग्रहण के लिए दिया जाने वाला कमीशन कम कर दिया है। इसे 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, एम.पी.ए. को सभी जरूरी लेखन सामग्री स्वयं खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है जो उन्हें पूर्व में राष्ट्रीय बचत प्राधिकरणों द्वारा दी जाती थीं। इसके अतिरिक्त, जो कमीशन उनको मिलता है उस पर 10 प्रतिशत की दर से उनसे आयकर वसूला जाता है। परिणामस्वरूप उन्हें कुल मिलाकर केवल एक प्रतिशत आय प्राप्त होती है।

इन कारणों पर विचार करने के बाद मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह महिला प्रधान एजेंटों के कमीशन को बढ़ाए, तथा डाकघर बचत योजना में ब्याज दर को प्रतिस्पर्धात्मक बनाए, छोटे निवेशकों को 'अपने ग्राहक को जानिये' (के.वाई.सी.) के मानकों से छूट दे और सभी राष्ट्रीय बचत योजनाओं में कर लाभ दे।

सभापति महोदया: श्री भक्त चरणदास। कृपया किसी के नाम का उल्लेख न करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): सभापति महोदया, आपने मुझे बहुत ही संवेदनशील मामले पर बोलने का मौका दिया है। भारत सरकार की एक योजना बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए है। इस योजना में उड़ीसा के एक करोड़ छह लाख बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पिछले आठ साल में तीन हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और पिछले साल सात सौ करोड़ रुपए का उसमें घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में पी.यू.सी. एल. ने वर्ष 2004 में इस पर एक पी.आई.एल. दायर की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक डायरैक्टिव दिया था, जिसमें कहा गया था कि विषाक्त क्वालिटी की दाल दी जाती है, जिसे खाकर बच्चे बीमार हो जाते हैं, गर्भवती महिलाएं बीमार हो जाती हैं। उड़ीसा कुपोषण में प्रथम स्थान पर है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है कि किसी कांट्रैक्टर से न खरीदा जाए, अपितु मार्किट प्राइज पर खरीद कर सरकारी व्यवस्था के तहत उसी स्पॉट पर पहुंचाया जाए, कोई मिडिल मैन बीच में न हो। सरकार को उसकी निगरानी के लिए एक कमेटी बनानी चाहिए। उड़ीसा हाई कोर्ट ने भी समान राय दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने उसके खिलाफ काम किया और कभी भी उसका रिव्यू नहीं हुआ है। जब यह मामला बहुत जोर से उठा कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो राज्य सरकार ने उस विभाग के मंत्री को हटा दिया, उस विभाग के कुछ अधिकारियों को सस्पैंड कर दिया गया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि पिछले आठ साल में जो विषाक्त दाल, जो 28-30 रुपए में आती है, जबकि भारत सरकार ने उसके लिए 75 रुपए का प्रावधान है, उस मूल्य पर दाल न खरीद करके, क्यों नहीं खरीदी जा रही है? इसका खराब रिएक्शन बच्चों पर हो रहा है। मेरी भारत सरकार से मांग है कि

इसकी इन्क्वायरी की जाए, जांच की जाए, सोसायटी पर इसका क्या रिएक्शन हुआ है और इस घोटाले में कौन-कौन लोग इनवाल्व हैं? क्या इसमें राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि एक साल में एक बार भी रिव्यु करे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आपने अपनी बात कह दी है, अब आप समाप्त कीजिए। श्री पशुपति नाथ सिंह।

...*(व्यवधान)*

श्री भक्त चरण दास: सभापति महोदया, अगर इस प्रकार से योजना के अंतर्गत बच्चों से व्यवहार किया जाएगा, तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्री पशुपति नाथ के भाषण के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): आदरणीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से लाखों लोगों से संबंधित पीने के पानी की समस्या को सदन के सामने रखना चाहता हूं। झारखंड राज्य के बोकारो के चास जिले के नगर पालिका क्षेत्र में जल आपूर्ति योजना सात-आठ वर्ष पूर्व केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारम्भ की गई थी, लेकिन उस योजना में 28 करोड़ रुपए के काम हुए और 20 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया। केंद्र सरकार ने अपने अंशदान को देना बंद कर दिया है, जिसके कारण सात-आठ महीनों से वह योजना बंद पड़ी है। अभी उसमें पचास करोड़ खर्च होंगे। बोकारो से सटा हुआ चास, जिसमें बोकारो के लोगों को सभी प्रकार की सुविधा मिलती है, लेकिन चास नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को कोई सुविधा पीने के पानी की नहीं है। दामोदर नदी से ला कर इस परियोजना को पूरा करना है। इस भीषण जल संकट से लाखों लोग प्रभावित हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द जल आपूर्ति योजना को पूरा करने के लिए सरकार अपने अंशदान को दे।

श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर): सभापति महोदया, मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति बहुत खराब है। मध्य प्रदेश से जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं, सभी राजमार्ग जिस स्थिति में हैं, उसमें वाहन चलाना कठिन है। मेरे क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 86 और 26 इन दोनों की स्थिति खराब है और वाहन उन पर नहीं जा सकते हैं। इस संबंध में पिछली बार नवम्बर माह में जब यह विषय लोक सभा में आया था तब तत्कालीन मंत्री कमलनाथ जी ने कहा था कि हम दो माह के अंदर यह सारा मेंटीनेंस का काम कर देंगे। सभापति जी, आप भी वहां उस मीटिंग में थी जो मध्य प्रदेश के सांसदों के साथ बैठक हुई थी। उस समय इस बात के लिए आश्वस्त किया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का काम किया जाएगा। पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्गों का काम राज्य सरकारें करती थीं। भारत सरकार में कमलनाथ जी के मंत्री बनने के बाद यह काम मंत्रालय ने अपने अधीन ले लिया और तब से लेकर आज तक मध्य प्रदेश में पूरी तरह से मरम्मत का काम और मेंटीनेंस का काम बंद है। सरकार ने यहां तक कहा कि अगर भारत सरकार मार्गों की मरम्मत का काम नहीं कर सकती तो इन राष्ट्रीय राजमार्गों को डीनोटिफाइ कर दीजिए और राज्य सरकार उन मार्गों को बनाने के लिए तैयार है। न तो भारत सरकार उसके लिए डीनोटिफाइ कर रही है और न राष्ट्रीय राजमार्गों का मरम्मत का काम कर रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग। 86 और 26 हैं, उनकी मरम्मत का काम तत्काल प्रारम्भ कराया जाए।

श्री महाबल मिश्रा (पश्चिम दिल्ली): सभापति महोदया, आपने दिल्ली का एक संवेदनशील मामला उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। दिल्ली में लगभग 1639 अनाधिकृत कॉलोनीज हैं जिसमें लगभग 40 लाख लोग रहते हैं और वे नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं। वहां एक एक फुट पानी भरा रहता है और सफाई की हालत ऐसी हो गई है कि वहां अनेक तरह की बीमारियां फैलने की आशंका है। इसका कारण है कि जो 43000 सफाई कर्मचारी हैं, वे अस्थायी हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको काम नहीं मिलता। अस्थायी कर्मचारी वहां से जाता है तो इंस्पेक्टर की मर्जी है कि उसको काम दे या न दे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उस कर्मचारी को रेगुलर किया जाए जिससे वह सफाई ढंग से कर सके।

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): सभापति महोदया, चीनी निर्यात रोकने से चीनी उत्पादन मिल और गन्ना उत्पादक किसानों की जो क्षति हो रही है, उससे गंभीर चिंता हो रही है। इस मामले को उठाने की आपने अनुमति दी, मैं आपका आभारी हूं। केन्द्र सरकार ने 5 लाख टन चीनी का निर्यात करने हेतु अनुमति प्रदान की थी। लेकिन उसके बाद भी इस निर्णय का कार्यान्वयन स्थगित रखा गया है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप सहकारिता क्षेत्र में चीनी उत्पादक मिलों को प्रतिमाह 200 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, उससे गन्ना उत्पादक किसानों के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। मेरा मानना है केन्द्र सरकार ने जो यह चीनी का निर्यात रोक दिया हे, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। खासकर जो प्राइवेट फैक्टरीज हैं, कुछ 8-10 फैक्टरीज देश में हैं, वे अंडर लाइसेंस

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

निर्यात कर रही हैं और जो सरकारी चीनी मिलें हैं, उनका निर्यात बंद कर दिया है। इस साल इस मौसम में चीनी का उत्पादन कम से कम 260 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। उसमें 50 लाख मीट्रिक टन पहला स्टॉक अपने पास है। देश की पूरी मांग 225 लाख मीट्रिक टन हो सकती है और जो बाकी 60-70 लाख मीट्रिक टन बची है, उसे निर्यात करना ही चाहिए। अगर यह निर्यात नहीं किया तो उससे चीनी मिलों का भी नुकसान हो रहा है और जो गन्ना उत्पादक किसान हैं, उनको भी उचित दाम नहीं दे सकते। सायं 7.00 बजें मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि निर्यात तुरंत शुरू कर दिया जाए। इसे शुरू करने के बाद ही हम गन्ना किसानों को अच्छा दाम दे सकते हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदया, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण लोक महत्व के मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं राजस्थान से आता हूं, जोधपुर जिले में उम्मेद अस्पताल में 23 फरवरी को 13 प्रसूताओं की मौत हुई। इसके बाद भी मौतों का क्रम रुका नहीं है, कभी एक मौत होती है, कभी दो मौतें होती हैं और अभी तक 18 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है। यह सिलसिला जारी है। महिलाएं छुट्टी लेकर घर चली गई हैं। यहां अस्पताल में कम्पाउंड सोडियम लेक्टेट इंजेक्शन लगा था जिसका बैच नं. 002 था, यह जानकारी में आया है कि उसके कारण मौतें हो रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से एक टीम भेजी गई थी उसने जांच में पाया कि बैच नं. 002 की दवा बैन होनी चाहिए। लेकिन अभी तक यह पूर्ण रूप से बैन नहीं हुई और इंजेक्शन लगे। अस्पताल में जो वातावरण डिलीवरी के समय था वह इतना खराब और गंदा था कि उसमें इन्फेक्शन फैलने का पूरा खतरा था, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट में कहा गया है। यह कोई छोटा मामला नहीं है। हम स्वास्थ्य की दृष्टि से आई.एम.आर., सी.एम.आर. और एम.एम.आर. में वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में बहुत नीचे पायदान पर आते हैं। मेरे ख्याल से हमारा नंबरआखिर के पांच देशों में है। इतनी अच्छी योजनाएं चल रही हैं इसके बाद भी प्रसूताओं की एक साथ इतनी मौतें होना और क्रम जारी रहना एक शर्मनाक घटना है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां महिला आयोग को भी जाना चाहिए। महिला आयोग ने वहां अभी तक क्यों विजिट नहीं किया? नेशनल ह्यूमेन राइट कमीशन ने चीफ सैक्रेट्री को नोटिस भेजा है क्योंकि यह एरिया वर्तमान मुख्य मंत्री जी का है। खाली नोटिस भेजने से क्या होता है? एन.एच.आर.सी. को वहां जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए। यह महिलाओं की मौत का मामला है। मैं एक मिनट का समय और चाहता हूं। वहां नेशनल ह्यूमेन राइट कमीशन को विजिट करना चाहिए। यह घटना 23 फरवरी की है और लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। घटना को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यह दबना नहीं चाहिए। यह पता लगना चाहिए कि दवा बनाने वाला कौन है, सब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ जिन महिलाओं की मौत हुई है, उन्हें दस-दस लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री ए. सम्पत (अटिंगल): सभापति महोदया, केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पक्के चावल का भंडार बहुत कम है; केरल राज्य के दक्षिण जिलों में वितरण के लिए मवेलिकारा और कोल्लम के भा.खा.नि. के गोदामों में पक्के चावल का एक दाना भी उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि निजी क्षेत्र में भी पक्के चावल की उपलब्ध बहुत कम है क्योंकि चावल आंध्र प्रदेश से लाना पड़ता है। रेल अधिकारियों और भारतीय खाद्य निगम को अधिकारियों के बीच कोई समन्वय नहीं है। दक्षिण रेलवे के अधिकारी भारतीय खाद्य निगम को खाली वैगन उपलब्ध कराने में बहुत ही संकोच करते हैं। जब भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि रेल अधिकारियों की समय पर मदद के बिना वे पक्के चावल आंध्र प्रदेश से केरल लाने की स्थिति में नहीं हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त, खाद्यान्न की कीमत विशेषकर खुले बाजार में चावल की कीमत में वृद्धि होगी।

इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल यह सुनिश्चित करे कि भारतीय खाद्य निगम और भारतीय रेल के बीच समुचित समन्वय हो जिससे कि आंध्र प्रदेश से पका हुआ चावल पर्याप्त मात्रा में केरल लाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं झारखंड राज्य से आता हूं और झारखंड राज्य के लिए एक बात कही जा सकती है कि झारखंड अमीर है, लेकिन झारखंडी गरीब हैं। रेलवे में जितनी लड़ाई होती है, उस पर मैं कह सकता हूं कि गरीब की लुगाई, सबकी भौजाई। चाहे बिहार के रेल मंत्री रहे हों, चाहे बंगाल के रेल मंत्री रहे हों, यदि किसी की सबसे ज्यादा उपेक्षा हुई है तो वह झारखंड की हुई है और झारखंड इस रेलवे को पचास परसैन्ट से ज्यादा रेवेन्यू देता है। यदि झारखंड पैसा देना बंद कर दें, यदि वहां से माल ढुलाई बंद हो जाए, स्टील की ढुलाई बंद हो जाए, कोयले की ढुलाई बंद हो जाए तो इस रेलवे का उसी दिन सत्यानाश हो जायेगा, यह बंद हो जायेगा। लेकिन झारखंड के छः प्रोजैक्ट्स जिनमें पहली बार 67 परसैन्ट पैसा झारखंड की सरकार दे रही है। ऐसा आज तक कहीं नहीं

हुआ, बिहार में एक भी ऐसा प्रोजैक्ट नहीं है, जिसमें बिहार सरकार ने पैसा दिया हो। बंगाल में एक भी ऐसा प्रोजैक्ट नहीं है, जिसमें बंगाल सरकार ने पैसा दिया हो। हम सबसे ज्यादा पैसा रेलवे को दे रहे हैं और इन छ: प्रोजैक्ट्स में हम 67 परसैन्ट पैसा दे रहे हैं।

मेरी आपके माध्यम से सरकार रिक्वैस्ट है कि जो प्रोजैक्ट्स वर्ष 2007 में पूरे होने थे, वे आज तक पूरे नहीं हुए हैं और उनमें जो मुख्य रेल लाइन है, वह गिरीडीह से कोडरमा होते हुए हजारीबाग जा रही है। दूसरी लाइन दुमका, देवघर से होते हुए रामपुर हाट जा रही है। देवघर से वह भागलपुर जा रही है। भागलपुर से वह रामपुर हाट जा रही है। इस तरह की जो छ: प्रोजैक्ट्स हैं, वे 2014 में कम्पलीट होने की बात हो रही है, जिसके कारण स्टेट का पांच सौ करोड़ रुपये प्रति साल हम रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस ऐस्कलेट हो रहे हैं। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जिस तरह से हसडीहा-गोड्डा रेल लाइन, मैं यह नहीं कहता कि आप इसमें पैसा मत दीजिए, मैं केवल यह कह रहा हूं कि जिस तरह से हसडीहा-गोड्डा रेल लाइन आपने अभी अनाउंस की है, उसी तरह से नये प्रोजैक्ट्स लीजिए। झारखंड को नये मैप में लाइये। विक्रमशिला से देवघर को जोड़िये। ये छ: प्रोजैक्ट्स जल्दी से कम्पलीट कीजिए और रेलवे को इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि वह अगला एम.ओ.यू. इन सभी प्रोजैक्ट्स के लिए पचास परसैन्ट पर करे, जिससे कि झारखंड राज्य का भला हो सके।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तराखंड में चल रही एम्बुलेंस वैन 108 सेवाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस सेवा के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन वहां सड़कें टूटी हुई हैं और महिलाएं जो एम्बुलेंस में जाती हैं, उनका प्रसव एम्बुलेंस के अंदर ही हो जाता है। जिससे बड़ी भीषण स्थिति पैदा हो जाती है। मुख्य मंत्री कहते हैं कि 2160 महिलाओं ने इसके अंदर बालकों को जन्म दिया है।

इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि प्रथम वहां अस्पताल होने चाहिए और दूसरे वहां महिला डाक्टरों की तैनाती होनी चाहिए। ताकि कम से कम हमारी जो आने वाली पीढ़ी हैं, वह सुरक्षित रहे। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि कृपया राज्य की 108 आयुष सेवाओं में महिलाओं की सहज देखभाल के लिए महिला डाक्टरों की तैनाती के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिये जाएं।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे बड़ी बात यह कहना चाहता हूं कि कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन अभी शुरू नहीं हुआ है और वहां घोटाला शुरू हो गया है। आपको ताज्जुब होगा कि बोकारो थर्मल पावर प्लान्ट स्टेशन से पानी और कोयला कोडरमा जायेगा। जबकि बोकारों से इसकी दूरी 150 किलोमीटर है। यह मेरे संसदीय क्षेत्र में है।

हमारा आपसे आग्रह है कि बगल में गिरीडीह है, जहां पानी और कोयला दोनों उपलब्ध हैं। वहां से कोयला कांटी थर्मल पावर स्टेशन को जा रहा है। वह कोयला और पानी यदि वहां एडिशनल है तो वह कोडरमा को दिया जाए। ताकि जो माफियागिरी और भ्रष्टाचार है, उस पर अंकुश लग सके। मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर अविलम्ब रोक लगाई जाए, अन्यथा एक नया घोटाला शुरू हो जायेगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री शिवराम गौडा (कोप्पल): महोदया, आपको धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि हमारे किसान हमारी अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं। लेकिन हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र विशेषकर कोप्पल और गडग जिले में, उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है क्योंकि वहां पर हिरन, काले गीदड़ किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। एक ओर किसान भारी वर्षा या सूखे के कारण फसल बर्बाद होने के कारण परेशान हैं तो दूसरी ओर ये हिरन खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में, विशेषकर कोप्पल, गडग, रोन, सिराहारी, मुदरागी, पालाबुर्गा में किसान बहुत चिंतित हैं क्योंकि वहां पर हिरनों की संख्या 35000 से 40000 तक हो गई है। किसानों के खेतों में हिरनों के झुंड घुस आते हैं जो 7 लाख हेक्टेयर से अधिक भू क्षेत्र में खड़ी फसल चर जाते हैं और नष्ट कर देते हैं। खाद्यान्न जैसे मूंगफली, अलसी, दालचना, प्याज, मिर्च और गेहूं उनके द्वारा बर्बाद कर दिए जाते हैं। यही बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे किसान फसल उगाने के लिए इतनी राशि खर्च करने के बाद हिरनों के आतंक से बर्बाद हो जाते हैं। किसानों ने उर्वरकों, बीजों, उपकरणों और अन्य कृषि गतिविधियों पर बहुत खर्च किया है।

वन अधिनियम में ऐसे संकट से निपटने तथा हिरनों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। भारत सरकार ने वन्यजीव अधिनियम 1973 बनाया है। इस अधिनियम की अनुसूची 1 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। हिरनों को अनुसूची 5 में सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे कि उन्हें स्तनधारी के जगह एक प्रजाति माना जाए। ऐसा हिरनों की जनसंख्या नियंत्रित करने तथा उनके आतंक को रोकने के लिए किया जाना चाहिए।

कर्नाटक के उत्तरी भाग के किसान अधिक दालें, अनाज और खाद्यान्नों का उत्पाद कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस संबंध में यथाशीघ्र सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदया, देश के नवजात शिशुओं को बैक्टीरिया से या पल्स पोलियो के लिए या जापानी इनसिफेलाइटिस इस तरह के टीकाकरण का अभियान चलता है। पिछले 100 वर्षों से भारत सरकार की जो तीन फैक्ट्रियां थीं, सी.आर.आई. कसौली, पी.आईआई. कुन्नूर और बी.सी.जी. गिंडी, ये तीनों देश के लगभग 50 प्रतिशत टीकाकरण के अभियान में उस टीके को सप्लाई करती थीं, लेकिन वर्ष 2008 में बंद हो जाने के कारण आज इन टीकों के दाम, नवजात शिशुओं के टीके या जापानी इनसिफेलाइटिस के टीकों के दाम, प्राइवेट लोगों से लेने पर या बाहर से मंगाने पर इनके दो गुणे दाम हो गये हैं। इसके कारण आज तमाम गरीब लोग इस तरह की दवाओं से प्रभावित हो रहे हैं और उनका टीकाकरण अभियान प्रभावित हो रहा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण लोक महत्व का मामला है, यह सुनिश्चित प्रश्न है। हम नेशनल रूरल हैल्थ मिशन में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम में देश के सभी बच्चों के या नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण के अभियान को चलाते हैं। मिस्टर जावेद, पूर्व सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने सिफारिश की है कि इन फैक्ट्रियों के बंद होने से टीकों के दाम दो गुणे हो गये हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से इन फैक्ट्रियों को फिर से चलाने की मांग करता हूं। जिससे हम पूरे देश के लोगों के टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक संचालित कर सकें। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं अपने क्षेत्र के गैस उपभोक्ताओं की समस्या रखना चाहता हूं और मेरा ख्याल है कि यह समस्या केवल मेरे क्षेत्र की नहीं है, बल्कि यह समस्या सम्पूर्ण क्षेत्र की है।

महोदया, गैस वितरकों की ऐसी मनमानी है कि गैस उपभोक्ता को सामान्यत: एक गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए दो से ढ़ाई महीने का समय लगता है। गैस समाप्त होने के 21 दिन बाद उसकी बुकिंग होती है, एक महीने के बाद बुकिंग होती है और उसके बाद डेढ़ महीने तक भी गैस प्राप्त हो जाये तो वह बहुत भाग्यशाली होता है। होम डिलीवरी बिल्कुल बंद हो गयी है।

महोदया, स्थिति यह है कि उसी गैस सिलेंडर को ब्लैक में 700 रुपये में, 800 रुपये में उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है। दूसरी कठिनाई यह है कि यदि कोई परिवार नयी बुकिंग करना चाहे तो वितरक बिल्कुल भी बुकिंग नहीं करता है और उसके साथ वह यह कहकर गैस चूल्हा देना चाहता है कि इसके साथ चूल्हा लेना आवश्यक है। अगर वह उसे दो या तीन हजार रुपये घूस के अतिरिक्त दे दे तो वह बुकिंग कर लेता है। इससे पूरे क्षेत्र में बहुत कठिनाई है। जो इसका निरीक्षण करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इसमें मिलीभगत है।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रयास किया जाये और इसकी छानबीन की जाये और गैस उपभोक्ताओं को राहत दी जाये। गैस उपभोक्ता बहुत अधिक कष्ट में हैं। महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़): महोदया, मैं स्वयं को श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी के विषय के साथ एसोसिएट करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: सभा कल दिनांक 10 मार्च, 2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 10 मार्च 2011/19 फाल्गुन, 1932 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री हमदुल्लाह सईद श्री जोस के. मणि	181
2.	डॉ. रत्ना डे	182
3.	श्री हेमानंद बिसवाल श्री रायापति सांबासिवा राव	183
4.	श्री रमेश बैस श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	184
5.	श्री रामकिशुन श्री पी. विश्वनाथन	185
6.	श्रीमती अन्नू टंडन	186
7.	श्री जगदीश शर्मा	187
8.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय श्री तथागत सत्पथी	188
9.	श्री गणेश सिंह श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	189
10.	श्री के. डी. देशमुख चौधरी लाल सिंह	190
11.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील श्री राधा मोहन सिंह	191
12.	श्री एम. बी. राजेश	192
13.	श्री ए. गणेशमूर्ति	193
14.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	194
15.	श्री बलीराम जाधव श्री के. सुगुमार	195
16.	प्रो. रामशंकर	196
17.	श्री मानिक टैगोर श्री नवीन जिंदल	197
18.	श्री अब्दुल रहमान श्रीमती सुप्रिया सुले	198
19.	श्री यशवंत लागुरी श्रीमती रमा देवी	199
20.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े श्री अधीर चौधरी	200

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	2154, 2232
2.	श्री आनंदराव अडसुल	2114, 2154, 2188
3.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	2183
4.	श्री हंसराज गं. अहीर	2199, 2228, 2232, 2299
5.	श्री बदरुद्दीन अजमल	2122, 2229
6.	श्री अनंत कुमार	2206
7.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	2226, 2228
8.	श्री सुरेश अंगड़ी	2154, 2205
9.	श्री घनश्याम अनुरागी	2116,
10.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	2182,
11.	श्री कीर्ति आजाद	2215, 2226
12.	श्री टी.आर. बालू	2132, 2177, 2297
13.	श्री गजानन ध. बाबर	2162, 2228
14.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	2138
15.	श्री रमेश बैस	2223
16.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	2130
17.	डॉ. बलीराम	2132
18.	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	2123
19.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	2152, 2239, 2296
20.	श्री अवतार सिंह भडाना	2246
21.	श्री ताराचंद्र भगोरा	2119
22.	श्री समीर भुजबल	2222, 2231, 2232
23.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	2143, 2288, 2292
24.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	2254
25.	श्री सी. शिवासामी	2228

1	2	3
26.	श्री हरीश चौधरी	2192, 2284
27.	श्री जयंत चौधरी	2073
28.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	2093, 2174, 2241, 2242
29.	श्री प्रभातसिंह पी. चौहान	2096
30.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	2193, 2199, 2290
31.	श्री भूदेव चौधरी	2121, 2137
32.	श्रीमती श्रुति चौधरी	2208
33.	श्री भक्त चरणदास	2246
34.	श्री खगेन दास	2165
35.	श्री गुरुदास दासगुप्त	2175, 2176, 2244
36.	श्री रमेन डेका	2211
37.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	2213, 2221
38.	श्री मिलिंद देवरा	2098
39.	श्रीमती अश्वमेध देवी	2173
40.	श्रीमती रमा देवी	2248, 2284
41.	श्री के.पी. धनपालन	2117, 2230
42.	श्री आर. ध्रुवनारायण	2129, 2158
43.	श्री निशिकांत दुबे	2171, 2218
44.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	2231, 2232, 2285
45.	श्रीमती प्रिया दत्त	2198
46.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	2121
47.	श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी	2169, 2186, 2229
48.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	2140, 2232, 2288
49.	श्री एल. राजगोपाल	2232
50.	श्री शिवराम गौडा	2230
51.	श्री डी.वी. सदानंद गौडा	2182
52.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	2146

1	2	3
53.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	2208
54.	श्री महेश्वर हजारी	2084, 2219, 2226
55.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	2132, 2150, 2226, 2284
56.	श्री बलीराम जाधव	2231, 2281
57.	डॉ. संजय जायसवाल	2083
58.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	2204, 2235
59.	श्री बद्रीराम जाखड़	2116
60.	श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	2158
61.	श्रीमती जयाप्रदा	2179, 2245
62.	श्री नवीन जिन्दल	2251
63.	श्री महेश जोशी	2181
64.	श्री प्रहलाद जोशी	2103, 2267
65.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	2077
66.	डॉ. ज्योति मिर्धा	2226
67.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे. के. रितीश	2168, 2230
68.	श्री पी. करुणाकरन	2190
69.	श्री कपिल मुनि करवारिया	2185
70.	श्री राम सिंह कस्वां	2134, 2220, 2296
71.	श्री लाल चंद कटारिया	2154, 2166, 2228
72.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	2100, 2224, 2232
73.	डॉ. कृपारानी किल्ली	2114, 2184, 2232, 2245, 2288
74.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	2084, 2226, 2273, 2284
75.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	2151
76.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	2110, 2273
77.	श्री मिथिलेश कुमार	2202

1	2	3
78.	श्री विश्व मोहन कुमार	2228, 2278
79.	श्री पी. कुमार	2149, 2199, 2228(स.), 2241(सं)
80.	श्री पी. लिंगम	2176, 2244
81.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	2104, 2182, 2005, 2271
82.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	2087, 2173, 2258
83.	डॉ. चरण दास महन्त	2212
84.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	2224
85.	श्री नरहरि महतो	2159
86.	श्री भर्तृहरि महताब	2217
87.	श्री प्रदीप माझी	2192, 2209, 2247
88.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	2078, 2128, 2243
89.	श्री जितेन्द्र सिंह मलिक	2141, 2289
90.	श्री जोस के. मणि	2278, 2290
91.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	2143, 2170, 2242, 2288
92.	श्री दत्ता मेघे	2166
93.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	2126, 2238
94.	डॉ. थोकचोम मैन्या	2164
95.	श्री महाबल मिश्रा	2156
96.	श्री पी.सी. मोहन	2146
97.	श्री गोपीनाथ मुंडे	2125, 2223
98.	श्री विलास मुत्तेमवार	2136
99.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	2234, 2253
100.	श्री पी. बलराम	2113, 2270
101.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	2146
102.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	2131, 2180, 2272, 2298, 2299

1	2	3
103.	श्री नामा नागेश्वर राव	2148, 2278
104.	श्री नारनभाई कछाड़िया	2166, 2183
105.	श्री संजय निरुपम	2229
106.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	2085, 2228, 2249, 2256
107.	श्री वैजयंत पांडा	2135, 2157, 2240, 2241, 2299
108.	श्री प्रबोध पांडा	2146, 2229
109.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	2228, 2278
110.	कुमारी सरोज पाण्डेय	2109, 2237
111.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	2079, 2088
112.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	2149, 2191, 2228, 2236
113.	श्री कमलेश पासवान	2213
114.	श्री सी.आर. पाटिल	2153, 2297
115.	श्री देवजी एम. पटेल	2116
116.	श्री आर.के. सिंह पटेल	2183
117.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	2127
118.	श्री किसनभाई वी. पटेल	2192, 2209, 2247
119.	श्री नाथुभाई गोमनभाई पटेल	2195
120.	श्री हरिन पाठक	2158
121.	श्री संजय दिना पाटील	2180, 2298
122.	श्री ए.टी. नाना पाटील	2160, 2204, 2228, 2232, 2244
123.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	2229, 2279
124.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	2140, 2232, 2288
125.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	2161, 2232, 2242
126.	श्रीमती कमला देवी पटले	2228
127.	श्री पोन्नम प्रभाकर	2076, 2091, 2114, 2154, 2260

1	2	3
128.	श्री नित्यानंद प्रधान	2135, 2157, 2240, 2241, 2299
129.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	2087
130.	श्री पन्ना लाल पुनिया	2075, 2132, 2151, 2268, 2279
131.	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया	2080
132.	श्री एम.के. राघवन	2237
133.	श्री अब्दुल रहमान	2283
134.	श्री प्रेम दास राय	2118
135.	श्री पूर्णमासी राम	2131, 2207
136.	प्रो. रामशंकर	2282
137.	श्री रामकिशुन	2100, 2224, 2232, 2277
138.	श्री निलेश नारायण राणे	2238
139.	श्री रायापति सांबासिवा राव	2239, 2252, 2296
140.	श्री रमेश राठौड़	2114, 2139, 2148, 2244, 2300
141.	श्री रामसिंह राठवा	2094, 2243, 2296
142.	डॉ. रत्ना डे	2276
143.	श्री अशोक कुमार रावत	2089
144.	श्री विष्णु पद राय	2163
145.	श्री रुद्रमाधव राय	2232, 2240
146.	श्री के.आर.जी. रेड्डी	2203
147.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	2111, 2232, 2287
148.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	2171, 2232, 2286
149.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	2074
150.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	2145, 2236
151.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	2078
152.	श्री महेन्द्र कुमार राय	2072, 2158

1	2	3
153.	श्री एस. अलागिरी	2134, 2242
154.	श्री एस. सेम्मलई	2132, 2171, 2200, 2232, 2280
155.	श्री एस. पक्कीरप्पा	2115, 2201, 2284
156.	श्री एस.आर. जेयदुरई	2154, 2205, 2295
157.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	2201, 2284
158.	श्री चन्दू लाल साहू	2172
159.	श्री ए. संपत	2107, 2269
160.	श्रीमती सुशीला सरोज	2239
161.	श्री तूफानी सरोज	2160
162.	श्री तथागत सत्पथी	2259
163.	श्री हमदुल्लाह सईद	2151, 2262
164.	श्री अर्जुन चरण सेठी	2142
165.	श्रीमती जे. शांता	2102, 2266, 2285
166.	श्री जगदीश शर्मा	2225, 2226, 2227
167.	श्री नीरज शेखर	2179, 2245
168.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	2071, 2143, 2241, 2249, 2278
169.	श्री एंटो एंटोनी	2233, 2278, 2280
170.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	2079, 2228
171.	डॉ. भोला सिंह	2187
172.	श्री भूपेन्द्र सिंह	2171
173.	श्री दुष्यंत सिंह	2169, 2188
174.	श्री गणेश सिंह	2274
175.	श्री इज्यराज सिंह	2192, 2248
176.	श्री जगदानंद सिंह	2189
177.	श्रीमती मीना सिंह	2137, 2232
178.	श्री पशुपति नाथ सिंह	2105

1	2	3
179.	श्री राकेश सिंह	2146
180.	श्री रवनीत सिंह	2133
181.	श्री सुशील कुमार सिंह	2147, 2165
182.	श्री उदय सिंह	2169, 2232
183.	श्री यशवीर सिंह	2179, 2197
184.	चौधरी लाल सिंह	2232
185.	श्री धनंजय सिंह	2081, 2154, 2236, 2254
186.	श्री रेवती रमण सिंह	2216
187.	श्री राधे मोहन सिंह	2125, 2230
188.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	2119
189.	राजकुमारी रत्ना सिंह	2124, 2204
190.	श्री उदय प्रताप सिंह	2154, 2166, 2228, 2236
191.	श्री उमाशंकर सिंह	2232
192.	डॉ. संजय सिंह	2124, 2174, 2294
193.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	2076, 2143, 2228, 2290
194.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	2120
195.	श्री के. सुधाकरण	2112, 2291
196.	श्री ई.जी. सुगावनम	2092, 2261
197.	श्री के. सुगुमार	2099, 2173, 2293
198.	श्रीमती सुप्रिया सुले	2169, 2227
199.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	2154, 2166, 2178
200.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	2101, 2148, 2241, 2265
201.	श्रीमती अन्नू टन्डन	2275
202.	श्री बिभू प्रसाद तराई	2175
203.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	2108, 2208
204.	श्री मनीष तिवारी	2155, 2298
205.	श्री जगदीश ठाकोर	2090
206.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	2194
207.	श्री आर. थामराईसेलवन	2086, 2218, 2228, 2232, 2257
208.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	2183, 2214
209.	डॉ. शशी थरूर	2144
210.	श्री पी.टी. थॉमस	2134
211.	श्री मनोहर तिरकी	2128, 2243
212.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	2125, 2230
213.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	2095, 2263
214.	श्री जोसेफ टोप्पो	2106
215.	श्री शिवकुमार उदासी	2151
216.	श्री हर्ष वर्धन	2225, 2228
217.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	2080, 2235, 2294
218.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	2228, 2241
219.	श्री सज्जन वर्मा	2167
220.	श्री पी. विश्वनाथन	2097, 2232, 2264
221.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	2250
222.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	2232, 2285
223.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	2134
224.	श्री धर्मेन्द्र यादव	2196, 2279
225.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	2119, 2227
226.	श्री ओम प्रकाश यादव	2082, 2255
227.	श्री मधु गौड यास्खी	2140, 2232, 2288
228.	योगी आदित्यनाथ	2210, 2246.

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
नागर विमानन	:	182, 186, 200
कोयला	:	184, 198, 199
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	185, 193
विदेश	:	181, 187
मानव संसाधन विकास	:	183, 189, 190, 195, 196, 197
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	191
योजना	:	192, 194
अंतरिक्ष	:	188

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	2088, 2105, 2112, 2183, 2193, 2199, 2238, 2296
नागर विमानन	:	2076, 2079, 2096, 2097, 2100, 2125, 2139, 2148, 2152, 2157, 2162, 2168, 2181, 2201, 2202, 2206, 2214, 2229, 2232, 2235, 2237, 2239, 2241, 2242, 2255, 2261, 2277, 2280, 2281, 2282, 2283, 2286, 2288, 2295
कोयला	:	2078, 2089, 2093, 2149, 2153, 2169, 2184, 2200, 2209, 2212, 2228, 2243
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	2082, 2084, 2087, 2098, 2101, 2107, 2108, 2115, 2119, 2135, 2136, 2140, 2142, 2147, 2150, 2154, 2159, 2160, 2165, 2166, 2173, 2175, 2188, 2197, 2205, 2216, 2218, 2224, 2231, 2234, 2246, 2248, 2251, 2258, 2269, 2278, 2289, 2290, 2291, 2299
विदेश	:	2071, 2072, 2074, 2077, 2085, 2091, 2099, 2102, 2111, 2127, 2143, 2144, 2145, 2151, 2155, 2158, 2170, 2187, 2192, 2196, 2210, 2219, 2245, 2247, 2249, 2272, 2276, 2284, 2287, 2292
मानव संसाधन विकास	:	2075, 2080, 2086, 2090, 2095, 2104, 2116, 2117, 2122, 2123, 2129, 2137, 2141, 2163, 2164, 2167, 2171, 2172, 2180, 2185, 2186, 2191, 2194, 2195, 2198, 2204, 2208, 2211, 2213, 2215, 2217, 2223, 2230, 2236, 2240, 2244, 2253, 2254, 2256, 2257, 2260, 2262, 2264, 2265, 2266, 2268, 2270, 2279, 2293, 2297, 2298, 2300
प्रवासी भारतीय कार्य	:	2081, 2103, 2109, 2134, 2161, 2182, 2203, 2220, 2233
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	2073, 2092, 2094, 2124, 2126, 2130, 2132, 2156, 2174, 2176, 2177, 2179, 2222, 2250, 2267, 2273, 2274, 2294
योजना	:	2106, 2110, 2113, 2114, 2118, 2120, 2121, 2128, 2133, 2138, 2178, 2189, 2190, 2221, 2226, 2259, 2263, 2271, 2275, 2285
अंतरिक्ष	:	2083, 2131, 2146, 2207, 2225, 2227, 2252,

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/16/12/2011 (एन.)
230

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मै. अनुपम आर्ट प्रिंटर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।